लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 3, बुधवार, 30 मार्च, 1983/9 चैत्र, 1905 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1-17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 432, 434, 435 और 437 से 439			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	18-355
तारांकित प्रश्न संख्या : 411, से 428, 430, 308, 431, 433 और 440 से 451	...	...	18-41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4667 से 4701, 4703 से 4779, 4781 से 4800, 4802 से 4831, 4833 से 4946, 4948 से 4951, 4953 से 5023, 5025 से 5044, 5046 से 5057, 5059 से 5078, 5080 से 5086, 5088 से 5109, 5111 से 5113 और 5115 से 5136	...	...	41-355
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	...	356-363
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		...	363
अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	...	...	363
राज्य-सभा से संदेश	...	...	363
लोक लेखा समिति	...	...	364
12वां, 129वां और 130वां प्रतिवेदन	...	...	
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	364-367
(एक) पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्थि-कलश रखने के लिए पटना संग्रहालय में एक अलग स्मारक कक्ष का निर्माण — श्री चन्द्रपाल शैलानी		...	364-365
(दो) शोर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता — प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	...	...	365

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
(तीन) नौवहन कंपनियों को कोयले के माल-भाड़े के भुगतान की प्रक्रिया संबंधी निर्णय को बदलने के लिए पूर्व रेलवे को निर्देश देने की आवश्यकता	...	...	365-366
डा० कृपा सिन्धु भोई		...	365-366
(चार) खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता	...	...	366
श्री बी० डी० सिंह		...	366
(पांच) कटरा-वैष्णव देवी सड़क की मरम्मत करना	...	...	
श्री हरीश कुमार गंगवार		...	366
(छः) हैदराबाद से नेल्लोर होते हुए मद्रास तक एक नई रेलगाड़ी चलाना	...	...	367
श्री पुचालापल्ली पेंचालैया		...	367
(सात) बिहार में होमगार्डों की सेवाओं को नियमित करना		...	367
श्री रामविलास पासवान		...	367
(आठ) डाक तथा तार विभाग में विभागेतर आधार पर कर्मचारियों को काम पर नियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता	...	...	367-368
श्री सुशील भट्टाचार्य		...	367-368
अनुदानों की मांगें (सामान्य)	...	...	368-443
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	...	...	368-443
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	...	...	368-372
श्री चन्द्रपाल सिंह	...	...	372-374
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	374-378
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	...	378-383
डा० कृपासिन्धु भोई	...	...	383-387
श्री एन० सेलवाराजू	...	...	387-393
श्री मूलचन्द डागा	...	...	393-397
श्री अशफाक हुसैन	...	...	397-401
श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	...	401-405

विषय			पृष्ठ
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	...	405-408
श्री शान्तुभाई पटेल	...	...	408-410
श्री बाबूराव परांजपे	...	...	410-412
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	412-414
डा० वी० कुलनदईवेलु	...	...	414-416
श्री राम प्यारे पनिका	...	...	417-418
श्री एस० टी० के० जक्कायन	...	...	419-420
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	...	...	420-423
श्री भागवत झा आजाद	...	...	423-442

लोक सभा

बुधवार, 30 मार्च 1983/ 9 चैत्र 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्णा चन्द्र हाल्दर : महोदय, आपको होली की बधाई हो। हमें तीन-चार मिनट की देरी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, तब तो मैं तीन-चार मिनट देरी से आया हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या हम सदन में रंग से खेल सकते हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वह रंगीन तबीयत के व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब लोग यहां होते तो मैं इसकी अनुमति दे सकता था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संकल्प से।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजधानी में अपराध

*432. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अपराधों और हत्याओं की चिन्ताजनक वृद्धि की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) पुलिस हत्यारों का पता लगाकर उन्हें दण्ड दिलाने में कितना समय लेती है; और

(ग) अपराध और हत्या के मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो/अपराध शाखा को अन्तरित करने के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं और अन्तरित करने से पहले हत्या का मामला पुलिस के पास कितनी देर तक रहना चाहिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हत्या के मामलों की संख्या में मामूली सी वृद्धि के अतिरिक्त दिल्ली में अपराध दर में कुल मिलाकर कमी हुई है। राजधानी में अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :--

(I) पुलिस सतर्कता में वृद्धि।

(II) बाकी टाकी सैटों और वायरलैस युक्त मोटरसाइकिलों के साथ सशस्त्र गश्त सहित गहन पैदल और चलती फिरती गश्त।

(III) बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य धाराओं के अधीन कार्रवाई ।

(IV) अ.सूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और बदमाश व्यक्तियों का पता लगाने के लिये जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना ।

(V) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिये वाहनों की आकस्मिक जांच करना ।

(VI) ज्ञात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना ।

(VII) पुलिस गश्तों और टुकड़ियों के समन्वय से स्थानीय निवासियों और निजी चाकीदारों द्वारा टिकरी पहरा और गश्त का आयोजन ।

(VIII) रिहा किये गए अपराधियों पर विशेष निगरानी रखना ।

(IX) असुरक्षित स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना ।

(X) चुनिंदा और सामरिक महत्व के स्थानों पर नाकाबन्दी करना ।

(XI) निष्कासन की कार्रवाई को तेज करना ।

(XII) अन्य पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर जिला बैठकें ।

(ख) अपराधियों को पकड़ने में लिया गया समय अलग-अलग मामले में भिन्न-भिन्न होता है ।

(ग) कोई निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है । मामले की जांच को केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को दिया जाता है, यदि यह महसूस किया जाये कि ऐसा किया जाना उचित जांच के हित में है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपने भी पढ़ा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है । इसमें कहा गया है कि हत्या के मामलों की संख्या में मामूली सी वृद्धि के अतिरिक्त दिल्ली में अपराध दर में कुल मिलाकर कमी हुई है । इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है । पिछली दफा आपको याद होगा, जब मैंने यहां पर हत्या के मामलों को उठाया था तो आपने कहा था कि अलग से सवाल पूछियेगा और आज वह सवाल भी यहां पर आ गया है । अब सरकार कहती है कि हत्या के मामलों को छोड़कर दूसरे सभी मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । यह दिल्ली पूरे देश की राजधानी है लेकिन यहां का जन-जीवन बहुत असुरक्षित हो गया है । इस राजधानी में जहां पर प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और राष्ट्रपति रहते हैं और यहां पर पार्लियामेंट है, जब यहीं का जीवन इतना असुरक्षित हो कि लोग घर से बाहर निकलने में डरते हो तो दूसरी जगहों की क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं । यहां पर पालिका बाजार में दो-दो बार बम विस्फोट हुआ । केवल एक बार हुआ होता तो यह कहा जा सकता था कि गुप्तचर विभाग को मालूम नहीं था लेकिन दूसरी बार भी हो गया । उसके अलावा गोलमार्किट में भी बम विस्फोट होता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए ।

श्री राम विलास पासवान : इस तरह की घटनाओं में, वृद्धि होती जा रही है और सरकार आंकड़ों के द्वारा यह प्रूव करना चाहती है कि केवल मामूली सी वृद्धि हुई है या कमी हुई है और कोई चिन्ताजनक बात नहीं है। लेकिन 22 मार्च के स्टेट्समैन में निकला है और 23 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स और नेशनल हैराल्ड में भी निकला है कि पुलिस के जो हाई आफिसर्स हैं, पुलिस कमिश्नर, उनके लड़के का क्राइम में हाथ होता है। वसन्त बिहार के थाने के अंतर्गत माडर्न बाजार में एक सेल्स गर्ल के सम्बन्ध में केस दर्ज कराने पर एक सभ्य आदमी को पांच मुकदमों में इन्वाल्व किया गया। इसी प्रकार से 22-9-82 को एक नीना नाम की लड़की का मर्डर किया गया, उसके डाइंग डिक्लेरेशन में उसका नाम भी बतलाया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगर यहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से ऐसा किया जायेगा तो दिल्ली की ला ऐंड आर्डर सिच्युएशन सुधर नहीं सकती है। यहां पर 11-11 साल से पुलिस आफिसर्स एक जगह पर बैठे हैं।

इसी तरह से यहां पर जी० बी० रोड है, श्रद्धानन्द मार्ग है कोई, जहां पर पुलिस की साठ-गांठ से 30 हजार वैश्याओं से अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है। वहां पर एक एक अधिकारी दस-दस साल से मौजूद है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? जहां पर पुलिस अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य इन्वाल्व्ड है और जो 30 हजार लड़कियों के साथ अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने तो यह बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है और यहां रोजाना बाहर से भी बहुत लोग आते-जाते हैं। अत: यहां अपराधों का होना स्वाभाविक ही है। इसके बावजूद भी हम अपराधों को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री को तो हिन्दी आती है। पता नहीं वे क्या बतला रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वास्तव में, हम डी. ए. पी. की बटालियन बढ़ा रहे हैं। हम पुलिस को आधुनिक यंत्र देकर उसे अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि वह अपराधों का पता लगा सके। इसके अलावा सभी सुरक्षात्मक उपाय कर लिये गये हैं।

जहां तक पुलिस कमिश्नर के लड़के के खिलाफ लगाये गये आरोप का संबंध है, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कार्यवाही की गई है। जांच हो रही है। कानून सब के लिए समान होता हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचा स्थान धारण क्यों न किये हों। हम सब संभव कार्यवाही कर रहे हैं। हम इसलिए यूं ही नहीं बैठे हुए हैं कि वह पुलिस कमिश्नर का लड़का है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है तथा जांच की जा रही है।

जहां तक पुलिस अधिकारियों का बारह वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर नियुक्त रखे जाने का संबंध है, ये पुलिस अधिकारी केवल दिल्ली के लिये रखे गये हैं और यदि यह देखा जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे दिल्ली में ही दूसरे स्थान पर तबदील कर देते हैं। परन्तु यदि कोई ऐसे खास मामले हैं, जहां पुलिस अधिकारी को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक स्थान पर रखा गया है, तो हम उस पर गौर करेंगे।

मैं माननीय सदस्य को अश्वासन देता हूं कि यदि इन पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया जाता है, या वे कहीं निर्धारित अवधि से अधिक समय तक नियुक्त रहते हैं या उनका कहीं निहित स्वार्थ देखा जाता है, तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

लड़की के मृत्युकालिक बयान की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : जी० बी० रोड के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उसके बारे में भी उचित जांच की जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : अगर सरकार कहती है कि गलत बात है, तो सरकार मेरे साथ चले, होम मिनिस्टर मेरे साथ चलें—वहां 30 हजार से ज्यादा लड़कियों से अनैतिक व्यापार करवाया जा रहा है और पुलिस के माध्यम से करवाया जा रहा है। जब उनको रिश्वत का पैसा नहीं मिलता है तो छापा मारा जाता है, जब शेअर मिलता है तो सब काम स्मूथली चलता है। सेठी साहब, आप यहां बैठे हैं, आप की सरकार क्या आश्वासन दे रही है ? आप सदन में हमेशा कहते हैं कि कोई डेफिनीट एक्जाम्पल दें, जब डेफिनीट एक्जाम्पल दी जा रही है, 30 हजार लड़कियों के साथ अनैतिक व्यापार पुलिस की सांठ-गांठ से करवाया जा रहा है, जिसमें एडीशनल पुलिस कमिश्नर और दूसरे लोग इन्वाल्व्ड हैं, तो आप बतलाइये कि आप इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रह हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच अवश्य कराई जायगी···

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : किससे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन लोगों से नहीं जो प्राय: वहां जाते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : ये आरोप पुलिस प्रशासन के खिलाफ हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं यह मन्जूर करता हूं कि दिल्ली में जहां तक मर्डर्स का ताल्लुक है, उनकी संख्या बढ़ी है, इस में कोई सन्देह नहीं हैं। इस के अलावा ये पांच-छ: एक्सप्लोजन्ज हुए हैं और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सिलसिले में कोई गिरफतारी नहीं हुई है···

श्री रामविलास पासवान : आप का सी० आई० डी० विभाग सोया हुआ है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन में कुछ मामले ऐसे हैं जिन को हम सी० बी० आइ० एन्कवायरी के लिये दे रहे हैं। जैसे पहले क्वैत एम्बेसेडर की हत्या का मामला और दूसरे मामले सी० बी० आई० को दिये थे, वैसे ही इन को भी दे रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए अन्यथा केन्द्रीय जांच विभाग बहुत अधिक समय लेगा।

श्री रामविलास पासवान : मैंने जो सवाल पूछा था—पुलिस के सबसे बड़े अफसर पुलिस कमिश्नर के ऊपर चार्ज है कि वह अपने लड़के को बचाने का काम कर रहे हैं·····

श्री सज्जन कुमार : जब तक एन्कवायरी नहीं होगी, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ?

···(व्यवधान)···

श्री रामविलास पासवान : पुलिस कमिश्नर के लड़के पर चार्ज है। सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि उस के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तब फिर कौन दूसरी अथारिटी दिल्ली में पुलिस की है जो उस के खिलाफ एन्क्वायरी करेगी ?

यह मेरा पहला प्रश्न था, अभी दूसरा प्रश्न बकाया है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा तो हो गया।

श्री रामविलास पासवान : अभी तो पहले का ही जबाब आना है। दूसरा प्रश्न में यह पूछना चाहता हूं—मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं—आप को मालूम है आज से लगभग दो महीने पहले एक अखबार के रिपोर्टर—श्री संजय सूरी—जब निजामुद्दीन (ईस्ट) थाने में सहेली नाम की संस्था की ओर से, जो महिलाओं की रक्षा के लिये है, गये तो उन को थाने में बन्द कर दिया गया। जब दिल्ली के जर्नलिस्ट्स ने इस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और पुलिस कमिश्नर के यहां धरना दिया, तब उन को छोड़ा गया। जब दिल्ली में ऐसी घटनाओं के बारे में जर्नलिस्ट्स बतलाना चाहते हैं, तो उन को बन्द कर दिया जाता है। यह हालत आप के यहां ला एण्ड आर्डर की है।

आप के यहां एक पुलिस यूनियन खुली है—पुलिस हितकारी मोर्चा—जिस ने अपना 14 सूत्री मांग-पत्र आप के यहां दिया है। उस ने कहा है कि हमारी 14 सूत्री मांगों को माना जाय नहीं तो ला एण्ड आर्डर का मामला उत्पन्न होगा। ये लोग ला एण्ड आर्डर को ठीक करने के बजाए बिगाड़ने, का काम करेंगे। क्या आपको जो पुलिस के छोटे कर्मचारी हैं उनसे हमदर्दी है ? क्या सरकार को पुलिस हितकारी मोर्चा द्वारा मांगपत्र दिया गया है ? अगर दिया गया है तो वह क्या है, और उसके सम्बन्ध में सरकार क्या क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर है, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो शिकायत होती है उसके बारे में पुलिस का कोई आफिसर जांच नहीं कर सकता है। इसलिए इसकी जांच सी० बी० आई० को दे दी गई थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : जांच के लिए समय सीमा निर्धारित होना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : म माननीय सदस्य से सहमत हूं। (व्यवधान)

जहां तक पुलिस कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है, उन मांगों का ब्यौरा मुझ से मांगा नहीं गया था, इसलिए वह ब्यौरा मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना बता सकता हूं कि पुलिस यूनियन के लोग यदाकदा घूमते रहते हैं। इसके अलावा काउंसिल में भी विचार विमर्श होता रहा है और उनकी समस्याओं का समय समय पर समाधान भी निकालने का प्रयत्न होता रहा है और आगे भी होता रहेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पुलिस की जो समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में वे कभी कभी आंदोलन चलाते हैं, और कभी कभी तो वे ऐसी बातें भी करते हैं जिनकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है। जो उसकी न्यायपूर्ण मांगें हैं, उनके समर्थन में हम सभी हैं लेकिन कभी कभी जो ऐसा आचरण करते हैं जिसकी समुचित निन्दा होनी चाहिए। अगर पुलिस का कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे गलत कार्य करने वाले, लोगों को राजनीतिक लोगों का प्रश्रय भी

मिलता है। इसीलिए ऐसे भ्रष्ट तत्वों और निरंकुश तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। इसका देश के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० गोपाल त्रिपाठी रहे हैं और रूलिंग पार्टी से सम्बन्धित हैं। उनका भतीजा एक गांव का प्रधान था पुलिस ने उसको ले जा कर के गोली मार दी। वह गांव का प्रधान था और आज तक मारने वाले सारे लोगों का बचाव हो रहा है। यह जो बचाव करने की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस के लोग चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न कर लें और उन्हें उसका कोई दण्ड न मिले तो क्या इससे स्थिति में सुधार आ सकता है ? क्या सरकार इस प्रकार के पुलिस अपराधकर्मियों के खिलाफ कठोरतम दण्ड दिये जाने की व्यवस्था करेगी और जो तमाम इस प्रकार के मामले प्रकाश में आते हैं, चाहे दिल्ली के हों या देश के किसी और भाग के हों उन मामलों में क्या सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि वे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां कहीं भी ऐसा मामला ध्यान में लाया जाएगा या आयेगा, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। जो अधिकारी दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार बिल्कुल नहीं हिचकिचायेगी।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मुतल्लिक बात इस सदन में होती रही है।

सदन में प्रोफेसर मधु दण्डवते ने यह एलीगेशन लगाया था कि एक एस० एच० ओ० ने एक क्रिमिनल को उनकी पार्टी के एक वर्कर को मारने के लिए एक हथियार दिया था। वे उस हथियार को इस हाउस में भी लाये थे और जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने उस हथियार को किसी मंत्री को दिया था। हमारे मंत्री जी ने जो उन्होंने एस० एच० ओ० के खिलाफ एली-गेशन लगाया था उसके मुतल्लिक क्या किया ? वह हथियार कहां है और किस स्थिति में है और उस अनअथोराइज्ड हथियार लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह सच है कि प्रो० मधुदण्डवते ने सभा में बिना लाइसेंस का देसी रिवाल्वर दिखा कर सनसनी फैला दी थी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब प्रो० मधु-दण्डवते ने कहा कि उनके पास कोई व्यक्ति आया था और उसने ही यह हथियार उन्हें सौंपते हुए यह बताया था कि पुलिस ने उसे श्री राणा को समाप्त करने के लिए रखा गया था, तब उसके पश्चात् तुरन्त एक उच्च पुलिस अधिकारी को प्रो० मधु दण्डवते से मिलने के लिये कह दिया गया था। वह आदमी कहीं छिप गया होगा। कोई नहीं जानता, उसे क्या हुआ ? प्रो० मधु दण्डवते जी जानते होंगे कि वह अब कहाँ है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं छिपा हूं, पुलिस निरीक्षक मेरे पास आया ही नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं मिला। प्रो० मधुदण्डवते के पास एक अनधिकृत हथियार था। सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? श्री दन्डवते ने अपराध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। समूचा देश चाहता है कि कार्यवाही की जाये, सरकार की ओर से कोई उत्तर मिलना चाहिए। गृह मंत्री से सकारात्मक उत्तर अपेक्षित है। यह एक माननीय सदस्य के पास सभा में बिना लाइसेंस के हथियार के होने का मामला है। मैं जानना चाहूंगा। कृपया, गृह मंत्री से इस का उत्तर देने के लिये कहा जाये।।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, गृह मंत्री से इसका उत्तर देने के लिये कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई उत्तर है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्रीमन्, यह मामला एक अधिकारी को सौंप दिया गया है । मैं नहीं जानता हूं कि क्या सभा में मधु दण्डवते कानून के अधीन विमुक्त हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, उस पर विचार करना पड़ेगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : वह विमुक्त कैसे हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह स्थिति का पता लगायेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गत लोक सभा चुनावों में "कानून और व्यवस्था" मुख्य प्रश्न था । अब मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राजधानी में हत्या के मामलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है·····

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द तो आप ला रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन्, यह ठीक है, मैं कहता हूं कि इन घटनाओं की संख्या में कम्पाने वाली वृद्धि हुई है । उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है कि वे कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ रहे हैं । जिस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं, वे भी हैरानकुन हैं । निरंकारी बाबा जैसे धार्मिक नेताओं की भी हत्यायें की जा रही हैं । उनकी हत्या उनके घर के सामने की गई । वे अभी तक किसी को नहीं पकड़ सके हैं । जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या गुरुद्वारे के बाहर हुई और कुछ राजनयिकों की भी हत्यायें कर दी गईं । अपराध का स्वरूप बदलता जा रहा है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पुलिस यह महसूस करती है कि यदि उन्होंने सख्ती की, तो उनका तबादला कर दिया जायेगा । मैं एक उदाहरण देता हूं । श्रीमती किरण बेदी का मामला ही लीजिये । दिल्ली में उनका बहुत सम्मान होता है । वह एक योग्य अधिकारी हैं और वह किसी के सामने नहीं झुकीं । पहले उनका तबादला यातायात में किया गया । वहां उन्होंने अनधिकृत स्थान पर ठहराई हुई मंत्रियों की कारों के नं० नोट कर लिये । उनका अब तबादला गोवा में कर दिया गया है ।

क्या सरकार आश्वासन देगी कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे यह धारणा समाप्त हो जाये कि यदि वे अपराधियों के साथ सख्ती करेंगे, तो उनका तबादला कर दिया जायेगा ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों का मैं खंडन करता हूं । ऐसी बात नहीं है कि हम ईमानदार पुलिस अधिकारियों के पीछे पड़े हुए हैं । उस विशिष्ठ मामले में, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, यह तो एक सामान्य बात है कि किसी भी अधिकारी का तबादला किया जा सकता है । श्रीमती किरण बेदी के मामले में भी ऐसा ही हुआ । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह इसलिए किया गया है कि वह एक ईमानदार अधिकारी है और उन्होंने मंत्रियों की कारों के नम्बर नोट किये थे । मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाए गये लांछन का पूरी तरह से खंडन करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है यदि लांछन नहीं, तो प्रत्यक्ष आरोप तो है ही ।

श्री हरिकेश बहादुर : अपराधी पुलिस अधिकारी को दण्ड अवश्य मिलना चाहिये।

हाल ही के चुनावों के बाद असम से लोगों का पश्चिम बंगाल जाना

*434. श्री अमर रायप्रधान
श्री चित्त महाटा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम राज्य में बसे लोग, वहां हाल ही के संसदीय और विधान सभा के चुनावों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद से पश्चिमी बंगाल राज्य में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को राज्य में इस चौकाने वाली स्थिति का सामना करने के लिए कोई वित्तीय सहायता और किसी दूसरे रूप में सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार, असम में हाल के दंगों के पश्चिम बंगाल में 23-3-83 तक 25,000 व्यक्ति पहुंच गए हैं। असम सरकार से उनकी शीघ्र वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार प्रारंभ में एक महीने की अवधि के लिए राहत शिविरों को चलाने पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किए गए खर्च के संबंध में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है।

श्री अमर राय प्रधान : एक ओर तो सरकार कह रही है कि असम सरकार से कह गया है कि वह उनकी शीघ्र वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाये और दूसरी ओर सरकार कह रही है कि केन्द्र सरकार प्रारम्भ में एक महीने की अवधि के लिए राहत शिविरों को चलाने पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किये गये खर्च के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। केन्द्रीय सरकार के लिए यह एक बड़े खेद की बात है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि असम में प्रतिदिन अनेक हत्यायें हो रही हैं और असम से हजारों शरणार्थी पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल में 18 फरवरी से 28 मार्च 1983 के बीच विभिन्न शिविरों में 27,600 व्यक्ति थे। जनवरी, 1980 से, जब इन्दिरा गांधी सत्ता में आयीं, पश्चिमी बंगाल में डांगी, जसोडांगा और जोराई शिविरों में असम के 11,444 शरणार्थी रह रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 15,000 व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के यहां ठहरे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार पर यह भारी बोझ है। आप कह रहे हैं कि आरम्भ में राहत शिविर एक मास की अवधि के लिए होंगे।

इस सभा में असम के बारे में जब पिछली चर्चा हुई थी, माननीय मंत्री, श्री सेठी ने सभा को आश्वासन दिया था कि जहां तक शरणार्थी शिविरों का सम्बन्ध है, वे समस्त खर्च वहन करेंगे।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार शिविरों के निर्माण, कपड़ा, दूध, बालाहार औषधियों और नकद 5 रुपए तथा प्रति सप्ताह $2\frac{1}{2}$ किलोग्राम गेहूं या चावल पर होने वाला समस्त खर्च वहन करेगी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आरम्भ में, अर्थात् 1980 में पहले 11,000 व्यक्ति आये थे। इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल को 50 लाख रुपये दिये गये। अब 15,925 व्यक्ति और आ गए और इस समय 25,000 से 26,000 के बीच व्यक्ति हैं।

कुछ ही दिन पहले हमें पश्चिमी बंगाल सरकार से सम्भावित खर्च के बारे में प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। इस पर विचार हो रहा है। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, आरंभ में समय सीमा एक मास है। यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हुई, तो हम अवश्य इसे बढ़ाएंगे।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम वहां पर शिविर स्थायी रूप से स्थापित नहीं करना चाहते। असम के दो उच्च अधिकारी उन शिविरों का पहले ही दौरा कर चुके हैं। अब दो मंत्री वहां गए हुए हैं और वे उनको वापस जाने के लिए राजी करने हेतु प्रयत्न कर रहे हैं। शिविर पश्चिमी बंगाल की सीमाओं पर स्थापित किये जा रहे हैं, जहां उन्हें सुविधापूर्वक ठहराया जा सकता है और असैम सरकार भी उनकी देखभाल कर सकती है। आशा है, पश्चिमी बंगाल सरकार भी उन्हें वापस जाने के लिए राजी करने में सहायता करेगी।

श्री अमर राय प्रधान : निःसन्देह, पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बारे में सदा अपना सहयोग दिया है।

श्रीमन्, आप जानते ही हैं, कि पश्चिमी बंगाल में जितने शरणार्थी हैं, उनमें हिन्दू, मुसलमान, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोग हैं। वे मूलतः बंगाल के ही नहीं हैं। उनमें बिहार के मूल निवासी भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका बिहार से क्या सम्बन्ध है ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : वह कुछ बिहार के हैं। **(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : वहां पर सरकारी कर्मचारी, अधिक संख्या में अध्यापक और जमींदार हैं जिनके पास गत सैंकड़ों वर्षों से भूमि है।

असम गण संग्राम परिषद् के संयोजक, श्री अतुल बोरा और बृज शर्मा ने कहा :

> "जबकि असम से पश्चिम बंगाली में कोई नहीं गया है, पश्चिमी बंगाल सरकार बदमाशों और विदेशियों को असम में भेजने की कोशिश कर रही है।"

अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी भी यही राय है कि पश्चिमी बंगाल सरकार बदमाशों और विदेशियों को असम में धकेल रही है और यदि नहीं, तो क्या असम में विदेशियों का पता लगाने के लिए अधिकरण स्थापित करने तथा अन्य प्रक्रियाएं निश्चित करने से पूर्व असम के इन शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल और अरूणाचल प्रदेश से वापस ले लिया जायेगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार को पश्चिमी बंगाल में विभिन्न शिविरों में शरणार्थियों के बारे में असम आन्दोलन के नेताओं द्वारा दिये गये आपत्तिजनक वक्तव्यों का पता है। यह समाचार असम ट्रिब्यून में छपा था। खेद है कि ऐसे वक्तव्य दिये गये। हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से पहले ही कह दिया है कि पश्चिमी बंगाल में प्रवेश पाने वाले शरणार्थियों को दी जा रही राहत के लिए आवश्यक सहायता दी जायेगी।

श्री अमर राय प्रधान : क्या अधिकरण स्थापित करने से पूर्व शरणार्थियों को वापस ले लिया जायेगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह गृह मंत्री पहले बता चुके हैं कि उन्हें शीघ्र वापस लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री चित्त महाटा : असम से बाहर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए असम में गैर-अहोमियाओं के जीवन और सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ? क्या वहां पर कोई संसदीय दल भेजा जायेगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद् सदस्य वहां कैसे जा सकते हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : अधिकतर संसद् सदस्य जा रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा है "मत आइए, ।"

श्री निहार रंजन लास्कर : क्योंकि उससे पुनर्वास कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा···

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह अनुरोध केवल चन्द दिनों के लिए था ।

श्री निहार रंजन लास्कर : असम में जो कुछ हुआ है, उसे हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है और हम इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि असम में हर नागरिक का जीवन सुरक्षित रहे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने श्री राय प्रधान के प्रश्न का उत्तर दे दिया है और मैंने वित्त मंत्री जी को जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में भी श्री प्रणव मुखर्जी ने मुझे लिखा है कि व्यय एक मास तक वहन किया जायेगा । किन्तु प्रश्न यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार खर्च कर चुकी है । वह खर्च उठा रही है । क्या आपका कुछ अग्रिम राशि देने का विचार है जिससे कि इस समय के खर्चे की पूर्ति हो सके ? दूसरी बात यह कि आपने कहा है व्यय एक मास तक वहन किया जायेगा किन्तु ये शिविर तो काफी दिनों तक लगे रह सकते हैं जब तक कि लोगों के वापस लौटने के लिए स्थिति सामान्य न हो जाए । इसलिए क्या आप तब तक के पूरे खर्च की जब तक स्थिति सामान्य न हो जाये और वे लोग वापस न लौट जाएं, जिम्मेदारी लेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न प्रधान मंत्री को सम्बोधित है । क्या उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि आगा शाही ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को भी ने उठाया था ? इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये जाने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ये दो प्रश्न अलग-अलग हैं और एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते । जहां तक शरणार्थियों पर खर्च का सम्बन्ध है, इस बारे में हमारी बात वित्त मंत्रालय से चल रही है और आशा है जल्दी ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा । यह एक मानवीय समस्या है और हम ऐसा कठोर रवैया नहीं अपना सकते कि हम केवल एक मास तक ही सुविधा देंगे । अगर जरूरत पड़ी, तो लोगों का जीवन बचाने के लिए हमें यह अवधि बढ़ानी पड़ेगी, जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, उसका उत्तर विदेश मंत्री देंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसका उत्तर प्रधान मन्त्री को देना चाहिए ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसे मामलों में हम हमेशा यथोचित कार्यवाही करते हैं। किन्तु यह सच है कि केवल वहां ही नहीं बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लोग इस प्रश्न को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्टत: इसलिए कि वे इस विशेष परिस्थिति में भारत के प्रति द्वेष-भावना उत्पन्न करना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राजदूत वहां क्यों गये और उन्होंने स्पष्टीकरण क्यों दिया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : असम में जो कुछ हुआ है वह बहुत दुःखद है। हम सभी उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। किन्तु इसे उचित परिपेक्ष्य में देखना है। ऐसी कोई बात की या कही नहीं जानी चाहिए जो लोगों के लिए वातावरण दूषित करे। हमें अपने नागरिकों की, अल्पसंख्यकों की और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की जानें बचानी हैं और जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, उससे फायदा नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राजदूत गये और साक्ष्य दिया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं। वह नहीं गये।

हिमाचल प्रदेश में नई सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना

*435. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में किन्हीं नई सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो चूना-पत्थर आदि कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में ब्यौरे सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी तथा प्रत्येक मामले में उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) प्रस्तावित फैक्ट्रियों में से प्रत्येक की स्थापना तथा सीमेंट का उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की संभावित तारीखें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा राजबन (सिरमूर जिले) में स्थापित प्रतिवर्ष 2 लाख मी० टन क्षमता वाले एक सीमेंट कारखाने में 1.4.1980 से उत्पादन शुरू हो गया है। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान निजी क्षेत्र में मे० एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लि० द्वारा गागल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष 5.6 लाख मी० टन अधिष्ठापित क्षमता के एक सीमेंट संयंत्र की वर्ष 1983-84 में स्थापना किए जाने की आशा है। ए० सी० सी० का प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र बरमाना और गागल स्थित चूना पत्थर निक्षेपों पर आधारित है। इन स्थलों पर 150 मिलियन मी० टन चूना पत्थर निक्षेप होने का पता चला है संकेत मिले हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : हिमाचल प्रदेश में, विशेषत: कांगड़ा और चम्बा जिलों में चूना-पत्थर के भारी निक्षेपों को दृष्टि में रखते हुए, मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दो जिलों में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए किन्हीं फर्मों या आवेदकों को कोई आशय पत्र जारी किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : यह सच है कि हिमाचल में चूना-पत्थर का बड़ा भण्डार हैं, वर्तमान अनुमान के अनुसार, चूना-पत्थर निक्षेप, जिसका प्रमाण और संकेत मिला है हजारों लाखों (करोड़ों) टन में हैं। इसलिए, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के लिए नई क्षमताओं की स्थापना करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। इसके साथ-साथ सी० सी० आई० का राजबन स्थित संयंत्र और दूसरा गागल स्थित ए० सी० सी० सीमेंट संयंत्र, जिनका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, के अलावा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में सीमेंट कारखाने, जिनकी कुल क्षमता 5.07 लाख टन होगी, स्थापित करने के लिए पांच आशय-पत्र और दो डी० जी० टी० डी० रजिस्ट्रेशन्स जारी किए गये हैं। तीन आवेदन विचाराधीन हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इन सात नये आशय-पत्रों और डी० जी० टी० डी० रजिस्ट्रेशन, जो हमने जारी किये हैं, में से छह लघु सीमेंट संयंत्रों के किये हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा के धर्मकोट में एक लघु संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसके स्थापित करने में विलम्ब का क्या कारण है ? इस संयंत्र की मंजूरी की तारीख क्या है और इस हेतु आवेदन सर्वप्रथम किस तारीख को प्राप्त हुआ था ?

श्री वीरभद्र सिंह : हमें मैसर्स सन्त जय नारायण (प्राइवेट) लिमिटेड से कांगड़ा में धर्मकोट में एक लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। बाद में एन० एच० पी० सी० (जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है) ने भी धर्मशाला में एक लघु सीमेंट संयंत्र, जो उन्हीं चूना पत्थर निक्षेपों पर आधारित है, स्थापित करने के लिए आवेदन किया। इसे लाइसेंसिंग समिति के पास भेजा गया और समिति ने एन० एच० पी० सी० के मामले की सिफारिश की। बाद में, सन्त जय नारायण (प्राइवेट) लिमिटेड ने सरकार को अभ्यावेदन दिया कि उसे धर्मकोट में संयंत्र स्थापित करने के लिए जो उन्हीं चूना पत्थर निक्षेपों पर आधारित है, डी० जी० टी० डी० रजिस्ट्रेशन पहले ही मंजूर किया जा चुका है। हमने यह पाया कि उस क्षेत्र में दो संयंत्रों के लिए चूना-पत्थर निक्षेप पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, हमने यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भेजा है और उसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : एक बात का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रक्रिया में कोई विलम्ब हुआ है और क्या इसमें दो स्थल अन्तर्ग्रस्त हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार को आवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ था और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री वीरभद्र सिंह : इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है। जसा मैंने पहले बताया है, जहां तक आवेदन का सम्बन्ध है, मैसर्स सन्त जय नारायण प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन कब प्राप्त हुआ था, वह सही तारीख मुझे मालूम नहीं। किन्तु यह सच है कि एन० एच० पी० सी० द्वारा उसी स्थल के लिए आवेदन किये जाने के कारण इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भेजा हुआ है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं यह भी बता सकता हूं कि इस मामले को हल करने के लिए सम्बंधित कम्पनियों, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों और मेरे विभाग के अधिकारियों की शीघ्र एक बैठक बुलाने का मेरा विचार है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सात आशय-पत्र जारी किए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह आशय-पत्र किन-किन जिलों के लिए जारी किए गए हैं ?

दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी ने पौंटा और राजबन का भी जिक्र किया है और बताया है कि 35 लाख टन का प्रोडक्शन होगा। मैं जानना चाहूंगा कि निचली वैली में जहां पर चूने के भण्डार हैं—सिरमौर, सोलन और शिमला में, वहां पर भी उद्योग स्थापित करने के लिए विचार किया जाएगा ?

श्री वीरभद्र सिंह : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो लेटर आफ इन्टेन्ट दिए गए हैं वह किस-किस स्थान के लिए दिए गए हैं। हमने पांच लेटर आफ इन्टेन्ट दिए हैं। एक सी सी आई को दिया है जिसका लोकेशन राजबन, जिला सिरमौर में है। दूसरा श्रीकृष्ण कश्यप को दिया है, उनका लोकेशन सुन्दरनगर, जिला मण्डी में है। तीसरा श्री विनोद मेहरा को दिया है और उनका लोकेशन पौंटा, सिरमौर में है। चौथा मैसर्स अरिदंत स्टील एण्ड एलाय लि० को दिया है, इनका लोकेशन भी पौंटा साहब, सिरमौर में है। पांचवां सरदार सुरिन्दर सिंह कैरों को दिया है, उनका भी लोकेशन सुन्दर नगर, मण्डी है। इसी प्रकार से दो डी जी टी डी रजिस्ट्रेशन दिए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा है, एक संत जयनारायण प्राइवेट को दिया है और एक अशोक कुमार को पौंटा में सीमेंट प्लान्ट लगाने के लिए दिया है।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

*437 **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र साल्वे) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार परियोजना के अन्तर्गत कारखाने की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन किया जा रहा है। परियोजना की समय-सूची के अनुसार विभिन्न इकाईयों को चालू किया जा रहा है। आशा है यह कार्य वर्ष 1984 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

श्री चिन्तामणी जेना : महोदय, भिलाई इस्पात संयंत्र विस्तार कार्यक्रम के इस आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के अन्तर्गत किन परियोजनाओं का विस्तार किया जाना है, क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे ? इस विस्तार कार्य पर कितना खर्च आयेगा और भिलाई इस्पात संयत्र विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा होगा तथा यह विस्तार कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ? क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र को इस कार्य के लिए सप्लाई किये गये खराब उपकरणों के कारण इस विस्तार कार्य की प्रगति में बाधा आई है, जिस पर 1600 करोड़ खर्च होना है, जैसाकि इस संयंत्र के महाप्रबंधक श्री पी. सी. भाटिया ने कहा है ? उसके अनुसार विस्तार परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई दोषपूर्ण मोटर तथा अन्य उपकरणों के कारण आक्सीजन संयंत्र चालू न किया जा सका और खराबी के बताये जाने पर भी ये छः महीने तक ठीक न किये गये। यदि यह सच है, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ठीक याद है, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पहले सभा में ही दिया गया था। यह दुबारा कैसे आ गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह लगभग वही प्रश्न है, थोड़ा बहुत भाषा का अन्तर है।

श्री चित्तामणि जेना : महोदय, यह प्रश्न विस्तार के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी विस्तार के बारे में ही था।

श्री एन. के. पी. साल्वे : महोदय, यह एक मिश्रित प्रश्न है। एक में कई प्रश्न शामिल कर लिये गये हैं।

विस्तार परियोजना के पूरा होने में 18 से 27 महीने का विलम्ब निस्संदेह हुआ है। सात बड़ी इकाइयों के विस्तार का कार्यक्रम था। उनमें कनवर्टर शाप, कन्टीन्युअस कास्टिंग प्लांट, प्लेट मिल और उससे सम्बन्धित अन्य सेवाएं, सात घमन भट्टियां, नौ कोक ओवन बैटरियां, विद्युत संयंत्र संख्या 2, और सहायक सेवाएं तथा आक्सीजन प्लांट शामिल थे। सात घमन भट्टियों का कार्य जून में पूरा होना था और शेष कार्य दिसम्बर 1981 तक पूरा होना था। इनके मार्च 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है। सात घमन भट्टियों का कार्य दिसम्बर 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने भी एक नया सीमेंट प्लांट एम० पी० में खुलवाना शुरू कर दिया है ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : ये डिले के बारे में पूछ रहे थे—मैंने बतलाया है कि 18 से 27 महीने का डिले है। दूसरी बात उन्होंने यह फरमाई थी कि बी० एच० ई० एल० से कुछ डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स आये थे—यह ठीक है, यह सवाल पहले भी आया था और मैं इसका जवाब दे चुका हूं। तीन-चार इक्विमेंट्स डिफेक्टिव थे, उनको वापस कर दिया गया, उन्होंने रेक्टिफाई करके भेजा और अब वे लगा लिये गये हैं। इसकी ओरिजनल कीमत 937.73 करोड़ रुपये थी, जो अब 1600 करोड़ हो चुकी है और उसमें से 1151.05 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

श्री चित्तामणि जेना : इस्पात मंत्रालय के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन के अनुसार देश में इस्पात की मांग 1984-85 में एक करोड़ 27 लाख टन होगी और इस मांग को कुछ बड़ी योजनाओं के निष्पादन से पूरा किया जा सकता है, जिनमें भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक का विस्तार 40 लाख टन के लिए प्रस्तावित है तथा उड़ीसा में विशाखापत्तनम और दैतारी में नये संयंत्र लगाये जाने हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि विशाखापत्तनम और दैतारी इस्पात संयंत्रों को चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, क्योंकि यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने में 18 से 27 महीने का विलम्ब हुआ है और इस योजना पर आने वाला लागत खर्च 937 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ रुपये हो गया है। क्या कार्य को पूरा होने और लागत-खर्च में वृद्धि होने के कारणों की जांच की जायेगी ? क्या छठी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार का काम हाथ में लिया जायेगा ? यदि हां, तो उस पर कितना समय और धन लगेगा ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि कुल लागत खर्च 937.7 रुपये से बढ़कर 1600.5 करोड़ हो गया है। मैंने यह नहीं कहा है कि यह वृद्धि मूल्य-वृद्धि के कारण हुई है या विलम्ब होने के कारण हुई है। इस वृद्धि के कई कारण हैं। इसके वित्तीय, राजकोषीय और परिस्थिति जन्य कारण हैं जिनकी वजह से 662.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कार्य की मात्रा में वृद्धि और नये मदों का शामिल किया जाना परिस्थिति जन्य कारण हैं। मूल्य वृद्धि को वित्तीय और राजकोषीय कारण माना जा सकता है। मूल्य वृद्धि के कारण 330.7 की वृद्धि हुई। यह पूरी वृद्धि विलम्ब के कारण नहीं हुई है। सामान्य रूप से लिये जाने वाले समय के दौरान हुई मूल्य वृद्धि के कारण भी लागत में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ब्याज और विनियम दर में अन्तर के कारण और करों तथा शुल्कों के कारण भी वृद्धि हुई है। इन सबके कारण 662.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

उड़ीसा में दैतारी इस्पात संयंत्र के लिए सोवियत सहायता

*438. **श्री नित्या नन्द मिश्रा**
श्री एन० के० शेजवलकर } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दैतारी इस्पात संयंत्र के लिए सोवियत संघ द्वारा की जाने वाली प्राक्कलित सहायता कितनी होगी; यह सहायता कब दी जाएगी और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा;

(ख) क्या इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा दैतारी परियोजना की सम्भावना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और उसे सोवियत विशेषज्ञों को उनकी राय हेतु भेजा गया है;

(ग) क्या इस इस्पात संयंत्र के लिए सहायता के बारे में यात्रा की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) सोवियत संघ ने इस परियोजना में अपनी अभिरूचि दिखायी है, परन्तु सहायता के बारे में कोई पक्की पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।
(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द मिश्र : महोदय, इस्पात मंत्री ने हमें स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया है कि दैतारी इस्पात परियोजना की डी. पी. आर. मार्च तक तैयार कर ली जायेगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना की डी. पी. आर. तैयार कर ली गई है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, हम निर्माण से पूर्व की कार्यवाही पहले ही कर रहे हैं। अन्य बातों को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है। इसमें अनेक देशों ने रूचि दिखाई है। सोवियत रूस के अलावा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, रुमानिया और जापान ने इस परियोजना में रूचि प्रदर्शित की है। कुछ मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने पर पूंजी निवेश के बारे में निर्णय किया जायेगा, तभी हम यह बता सकेंगे कि कितनी वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, परामर्शदात्री समिति और सभा में भी पहले मंत्री ने यह स्पष्ट कहा था कि मार्च, 1983 तक सम्भाव्यता प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया जायेगा और इस वर्ष के अन्त तक डी. पी. आर. तैयार कर ली जायेगी पूंजीनिवेश के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है किन्तु संविदागत कठिनाई और मूल्य-वृद्धि के कारण वह निर्णय रद्द करना पड़ा। इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या इस्पात—विशेषज्ञों ने यह दृढ़ निर्णय कर लिया है कि दैतारी इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु अपेक्षाकृत अच्छा स्थल है या इस्पात प्रौद्योगिकी के महान वैज्ञानिक श्री बिलीमोरिया के इस मत पर, कि स्थापना स्थल के रूप में बोनाई नायगढ़ का स्थान अच्छा है, भी ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि आरम्भिक कार्यवाही की जा रही है। ये आरम्भिक कदम क्या हैं। क्या नीलाचल इस्पात निगम का गठन कर दिया गया है। क्या दैतारी का ध्यान अन्तिम रूप से कर लिया गया है। क्या इस स्थल के बारे में किसी तकनीकी विशेषज्ञ ने कोई राय प्रकट की है। प्रति टन उत्पादन लागत दैतारी में अधिक आयेगी या बोनाई नायगढ़ में ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : मौसम विज्ञान की दृष्टि से पारादीप निर्माण स्थल के रूप में अनुपयुक्त है। इस बात पर ध्यान देते हुए सरकार ने उड़ीसा में पारादीप से लगभग 120 किलो-मीटर की दूरी पर दुबारी से निकट एक स्थल के बारे में निर्णय किया था। जहां तक निर्माण से पूर्व की कार्यवाही का सम्बन्ध है·····(व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : यह राय किसने दी। सरकार ने नहीं दी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शोध-सहायकों का कार्य है। इस बारे में दो प्रश्न हैं, मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के मतों की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या मंत्रालय ने कुछ गण्यमान वैज्ञानिकों की राय पर विचार किया है ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : इस परियोजना के सम्बन्ध में हमने 'मेकन' (एम. इ. सी. ओ. एन.) को प्रमुख परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता के रूप में सम्भाव्यता प्रति-वेदन और डी. पी. आर. तैयार करने, तथा इजीनियरिंग प्रोजेक्ट और परामर्श के लिए वह जिम्मेदार है। उनके परामर्श के अनुसार हम चलेंगे। जहां तक निर्माण-पूर्व की कार्य-वाही, का सम्बन्ध है, भूमि-अर्जन, कच्चे माल की सप्लाई प्राप्त करने तथा अन्य आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं।

आदिवासी कल्याण योजना

*439. श्री अनादिचरण दास : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए धन व्यय करने के अतिरिक्त सरकार आदिम आदिवासी समूहों तथा छठी योजना में "मांडा" (परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण) नामक क्षेत्रों में बसे आदिम आदिवासियों के लिए भी धन उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन-सी योजनायें/कार्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे है; और

(ग) सरकार द्वारा उपयोजना और "मांडा" क्षेत्र की बाहर बसने वाले आदिवासियों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) आदिवासियों की घनी आबादी वाले स्थलों के लिये संशोधित क्षेत्र विकास नीति के अन्तर्गत आदिवासी उप-योजना की तरह योजनाएं विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में लागू होती हैं। आदिम जनजातियों के लिए अधिकांश कार्यक्रम और योजनाएं परिवारोन्मुख हैं जो सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्ध आदिवासी वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट है।

(ख) जो आदिवासी उप योजना और स्थल क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं वे पिछडे वर्ग क्षेत्र और अन्य राज्य योजना विकास क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। छठी योजना अवधि के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा लगभग 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

श्री अनादिचरण दास : यह अच्छी बात है कि गृह मंत्रालय ने पिछड़े वर्गों के उत्थान की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना विधि में 37 करोड़ रुपये की विपुल राशि रखी है। उपयोजना क्षेत्र और 'माडा' (एम० ए० डी० ए०) से बाहर रहने वाली जन-जातियों के उत्थान के लिए कौन-सी विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक आदिवासी क्षेत्रों और जनजातीय लोगों की बहुतायत वाले स्थानों का सम्बन्ध है आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत 65 प्रतिशत जनसंख्या आती है। मूल आदिम जातियों के लिए एक विशेष योजना है। इस प्रयोजन हेतु पांचवी पंच-वर्षीय योजना में 4000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी, जो बढ़ाकर छठी योजना में 5000 करोड़ रुपये कर दी गई है।

श्री अनादिचरण दास : मेरा प्रश्न इससे भिन्न है क्योंकि मेरे विचार से.....

अध्यक्ष महोदय : अपना मत न रखिये बल्कि अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अनादिचरण दास : कुछ ऐसी आदिम जातियां हैं, जो उप-योजना क्षेत्र से पहले ही बाहर चली गई हैं और अब अन्य क्षेत्रों में रह रही हैं। उनके पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है। वे दैनिक मंजूरी पर गुजारा करते हैं। उनमें से कुछ तो बधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। क्या सरकार ने उनके बारे में कोई अध्ययन किया है और क्या ऐसे अध्ययन के आधार पर सरकार ने उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए कोई योजनाएं और कार्यक्रम बनाये हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक उप-योजना क्षेत्र से बाहर के आदिवासी लोगों का सम्बन्ध है, चाहे वे उपयोजना क्षेत्र में रह रहे हों या उससे बाहर, उनके लिए राज्य सरकारों ने एक एकी-कृत ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। वे सरकारें उनके कल्याण-कार्यों, उनकी खेतीवाड़ी की समस्याओं, उनमें व्याप्त निरक्षरता और उनकी संख्या कम होने आदि बातों पर ध्यान देती है। एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं को बनाते समय उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एशियाड पर हुआ खर्च

*411. श्री राम प्रसाद अहिरवार
श्री सूरज भान } : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आयोजित नवें एशियाई खेलों पर, सभी प्रकार के खर्चों को मिलाकर, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल कितना खर्च हुआ और उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जहां से ये खर्च पूरे किए गए/किए जाएंगे;

(ख) एशियाड के विभिन्न साधनों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग द्वारा एशियाड, 82 के सिलसिले में 15.3.1983 तक दर्ज सरकारी खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह सारा खर्च सरकार की योजनेत्तर निधि में से वहन किया जा रहा है।

(ख) विशेष आयोजन समिति को 28 फरवरी, 1983 तक 6.64 करोड़ रुपये की आय हुई है, जिसका उक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित आंकड़ों का परिकलन करते समय ध्यान रखा गया है।

(ग) विशेष आयोजन समिति ने 31 जनवरी, 83 तक 1.71 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित की।

विवरण

मद	*खेल विभाग द्वारा 15.3.83 तक दर्ज किया गया खर्चा करोड़ रुपये*
(1) लोधी रोड में स्टेडियम, हौजखास में लान टेनिस स्टेडियम का निर्माण तथा राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण	22.15
(2) राजघाट खेल परिसर में अन्तरंग स्टेडियम के लिए सरकार का योगदान	9.42 (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्चा शामिल नहीं है)
(3) राजघाट खेल परिसर में साइकिल वेलोड्रोम का निर्माण	1.12
(4) शूटिंग रेंज का निर्माण	0.70
(5) तालकटोरा गार्डन में तरण ताल के लिए सरकार का योगदान	4.34 (इसमें नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्चा शामिल नहीं है)

1	2
(6) विद्यमान स्टेडियमों अर्थात् अम्बेडकर स्टेडियम माडल टाउन स्टेडियम, हरबक्श स्टेडियम तथा निक्लसन रेंज, दिल्ली विश्वविद्यालय मैदानों तथा दिल्ली गोल्फ क्लब का नवीकरण।	1.32
(7) उपस्करों तथा उपकरणों की खरीद तथा भारतीय प्रतियोगियों तथा टीमों की तैयारी सहित अन्य प्रबंध।	17.28
कुल :	56.33

वर्तमान संकेतों के अनुसार एशियाई खेलों पर सरकार का कुल खर्चा 67.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

सुपर बाजार, दिल्ली में चूकें

*412. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री जगन्नाथ पाटिल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, दिल्ली में सहायक मैनेजर (टैक्सटाइल) के नियन्त्रणाधीन विभाग तथा "हाउस होल्ड गुड्स" के मैनेजर के अधीन विभाग में हजारों रुपये मूल्य की कमियां तथा अन्य गंभीर वित्तीय चूकों का पता चला है;

(ख) उन सभी व्यक्तियों के ब्यौरे क्या हैं जिनके विरुद्ध चूकों का पता चला रहे हैं, चूकें किस प्रकार की हैं तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सुपर बाजार को होने वाली हानियों के अन्य कारण क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सुपर बाजार हर वर्ष सभी विभागों के माल की छः महीने में एक बार 30 जून तथा 31 दिसम्बर की स्थिति की जांच करता है। इस जांच में माल के कुछ बढ़ने तथा घटने का पता चलता है, जो व्यापार कार्य के दौरान होता है। सुपर बाजार ने विभिन्न विभागों के लिए इन कमियों की अधिकतम अनुमत सीमा निर्धारित की हुई है।

सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में 30 जून, 1982 को की गई माल की जांच के आधार पर वस्त्र विभाग में 7270 रु० के मूल्य का माल कम पाया गया था, जबकि घरेलू सामान के विभाग में कोई कमी नहीं पाई गई थी। वस्त्र विभाग में पाई गई कमी 0.2 प्रतिशत के अनुमत प्रतिमान से थोड़ी सी अर्थात् 416 रु० अधिक थी।

कनाट प्लेस शाखा में वस्त्र विभाग के प्रभारी व्यक्ति ये हैं : श्री आर. एन. नायक, सहायक प्रबंधक, श्रीमती प्रोमिला मेहरा, पर्यवेक्षक तथा श्री के. सी. जैन, बिक्री सहायक। अनुमत प्रतिमान से अधिक 416/-६० की कमी की इन व्यक्तियों से पहले ही वसूली की जा चुकी है।

कृषि उत्पादों, उप-उत्पादों और व्यर्थ सामग्री का परिष्करण

413. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि परिष्करण उद्योगों और कृषि उप-उत्पादों और बेकार सामग्री का उपयोग करने वाले उद्योगों की संभावना के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों, उप-उत्पादों और बेकार सामग्री के परिष्करण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि उत्पादों के परिसंस्करण और कृषि उपोत्पादों तथा व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग करने वाले परिसंस्करण-उद्योगों की समूचे वर्ग प्रक्रिया का कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) लाइसेंस नीति को उदार बनाकर, कुछ उपोत्पादों के उद्योगों को उत्पादन-शुल्क में रियायत देकर, पूंजीगत माल के आयात और विदेशी सहयोग की अनुमति प्रदान करके और सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके ऐसे उद्योगों और कृषि उपोत्पादों तथा व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। 17 राज्य कृषि उद्योग निगमें स्थापित की गई हैं, जिसके लिए राज्यों को 31.56 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। इन निगमों के उद्देश्यों में से उद्देश्य कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना में सहायता करना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के गांवों का विकास

*414. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के गांवों की ओर बहुत कम ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के गांवों के विकास के लिए विभिन्न मदों पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसका उत्तरदायित्व दिल्ली के शहरी गांवों का विकास करने का और इन शहरी गांवों के विकास में उसकी ओर से पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शहरी गांवों में जलपूर्ति, मल-निर्यास, सम्पर्क मार्गों/सड़कों, उप-मार्गों और मौजूदा चौपालों का पर्यावरणीय सुधार, समाज सदन आदि जैसे विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया है। दिल्ली नगर निगम भी शहरी गांवों में जन सुविधाएं मुहैया करने के लिए व्यय कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किय गया व्यय	दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया व्यय
1980-81	269 लाख रुपये	106 लाख रुपये
1981-82	423 लाख रुपये	104 लाख रुपये
1982-83	452 लाख रुपये*	114 लाख रुपये**
	(*फरवरी, 83 तक)	(** आज तक)

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के सभी देहातों में भी जनसुविधाएं प्रदान कर रहा है। देहातों में जनसुविधाओं की व्यवस्था पर गत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	किया गया व्यय
1979-80	346 लाख रुपये
1980-81	425 लाख रुपये
1981-82	344 लाख रुपये

सराय रोहिल्ला लिये पुनर्विकास योजना

*415. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (गन्दी बस्ती प्रभाग) ने सराय रोहिल्ला क्षत्र के विकास हेतु "मास्टर प्लान" के अन्तर्गत कोई पुनर्विकास योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत सड़कों, पार्कों, क्वाटरों आदि का निर्माणकार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सरकारी भूमि में कुछ स्थानों पर कुछ लोगों ने अनधिकार कब्जा करके कमरे आदि बनाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के अनधिकार कब्जे हटाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मलिनवस्ती क्षेत्र (सुधार एवं उन्मूलन) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सराय रोहिल्ला क्षेत्र के विकास के लिये एक पुनर्विकास योजना बनाई गई थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार यह योजना निष्पादनाधीन है और लगभग 5 वर्षों में इसके पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सरायबस्ती क्षेत्र में कुछ छोटे-मोटे अतिक्रमण ध्यान में आये और उन्हें हटा दिया गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के बारे में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिपोर्टें प्राप्त की हैं और सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए आवश्यक निवारक उपाय किये जा रहे हैं।

'स्वान' के सरणीकरण के लिये योजना

*416. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय जल आयोग को हिमाचल प्रदेश सरकार से ऊना जिले में विश्व बैंक या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघ एजेंसी की वित्तीय सहायता से 'स्वान' के सरणीकरण की कोई व्यापक योजना स्वीकृति तथा निष्पादन हेतु प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा यह योजना केन्द्रीय सरकार/जल आयोग को सर्वप्रथम किस तारीख को प्राप्त हुई थी और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त योजना पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और इस पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1978 में एक परियोजना का प्रारूप भेजा था, जिसमें 'स्वान' का लगभग 80 किलोमीटर की लम्बाई में प्रणालकरण (चैनेलाइजेशन), 16000 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार तथा हिमाचल प्रदेश में 'स्वान' और व्यास नदियों के साथ-साथ, लगभग 1800 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 400 नलकूपों का प्रतिष्ठापन शामिल है। इस परियोजना की लागत 42 करोड़ रुपये है और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि 'स्वान' के प्रणालकरण की स्कीम, एक रूप-रेखा प्रस्ताव के रूप में थी, इसलिए राज्य सरकार को क्रियान्वयन एवं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने की सलाह नी गई थी।राज्य सरकार ने 19 फरवरी 1983 को सूचित किया है कि इस क्षेत्र में विकास संबंधी अन्य गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए, इस परियोजना को संशोधित किया जा रहा है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने और राज्यवार सरकार द्वारा इस पर निर्माण-कार्य आरभ किए जाने की कोई संभावित तारीख नहीं बताई जा सकती।

राष्ट्रीय भूमि बोर्ड और भूमि अनुरक्षण तथा विकास आयोग की स्थापना

*417. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री चित्त बसु } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय भूमि बोर्ड और एक भूमि अनुरक्षण तथा विकास आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके क्या कार्य हैं ; और

(ग) यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां। 26.2.1983 को जारी किए गए संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी-6237/83]

(ग) इस आयोग का कार्य सरकार को देश के भू-संसाधनों के रख-रखाव और वैज्ञानिक प्रबंध से सम्बन्धित सभी मामलों के नीति निर्धारण, समन्वय तथा प्रबोधन के बारे में सतत व्यावसायिक सलाह देना है। अत: यह आयोग समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

1976 और 1977 में दिल्ली विकास प्राधिकरण कराने वाले व्यक्तियों को मकान आवंटित न किया जाना

*418. श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने अपनी आवास समस्याओं को हल करने के लिए, 1976 और 1977 में दिल्ली विकास प्राधिकरण में, इसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब 1983 में इन लोगों से कहा जा रहा है कि या तो वे अपनी धनराशि वापस ले लें अथवा नई योजनाओं के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराएं ;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) मूल योजनाओं के अन्तर्गत उनको मकान आवंटित करने में क्या कठिनाई है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लोगों ने 1976 में रिहायशी एककों के आबंटनार्थ अपने नाम पंजीकृत करवाए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लगभग 1,000 व्यक्तियों को अभी तक आबंटन नहीं हुआ है और वे 1976 तक की सामान्य पंजीकरण योजना से संबधित हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्मित आवासों की उपलब्धता की समस्या नहीं है और उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिए जाने के बावजूद या तो इन पंजीकरणों ने आवेदन नहीं किया या अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया कि पंजीकारों को अन्तिम रूप से यह कहने का निर्णय लिया गया है कि वे या तो धनराशि वापस ले लें या अपने पंजीकरण को चौथी स्व वित्त-पोषित योजना में अन्तरित करें।

ग्रामीण ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को छूट/रियायत

419. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को ग्रामीण ऋण के लिए किसी प्रभार की छूट या रियायत दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक (अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने सहकारी ऋण संस्थाओं को दी जाने वाली अपनी वित्तीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित रूप से रियायत की सुविधा दी हैं :—

(क) प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने वाली फसलों के मामले में सहकारी बैंक किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि-उत्पादन ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए ऋण ले सकते हैं। नाबार्ड राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इस परिवर्तन में किए जाने वाले अंशदान के भाग को कम करने के बारे विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) उपरोक्त उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बैंक राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है, ताकि वे सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए उनकी साम्य पूंजी में अंशदान कर सकें।

(ग) विशेष मामले के रूप में नाबार्ड उन छोटे तथा सीमांत किसानों को दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है, जिनकी देनदारी मांग के दस प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

(घ) नाबार्ड ने केन्द्रीय सहकारी बैंक को रबी कार्यक्रम के लिए 745 लाख रुपए की अनुपूरक ऋण सीमा की मंजूरी दी है।

(ङ) उड़ीसा के तूफान से प्रभावित जिलों में राहत तथा विकास कार्यों के लिए एक बैंक योजना मंजूर की गई थी जिसमें 5.75 करोड़ रुपए का बैंक ऋण तथा नाबार्ड की पुनर्वित व्यवस्था 5.43 करोड़ रुपए की है।

(च) भूमि सुधार की योजना के लिए प्रभावित क्षेत्रों के बैंकों को नाबार्ड से फिर से वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

(छ) आवधिक ऋणों के संबंध में विभिन्न राज्यों के प्राभावित क्षेत्रों में बैंकों को ऋण की वसूली की माँग स्थगित करने की इजाजत दे दी गई।1979-80 के लिए ऋण की वसूली स्थगित रखने के संबंध में मंजूर की गई धनराशि आन्ध्र प्रदेश के मामले में 917 लाख रुपए तथा पश्चिम बंगाल के मामले में 37.66 लाख रुपए थी। 1981-82 के दौरान महाराष्ट्र में 622 लाख रुपए तथा कर्नाटक में 204.24 लाख रुपए के ऋण स्थगित रखे गए थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा के प्रस्तावों पर नाबार्ड विचार कर रहा है।

(ज) प्रभावित क्षेत्रों की बुनकर समितियों के मामले में राष्ट्रीय बैंक बुनकर समितियों द्वारा लिए गए मौजूदा अल्पावधि ऋणों का पुनः निर्धारण करने की सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गया है। बैंक प्रभावित बुनकरों को करघा खरीदने तथा घर व शैड के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए आवधिक ऋण मंजूर करने के लिए भी सहमत हो गया है।

देश में वनस्पति घी की मांग

*420. **श्री सुधीर गिरि :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ताओं की माँग को पूरा करने के लिये कुल कितने वनस्पति घी की आवश्यकता है ;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में अलग-अलग वनस्पति घी का कितना उत्पादन होता है ।

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में उन तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र को आयातित तेल सप्लाई किया गया;

(घ) क्या गैर सरकारी क्षेत्र ने 1983-84 में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और यदि हाँ, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) सरकार की उन आवेदन पत्रों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) : खाद्य तेलों के सम्बन्ध में दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए 1977 में गठित अन्तरमंत्रालय अध्ययन दल ने 1982-83 के लिए वनस्पति घी को मांग का अनुमान 8.03 लाख मीटरी टन लगाया था । तथापि, इस समय वनस्पति का वास्तविक उत्पादन 9.03 लाख मीटरी टन है, जिससे वर्तमान मांग की पूर्ति हो गयी है ।

(ख) संयुक्त क्षेत्र में कोई वनस्पति संयंत्र नहीं है । तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एककों द्वारा लगभग 0.97 लाख मीटरी टन और निजी क्षेत्र के एककों द्वारा लगभग 8.06 लाख मीटरी टन वनस्पति का उत्पादन किया गया ।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों को आयातित तेल की आवंटित कुल मात्रा नीचे दी गयी है:—

	तेल वर्ष		
	1980-81	1981-82	1982-83
	(लाख मीटर टनों में)		(अक्तूबर-जनवरी)
सार्वजनिक क्षेत्र	0.56	0.59	0.11
निजी क्षेत्र	5.85	5.14	1.06

(घ) निजी क्षेत्र में क्षमता का विस्तार करने के लिए 23 आवेदन पत्र मिले हैं ।

(ङ) सरकार वनस्पति के लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस प्रदान करने की भावी नीति पर विचार कर रही है ।

लघु गोबर गैस संयंत्र

*421. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात में विकसित किये गये लघु गोबर गैस संयंत्र के बारे में छपे समाचार (इंडियन एक्सप्रेस, 28 फरवरी, 1983) की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित विभिन्न पुराने तरीकों में जिनके कारण बायोगैस लोकप्रिय नहीं हुई है, इस नई पद्धति एवं प्रौद्योगिकी को अपनायेंगी;

(ग) कितने केन्द्र/संस्थान बायगैस पर काम कर रहे हैं और उनके क्या व्यवहारिक परिणाम निकले हैं;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, जिसमें कई दशक पूर्व पहली बार बायोगैस प्रौद्योगिकी का विकास किया गया था, बायोगैस प्रौद्योगिकी में विकास/सुधारों में यदि कोई योगदान किया गया है तो क्या ; और

(ङ) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्य संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में, जो भारी पूंजी निवेश तथा व्यापक आधार ढांचे के बावजूद अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ के रूप में काम कर रहे हैं ? बायोगैस तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में असफलता पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) सभा पटल पर विवरण रखा गया है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पोर्टेबल जैव गैस प्लांट प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रश्न तभी उठेगा जब इसकी क्षेत्र गुणता और व्यावहारिकता उपयुक्त समझी जायेगी। यह कहना सही नहीं है कि समर्थन किये गये जैवगैस संयंत्र पुराने हो गये हैं।

(ग) भा० कृ० अ० प० के अन्तर्गत 1977 से 7 केन्द्र कार्य कर रहे हैं और मार्च, 1983 से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 4 और जोड़े गये हैं। ये केन्द्र इस प्रकार हैं :—

विद्यमान केन्द्र

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।
3. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
4. गोबिन्द बल्लभपन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
5. तमिलनाडु कृषिविश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।
6. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़।
7. एस० पी० महिला महाविद्यालय, कोर्टल्लम।

नये केन्द्र (1983)

8. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल।
9. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक।
10. हि० प्र० कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
11. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बड़े अभिकरण भी जैव गैस पर कार्य कर रहे हैं :—

1. खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई।
2. योजना और अनुसंधान कार्य प्रभाग, लखनऊ।
3. संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, रूड़की।
4. केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
5. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. महाराष्ट्र वैज्ञानिक कृष्य एसोसियेशन, पुणे।

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ।

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ।

9. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ।

10. राष्ट्रीय व्यावहारिक और आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।

उपर्युक्त संस्थानों के द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप सस्ते और अधिक विश्वस्त जैव-गैस संयंत्रों के विकास, अवधारण समय में कमी, वैकल्पिक सामग्री का उपयोग, बायोगैस उत्पादन के सूक्ष्मजीवी/जैवरसायन पक्ष की बेहतर जानकारी, गोबर के अलावा अन्य प्राशन षदार्थों से जैव गैस उत्पादन, कम कीमत के जैसे गैस बर्नर, डाइजैस्टर के आसपास अवशिष्ट स्लरी और कम्पोस्टिंग के पुनर्चक्रण से जैवगैस में होने वाली गिरावट में कमी, अवशिष्ट स्लरी का मूल्यांकन, संचालन और खाद के रूप में उपयोग के क्षेत्रों में कार्य संभव हुआ है ।

(घ) भा० कृ० अ० सं० ने जैव गैस प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान किया है । भा० कृ० अ० सं० द्वारा विकसित जैवगैस संयंत्रों के डिजाइनों को फेरबदल के साथ अपनाया जा रहा है । विद्यमान जैवगैस संयंत्रों के डिजाइन में सुधार, सर्दी के महीनों में जैवगैस का उद्दीपन, मुर्गीखाने और सूअरों के बाड़ों में बचे ठोस अवशिष्टों से जैवगैस का उत्पादन, गोबर के साथ सहयोजन में जल हाइसिन्थ, कम लागत के बर्नर, अवशिष्ट स्लरी का खाद के रूप में उपयोग आदि भा० कृ० अ० सं० की जैवगैस में कुछ अनुसंधान उपलब्धियां हैं ।

(ङ) इस संबंध में भा० कृ० अ० सं०, भा० कृ० अ० प० के अन्य संस्थान और कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से कोई असफलता नहीं है और इस प्रकार यह प्रश्न उठता ही नहीं है ।

हाकी टीम का खेल

*422. श्री अमर राय प्रधान
श्री केशव राव पारधी } : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए नवम् एशियाई खेल में पाकिस्तानी पुरुष हाकी टीम के साथ भारतीय पुरुष हाकी टीम के निराशाजनक/असंतोषजनक खेल के कारणों का विश्लेषण किया गया है; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय हाकी संघ द्वारा इन कारणों का विश्लेषण किया गया है ।

(ख) संघ के ध्यान में आई कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार का भारतीय हाकी संघ को उचित सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सिंचाई परियोजनाओं हेतु ऋण

*423. श्री बी० बी० देसाई
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 150 मिलियन डालर का ऋण देना मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ऋण का उपयोग राष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु किया जायेगा;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण ब्याजमुक्त होगा;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त ऋण कब तक मिलने की संभावना है; और

(ङ) सरकार वर्ष 1983 के दौरान किन सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता, विशिष्ट सिंचाई परियोजनाओं अथवा उनके कार्यान्वयन के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त होती है। हाल में, हरियाणा सिंचाई परियोजना, सोपान-II के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस ऋण से हरियाणा सरकार की सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक परियोजना के लिए वित्त-व्यवस्था होगी, जिसमें नहर और जलमार्गों के पक्का करने और उनके आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम, 300 से अधिक आवर्धन नलकूपों द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल में वृद्धि करने के लिए उपाय और परियोजना क्षेत्र में ग्रामों को सड़कों के साथ जोड़ने की स्कीम तथा पेयजल की आपूर्ति संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

(ग) इस ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं है, परन्तु ऋण की अवितरित शेष राशि पर 0.5 प्रतिशत, प्रतिवर्ष का वचनबद्धता प्रभार और वितरित इतिशेष पर 0.75 प्रतिशत का सेवा-प्रभार देय है।

(घ) यह ऋण, अप्रैल, 1983 से चार वर्षों की परियोजना अवधि के लिए प्रभावी होगा।

(ङ) वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :—

1. कल्लाडा सिंचाई और वृक्षफसल विकास परियोजना (केरल)।
2. मध्य प्रदेश चम्बल सिंचाई-दो (मध्य प्रदेश)।
3. सुवर्ण रेखा (बिहार और उड़ीसा) सिंचाई परियोजना।
4. हरियाणा सिंचाई परियोजना (सोपान-दो), हरियाणा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कमजोर वर्गों के लिए फ्लैटों का निर्माण और आवंटन

*424. **श्री कुंवर राम** : **निर्माण और आवास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981 तथा 1982 में कमजोर वर्गों के लिये कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया;

(ख) इन फ्लैटों के आबंटन के लिये लाटरियां किस-किस तारीख को निकाली गईं तथा आबंटन पत्र किस-किस तारीख को जारी किये गये थे;

(ग) आबंटन पत्र जारी करने में कितना बिलम्ब हुआ और उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं;

(घ) जनवरी तक कितने व्यक्तियों को फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया तथा कितने फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके कारण कितना घाटा हुआ और स्थिति को सुधारने के लिये आबंटन प्रणाली में क्या परिवर्तन आवश्यक समझे गये हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि उसके द्वारा वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के लिये बनाये गये फ्लैटों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	जनता/सी. एस. पी.	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	मलिनबस्ती फ्लैट	योग
1980-81	5610	3430	—	9040
1981-82	3659	2164	1000	6823

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लाटरी निकालने की तथा आवंटन की तिथियों के संबंध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

सामान्य पंजीकरण योजनायें

वर्ष	लाटरी निकालने की तारीख	आबंटित फ्लैटों की संख्या	आवंटन पत्र, प्रेषित करने की तारीख
1981	16-2-81	1049	मई, 1981
1982	4-7-81	345	सितम्बर, 1981
1982	22-3-82	1477	जुलाई, 1982

नई पद्धति आवास पंजीकरण योजना, 1979

वर्ष	लाटरी निकालने की तारीख	आवंटित फ्लैटों की संख्या	आवंटन पत्र प्रेषित करने की तारीख
1981	30-3-81	3185	अप्रैल, 1982 से जून, 82' तक के दौरान
1982	31-3-82	4560	जनवरी, 1983 से मार्च, 1983 तक के दौरान
	13-5-82	140	प्रेषणाधीन

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे सूचित किया है कि इसके स्लम विभाग द्वारा बनाये गये टेनामेंटों को, मलिन बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत पुनर्वासित मलिनबस्ती निवासियों को, आबटित किया जाता है तथा इस प्रकार के आवंटनों के लिये किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत लाटरी निकलने की तारीख से, आबंटन पत्रों को जारी करने तक लगभग दो-तीन महीनों का समय लगता है। इसने आगे यह भी बताया है कि नई पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत 30-3-81 को निकाली गई लाटरी के तुरन्त बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सभी आबंटन पत्र रोक दिये गये थे और दिल्ली विकास प्राधिकरण से कुछ आबंटियों को पहले ही जारी किये गये आबंटन पत्रों को वापस लेने के लिए कहा गया था। 30-3-81 को निकाली गई लाटरी में सफल व्यक्तियों को नये आबंटन केवल आस्थगन आदेश के समाप्त किये जाने के बाद ही जारी किये जा सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि बाद में निकाली गई लाटरियों के सम्बन्ध में आबंटन पत्रों को जारी करने में विलम्ब, रिहायशी एककों के देरी से पूर्ण होने के कारण हुआ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनवरी, 1983 तक कब्जा लेने के लिए 3766 पत्र जारी किए गये हैं, तथा जनता वर्ग के अन्तर्गत कब्जा लेने के लिए 2041 पत्र प्रेषणाधीन हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण आवंटन पत्र जारी नहीं किए जा सके थे इसे कोई हानि नहीं हुई है। इसने यह भी सूचित किया कि आबंटन पद्धति के विभिन्न चरणों में लगने वाले समय में कमी करने के लिए आबंटन पद्धति को अधिक सरल बनाया गया है।

नर्मदा नदी पर सर्वोदय बांध का निर्माण

*425. **श्री नवीन रावणी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी पर सर्वोदय बांध के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) माननीय सदस्य, संभवत: नर्मदा नदी पर गुजरात की सरदार सरोवर बांध परियोजना (नवगांव बांध) का उल्लेख कर रहे हैं। इस परियोजना पर सड़कों, कालोनी भवनों, इत्यादि जैसे आधार-भूत निर्माण-कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। जहां तक मुख्य बांध का सम्बन्ध है, नदी में गहरे जलमार्ग के भाग की खुदाई और दोषपूर्ण क्षेत्र के सुधार सहित, बांध की नींव के लिए खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। काफर, बांधों, निर्माण नालियों, व्यपवर्तन जलमार्गों, इत्यादि के निर्माण-कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। दाएं तट पर डाइकों के निर्माण कार्य, जो लिंक जलमार्ग का भाग हैं, प्रगति पर हैं। 9 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक प्रारम्भिक खण्ड में, मुख्य नहर की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की 4240 करोड़ रुपए वर्तमान अनुमानित लागत के प्रति, मार्च, 1983 तक 203.51 करोड़ रुपये का व्यय होने की प्रत्याशा है।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने 1981-82 को आधार वर्ष मानकर, परियोजना ने 17 वर्षों की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है। प्राप्त सूचना के अनुसार, परियोजना पर कार्य की प्रगति सामान्यत: कार्यक्रम के अनुसार हो रही है।

सोयाबीन की खेती

*426. **श्री रेणुपद दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषण-विशेषज्ञों ने देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती में द्रुत वृद्धि के लिए अपनी आशंका प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, मैसूर में यू. एन. विश्व विद्यालय केन्द्र के परामर्शदाता ने विचार व्यक्त किये हैं कि देश में सोयाबीन के तहत अधिक क्षेत्र लाने की नीति से खाद्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

(ख) यह आशंका सही नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों को उत्पादकता के सम्बद्ध बोनस

*427. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों को वर्ष 1979-80 के लिए उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस, जैसे रेलवे तथा डाकतार विभाग के कर्मचारियों को दिया गया है, न देने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए बोनस कब दिया जाएगा; और

(ग) मुद्रणालय के कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के अधीन 8.33 प्रतिशत बोनस, जैसा अन्य वाणिज्यिक संगठनों में दिया जा रहा है, न देने के क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव रखने के क्या कारण हैं जबकि भारत सरकार के मुद्रणालय वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा फैक्टरी अधिनियम और औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अधीन आते हैं ?

संसदीय कार्य, रेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधान जिनमें न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस की शर्त है, भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की अदायगी के फार्मूला के अनुमोदन के निलम्बन के कारण भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों को 1980-81 के उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के रूप में तदर्थ आधार पर 15 दिन का वेतन/मजदूरी अदा कर दी गई है।

1981-82 के लिए इस निमित्त अदायगी फार्मूला को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद की जाएगी।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी

*428. **श्री के० लकप्पा**
श्री निहाल सिंह } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली की कुछ आलीशान बस्तियों सहित राजधानी के विभिन्न भागों में सरकारी भूमि पर भारी संख्या में झुग्गी/झोंपड़ियां बन गई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन से क्षेत्रों/बस्तियों में इन झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण हुआ है;

(ग) क्या इन झुग्गियों में रहने वाले लोग नित्यक्रिया के प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि का प्रयोग करते हैं और इससे गन्दगी तथा बीमारी फैलती है; और

(घ) राजधानी की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में उन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में कुछ वर्षों के समय-समय पर झुग्गी झोंपड़ी बनती आ रही है। वास्तव में ये सम्पूर्ण दिल्ली में हैं। ऐसी झुग्गियों के बने रहने से कुछ हद तक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित अभिकरण समय-समय पर इन झुग्गी झोंपड़ियों को हटाते आ रहे हैं। दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लगभग दो लाख परिवारों को विभिन्न इलाकों से हटाया गया था तथा 1960 एवं मार्च, 1977 के बीच इन्हें 44 पुनर्वास बस्तियों में बसाया गया था। मार्च, 1977 में दिल्ली के शेष क्षेत्रों में बाकी रह गए लगभग 25,000 अनधिवासी परिवारों के पुनर्वास हेतु सरकार ने एक अन्य योजना स्वीकृति की है। ये अनुदेश भी जारी कर दिये गए हैं कि दिल्ली में सरकारी भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के अतिक्रमणों को समय पर रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाएं तथा उन्हें आरम्भ में ही रोका तथा हटा दिया जाए।

सोन नदी के पानी से बिहार के हिस्से में कटौती का प्रस्ताव

*430. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1973 के बान सागर समझौते के अन्तर्गत बिहार को दिये गए सोन नदी के पानी के हिस्से में भारी कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सोन सिंचाई संरक्षण समिति ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और ऐसे प्रस्ताव को रोकें; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बाणसागर जलाशय के संचित जल और सोन नदी के प्रवाह का बटवारा करने के संबंध में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच 1973 में हुए करार में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भाड़े पर ली गई विदेशी मत्स्य नौकाओं के माध्यम से निर्यात आय

308. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 और 1983 में आज की तारीख तक भाड़े पर ली गई कितनी विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा भारतीय जल सीमा में मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1982 में भाड़े पर ली गई विदेशी मत्स्य नौकाओं के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) भाड़े पर ली गई मत्स्य नौका संबंधी इस नीति से 1983 में कितनी आय होने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख)

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	संचालन के लिए स्वीकृत भाड़े पर लिए गए जलयानों की संख्या		अब तक मिली समुद्री खेप सम्बन्धी 27 रिपोर्टों के अनुसार 1982 में विदेशी मुद्रा से आय
		1982 (31-12-1982 को)	1983 (15-3-1983 को)	(हजार अमरीकी डालर में)
1.	मैट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई ।	5	5	225
2.	ट्रापिकल शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०, विशाखापत्तनम।	6	10	93
3.	बाटल ग्लास प्रा० लि०, नई दिल्ली।	4	6	82
4.	वरुण मेरिन प्रोडक्ट्स प्रा० लि० नई दिल्ली ।	2	2	26
5.	पींज इन्डो-बलगेरियन फिशरीज प्रा० लि० ।	1	1	—
6.	गोल्डन फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली ।	—	12	—
7.	उड़ीसा मैरीटाइम एण्ड चिल्का एरिया डेवलपमैंट कारपोरेशन, भुनेश्वर ।	—	4	—
8.	नव भारत फैरी अलाय लि० हैदराबाद ।	—	4	—
9.	श्रिम्प (इण्डिया) प्रा० लि० विशाखापत्तनम ।	—	2	—
	योग :	18	46	426

(ग) 1982 में भाड़े पर लिए गए जलयानों से प्रति खेप पकड़ी गयी मछलियों के शेयर से भारतीय कम्पनियों को औसतन लगभग 15,800 अमरीकी डालर की आय हुई । 1983 के अंत तक

भाड़े पर लिए गए लगभग 100 जलयानों के संचालन की संभावना है । तथापि, अभी धनराशि के रूप में उनकी प्रत्याशित आय का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

दिल्ली में पकड़े गए बोनस पत्राचार चिकित्सा संस्थान

*431. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की अपराध-शाखा के जासूसों ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक ऐसा बोगस पत्राचार चिकित्सा संस्थान चला रहे थे, जिसने अब तक 100 से अधिक डाक्टर तैयार कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में चल रहे ऐसे बोगस संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही और उपाय किए गए हैं तथा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सेंट्रल मेडिकल कालेज, जहाँगीरपुरी, दिल्ली नाम से एक बोगस पत्राचार चिकित्सा संस्थान चलाने के लिए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । जो उम्मीदवार अपने पत्राचार पाठ्यक्रमों में, सफल हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए । ऐसा आभास होता है कि ये प्रमाण पत्र "बिहार इण्डिया बोर्ड आफ मेडिसन्स, पटना" द्वारा दिए गए हैं । ऐसे कोई मेडिकल बोर्ड विद्यमान नहीं हैं ।

(ग) ऐसे बोगस संस्थान चलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120 ख के तहत एक क्रिमिनल अपराध है । पुलिस सतर्क रहती है और जब कभी ऐसा कोई संस्थान नोटिस में लाया जाता है तो दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए तुरन्त कार्यवाई की जाती है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु नया केन्द्र

*433. **श्री एस० वी० सिदनाल**
श्री संतोष मोहन देव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के बीच सूचना अभाव को दूर करने और बेहतर प्रौद्योगिकी सहयोग पैदा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक नया केन्द्र शीघ्र ही भारत में स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि भारत में गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक केन्द्र स्थापित किया जाये, जिसके लिए भारत ने मेजबान सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है ।

(ख) जी, हां । राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने केन्द्र को स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है और यथासंभव शीघ्र इसकी स्थापना किये जाने के लिए अनुरोध किया है ।

तालचेर भारी जल संयंत्र को चालू करना

*440. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तालचेर उर्वरक संयंत्र में काम बंद होने के कारण, वहां भारी जल संयंत्र को चालू करने के समय का समय-समय पर पुनः निर्धारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश में भारी जल की कमी को देखते हुए इस संयंत्र को चालू करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारतीय उर्वरक कारपोरेशन के तलचर स्थित उर्वरक संयंत्र को चलाने में आई रुकावटों को दुष्प्रभाव भारी पानी परियोजना (तलचर) को चालू करने के काम पर पड़ा है। रुक-रुक कर मिलने वाली फीड गैस से भी संयंत्र को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, बशर्ते कि रुकावटें थोड़े समय के लिए हों और बार-बार न होती रहें।

छोटे एककों के लिए आरक्षित सामान बनाने से बड़े उद्योगों को वर्जित करना

*441. श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री रवीन्द्र वर्मा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम तथा छोटे उद्योगों की फेडरेशन ने हाल ही में सरकार से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादि सामान का उत्पादन करने से बड़े उद्योगों को रोका जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने बड़े उद्योगों पर ऐसे प्रतिबंध लगाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और उनका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए 800 से अधिक वस्तुएं आरक्षित कर दी हैं। कम से कम 75 प्रतिशत के निर्यात-दायित्व के आधार इन वस्तुओं का उत्पादन करने के मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में बड़े तथा मझौले एककों को इसके उत्पादन की क्षमता स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है। बड़े और मझौले क्षेत्र में विद्यमान एककों की क्षमता लघु क्षेत्र के लिए इन वस्तुओं के आरक्षण की तारीख से पूर्व उनके उत्पादन स्तर पर ही सीमित कर दी गई है।

तिहाड़ जेल से अपराधियों का भाग जाना

*442. श्री गुलशेर अहमद
श्री के० लकप्पा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1983 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "लाइफर एस्केप्स विद जेल वार्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण ब्यौरा क्या है, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की जेल से भागने की ओर कितनी घटनायें हुई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में जेल से भागने की ऐसी और भी घटनायें हुई हैं जो जेल के कर्मचारियों की सांठगांठ अथवा सक्रिय सहायता से हुई और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किये गए/करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 2-3-83 को रवीन्द्र कुमार उर्फ रवि नामक एक व्यक्ति, जो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, को कैम्प जेल से इलाज के लिए केन्द्रीय जेल अस्पताल लाया गया था। रेजिडेंट मेडिकल आफिसर से मिलने के बाद अपराधी को जेल के 2 वार्डरों के संरक्षण में वापिस ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि कुछ दूर जाने के बाद कैम्प जेल की ओर से एक मोटर साइकिल आयी और अपराधी के नजदीक रुक गई। उसके तुरन्त बाद अपराधी और एक वार्डर छलांग लगाकर मोटर साइकिल पर बैठ गये, जो तुरन्त चली गई। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और छानबीन की जा रही है। भागने वालों का पता लगाने का हर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने भागने वालों के अतेपते के संबंध में सूचना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2500 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस बीच जेल प्राधिकारियों ने इस घटना में अन्तर्ग्रस्त दोनों वार्डरों को मुअत्तल कर दिया है।

(ग) और (घ) प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान जेल से भागने की केवल दो अन्य घटनाएं हुईं। पहले मामले में कृष्ण लाल नामक व्यक्ति जो विचारणाधीन था 27-5-1981 को जेल के मुख्य द्वार से भाग गया जब उसे कैम्प जेल से ले जाया जा रहा था। दूसरे मामले में अपराधी रमेश जेल फार्म से 1-6-1981 को भाग गया जहां उसे काम करने के लिए भेजा गया था। इन मामलों में जेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ अथवा सक्रिय सहायता नहीं पाई गई।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किए गए हैं :—

(1) कैदियों को अब कैम्प जेल से केन्द्रीय जेल को केवल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेजा जाता है।

(2) कैदियों को अब केवल जेल गाड़ी अथवा किसी अन्य वाहन में ले जाया जाता है।

(3) यदि उनको केन्द्रीय जेल से कैम्प जेल और कैम्प जेल से केन्द्रीय जेल भेजा जाता है तो कैदियों के संरक्षण के लिए एक सशस्त्र पुलिस का गार्ड होगा।

(4) वारंट पुस्तिकाएं छापी गई हैं जिनमें कैदियों के मामलों के पूर्ण विवरण लिखे जाते हैं ताकि न्यायालयों से कैदियों की गलत रिहाई रोकी जा सके।

(5) सामरिक महत्व के स्थानों विशेष रूप से जेल द्वारों पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है।

प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए जारी किये गये निदेश

*443. श्री मोती भाई आर० चौधरी
श्री सुभाष यादव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मिशीनरी को प्रभावी, ईमानदार और दक्ष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस बारे में हाल ही में कतिपय निदेश जारी किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या इन निदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने मंत्रालयो को तत्परता, विनम्रता, समय की पाबन्दी तथा सफाई सुनिश्चित करके अपने कार्य-निष्पादन को प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में लिखा है। प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा अनावश्यक एवं फजूल खर्च से बचने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी लिखा है। सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में प्रधान मंत्री ने बढ़ायी गई कार्यविधि पर कार्य कर रहे अधिकारियों को उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित करने, अधिवर्षता की आयु प्राप्त अधिकारियों की सेवा-वृद्धि/पुनर्नियोजन के मामलों की पुनरीक्षा करने, सीमित केन्द्रीय कार्यविधि वाले अधिकारियों की विदेशों में भारत सरकार के पदों पर तैनाती से बचने तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मूल राज्यों में अन्तः संवर्गीय स्थानान्तरणों/प्रतिनियुक्तियों के सम्बन्ध में कड़ाई बरतने के बारे में निदेश जारी किए हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने प्रधान मंत्री के निदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यनिष्पादन को सुचारु रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*444. **श्री टी० एस० नेगी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क उद्योग का राष्ट्रीयकरण करनें का है;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग में लगे 65,000 श्रमिकों की ओर से कोई मांग भी की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) सरकार को इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन द्वारा पारित एक संकल्प की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें निजी क्षेत्र की मैंगनीज खानों का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी और उपकरण का आयात

*445. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक वर्षों से चल रहे उद्योग वित्तीय तथा विदेशी मुद्रा संबंधी अड़चनों के बावजूद प्रौद्योगिकी और उपकरण का आयात करते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उद्योगों द्वारा नवीकरण और सुधार की क्षमता के अभाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) आत्म निर्भरता लाने तथा विदेशों से किये जाने वाले आयात से बचाने के लिए उद्योगों में ही उनकी स्वयं की क्षमता विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार इस बात को समझती है कि प्रौद्योगिकी कोई स्थाई चीज नहीं है और इसमें सार्वदेशिक रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण साधन होगा जिसके द्वारा यह सुनिश्चय किया जा सकता है कि देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी में अन्य स्थानों में की गई प्रगति की जानकारी भी रहेगी। अतः कभी-कभी प्रौद्योगिकी को उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में अपनाये जाने की अनुमति देना आवश्यक हो सकता है।

जहां कहीं प्रौद्योगिकी का आयात करने का प्रस्ताव है वहां देश में उपलब्ध क्षमता का पता लगाने के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है।

सरकार द्वारा वित्तीय रियायतों, उद्योगवार अनुसंधान संस्थानों अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा प्रायोजित अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से देश में अनुसंधान और विकास के साथ आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाता है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर लगाना

*446. **श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार सम्पत्ति कर की दरें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो दरों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कर निर्धारण किस तारीख से करने का निर्णय लिया गया;

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा इस फैसले के अनुसार सम्पत्ति कर वसूल न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस फैसले से निगम को लाखों रुपये नहीं मिल रहे हैं; और

(ङ) दिल्ली नगर निगम को उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार सम्पत्ति कर वसूलने के लिए भारत सरकार द्वारा आदेश जारी न करने अथवा संबंधित अधिनियम संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नगर निगम उच्चतम न्यायालय द्वारा दीवान दौलत राय कपूर बनाम नई दिल्ली नगर पालिका और अन्य के मामले में दिसम्बर, 1979 में दिए गए फैसले को कार्यान्वित कर रहा है, जो कर योग्य मूल्य निर्धारण के आधार से संबंधित है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संथाल परगना क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजनाएं

*447. **श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में गरीबी दूर करने और डाक तार तथा परिवहन की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता के कारण इन क्षेत्रों में अन्दर ही अन्दर भभक रहे तनाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता प्राप्त और केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लांस्कर) : (क) सरकार को बिहार में संथाल परगना जिले में दरिद्रता और क्षेत्र की दूरी के कारण लोगों की गरीब आर्थिक हालत के बारे में जानकारी है ।

(ख) जिले का कुछ भाग जनजाति उप-योजना स्कीमों के अन्तर्गत आता है और सम्पूर्ण जिला एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत आता है । इनका उद्देश्य केवल लोगों की आर्थिक हालत को सुधारना ही नहीं है अपितु डाकतार, परिवहन, संचार सुविधाएं जैसी मूल-भूत सुविधाओं को भी सुधारना है ।

भारी पानी का आयात

*448. **श्री एन० ई० होरो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी पानी की प्रायोजित मात्रा का कोई मूल्यांकन किया है जिसकी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आयात किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारा देश पूरी तरह से आयातित भारी पानी पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ साथ सरकार ने इस अवधि के लिए भारी पानी के आयात हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) रूस से 256 मीटरिक टन भारी पानी के आयात का एक करार मौजूद है । इसमें से 125 मीटरिक टन भारी पानी मिलना शेष है ।

गृह मंत्री द्वारा बड़ौदा का दंगों के पश्चात् दौरा

*449. **श्री राम प्रसाद अहिरवार**
श्री सूरजभान } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दिसम्बर में दंगों के बाद उनके द्वारा बड़ौदा का दौरा करने के क्या कारण हैं;

(ख) वहां बार-बार दंगे होने के संबंध में उनकी टिप्पणियां क्या हैं और उन्होंने इस संबंध में गुजरात सरकार को क्या सलाह दी है; और

(ग) क्या वह प्रेस समाचारों से अवगत है कि इन दंगों में लिप्त कतिपय तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है; यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दौरा स्थिति का घटनास्थल पर अध्ययन करने और जिन लोगों को वारदातों से नुकसान हुआ उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए किया गया था ।

(ख) यह देखा गया कि साम्प्रदायिक और समाज विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न किये गये तनाव के परिणामस्वरूप बार-बार दंगे हुए। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वे सामान्य स्थिति बहाल करने और शांति तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(ग) इस संबंध में समाचारपत्रों की कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं। यह एक ऐसा मामला है जिसकी राज्य सरकार द्वारा जांच की जानी है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावासों हेतु सहायता

*450. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावासों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता की वर्तमान सीमा क्या है ;

(ख) केन्द्र ने इस संबंध में राज्यवार क्या सीमा निर्धारित की है ;

(ग) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा दी जा रही केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1983-84 में बढ़ाई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम के अधीन, राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के वास्ते 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है जो नीचे दी गई निर्धारित सीमा के अनुसार होता है :—

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र
	(प्रति छात्र) (रुपए)	(प्रति छात्र) (रुपए)
(1) केवल आवास के लिए	3350	5500
(2) भोजन कक्ष, रसोई घर, सफाई-व्यवस्था आदि जैसी सहायक सुविधाओं समेत आवास के लिए	4630	7600

(ख) वर्ष विशेष के दौरान योजना आयोग द्वारा स्कीम के लिए किए गए आवंटन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) ब्यौरे को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

भारतीय नागरिकों से विवाहित महिलाओं को नागरिकता प्रदान करना

*451. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में कुछ विदेशी नागरिकता वाली महिलाओं ने भारतीय नागरिकों से विवाह किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मामलों में नागरिकता प्रदान की गई है; और इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिनमें नागरिकता देने से इन्कार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले है; और

(ङ) इस समय नागरिकता प्रदान करने हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 529 भारतीय नागरिकों के साथ विवाहित विदेशी महिलाएं नागरिकता नियम, 1956 में विनिर्दिष्ट आवासीय अपेक्षाओं, आदि को पूरा करने के बाद निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संबंधित समाहर्ता के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करके नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) (ग) के तहत अपने को पंजीकृत करके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की पात्र हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) 25

(ङ) 2

"नाफेड" के बारे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां

4667. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामतिल के बीजों के निर्यात के मामले में दो गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा की गई एक अपील में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई भर्त्सनामूलक टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, (पेट्रियट-15.12.82) ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) "नाफेड" ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर कितना धन खर्च किया;

(घ) क्या नाफेड ने प्रत्येक अपीलकर्ता को खर्च के रूप में 5000 रुपए अदा किए हैं,

(ङ) यदि हां, तो किस प्राधिकारी ने उक्त राशि की मंजूरी दी है;

(च) क्या सरकार को पता है कि नाफेड नियमित रूप से सरकार के सुझावों/निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है जिसमें उसके अपने संविधान के अनुसार वर्तमान संगठन के चुनावों का आयोजन का मामला भी शामिल है, जिसका कार्यकाल जून, 1982 में समाप्त हो चुका है; और

(छ) यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय और चुनाव कराने के मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1982 की दीवानी अपील संख्या 3741-42 के सम्बंध में आर्डर पास करते समय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की :—

"तथ्यों से यह प्रकट होता है जिनका कि हम यहाँ उल्लेख करेंगे कि भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ, (संक्षिप्त में नेफेड) जो कि अपने आप में एक कानून है, को न तो भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्यात व्यापार अनुदेशों का पालन करने और न ही सर्वोच्च न्यायालय में निष्ठापूर्वक हल्फनामा भरने की चिन्ता है।"

(ग) नेफेड ने उच्च न्यायालय में इस मामले पर कानूनी फीस के रूप में 6600/- रुपये की राशि व्यय की है। सर्वोच्च न्यायालय के रिकार्ड में उल्लिखित वरिष्ठ वकील और एडवोकेट को अदा की जाने वाली वैधानिक फीस के सम्बंध में, नेफेड को अभी उनके बिल की अदायगी करनी है।

(घ) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, नेफेड ने प्रत्येक अपीलकर्त्ता को 5,000/- रुपये की राशि अदा की है।

(ङ) नेफेड के प्रबन्ध निदेशक ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राशि स्वीकृत की है।

(च) और (छ) चुनाव के सम्बंध में, सरकार ने नेफेड को कोई आदेश जारी नहीं किये थे। तथापि, निदेशक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के सम्बन्ध में नेफेड का ध्यान आकर्षित किया गया था और चुनाव कराने के लिये कदम उठाने की सलाह दी गई थी। नेफेड 29 अप्रैल, 1983 को एक साधारण बैठक बुला रहा है, जिसमें चुनाव भी होंगे। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम में यह व्यवस्था है कि चुने हुये सदस्य तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं चुने जाते। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है, नेफेड के अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हल्फनामा भरने में सावधान रहना चाहिये था। नेफेड में प्रशासनिक व्यवस्था को तेज किया जा रहा है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एल०आई०जी०एम०आई०जी० मकानों हेतु उड़ीसा का केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास

4668. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बुरी तरह सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के निम्न आय और मध्यम आय की श्रेणी और अन्य परिवारों जिन्हें भवन निर्माण ऋण के बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की आवश्यकता है, की सहायता के लिए एक वचनबद्ध कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि निम्न आय और मध्यम आय श्रेणी तथा अन्य ग्रामीण आवास परियोजनाओं के लिये किया जाने वाला सामान्य आबंटन पूर्णतया अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और वर्तमान योजना आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड की बम्बई में बैठक

4669. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड की बैठक पिछले दस वर्षों से केवल दिल्ली में की जा रहीं थी लेकिन हाल ही की बैठक 4 फरवरी, 1983 को बम्बई में हुई जिसके कारण भारी खर्च हुआ और साथ ही दिल्ली से अधिकारियों का कार्य अस्त-व्यस्त भी हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों के नाम क्या हैं जो उक्त मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली से बम्बई गये और इसका औचित्य क्या है;

(घ) (एक) निदेशक मंडल तथा (दो) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर कुल कितना वित्तीय खर्च हुआ; और

(ङ) उक्त बोर्ड की अगली बैठक कहां होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) जैसा कि खाद्य निगम विनिमय, 1965 के विनिमय 3 में व्यवस्था की गई है, बोर्ड की बैठक जिस समय और स्थान पर होगी उसका अध्यक्ष समय समय पर विनिश्चित करेगा। 1970 से ये बैठकें प्रशासनिक सुविधा के लिए दिल्ली में हुआ करती थीं, तथापि, निदेशक बोर्ड बम्बई में 4.2.1983 को हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि निदेशक स्थानीय समस्याओं का मूल्यांकन कर सकें और अपने आप पत्तन तथा गोदाम परिचालन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकें।

बम्बई की बैठक में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के अलावा बोर्ड के 4 निदेशकों ने भाग लिया था। इस सम्बन्ध में कार्य सूची की मदों से सम्बन्धित 9 अधिकारी और निगम के सचिव के साथ थोड़ा सहयोगी स्टाफ भी बम्बई गया था।

(घ) निदेशक बोर्ड के यात्रा भत्ते पर व्यय लगभग 11,000 रुपये और अधिकारियों तथा स्टाफ पर व्यय लगभग 22,000 रुपये हैं। परिवहन, लेखा सामग्री आदि पर लगभग 5600/- रुपये का अतिरिक्त व्यय भी किया गया था।

(ङ) बोर्ड की अगली बैठक दिल्ली में करने का विचार है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के घोटाले में शामिल कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

4670. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री की नई नीति-घोषणाओं के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े-घोटाले में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) क्या सरकार उच्च शक्ति प्राप्त ज्योतिर्मय बसु समिति की रिपोर्ट में की गई स्पष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) ज्योतिर्मय बसु समिति की विशाल रिपोर्ट अभी भी परिषद के विचाराधीन है। अतः इस अवस्था में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जिन अधिकारियों को ज्योतिर्मय बसु समिति की रिपोर्ट की जांच का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उन्होंने शीघ्रता से उसकी जाँच पड़ताल की है। इसलिए रिपोर्ट पर विलम्ब से कार्रवाई करने के लिए किसी अधिकारी को दंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति/प्रवेश

4671. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश और उच्च पदों में नियुक्ति के मामले में जानबूझ कर जाति-पांति की नीति का पालन किया जा रहा है जिससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रचुर संख्या में मिलने में बाधा आती है और इस कारण देश में कृषि अनुसन्धान जैसे महान कार्य में रुकावट पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर इस समस्या का समाधान करने का है क्योंकि इससे दूसरी चीजों के साथ-साथ क्षेत्रीयता की भावना को भी बढ़ावा मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर के स्वायत्तशासी संस्थान हैं जो अपने निजी अधिनियमों और संविधियों द्वारा शासित होते हैं जो सम्बन्धित राज्य के विधान मंडल द्वारा पास किये जाते हैं। उनके प्रवेश और नियुक्ति की नीति सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और संविधियों में निहित विशिष्ट प्रावधानों द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार इस सम्बन्ध में जानबूझकर किसी जाति-पांति की नीति का पालन नहीं कर रही है।

दूसरी तरफ, सरकार/भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद अपने पैतृक विश्वविद्यालय के अलावा अन्य संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में सेवारत प्रार्थी को छात्रवृत्ति देकर दूसरे विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए विशेषरूप से इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न की धांधली

4672. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न धांधली की जानकारी है जो उस समय प्रकाश में आई जब भारतीय खाद्य निगम के चावल से लदे एक ट्रक का माल भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से इतर अन्य स्थान पर उतारने का पता चला "टाइम्स आफ इण्डिया", (दिनांक 10 फरवरी, 1983);

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता लगी इसी प्रकार की धांधली का क्या ब्यौरा है और सुधारात्मक कदम क्या उठाये गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में इस प्रकार की धांधलियों के कारण कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) टाइम्स आफ इण्डिया के 10-2-83 के अंक में यह समाचार छपा था कि भारतीय खाद्य निगम के चावल के एक ट्रक से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के अलावा किसी अन्य स्थान

पर माल उतारा जा रहा था। जांच करने पर विदित हुआ कि बिलासपुर डिपो (उत्तर प्रदेश) से रामपुर डिपो (उत्तर प्रदेश) को नियमित तथा प्राधिकृत चालान के अग्रीन साधारण कच्चे चावल की 110 बोरियां लेकर एक ट्रक भेजा गया था। तथापि, रास्ते में गश्त कर रहे मजिस्ट्रेट ने ट्रक को रोक लिया और उन्होंने भरे ट्रक से खुले अनाज की कथित चोरी जो कि उन्होंने नोट की थी, के लिए ड्राइवर/क्लीनर का चालान कर दिया था। पुलिस के पास एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई थी जिसकी जांच हो रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पुलिस की हिरासत से स्टाक वापस लेते समय 1.5 क्विंटल की कमी देखी गई थी और परिवहन ठेकेदार से उसकी लागत वसूल की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित अधिकारी को भी मुअत्तिल कर दिया गया है।

अकेले ट्रक से चोरी की ऐसी किसी वारदात से किसी संगठित गिरोह के होने का पता नहीं चलता है। तथापि, जब निगम के नोटिस में ऐसी चोरी का कोई मामला लाया जाता है तब उपयुक्त कार्रवाई तुरन्त की जाती है और परिवाहक से दण्ड सम्बन्धी दर पर नुकसान की राशि की वसूली की जाती है ताकि निगम को ऐसी चोरी के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। यथावश्यक, चूककर्ता स्टाफ के विरुद्ध भी उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाती है। तथापि, ऐसी वारदातें आम बात या सब जगह नहीं है। अत: वित्तीय नुकसान बहुत ही कम है। इस खाते में नुकसान के आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

1983-84 के दौरान नलकूप लगाने के लिए आवंटित की गई धनराशि

4673. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में 1983-84 के दौरान नलकूप लगाने के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सूखा प्रभावित राज्यों में नलकूप लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में 1983-84 में कितने नलकूप लगाये जाने का विचार है; और

(घ) उपरोक्त वर्ष में उड़ीसा राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को एकमुश्त अनुदान/ऋण योजनागत सहायता के रूप में दिए जाते हैं और आवंटन पृथक्-पृथक् कार्यक्रमों के लिए नहीं किए जाते हैं। लघु सिंचाई सेक्टर में, नलकूपों का प्रतिष्ठापन शामिल है। गहरे नलकूपों का प्रतिष्ठापन सरकारी विभागों या राज्यों द्वारा स्थापित निगमों द्वारा सरकारी सेक्टर में किया जाता है और इनके लिए धन, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों से सम्पोषित वार्षिक योजनाओं में अनुदानों-ऋणों की व्यवस्था से किया जाता है। उथले नलकूपों का प्रतिष्ठापन गैर-सरकारी मालिकों द्वारा अपने साधनों से या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों और ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुज्ञेय आर्थिक-सहायता से किया जाता है। राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के

पश्चात्, योजना आयोग द्वारा 1983-84 के लिए योजनागत परिव्ययों को अनुमोदित कर दिया गया है और सभी राज्यों तथा सघ राज्य क्षेत्रों के लिए लघु सिचाई क्षेत्र के वास्ते कुल अनुमोदित परिव्यय लगभग 357.70 करोण रुपए है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के लिए लघु सिचाई के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 20.00 करोड़ रुपये है, किन्तु नलकूपों के प्रतिष्ठापन कार्यक्रम के लिए इस कुल परिव्यय में से राज्य सरकार द्वारा अलग रखी जा रही धनराशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1983-84 में उड़ीसा लिफ्ट सिचाई निगम द्वारा सरकारी नललूपों का कार्य हाथ में लिए जाने के लिए राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, 1983-84 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 मध्यम गहरे नलकूप प्रतिष्ठापित करने का एक कार्यक्रम, राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

आरक्षित कोटा पूरा किया जाना

4674. **श्री राम विलास पासवान :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटा पूरा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो जान-बूझकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं करते, भले ही इस प्रकार के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध हों; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इन श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे के संदर्भ में अभी भी कुछ रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सभी सम्भव पग उठाये जा रहे हैं।

(ङ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

श्रेणी/ समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियो के संदर्भ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता
			खाद्य विभाग		
समूह "क"					
श्रेणी-एक	194	19	9.8	7	3.6
समूह "ख"					
श्रेणी-दो	440	54	12.3	28	6.4
समूह "ग"					
श्रेणी-तीन	1057	180	17.0	27	2.5
समूह "घ"					
श्रेणी-चार	759	207	27.3	44	5.8
			नागरिक पूर्ति विभाग		
समूह "क"					
श्रेणी-एक	63	8	12.7	2	3.2
समूह "ख"					
श्रेणी-दो	113	21	18.6	3	2.6
समूह "ग"					
श्रेणी-तीन	206	27	13.1	8	3.9
समूह "घ"					
श्रेणी-चार	133	35	26.3	7	5.3

ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" और अन्त्योदय का कार्यान्वयन

4675. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ग्रामीण और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण विकास के लिए प्रोत्साहन देने हेतु काम के बदले अनाज और अन्त्योदय जैसी योजनाओं पर बल देने का सरकार का विचार है; और

(ख) सम्बद्ध योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों तथा इसकी मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य के मुख्य उद्देश्यों तथा मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

मुख्य उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों-पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन

(2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा और गरीब ग्रामीणों के आय स्तरों में भी लगातार वृद्धि होगी; तथा

(3) गरीब ग्रामीणों के पोषाहार स्तरों तथा रहन सहन के स्तरों में सुधार

मुख्य विशेषताएं

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) ग्रामीण समुदाय की ज्वलन्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए प्रत्येक जिले/खण्ड के लिए एकमुश्त परियोजनाएं (शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स) तैयार की जानी है। वर्ष के शुरू में ही जिले के लिए एक वार्षिक कार्यवाही योजना भी तैयार की जानी है।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का निष्पादन यथासम्भव पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना है ताकि ग्रामीण व्यक्तियों को उनके अपने विकास के कार्यों में शामिल किया जा सके;

(3) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आवंटन एक मापदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत राज्य में 75 प्रतिशत बल कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की संख्या पर तथा 25 प्रतिशत बल निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है।

(4) मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में एक किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाना अपेक्षित है ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के पोषाहार स्तरों में सुधार हो सके।

(5) संसाधनों का 10 प्रतिशत उन निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ही प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार सामाजिक वानिकी कार्यों के उपयोग के लिए 10 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए जाते हैं।

(6) सामग्री तथा मजदूरी घटक के बीच क्रमश: 40 : 60 का अनुपात निर्धारित किया गया है जो कि पूरे जिले के निर्माण कार्यों पर लागू होता है न कि अलग-अलग निर्माण कार्यों पर।

(7) कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राह्य निर्माण कार्यों के निष्पादन को ख्यातिप्राप्त तथा स्थायी स्वैच्छिक संगठनों को सौंपा जा सकता है।

पटसन के उत्पादन में वृद्धि

4676. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन का उत्पादन वर्ष 1982 के दौरान कम हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि आगामी फसल सत्र से कच्चे जूट के मूल्य बढ़ाने हेतु कोई सुझाव केन्द्र को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सुझाव दिए गए हैं और किसानों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए कच्चे पटसन के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 1982-83 के दौरान कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी आई है। इसका मुख्य कारण फसल मौसम के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का होना है।

(ख) पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित गहन पटसन विकास कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग दे रही है। इस योजना में प्रमाणीकृत बीजों, तंतुवेचन टैंकों, बीज ड्रिलों तथा पहिएदार कुदालियों, खरपतवारनाशियों, प्रदर्शनों, विस्तार सेवाओं, आदि के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था है, जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर वहन की जाती है।

(ग) तथा (घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

"नाफेड" के खाद्य संसाधन यूनिट

4677. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) द्वारा किन-किन खाद्य मदों को डिब्बा बंद और संसाधन किया जाता है;

(ख) क्या नाफेड ने देश के अन्य स्थानों पर इस प्रकार के प्रोसेसिंग और डिब्बा बंद करने की शाखाएं खोली हैं;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(घ) "नाफेड" का देश में खाद्य संसाधन का अपना कार्य बढ़ाने हेतु 1983-84 के लिए क्या कार्यक्रम हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिन उत्पादों का संसाधन और डिब्बाबंदी करता है, उनमें ये शामिल हैं—सेब, आम, अनन्नास, टमाटर, संतरे, नाशपाती, आड़ू, हरा मटर और अन्य सब्जियां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली स्थित बहु-जिंस फल और साग-सब्जी संसाधन एकक के अलावा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने दो ऐसे एकक तमिलनाडु में बेल्लोर में तथा कर्नाटक में कुशालनगर में स्थानीय सहकारी समितियों से पट्टे पर लिए हैं।

(घ) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने जानकारी दी है कि वह संसाधित खाद्य पदार्थों में अपने कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए "एसेप्टिक" भण्डारण प्रौद्योगिकी शुरू करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

भारत में बेघर लोगों की संख्या

4678. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य और संघशासी क्षेत्र में शहरों और गांवों में बेघर लोगों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : 1982 में कोई जनगणना नहीं की गई। यद्यपि, 1981 की जनगणनानुसार, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1981 की जनगणनानुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की जनसंख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	175,559	75,202	250,761
2.	असम	राज्य में उपद्रव की परिस्थितियों के कारण कई जनगणाएं की गई हैं।		
3.	बिहार	34,414	25,770	60,184
4.	गुजरात	267,213	43,201	310,414
5.	हरियाणा	34,797	8,901	43,698
6.	हिमाचल प्रदेश	22,188	1,721	23,909
7.	जम्मू और कश्मीर	7,524	1,255	8,779
8.	कर्नाटक	64,851	43,394	128,245
9.	केरल	13,239	8,158	21,397
10.	मध्य प्रदेश	268,882	50,566	319,448
11.	महाराष्ट्र	442,633	99,824	542,457
12.	मणिपुर	118	10	128
13.	मेघालय	219	116	335
14.	नागालैण्ड	69	189	258
15.	उड़ीसा	41,292	9,469	50,761
16.	पंजाब	33,112	23,260	56,372
17.	राजस्थान	134,391	32,424	166,815
18.	सिक्किम	865	441	1,306
19.	तमिलनाडु	31,298	26,163	57,461
20.	त्रिपुरा	305	104	409
21.	उत्तर प्रदेश	60,281	48,261	108,542
22.	पश्चिम बंगाल	47,543	84,430	131,973
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	52	126	178

1	2	3	4
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	4,013	4,013
26. दादर तथा नागर हवेली	917	108	1,025
27. दिल्ली	4,354	22,516	26,870
28. गोआ, दमन और द्वीव	3,941	3,257	7,198
29. लक्षद्वीप	1	2	3
30. मिजोरम	278	—	278
31. पांडिचेरी	840	2,958	3,798
भारत	1,711,176	615,839	2,327,015

फसलों पर विमान से कीट नाशक दवाओं का छिड़काव

4679. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसलों पर विमान से कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले विमानों की संख्या के बारे में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन विमानों द्वारा किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय कृषि विमानन निदेशालय द्वारा फसलों पर कीटनाशी औषधियों का हवाई छिड़काव किया जा रहा है। निदेशालय के पास इस कार्य के लिए 34 फिक्स्ड विंग तथा 4 रोटेरी विंग वायुयानों का एक बेड़ा है।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कृषि विमानन निदेशालय द्वारा विभिन्न हवाई प्रचालनों, जिनमें कीटों का नियन्त्रण तथा हवाई बीजण भी शामिल है, के तहत कुल क्षेत्र में किया गया कार्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षेत्र जिसमें कार्य किया गया (लाख एकड़)
1980-81	2.60
1981-82	4.00

बारानी खेती में सफलता

4680. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बारानी खेती की योजना को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सफलता मिली है;

(ख) क्या असिंचित भूमि, जो 90 प्रतिशत से अधिक है, में कमी लाने के लिए बारानी खेती योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो देश में शुष्क खेती का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को इससे अलग रखने के यदि कोई हैं तो क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि, वर्षा के ऊपर निर्भर न रहे इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए गए हैं अथवा क्या योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। बारानी खेती के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिये जोरदार प्रयास किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं। इसका, उद्देश्य असिंचित स्थितियों में फसल उत्पादन में सुधार करना है।

(ग) देश में बारानी खेती का विकास करने के लिये दोहरी नीति अपनाई गई है :—

(1) विस्तार अभिगम उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि विकास के चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यमान स्रोतों का इष्टतम उपयोग करना और

(2) सघन अभिगम—समेकित और वैज्ञानिक पनधारा विकास के माध्यम से बारानी खेती वाले क्षेत्रों के उत्पादन और उत्पादकता में स्थायी और दीर्घकालीन सुधार करना।

बारानी खेती की पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिये किसी भी राज्य को अलग नहीं रखा गया है। सभी राज्य सरकारों को, उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बारानी कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने की सलाह दी गई है।

(घ) कृषि वर्षा से पूर्णतया मुक्त नहीं रह सकती। तथापि, बारानी खेती वाले 15 प्रमुख राज्यों में बारानी खेती की परिस्थितियों के अन्तर्गत उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने और स्थिर रखने हेतु, वर्षा-जल का वैज्ञानिक उपयोग करके असामान्य वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये "बारानी खेती वाले क्षेत्रों हेतु जल संरक्षण/कटाई प्रौद्योगिकी के प्रसार की मार्गदर्शी परियोजना" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की जा रही है।

लोदी कालोनी के टाइप-तीन के फ्लैटों में वाशवेसिन

4681. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप तीन के सरकारी क्वार्टरों में उपलब्ध वाशवेसिन तथा अन्य अनेक सुविधाएं लोदी कालोनी, नई दिल्ली के टाइप-तीन के फ्लैटों में उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं; यदि हां, तो तथ्य व कारण क्या हैं; और

(ख) क्या लोदी कालोनी में उपरोक्त फ्लैटों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है; यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सरकारी क्वार्टरों का निर्माण और उनमें वाशवेसिन जैसी सुविधायें कुर्सी क्षेत्र के लिए अनुमोदित मानदण्ड और निर्माण के समय प्रचलित सुविधाओं के अनुसार दी जाती है। जिस समय लोदी रोड नई दिल्ली के टाइप-तीन फ्लैटों का निर्माण किया गया था, इन क्वार्टरों के लिए वाशवेसिन का प्रावधान अनुमोदित सुविधाओं में शामिल नहीं किया गया था। लोदी कालोनी के

टाइप-तीन के फ्लैटों में वाशबेसिन की सुविधायें अब संसाधनों की उपलब्धता पर निभर करती है, जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और बिहार राज्य डेरी निगम में समझौता

4682. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मध्य बिहार में "आपरेशन फ्लड" के सम्बन्ध में डेढ़ वर्ष पूर्व हुए समझौते के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य निगम के साथ भेदभाव किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड ने किन कारणों से कलकत्ता मदर डेरी को, पटना डेरी परियोजना से, जो कि बिचौलियों से दूध खरीदती हैं, दूध खरीदने की अनुमति दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार ने आपरेशन फ्लड 2 को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय डेरी निगम से करार पर हस्ताक्षर किए हैं। संदर्श योजना तैयार की गई है और भारतीय डेरी निगम द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने, जो इस परियोजना की व्यवस्था कर रहा है, सूचित किया है कि पटना डेरी बिचौलियों से दूध की खरीद नहीं कर रही है । वितरण के पश्चात शेष बचे दूध को कलकत्ता मदर डेरी भेज दिया जाता है, जो उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करती है।

नुमथार में बांध

4683. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री नुमथार में बागमती नदी पर बांध के बारे में 21 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाली बहु-प्रयोजनीय योजना के साथ पूर्ण समन्वय के अभाव में भारतीय बृहत् परियोजना किस प्रकार प्रभावित होगी, पूर्ण बाढ़ नियन्त्रण और सुनिश्चित सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन को सुनिश्चित करते हुए नुमथार में बहुप्रयोजनीय बांध बनाने के लिए इसको स्थगित करने का प्रस्ताव क्यों नहीं किया गया है; और

(ख) क्या खिरोई और घोन सबागमती नदियां हयाघाट के ऊपर बागमती नदी में मिल जाती हैं और एक नदी बन जाती है और क्या बृहत् योजना में इन दोनों नदियों को शामिल किये बिना कोई तटबन्ध बनाना टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के बहुत बड़ भाग जलमग्न और बाढ़ग्रस्त रहेगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : बागमती नदी एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है जो नेपाल से होकर भारत में बहती है । बागमती और अन्य साझी नदियों के जल संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में, भारत सरकार नेपाल की महामहिम सरकार के साथ बातचीत कर रही है । बागमती नदी बेसिन में जल संसाधनों के संभावित भावी विकास को ध्यान में रखकर, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए, रामपुर में बराज के निर्माण सहित, बागमती परियोजना की योजना बनाई गई है ।

(ख) अधवाड़ा समूह की खिरोई और घोंसबागमती नदियां, प्रस्तावित बागमती बराज परियोजना के कमान क्षेत्र के अनुप्रवाह में, बागमती नदी में मिलती हैं। अधवाड़ा बेसिन की नदियों के बाढ़ नियन्त्रण के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा एक व्यापक योजना 1975 में तैयार की गई थी और यथाअनुशंसित निर्माण कार्यों की योजना तैयार करने के लिए, वह राज्य सरकार को भेज दी गई थी। तटबन्धों के निर्माण और नदियों के प्रणालकरण के रूप में कई बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए हैं।

"मिल्क पाउडर" और "बटर आयल" की बिक्री

4684. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है कि सहायता के रूप में प्राप्त "मिल्क पाउडर" और "बटर आयल" बाजार में पहुंच जाता है और दूध में "मिल्क पाउडर" और "बटर आयल" मिला कर बेचा जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : बाजार में उपहार स्वरूप मिली जिसों की अनधिकृत बिक्री अथवा दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात को मोटे अनाज की सप्लाई

4685. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में मोटे अनाजों की कमी है और राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिये प्रतिमाह 20,000 टन मोटा अनाज आवंटित करने का अनुरोध किया है क्योंकि राज्य की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कमजोर वर्गों का है और मोटे अनाज उनके मुख्य खाद्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य की मोटे अनाजों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। गुजरात सरकार ने अपनी कमी को पूरा करने के लिए 20,000 मीटरी टन मोटे अनाज के आवंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ख) केंद्रीय पूल के लिए मोटे अनाजों की कोई वसूली नहीं की जाती है। अत: उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता।

20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4686. **श्री सुभाष यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्यों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाया है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1981-82 और 1982-83 के दौरान प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में खोली गई इस प्रकार की दुकानों की संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कहां तक सफल रही है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

(ग) 1981-82 की समाप्ति के समय देश में उचित दर की दुकानों की संख्या 2,79,543 थी और 21-2-83 को इनकी संख्या बढ़कर 2,81,458 हो गई थी। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। लगभग सभी उचित दर की दुकानें निजी तथा सहकारी क्षेत्र में थीं।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को उपभोक्ताओं को मुहैया कराने तथा उनकी आवश्यकताओं के एक बड़े भाग को उचित मूल्यों पर उन्हें उपलब्ध कराने का बहुत ही उपयोगी तथा वांछनीय कार्य किया है। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और इसके लिए नई दुकानें खोली जा रही हैं, जिनमें दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए चलती-फिरती दुकानें तथा औद्योगिक मजदूरों, छात्रावासों, आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें खोलना भी शामिल है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है वे इस प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए कारगर उपाय करें, ताकि यह उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा कर सके।

विवरण

क्र० सं० राज्य	1981-82 (18-2-83 को) उचित दर दुकानों की संख्या	1982-83 (21-2-83 को) उचित दर दुकानों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	28743	30703
2. असम	15199	15389
3. बिहार	37142	37142
4. गुजरात	9956	10140
5. हरियाणा	5343	5588
6. हिमाचल प्रदेश	2755	2742
7. जम्मू व काश्मीर	2004	2162*
8. कर्नाटक	14000	14352
9. केरल	11559	11820
10. मध्य प्रदेश	22812	17016
11. महाराष्ट्र	29315	30024
12. मणिपुर	1077	1144
13. मेघालय	1719	1761
14. नागालैण्ड	172	83
15. उड़ीसा	17056	17858
16. पंजाब	10321	10800
17. राजस्थान	10057	10445
18. सिक्किम	13	926*
19. तमिलनाड	17536	17786
20. त्रिपुरा	817	889

(जारी...)

* संशोधन होने तक अनन्तिम।

1	2	3
21. उत्तर प्रदेश	19094	19577
22. पश्चिमी बंगाल	18428	18525
23. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	193	199
24. अरुणाचल प्रदेश	187	242
25. चण्डीगढ़	200	202
26. दादर एवं नागर हवेली	40	40
27. दिल्ली	2852	2889
28. गोवा, दमन एवं दीव	386	386
29. लक्षद्वीप	23	24
30. मिजोरम	366	441
31. पांडिचेरी	178	178
योग	279543	281458

शारदा नहर परियोजना

4687. **श्री जैनुल बशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में शारदा सिंचाई परियोजना के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले इसके अन्तर्गत आएंगे और उपरोक्त नहर से कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी; और

(ग) उपरोक्त नहर परियोजना पर कार्य की प्रगति के बारे में क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समूचे राज्य को दी जाती है और यह विकास के किसी सेक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है। तथा, इस परियोजना की वित्तीय स्थिति, जिसका वित्त-पोषण उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, निम्न प्रकार है :—

	करोड़ रुपए में
अनुमानित लागत (अद्यतन)	426.00
1981-82 तक हुआ व्यय	352.73
बजट आवंटन 1982-83	23.73
1982-83 (दिसम्बर, 82 तक) में वास्तविक व्यय	14.80
1983-84 के लिए प्रस्ताविक परिव्यय	20.00

(ख) शारदा सहायता परियोजना से राज्य के 14 जिलों अर्थात् लखीमपुर, सीतापुर, बारा बंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में 20 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र कमान के अन्तर्गत आ जाएगा।

प्रारम्भ में 96% की सिंचाई गहनता के साथ, 19.23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई करने का प्रस्ताव है, जिसमें पुराने क्षेत्रों में सिंचाई का बढ़ाकरण भी सम्मिलित है।

(ग) घाघरा नदी पर गिरिजा बराज और शारदा नदी पर बराज तथा अन्तर्योजक जल मार्ग और साथ ही पोषक नहर, जो इन नदियों के संयुक्त उपलब्ध जल का वहन करेंगी, पर कार्य पूरा हो गया है। वितरण नहर प्रणाली पर 88% मिट्टी का कार्य और 59% चिनाई कार्य, जिसमें पुनर्रूपण का कार्य सम्मिलित है, पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर हैं। जून, 1983 तक 15.60 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिए जाने की प्रत्याशी है।

मन्त्रालय विभागों द्वारा वर्ष 1982 के दौरान आयोजित की गई विभागीय परीक्षाएं

4688. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान उनके मंत्रालय/विभाग और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा कितनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई हैं;

(ख) क्या उन विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया था और यदि हां, तो ऐसी परीक्षाओं की संख्या कितनी है;

(ग) सभी विभागीय परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति कब से दी जाएगी; और

(घ) इस संबंध में समुचित व्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में चुनने की पहले से ही व्यवस्था है। गैर हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विभागीय अभ्यार्थी भी इसे चुन सकते हैं।

(घ) इस उद्देश्य के लिए जरूरी व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

ग्रामीण आवास के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि का आवंटन

4689. **श्री मार्त्तण्ड सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को ग्रामीण आवास योजना के लिये वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिये सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों की आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है के अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु 1982-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय 346 लाख रुपये और 1983-84 के लिए 450 लाख रुपये है।

(ख) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के लिए बतलाई गई उपलब्धि 20,898 आवास स्थल तथा 19,149 परिवारों को निर्माण सहायता है।

मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी महाराष्ट्र की योजना

4690. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है तथा इसे केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान उत्पादन को कहां तक बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना पर पूरी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की जानी चाहिए, जैसा कि गुजरात के मामले में किया गया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को कब को कब प्राप्त किया था तथा इस सम्बन्ध में यदि उसने कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में अन्य बातों में साथ-साथ उन्नत किस्मों के प्रामीणीकृत अच्छी तरह से लेबिल लगाये गये बीजों का उपयोग करके, बीज उपचार करके, संरक्षित सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने, उर्वरकों का उपयोग करके, वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाकर, अन्तः फसल पद्धति के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करके, पौधों की संख्या बनाये रखकर, ग्रीष्मकालीन मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करके तथा जल उपयोग प्रौद्योगिकी को अपनाकर 1984-85 तक मूंगफली का उत्पादन 10.89 लाख मीटरी टन तक बढ़ने की व्यवस्था थी।

(ग) जी, हां।

(घ) यह योजना केन्द्रीय सरकार को नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तैयार कर रही है तथा महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त विशेष योजना में दिये गये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

अधिग्रहीत भूमि के बदले में किसानों को वैकल्पिक प्लाट

4691. ***श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :***

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को किसानों की ओर से अधिग्रहीत भूमि के बदले में वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन करने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) वर्ष 1982 में ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सितम्बर, 1982 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे आबेदकों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने का अनुरोध करते हुए पत्र भी भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है तथा ऐसे भूतपूर्व किसानों को अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले में वैकल्पिक प्लाट कब तक मिल जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र दिल्ली प्रशासन के प्रति तथा भवन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाते हैं / उन पर कार्यवाही की जाती है।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान ऐसे 832 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा वे जांच के लिए भूमि अर्जन समाहर्ता को भेजे गए।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दो मामलों में पत्र भेजे हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित दो मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्रीमती छन्नो: श्रीमती बर्फी देवी के कानूनी उत्तराधिकारियों, त्यजन विलेख और मृत्यु के प्रमाण पत्र मांगें गये थे।

(2) श्री मोलहर : जमाबन्दी की प्रतिलिपि मांगी गई थी।

यह बताना सम्भव नहीं है कि संबंधी व्यक्तियों को किस समय तक प्लाटों का आवंटन किया जाएगा क्योंकि आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सिफारिश करता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लाटों की उपलब्धता की शर्तं पर आवंटन करता है।

राष्ट्रीय जल पूर्ति कार्यक्रम और मद्रास में पीने के पानी की पूर्ति

4692. **श्री मनोहर लाल सेनी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि 1954 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय जल पूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था करने में अब तक की गई प्रगति संतोषजनक नहीं है और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति निराशाजनक है;

(ख) क्या मद्रास पानी के लिए तरस रहा है और लोग अपेय जल पी रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मद्रास को युद्ध स्तर पर पेयजल की पूर्ति करने हेतु कोई आपात योजनाएं तैयार की हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) राज्यों में वित्तीय वास्तविक तथा जन शक्ति कमी के कारण पिछली अवधि में प्रगति पूर्णरूप से सन्तोष जनक नहीं थी। तथापि वित्तीय परिव्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर तथा पता लगाये गये समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने को महत्व देते हुए छठी योजना के दौरान प्रगति को बढ़ाया गया है। अड़चनों का पता लगाने तथा उपचारी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर सम्मेलन भी आयोजित कराये जाते हैं।

(ख) तथा (ग) जबकि मद्रास शहर मानसूनों की कमी के कारण इस वर्ष अत्याधिक सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है फिर भी ऐसी कोई सूचनायें नहीं हैं जिनसे पता चलता हो कि लोग गंदा पानी पीने के लिये बाध्य हैं। इस संकट को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये आपतकालिक सहायता उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किए गये आपतकालिक सहायता उपाय

1. 21 फरवरी से हर तीसरे दिन जल की सप्लाई आरम्भ करना ताकि जून के अन्त तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आरम्भ होने तक उपलब्ध जल सप्लाई को बढ़ाया जाय।
2. टैंकर-लारियों के माध्यम से कमजोर वर्ग के 17 लाख लोगों के लिये पेय-जल पूर्ति की व्यवस्था।
3. शहर में भूगत जल के स्रोतों का उपयोग करने के लिये 12000 नलकूपों की संस्थापना।
4. भूमि कुओं तथा दक्षिणी एक्विफर्स से पानी लाना।
5. अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की पानी की सप्लाई में 50 प्रतिशत तक कमी करना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक योजना

4693. **श्री राम किंकर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक योजना के अधीन

1979 से 1983 तक आवेदन करने वाले वैज्ञानिकों का पाठ्यक्रम वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें कार्यभार सौंपा गया अथवा नहीं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वीकृत प्रत्येक अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक के लिये 1979 से 1982 तक वर्ष-वार अनुसंधान योजना के कार्य को पूरा करने के लिये कार्य कब आरम्भ किया गया और कितनी अवधि तथा कितनी राशि स्वीकृत की गई अनुसधान कार्य का पूरा नाम क्या है और किस आयु में प्रत्येक वैज्ञानिक को पारिश्रमिक देना बंद किया गया;

(ग) 1979 से 1983 से, वर्ष-वार अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक सम्बन्धीप्रस्तावों के लिये गठित की गई छानबीन (स्क्रीनिंग) समितियों का चैयरमैन और सदस्यों के नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना आरम्भ करने की तारीख से अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी मासिक राशि दी गई ; और 1-3-1983 तक तारीख वार इसमें कितनी वृद्धि की गई; और

(ङ) आवेदन करते समय वैज्ञानिक का पद और वेतनमान संबंधी ब्यौरा क्या था; और उन वैज्ञानिकों की वर्तमान स्थिति और वेतनमान क्या है जिन्होंने आवेदन किया किन्तु 10 मार्च, 1983 की अन्तिम छानबीन (स्क्रीनिंग) में उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया और उनको न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सहित योजना के संचालन हेतु बनाई गई सन् 1979 से 1983 तक की रचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) (क) योजना के लिये चयन किये गये अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों को 1979 तक निम्न प्रकार से अनुदान दिया गया :—

(1) अपनी पेंशन/प्रोवीडेन्ट फण्ड लेने के साथ-साथ 750-00 रु० माह की दर से पारिश्रमिक।

(2) वास्तविक खर्च के आधार पर जैसे कि औजार व उपस्करों पर खर्च, पुस्तकें और लेखन सामग्री, पार्ट-टाइम लिपिक वर्गीय सहायता, यदि कोई हो; और देश के अन्दर भ्रमण आदि के लिये 5,000.00 रु० वार्षिक प्रासंगिक अनुदान।

(3) एक कनिष्ठ या वरिष्ठ अनुसंधान वृत्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, 3,600.00 अथवा 4.800.00 रु० वार्षिक का अनुदान।

(घ) (ख) योजना को शासी निकाय की दिनांक 21.3 80 की बैठक के अनुमोदन द्वारा संशोधित और सरल किया गया। इसके अन्तर्गत अप्रैल, 1980 से पारिश्रमिक की दर 750.00 रु० से बढ़ाकर 1,000.00 रु० मासिक की गई और प्रासंगिक अनुदान 5,000.00 रु० के स्थान पर 7,000.00 रु० वार्षिक किया गया। अनुसंधान वृत्ति के लिये भी अनुदान की दर संशोधित की गई और इसे केवल वरिष्ठ अनुसंधान वृत्ति के लिए ही 400.00 रु० प्रति माह के स्थान पर, दिनांक 2.10.82 से 600.00 रु० प्रति माह कर दिया गया।

(ङ) स्थायी समिति की एक बैठक परिषद के अध्यक्ष हेतु, उपयुक्त आवेदनों की अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों के रूप में नियुक्ति करने के लिये, 45 प्राप्त आवेदन पत्रों पर सिफारिश करने के लिये 10 मार्च, 1983 को हुई। सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

1979 से 1983 तक अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों के लिए स्क्रीनिंग समितियों की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नामों सहित, को दर्शाने वाला विवरण

1979	1980	1981	1982	1983 (18.2.83 से)
1. डा० एच० आर० अराकेरी, अध्यक्ष	1. डा० एच० आर० अराकेरी, अध्यक्ष	1. डा० एच० आर० अराकेरी, अध्यक्ष	1. डा० एच० आर० अराकेरी अध्यक्ष	1. डा० जे० एस० पी० यादव अध्यक्ष
2. डा० ए० एन० बोस सदस्य	2. डा० ए० एन० बोस सदस्य	2. डा० बी० एस० पाठक सदस्य	2. डा० जे० एस० कंवर सदस्य	2. डा० बी० एस० पाठक सदस्य
3. डा० एम० आर० ढाण्ढा, सदस्य	3. डा० सी० बी० पाल सदस्य	3. डा० पी० भट्टाचार्य सदस्य	3. डा० बी० एस० पाठक, सदस्य	3. डा० एस० सी० राय, सदस्य
4. डा० एल० एस० नेगी सदस्य	4. डा० एम० आर० ढाण्ढा सदस्य	4. डा० एस० सी० राय सदस्य	4. डा० पी० भट्टाचार्य, सदस्य	4. डा० पी० भट्टाचार्य, सदस्य
5. डा० बी० बी० मेहता, सदस्य	5. डा० एल० एस० नेगी सदस्य	5. डा० ए० सी० पंड्या सदस्य	5. डा० ए० सी० पंडया, सदस्य	5. डा० ए० सी० पंड्या, सदस्य
6. डा० सी० वी० पाल सदस्य	6. डा० एन० एल० रंधावा सदस्य	6. डा० ज० एस० कंवर सदस्य	6. डा० एस० सी० राय सदस्य	6. डा० जे० एस० कंवर, सदस्य
7. डा० एन० एस० रंधावा, उपमहानिदेशक (एस०) सदस्य	7. डा० डी० एल० श्री वास्तव, उपमहानिदेशक (सी एस.) सदस्य	7. डा० एन० एस० रंधावा, सदस्य	7. डा० एम० वी० राव, सदस्य	7. डा० एम० वी० राव, सदस्य
8. डा० सी० कैम्पन्ना उपमहानिदेशक (सी० एस०) सदस्य	8. डा० सी० प्रसाद उपमहानिदेशक (शि०) सदस्य	8. डा० आर० एम० आचार्य, सदस्य	8. डा० एन० एस० रंधावा सदस्य	8. डा० आर० एम० आचार्य, सदस्य
9. डा० एस० के० मुखर्जी उपमहानिदेशक (शि०) सदस्य-सचिव	9. डा० वी० आर० भालेराव, उपमहानिदेशक (ए० एस०) सदस्य	9. डा० महाराज सिंह, सदस्य	9. डा० महाराज सिंह, सदस्य	9. डा० एन० एस० रंधावा, सदस्य
10. डा० वी० आर० भालेराव उपमहानिदेशक (ए० एस०) सदस्य		10. डा० एम० वी० राव, उपमहानिदेशक (सी० एस०) सदस्य	10. डा० आर० एम० आचार्य, सदस्य	10. डा० महाराज सिंह, सदस्य

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उनकी जमा धन राशि पर ब्याज

4694. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा
श्री भीकूराम जैन } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष जुलाई तक लगभग 450 सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार 135 रुपये प्रतिमीटर की दर से उन्हें आबटित होने वाली भूमि की लागत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा कराई थी;

(ख) क्या लगभग 200 समितियों को यह सूचित किया गया है कि उन्हें भूमि आबंटित की जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें भूमि आबंटित नहीं की गई है तथा अन्य समितियों के मामले विचाराधीन हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण समितियों को 60-70 करोड़ रुपये की धन राशि पर कोई ब्याज नहीं दे रहा है जब कि यह न केवल बैंकों से धनराशि पर ब्याज प्राप्त कर रहा है बल्कि इस आधार पर ओवर-ड्राफ्ट भी कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें कब तक भूमि आबंटित करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 429 सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने उनकी सदस्यतानुसार उनको आबंटित की जाने वाली भूमि के मूल्य के प्रति यमुनापार क्षेत्र बोडेला तथा रोहिणी के लिए 110/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा पीतमपुरा एवं न्यू रोहतक रोड क्षेत्र की भूमि के लिए 135/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान किया था।

(ख) 262 सहकारी सामूहिक आवास समितियों के प्रथम बैच तथा 147 सहकारी सामूहिक आवास समितियों के दूसरे बैच को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित कर दिया है कि किन इलाकों में उन्हें भूमि आबंटित की जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 64 समितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा दे दिया है।

(ग) जी, नहीं। क्योंकि आबंटन की शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जमा राशि लगभग 46 करोड़ है।

(घ) शेष पात्र समितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही दे दिये जाने की सम्भावना है।

चकबन्दी का कियान्वयन

4695. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से राज्य और संघ क्षेत्र चकबन्दी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं और उसके पूरा होने का संभावित समय क्या है तथा कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में चकबन्दी कार्य किया जा रहा है।

छठी योजना के दौरान 39.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की चकबन्दी किए जाने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश में छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्य के पूरा होने की आशा है। छठी योजना में राज्यों से चकबन्दी का कार्य शुरू करने की अपेक्षा की गई है ताकि इसे 10 वर्षों में पूरा किया जा सके। दिसम्बर, 1982 तक लगभग 487 लाख हैक्टेयर भूमि को चकबन्दी के अन्तर्गत लाए जाने की सूचना मिली है।

गुजरात और अन्य राज्यों को पेय जल योजनाओं के लिये केन्द्रीय आबंटन

4696. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने पेय जल की विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्र से और अधिक धनराशि/धन आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 और 1982 के दौरान उन राज्यों और योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) केन्द्र ने वर्ष 1977 से 1982 तक (वर्ष-वार) गुजरात और विभिन्न राज्यों को धनराशि आबटित की है;

(घ) राज्यों की कितनी योजनायें (एक) पूरी हो गया हैं (दो) निर्माणाधीन है (तीन) अभी तक शुरू नहीं हुई हैं ;

(ड़) क्या इन वर्षों में कुछ राज्यों के अनुदान व्यपगत हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो उन राज्यों, योजनाओं के नाम क्या हैं और कितनी धनराशि व्यपगत हुई हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका कार्यान्वियन किया जाता है। तथापि, पता लगाए समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिये जाते हैं। राज्यों को अनुदानों का नियतन एक फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया वर्षवार सहायता अनुदान का एक विवरण संलग्न है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा पृथक-पृथक जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वियन का प्रबोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या के संदर्भ में प्रगति का प्रबोधन करती है जिनमें पेय जल सुविधाएं मुहैया की गई हैं। उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या के बारे में सूचना जिनमें केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रमों दोनों के अन्तर्गत पेय जल पूर्ति सुविधाएं मुहैया की गई हैं, इस प्रकार हैं:—

वर्ष	उन समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें पेय जल सुविधाएं मुहैया की गई हैं	टिप्पणी
1980-81	25,978	इन आँकड़ों मे वे गाँव भी शामिल हैं जिन्हें आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया हैं।
1981-82	29,837	
1982-83	35,582	

(फरवरी, 1983 के अन्त तक)

(ड़) तथा (च) राज्यों को छठी योजना अवधि के लिये समग्र रूप रूप से निधियों का आबंटन किया गया है। अलग अलग वर्षों में निधियों के व्ययगत होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा परन्तु यह योजनावधि के अन्त में होगा।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामिण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई विधियां

(लाख रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	152.30	351.11	215.60	436.23	376.75	479.5
2. असम	57.60	146.57	323.15	427.11	402.45	583.98
3. बिहार	242.80	504.20	680.45	530.36	862.50	863.75
4. गुजरात	332.80	260.85	127 80	358.50	402.25	287.00
5. हरियाणा	142.10	200.79	260.19	357.09	337.34	277.00
6. हिमाचल प्रदेश	322.60	425.12	392.86	561.77	368.69	273.73
7. जम्मू तथा कश्मीर	152.80	200.00	182.05	314.75	426.55	1058.90
8. कर्नाटक	142.30	107.70	69.00	248.81	485.50	941.50
9. केरल	102.00	278.00	282.35	330.08	529.53	643.20
10. मध्य प्रदेश	252.80	290.00	357.15	690.00	1033.75	1397.50
11. महाराष्ट्र	312.80	403.97	378.30	664.00	558.00	722.50
12. मणिपुर	52.50	53.57	53.55	106.03	151.32	158.00
13. मेघालय	25.00	103.77	111.60	149.00	246.12	202.63
14. नागालैण्ड	77.50	97.00	139.57	150.00	182.79	155.18
15. उड़ीसा	182.80	218.00	209.00	307.00	603.08	772.50
16. पंजाब	102.10	174.90	68.40	128.95	90.17	183.00
17. राजस्थान	352.30	353.37	205.00	559.10	1506.42	2231.50
18. सिक्किम	36.50	43.13	26.00	19.50	71.74	63.94

1	2	3	4	5	6	7
19. तमिलनाडु	217.30	408.00	219.37	506 00	569.71	856.50
20. त्रिपुरा	80 50	113.50	97 15	112 44	85 59	91.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80	617.50	709 55	951.95	1024.13	1940.99
22. पश्चिम बंगाल	242.80	535 01	672.72	443.50	580.96	893.50
23. अंड. निको. द्वीप स.	20.00	18.50	15 50	6.00	20.10	6.64
24. अरुणाचल प्रदेश	20.00	32.00	46 20	35.00	35 00	30.00
25. चण्डीगढ़						
26. दिल्ली	10.00	14.00	13.10	13.50	13.50	2.00
27. दादर तथा नगर हवेली						
28. गोवा,दमन और द्वीव						
29. लक्षद्वीप	10.00	9.50	11.95	11.46	14.25	20.94
30. मिजोरम	15.00	18.50	19.05	26.25	2.47	4.50
31. पाण्डीचेरी	10.00	17.00	12.00	7 00	12.00	14.50
योग	3820 00	5998.46	5898.61	8424.38	10993.57	15145.48

टिप्पणी:—उपर्युक्त आंकड़ो मे निर्माण, प्रबोधन एवं अन्वेषण एकक के अन्तर्गत दी गई विधियां हैं ।

सूखे से निपटने की योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात द्वारा मांगी गई धन राशि

4627. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने, राज्य द्वारा 1977 से 1982 तक अनुभव की गई सूखे की परिस्थतियों से निपटने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो उसने कितनी धनराशि की मांग की और राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) कम धनराशि देने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश के अन्य भागों में सूखे की स्थितियों से निपटने के लिए 1977 से 1982 तक के दौरान दी गई धनराशि तथा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) जानकारी नीचे दी गई है:—

वर्ष	मांगी गई धनराशि	मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा
	(रुपए करोड़)	
1977-78	—	—
1978-79	—	—
1979-80	—	—
1980-81	42.98	6.12
1981-82	—	—
1982-83	201.96	30.59

(ग) व्यय की अधिकतम सीमाएं, स्वीकृत मानदंडों के अनुसार, केन्द्रीय दल द्वारा लिए गए जायजे तथा राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर मंजूर की जाती हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

1977 से 1928 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को मंजूर की गई अग्रिम योजना सहायता

(लाख रुपए)

राज्य	प्राकृतिक अपदाएं	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	सूखा	—	—	2205.50	4297.08	2625.00	6827.00
2. असम	सूखा	—	—	639.97	—	—	—
3. बिहार	सूखा	—	—	1182.00	2482.00	—	2500.63
4. गुजरात	सूखा	—	—	—	612.00	—	3059.56
5. हरियाणा	सूखा	—	—	450.00	402.00	825.00	1182.00
6. हिमाचल प्रदेश	सूखा	—	—	370.00	1001.10	265.00	1302.00
7. केरल	सूखा	—	—	—	—	—	410.00
8. जम्मू तथा कश्मीर	सूखा	—	—	279.00	—	—	—
9. मध्य प्रदेश	सूखा	—	—	2280.00	4790.00	—	4099.00
10. महाराष्ट्र	सूखा	—	500.00	854.00	1624 53	—	5638.00*
11. मणिपुर	सूखा	—	82.00	271.92	—	163.53	—
12. मेघालय	सूखा	—	—	76.70	—	—	—
13. नागालैंड	सूखा	—	—	67.00	—	—	—
14. उड़ीसा	सूखा	—	—	1405.00	1766 00	—	1398.40
15. राजस्थान	सूखा	—	—	1875.00	4030.25	8782.08	6690.09
16. तमिलनाडु	सूखा	—	—	—	—	4887.00	केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर कार्य-वाही की जा रही हैं।
17. त्रिपुरा	सूखा	—	—	133.00	—	94.60	91.20
18. उत्तर प्रदेश	सूखा	704.00†	—	3491.00	4752.00	—	—

(जारी ··)

(1) * 1983-84 के लिए 770.02 लाख रुपये शामिल हैं ।

(2) † बाढ़ तथा सूखा

1	2	3	4	5	6	7	8
19. पश्चिम बंगाल	सूखा	—	—	2767.00	—	150.00	7427.00 *300.00 ऋण
20. कर्नाटक	सूखा	962.00	—	962.00	665.00	1381.00	केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
संघ राज्य क्षेत्र							
21. पांडीचेरी	सूखा	—	—	—	—	43.74	31.40

(1) *1983-84 के लिए 770.02 लाख रुपये शामिल हैं।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोग

4698. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों की नगर-वार संख्या क्या है जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्लम क्षेत्रों में रहते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या नीचे दी गई है:—

दिल्ली	15,00,000
बम्बई	28,31,394 (1976 की जनगणना)
कलकत्ता	13,00,000
मद्रास	9,90,200 (1983 के प्रेक्षपित आंकड़े)

बिचपुरी, आगरा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरी अनुसंधान योजना

4699. **श्री मुलतान सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिचपुरी, आगरा में एक गैर-सरकारी कृषि महाविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की बकरी अनुसन्धान योजनायें आठवें दशक के मध्य से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना का ब्यौरा मुख्य जांचकर्त्ता स्वीकृति की तारीख, लागू करने की तारीख सम्बन्धी विवरण क्या हैं तथा दिनांक 1 मार्च, 1983 तक वर्ष-वार कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या कभी वैज्ञानिक पैनल/विशेष समितियों/कार्यशालाओं/रेफ्रीज/भारतीय कृषि अनुसन्धान योजना मुख्यालय के अधिकारियों ने इन योजनाओं की निगरानी की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को इन योजनाओं में धनराशि के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, यदि हां, तो आरोपों के बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पी० एल० 480 फण्ड्स द्वारा समर्थित इन योजनाओं के अन्तर्गत बिचपुरी में भारी संख्या में बकरियां मौत का शिकार हुई तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के ध्यान में इस प्रवृत्ति की गम्भीरता को लाने के बावजूद "रिप्लेसमेंट" स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई तथा सी० आई० आर० जी० द्वारा पशु सप्लाई किये गये; यदि हां, तो इस समय उपलब्ध पशुओं का आयु-वार, लिंग-वार ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1975 से अब तक मर गये पशुओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दो योजनाओं का विवरण, प्रिंसिपल अन्वेषक, स्वीकृति तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि, स्वीकृत राशि और 1 मार्च,1983 तक उपयोग में लाई गई राशि वर्ष वार सारणी-1 संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

सारणी-1 में दी गई योजनाएं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिक पैनल द्वारा मानीटर की गई हैं । पैनल की मुख्य समुक्तियां अन्तिम रिपोर्ट पर इस प्रकार हैं :—

"पैनल ने अवलोकन किया कि समय की सीमा और गहन प्रबन्ध (परिरोध और खूंटे पर चराई) की समस्याओं के होते हुए भी चार मुख्य देशी नस्लों की कार्यनिष्पादन क्षमता पर इन प्रबन्ध परिस्थितियों में कुछ मूल्यवान सूचनाएं उपलब्ध हुई" ।

इन नस्लों के उत्पादन और संकर नस्लों की बकरियों की पोषण जन्य आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया गया जिसकी इसी प्रकार के अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा जो कि वर्ष वार प्रगति का अवलोकन कर रहे थे, भारी प्रशंसा की गई ।

(घ) यह आरोप लगाया गया कि आर० बी० एस० कालेज आगरा को पी० एल-480 के अन्तर्गत बकरी प्रायोजना के लिये प्राप्त राशि का प्रिंसिपल अन्वेषक और सह-प्रिंसिपल अन्वेषक और अनुसन्धान अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया गया है । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की एक आडिट पार्टी ने कालेज का दौरा किया और खातों की जांच की परन्तु राशि के दुरुपयोग का कोई मामला नजर नहीं आया ।

(ङ) ऐसी योजनाओं में मृत्युदर आमतौर पर ऊंची होती है क्योंकि परिरोध और खूंटे पर चराई होने वाली प्रबन्ध प्रणाली में जोनोटाइप के अपनाने में कमी के कारण ऐसा होता है । परन्तु अगस्त, 1978 में अचानक इसमें वृद्धि हो गई और परिणामस्वरूप विशिष्ट बीमारी की समस्याओं के कारण भारी हानि हुई । इनका मथुरा के पशुचिकित्सा कालेज के पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषण किया गया और सुधार के उपाय किये गये । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने पुनः योजना को जारी करने की स्वीकृति दी जो कि पूर्व में इस कालेज में चल रही थी । दुबारा प्रारंभ होने और पहली के बंद होने के समय के बीच बकरियों को केन्द्रीय बकरी अनुसन्धान संस्थान में रखा गया जो बाद में वापस योजना को भेज दी गईं ।

विवरण

दो योजनाओं का ब्यौरा

योजना का नाम	प्रिंसिपल अन्वेषक	मंजूरी की तिथि	शुरू की करने की तिथि	मंजूर राशि	1-3-83 तक प्रयाग में लाई गई राशि
1. योजना संख्या एफ० एन० आई० एन-510 (अभी समाप्त की गई) मांस और दूध की अलग से तथा सम्मिश्रण के लिए बकरी नस्लों के महत्वपूर्ण लक्षणों की वांछनीय सम्मिलित योग्यता पर अध्ययन।	डा० एस. एन. सिंह तथा डा० ओ. पी. एस. सेनगर, सह-प्रिंसिपल अन्वेषक	3 दिस० 1973	1-7-1974	पांच वर्ष के लिए 14,67,871 रु०	सूचना आर. बी. एस. कालेज बिचपुरी, आगरा से एकत्रित की जाएगी।
2. प्रतिस्थापन योजना संख्या एफ० एन० आई० एन-583 मांस की अलग से तथा सम्मिश्रण के लिए सम्मिलित योग्यता पर बकरियों की तीन महत्वपूर्ण नस्लों के वांछनीय लक्षणों पर अध्ययन।	डा० ओ. पी. एस. सेनगर	9 मई, 1979	24-12-80	पांच वर्ष के लिए 22,30,000/-रु०	सूचना आर. बी. एस. कालेज बिचपुरी, आगरा से एकत्रित की जाएगी।

भूमि सुधार मामलों के लिए विशेष अदालतें

4700. **श्री हरीश रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक की अवधि के दौरान भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमिहीनों को भूमि के आवंटन के क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और कितने भू क्षेत्र के लिये प्रति वर्ष पट्टा अधिकार दिये गये तथा कितने भूमिहीन लोगों को जमीन का वास्तविक कब्जा दिया गया;

(ख) विभिन्न राज्यों में भूमिहीन लोगों की पंजीकृत संख्या क्या है तथा उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को अभी तक कोई भूमि नहीं दी गई है;

(ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भूमि सीमा अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी कुल कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह देगी कि वे भूमि सुधार सम्बन्धी मामलों के निपटान हेतु विशेष अदालतों का गठन करें तथा भूमिहीन लोगों को जमीन का कब्जा दिलाने के लिये विशेष दस्ते नियुक्त करें ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत मार्च, 1985 के अन्त तक भूमि का वितरण पूरा कर लें। 1980 से अब तक वितरित क्षेत्र तथा लाभ-भोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) 1981 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की संख्या तथा संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) व (घ) अनुबन्ध-2 पर दिए गए विवरण के कालम 4 में उच्च न्यायालयों तथा भूमि सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत गठित अन्य न्यायालयों में लम्बित मामलों में शामिल क्षेत्र को दर्शाया गया है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु तंत्र को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त सलाह दी गई है। कुछेक राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाए हैं कि फालतू भूमि के आवंटियों को अपनी भूमि न खोनी पड़े। अन्य राज्यों को भी ऐसे उपायों की सिफारिश की गई है।

विवरण-1

राज्य/	वितारत क्षेत्र (1980-81)		वितारत क्षेत्र (1981-82)		वितारत क्षेत्र (1982-83)		योग	
केंद्रशासित क्षेत्र	क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	
94,467	81,486	74,059	2,05,905	1,29,050	1,04,144	2,97,576	3,91,535	

विवरण-2

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण कृषि श्रमिक (हजार में)	वितरित क्षेत्र	अदालती मालों के अन्तर्गत क्षेत्र
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	7872.8	3,17,583	4,20,000
असम	466.2	3,22,015	76,000
बिहार	7135.7	1,49,360	90,000
गुजरात	2372.4	12,045	46,000
हरियाणा	558.3	20,173	6,973
हिमाचल प्रदेश	40.8	3,344	—
जम्मू तथा काश्मीर	57.9	—	—
कर्नाटक	3361.5	1,04,920	37,000
केरल	1802.6	54,422	40,855
मध्य प्रदेश	4658.8	87,884	1,13,000
महाराष्ट्र	6151.4	2,81,586	58,000
मणिपुर	37.6	37	—
मेघालय	56.2	—	—
नागालैंड	5.7	—	—
उड़ीसा	2308.9	1,46,992	4,959
पंजाब	1027.1	353	78,484
राजस्थान	710.3	1,32,185	33,000
सिक्किम	5.1	—	—
तमिलनाडु	5555.4	63,654	7,036
त्रिपुरा	143.0	1,113	68
उत्तर प्रदेश	4927.2	2,36,675	22,230
पश्चिम बंगाल	3735.9	62,460	1,00,000
अंडमान तथा निकोवार दीपसमूह	2.2	—	—
अरुणाचल प्रदेश	7.4	—	—
चंडीगढ़	0.4	—	—
दादरा तथा नगर हवेली	4.5	2.616	3,000
दिल्ली	11.0	374	—
गोवा, दमन तथा दीव	29.9	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	3.2	—	|
पांडिचेरी	46.1	927	—
योग	52571.3	19 74,718	11,86,735

ब्लाक-मुख्यालयों तक उर्वरकों को पहुंचाने संबंधी लक्ष्य

4701. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लाक मुख्यालयों तक उर्वरकों को पहुंचाने संबंधी कोई योजना अमल में लाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में 30 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) वांछित परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, योजना के तहत 1981-82 तथा 1982-83 के वित्तीय वर्षों के लिए समीकृत भाड़ा क्रमश: 1334.41 लाख रुपए और 2492.31 लाख रुपए के करीब निर्धारित किया गया था।

(ग) ब्लाक मुख्यालयों तक उर्वरकों को पहुंचाने की योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरुप उर्वरकों का वितरण अधिक संतुलित हो गया है। अब उर्वरक दूर दराज के क्षेत्रों तथा किसानों के घरों के पास उपलब्ध हैं। इस योजना के लागू होने के बाद उर्वरक विक्रय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना संभव हो गया है।

राजस्थान में रोलर-फ्लोर मिल्स के लिए लाइसेंस जारी करना

4703. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में "रोलर-फ्लोर मिल्स" की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी अनेक आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, आवेदकों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं, तैयार शुदा क्षमता और मौजूदा यूनिटों द्वारा उपयोग के स्तर को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने मई, 1980 में यह निर्णय किया था कि देश में रोलर फ्लोर मिलों की स्थापना के लिए कोई नयी अनुमति न दी जाए। इस सम्बन्ध में मई, 1980 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है। सरकार की सामान्य नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

केरल में सूखा

4704. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे के कारण केरल को हानि का कोई अनुमान है;

(ख) क्या सूखे के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां कोई अध्ययन दल भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस दल के क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार सूखे से 1.04 लाख हैक्टेयर सूखाग्रस्त क्षेत्र और 16 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है।

(ख) से (घ) केरल को कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया था। तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्तर-मन्त्रालयों दल ने विचार किया था जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। इसकी रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखा सम्बन्धी राहत उपायों के लिए राज्य सरकार को 1982-83 में 410 लाख रुपये और 1983-84 के दौरान 531.95 लाख रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई है।

अकबरपुर गन्ना सहकार समिति पर बकाया राशि

4705. **श्री राम अवध** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टांडा खरीद केन्द्र के अनेक किसानों की लगभग 54 हजार रुपये की राशि उत्तर प्रदेश की अकबरपुर गन्ना सहकारी समिति और रत्न शुगर मिल्स पर 1978-79 की बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि आदि के बारे में सूचना केवल चीनी मिलों से प्राप्त होती है और न कि गन्ना सहकारी समितियों से प्राप्त होती है। रत्ना शुगर मिल शाहगंज द्वारा 28.2.83 को समाप्त अवधि की प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार, 1978-79 मौसम के लिए गन्ने के मूल्य की कोई बकाया राशि नहीं है।

रत्नागिरी में स्थलीय संग्रहालय

4706. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रत्नागिरी में "स्थलीय संग्रहालय के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) आरम्भ में कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस प्रयोजन के लिये कितनी और केन्द्रीय सहायत देने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वास्तुकीय तथा निर्माण आलेखन तैयार करने और ठेका देने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सका, जिसमें समय लगा।

(ख) इस कार्य के लिये ठेका 21.8.82 को दिया गया था। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अप्रैल, 1984 है।

(ग) तथा (घ) परियोजना का सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरित-क्षेत्र का अधिग्रहण तथा उसका विशिष्ट व्यक्तियों को आबंटन

4707. **श्री चित्त महाटा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी के विकास के लिए हरित-क्षेत्र का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने प्रारम्भ से अब तक कितने क्षेत्र का अधिग्रहण किया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहीत भूमि के कुछ भाग को विशिष्ट व्यक्तियों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा राजनीतिकों को आबटित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूमि आबंटित करने का आधार क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन विशिष्ट व्यक्तियों को कुछ भूमि आबटित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तथा इन व्यक्तियों को भूमि आबंटित करने का ढंग क्या होगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वृहत योजना के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की जाती है। तदन्तर इस प्रकार से अर्जित भूमि को दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22 (1) के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी जाती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन ने 28.2.83 तक 45,310 एकड़ भूमि उन्हें सौंप दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) 87 संसद सदस्यों को प्लाट आबटित किये गये थे। दो आबंटनों को बाद में रद्द कर दिया गया था और चार आबटियों ने उन्हें आबंटित प्लाटों को वापिस कर दिया था। दिल्ली महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के 50 सदस्यों को निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत प्लाटों का आबंटन किया गया था। बाद में चार आबंटनों को रद्द कर दिया गया था।

(ङ) आबंटन आरक्षित कोटे के अन्तर्गत किये गये थे जो कि इन श्रेणियों के लिए 2.1.1979 तक विद्यमान था।

(च) जी, नहीं। तथापि, जिन संसद सदस्यों के मामले 2.1.1979 तक लम्बित पड़े थे, उन पर विचार किया जा रहा है।

(छ) जब कभी भी व्यवहार्य होगा, ये आबंटन लाटरी निकाल कर किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर भवन अधिनियम, 1972 का संशोधन

4708. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति इलाहाबाद द्वारा 28 जुलाई, 1979 को उत्तर प्रदेश नगर भवन (किरायेदारी किराया और बेदखली) अधिनियम, 1972 के संशोधन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव के बारे में की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने $2\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद 25 मार्च, 1982 को यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) तीन वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद सरकार के इस भेदभाव को दूर करने में असमर्थ होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मत्रालय में उप मंत्री (श्री उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, इलाहाबाद का एक अभ्यावेदन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसे कि यह मूल रूप से लिखा गया था, के माध्यम से प्राप्त होने पर समन्वय समिति से समस्या के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। समन्वय समिति से लगभग 2 वर्ष तथा 4 महीनों के पश्चात उत्तर प्राप्त हुआ। मामला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था और राज्य सरकार मामले पर आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

छठी पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

4709. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ग्रामीण विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कुल परिव्यय क्या है तथा जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या पहले की योजनाओं की तुलना में उसकी स्थिति आधी है तथा क्या यह परिव्यय पर्याप्त है; और

(ख) छठी योजना के तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय है। यह परिव्यय लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के लिए पांचवी योजना में सुलभ किए गए 200 करोड़ रुपये के परिव्यय से काफी अधिक है जो कुछ हद तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समरूप है। तथापि, लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वर्तमान परिव्यय पर्याप्त नहीं है।

(ख) छठी योजना के तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम की महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो 2600 खंडों में चल रहा था, का विस्तार 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी 5011 विकास खंडों में कर दिया गया था।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1980-81 में 24 प्रतिशत से बढ़कर 1982-83 में फरवरी, 1983 तक 40 5 प्रतिशत तक पहुंच गई है ।

(3) सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए केवल एक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्थापित की गई है ।

(4) खंड स्तरीय प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य मुख्यालयों में एक प्रबोधन कक्ष स्थापित करने की योजनाएं लागू कर दी गई हैं ।

(5) खंड योजनाएं तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं ।

(6) निगरानी (मानिटरिंग) के प्रबन्धों को कारगर बनाया गया है ।

(7) खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ।

(8) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ।

(9) 1980-81 में 27.83 लाख परिवारों, 1981-82 में 28.29 लाख परिवारों तथा 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) में 21.94 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है ।

(10) 1980-81 में 156.24 करोड़ रुपये, 1981-82 में 262.59 करोड़ रुपये तथा 1982-83 (जनवरी, 1983 तक) में 190.08 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था ।

(11) 1980-81 में 236.63 करोड़ रुपये, 1981-82 में 484.65 करोड़ रुपये और 1982-83 (जनवरी, 1983 तक) में 380.72 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया था ।

(12) 1980-81 में प्रति व्यक्ति उपदान 561 रुपये था, 1981-82 में 928 रुपये तथा 1982-83 (जनवरी, 1983 तक) में प्रति व्यक्ति उपदान 1036 रुपये था ।

केरल को चावल की पूर्ति

4710. **श्री स्कारिया थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति माह केरल राज्य को चावल की कुल कितनी मात्रा देने की सहमति हुई;

(ख) गत छः महीनों के दौरान, महीने-वार चावल की कुल कितनी मात्रा की पूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चावल का अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध किया है क्योंकि जितनी मात्रा के लिए सहमति हुई थी, उसकी पूर्ति नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें केरल राज्य के बारे में सितम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 के दौरान मासवार चावल के आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) जी हां। राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल से अपने चावल के मासिक आबंटन को 95,000 मीटरी टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1,35,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया है।

(घ) केरल समेत विभिन्न राज्यों को चावल का मासिक आबंटन केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार कर किया जाता है। यद्यपि केरल के लिए चावल का मासिक आबंटन बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार को पंजाब और हरियाणा के अधिशेष राज्यों से 15000 मीटरी टन लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति दी गई है।

विवरण

केरल को सितम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल का आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

मास	आबंटन	उठान
सितम्बर 1982	110.0	86.7
अक्तूबर 1982	110.0	82.9
नवम्बर 1982	90.0	90.9
दिसम्बर 1982	95.0	101.2
जनवरी 1983	95.0	102.0
फरवरी 1983	95.0	96.1

ग्रामीण रोजगार अवसरों का बढ़ाया जाना

4711. **श्री भीम सिंह**
श्री बापू साहिब परुलेकर
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान ग्रामीण रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आबंटित धनराशि और खाद्यान्न का पूरा उपयोग नहीं हो सका है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा प्रयोग में लाई गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) छठी पंच-वर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 300 से 400 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम में कुछ संसाधन पाइप लाइन में रहते हैं। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में उपयोग में लाई गई नकद निधियों तथा खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उपयोग में लाई गई नकद निधियां*	उपयोग में लाए गए खाद्यान्न
1981-82	319.48 करोड़	2.29 लाख मीटरी टन
1982-83	241.28 **करोड़	1.03 **लाख मीटरी टन

*खाद्यान्नों के मूल्य सहित।

**1.3.83 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

युवा संसद कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

4712. श्री डूंगर सिंह : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा संसद कार्यक्रम को पूरे देश में चलाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए संस्थापन, वाहन आदि से संबद्ध आवश्यकताओं पर तथा आगे दूरों पर और अनुषंगी मद पर खर्च करने के लिये आवश्यक धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत चल रही शिक्षा संस्थाओं को भी युवा संसद कार्यक्रम के सीमा क्षेत्र में लाने के संबंध में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनमें यह कार्यक्रम कब तक शुरू हो जायेगा ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संसदीय कार्य विभाग ने युवा संसद योजना को, प्रायोगिक रूप में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ किया था। राज्यों में इस योजना को प्रारम्भ करने के हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस योजना को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा राज्यों और चण्डीगढ़ अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से भी दिल्ली के नमूने पर इस योजना को तैयार करने और लागू करने के लिये निवेदन किया गया है।

(ख) राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिये, इस विभाग ने, राज्य द्वारा की गई प्रत्येक वार्षिक प्रतियोगिता के लिये रु० 1000/- की अधिकतम सीमा के भीतर, वित्तीय सहायता की एक योजना बनाई। वर्ष 1982 में वित्तीय सहायता की इस सीमा को बढ़ाकर रु० 3000/- कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस समय रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डी०डी०ए०के पांचवीं स्ववित्त योजना की स्थिति

4713. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वर्ष 1982 के दौरान बहुत सारे लोगों ने पांचवी स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत डी० डी० ए० फ्लैटों के लिए आवेदन किया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत डी० डी० ए० फ्लैटों के लिये आवेदन करने वाले कितने लोग हैं;

(ग) क्या उक्त फ्लैट आबटन के लिये तयार हो गये हैं; और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने समय के अन्दर फ्लैट आबंटन के लिये तैयार हो जाएगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पांचवीं स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना 1982 में चलाई गई थी, और 14 मई, 1982 से 14 अगस्त, 1982 तक आवेदन प्राप्त किये गये थे।

(ख), से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों का आयात

4714. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अभी खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो देश में किस हद तक खाद्यान्नों की कमी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना खाद्यान्न आयात किया गया और किन देशों से यह खाद्यान्न आयात किया गया था और प्रत्येक देश से कितना खाद्यान्न आयात किया गया; और

(घ) चालू वर्ष में खाद्यान्नों की कमी पूरी करने के लिये कितने खाद्यान्न का आयात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भगवान झा आजाद) : (क) (ख) भारत, कुल मिलाकर, फसल के असफल रहने के वर्षों को छोड़कर खाद्यान्नों सबंधी अपनी जरूरतें आप ही पूरी कर रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई गेहूं की मात्रा और जिन देशों से आयात की गई उनके नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) फिलहाल सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान गेहू का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई गेहूं की मात्रा और जिस देश से आयात की गई उनके नाम बताने वाला विवरण।

वर्ष	देश	(लाख मीटरी टन में) आयात के लिए ठेकाबद्ध मात्रा
1980-81	—	—
1981-82	संयुक्त राज्य अमेरिका	15.15
	आस्ट्रेलिया	7.50
1982-83	संयुक्त राज्य अमेरिका	39.50

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यक्रम

4715. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कितने कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) इनकी अनुमानित लागत और पूरा होने का निर्धारित समय क्या है;

(ग) पूर्वी चम्पारन ज़िले और मोतीहारी के उन मार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि इन गांवों में विकास कार्य बहुत मन्द गति से हो रहा है; और

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) सभी कार्यक्रम निरन्तर स्वरूप के हैं। केन्द्रीय क्षेत्रों में छठी योजना परिव्यय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 750 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 980 करोड़ रुपये, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रुपये और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) इस तरह की सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है।

सोयाबीन का उत्पादन

4716. **श्री शांतु भाई पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ और भावी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्वार और बाजरा जैसे गरीब आदमी के खाद्य पदार्थों की खेती बंद करने का कार्य खतरे से भरा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में सोयाबीन का उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन ("000" मीटरी टन)
1980-81	442.2 (अस्थाई)
1981-82	464.0 (अस्थाई)

अन्त तक सोयाबीन के तहत

यह प्रस्ताव किया गया है कि छठी पंच वर्षीय योजना के/क्षेत्र 18.50 लाख हैक्टयर तक बढ़ाया जाए।

(ग) जी हां।

(घ) यह आशंका सही नहीं है।

बड़ानाला सिंचाई परियोजना

4717. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले की बड़ानाला मध्यम सिंचाई परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कारण स्थानान्तरित किये जाने वाले गांवों के नाम क्या हैं, कितनी खेती योग्य भूमि और क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा तथा कितनी आबादी प्रभावित होगी;

(घ) परियोजना के अप्रवाही जल (बैकवाटर) से केन्दुगुडा गांव को बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ङ) बड़ानाला सिंचाई डिवीजन के निर्माण हेतु कौन सा स्थान चुना गया है और क्या भवनों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है;

(च) परियोजना का प्राथमिक कार्य समय पर पूरा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(छ) अब तक हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उड़ीसा की बड़ानाला मध्यम सिंचाई परियोजना, योजना आयोग द्वारा 11.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, जनवरी, 1981 में स्वीकृत की गई थी जिससे 13745 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करना परिकल्पित था। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को प्रशासनिक अनुमोदन देने और उसे अधिसूचित करने का मामला उड़ीसा सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ग) कुल 930 हैक्टेयर क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है जिससे 974 व्यक्ति प्रभावित होंगे। छः गांवों, केन्डुगुडा, सुरनलाकुप्पा, सौरसकोंडा, कोन्डा सकोन्डा, खमरियागुड़ा तथा शारदापुर प्रभावित होंगे।

(घ) से (छ) सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है क्योंकि सभी निर्णय और कार्य उनके द्वारा स्वयं किए जाते हैं। योजना संबंधी हुए विचार विमर्श के दौरान, उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि मुख्य बांध पर निर्माण-कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया है और मार्च, 1983 तक प्रारम्भिक निर्माण कार्यों पर लगभग 1.84 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

सोयाबीन की खेती बढ़ाने के कारण

4718. **श्री दीनबंधु वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोषण विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सोयाबीन पशुओं के लिए प्रोटीन का माना हुआ साधन है और मानव के लिए केवल आंशिक रूप में प्रोटीन का साधन है; और

(ख) यदि हां, तो दालों, ज्वार और बाजरा आदि के स्थान पर सोयाबीन की इतनी अधिक खेती को बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार मैसूर में संयुक्त राष्ट्र, यूनिवर्सिटी केन्द्र के एक परामर्शदाता ने ये विचार व्यक्त किए हैं।

(ख) सोयाबीन मानव तथा पशुओं दोनों ही के लिए प्रोटीन का एक साधन है। भारत में सोयाबीन की खेती का खाद्य तेलों तथा प्रोटीन दोनों ही की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संवर्धन किया जा रहा है।

गुजरात में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाया जाना

4719. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने गुजरात में वर्ष 1979-80 में हुए मूंगफली के 18 लाख टन उत्पादन को बढ़ाकर 1984 तक 27 लाख टन करने हेतु एक विशेष परियोजना मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य में इस परियोजना को लागू करने हेतु कोई सहायता दी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) विशेष परियोजना की अनुमानित लागत 35 करोड रुपये है, जो इसके क्रियान्वयन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी है। इस योजना में बीज, बीज ड्रिलों, वनस्पति रक्षण उपायों, सिंचाई, छिड़काव करने वाले सैटों तथा प्रदर्शनों जैसी मदों पर राज सहायता देने की व्यवस्था है।

कोटा बराज से चम्बल के पानी में मध्य प्रदेश का हिस्सा

4720. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोटा बराज से चम्बल के पानी से उसके वैध अंश में से केवल 50 से 60 प्रतिशत तक पानी दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) कोटा बराज से निकलने वाली दक्षिण तट नहर, एक साझी नहर है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों को सिंचाई संबंधी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह नहर 128 कि० मीटर की दूरी तक राजस्थान में बहती है और पार्वती कृत्रिम जल-प्रणाल पर मध्य प्रदेश में प्रविष्ट होती है। मध्य प्रदेश सरकार यह शिकायत करती रही है कि उन्हें सीमा के पार, पार्वती कृत्रिम जल-प्रणाल पर नहर में चम्बल के जल की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके लिए राजस्थान सरकार यह सूचित करती रही है कि उन्हें गांधीसागर जलाशय से अपेक्षित जल प्राप्त नहीं हो रहा है।

मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यिक नियंत्रण बोड की, जो चम्बल काम्प्लेक्स के प्रचालन और बेसिन में जल संसाधनों के विकास तथा उपयोग से सम्बद्ध मामलों का प्रबंध कर रहा है, एक स्थायी समिति है जिसे दोनों राज्यों की सिंचाई और बिजली की आवश्यकताओं के लिए जल छोड़े जाने का कार्यक्रम निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है और यह समिति समय-समय पर अपनी बैठकें करती है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, दोनों सरकारों का यह विचार है कि यह द्विपक्षीय समस्या पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा हल की जा सकती है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास का आबंटन

4721. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सरकारी आवास आबंटन हेतु उनकी नियुक्ति तिथि से वरीयता दी जाती है; और यदि हां, तो अब तक किस वरीयता तिथि तक के कर्मचारियों को आवास दिया जा चुका है;

(ख) वर्ष 1983 के दौरान कितने कर्मचारियों को आवास मिलने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार कुछ आरक्षण के आधार पर कर्मचारियों को आवास आबंटित करती है और यदि हां, तो इन आरक्षणों के लिए कर्मचारियों की श्रेणियां क्या हैं और आरक्षण का प्रतिशत कितना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) टाईप ए से डी तक के वास के लिए नियुक्ति तिथि अग्रता तिथि के रूप में ली जाती हैं। टाईप ई तथा इससे ऊपर के वास के लिए अग्रता तिथि उस तिथि से गिनी जाती है जिस पर कि कोई अधिकारी विशिष्ट तारीख जो कि इस निमित नियत की जाती है, को ली गई अपनी परिलब्धियों के आधार पर उस टाइप के वास के लिए पात्र हो जाता है। चालू आबंटन वर्ष जो कि 1.4.1982 से आरम्भ हो गया है, के लिए निर्धारित तारीख 1.10.1981 है।

दिल्ली में सामान्य पूल में वास के विभिन्न टाइपों में कवर की गई अग्रता तिथियां निम्नलिखित हैं :—

टाइप	ए	12.3.1963
टाइप	बी	5.12.1956
टाइप	सी	1.10.1958
टाइप	डी	14.4.1956
टाइप	ई	1.1.1973
टाइप	ई I	2.1.1973
टाइप	ई-II	फिलहाल टाइप VIII के मकान पदासीन मंत्रियों/मंत्री स्तर के व्यक्तियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सचिवों को आबंटित किए जा रहे हैं तथा ई-II टाइप के मकान अधिकांशतः सचिवों तथा सचिव स्तर के अन्य अधिकारियों जो कि 3500/- रुपये प्रतिमास की परिलब्धियां ले रहे हैं, तथा संसद सदस्यों को आबंटित किए जा रहे हैं। यह सब रिक्तियों पर निर्भर है।
टाइप	ई-III	

(ख) यह सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि स्थानान्तरण, मृत्यु, आदि-आदि घटकों पर निर्भर रिक्तियों की उपलब्धता का पूर्वज्ञान नहीं हो सकता है।

(ग) टाइप ए तथा बी में 10 प्रतिशत रिक्तियां तथा टाइप सी तथा डी में 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए आरक्षित की जाती है। 5 प्रतिशत रिक्तियां क्षय रोग (दूसरों के लिए खतरे के सक्रिय चरण में) केन्सर तथा विकलांग कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर आबंटन हेतु आरक्षित की जाती है।

कर्नाटक के बीदर जिले में पेय जल हेतु समस्याग्रस्त गांवों की संख्या

4722. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीदर जिले (कर्नाटक) में कितने गांवों को पेय जल हेतु समस्याग्रस्त घोषित किया गया है;

(ख) इनमें से कितने गांवों को पेय जल पूर्ति योजना में शामिल किया गया है और कितनों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल कब तक प्रदान कर देगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) कर्नाटक के बीदर जिले में 499 ग्रामों का समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाया था जिन्हें छठी योजना के आरम्भ अर्थात 1.4.1980 को पेय जल की सुविधायें दी जानी थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 1980-81 तथा 1981-82 में 158 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधायें दी गई थीं। इस प्रकार 1.4.1982 को 324 समस्याग्रस्त ग्राम शेष थे जहां पेय जल की सुविधाएं दी जानी थीं।

(ग) छठी योजनावधि के अन्त तक पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर पेय जल मुहैया करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

यमुना पार स्थित लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बेढ़गे निर्माण के बारे में शिकायतें

4723. **श्री राम प्यारे पनिका**
श्री कमल नाथ } : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना पार स्थित लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बेढ़ंगे निर्माण होने की शिकायत सरकार को भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के होने वाले निर्माण कार्य को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लक्ष्मी नगर क्षेत्र के जे तथा के ब्लाकों में स्कूल के लिए उद्दिष्ट भूमि पर मकानों के अनधिकृत निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस भूमि पर अनधिकृत निर्माण हुए हैं वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निषेधादेश के अन्तर्गत है। यद्यपि लक्ष्मी नगर के क्षेत्र को नियमित कर दिया गया है परन्तु भवन निर्माण गतिविधियों को उजागर नहीं किया गया है। अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत 1663 मामलों में नोटिस

जारी किए हैं तथा 1.4.1980 से 28.2.83 तक की अवधि के दौरान गिराने के आदेश पारित किए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि कई मामलों में उन व्यक्तियों/निर्माण-कर्त्ताओं जिन्होंने अनधिकृत निर्माण कर लिए हैं, के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में मुकद्दमे भी दायर कर दिए गए हैं।

भूमि सुधारों का धीमा क्रियान्वयन

4724. **श्री गदाधर साहा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1951 में बनाये गए भूमि सुधारों का आशय ग्रामीण संसाधनों का पूर्ण वितरण है और इनके क्रियान्वयन की गति मन्द रही है और इसमें बहुत अधिक कमियां हैं तथा इनका प्रभाव बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच और सिफारिश करने हेतु कृषि के बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमि को अधिग्रहण से बचाने को ध्यान में रखते हुए भूमि के अनिश्चित और जाली और फर्जी हस्तांतरण के बारे में कार्यवाही हेतु किये गए सुझावों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस सिफारिश को माना था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू किए गए भूमि सुधार उपायों का मुख्य उद्देश्य ऐसी संस्थागत तथा अभिप्रेरणात्मक कठिनाइयों का निराकरण करना रहा है जो कृषि के आधुनिकीकरण और अधिक समानतावादी सामाजिक ढांचे के रास्ते में आई थी। इसके अनुसरण में सम्पूर्ण देश में विधायी उपाय किए गए हैं और कार्यान्वित किए गए हैं। इन उपायों में मुख्य रूप से बिचौलिया पद्धति को समाप्त करना, काश्तकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, निर्धारित समय में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाना, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगाना तथा चकबन्दी शामिल है। इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की देश के विभिन्न क्षत्रों के लिए अलग-अलग प्रासंगिकता है। इसलिए इनका प्रभाव भी अलग-अलग रहा है। इन सभी उपायों के सम्पूर्ण प्रभाव से जोतों की चकबन्दी काय में प्रत्यक्ष कमी हुई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें व्यापक रूप से भूमि सुधारों की उस राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है जिसे आगामी पंचवर्षीय योजना प्रलेखों में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने विशिष्टरूप से यह सिफारिश की थी कि अप्रकट काश्तकारी का पता लगाया जाना चाहिए और जहां अप्रकट काश्तकारियों के मामलों में भूमि स्वामी-काश्तकार के सम्बन्ध का स्पष्ट-रूप से सबूत मिल जाए वहां काश्तकार को अधिभोगी काश्तकार के रूप में रिकार्ड किया जाना चाहिए। यह काश्तकारी सम्बंधी नीति के भी अनुरूप है। इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों ने संविधान बनाए हैं। भूमि की अधिकतम सीमा के प्रभाव से बचने की नीयत से भूमि पर बेनामी हस्तांतरणों का पता लगाने हेतु भी विभिन्न राज्यों ने विधान बनाया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित धन राशि

4725. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1.5 करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई धन राशि बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1982-83 में कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता के लिए आबंटित धनराशि का बहुत बड़ा भाग अभी तक अप्रयुक्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्यक्रम के कार्यकरण की जांच हेतु कोई अध्ययन सर्वेक्षण कराने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां। खण्ड वार लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए धनराशि अपर्याप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अध्ययन शुरू किया है।

दिल्ली में अपना मकान होने पर भी सरकारी मकान में रहने वाले व्यक्ति

4726. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्ति दिल्ली में अपने स्वयं के मकान होने के बावजूद सरकारी आवास में रह रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राजनीतिक नेता, दिल्ली में अपने स्वयं के मकान होने के बावजूद, सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के राजनीतिज्ञों भूतपूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व मंत्रियों की, यदि कोई है, संख्या कितनी है और वे कब से इस प्रकार के सरकारी आवासों में रह रहे हैं और उन्हें उसका कितना किराया, यदि कोई है, देना है;

(घ) इन राजनीतिक नेताओं (भूतपूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व मंत्रियों) से किराया लेने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ङ) वे किस हैसियत से सरकारी मकानों में रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनके अपने मकान हैं, सामान्य पूल आवास के पात्र हैं।

(ख) तथा (ग) राजनीतिक नेताओं को इस प्रकार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को सामान्य पूल वास से आवंटन किया जाता है। उन्हें अपना मकान होने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है इसलिए इस संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भूतपूर्व मंत्रियों को मंत्री के कार्यभार से त्याग-पत्र देने के एक महीने बाद विभागीय प्रभारों सहित एफ० आर० 45 बी के अन्तर्गत किराया देना अपेक्षित है यदि वे संसद सदस्य भी नहीं रहते।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को अपने दखल के सामान्य पूल वास के लिए बाजार दर पर हर्जाना देना अपेक्षित है जब तक अन्यथा निर्णय न किया गया हो।

(ङ) क्योंकि वे सामान्य पूल वास के पात्र नहीं हैं, इसलिए उनके आवासों के आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं।

पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं की पूर्ति

4727. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने जनवरी, 1980 से फरवरी, 1983 तक पश्चिम बंगाल को वास्तव में कितना चावल और गेहूं की पूर्ति की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : एक विवरण संलग्न है जिसमें पश्चिमी बंगाल राज्य को जनवरी 1980 से फरवरी, 1983 तक केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की दी गई मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल राज्य के जनवरी, 1980 से फरवरी, 1983 तक केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के उठान को बताने वाला विवरण
(हजार मीटरी टन में)

	1980			1981			1982			1983		
	चावल	गेहू	जोड़	चावल	गहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी	57.2	105.3	162.5	44.3	89.6	133.9	90.0	09.5	180.3	112.5	126.6	239.1
फरवरी	63.2	115.2	178.4	50 5	79.2	129.7	104.2	92.1	196.3	123.3	111.0	235.1
मार्च	71.8	87.7	159.5	58.0	97.5	155.5	138.0	102.0	240.8			
अप्रैल	71.7	80.4	152.1	58 1	78.1	36.2	135.6	91.9	227.5			
मई	84.0	90.3	174.3	63.1	03 5	146.6	149.0	83.2	232.2			
जून	81.9	85.6	167.5	58.5	76 9	135.4	123.8	94.4	218 2			
जुलाई	99.0	109.9	209.7	96.2	100.0	196.2	136.3	105.3	241.6			
अगस्त	80.3	91.0	171.3	100.0	84.5	185.3	153.0	102.1	255.9			
सितम्बर	96.7	104 9	201.6	106.3	95.9	202.2	151.9	108.3	260.2			
अक्तूबर	79.5	96.9	176.4	73.0	03.6	156.6	134.5	100.3	234.8			
नवम्बर	51.8	81.3	133.1	79.0	85.1	165.9	107.0	128.0	235.8			
दिसम्बर	47.0	94.7	141.7	22.2	93.3	175.5	107.1	124.6	231.7			
जोड़	884.9	1143.2	2028.1	870.8	1048 2	1919.0	1532.0	1223.3	2755.3	235.8	238.4	474.2

मोटे अनाज का उत्पादन

4728. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री अमल दत्त } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु बहुत कम ध्यान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उत्पादनों के बारे में अनुसंधान बढ़ाने पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार के पास जनसंख्या की वास्तविक पौष्टिकता की मांग के आधार पर मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की कुल मांग का कोई आकलन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारत के पास मोटे अनाज, विशेषतौर पर ज्वार और बाजरे के सुधार के लिए विश्व में कुछ सबसे बड़े कार्यक्रम हैं। अन्य फसलों की तरह भारत में कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज जैसे—ज्वार, बाजरा और मक्का की उत्पादकता बढ़ाना है। भारत में जो सबसे पहले अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजना 1958 में आरम्भ की गयी थी, वह मक्के पर थी। अब इसी तरह की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना बाजरा और ज्वार पर भी चल रही है। इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत ज्वार के 15 केन्द्र, ज्वार-बाजरा आदि के 23 और मक्का के 23 हैं—जिनमें बहुशाखीय (विषयों) वर्गों के वैज्ञानिक हैं, ये देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। इन फसलों में अनेक संकर किस्में/अधिक पैदावार वाली और वांछनीय सस्य गुण वाली किस्में विकसित की गयी हैं। ज्वार की, 9 संकर (सी. एस. एच. 1 से सी. एस. एच.-9) और 7 अधिक पैदावार वाली किस्में (सी एस वी-1 से सी एस वी-7) खरीफ और रबी मौसमों के दौरान उगाने के लिए विकसित की गयी हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाजरे की बी० जे० 104, बी० के० 560-230, बी० डी०-111, सी० जे०-104 और सी० एम०-46 जैसी नयी संकर किस्में कृषि के लिए रिलीज की गयी हैं। मक्का की—गंगा-सफेद-2, एच० आई० स्टार्च, गंगा-5, गंगा-9, गंगा-7, रंजीत आदि जैसी संकर किस्में और दियारा, ह्यूनियस, किसान, विक्रम आदि जैसी कम्पोजिट किस्में रिलीज की गयी हैं। इनमें से अनेक किस्मों में बहुत अधिक रोग-रोधिता के गुण हैं—जिनसे फसल को काफी नुकसान होता था। उन्नत संकर और किस्मों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि क्रियाओं और संरक्षण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से समन्वित प्रायोजनाओं द्वारा विकसित की गयी उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी के सहयोग से इन संकर और नयी किस्मों ने देश में मोटे अनाज के उत्पादन, उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। भारत द्वारा विकसित की गयी कुछ संकर किस्में, विशेष तौर पर ज्वार की संकर किस्में, अन्य देशों में भी उगायी जा रही हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत बाजरा, ज्वार और मक्का पर अनुसंधान कार्य पहले से ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कृषि विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद अपने तदर्थ उपकर निधि योजनाओं द्वारा इन फसलों पर किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का समर्थन करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० और सी० आई० एम० एम० वाई० टी० आदि जैसी सी० जी० आई० ए० आर० पद्धति के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी ज्वार, बाजरा और मक्का पर अनुसंधान के लिए गहरा सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे कि जर्मप्लाजम और सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार अवसर सृजन योजना के लिए मांगी गई धन राशि

4729. **श्री बुद्धि चंद जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1983 तक 12.5 लाख श्रमिकों को 12 रुपए प्रतिदिन अर्थात् श्रम मजूरी के लिए 7/- रुपए और सहायक सामान के लिए 5/- रुपए की दर से रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार अवसर सृजन योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने 5 रुपए प्रतिदिन की दर से और एक तिहाई अर्थात् 1.6 प्रतिदिन की राशि सहायक आयकर हेतु श्रम के लिए महीने में बिना भुगतान की छुट्टी के 4 दिन निकालकर 26 दिन के लिए केवल 11.875 करोड़ रुपए की अधिकतम धनराशि की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के साथ इस भद भाव और अन्याय के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई 50 करोड़ रुपए की धन राशि प्रदान करने को तैयार है, यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने माह में 26 कार्य दिवस के आधार पर 1187.50 लाख रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मन्जूरी दी है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

1-4-1983 से राज्य सरकार को सीमान्त धनराशि के रूप में 7.74 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें से राहत सम्बन्धी उपायों पर आयात व्यय पूरा किया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वाहन मरम्मत का बहुत अधिक बिल

4730. **श्री पी० जे० कुरियन**
श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडर } क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 फरवरी, 1983 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित 'आई० सी० ए० आर्स व्हिकिल रिपेयर बिल रूपीज 1.2 करोड़ ए इयर' शीर्षक समाचार को देखा है;

(ख) क्या यह सच है कि आई० सी० ए० आर० के अधिकांश वाहनों का उपयोग कृषि मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है;

(ग) वाहनों के उपयोग और उनकी मरम्मत की लागत को युक्ति संगत बनाने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(घ) दुर्लभ वित्तीय संसाधनों के ऐसे दुरुपयोग से रोकने के लिए क्या कोई जांच की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । यह सही नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकांश वाहनों का उपयोग कृषि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय और संस्थानों के वाहनों का उपयोग स्टाफ कारों/वाहनों के उपयोग से सम्बन्धित सम्बद्ध नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है । वाहनों की मरम्मत भारत सरकार के निदेशों के अनुसार प्राधिकृत सरकारी वर्कशाप/प्राधिकृत डीलरों से कराई जाती है । इसको ध्यान में रखते हुए, वाहनों के उपयोग और उनकी मरम्मतों की लागत को और अधिक युक्तिसंगत बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय खाद्य निगम, नारायण द्वारा जारी किये गए चावल की काला बाजारी

4731. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम नारायणा के बिक्री अनुभाग द्वारा किसी विशेष 'कांटे' के लिए जारी किया गया 'रिलीज आर्डर को सहायक मैनेजर से पहले प्राप्त की गई लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य' कांटे के नाम बदला नहीं जा सकता;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में 'रिलीज आर्डर' को चुपचाप एक कांटे से दूसरे कांटे के लिए बदला जाता है और उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या 60 क्विंटल चावल की कथित काला बाजारी करने वाले उचित दर दुकानदार को कांटा संख्या 8 के लिए जारी किया गया रिलीज आर्डर 'कांटा संख्या 11' पर पहुंच गया था;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार से हुआ था और चावल किसको जारी किया गया था;

(ङ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने चावल की काला बाजारी के बारे में जानकारी मांगते हुए भारतीय खाद्य निगम को पत्र लिखे हैं; और

(च) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य परिस्थितियों में यह नहीं होना चाहिए । तथापि, कांटे (अर्थात् निर्गम स्थल) पर भारी भीड़ और लम्बी लाइनें होने का बेईमान लोगों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है । निगम के अधिकारी और कर्मचारी यदि निर्धारित कार्य विधि की उपेक्षा करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी ।

(ग) जी हां। तथापि, निहित मात्रा 50 क्विंटल चावल थी।

(घ) उचित मूल्य की दुकान के मालिक की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति गलत कॉटा अर्थात निर्गम स्थान संख्या 11 पर जारी किए गए माल की सुपुर्दगी लेने के लिए गया था। निगम के निर्गम लिपिक को उसके विरुद्ध अनुशासिक जांच होने तक मुअत्तिल कर दिया गया है।

(ङ) और (च) एक संसद सदस्य ने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था और स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने उसका उत्तर भेज दिया गया था।

सामुदायिक नर्सरी धान कार्यक्रम

4732. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामुदायिक नर्सरी धान कार्यक्रम को कुछ राज्यों में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन, राज्यों के नाम क्या हैं जिसमें अब तक यह कार्यक्रम लागू हो चुका है;

(ग) क्या उड़ीसा में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के अब तक कितने जिले उक्त कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम अब तक लागू किए गए हैं। उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. मिजोरम
13. अरुणाचल प्रदेश
14. नागालैंड
15. उड़ीसा

16. त्रिपुरा
17. उत्तर प्रदेश
18. पश्चिमी बंगाल
19. सिक्किम
20. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
21. गोवा
22. पांडिचेरी
23. राजस्थान

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) उड़ीसा में नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार अब तक सभी जिले इस कार्यक्रम के तहत लाए गए है :—

1. बालासोर
2. बोलनगीर
3. कटक
4. धेंकानल
5. गंजम
6. कालाहांडी
7. क्योंझर
8. कोरापुट
9. मयूरभंज
10. फूलबानी
11. पुरी
12. सम्बलुपर
13. सुन्दरगढ़

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि

4733. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1982-83 के दौरान 28 फरवरी, 1983 तक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये गए हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को गरीबी के स्तर से ऊंचा उठाया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 1983 के अन्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर 241.28 करोड़ रुपये का व्यय होने की सूचना मिली है ।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान अब तक 274.59 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित किये जाने की सूचना मिली है तथा इस सीमा तक इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने में सहायता मिली है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का दिया जाना

4734. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने के लिये क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या उच्च शक्ति-प्राप्त केन्द्रीय बल, जिसने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा किया था, ने इस मामले में भ्रष्टाचार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ऋणदाता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

(1) शीर्ष बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन किये गये सभी गांवों तथा परिवारों को भाग लेने वाले बैंकों की विशिष्ट शाखाओं को आवंटित कर दिया गया है;

(2) बैंक प्रबन्धकों को चुने हुए लाभभोगियों के कर्ज के लिए किये गये आवेदन पत्रों पर व्यवहार्य तथा बैंक ग्राह्य परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अविलम्ब कार्यवाही करनी है;

(3) आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के कारणों को भी दर्ज करना होगा;

(4) खंड विकास अधिकारी तथा बैंक प्रबन्धकों की कुछ-कुछ समय के अन्दर पर बैठकें करनी होंगी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आये आवेदन पत्रों के रजिस्टरों का मिलान करना होगा तथा बैंक प्रबंधकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की स्थिति दर्शाते हुए एक मासिक विवरण खंड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्रत्येक बैंक को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधी कार्यवाही हेतु जिले में अपनी सभी शाखाओं के लिये एक उपयुक्त अधिकारी या समन्वय अधिकारी नियुक्त करना होगा; और

(6) विशिष्ट सीमाओं तक अतिरिक्त प्रत्याभूतियों गारंटियों आदि की मांग नहीं की जानी है।

(ख) दल की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है।

(ग) विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन न किए जाने के मामलों को, जब भी वे सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाये जाते हैं, सम्बन्धित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

दालों के बीजों की उत्पादिता में सुधार करने के बारे में अनुसंधान

4735. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के बीजों की उत्पादिता में सुधार करने, विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्रों के उपयुक्त सुधार करने के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान योजनाएं स्वीकार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश का कोई कृषि विश्वविद्यालय इस समय इसके लिए अनुसंधान कर रहा है; और

(ङ) इस बारे में ऐसी ही मिट्टी तथा मौसम सम्बन्धी दशाओं के बारे में अन्य देशों के क्या अनुभव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, महोदया। दालों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त चना, अरहर, छोटी मटर, मूंग, मसूर, उड़द, कुलथी और लैथिरस की उन्नत किस्में पैदा की गयी हैं और महत्वपूर्ण किस्मों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :—

चना बी 110, बी 108, बी आर 472, बी आर 478, पंत जी-114, टी-3, के 850

अरहर बिहार, बसंत, लक्ष्मी, यू. पी. ए. एस.-120, टी-21

मूंग सुनयना, 12/23, कांके मल्टीपरपस, एच-12-4, जी. एस. 7, पी. एस.-10

छोटी मटर रचना, टी-163

उड़द टी-9, सरना, यू 30, यू 19, पी एस 1

मसूर एल-9-12, एल 639

पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न सस्य पद्धतियों में दालों की उन्नत किस्मों को उगाने की कोशिश की गयी है। अरहर, जो कि एक महत्वपूर्ण दाल की फसल है, ऊंची भूमि में उगाये जाने वाले धान में अन्तः फसल के रूप में और जहां पर्याप्त नमी उपलब्ध है वहां धान की कटाई के बाद रिले क्राप (रिले फसल) के रूप में उगायी जा रही है। इसी तरह, अल्प अवधि में तैयार होने वाली मूंग और उड़द की किस्मों के विकास से मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा राज्यों में रबी के मौसम के दौरान इसकी खेती को शक्ति प्राप्त हुई है यानी इसकी खेती का काफी प्रसार हुआ है। इस क्षेत्र में चूर्णी फफूंद प्रतिरोधी किस्म रचना के विकास और लोकप्रिय होने से मटर की खेती को लाभ पहुंचा है। न्यूरोटोक्सिन की कम मात्रा वाली लैथिरस की किस्मों को पैदा करने या इसकी जगह चना उगाने का प्रयास किया जा रहा है इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में दाल उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर भी अनुसंधान कार्य हाथ में लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, महोदया। कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विभागों में स्थित विभिन्न केन्द्रों जैसे—शिलोंगनी (असम कृषि विश्वविद्यालय), धौली (राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार),

बरहामपुर (कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल), कांके, (बिरसा कृषि विश्वविद्यालय), चिम्पलिया (उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) और बनारस (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) में अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत अनुसंधान किया जा रहा है।

(ङ) बगला देश, बर्मा और एशिया के कुछ पूर्वी देशों में भी दालों की खेती की जाती है। हमारे देश की तरह इन देशों में भी कीटव्याधियों और कम उत्पादन आदि की समस्या है, जहां कहीं भी नमी किस्मों या प्रौद्योगिकी से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है, अपने देश में भी उसका संभावित उपयोग किया जाता है।

ग्रीष्म ऋतु की फसलों के लिये सिंचाई सुविधाएं

4736. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु की फसलों के लिये कुछ राज्यों में कोई सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋतु की फसलों के लिये किस प्रकार की सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) ऐसी सुविधाएं किन-किन राज्यों को प्रदान की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) ग्रीष्म ऋतु की फसलों के लिए भूतल जल संसाधनों से जहां कहीं ऐसा जल उपलब्ध होता है, और भूमिगत जल संसाधनों से सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति की जाती है।

(ग) और (घ) ऋतुवार की जाने वाली सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना संकलित नहीं की जाती है।

गेहूं का उत्पादन

4737. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के गेहूं उत्पादन के 400 लाख टन के रिकार्ड तक पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में हाल की वर्षा और ठंडे के जारी रहने के कारण है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह रिपोर्ट दी है कि विभिन्न खाद्यान्नों की फसलें जिन्हें किसानों को प्रौद्योगिकी के तत्काल हस्तांरण के लिए तैयार किया गया था को उनके द्वारा प्रदर्शन से अच्छा लाभ मिल रहा है;

(घ) क्या एक वर्ष में 100 प्रदर्शनों से उत्पादन लक्ष्य में 50 प्रतिशत वृद्धि करने में सफलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार को चालू मौसम में रिकार्ड उत्पादन होने का कितना विश्वास है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद जून/जुलाई, 1983 तक गेहूं के उत्पादन संबंधी अंतिम अनुमानों के उपलब्ध होने की संभावना है। किस्म और मात्रा संबंधी प्रारम्भिक जानकारी से पता चलता है कि यदि आने वाले सप्ताहों में मौसम की परिस्थितियां सामान्य रहीं तो इस वर्ष गेहूं का उत्पादम लगभग 400 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

(ख) गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में हाल की वर्षा तथा शीत लहर जारी रहने से अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं की अच्छी फसल होने की आशा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद "प्रौद्योगिकी के हस्तातन्तरण" संबंधी अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और राष्ट्रीय प्रदर्शन भी आयोजित कर रही है। परिषद ने जानकारी दी है कि देश में खेती करने की पद्धति पर इस प्रकार के प्रदर्शनों का प्रभाव पड़ा है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि 1975-76 से 1980-81 के दौरान के राष्ट्रीय प्रदर्शनों के फलस्वरूप अपने उत्पादन लक्ष्यों से 51 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक बढ़ गए हैं।

(ङ) सरकार को आशा है कि यदि चालू रबी मौसम में मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हो सकता है।

जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर

4738. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासपुरी (वोडेला) के सामने जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तैयार होने में कितना समय लगगा;

(ख) इस सेंटर में कुल कितनी दुकानें बनाई जा रही हैं तथा एक दुकान की अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) बिक्री/नीलामी/किराया-खरीद प्रणाली में से इन्हें किस प्रकार आवंटित किया जाएगा; और

(घ) क्या इन दुकानों का आवंटन करते समय चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनकपुरी जिला केन्द्र में विकास कार्य प्रगति पर हैं और कि इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि जिला केन्द्र कब तक तैयार हो जाएगा।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जब जिला केन्द्र पूरा हो जाएगा, तब विभिन्न आकारों की लगभग 1100 दुकानें उपलब्ध होंगी। इसने आगे यह भी सूचित किया है कि दुकानों की कीमत अलग-अलग होगी जो कि इस पर आधारित होगी कि क्या ये दुकानें और गैर सरकारी विकासकर्ताओं द्वारा बेची जाती हैं या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और दुकान के आकार पर भी कीमत निर्भर होगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके द्वारा बनाई जाने वाली प्रस्तावित दुकानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकासित भूमि की बिक्री) नियम, 1982 के अनुसार बेचा जाएगा।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दुकानों के आवंटन में डाक्टरों को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। इसने आगे यह भी सूचित किया है कि कार्यालय फ्लैटों के सम्बंध में डाक्टरों सहित व्यावसायिकों के लिए सीमित नीलामी की जाती है।

"एशियाड" 82 के दौरान स्टेडियमों का नवीकरण

4739. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाड "82 में उपयोग में लाये गये कितने स्टेडियमों का नवीकरण किया गया और नवीकरण की लागत कितनी आई।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : एशियाड," 82 के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का आधुनिकरण करने सहित सभी 9 स्टेडियमों का नवीकरण कर दिया गया है। नवीकरण पर कुल पूर्वानुमानित खर्च 5.75 करोड़ रुपये है, जिनमें 0.22 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय तथा 1 11 करोड़ रुपए संबंधित एजेन्सियों द्वारा, अपने सामान्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उनसे संबंधित तीन स्टेडियमों के नवीकरण के लिए वहन किया गया है। शेष खर्च एशियाई खेलों के बजट में से किया गया है।

मसर्स विष्णु शुगर मिल, गोपाल गंज, बिहार

4740. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री मैसर्स विष्णु शुगर मिल लिमिटेड, गोपाल गंज, बिहार के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे सभा पटल पर रखेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यक कार्य करने में कितना समय और लगेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) अपेक्षित सूचना 22 फरवरी, 1983 को लोक सभा के पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को चावल भेजने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को निदेश

4741. **श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कभी तमिलनाडु सरकार को निदेश दिया था कि वह केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को चावल भेजे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदेशों का ब्यौरा क्या है, तमिलनाडु सरकार ने इस अनुदेश को किस रूप में लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु को खाद्यान्नों का आवंटन

4742. श्री के० रामामूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने जून, 1982 से तमिलनाडु को कोई खाद्यान्न आवंटित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र तमिलनाडु को इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि राज्य का वर्तमान स्टाक अधिक समय तक नहीं चलने वाला है, उसे कब तक खाद्यान्न आवंटित करेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) जी नहीं । तमिलनाडु सरकार को 1982 के समूचे वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भी प्रत्येक मास में नियमित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 4,000 मीटरी टन और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 30,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया है । राज्य सरकार को रोलर फ्लोर मिलों के लिए सितम्बर, 1982 में 1,000 मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा भी आवंटित की गई थी ताकि त्यौहार के मौसम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । तथापि, राज्य सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध चावल के पर्याप्त स्टाक को ध्यान में रखकर जून, 1982 से चावल के मासिक आवंटन को बंद कर दिया गया था । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 4,000 मीटरी टन गेहूं के पिछले मासिक आबंटन के अलावा, राज्य सरकार को अप्रैल, 1983 मास के लिए 10,000 मीटरी टन खाद्यान्न—5,000 मीटरीटन चावल और 5,000 मीटरी टन गेहूं-आबंटित किया गया है ।

स्टेडियमों का उपयोग

4743. श्री संतोष मोहन देव
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेडियमों, ऐशियाई खेलों के लिए बनाये गये स्टेडियमों तथा अन्य सुविधाओं की देखभाल और रखरखाव के लिए इस समय क्या प्रबन्ध किए हुए हैं;

(ख) क्या ये स्टेडियम और गैर सरकारी क्लबों, राज्य स्तरीय खेलकूद एसोसिएशनों और अन्य संगठनों के लिए उनके अभ्यास और खेलकूद कराने हेतु खुले रहते हैं; और

(ग) राजधानी में स्टेडियमों की देखभाल के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस समय स्टेडियमों के रख रखाव और एशियाड-82 के लिए उपलब्ध की अन्य सुविधाओं के लिए, नवीकरण एजेन्सियां जिम्मेदार हैं । सभी स्टेडियम एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति

के प्रभार में हैं और स्टेडियमों का उपयोग करने से संबंधित अनुरोधों पर उनकी पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है। अनुरक्षण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की वित्तीय आवश्यकताएं उनके बजटों में से संबंधित साधनों से पूरी की जा रही हैं।

गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

4744. **श्री तारिक अनवर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1983 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की "मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा की गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार के नोटिस में उल्लिखित समाचार आया है।

(ख) समाचार के अनुसार, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को यह आशंका है कि चीनी उद्योग को 550 करोड़ रुपये की हानि होगी और उन्होंने निम्नलिखित उपाय करने की मांग की है :

(1) गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना;

(2) लेवी चीनी के लिए अधिक निर्गम मूल्य;

(3) लेवी और खुली बिक्री की चीनी दोनों पर उत्पादन शुल्क खत्म/कमी करना;

(4) चीनी कोटा की निर्मुक्ति में कमी करना;

(5) मिलों द्वारा केन्द्र द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य का शुरू में भुगतान किया जाना और राज्य द्वारा सुझाए गए और न्यूनतम मूल्य के बीच के अन्तर का बाद में भुगतान किया जाए;

(6) आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुदेश के अनुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिए आरक्षित की जाने वाली बैंक-जमा राशि की 85 प्रतिशत की सीमा को कम करके 70 प्रतिशत किया जाए;

(7) चीनी के बफर स्टाक को 10 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 15 लाख मीटरी टन किया जाए।

इन मांगों से संबंधित स्थिति क्रमानुसार नीचे बताई जाती है :—

(1) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निर्वात पात्र फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के न्यूनतम मूल्य केवल न्यूनतम मूल्य हैं जिससे कम मूल्य पर कोई राज्य सरकार अथवा चीनी मिल चीनी उत्पादन के लिए गन्ने की ख़रीददारी नहीं कर सकती है। गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने को बेचना अनिवार्य नहीं है, न ही सरकार उस मूल्य पर गन्ना खरीदती है;

(2) देश भर में लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य समान है और अधिकांश उपभोक्ताओं के हितों समेत विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर इसे निश्चित किया गया है;

(3) समूचे देश के सामान्य हित का ध्यान रखते हुए और खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों की बाजार प्रवृत्ति आदि को देखते हुए, 1.3.1983 से उत्पादन शुल्क की दरों में उपयुक्त समायोजन किये गये हैं;

(4) चीनी की उपलब्धता, मांग और मूल्य प्रवृत्ति और अन्य स्वीटनिंग एजेंटों की सप्लाई को ध्यान में रखकर चीनी की मासिक निर्मुक्तियां की जाती हैं। उदाहरणार्थ, मार्च, 1983 के लिए निर्मुक्त खुली बिक्री की चीनी का कोटा 1.50 लाख मीटरी टन था जबकि जनवरी और फरवरी, 1983 में क्रमशः 2.50 लाख और 2.00 लाख मीटरी टन की निर्मुक्ति की गई थी ।

(5) और (6) ये ऐसे मामले हैं जो कि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हैं;

(7) चीनी के 5 लाख मीटरी टन के पहले से बताये गये बफर स्टाक को वर्तमान समय के लिए पर्याप्त समझा जाता है ।

सिंचाई परियोजनाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

4745. **श्री ए० के० राय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों, विशेषकर सिंचाई बांध के निर्माण के लिये, के पुनर्वास से सम्बधित कार्य करने के लिये बने महाराष्ट्र रिसेटिलमेंट प्रोजेक्ट फार डिस्प्लेस्ड परसन्स एक्ट, 1976 की जानकारी है;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य ने भी विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ऐसे ही अधिनियम पारित किये हैं; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों की समस्या से निपटने के लिये केन्द्रीय अधिनियम बनायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी अन्य राज्य ने ऐसा ही कोई अधिनियम पारित नहीं किया है ।

(ग) किसी केन्द्रीय अधिनियम के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भिन्न-भिन्न योजना अवधियों में आरंभ की गई सिंचाई परियोजनाएं

4746. **श्री भीकू राम जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दुसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजनाओं में आरंभ की गई कितनी बड़ी या मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और प्रत्येक योजना की कितनी परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण हैं; और

(ख) इस प्रकार आरंभ की गई परियोजनाएं परियोजना-वार कब तक पूरी होंगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पहली पांच योजनाओं के दौरान, 205 बृहद और 916 मध्यम परियोजनाओं को हाथ में लिया गया था। इनमें से 29

बृहद और 469 मध्यम परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रत्येक योजना में हाथ में ली गई और पूर्ण की गई बृहद परियोजनाओं को दिखाने वाला विवरण (विवरण-एक) संलग्न है। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में योजना-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) संलग्न सूचि (विवरण-दो) के अनुसार, 43 बृहद सतत परियोजनाओं के छठी योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है अधिकांश मध्यम परियोजनाओं के भी छठी योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

विवरण-एक

योजना-वार हाथ में ली गयी/पूर्ण की गई बृहद परियोजनाओं की संख्या

योजना	हाथ में ली गई परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
पहली (1951-56)	12	1
दूसरी (1956-61)	17	4
तीसरी (1961-66)	33	9
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	11	1
चौथी योजना (1969-74)	40	9
पांचवी योजना (1974-78)	77	5
वार्षिक योजनाएं (1978-80)	75	शून्य
	205	29

उन बृहद परियोजनाओं की योजना-वार सूचि, जिनके छठी योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है

पहली योजना

1. काकरापार (गुजरात)
2. माही चरण-एक (गुजरात)
3. पश्चिमी जमुना नहर (पुनरूत्थान) (हरियाणा)
4. तुंगभद्रा दक्षिण तट नहर और वाम तट नहर (कर्नाटक)
5. चम्बल (मध्य प्रदेश)
6. भंडार नहर (मध्य प्रदेश)
7. महानदी डेल्टा (उड़ीसा)
8. दामोदर घाटी निगम प्रणाली (पश्चिम बंगाल)
9. मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल)

दूसरी योजना

10. माही चरण-दो-कडाना (गुजरात)
11. बर्ना (मध्य प्रदेश)
12. तवा (मध्य प्रदेश)

13. बाघ (महाराष्ट्र)
14. इतियादोह (महाराष्ट्र)
15. मूला (महाराष्ट्र)
16. सालन्दी (उड़ीसा)
17. रामगंगा (उत्तर प्रदेश)
18. राजस्थान नहर चरण-एक
19. कंग्सावती (पश्चिम बंगाल)

तीसरी योजना

20. श्रीराम सागर (आंध्र प्रदेश)
21. राजपुर नहर (बिहार)
22. गुडगांव नहर (हरियाणा)
23. उकई (गुजरात)
24. पम्बा (केरल)
25. कुट्टियाडी (केरल)
26. चित्तुरपुझा (केरल)
27. पझास्सी (केरल)
28. जयक्वाडी चरण-एक (महाराष्ट्र)
29. काल (महाराष्ट्र)
30. तुलसी (महाराष्ट्र)
31. ब्यास यूनिट-एक (पंजाब)
32. ब्यास यूनिट-दो (पंजाब)
33. गैर-बारहमासी सिंचाई का अपर बारी दो आब नहर क्षेत्र तक विस्तार (पंजाब)
34. जाखम (राजस्थान)
35. परम्बीकुलम अलियार (तमिलनाडु)
36. चित्तरपत्तनमकल (तमिलनाडू)
37. शारदा सहायक (उत्तर प्रदेश)

वार्षिक योजनाएं (1966-69)

38. सोन उच्च स्तरीय नहर (बिहार)
39. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर (कर्नाटक)
40. अपर गोदावरी (महाराष्ट्र)
41. हसदेव दक्षिण तट नहर (मध्य प्रदेश)
42. वैगई नहर का आधुनिकीकरण (तमिलनाडु)
43. कोसी (उत्तर प्रदेश)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पक्के मकानों का गिराया जाना

4747. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में बहुतसे पक्के मकान गिराये हैं ;

(ख) उनका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निवासियों ने निम्न श्रेणी के न्यायलयों से स्थगन आदेश से लिये थे; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में पक्के मकान किस आधार पर गिराये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने 23.2.83 को यमुनापार क्षेत्र में गाँव चिल्ला सिरोदा बांगर में मकान गिराने की कार्यवाही की थी जिसमें अर्जित भूमि में से एक कमरे के 75 खाली मकानों तथा 30 चाहरदीवारी को गिराया गया है।।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसके ध्यान में कोई रोकादेश नहीं आया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये संरचनायें उसकी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण के रूप में थी और वे तब गिराई गईं जब वे निर्माण की प्रक्रिया में तथा खाली थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इंकार किया है कि ये पक्के मकान थे।

राष्ट्रीय जल योजना

4748. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नदियों तथा नदी जल प्रणालियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय जल योजना की क्रियान्विति हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) प्रारंभ में प्रायद्वीपीय जल विकास को क्यों लिया गया तथा हिमालय की नदियों के विकास को बाद में क्या लिया जा रहा है; और

(ग) किन किन नदी जल प्रणालियों को पहले विकसित किया जायेगा और जोड़ा जायेगा तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंचाई मंत्रालय ने जल संसाधनों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें विभिन्न नदियों पर, जहां कहीं व्यवहार्य हो, इष्टतम जलाशयों का निर्माण करने, तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अन्तर्योजक लिंकों का निर्माण करके, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए अधिशेष जल को अन्तरित करने की परिकल्पना की गई है। इस परिप्रेक्ष्य के दो मुख्य घटक हैं, अर्थात् : (1) हिमालय की नदियों का विकास : तथा (2) प्रायद्वीपीय नदियों के विकास प्रारम्भ में, प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है, क्योंकि यह घटक ही देश की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर बहने वाली नदियों से संबंधित है और इस पर कार्य तत्काल किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, एक पृथक संगठन, अर्थात् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, की स्थापना की गई है। इस कार्य के लगभग 10 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है। हिमालय की नदियों के विकास से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि इस घटक का क्रियान्वयन अधिकांशतः पड़ोसी देशों के सहयोग पर निर्भर करता है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत पुलियों का निर्माण

4749. **श्री राम लाल राही** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि के कटाव और पानी के बहाव को रोकने के लिये ऐसे स्थानों पर पुलियों का निर्माण करना अथवा ह्यूम पाइप बिछाना आवश्यक समझती है, जहां काम के बदले अनाज योजना अथवा द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977 से 1980 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए बनायी गई कच्ची सड़कों पर भूमि का कटाव हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण उत्थान और विकास के लिये एक गांव को दूसरे गांव से सड़कों से जोड़ने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) अब तक उस पर की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए निर्माण-कार्यों को सड़क निर्माण-कार्य पर पुलियों/क्रास जल-निकासी आदि की व्यवस्था करके टिकाऊ बनाने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को वर्ष 1980-81 के दौरान विशेष रूप से 105.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि अधूरे निर्माण कार्यों को पहले पूरा किया जाए और उन निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाया जाए ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

4750. **श्री जयराम वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रति वर्ष चीनी मिलों को गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान देती है और चीनी मिल भी इस उद्देश्य के लिये अपने पैसे खर्चा करते हैं ;

(ख) यदि हां तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को वर्ष 1981-82 में इस उद्देश्य के लिये अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी और मिलों ने उस धनराशि का कैसे उपयोग किया है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है कि गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मिलों को दी गई धनराशि का सही उपयोग हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने गन्ने की काश्त को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को कोई अनुदान नहीं दिया है। यह मालूम हुआ है कि कुछ मिलें गन्ने के विकास पर कुछ राशि अवश्य ही खर्च करती हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में रबी की फसलों के उत्पादन में गिरावट

4751. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पिछले तीन वर्षों से उड़ीसा में रबी की फसलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या उत्पादन में गिरावट के कारणों को जानने के लिए तत्संबंधी गहन अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन में सुधार के लिए कोई योजना बनाएगी;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में रबी फसलों के उत्पादन की प्रवृति सामान्य रूप से बढ़ती हुई दिखाई दी है, जैसा कि नीचे दिए गए उत्पादन आंकड़ों से प्रतीत होता है :—

उत्पादन ("000 मीटरी टन में")

फसल	1979-80	1980-81	1981-82
चवाल (ग्रीष्म)	183·7	269.9	320.0
गेहूं	82.3	122.4	118.4
रबी-दलहन	475.8	730.9	672.6
मूंगफली (रबी)	68·2	137.6	178.2
तोरिया तथा सरसों	39.3	72.4	72·4
अलसी	13.6	15.6	16.1

(ख) जी नहीं

(ग) उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

4752. श्री कृष्ण दत्ता सुल्तानपुरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्यनिगम द्वारा देश में गत एक वर्ष में खरीदे गये गेहूं-चावल और अन्य खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या खरीदे गये खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1981-82 की फसल से चावल, धान और गेहूं की राज्यवार सीधे की गई वसूली की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

खरीदे गए खाद्यान्नों के कुल मूल्य के बारे में सूचना निगम द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद ही उपलब्ध होगी।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1981-82 की फसल से चावल, धान और गेहूं की सीधी वसूली।

(हजार मीटरी टन)

राज्य	चावल	धान	गेहूं
आन्ध्र प्रदेश	1032.6	31.8	—
असम	1.7	—	—
बिहार	2.4	नग०	0.2
हरियाणा	776.4	70.0	344.8
हिमाचल प्रदेश	—	0.2	0.1
मध्य प्रदेश	254.4	19.3	21.6
उड़ीसा	—	0.3	—
पंजाब	1495.2	1676.6	1256.9
राजस्थान	35.2	—	134.5
तमिलनाडु	—	12.9	—
उत्तर प्रदेश	—	2.0	152.1
पश्चिमी बंगाल	44.9	0.7	—
अरुणाचल प्रदेश	—	3.9	—
पांडिचेरी	1.2	4.9	—
चंडीगढ़	—	—	0.5
दिल्ली	—	—	6.5
जोड़	3644 0	1822.9	1917.2

नग०-50 मीटरी टन से कम।

मिट्टी संरक्षण योजना की प्रगती संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट

4753. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री भीम सिंह
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी संरक्षण योजना की प्रगति का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो दल द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जलप्रदाय के अन्तर्राष्ट्रीय दशक के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

4754. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जल प्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान पानी सप्लाई करने के बारे में राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार के प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को किस प्रकार सहायता करने का है ; और

(घ) राज्य वार की गई धनराशि की मांग का ब्योरा क्या है और केन्द्र सरकार ने राज्य वार कितना आबंटन किया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों से बृहत् योजनाएं प्राप्त हो गई हैं । इन प्रस्तावों में नगरीय जल पूर्ति, ग्रामीण जलपूर्ति, नगरीय स्वच्छता तथा ग्रामीण स्वच्छता शामिल हैं ।

(ग) तथा (घ) जलपूर्ति तथा स्वच्छता राज्य के विषय हैं तथा कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजनाओं में उनको दी गई विधियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं । दशक के कार्यक्रम छठी सातवीं तथा आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के अंग हैं । छठी योजना अवधि के दौरान जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र का परिव्यय पाँचवीं योजना (1974-79) में 1030.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3922.02 करोड़ रुपये तक पर्याप्त रूप में बढ़ा दिया गया है । छठी योजना अवधि के दौरान पता लगाए गए समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विधियों का राज्यवार नियतम संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

छठी योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्माण कार्यों के लिए नियत किए गए धन को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छठी योजना : वर्तमान परिव्यय ए० आर० पी०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	18,91.00
2.	असम	22,50.00
3.	बिहार	30,62.50
4.	गुजरात	11,52.50

(जारी···)

1 2	3
5. हरियाणा	9,63.00
6. हिमाचल प्रदेश	12,00.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	33,75.00
8. कर्नाटक	24,57.50
9. केरल	27,22.00
10. मध्य प्रदेश	44,82.00
11. महाराष्ट्र	27,15.00
12. मणिपुर	5,23.00
13. मेघालय	12,50.00
14. नागालैण्ड	7,35 00
15. उड़ीसा	25,50.00
16. पंजाब	4,58.50
17. राजस्थान	79,71.75
18. सिक्किम	4,00.00
19. तमिलनाडु	26,67.00
20. त्रिपुरा	3,19.50
21. उत्तर प्रदेश	83,78.50
22. पश्चिम बंगाल	36,00.00
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	94.00
24. अरुणाचल प्रदेश	2,47.50
25. दिल्ली	23.00
26. गोवा, दमन तथा द्वीव	1,02.50
27. मिजोरम	44.50
28. पाण्डिचेरी	61.50
योग	5,56,96.75

बाह तथा सागद परियोजनाएं (मध्य प्रदेश)

4755. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की बाह तथा सागद नदी परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक की ओर से वित्तपोषण किये जाने के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार इन दो परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर रही हैं और बाह परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर होने की सूचना मिली है।

(घ) परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिए जाने के पश्चात् ही, इसका पता लगेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा योजना का क्रियान्वयन

4756. **श्री रसीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय ने छठी योजना अवधि के लिये 'स्टेन्थनिंग स्कीम' को, योजना अवधि के चौथे वर्ष (1980-84) में भी अब तक लागू नहीं किया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् उक्त योजना में निर्धारित पदों को सृजन करने में भी असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस मामले में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) छठी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यभार के मूल्यांकन पर कई बार आंतरिक विचार-विमर्श करने के बाद, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय को सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव अक्तूबर, 1982 में तैयार किया गया था। उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। जैसे ही योजना स्वीकृत हो जाती है उसके कार्यान्वयन का कार्य हाथ में ले लिया जाएगा।

फिर भी, इसी बीच, परिषद् ने अग्रिम कार्यवाही की है और मानव संसाधन विकास कृषि-वानिकी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, फलफूल और कृषि चयनिका पर नयी पत्रिकाओं का प्रकाशन, कम कीमत वाली पुस्तकों का प्रकाशन, कृषि और सूचना केन्द्र पर राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना और अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षावृत्ति प्रदान करने जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कुछ पदों का सृजन किया है।

हिमालय पारिस्थितिकी को जंगली गायों से खतरा

4757. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली गायों के झुंड कृषि तथा वनों को क्षति पहुंचा रहे हैं और हिमालय पारिस्थितिकी को भारी खतरा पैदा कर रहे हैं;

(ख) क्या ये जंगली गाएं वस्तुतः दुधारू नहीं हैं क्योंकि वे घटिया नस्ल की हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिलता तथा इन गायों की तेजी से बढ़ती संख्या को कम रखने का कोई तरीका नहीं है तथा उन्होंने ओक के सहित अनेक क्षेत्रों में हरित पट्टी को भारी क्षति पहुंचाई है; और

(ग) यदि हां, तो उनसे छुटकारा पाने तथा इस प्रकार हिमालय क्षेत्रों को विनाश से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जंगली गायों द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति की मात्रा का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इनके उत्पात के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसमें इनसे बचाव की व्यवस्था करने का भी अनुरोध होता है।

(ख) अन्धाधुन्ध प्रजनन के कारण ये गायें, सामान्यतः दुर्बल शरीर और कम दूध देने वाली होती हैं। ये अधिकांशतः वन क्षेत्रों में घास पर निर्भर रहती हैं। देश में वन क्षेत्रों सहित, चराई और चारा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक कृतक-दल का गठन किया गया है।

(ग) जंगली और अवारा पशुओं को पकड़ने में विभिन्न राज्यों स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय में एक चलता-फिरता दस्ता कार्य कर रहा है। इस दस्ते को विभिन्न राज्यों में उनके अनुरोध पर तैनात किया जाता है।

हरियाणा में गेहूं के बारे में निर्दिष्ट स्तर को कम किया जाना

4758. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा में गेहूं की किस्म के लिए मानक निर्दिष्ट स्तर को उदार बनाया है जिसमें क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त गेहूं को 20 प्रतिशत तक खरीदा जाये; और

(ख) यदि हां तो भारतीय खाद्य निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि मानक में इस छूट से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम गेहूं और अन्य अनाजों की वसूली करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों का अनुपालन करता है। भारत सरकार ने बेमौसमी वर्षा से गेहूं की फसल की हुई क्षति को देखते हुए 1982-83 के विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों के लिए केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली करने के लिए विनिर्दिष्टियों में ढील दी थी। यह ढील चमक रहित अनाज के बारे में थी, जोकि 5% तक क्षतिग्रस्त अनाज 20 प्रतिशत तक मामूली क्षतिग्रस्त अनाज था। विनिर्दिष्टियों में ये ढीले खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन विहित सीमाओं के अन्दर थी जो यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई जोखिम नहीं होना चाहिये। असामयिक वर्षा के कारण हुई क्षति को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे गए गेहूं के स्टाक को, जिसमें 10 प्रतिशत क्षतिग्रस्त अनाज था, विशेष मामले के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भी दिया गया था। यह गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को ग्रेड 1 गेहूं के साथ 50 : 50 के अनुपात में जारी किया जाता है। मिलों से इस स्टाक को अच्छी तरह साफ करने और उसे धोने तथा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गेहूं के पदार्थ खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होते हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जाता है।

राज्यों को खाद्यानों की पूर्ति

4759. श्री जेवियर अराकल
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्तिमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को खाद्यान्नों की किन आधारों पर आपूर्ति की जाती है और 1980-81 तथा 1982 में खाद्यान्नों की आपूर्ति के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न राज्यों को जो कि बच्चों तथा बूढ़ों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क खाद्यान्न देने की योजना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं राज्य सरकारों के पास पहले से पड़े स्टाक, बाजार-उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किये जाते हैं। वर्ष 1980 से 1982 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए गये खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार थी :—

1980	135.98 लाख मीटरी टन
1981	115.39 लाख मीटरी टन
1982	126.97 लाख मीटरी टन

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसद् सदस्यों को भू-खण्डों और फ्लेटों का आवंटन

4760. श्री विरदाराम फुलवारिया : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों को दिल्ली और नयी दिल्ली में कितने भूखण्ड और फ्लैट आबटित किए गए और उनके लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक संसद सदस्य को दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों को 26 प्लाट तथा 28 फ्लैट आबंटित किए गए हैं। 2-1-1979 से संसद सदस्यों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, 2.1.1979 को जिन संसद सदस्यों के मामले निलम्बित थे उनको प्लाट/फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चतुर्थ तथा पांचवीं स्व वित्त-पोषित योजनाओं के अन्तर्गत संसद सदस्यों के लिए फ्लैटों का 3% आरक्षण किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसद सदस्यों सहित कुछ श्रेणियों को आरक्षण पुनः चालू करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया था परन्तु इसे आस्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़े गये एशियाड सम्बंधी निर्माण कार्य

4761. श्री जगपाल सिंह
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ठेकेदारों को दिए गए एशियाड सम्बंधी निर्माण कार्य उनके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गये तथा इन अधूरे कार्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को पूरा करना पड़ा;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों को दी गई धनराशि के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) क्या दोषी ठेकेदारों से कोई वसूली की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन निर्माण कार्यों को ठेकेदारों ने अधूरा छोड़ दिया था तथा उन्हें ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर पूरा करवाया गया, उनकी संख्या 8 (आठ) है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अधूरे कार्यों को पूरा करने में 14.38 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों जिनके बारे में निर्णय लिया जाएगा के अलावा ठेकेदारों के विरुद्ध किए गए अतिरिक्त व्यय को वसूल करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

पश्चिमी तट को समुद्री तूफानों से बचाने हेतु योजना

4762. श्री छोटू भाई गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी तट के क्षेत्रों को समुद्री तूफानों से स्थायी रूप से बचाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल रख दी जाएगी।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी पैनल

4763. श्री पीयूष तिरकी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी पैनल ने अपनी 23वीं बैठक में एक समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस से उत्तरी बंगाल के जिलों को कितना लाभ होगा;

(घ) संकोस, रिदक, दीमा, जलढाकम बासरा, तीस्ता जैसी पहाड़ी नदियां और उत्तरी बंगाल में बहने वाली नदियों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(ङ) पानी के बहाव के उपयुक्त उपयोग तथा भूमि का कटाव रोकने के लिए क्या प्रस्ताव रखे गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 7 अक्तूबर, 1982 को भारत के विदेश मंत्री और बंगला देश के विदेश मंत्री द्वारा भारत और बंगलादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी एक प्रति विदेश मंत्री द्वारा 11.10.1982 को लोकसभा के पटल पर रखी गई थी, जब वे एक वक्तव्य दे रहे थे। अक्तूबर, 1982 के समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ, फरक्का में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए भारत और बंगलादेश द्वारा 1978 में एक दूसरे को दिए गए प्रस्तावों के संबध में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों को पूरा करने के लिए भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को निदेश दिया गया था। तथापि, भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 23वीं बैठक में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(घ) और (ङ) उत्तरी बंगाल में से होकर बहने वाली नदियों को संकोश, रेडक, दीमा, जलढाका, तोरसा और तीस्ता पर अनेक स्थानों में पश्चिम बंगाल सरकार के उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तटबन्ध और कटाव-रोधी स्कीमों के रूप में, हाथ में ली गई हैं।

हाथ में ली गई इन स्कीमों में से, 52 स्कीमों पर कार्य पूर्ण हो चुका है और छठी योजना अवधि से पूर्व की 50 स्कीमों पर कार्य जारी है। छठी योजना अवधि के दौरान 71 नई स्कीमें भी हाथ में ले ली गई हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता, तोरसा, रैडक और जलढाका नदी बेसिनों के लिए उत्तर बंगाल में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए महा (मास्टर) योजनाओं का प्रारूप तैयार किया था। केन्द्रीय जल आयोग ने इन महा योजनाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी हैं।

निर्माण बिहार में बरसाती पानी की नालियां

4764. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 24 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 115 तथा 15 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3335 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना पार क्षेत्र को निर्माण विहार क्षेत्र में बरसाती पानी की नालियों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बरसाती नाले का निर्माण कार्य का एवार्ड दे दिया है।

चेतावनी दिए बिना खोडियान बांध से बाढ़ के पानी की निकासी

4765. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने नवम्बर, 1982 में सौराष्ट्र में आये तूफान के दौरान चेतावनी दिए बिना ही अमरेली (गुजरात) में खोडियान बांध के बाढ़ के पानी का निकास कर दिया था जिससे पशुधन और सम्पत्ति आदि की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लोगों को क्या राहत दी गई थी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सिंचाई अधिकारियों ने चक्रवातीय वर्षापात के कारण, खोडियार बांध के द्वारों को खोले जाने से जल के छोड़े जाने के बारे में अनुप्रवाह में स्थिति गांवों को चेतावनी देने हेतु अमरेली के जिलाधीश को सूचना देने के लिए, राजस्व मामलादार को 8.11.82 को सूचित कर दिया था। अमरेली के जिलाधीश ने भी उन परिस्थितियों के अधीन सभी संभव उपाय किए थे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा चक्रवात से प्रभावित सभी क्षत्रों में मारे गए व्यक्तियों के लिए नकद सहायता, खाद्यान्न के लिए अनुदान, झोपड़ियों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता, झोपड़ियों के पुनर्निर्माण, बीज के लिए तकावी और छोटे दस्तकारों तथा छोटे व्यापारियों को सहायता देकर, राहत कार्य किए गए थे।

खेती के अन्तर्गत भूमि

4766. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ग 1981-82 में कुल कितनी जमीन पर विभिन्न प्रकार की फसल, फल और दूसरे प्रकार के उत्पाद उगाये गये थे;

(ख) आजकल देश में खेती करने योग्य हेक्टेयरों में कितनी भूमि है;

(ग) कुल कितनी भूमि (हैक्टरों में) किसी भी तरह के उत्पाद के लायक नहीं है; और

(घ) देश के सभी राज्यों में ऐसी भूमि का आनुपातिक विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में वर्ष 1981-82 में प्रमुख फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र था :—

	(दस लाख हैक्टेयार)
खाद्यान्न	128.8
तिलहन	18.8
कपास	8.0
पटसन	0.8
मेस्ता	0.3
गन्ना	3.2
तम्बाकू	0.4
आलू	0.8
टेपिओका	0.3
शकरकंद	0 2

(ख) वर्ष 1978-79 में कृष्य क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत निवल बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, विविध वृक्षों वाली फसलों और बागों के अन्तर्गत की भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि शामिल है) कुल 1858 लाख हैक्टेयर था।

(ग) भूमि का वह क्षेत्र जो किसी किस्म के उत्पादन के योग्य नहीं है, मुख्यत: "बंजर और अकृष्य भूमि" की श्रेणी में आता है तथा इसका अनुमान लगभग 200 लाख हैक्टेयर लगाया गया है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रिपोर्ट से संबंधित क्षेत्र की तुलना में भूमि का अनुपात—1978-79.

राज्य	रिपोर्ट से संबंधित कुल क्षेत्र से बंजर भूमि* की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	8.4
असम	19.0
बिहार	5.8
गुजरात	13.3
हरियाणा	2.3
हिमाचल प्रदेश	6.7
जम्मू तथा कश्मीर	4.3
कर्नाटक	4.7
केरल	2.6
मध्य प्रदेश	5.2
महाराष्ट्र	5.5
मणिपुर	**
मेघालय	9.1
नागालैण्ड	उ०न०
उड़ीसा	1,9
पंजाब	2.0
राजस्थान	8.6/-
सिक्किम	28.6
तमिलनाडु	4.6
त्रिपुरा	10.0
उत्तर प्रदेश	3.7
पश्चिम बंगाल	***

* बंजर और अकृष्य भूमि : इसके अन्तर्गत पर्वतीय, रेगिस्तानी आदि जैसी सभी बंजर और अकृष्य भूमि आती है। ऐसी भूमि जिसको कृषि के अंतर्गत तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि इस पर अधिक लागत न लगाई जाए, अकृष्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। चाहे ऐसी भमि पृथक खण्डों अथवा कृष्य जोतों के अंतर्गत हो।

** इस श्रेणी की भूमि के आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। यह कृष्य परती भूमि, पुरानी परती भूमि, स्थायी चरागाहों और अन्य चरागाह भूमि सहित अन्य वर्गों की भूमि के साथ शामिल की गई है।

/- "कृषि परती भूमि" जो कि रिपोर्ट से संबंधित कुल क्षेत्र की 19.8 प्रतिशत है, के अंतर्गत रेतीला क्षेत्र शामिल नहीं है।

*** इस श्रेणी की भूमि के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके "गैर कृषि उपयोगों के लिए रखे गए क्षेत्र" के साथ जोड़ा गया है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का कार्यकरण

4767. श्री के० ए० स्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित विवरण दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय भण्डागार निगम के परिचालन में वर्षवार कितना लाभ और हानि हुई;

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम की भाण्डारण क्षमता में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई;

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में व्यापक घोखाघड़ी रोकने के लिए रोकथाम के उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध 1981 और 1982 में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भाण्डागार निगम को हुआ निवल लाभ इस प्रकार था :—

वर्ष	निवल लाभ लाख रुपयों में
1979-80	548.29
1980-81	609.53
1981-82	756.29

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पास वर्षवार ढकी भण्डारण क्षमता इस प्रकार थी :—

निम्न तारीख का	क्षमता (लाख मीटरी टन में)
31.3.1980	32.00
31.3.1981	35.39
31.3.1982	39.67

(ग) इस निगम में कोई व्यापक घोखाघड़ी नहीं है। तथापि, कदाचारों के व्यक्तिगत मामले हो जाते हैं और निगम द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। इस निगम की अपने भाण्डागारों के नियमित और अचानक निरीक्षण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली है। अचानक निरीक्षण करने के लिए हाल ही में एक विशेष स्क्वाड भी स्थापित किया गया है। पता लगाए गये अथवा अन्यथा रिपोर्ट किए गये कदाचारों के मामलों पर निगम के सतर्कता सैल में कार्रवाई की जाती है।

(घ) 1981 और 1982 के दौरान 59 कर्मचारियों को दण्ड दिये गये हैं। जो दण्ड दिए गये हैं उनमें निंदा करने से लेकर सर्विस से निकालने तक के दण्ड हैं।

खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम

4768. श्री जय नारायण रौत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विकासशील देशों में खाद्यान्न की चिंताजनक कमी की पूर्ति हेतु एक पांच सूत्री खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रति विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी खाद्य तथा कृषि संगठन समिति का अप्रैल, 1979 में चौथा अधिवेशन रोम में हुआ था। इस अधिवेशन में विश्व खाद्य सुरक्षा पर एक पांच सूत्री कार्य योजना अपनाई गई थी। इस कार्य योजना के पांच तत्व इस प्रकार हैं :—

(1) सभी सरकारों द्वारा खाद्यान्न स्टाक संबंधी नीतियां अपनाना;

(2) राष्ट्रीय स्टाक के प्रबन्ध और उसकी निर्मुक्ति के लिए कसौटी;

(3) चालू आयात सम्बन्धी जरूरतों और आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आय वाले खाद्य की कमी वाले देशों की मदद करने के लिए विशेष उपाय;

(4) खाद्य सुरक्षा सहायता के लिए विशेष प्रबन्ध; और

(5) विकासशील देशों की सामूहिक-आत्मनिर्भरता।

विकासशील देशों ने कुल मिलाकर इस कार्य योजना का समर्थन किया है।

विश्व के कृषि विशेषज्ञों का सम्मेलन

4769. **श्री पी० एम० सईद**
श्री मोहन लाल पटेल
श्री नवीन रावणी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 से 16 जनवरी, 1983 तक नई दिल्ली में विश्व कृषि विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(ङ) क्या सरकार ने इसकी रिपोर्ट की जांच की है ?

कृषि मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 14 से 16 फरवरी, 1983 तक नई दिल्ली में विकासशील देशों के कृषि विशेषज्ञों के समन्वय दल की बैठक हुई थी।

(ख) 19 देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था :

(1) विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में खाद्य तथा कृषि की विश्व व्यापी स्थिति का सामान्य सर्वेक्षण।

(2) खाद्य सुरक्षा।

(3) वानिकी, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण

(4) डेरी तथा मात्स्यकी।

(5) कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण।

(6) ग्रामीण विकास।

(घ) बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) खाद्य, कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच सहकारिता, प्रक्षेपण तथा सहयोग के संभव क्षेत्रों का पता लगाना लगाया गया।

(2) यह सहमति प्रकट की गई कि सहयोग संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सबसे पहले विकासशील देशों से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके कम क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए।

(3) सिफारिश की गई कि विकासशील देश खाद्य तथा कृषि क्षेत्रों में उनके बीच विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग से सम्बंधित कार्यकलापों के लिए नियतन करने के बारे में विचार करें।

(4) खाद्य और कृषि के क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के सभी कार्यकलापों के लिए विकासशील देशों द्वारा आंचलिक केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की गई।

(5) सिफारिश की गई कि खाद्य और कृषि के क्षेत्रों में विकासशील देशों के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बंधित कार्यकलापों का समन्वय तथा प्रबोधन करने हेतु 77 के दल द्वारा एक केन्द्र स्थापित किया जाए।

(6) सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों खासतौर पर खाद्य और कृषि संगठन से अनुरोध किया गया कि वे सहयोग में सुधार लाने के प्रयासों में विकासशील देशों को समर्थन और सहयोग प्रदान करें।

(ङ) जी हां।

देश के युवा वर्ग में प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाना

4770. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा प्रजातंत्र के उचित उपयोग की दृष्टि से देश के युवा तथा विद्यार्थी वर्ग में प्रजातांत्रिक पद्धति तथा सरकार की संसदीय प्रणाली को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार किन विशेष उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या दूरदराज के क्षेत्रों में इस पद्धति को फिल्मों, दूरदर्शन तथा प्रचार के अन्य माध्यमों द्वारा युवा वर्ग तक पहुंचाने के लिए कोई कार्यक्रम विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य, रेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विद्यार्थी वर्ग में प्रजातांत्रिक पद्धति तथा सरकार की संसदीय प्रणाली को लोकप्रिय मनाने हेतु संसदीय कार्य विभाग के पास केवल एक विशेष योजना है अर्थात् विभिन्न विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन। यह विभाग पहले ही दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस योजना के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वियन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को अपने-अपने राज्यों में लागू कर दिया है। संसदीय कार्य विभाग, अपने विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करता है :

आकाशवाणी : आकाशवाणी अब भी युव वाणी कार्यक्रम के अन्तर्गत युवा वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है। पांच केन्द्रों में, युव वाणी कार्यक्रमों के लिए अलग चेनल है। 69 अन्य केन्द्र युवा वर्ग की रुचि के कार्यक्रमों को अपने नियमित कार्यक्रमों के भाग के रूप में प्रसारित करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण विभिन्न रचनाओं में होता है जिनमें संविधान, प्रजातन्त्र और सरकार की विभिन्न प्रणालियों जैसे विषयों पर चर्चा, वार्ता आदि सम्मिलित होती है। ऐसे विषयों को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रोता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी लिया जाता है। आकाशवाणी के केन्द्रों के अन्तर्गत जनता का 80 प्रतिशत भाग आ जाता है। चालू पंचवर्षीय योजना में ट्रांसमीटरों को उन्नत करने और नए आकाशवाणी केन्द्रों के खोलने की योजनाओं के परिणामस्वरूप यह विस्तार 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

दूरदर्शन : दूरदर्शन विभिन्न रचनाओं के अंतर्गत जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्ताएं, चर्चाएं आदि भी होते हैं, युवा वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। सामान्य युवा कार्यक्रमों में समय-समय पर प्रजातन्त्र और संसदीय प्रणाली की सरकार आदि विषय ले लिए जाते हैं इस समय 6.7% क्षेत्रफल में फैली 19.1% जनता दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है। छठी पंचवर्षीय योजना की सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर यह विस्तारण जनसंख्या का 33.1% हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल 15.5% होगा। इसमें दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल होंगे।

फिल्म प्रभाग : फिल्म प्रभाग प्रजातन्त्र, भारत में चुनाव और भारत का संविधान जैसे विषयों पर फिल्में बना रहा है। वर्ष 1982 में 'युवा संसद" पर 35 मी० मी० रंगीन एक फिल्म विशेष दर्शकों के लिए बनाई गयी थी। इस समय फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में "संसद" और "भारत में निर्वाचन" दो फिल्में हैं। साप्ताहिक समाचार-चित्रों में भी ऐसे विषयों पर उपयुक्त समाचार सम्मिलित किए जाते हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार की गई फिल्मों के प्रिन्ट सिनेमाओं में दिखाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों की चल-प्रचार गाड़ियों द्वारा भी इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय राष्ट्रीय अभियानों के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि छपी सामग्री, पट-विज्ञापन और दीवारों पर चित्रण, प्रदर्शनियां और रेडियो और दूरदर्शन पर विज्ञापन का उपयोग करता है ताकि अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचा जा सके। वर्ष 1983-84 में ऐसे अभियानों के भाग के रूप में देश के विद्यार्थी और युवा वर्ग के लक्षित श्रोता के विशिष्ट संदर्भ में प्रजातन्त्र और संसदीय प्रणाली की सरकार के विषय को लिया जाएगा।

प्रकाशन प्रभाग और क्षेत्र प्रचार निदेशालय : प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों और लेखों के माध्यम से ऐसे विषय भी लिए जाते हैं। क्षेत्र प्रचार निदेशालय अपने कार्यक्षेत्र में अन्तर्वैयक्तिक संचार के माध्यम से भी इन विषयों को लेता है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की रोलर फ्लोर मिलों को राज सहायता प्राप्त गेहूं की पूर्ति

4771. **श्री निहाल सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1981 से 31 जनवरी, 1983 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में विभिन्न फ्लोर मिलों को दिए गए राज सहायता प्राप्त गेहूं, चावल आदि का पूर्ति का मिल-वार मासिक कोटा क्या था और उन मिलों का नाम तथा पता क्या है; और

(ख) इन मिलों को गेहूं की किस दर पर पूर्ति की गई और इन मिल मालिकों द्वारा मैदा, आटा, सूजी उपभोक्ताओं को किस दर पर दिया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार रोलर फ्लोर मिलों के खाते पर राज्य सरकारों का गहूं का एक मुश्त आवंटन करती है। इसके बाद राज्य सरकारें व्यक्तिगत मिलों को गेहूं का उप-आवंटन करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर **दो विवरण संलग्न** हैं जिनमें अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1983 के दौरान उनके द्वारा अपने राज्य की रोलर फ्लोर मिलों को मासवार किए गये आवंटन के बारे में बताया गया है। फ्लोर मिलों को कोई चावल सप्लाई नहीं किया जाता है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या-6238/83]

(ख) रोलर फ्लोर मिलों को 1.4.1981 से 31.7.1982 तक 155/-रुपय प्रति क्विंटल की समान दर पर गेहूं सप्लाई किया गया था। निर्गम मूल्य 1.8.1982 से बढ़ाकर 185/-रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था जोकि अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों को जिन निकासी मूल्यों पर गेहूं के उत्पादों को बेचना था वे इस प्रकार थे :—

उत्तर प्रदेश

अवधि	(रुपये प्रति क्विंटल) मैदा	सूजी	परिणामी आटा
1.4.1981 से 7.4.1981 तक	210.00	210.00	निर्धारित नहीं किया
8.4.81 से 8.11.81 तक	206.00	210.00	—वही—
9.11.81 से 31.7.82 तक	214.00	214.00	98.10
1.8.82 से अब तक	260.00	निर्धारित नहीं किया गया	115.00
बिहार			
1.4.81 से 13.11.81 तक	*219.44	*219.44	*185.00
14.11.81 से 31.7.82 तक	=212.00	=212.00	*185.00
1.8.82 से अब तक	250.00	250.00	*215.00

*स्वेच्छा के आधार पर।

=तदर्थ आधार पर।

राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन उत्पादों का वितरण करने से पहले कर, थोक व्यापारियों/खुदरा व्यापारियों का मार्जिन और अन्य प्रासंगिक खर्चों को जोड़ लेती है।

राज्यों में औद्यानिकी के विकास हेतु राशि

4772. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में औद्यानिकी के विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के लिए इस उद्देश्य से उड़ीसा राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित औद्यानिकी विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत बागवानी के विकास के लिए अपने योगदान के रूप में कुल 4.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवटित कर रखी है ।

(ख) राज्यवार आवंटन, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में बागवानी विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

1. काजू

1. रायत जोतों में प्रदर्शन प्लाट आयोजित करना ।
2. वनस्पति प्रचार द्वारा काजू का सुधार ।
3. काजू के संतति बागान की स्थापना ।
4. काजू का राज सहायता पर वृक्षारोपण ।
5. काजू के विषय में पौध रक्षण उपायों को अपनाना ।

2. नारियल :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं ।

(1) नारियल के संबंध में पैकेज कार्यक्रम ।

(2) टी० डी० संकर किस्म के नारियल की पौद का उत्पादन एवं वितरण ।

(3) टी० डी० संकर किस्मों के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ बीज फार्मों की स्थापना ।

(ख) नारियल विकास बोर्ड की परियोजनाएं :

(1) नारियल के तहत के क्षेत्र का विस्तार ।

(2) नहरों के किनारों पर नारियल का रोपण ।

(3) अच्छी किस्म की पौद का उत्पादन ।

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं

4773. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रारम्भ किए जाने वाली केन्द्रीय रूप से प्रायोजित प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं ?

(ख) उनमें से कितने पिछले वर्ष से जारी हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के कौन सी नई योजनाएं प्रारम्भ किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(1) दलहन विकास कार्यक्रम

(2) स्थानिक महामारी वाले क्षेत्र में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि को हानि पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण कीटों तथा रोगों का नियत्रण और उन्मूलन करना।

(3) वारानी खेती वाले क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु मार्गदर्शी परियोजना।

(ख) दलहन विकास तथा स्थानिक भारी वाले क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि को हानि पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण कीटों तथा रोगों का नियंत्रण और उनके उन्मूलन सम्बंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें पिछले वर्ष से जारी हैं।

(ग) वारानी खेती के क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/जल उपयोग सम्बंधी प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु मार्गदर्शी परियोजना सम्बंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(घ) परियोजना का मुख्य उद्देश्य पनधारामों के वैज्ञानिक विकास तथा प्रबध के माध्यम से वर्ष सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन में बृद्धि करना तथा उसमें स्थिरता लाना है।

स्वयं को जल विकास योजना तैयार करने के लिए राज्यों से प्राप्त निवेदन

4774. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें स्वय को जल विकास योजना तैयार करने के लिए केन्द्र से वित्त प्रदान करने का निवेदन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निवेदन करने वाले राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) उनके सुझावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) माननीय सदस्य संभवत: राज्यों द्वारा जल विकास की व्यापक (मास्टर) योजना तैयार किये जाने के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। किसी भी राज्य ने जल-विकास सम्बन्धी ऐसी किसी व्यापक योजना को तैयार करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र से कोई अनुरोध नहीं किया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा भरा जाना

4775 **श्री रामविलास पासवान** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उसमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षित कोटा प्रत्येक श्रेणी में पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शेष कोटे की पूर्ति हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार कर रही है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी जानबूझकर उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो अभी तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) खेल विभाग का सृजन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में से ही किया गया है। 1-3-1983 से विभाग को स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें, प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस विभाग में सभी पदों के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ही काडर नियंत्रक प्राधिकरण बना रहेगा। जब कभी भी काडरों का विभाजन हुआ तो प्रत्येक वर्ग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए, जहां भी आवश्यक हुआ, विभाग द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सेवा का वर्ग	1.3.1983 से शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा खेल विभाग दो स्थानान्तरित दिए गए कर्मचारियों की संख्या	उनमें से कर्मचारियों की संख्या अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कर्मचारियों की प्रतिशतता अनुसूचितजाति	अनुसूचितजनजाति
'क'	15	2	—	13.3	—
'ख' (राजपत्रित)	14	3	—	21.4	—
'ख' (गैर-राजपत्रित)	28	2	—	7.1	—
'ग'	57	13	1	22 8	1.8
'घ'	20	5	—	25.0	—

संसदीय कार्य विभाग में आरक्षित कोटा भरा जाना

4776. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा प्रत्येक श्रेणी में पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शेष कोटे की पूर्ति हेतु क्या विशेष कदम उठा रही है;

(ङ) क्या सरकार उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर भी जानबूझकर उनकी नियुक्ति नही करते हैं; और

(च) यदि हां, तो अभी तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गयी है ।

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
श्रेणी "क"	7	—	—	—	—
श्रेणी "ख" (राजपत्रित और अराजपत्रित)	38	5	13.1	1	2.6
श्रेणी "ग"	47	12	25.5	3	6.3
श्रेणी "ख"	27	6	22.2	3	11.1

(ग) और (घ) सरकारी आदेशों में श्रेणी "क" से श्रेणी "क" के पदों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है । श्रेणी "ख" से श्रेणी "क" में पदोन्नति के बारे में, विभाग में श्रेणी "ख" का अनुसूचित जाति वर्ग का कोई कर्मचारी श्रेणी "क" में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है । श्रेणी "ख" के एक रिक्त पद (अराजपत्रित) के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुसूचित जाति का एक प्रत्याशी नामित करने के लिए निवेदन किया गया है ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

4777. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबन्धों का पालन होता है और यदि हा, तो पिछले एक वर्ष में कितने सामान्य आदेश निर्गत किए गए और उनमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए;

(ख) पिछले एक वर्ष में कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उसमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए गए;

(घ) 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कितनों को आरम्भ से ही भारतीय नाम दिये गये थे; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) जी हां। पिछले एक वर्ष अर्थात 1 जनवरी, 1982 से लेकर 31 दिसम्बर, 1982 तक 656 सामान्य आदेश जारी किए गए थे तथा वे सभी हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान 4278 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे। इनमें से 1316 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया था। शेष पत्र या तो सूचनार्थ थे अथवा उनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 14 प्रकाशन निकाले गए थे जिनमें से 4 द्विभाषिक रूप में निकाले गए तथा एक हिन्दी में निकाला गया। 3 प्रकाशन केन्द्रीय अनुवाद ब्यौरा के लिए भेजे गए हैं। शेष प्रकाशनों को भी यथा समय हिन्दी में अनूदित कर दिया जाएगा। "कुरुक्षेत्रों" पत्रिका भी अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में निकाली गयी थी।

(घ) 1968 के बाद केवल एक संगठन कौंसिल फार एडवांसमेंट आफ रुरल टेक्नालाजी को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है परन्तु इसने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। इसकी सामान्य निकाय (जनरल बाडी) की जब भी बैठक बुलाई जाएगी इसका हिन्दी नाम रख लिया जाएगा।

(ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी० डी० ए० के विकास डिवीजन संख्या दो के बारे में जांच

4778. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने डी० डी० ए० के विकास डिवीजन संख्या दो के कार्यकरण के बारे में जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

4779. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार, कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और उनके नाम क्या हैं तथा उनके नियमत सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) क्या कुछ ऐसी कालोनियां हैं जो आंशिक रूप से नियमित की गई हैं; यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं और उन्हें कब तक पूर्णतया नियमित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) नियमित किये जाने के बाद अनधिकृत कालोनियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिये हैं जिसमें 30.6.77 तथा 16.2.77 तक बनी क्रमश: रिहायशी व वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने इन आदेशों के अनुसरण में 612 अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिये एक सूची का संकलन किया है। दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति इस सूची की जांच कर रही है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं।

(ग) नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं और इन कालोनियों के निवासी सम्बंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विकास प्रभारों के भुगतान तथा अन्य शर्तों को पूरा करने पर जल पूर्ति, विद्युत इत्यादि सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

1982-83 के दौरान देश में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि

4781. **श्री नवीन रावणी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में, विशेषकर गुजरात राज्य में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये वर्ष 1982-83 में छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) कितनी राशि व्यय की गई है और क्या प्रगति उपलब्ध हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सिंचाई सेक्टर के लिये अधिक परिव्ययों की व्यवस्था करते हेतु राज्यों को राजी करने के लिये पिछले कई वर्षों में सतत् प्रयास किये गये हैं। छठी योजना अवधि के लिये क्षमता के सृजन हेतु उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने के लिये भी प्रस्ताव किये जा रहे हैं। 1951-74 की अवधि के दौरान सिंचाई क्षमता की दर 1 मिलियन हैक्टेयर, प्रतिवर्ष थी। 1974-80 की अवधि के दौरान इसको बढ़ाकर लगभग 2 मिलियन हैक्टेयर, प्रति वर्ष कर दिया गया था। छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, 2.3 मिलियन हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से क्षमता में वृद्धि की गई है। 1982-83 के दौरान इस दर को बनाए रखे जाने की संभावना है

1973-74 के अन्त तक, गुजरात में सृजित सिंचाई क्षमता 1.93 मिलियन हैक्टेयर थी। 1974-80 की अवधि के दौरान 0 531 मिलियन हैक्टेयर क्षमता की वृद्धि की गई थी। 1980-82 की अवधि के दौरान 0.092 मिलियन हैक्टेयर क्षमता की वृद्धि किए जाने की सूचना मिली है। 1982-83 के दौरान, गुजरात को 0.083 मिलियन हैक्टेयर क्षमता सृजित कर लेने की आशा है।

वार्षिक निवेश के रूप में, गुजरात ने, हाल के पिछले वर्षों के दौरान बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई (राज्य सेक्टर) परियोजना के लिए निम्नलिखित आवंटनों की धनराशि व्यय की है :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
1980-81	151.96
1981-82	164.31
1982-83 (प्रत्याशित)	204.08
1983-84 (सम्मत परिव्यय)	235.75

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को धनराशि, ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी परियोजना अथवा विकास के सेक्टर से सम्बद्ध नहीं होती। तथापि, 1982-83 के दौरान सम्मत परिव्ययों और प्रत्याशित व्यय एवं अनुमानित अतिरिक्त क्षमता को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सम्मत परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय और सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1982-83 के दौरान सम्मत परिव्यय	1982-83 के दौरान प्रत्याशित व्यय	सृजित अतिरिक्त क्षमता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	158.50	161.72	158
2.	असम	24.30	24.30	47
3.	बिहार	203.12	218.12	300
4.	गुजरात	200.90	202.10	83
5.	हरियाणा	65.35	66.64	63
6.	हिमाचल प्रदेश	6.40	7.04	5.20
7.	जम्मू व कश्मीर	18.43	20.37	12.18
8.	कर्नाटक	98.58	100.11	77
9.	केरल	51.65	66.43	35.40

(जारी...)

1 2	3	4	5
10. मध्य प्रदेश	182.50	225.49	132
11. महाराष्ट्र	293.88	340.68	163
12. मणिपुर	8.75	3.60	15
13. मेघालय	1.55	1.66	2.90
14. नागालैंड	1.86	1.86	2.82
15. उड़ीसा	86.65	86.65	135
16. पंजाब	46.20	44.97	82
17. राजस्थान	71.73	72.18	116
18. सिक्किम	0.90	1.10	1
19. तमिलनाडु	43.38	47.53	40.53
20. त्रिपुरा	6.05	5.50	1.20
21. उत्तर प्रदेश	229.34	247.90	794
22. पश्चिम बंगाल	56.51	47.10	78.25
जोड़	1856.53	1963.05	2344.48 (अर्थात 2350)

छठी योजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

4782. **श्री अनन्त राम्लु मल्लु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आने वाले मानसून के मौसम में बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं; और

(ख) छठी योजना की अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए यदि कोई विशिष्ट योजना बनाई गई है, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एक ऐसी जांच सूची, जिसमें उन विभिन्न मदों का ब्योरा दिया गया है, जिन पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ताकि संभावित बाढ़ स्थितियों का सामना करने के लिए कटिबद्ध रहा जाए, तैयार की गई है और सभी राज्यों को परिचालित की गई है। इसके अलावा, मानसून ऋतु के आरम्भ होने से काफी समय पहले, राज्यों को पत्र लिखा जाता है जिसमें उनसे उस वर्ष की बाढ़ स्थिति का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रबंधों का पुनरीक्षण करने, और बाढ़ तटबन्धों का निरीक्षण करने, कमजोर स्थलों का पता लगाने, बाढ़ का मुकाबला करने से संबंधित सामग्रियों एकत्र करने, असुरक्षित भागों को नियमित रूप से पड़ताल करने, जनता का सहयोग प्राप्त करने, इत्यादि हेतु आवश्यक अनुदेश किया जाता है।

(ख) बाढ़-नियंत्रण एक राज्य-विषय है और विशिष्ट स्कीमें, बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों और उनकी तुलना में अन्य विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार, राज्यों द्वारा तैयार तथा क्रियान्वित की जाती हैं। छठी योजना अवधि के दौरान, 1045 करोड़ रुपये (राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 870 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 175 करोड़ रुपये) का परिव्यय बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमोदित किया

गया है ताकि नए तटबन्धों का निर्माण करके, वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और सुदृढ़ करके, जल निकास नालियों का सुधार करके, नई नालियों का निर्माण करके, तट सुरक्षा तथा नगर सुरक्षा निर्माण-कार्य, जहां आवश्यक हो निर्मित करके 2.55 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा की जा सके ।

स्व-नियोजन के लिए किये गये उपाय

4783. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, सामान्य रूप से बिहार में और विशेष रूप से मधुबनी और दरभंगा जिलों में स्व-नियोजन अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं जुटाने के लिए क्या उपाय किए गए और केन्द्रीय सहायता ने इस संदर्भ में क्या भूमिका निभाई है और छठी पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों में क्या उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) योजना इस मन्त्रालय द्वारा अगस्त, 1979 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवकों, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के पात्र हैं, में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना है । योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया गया है ताकि वे अपने रोजगार के व्यवसाय शुरू कर सकें। यह कार्यक्रम देश भर में चल रहा है ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को सहायता वजीफों, प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग आने वाले कच्चे माल, प्रशिक्षार्थियों के लिए औजार किट तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् उन्हें उत्पादन एककों की स्थापना हेतु उपदानों के रूप में दी जाती है । केवल सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को छोड़कर जहां उपदान सहायता 4000 रुपये है, शेष सभी के मामले में उपदान की राशि 3,000 रुपये है । आदिवासी लाभभोगियों के मामले में उपदान की राशि 5,000 रुपये तक की दी जाती है ।

उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों में से पूरा किया जाता है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है । दरभंगा तथा मधुबनी जिलों सहित सभी जिलों में प्रशिक्षार्थियों को सहायता इसी आधार पर दी जाती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रशिक्षित तथा स्वनियोजित युवकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या
1979-80	255	87
1980-81	3,164	1,726
1981-82	16,854	3,283

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन की जिलावार स्थिति का प्रबोधन केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रति खंड 40 व्यक्तियों की दर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्पूर्ण बिहार राज्य के मामले में प्रति वर्ष 23,480 ग्रामीण युवकों का लक्ष्य होगा।

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

4784. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल की वामनपुरम सिचाई परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) वामनपुरम सिचाई परियोजना, योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1982 में स्वीकृत की गई है।

(ख) इस परियोजना पर 36.40 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है और इससे त्रिवेन्द्रम जिले के त्रिवेन्द्रम, नाडुमंगाना तथा चिरैन्किल तालुकों में 18014 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वार्षिक सिचाई के लाभ परिकल्पित हैं।

(ग) केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया जा रहा है।

केरल में वसूली के चावल के मूल्य में वृद्धि

4785. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल के मूल्य में हाल की वृद्धि से खुले बाजार में चावल और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल के मूल्य में हाल की वृद्धि को घटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि करने से केरल की उचित मूल्य की दुकानों से दिए जाने वाले चावल के मूल्य में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन खुले बाजार में मूल्य में वृद्धि मुख्यतया राज्य में सूखे की स्थिति के बने रहने और व्यापारिक खाते में अन्य राज्यों से चावल की कम मात्रा आने और अन्य कारणों से हुई है।

(ख) केरल समेत सभी राज्यों को खुदरा वितरण के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक केवल उपयुक्त ऊपरी खर्चे निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

मालवीय नगर एक्सटेंशन में स्कूटर गैरेजों के आवंटन के लिए लाटरी निकालना

4786. **श्री भीखाभाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के-ब्लॉक, मालवीय नगर एक्सटेंशन (साकेत), नई दिल्ली में प्रथम स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये 128 स्कूटर गैरेजों के आवंटन के लिए अलाटियों को सूचना देकर कोई लॉटरी नहीं निकाली गई; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्धारित किये गये उत्तरदायित्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या के-ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा बनाये गये प्रथम श्रेणी के फ्लैटों के अलॉटियों को आवंटन हेतु स्कूटर गैरेज संख्या 29, 31, 32, 60, 61 और 62 को 16-11-1981 को निकाली गई लॉटरी से अलग रखा गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आवेदकों को परिवर्तन के लिए ये गैरेज आवंटित करने में कितनी प्रगति हुई; और

(घ) इन गैरेजों की वास्तविक लागत कितनी है और के०, एच० तथा एन० ब्लॉक, साकेत, नयी दिल्ली में श्रेणी एक, दो और तीन योजना के अन्तर्गत फ्लैटों की वास्तविक लागत कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्ववित्त पोषित योजना की श्रेणी-1 के अन्तर्गत "के" ब्लाक, मालवीय नगर एक्सटेंशन (साकेत) में स्कूटर गैराजों के आवंटन के लिए लाटरी 16-11-1981 को निकाली गई थी। इसने आगे बताया है कि इस सम्बन्ध में सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस नोटिस दिया गया था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 16-11-1981 को निकाली गई लाटरी 120 स्कूटर गैराजों के आवंटन के लिए थी जिसमें गैराज संख्या 29, 31, 32, 60, 61 और 62 शामिल थे। इसने आगे बताया है कि 16-11-81 को निकाली गई लाटरी में उन आवटियों को जिन्होंने अपने विकल्प दिये थे, 109 स्कूटर गैराजों का आवंटन किया गया और शेष 11 गैराज बिना आवंटन के रह गये जिनमें गैराज संख्या 29, 31, 32, 60, 61 तथा 62 शामिल थे।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि आवंटित न किए गए स्कूटर गैराजों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्रत्येक स्कूटर गैराज की लागत 4,400/- रुपये है तथा श्रेणी-I के फ्लैटों की लागत 85,800/- रुपये है, श्रेणी-III के फ्लैटों की लागत 1,45,800/- रुपये है तथा "एच" ब्लाक में श्रेणी-II के फ्लैटों की लागत 1,05,200 रुपये है तथा "एन" ब्लाक में 1,05,300 रुपये है और "के" ब्लाक में 1,05.400/- रु० है।

परिसरीय प्रभारों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिद्धांत

4787. **श्री भीखाभाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिहायशी एककों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा परिसरीय प्रभार लगाने के बारे में सिद्धान्त क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ये प्रभार लोगों से मकान का नक्शा मंजूर करने के समय और "डी" फार्म को मंजूर करते समय वसूल किये जाते हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त परिसरीय प्रभारों की वसूली नालियों पेयजल, सड़क निर्माण तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध किये बिना लिये जा रहे हैं;

(घ) क्या यह उचित नहीं होगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह प्रभार उस दिन से वसूल किये जायें जिस दिन से उक्त सुविधाएं आवंटियों को उपलब्ध की जाये; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रालय/विभग में प्रशिक्षण केंद्र

4788. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में इस समय कुल कितने और कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षण कोर्स चलाये जा रहे हैं;

(ग) उपयुक्त कितने प्रशिक्षण कोर्सों में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है; और

(घ) क्या ऐसे प्रशिक्षण कोर्सों की परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा विकल्प कब तक दिये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष आयोजन समिति में प्रतिनिधित्व

4789. **श्री भीखाभाई** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति में, रोस्टर सहित कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि नवम एशियाई खेल, 1982 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ग) एशियाई खेल, 1982 में पंजाब सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा वेतन आधार पर 1184 कर्मचारियों को लगाया गया था। विशेष आयोजन समिति एक अस्थायी संगठन होने के कारण, इस पर समुदायी रोस्टर लागू नहीं होता। तथापि, कर्मचारियों की भर्ती करते समय, विशेष आयोजन समिति द्वारा जहां सम्भव हुआ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए उचित ध्यान रखा गया।

(ग) और (घ) पंजाब सरकार से 14 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। उनका चयन उनके सेवा रेकार्ड के आधार पर किया गया था।

सहकारी ऋण समितियों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान को जमा करना

4790. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश साधन समिति सचिव परिषद् 109-ए, दारुल शफा, लखनऊ द्वारा कोई मांग की गई है कि सहकारी ऋण समितियों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान को संस्थागत जनपदीप संवर्ग निधि में जमा किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा ख) उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सदन समिति सचिव परिषद, लखनऊ द्वारा इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है।

पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध

4791. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को उनके सम्बद्ध राज्यों से अन्य राज्यों को पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये पत्र लिखा था;

(ख) उसका राज्यवार परिणाम क्या निकला और इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाने वाले अथवा परिपत्र जारी करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में विशेषकर गुजरात राज्य से बम्बई में देवनार बूचड़खाने को बैल जैसे पशु बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार को इसको रोकने के लिये तैयार करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री विनोबा भावे को दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) पशुओं के संरक्षण, सुरक्षा तथा सुधार का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 15 के अन्तर्गत आता है। तथापि, गुजरात से अन्य राज्यों को पशुओं के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) सरकार ऐसे संचलन को रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है तथा इस सम्बन्ध में सतर्कता बरत रही है।

जमाखोरों पर छापे मारा जाना

4792. **श्री कुंवर राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में राज्यवार कितने छापे मारे गए;

(ख) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) कुल कितनी धनराशि जब्त की गई; और

(घ) सरकार को अनुमानत: कितनी धनराशि के काले धन के बारे में सुराग मिले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) नया 20 सूत्री कार्यक्रम जनवरी, 1982 में घोषित किया गया था। जनवरी, 82—फरवरी, 1983 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरों आदि के विरुद्ध की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) काले धन का पता लगाने का कार्य आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह विभाग सामान्य सर्वेक्षणों के अलावा, कुछ चुनींदा वस्तुओं, जिनमें मुनाफाखोरी किए जाने का सन्देह होता है, के बारे में देश भर में मौके पर समन्वित सर्वेक्षण करता रहता है। वर्ष 1982-83 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों, दालों, खाद्य तेल तथा सीमेंट के बारे में मौके पर किए गए ऐसे सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप कुल 2.68 करोड़ रुपये के लगभग छुपाये जाने का अनुमान है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली नवीनतम रिपोर्टों के आधार पर जनवरी, 1982—फरवरी, 1983 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्यवाही।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	पकड़ी गई आवश्यक वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	2543	756	55.55
2.	असम	114	28	0.30
3.	बिहार	1126	244	111.29
4.	गुजरात	3311	9	31.99
5.	हरियाणा	180	212	17.62
6.	हिमाचल प्रदेश	20973	44	0.12
7.	जम्मू एवं काश्मीर	190	152	0.58
8.	कर्नाटक	15082	463	144.73

(जारी...)

9. केरल	अप्राप्य		
10. मध्य प्रदेश	3618	294	61.27
11. महाराष्ट्र	844	785	20.05
12. मणिपुर	शून्य	—	—
13. मेघालय	42	—	—
14. नागालैंड	17	1	—
15. उड़ीसा	48336	38	12.05
16. पंजाब	3949	56	3.01
17. राजस्थान	2797	19	9.64
18. सिक्किम	21	15	0.09
19. तमिलनाडु	2970	331	54.87
20. त्रिपुरा	41	43	1.67
21. उत्तर प्रदेश	29558	1777	411.33
22. पश्चिमी बंगाल	5738	4082	15.77
23. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1002	25	—
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	—
25. चंडीगढ़	160	2	0.22
26. दादर एवं नागर हवेल	3	3	0.04
27. दिल्ली	224	182	1.32
28. गोवा, दमन एवं दीव	3784	4	0.10
29. लक्षद्वीप	शून्य	—	—
30. मिजोरम	शून्य	—	—
31. पांडिचेरी	631	206	0.20
योग	1,47,254	98,112	953.812 रु०

शहरी मल का उपयोग

4793. **श्री अमल दत्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी मल का उपयोग करने और ऐसा करने के लिए स्थानीय अधिकरणों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अशोधित मल का कमपोस्ट के रूप में उपयोग करने से कुछ क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सुरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के दौरान "अपशिष्ट मल निर्यास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत यांत्रिक खाद संयंत्र स्थापित करने की एक योजना आरम्भ की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णयानुसार इस कार्य को 1.4.78 से राज्य क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया था।

(ख) मल, खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तथापि मल, खेतो के लिए प्रयोग किया जाता है। मल से महामारी फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई।

(ग) निर्माण और आवास मन्त्रालय ने मल तथा मल शोधन पर एक मैनुअल तैयार किया है जिसमें विशेष रूप से सिंचाई कार्यों के लिए मल का प्रयोग बताया गया है तथा स्वास्थ्य की हानि से बचाव से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशन दिये गये हैं।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के कर्मचारियों का रोस्टर रजिस्टर और वरिष्ठता सूची

4794. **श्री भीखा भाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के कर्मचारियों का रोस्टर रजिस्टर और वरीयता सूची नहीं बनाई गई है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ में सरकारी अनुदेशों का पालन न करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० (एन. सी. सी. एफ) ने सूचित किया है कि सीधी भर्ती से आने वालों के मामले में यथा निर्धारित एक 40 प्वाइंट रोस्टर रजिस्टर 1976 से रखा जा रहा है। संघ ने अब पदोन्नति पाने वालों के लिए भी रोस्टर रखने का निर्णय ले लिया है।

इसके कर्मचारियों की वीरयता सूची संघ के नियमों के अनुसार रखी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को रियायती दरों पर उर्वरकों की पूर्ति

4795. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी श्रेणी के किसानों को पोटैशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों को रियायती दरों पर पूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा, जम्मू और काश्मीर राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान पोटैशियम नाइट्रेट और अन्य श्रेणियों के उर्वरकों पर प्रति बैग कितनी वास्तविक राजसहायता मंजूर की गई थी और खुले बाजार और सहकारिता तथा कृषि सेवा समितियों में इन मदों की सामान्य बिक्री दरें क्या थीं ?

(ग) क्या सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिये कोई विशेष छूट भी मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वह किस किस्म की छूट है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के तहत भारत सरकार द्वारा पोटैशियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डॉ० अम्बेडकर स्मारक की स्थापना

4796. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों, व्यक्तियों तथा दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, अम्बेडकर, भवन नयी दिल्ली से डॉ० अम्बेडकर स्मारक स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस मंत्रालय में उक्त प्रयोजन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गौमांस और मांस की चर्बी द्वारा वनस्पति में मिलावट

4797. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री तारिक अनवर } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि वनस्पति निर्माण अपने वनस्पति उत्पादों में गौमांस और मांस की चर्बी की मिलावट कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसा उत्पादन करना अपमिश्रण निवारण अधिनियम का उल्लघन है और विधि के अंतर्गत दण्डनीय है;

(ग) 1980, 1981 और 1982 के दौरान बेचे गए वनस्पति के कितने नमूनों में उक्त प्रकार की मिलावट की जांच की गई और यदि हां, तो मिलावटी वनस्पति बेचने के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किए गए;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आयातित चर्बी जो सस्ती है, का प्रयोग करने वाले वनस्पति उद्योग उत्पादों को 2 रुपये से 4 रुपये की छूट पर बेच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वनस्पति उद्योग को अपने उत्पादों में सीमेम बिनौले और अखाद्य तेलों की तुलना में सस्ती आयातित चर्बी का प्रयोग करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में वनस्पति में चर्बी का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए इसका प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के तहत दण्डनीय है ।

(ग) वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय द्वारा विश्लेषित नमूनों की संख्या नीचे दी गई है :—

1980	—	3261
1981	—	3091
1982	—	4330

इनमें से कोई भी नमूना चर्बी की मिलावट के कारण फेल नहीं हुआ।

(घ) व (ङ) इस खबर के अनुसरण में जांच-पड़ताल की गई थी। तथापि, वनस्पति में चर्बी के प्रयोग का ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। वनस्पति निदेशालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वनस्पति घी विशिष्टयों के अनुरूप हो, उत्पादकों के परिसरों का निरीक्षण करते हैं नमूनों का विश्लेषण करते हैं और बाजार सर्वेक्षण करते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं का राज्यों की अर्थ व्यवस्था का प्रभाव

4798. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राकृतिक आपदाओं के निरन्तर घटने के कारण कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है जिसके परिणामस्वरूप आयोजना तथा गैर आयोजना दोनों क्षेत्रों में संसाधनों का व्यय हुआ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सारी सीमान्त राशि निश्शेष हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि टूट फूट की मरम्मत तथा बहाली के लिये अपेक्षित राशियों की सारी मांग की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाये, जो कि विनाश की विषमता के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) करीब-करीब हर वर्ष देश के किसी न किसी भाग में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होता है। इनको रोक पाना संभव नहीं है। सरकार केवल राहत कार्यों पर होने वाले व्यय की वित्तीय सहायता की स्वीकृत योजना के अनुसार राज्यों को सहायता देकर इसे कम करने के उपाय कर सकती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास के लिए उपलब्ध है।

(ख) तथा (ग) प्रत्येक वर्ष राज्यों के बजट में सीमान्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा यह धनराशि राहत कार्यों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। राज्यों की आवश्यकताओं सम्बन्धी मांगों की जांच केन्द्रीय दलों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करते समय राज्यों के पास उपलब्ध सीमान्त धनराशि को ध्यान में रखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र खोलना

4799. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सामुदायिक केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों के राज्यवार, वर्षवार नाम क्या हैं जहां वे खोले गये हैं और इन केन्द्रों के क्रियाकलाप क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें खोलने के लिए सरकार को और मांगें प्राप्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनमें से कुछ को स्वीकृति दे दी गई है और उनके शीघ्र ही खुलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र खोलने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है तथा ऐसे केन्द्रों को खोलने हेतु पिछले तीन वर्ष के दौरान कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सामुदायिक केन्द्रों के भवनों का निर्माण करना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राह्य मदों में से एक मद है। ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक निधियां सुलभ की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण भी शामिल है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

4800. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए स्थल एवं मकानों का निर्माण करने संबंधी व्यापक उपाय और योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1982 के दौरान गुजरात में तथा अन्य राज्यों में ऐसे कितने निर्माण हो चुके हैं तथा उन्हें वितरित किये जा चुके हैं;

(घ) क्या योजना आयोग ने उक्त योजनाओं और उपायों के मूल्यांकन के लिए हाल में किसी तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक समिति की क्या प्रगति है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 68 लाख परिवारों को आवास स्थलों के आवंटन पर विचार किया गया है ताकि 1985 तक सभी 145 लाख ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सके। (77 लाख परिवारों को इस योजना के आरम्भ में आवास स्थल आवंटित कर दिये गये थे) तथा उनमें से 25% अर्थात् 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने पर भी विचार किया गया है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है और इसे नये 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्रियों के स्तर पर राज्य सरकारों को इस योजना के पुरजोर कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है। स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् ने भी इस पर विचार किया है और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की पद्धति बतायी है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा भी करते हैं जिस पर निकटता से निगरानी रखी जा रही है।

(ग) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक की उपलब्धि गुजरात में 29,074 एकक तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2,71,000 एकक हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) तकनीकी सलाहकार समिति ने अध्ययन के अभिकल्पन को अन्तिम रूप दे दिया है जिसे शीघ्र ही आरम्भ किया जाने वाला है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें

4802. **श्री मनोहर लाल संनी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण द्वारा परिवहन की उचित व्यवस्था के जरिये पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या पूर्व उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े गांवों को सड़कों द्वारा बड़े नगरों से जोड़ दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का पहले ही एक भाग है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रलेख में परिकल्पना की गई है कि 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा और इस वास्तविक लक्ष्य के लगभग 50 प्रतिशत को 1985 तक पूरा किया जायेगा। पहाड़ी, आदिवासी, मरुस्थली तथा तटवर्ती क्षेत्रों जहां जनसंख्या बिखरी हुई है, के मामले में सामूहिक गांवों के दृष्टिकोण को अपनाया जायेगा। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना (1983-84) प्रलेख में दी गई सूचना के अनुसार 31.3.1982 तक देश में 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले 69268 गांवों तथा 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 56617 गांवों में से क्रमश: लगभग 42535 तथा 24590 गांवों को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा।

(ग) इस प्रकार की सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

एक संकाय (डिस्सिपलिन) विश्वविद्यालय

4803. **श्री अर० एन० राकेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 19 फरवरी, 1983 को नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में एकीकरण की सिफारिश की थी और एक ही विषय वाले विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संकाय वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध रहा है और उसने तदनुसार आई० बी० आर० आई० और एन० डी० आर० आई० को विश्वविद्यालय के समान दर्जा देने से इन्कार कर दिया है, विशेषकर आई० ए० आर० आई० के कथित गन्दे रिकार्ड को देखते हुए जहां पी० एच० डी० डिग्री में प्रवेश और डिग्री प्रदान करना कथित रूप से राजनैतिक दबाव से होता है जो हास्यास्पद बात बन गई है; और

(ग) क्या सरकार कृषि मंत्रालय और आई० सी० ए० आर० के मार्ग निर्देश के लिए इसकी नीतियों को स्पष्ट करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 19 फरवरी, 1983 को कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने की सिफारिश के निर्णय पर अपना संतोष व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि इन क्षेत्रों में देश द्वारा उच्च स्तर के वैज्ञानिक/तकनीकी व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी और वानिकी के क्षेत्रों में योग्य संस्थानों को भी ऐसा दर्जा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। यह विचार सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है।

(ख) इस तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विषय के विश्वविद्यालयों के विरुद्ध नहीं रहा है। हाल ही में, इसने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-3 के अतर्गत भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को "विश्वविद्यालय" घोषित किया जा सकता है। मौजूदा समय में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को एक "विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। पी० एच० डी० की डिग्री प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(ग) इस संबंध में सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य करती है। इस मामले में कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सरकार की नीति की जानकारी है।

औद्योगिक क्षेत्र और कृषकों को दिए गए अग्रिमों पर लिया जाने वाला ब्याज

4804. **श्री सुभाष यादव** : *क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में औद्योगिक क्षेत्र और कृषकों को सीधे सरकार द्वारा अथवा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से दिये गये अग्रिम धन/ऋण पर सरकार द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ?*

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : केन्द्रीय सरकार कृषकों को किसी भी किस्म का ऋण सीधे अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं दे रही है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी ऋण संस्थाओं के संसाधनों को मजबूत करने के लिए ऋण सहायता दी जाती है, ताकि वे कृषकों को अपने ऋण देने के कार्यों में विस्तार कर सकें।

इस प्रकार के ऋणों पर राज्य सरकारों के लिए ब्याज दर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत है।

बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में हाकी को प्रोत्साहन

4805. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : *क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जहां बच्चे इस खेल में बचपन से ही रुचि लेते हैं हाकी को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ताकि वे इस खेल में कुशलता प्राप्त कर सकें ?*

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : राज्य सरकारों के सहयोग से, एक केन्द्रीय योजना के रूप में, दोहरे उद्देश्य वाली ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं की एक ऐसी विशिष्ट योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें राष्ट्रीय खेल संबंधी क्रियाकलापों की मुख्य धारा में सामान्यत: अधिकांश ग्रामीण तथा जनजातीय युवकों को शामिल करना तथा उनमें खेल प्रतिभा का पता लगाना तथा पोषण करना भी शामिल है। ग्रामीण खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में अन्यों के साथ-साथ हाकी भी शामिल है।

प्रतिभाशाली जनजातीय हाकी के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और भारतीय हाकी संघ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में और अधिक प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है।

खाद्य तेलों का आयात

4806. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितना खाद्य तेल आयात किया गया और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें प्रत्येक वर्ष कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) किन देशों से और किस एजेन्सी के माध्यम से इसकी खरीद की गई;

(घ) क्या यह सच है कि भण्डारों के अन्तरण अथवा भण्डारण के दौरान अधिक मात्रा में तेल बरबाद किया गया; और

(ङ) इसका निपटारा किस प्रकार किया जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उन देशों के नाम, जिनसे आमतौर पर विक्रेताओं द्वारा खाद्य तेल भेजे जाते हैं, नीचे दिए गए हैं :—

तेल	देश
सोयाबीन	संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील और यूरोप
रेपसीड	कनाड़ा तथा यूरोप
ताड़	मलेशिया तथा इंडोनेशिया

खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि ढुलाई अथवा भण्डारण के दौरान तेल की केवल थोड़ी सी मात्रा बरबाद होती है। इसके मात्रा का अधिकांश भाग पुनः परिष्करण के बाद उपयोग के लायक हो जाता है। इनकी अवशिष्ट मात्रा अखाद्य तेलों के वास्तविक प्रयोक्ताओं को अखाद्य प्रयोजनों के लिए दे दी जाती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष	आयात का ब्यौरा (मात्रा लाख मी० टन में)			मूल्य (करोड़ रुपये में)	
	सोयाबीन तेल	रेपसीड तेल	ताड़ का तेल	योग	
1980-81	5.68	1.55	3.47	10.70	527.81
1981-82	5.28	1.23	3.72	10.23	498.36
1982-83	3.89 (अनुमानित)	0.79	5.16	9.84	442.79

1981-82 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि

4807. प्रो० मधु दंडवते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 बजट में ग्रामीण विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या ये आवंटन ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त थे; और

(ग) 1981-82 में ग्रामीण विकास पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 393.01 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था जिसमें से वर्ष के दौरान 383.56 करोड रुपये की धनराशि खर्च कर ली गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के समग्र उद्देश्यों, प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रीय लक्ष्यों तथा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, इस मंत्रालय के अधीन योजनाओं के लिए उस वर्ष के दौरान आवंटित निधियां लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त थी।

औद्योगिक गोदाम मालिकों की भारतीय खाद्य निगम पर बकाया राशि

4808. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम पर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के दो गोदाम मालिकों से लाखों रुपयों की राशि बकाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वैयक्तिक पार्टियों के देय किराया मांगे जाने पर इसके मुख्यालय द्वारा बकाया चुकाने के निर्देश जारी कर दिये गये थे परन्तु मंडलीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता ने इसका पालन नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो गोदाम मालिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिये गये गैर सरकारी स्थानों, उनकी किराया राशि और उनके द्वारा दावा किये गये मुआवजे और उसकी राशि तथा निपटाये गये मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम और दो पार्टियों के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के गोदामों के बारे में किराये के विवादास्पद बकाया दावे हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। ये दावे बहुत हद तक तय कर लिए गए हैं और पार्टियों की बकाया राशि के दावों पर निगम द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किराये पर लिए गए गोदामों और किराये की राशि आदि के बारे में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्वोत्तर क्षेत्र में किराये पर लिए गए गोदाम और किराये की राशि आदि संबंधी विवरण ।

	पार्टी का नाम	केन्द्र का नाम	देय किराया (प्रति मास)	कैफियत
1.	मैसस इस्टन टा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन सोसायटी लिमिटेड जी० एस० रोड गोहाटी-7	गोहाटी	रु० 31,096.80	इन गोदामों के बारे में कोई दावा निलम्बित होना नहीं बताया गया है ।
2.	मैसर्स भूरा ट्रेडिंग कं० गवर्नमेंट बाजार पो० आ० करीमगंज जिला कछार	पिचरथल	रु० 11,913.60	
3.	श्रीमती प्रिय बाला बंका आइ-एच-बी-रोड अगरतला	बदरघाट	रु० 3,952.40	
4.	—	जोवई	रु० 270.00	
5.	मैसर्स न्यू इण्डिया इन्टरप्राइज कलकत्ता	गोहाटी	रु० 11,084.00	अक्तूबर, 1982 तक किराया दे दिया गया है और पार्टी द्वारा पट्टा करार का नवीकरण पर शेष किराया दे दिया जाएगा ।
6.	मैसर्स मेहरपुर वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	सिलचर	—	किराया की दर पर विवाद चल रहा है । तथापि, पार्टी द्वारा मांगी गई 65,766.97 रुपये की राशि के प्रति 45,730.55 रुपये की रकम अदा कर दी गई है और शेष राशि का निपटारा करने के लिए कारपोरेशन शीघ्र कार्रवाई कर रहा है ।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों का विकास

4809. श्री सज्जन कुमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से मार्च, 1983 तक दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों के विकास के लिए किस प्रकार के विकास कार्य किये गये और प्रत्येक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन कालोनियों में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1983-84 के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान इन कालोनियों के बिकास के लिए डी० डी० ए० द्वारा कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत स्थापित 44 पुनर्वास कालोनियों में, प्रत्येक 25 वर्गगज के 1,96,090 प्लाटों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करने के लिए निम्नलिखित कार्यों के निष्पादनार्थ एक योजना की मंजूरी दी गई है :—

(1) पानी की सप्लाई की मुख्य लाइनें

(2) मल-निर्यास

(3) बरसाती नालियों एवं पुलियों का सुधार

(4) सड़कों/पथों का सुधार

(5) परिधीय सेवाएं

(6) निर्माण के दौरान अनुरक्षण कार्य

(7) उपरि टैंक तथा भूमिगत टैंक

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसने 1980-81 और 1982-83 के मध्य (फरवरी, 1983 तक) योजना पर 18.2611 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बताया है कि उसने 1980-81 और 1982-83 के मध्य (फरवरी, 1983 तक) इन कालोनियों में डी० एस० आई० डी० सी० शैडों और उनमें स्थित विपणन केन्द्रों तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था सहित दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों का आम विद्युतीकरण करने पर 4.424 करोड़ रुपये व्यय किया है।

(ख) उपर्युक्त योजना 1983-84 में भी जारी रहेगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए एशियाड कार्य तथा उन पर खर्च की गई धनराशि

4810. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की एशियाड 82 के लिए दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम ने अपने प्रभार में क्या-क्या कार्य कराए थे और उनकी अलग-अलग सूची क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : एशियाड 1982 के के लिए दिल्ली नगर निगम ने अम्बेडकर स्टेडियम को नवीकृत कराया, जिस के लिए 15-3-1983 तक 61,52,602/-रु० का व्यय दर्ज किया गया है, दिल्ली प्रशासन ने माडल टाइन स्टेडियम को नवीकृत कराया और 15.3,1983 तक इसको 21,92,634/-रु० की राशि दी गई है। सरकार ने एशियाड 1982 की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न स्टेडियमों के नवीकरण हेतु एशियाई खेलों के बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी ऋण और बचत समितियों बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4811. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण और बचत समितियों/बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध बड़ा बकाया धनराशि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समितियों/ बैंकों के कार्यचालन को कारगर बनाने और ऋणों की वसूली के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सकार ऐसे कोई कदम उठायेगी और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अतिदेय धनराशि 1981-82 के अन्त में 1212 करोड़ रुपये थी जो मांग के 43 प्रतिशत के बराबर है केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अतिदेय धन राशि 1082 करोड़ रुपये थी, जो मांग के 35 प्रतिशत के बराबर है।

(ख) से (घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आत्मक्षम बहु-उद्देशीय एककों के रूप में पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम जम्मू व कश्मीर, गुजरात तथा महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में लगभग पूरा हो गया है। पुनर्गठित समितियों में पूर्णकालिक वेतन भोगी सचिव होंगे जो ऋण संबंधी कार्यों का विस्तार करने तथा अतिदेय की वसूली करने में समर्थ होंगे। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन समितियों का पूर्ण बहुद्देशीय तथा बहु ऋण समितियों में विकास करें। भारतीय रिजर्व बैंक (अब राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा तैयार किये गये पुनः स्थापना कार्यक्रम के तहत सरकार की वित्तीय सहायता से कमजोर केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, सहकारी समितियों के पंजीकार तथा राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के साथ बैठकें करके भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों द्वारा ऋणों की वसूली सम्बधी कार्यों की लगातार समीक्षा की जाती है। यह मामला कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 31-1-1983 को पत्र लिखकर उनके साथ उठाया है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि अतिदेय की समीक्षा का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाए और जान-बूझकर चूक करने वाले व्यक्तियों के मामले में वसूली की मोहलत देने के आदेशों को जारी न करके तथा जोर-जबरदस्ती के तरीके अपनाकर वसूली के लिए समुचित वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण ऋण के लिए आवंटित की गई धन-राशि

4812. श्री के प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दो वर्षों में ग्रामीण ऋण के लिए विभिन्न राज्य पैक्स कोपरेटिव बैंक, सैंट्रल बैंकों और राज्यों के विभिन्न भू-बधक बैंकों को धन-राशि आवंटित की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। राज्य-वार तथा वर्ष-वार जानकारी संलग्न विवरण (अनुबन्ध-1 से 4 तक) में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी.-6239/83]

उड़ीसा में स्वैच्छिक एजेन्सियों के संघ द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता

4813. **श्री के० प्रधानी** : ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारत सरकार और बाहरी देशों (मिशनों) से कुछ परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता पाने वाले स्वैच्छिक एजेन्सियों के संघ और उनके सदस्य संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) समाज कल्याण बोर्ड और बाहरी देशों से उन्हीं परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता पाने वाले संगठनों/एसोसिएशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) जहां तक बाहरी देशों की सहायता का प्रश्न है क्या सरकार ने बाहरी देशों से आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिये कोई नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) इस मंत्रालय में यह सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ख) यद्यपि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन बोर्ड ने 1980-81 में उड़ीसा में 600 से अधिक संस्थाओं को सहायता पहुंचाई है ।

(ग) भारत की संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी सरकारों आदि से अनुदानों की प्राप्ति हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ।

कृषि कार्यक्रम की प्रगति

4814. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कृषि कार्यक्रम की प्रगती और समीक्षा के बारे में जानकारी मांगी थी और क्या इन कार्यक्रमोंका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों, जिनमें उत्पादकता वर्ष और नए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात कार्यक्रम भी शामिल है, की प्रगति के संबंध में मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है । विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों से प्रगति संबंधी अतिरिक्त सूचना भी प्राप्त होती है ।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें प्रगति रिपोर्टों में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति संबंधि जानकारी देती है । केन्द्र सरकार इस प्रकार से भेजी गई जानकारी संबंधी उपलब्धियों के आंकड़ों का उपयोग प्रबोधन के प्रयोजन से करती है । लक्ष्यों की तुलना में जहां कहीं उपलब्धियों में कमी दिखाई देती है, उसे राज्य सरकारों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी होने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई के लिए लौटा दिया जाता है ।

राशन कार्डधारियों द्वारा गेहूं खरीदा जाना।

4815. श्री बो० वी० देसाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन कार्डधारी इस समय उन्हें राशन पर देय गेहूं का केवल लगभग 60 प्रतिशत गेहूं प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने यह बताया है कि राजधानी में 3,000 उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के पांच भंडारण केन्द्रों से प्रति माह 40,000 टन गेहूं उठाया जाता है ;

(ग) क्या यह राशन क्षमता से काफी कम है ;

(घ) क्या इस कटौती के कारण दिल्ली में राशन कार्डधारी बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं ;

(ङ) इसके लिए अन्य क्या कारण जिम्मेदार हैं और सरकार द्वारा कार्डधारियों को शत प्रतिशत गेहूं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(च) क्या गेहूं की कमी है जिसके कारण यह कटौती की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (च) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 41,000 मीटरी टन गेहूं का वर्तमान मासिक आवंटन अपर्याप्त है और उन्होंने इसे बढ़ाकर 60,000 मीटरी टन प्रतिमास करने के लिए अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बन्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है। मासिक समीक्षाओं के फलस्वरूप, जहां कहीं आवश्यक होता है, आवंटन में वृद्धि/कमी की जाती है। तथापि, ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक हैं और उनका उद्देश्य जनता की पूरी खपत अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं है।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण के लिए 41,000 टन गेहूं प्रति मास आवंटित किया जाता है और दिल्ली प्रशासन लगभग पूरी पूरी मात्रा उठाता है। यद्यपि दिल्ली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को बढ़ाना संभव नहीं हो सका है तथापि उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान आवंटन में से ही सभी राशन कार्डधारकों को गेहूं का समान वितरण किया जाये तथा जाली राशन कार्डों को समाप्त किया जाये।

कृषि अनुसंधान को विश्वविद्यालय का स्तर दिया जाना

4816. श्री बो० वी देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान संस्थाओं को कृषि विश्वविद्यालय का स्तर दिया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें मत्स्य पालन और वानिकी संबंधित संस्थाएं शामिल होंगी;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या उन्होंने किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनिक आदानों की किस्म पर निगरानी रखने हेतु विशेष सेल स्थापित करने के लिए विश्व-विद्यालय को निदेश दिए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, संस्थान, इज्जतनगर का स्तर 'विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा' करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान में इस स्तर को मछली पालन और वानिकी संस्थानों को प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 19 फरवरी, 1983 को कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि कृषि विश्वविद्यालयों में उर्वरक कीटनाशी दवाओं और किसानों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले अन्य रसायनों की गुणवत्ता को मानीटर करने की सुविधाएं होनी चाहिए।

कार्यदल की गैर-सरकारी आवास पर सिफारिशें

4817. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री के० लकप्पा
श्री पी०एम० सईद
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को महानगरों और छोटे नगरों में गैर सरकारी आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यदल की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करने हेतु कहा है;

(ख) क्या आवास निर्माण के लिए वित्त उपलब्धता की वर्तमान शर्तों के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है और वर्ष 1982 के दौरान पहले दिए गए प्रोत्साहन से इस प्रयोजन हेतु अधिक वित्त सुलभ कराने में कहां तक सहायता मिली है;

(ग) क्या कार्य दल की सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वयन किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में आवास हेतु धन की आवश्यकता तथा भारतीय सन्दर्भ में वित्तीय मध्यस्थता विषयक अध्ययन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान कर रहा है।

(ग) तथा (घ) क्योंकि सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, इसलिए उनसे सम्बन्धित सिफारिशों पर उचित कार्यवाही आरम्भ करने को कहा गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

रबी की फसल की बुबाई को बढ़ाने के लिए राज्यों को जारी मार्ग निर्देश

4818. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को रबी की फसल की बुवाई बढ़ाने के लिए 16-सूत्री मार्ग निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को जिलावार, ब्लाक-वार और गांव-वार, विभिन्न खाद्यानों, दालों और तिलहनों का रबी की फसल का उत्पादन लक्ष्य तैयार करने और सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो जारी किये गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र इन 16-सूत्री मार्गनिर्देशों के क्रियान्वयन में इन राज्यों की सहायता करने के लिए राजी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) रबी अभियान 1982-83 के सम्बन्ध में राज्यों को जारी किए गए 16-सूत्री मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

विवरण

1. 15 नवम्बर, तक किसानों को गेहूं, दलहनों, तिलहनों, आदि जैसी फसलों के बीजों की आपूर्ति करना।
2. गेहूं की फसल की अधिकतम बुवाई नवम्बर के अन्त तक पूरी कर ली जाए।
3. सरसों, चना तथा अन्य दलहनों की बुआई का कार्य बिना कोई देरी किए शीघ्र पूरा कर लिया जाए।
4. नहरों तथा पम्पसैटों को चलाने के लिए बिजली की 10 घंटे निरन्तर आपूर्ति करने के जरिए सिंचाई जल की पर्याप्त उपलिब्ध सुनिश्चित करना।
5. पम्पसैटों को चलाने के लिए डीजल के उपयुक्त तौर पर वितरण करने के लिए सुस्पष्ट प्रबन्ध करना।
6. फार्म स्तर पर उर्वरक, खरपतवार नाशी औषधियों तथा कृमिनाशी औषधियों जैसे आदानों को समय पर पहुंचाना।
7. अरहर, चना तथा सरसों की फसलों के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप में तथा समय पर वनस्पति रक्षण के उपाय करना।
8. प्रत्येक सहकारी समिति तथा वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के लिए ऋणों के लक्ष्यों के निर्धारण हेतु सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पर्याप्त ऋण सुविधाओं को तेज करना।

9. रबी कार्यों के प्रचालन तथा प्रबोधन के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर अन्तः विभागीय समन्वय समितियों की स्थापना करना।

10. रबी कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा प्रबोधन के लिए जिला तथा खंड स्तर पर समन्वय समितियों की स्थापना करना।

11. कार्यक्रम को प्रबोधन तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कृषि विभाग में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।

12. धान्यों, दलहनों, तिलहनों के उत्पादन तथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी औषधी, ऋण, कृषि उपकरणों के जिला, खंड तथा ग्राम वार लक्ष्य निर्धारित करना तथा नाम से उत्तरदायित्व सौंपना। लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए पुरस्कार तथा सम्मान के अन्य जरिये अपनायें जाएं।

13. मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई के कार्यों, जिनमें जलमार्ग, नलकूपों का विद्युतीकरण करना तथा मरम्मत के फालतू पुर्जों की कमी के कारण बन्द पड़े हुए नलकूपों को चालू करना भी शामिल है, को तेजी से पूरा करना।

14. निम्नलिखित के जरिए सिंचाई प्रणालियों के नियंत्रण में पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग करने के लिए एक अभियान चलाना :—

(क) फसल वृद्धि की नाजुक अवधियों के समय जल के बहाव को नियंत्रित करना तथा चालू करना;

(ख) जल मार्गों की मरम्मत करना;

(ग) बाड़ाबन्दी शुरू करना;

(घ) सम्पूर्ण कमान क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन के लिए सस्य प्रणाली क्रियान्वित करना;

(ङ) मंडियों के आधार पर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करना;

(च) आदानों की समय पर आपूर्ति के प्रबंध करना; और

(छ) विस्तार प्रयासों को तेज करना।

15. किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने तथा उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाए इस सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करना।

16. रबी उत्पादन से सम्बन्धित मामलों पर मेज पर ही तत्काल निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त, सिंचाई विद्युत, कृषि सहकारिता, आदि विभागों के प्रतिनिधि शामिल करके, राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना।

बिहार के नवादा जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

4819. श्री कुंवर राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नवादा जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं कौन-सी हैं; और

(ख) उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतर्गत आर्थिक रूप से सक्षम कोई भी गतिविधि जो लाभभोगी की आय को प्रचुर मात्रा में बढ़ाने में सहायक हो, शुरू की जा सकती है। ये गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीय अथवा तृतीय क्षेत्रों में हो सकती है। उदाहरणत: ऐसी गतिविधियां ये हैं : डेयरी यूनिटें, मुर्गीपालन यूनिटें, सुअरपालन यूनिटें, मछलीपालन यूनिटें, नलकूप, पम्पसेट, मरम्मत की दुकानें आदि।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के नवादा जिले में हुई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

मद	अनन्तिम 1982-83 (15-12-82 तक)
1. लाभान्वित परिवारों की संख्या	1486
2. उपदान पर खर्च की गई धनराशि (लाख रु० में)	13.55
3. जुटाया गया ऋण (लाख रुपए में)	26.21

निम्न आय वर्ग/जनता वर्ग के लोगों के साथ डी० डी० ए० द्वारा पत्र व्यवहार की भाषा

4820. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग और जनता आय वर्ग के लोगों के साथ किस भाषा में पत्र व्यवहार किया जाता है; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपना पत्र व्यवहार दिल्ली प्रशासन की राज-भाषा हिन्दी में करने का निर्देश दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राणिकरण ने सूचित किया है कि निम्न आय वर्ग और जनता आय वर्ग से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर यथा सम्भव हिन्दी में दिए जाते हैं। फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करने वाली विवरणिका और आबंटन तथा मांग पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही में जारी किए जाते हैं।

(ख) जनता से यथा सम्भव हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने सभी एककों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

डी० डी० ए० मकानों में घटिया किस्म की सामग्री के उपयोग के बारे में शिकायतें

4821. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों में घटिया किस्म की सामग्री के उपयोग किये जाने के बारे में अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई है;

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें सही पाई गईं;

(घ) उसके परिणामस्वरूप आबंटिती वार कितनी धनराशि मुआवजे में दी गई और कितने अधिकारियों तथा ठेकेदारों को दंडित किया गया है; और

(ङ) कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात को खाद्यान्नों की सप्लाई

4822. **श्री नवीन रावणी**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए गेहूं और चावल उसकी मांग से काफी कम मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में उनकी मांग के विरुद्ध कितना गेहूं और चावल सप्लाई किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य ने केन्द्र से राज्य की मांग पूरी करने के लिए 30,000 टन गेहूं और 30,000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह मांग कब की गई थी और केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 2,80,000 मीटरी टन चावल और 4,00,000 मीटरी टन गेहूं की मांग की थी जबकि उन्हें 1,45,000 मीटरी टन चावल और 1,65,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां। नवम्बर, 1982 में 30,000 मीटरी टन गेहूं और 30,000 मीटरी टन चावल के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस राज्य के सामान्य आवंटन अपरिवर्तित बने रहे लेकिन राज्य में राहत कार्यों के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजना के अधीन राज्य सरकार को गेहूं की 20,000 मीटरी टन मात्रा-फरवरी, 1983 मास के लिए 8,750 मीटरी टन और मार्च, 1983 के लिए 11.250 मीटरी टन-आवंटित की गई है।

पश्चिम बंगाल में शीतागारों (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना

4823. **श्री रेणुपद दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के चरण-दो कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कितने शीतागार स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) राज्य में आलू जैसी प्रचुर मात्रा की (बम्पर) फसल के दौरान नितांत महसूस किये गए सहकारी क्षेत्र की भण्डारण क्षमता के विस्तार के लिए अब तक क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 कार्यक्रम, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में प्रत्येक 4,000 मीटरी टन की क्षमता वाले 22 शीतागारों की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। किन्तु, परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा मंजूर की गई धनराशि से सभी 22 शीतागारों का निर्माण करना संभव नहीं हो सकेगा। अत: कार्यक्रम के तहत इनकी संख्या में कमी किये जाने की संभावना है।

(ख) पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र में शीतागार क्षमता बढ़ाने के विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी रूप से कम विकसित राज्यों में सहकारी कार्यक्रमों के विकास के लिए अब तक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 6.49 करोड़ रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 परियोजना के तहत 3.82 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। 15 मार्च, 1983 तक निगम ने दोनों कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक रूप में क्रमश: 5.44 करोड़ रुपये और 1.22 करोड़ रुपये की राशि-निर्मुक्त की है।

गैर-सरकारी मकानों के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट

4824. **श्री के० लकप्पा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गैर-सरकारी मकानों के सम्बन्ध में कार्यदल की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रखी जा रही है।

आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग की किराया नियन्त्रण कानूनों पर रिपोर्ट

4825. **श्री के० लकप्पा**
श्री सन्तोष मोहन देव } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किराया नियन्त्रण कानूनों में पुनरीक्षण करने के लिए आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) किराया नियन्त्रण कानूनों के सम्बन्ध में आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी कोई सिफारिश स्वीकार की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशें सरकार के जांचाधीन हैं।

बिलासपुर में "नेफेड" की व्यापार-समिति की आपात बैठक

4826. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफेड" की व्यापार-समिति की एक आपात बैठक दिनांक 8 दिसम्बर, 1982 को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुई थी;

(ख) यदि हां तो कार्य-सूची में क्या-क्या विषय सम्मिलित थे और बैठक कितने समय चली;

(ग) व्यापार-समिति के सदस्यों तथा उन सदस्यों का विवरण क्या है, जिन्होंने "विशेष आमंत्रित" व्यक्तियों के रूप में इस बैठक में भाग लिया था और उनके "नेफेड" में अथवा किसी अन्य संगठन में पदनाम और पदाधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बैठक में "नेफेड" के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया था; और

(ङ) यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता सहित इस बैठक पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 8 दिसम्बर, 1982 को लगभग दो घंटे चलने वाली इस बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थीं :—

(1) दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 को हुई व्यापार समिति की पिछली आयात बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

(2) दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 को हुई कार्य समिति की पिछली आयात बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा पर विचार करना।

(3) नेफेड के माध्यम से रामतिल के निर्यात की व्यवस्था से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किये जाने वाले उपायों पर विचार।

(4) लाइसेंस वर्ष 1982-83 के दौरान ए० पी० एस० मूंगफली की निर्यात-स्थिति की समीक्षा करना।

(5) जेनेवा के मैसर्स "ग्रेनाडेक्स एस० ए०" को 1982-83 के मौसम के दौरान एच० पी० एच० मूंगफली की सप्लाई के बारे में विचार करना।

(ग) बैठक में भाग लेने वाले कार्य समिति के सदस्यों एवम् विशेष अतिथियों की सूची विवरण में दी गई है।

(घ) व्यापार कार्य से सम्बन्धित नेफेड के 6 अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

(ङ) इस बैठक पर कुल मिलाकर केवल 16,677.40 रुपए खर्च हुए जिसमें सदस्यों, विशेष अतिथियों और अधिकारियों को यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते आदि के लिए किये गये भुगतान की राशि भी शामिल है।

विवरण

दिनांक 8 दिसंबर, 1982 को बिलासपुर में हुई कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और विशेष अतिथियों की सूची ।

1.	श्री आर० जी० तिवारी	अध्यक्ष
2.	श्री बीरपाल सिंह	सदस्य
3.	श्री राम सेवक मिश्र	सदस्य
4.	श्री एस० सी० साहू	सदस्य
5.	श्री भगवती प्रसाद मिश्र	सदस्य
6.	श्री तपेश्वर सिंह	विशेष अतिथि
7.	श्री राजकेश्वर सिंह	विशेष अतिथि
8.	श्री राम कुंवर सिंह	विशेष अतिथि

(समस्त विशेष अतिथि नेफेड के निदेशक मण्डल के सदस्य हैं)

मध्य प्रदेश में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए समस्या वाले गांव

4827. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने समस्यामूलक गांव लाए जाने हैं और इस सम्बन्ध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गांवों को इस कार्यक्रम में लाने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और 1983-84 के दौरान केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और यह धनराशि कितने गांवों के लिए है;

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में सभी चुने गए समस्या वाले गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कब लाए जाएंगे;

(घ) इस योजना की प्रगति और केन्द्रीय सहायता के पूर्णत: उपयोग का मूल्यांकन करने हेतु क्या तन्त्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) पिछला मूल्यांकन कब किया गया था और उसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) समस्याग्रस्त ग्रामों को राज्य योजनाओं में उपलब्ध निधियों से जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानों से की जाती है राज्य सरकारों द्वारा उनको लाभान्वित किया जाना है । जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बताया था, 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार, जिन समस्याग्रस्त ग्रामों में जल पूर्ति की व्यवस्था की जानी थी, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) 1982-83 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को कुल 1397.50 लाख रुपये की राशि दी गई थी । वर्ष 1983-84 के दौरान दी जाने वाली राशि और 1983-84 में लाभान्वित किए जाने वाले गांवों की संख्या को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि 1983-84 के लिए इस मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर संसद द्वारा अभी विचार किया जाना है ।

(ग) मध्य प्रदेश में पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को छठी योजना अवधि के दौरान स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत सहित लाभान्वित किए जाने का प्रयास है।

(घ) तथा (ङ) योजना की प्रगति का प्रबोधन निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में पता लगाए गए 24944 समस्याग्रस्त ग्रामों में से वर्ष 1980-81 से फरवरी, 1983 तक जिन समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल सुविधाएं मुहैया की गई, उनकी संख्या 18066 है (आंशिक करवेज सहित)।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	31-3-80 की स्थिति के अनुसार उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जहां जलपूर्ति मुहैया करना शेष है
1	2	3
1.	सागर	716
2.	छतरपुर	397
3.	पन्ना	293
4.	दमाओं	414
5.	टीकमगढ़	393
6.	जबलपुर	1108
7.	नरसिंहपुर	206
8.	बालघाट	802
9.	मण्डला	917
10.	सौंज	646
11.	छिन्दवाड़ा	658
12.	रायपुर	747
13.	राजनन्द गांव	574
14.	दुर्ग	534
15.	जगदलपुर	379
16.	विलासपुर	1273
17.	सुरगुजा	1045
18.	रायगढ़	507
19.	रीवा	663
20.	सतना	839
21.	सैहडोल	805
22.	सिद्धी	696
23.	ग्वालियर	215
24.	दाकिया	298
25.	मुरेना	766
26.	भिड	370
27.	गुना	880
28.	शिवपुरी	237
29.	इन्दौर	265

(जारी···)

1	2	3
30.	घर	671
31.	जगुआ	190
32.	खड़गांव	607
33.	खंडावा	263
34.	उज्जैन	274
35.	रतलाम	434
36.	मंडसौर	589
37.	देवास	295
38.	शाहजापुर	393
39.	विदिशा	502
40.	होशंगाबाद	497
41.	बेतुल	515
42.	भोरल	93
43.	रेसेन	426
44.	राजगढ़	633
45.	सिहोरे	364
46.	बस्तर	515
	योग	24944

दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

4828. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बारे में 19 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8362 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुक्त, खाद्य और नागरिक पूर्ति दिल्ली द्वारा जारी आदेशों को लागू करने के विरुद्ध प्राप्त रोकादेश दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) जी नहीं। ये मामले अभी भी न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

सिंचित तथा अर्धसिंचित भूमि

4829. **श्री भीम सिंह**
श्री बापू साहिब परुलेकर
श्री सत्येंद्र नारायण सिंह : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के अन्त में देश में सिंचित तथा अर्ध-सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना था;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक भूमि को सिंचाई के अधीन लाने के लिए कोई समय बद्ध-योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संकलित किये जाते हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े, वर्ष

1978-79 के हैं। 1978-79 के दौरान सकल बुआई क्षेत्र 175.177 मिलियन हैक्टेयर था और सकल सिंचित क्षेत्र 48.09 मिलियन हेक्टेयर था।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, अनेक बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए, जिसमें भूमिगत जल का विकास भी शामिल होगा, देश की अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता 113 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। 1981-82 के अन्त तक, 60 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षमता की जा चुकी है। यह विचार है कि यदि आवश्यक साधन उपलब्ध रहे, तो देश की अन्ततः सृजनीय क्षमता को इस शताब्दी के समाप्त होने तक सृजित कर लिया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वाहन

4830. **श्री हरिश कुमार गगवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के पास अपने कर्मचारियों तथा प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु। अप्रैल, 1982 से 1 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान कितनी कारें, जीपें, बसें, स्टेशन वैगन, स्कूटर (दो पहिया तथा तिपहिया), मोटर साइकलें, आदि उपलब्ध थे;

(ख) प्रत्येक वाहन के मैकेनिकों, ड्राइवरों, हेल्परों, पर तथा उनके संचालन अनुरक्षण पर 1979-80 से 28 फरवरी 1982 तक, वर्षवार, कितना व्यय हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वाहन दिल्ली में तथा दिल्ली के बाहर, अलग-अलग, कितने किलोमीटर चला;

(घ) प्रत्येक अधिकारी ने प्रत्येक वाहन में प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर यात्रा की तथा उपर्युक्त अवधि में यात्रा करने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) प्रत्येक वाहन के उपयोग के संबंध में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं इन पर निगरानी कौन रखता है और किस प्रकार रखता है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) (1) एम्बेसडर कार—5 (इसमें एक वह कार भी शामिल है जो खराब हो गई है)

(2) स्टेशन वैगन (मेटाडोर)—1

(3) (बादल) मिनि कार (तीन पहिये वाला) —1

(4) स्कूटर (दो पहिए वाला)—1

(ख) मुख्यालय के कारों के साथ केवल ड्राइवर होते हैं। इसके अतिरिक्त मैकेनिक या हेल्पर किसी भी वाहन के लिए नहीं दिये जाते हैं। ड्राइवरों पर होने वाला वर्षवार खर्च विवरण में दिया गया है। वाहनों के चलाने और उसके रखरखाव पर होने वाला खर्च आकस्मिक स्वरूप का खर्च होता है, जिसकी व्यवस्था "अन्य परिव्यय" शीर्ष के अन्तर्गत की जाती है जिसमें उपकरण, औजार, फर्नीचर, उपास्कर आदि जैसे अनेक मद शामिल हैं। इसलिये प्रश्नगत अवधि के लिए प्रत्येक वाहन के चलाने और उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च से संबंधित पृथक रूप से सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) प्रत्येक वाहन का उपयोग स्टाफ कार नियमों में निहित अनुदेशों के अनुसार और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आर्थिक अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। जहां-कहीं भी जरूरी हो कार्यकारी बनाम-कल्याण अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से इन वाहनों का आवंटन करता है और उन पर निगरानी रखता है।

विवरण

वर्ष 1979-80 से 28. 2. 83 की अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

मुख्यालय के ड्राइवरों पर वर्षवार होने वाले खर्च को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	ड्राइवर का नाम	प्रत्येक वर्ष होने वाला खर्च (रु० में)				टिप्पणी
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	
1.	श्री मीन चन्द	11788.65	10805.20	13235.30	6013.50	परिषद के ड्राइवरों को कोई
2.	श्री वास देव	12277.45	13508.82	14357.22	15317.82	खास वाहन स्थायी तौर पर
3.	श्री शिव प्रसाद	9045.60	9400.46	10731.20	12569.75	नहीं दिया गया है ।
4.	श्री छत्तर सिंह	7128.05	9882.00	11704.05	10680.60	ड्राइवरों का प्रशासनिक
5.	श्री आई० एन० पाण्डेय	9454.00	11115 60	12631.05	14598.05	जरूरतों के अनुसार वाहन
6.	श्री शिव मूर्ति	—	5985.00	8760.10	11604.45	आवंटित किए जाते हैं ।
7.	श्री बलजीत	12664.91	13397.77	13760.15	14713.20	
8.	श्री सूरज भान	—	—	7335.70	7400.55	

आर्य नगर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भूमि का आबंटन

4831. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य नगर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भूमि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई है और इस सोसायटी को भूमि का कब्जा कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और क्या उक्त सोसायटी की ओर से कोई कमी रह गई है जिसके कारण उसे भूमि आबंटित नहीं की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आर्य नगर सहकारी ग्रुप आवास समिति को पटपड़ गंज क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई है तथा इस समिति को स्थल का वास्तविक कब्जा 30 अप्रैल, 1983 तक दे दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में भूमि-संरक्षण के लिए धनराशि

4833. **श्री हरिहर सोरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में उड़ीसा राज्य को भूमि संरक्षण कार्यों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया;

(ख) उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में भूमि संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना केवल एक ऐसी योजना है, जो 1983-84 के दौरान उड़ीसा में, हीराकुंड, मचकुंड तथा रंगाली-मेंदिरा के स्रवण क्षेत्रों में जारी रहेगी। इस योजना के लिए सहायता की स्वीकृति पद्धति 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता है, जिसमें केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत अनुदान और राज्यों के लिए 60 प्रतिशत अग्रिम ऋण शामिल हैं। इस योजना के तहत उड़ीसा को 1982-83 के दौरान 100 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इसी प्रकार की सहायता का 1983-84 के दौरान जारी रहने की संभावना है।

(ख) तथा (ग) कृषि भूमि का उपचार बांध बांधने, पत्थर की दीवार बनाने, जल निकास प्रणाली से बेंच टैरेसिंग द्वारा करने का विचार है, जबकि वन भूमि का उपचार वन रोपण, बाड़ा बनाने तथा आर्द्रता संरक्षण उपायों से किया जाना है। अवक्रमित परती भूमि का पुर्नस्थापन सिसल, काजू आदि के लाभकारी बागानों से किया जाएगा। अवक्रमित भूमि का पुनस्थापन करने तथा फसल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए वर्षा जल का फिर से उपयोग करने के साथ साथ उपयुक्त स्थानों पर भूक्षरण नियंत्रण तथा जल उपयोग ढांचों को बगाने का विचार है।

सोयाबीन की बढ़ती हुई खेती

4834. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सोयाबीन की खेती बढ़ाई गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाने के लिए प्रयास किये गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) छठी योजना के अन्त तक 18.50 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का विस्तार करना;

(2) उन्नत बीज तथा उन्नत पैकेज प्रणालियों का उपयोग,

(3) बीज मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण।

(4) किसानों के खेतों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन।

मध्य प्रदेश के लिए एक पंचवर्षीय सोयाबीन परियोजना मंजूर की गई है। इस योजना का उद्देश्य सोयाबीन के अन्तर्गत का क्षेत्र 1980-81 में 4.50 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 1985-86 के अंत तक 18 लाख हैक्टेयर करना है और इससे 14.40 लाख मीटरी टन उत्पादन मिलने की सम्भावना है। परियोजना पर कुल 15 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह लागत पूर्ण रूप से भारत सरकार वहन करेगी।

सोयाबीन की विपणन सम्बंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार खरीद करने वाली एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के साथ समर्थन मूल्य निर्धारित करती रही है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्यों में सोयाबीन के विकास से सम्बंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गयी है।

चीनी उद्योग का वित्तीय संकट

4835. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में चीनी उद्योग वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की सहायतार्थ सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) बलसार जिले सहित गुजरात में विभिन्न भागों में चीनी फैक्ट्रियों तथा उद्योग वस्तु तथा नकद रूप में क्या सहायता दी गई है;

(घ) गुजरात तथा देश के अन्य भागों में 1.1.1982 से 31.1.1983 के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात और देश में कितनी मांग थी; और

(च) विभिन्न देशों से चीनी का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा उसके लिए कितनी राशि की अदायगी की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री(श्री भागवत झा आजाद) : (क) गन्ने की अत्यधिक फसल होने, राज्य सरकारों के सुझाव पर कुछ राज्यों में गन्ने का अधिक मूल्य देने और लेवी मुक्त चीनी की बिक्री से कम प्राप्ति होने के कारण चीनी उद्योग द्वारा कुछ वित्तीय कठिनाइयां अनुभव की गई हैं।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गये हैं :—

(1) बकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे प्रत्येक यूनिट को गैर-मौसम की मरम्मतों के लिए 25 लाख रुपये का बे-जमानती ऋण देवें;

(2) चीनी स्टाक पर बैंक मार्जिन को 25 प्रतिशत से कम करके 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है;

(3) बिना मार्जिन के बैंक उधार से 5 लाख मीटरी टन चीनी का बफर स्टाक बनाना;

(4) बैंकों को चीनी मिलों को 1982-83 के लिए पिछले वर्ष लिए गए अधिकतम ऋण के 125 प्रतिशत तक धनराशि देने की अनुमति दी गयी है;

(5) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा चीनी उद्योग के लिए संस्थागत वित्त समन्वय सम्बंधी स्थायी समिति स्थापित की गयी है;

(6) मूल्यों को इकनामिक स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए खुली बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियां विनियमित की गई हैं; और

(7) 1983 में चीनी का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) गुजरात 1.1.1982 से 31.1.1983 तक की अवधि के दौरान चीनी का कुल 6.12 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था। देश के अन्य भागों में उसी अवधि के दौरान चीनी 93.06 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ है।

(ङ) राज्यों को अपनी सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जनवरी से मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान 2.71 लाख मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक आबंटन किया गया था, जिसमें से गुजरात का मासिक कोटा 14,031 मीटरी टन था। अप्रैल, 1982 से मासिक आवंटन बढ़कर 2.94 लाख मीटरी टन हो जाने से गुजरात का मासिक कोटा बढ़ाकर 14,433 मीटरी टन कर दिया गया था। जहां तक लेवी मुक्त चीनी का सम्बन्ध है, फैक्ट्रियों से 1.1.1982 से 31.1.1983 तक की अवधि के दौरान मुक्त बिक्री के लिए कुल 20.40 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गयी थी।

(च) 1.1.1982 से 31.1.1983 तक की अवधि के दौरान चीनी का कोई आयात नहीं किया गया था।

गुजरात में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना

4836. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के बलसाड़ और अन्य जिलों में चीनी के कारखाने स्थापित करने हेतु सरकार, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1977 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुए इस प्रकार के प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस प्रकार के उन प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा विवरण क्या है और कितनों को लाइसेंस दिए गए हैं; कितने प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है और कितने प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) इन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ङ) विचाराधीन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा;

(च) लाइसेंस प्रदान करने हेतु नियम, विनियम, नीति और मानदण्ड क्या हैं; और

(छ) गुजरात के बलसाड़ और अन्य जिलों में विद्यमान चीनी कारखानों के नाम तथा संख्या कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) गुजरात के विभिन्न जिलों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए केवल सहकारी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) पहली जनवरी, 1977 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान, गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, 31 जनवरी, 1983 के बाद, इस मंत्रालय में चार और आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। विवरण-I संलग्न है जिसमें ऐसे आवेदनों-पत्रों का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-6240/83]

किसी भी मामले को अस्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, अन्तर्राज्यीय/अंतर क्षेत्रीय और पिछड़े क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर, इन पांच आवेदन पत्रों पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ विचार किया जाएगा। निकट भविष्य में अन्तिम निर्णय उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(च) नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के नियम, विनियम और इसकी कसौटी के बारे में सरकार द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1980 के प्रेस-नोट में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०—6240/83]

(छ) गुजरात के बलसाड़ और अन्य जिलों में स्थित, चीनी फैक्ट्रियों के नाम और उनकी संख्या विवरण-2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०-टी०-6240/83]

स्थानीय स्वशासन और नगर निगमों की केन्द्रीय परिषदों का निर्णय

4837. **श्री भूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों के दौरान स्थानीय स्वशासन और नगर निगमों की केन्द्रीय परिषद की बैठकें किन-किन तारीखों को और किन-किन स्थानों पर हुई; और

(ख) उन बैठकों में लिए निर्णयों का क्या ब्यौरा है और ये निर्णय अब तक किस ढंग से कार्यान्वित किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विगत 5 वर्षों के दौरान, केन्द्रीय परिषद् की 3 बैठकें तथा नगमों की एक बैठक हुई। केन्द्रीय परिषद् की बैठकें 30, 31 दिसम्बर, 1980, 4 तथा 5 फरवरी, 1982 एवम् 17 तथा 18 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में हुई। नगर निगमों का सम्मेलन बंगलौर में 26 मई, 1981 में हुआ था। आवास मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में 10 तथा 11 नवम्बर, 1978 को हुआ था।

(ख) इन बैठकों में मलिन बस्ती सुधार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास, आवास तथा नगरीय स्थानीय निकायों आदि से सम्बद्ध मामलों के लिए जीवन बीमा निगम सामान्य बीमा निगम ऋण जैसे विषयों से सम्बंधित संकल्प पारित किए गए। इन बैठकों में पारित संकल्पों को राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन बैठकों में पारित संकल्पों के कार्यान्वयन की प्रगति की आगामी बैठकों में समीक्षा की जाती है।

किसानों के पास कृषि योग्य भूमि

4838. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग द्वारा 1976-77 में की गई एक गणना के अनुसार 54.70 प्रतिशत किसानों के पास औसतन एक हैक्टेयर से कम भूमि है और 18 प्रतिशत के पास एक या दो हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या भूमि की अधिकतम सीमा सम्बंधी कानून बना लिए गए हैं और उनको सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां। 1976-77 की कृषि गणना के अनुसार, देश में किसानों की एक हैक्टेयर तक तथा एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर के बीच की कृषि योग्य जोतें क्रमशः 54.7 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या जिसे अर्थ-व्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में खपाने के लिए गुंजाइश है, का भूमि पर दबाव छोटे आकार की कृषि जोतों में वृद्धि करने का प्रमुख कारण है।

(ग) जी हां, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बना लिए गए हैं और ये नागालैण्ड तथा मेघालय जहां सामुदायिक स्वामित्व की प्रबलता है, को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

खेलों को राष्ट्रीय महत्व दिया जाना

4839. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर कभी ध्यान दिया है कि जापान किस सहज ढंग से खेलों को राष्ट्रीय महत्व देता है तथा प्रशिक्षण की वैज्ञानिक प्रणालियों का अनुसरण करता है;

(ख) यदि हां, तो भारत कब तक तदनुसार अपनी गति तेज करेगा और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उस गति को प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) सरकार का इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और वह किस ढंग से खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सरकार जापान सहित कुछ विदेशों में खेलों के तेज विकास से अवगत है। तथापि, खेलों को प्रोत्साहित करने के प्रयास करते समय संवैधानिक तथा वित्तीय सीमाओं तथा समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। उन सीमाओं के अन्तर्गत सरकार खेलों के प्रोत्साहन के के लिए नियमित रूप से अधिकाधिक धन सुलभ कराने के यथासम्भव प्रयास करती रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू के चार वर्षों के दौरान केन्द्र में खेलों पर व्यय की बजट संबंधी स्थिति नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	योजनागत व्यय	योजनेतर व्यय	योग
1980-81 (वास्तविक आंकड़े)	142.17	126.99	169.16
1981-82 (वास्तविक आंकड़े)	206.69	153.34	360.03
1982-83 (बजट)	266.00	159.84	425.84
1982-83 (संशोधित प्राक्कलन)	306.76	182.93	489.69
1983-84 (बजट प्रस्तावित)	414.00	221.97	635.97

इसके अलावा एशियाड, 1982 पर लगभग 67 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

सम्पूर्ण छठी योजना (1980-85) में 1075 लाख रुपये का कुल परिव्यय खेल सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है।

भारत द्वारा नौवे एशियाई खेलों की हाल ही की सफल मेजबानी तथा केन्द्र में खेलों के स्वतंत्र विभाग के सृजन से खेलों के विकास की गति आने वाले वर्षों मे तेज हो जाने की आशा है।

देश में उचित दर की चलती फिरती दुकानें शुरू करना

श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के दूर-दराज के गांवों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिये कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां तो कब और किस प्रकार मार्ग-निर्देश दिये गये हैं;

(ग) क्या सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्यों ने दूर-दराज के गांवों में उचित दर की चलती-फिरती दुकानें शुरू की हैं; और

(घ) यदि हां, ऐसे स्थानों के, राज्यवार नाम क्या हैं और उचित दर की कितनी चलती-फिरती दुकानें शुरू की गई हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) जी हां। ग्रामीण इलाकों को पर्याप्त रूप से सार्वजनिक विवरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिये राज्य सरकारों को समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अलावा, नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का और अधिक उचित दर की दुकानें खोलकर विस्तार करें, जिसमें दूरस्थ इलाकों में चलती-फिरती दुकानें खोलना भी शामिल है। इस बारे में नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 19.2.1982, 15.6 1982, 20.9.1982 तथा 28.2.1983 को विशिष्ट दिशा-निर्देश भेजे गये हैं।

(ग) व (घ) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा सहित कई राज्यों से मिली सूचना के अनुसार उन्होंने दूर-दराज के गांवों में उचित दर की चलती-फिरती दुकानें खोली हैं। उन स्थानों का ब्यौरा जहां चलती-फिरती दुकानें खोली गई हैं और इन खोली गई दुकानों की संख्या संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आवंटित धन का दुरुपयोग

4841. **श्री सुभाष यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू तथा काश्मीर और त्रिपुरा में, दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या धन के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए कोई समिति बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं लेकिन जांच करने पर निधियों के दुरुपयोग का वास्तव में कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है कि समन्वित ग्रामीण विकास को निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वे सुलभ की गई हैं। लाभ-भोगियों के चयन, योजनाओं को स्वीकृति तथा परिसम्पत्तियां आदि को प्राप्त करने में ग्राम सभाओं सहित कई विभिन्न एजेंसियों को शामिल किया जाता है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभभोगियों को सुलभ की गई सभी परिसम्पत्तियों को मौके पर जांच करके दुरुपयोग को रोके जाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। जिलाधीशों, परियोजना अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी वस्तुतः इन पहलुओं की जांच किए जाने की प्रत्याशा की जाती है। इस मन्त्रालय क वरिष्ठ सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरे करते हैं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वियन के प्रत्येक पहलू की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है।

(ग) जी नहीं।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई पूर्ति

4842. **श्री राम अवध :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिए राशन का कुल कितना खाद्यान्न आवंटित किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : विवरण संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्रीय पुल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन का ब्यौरा किया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्रीय पुल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन को चलाने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	आवंटन			
	चावल	गेहूं		जोड़
		सा० वि० प्र०	मिलें	
1982				
अप्रैल	45	35	30	110
मई	45	35	30	110
जून	30	25	30	85
जुलाई	30	25	30	86
अगस्त	35	25	30	90
सितम्बर	35	35	33*	103
अक्तूबर	35	30	30	95
नवम्बर	30	40	30	100
दिसम्बर	30	40	30	100
1983				
जनवरी	30	50	30	110
फरवरी	25	70	30	125
मार्च	25	100	30	155
सकल जोड़	395	510	363	1,268

इसमें बाढ़ राहत के लिये 10.0 हजार मीटरी टन की मात्रा भी शामिल है।

*इसमें त्यौहारों के लिए 3.0 हजार मीटरी टन की मात्रा भी शामिल है।

शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद कार्यक्रम चलाना

4843. **श्री डूंगर सिंह** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। अथवा करेंगे;

(ख) मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रों में युवा संसद की प्रतियोगिता करवाने और उनका मूल्यांकन करने के लिये की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था इस समय है या सरकार द्वारा राज्य और केन्द्र स्तरों पर पुरस्कार वितरण तथा नई दिल्ली और दिल्ली में प्रचलित सर्वोत्तम स्कूल को शील्ड प्रदान जैसी प्रचलित व्यवस्था किये जाने का विचार है; और

(घ) किन-किन राज्यों ने अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश की संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें युवा संसद प्रतियोगिता को अपने-अपने राज्य में कार्यान्वित कर रही हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए निवेदन किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के लिए "अभिविन्यास पाठ्यक्रम" का आयोजन करती है। ये एक सप्ताह की अवधि के होते हैं और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। वर्ष 1982 में 'अभिविन्यास पाठ्यक्रम" तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में संचालित किए गए थे।

इस विभाग ने राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए किसी राज्य द्वारा की गयी प्रत्येक वार्षिक प्रतियोगिता के लिए, वित्तीय सहायता की रु० 1000/- की अधिकतम सीमा के भीतर, एक योजना बनाई। वर्ष 1982 में वित्तीय सहायता की इस सीमा को बढ़ाकर रु० 3000/- कर दिया गया है।

(ग) युवा संसद प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह एवं शील्ड, ट्राफी, पुरस्कारों आदि के सम्बन्ध में खर्च की प्रतिपूर्ति इस विभाग द्वारा, रु० 3000/- की सीमा के भीतर, की जाती है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है कि वे इस योजना को अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करें।

उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की कमी

4844. **श्री डूंगर सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकीय वस्तुओं की आपूर्ति के लिये सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद, उचित दर की दुकानों पर हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास अच्छी किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था होते हुए भी उचित दर की दुकानों में घटिया किस्म की वस्तुओं के बच जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार उचित दर की दुकानों के कृत्यों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें समय पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने तथा उसके पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उनसे समय-समय पर प्राप्त होने वाली रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रणाली सामान्यत: ठाक तरह से कार्य कर रही है, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर चल रही प्रणाली में अस्थायी तथा स्थानीय स्वरूप की कमियों या कुछ मामलों में होने वाली अनियमितताओं से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता। इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं अच्छी किस्म की मुहैया कराई जाएं और उपभोक्ताओं को दिखाने के लिए उचित दर की दुकानों के पास उन्हें सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों के मुहरबन्द नमूने मौजूद रहते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण योजना को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा करें। राज्यों का ध्यान इस आवश्यकता की ओर भी दिलाया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की वसूली, ढुलाई, भण्डारण और वितरण में अधिक तालमेल हो, अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोले जाएं, सहकारी समितियों का इस कार्य में अधिक योगदान हो, विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियां स्थापित की जाएं और जिला प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाया जाए। उचित दर की दुकानों के कार्यकरण की नियमित और अचानक जांच राज्यों के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की जाती रहेगी और जहां-कहीं अनियमितताएं पाई जाएंगी उचित कार्रवाई की जाएगी।

भूतपूर्व संसद सदस्य स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

4845. **श्री डूंगर सिंह** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों को, जो स्वतन्त्रता सेनानी भी हैं, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन 17 अगस्त, 1982 से देने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने इस पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय संबंधी शर्त 1 अगस्त, 1980 को हटा दी थी और संसद सदस्य, जो स्वतन्त्रता सेनानी भी हैं, यह पेंशन इसी तारीख से पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में पहले जारी किए गए अपने आदेशों को भूतपूर्व ससद सदस्यों पर लागू करना उचित नहीं समझती; और

(ग) भूतपूर्व संसद सदस्यों को 1 अगस्त, 1980 से उक्त पेंशन का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यह उन्हें कब तक दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के मामले में जिन्हें स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना, 1980 के अधीन 17-8-82 से पूर्व पेन्शन मंजूर की गयी थी, मंजूर पेन्शन की धनराशि को, उनको संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम, 1954 की धारा 8-क (1) के अधीन अधिनियम

की धारा 8-क (3) के प्रावधान की शर्तों के अनुसार (वर्ष 1976 में अधिनियम में संशोधन द्वारा अन्त:स्थापित), मंजूर पेन्शन के विरुद्ध समंजन करना अपेक्षित है। यह सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा किया गया था जिसे मंजूरी पत्र की एक प्रति भेजी गयी थी। वर्ष 1982 में अधिनियम की धारा 8-क (1) में किए गए संशोधन के साथ 17-8-82 से इस प्रकार समंजन किया जाना अपेक्षित नहीं है। उन भूतपूर्व ससद सदस्यों के मामले में जिनकी मंजूरी 17-8-1982 के पश्चात जारी की गयी है, क्योंकि उन्होंने संसदीय पेन्शन पहले ही प्राप्त कर ली होगी, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन उनको देय पेन्शन का संसदीय पेन्शन के विरुद्ध समायोजना करना सम्भव नहीं है। अतएव ऐसे मामलों में खाता-समायोजन के लिए स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन 17-8-82 से मंजूर की जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि

4846. श्री अर्जुन सेठी
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए धनराशि का आवंटन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य वार किये जाने वाले आवंटन अथवा मंजूर किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए परिव्यय पहले ही निर्धारित कर दिया गया है।

(ख) 1983-84 के लिये आवंटन प्रति खण्ड 8 लाख रुपये की दर से है। 1983-84 के दौरान राज्य वार आवंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	1983-84 के दौरान आवटन (लाख रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2592
2.	असम	1072
3.	बिहार	4696
4.	गुजरात	1744
5.	हरियाणा	696
6.	हिमाचल प्रदेश	552
7.	जम्मू और कश्मीर	600
8.	कर्नाटक	1400
9.	केरल	1152
10.	मध्य प्रदेश	3664

(जारी···)

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	2368
12.	मणिपुर	208
13.	मेघालय	192
14.	नागालैंड	168
15.	उड़ीसा	2512
16.	पंजाब	936
17.	राजस्थान	1856
18.	सिक्किम	32
19.	तमिलनाडु	3016
20.	त्रिपुरा	136
21.	उत्तर प्रदेश	7008
22.	पश्चिम बंगाल	2680
केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40
24.	अरुणाचल प्रदेश	384
25.	चंडीगढ़	8
26.	दादरा और नगर हवेली	8
27.	दिल्ली	40
28.	गोवा, दमन और दीव	96
29.	लक्ष्यद्वीप	40
30.	मिजोरम	160
31.	पांडिचेरी	32
	योग	40088

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घटिया किस्म की पुताई और रोगन

4847. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी मकानों के दरवाजे और खिड़कियां नियमित रूप से रोगन नहीं किए जाते हैं और जब भी उनका रोगन होता है, इसमें बहुत ही घटिया किस्म का पेंट इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुताई कार्य बहुत सन्तोष जनक नहीं है और इसमें बहुत घटिया किस्म का सामान प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि समोसम की जगह हिरमिची रंग का प्रयोग होता है जो छूने से और वर्षा के मौसम में निकल जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय कार्य निर्माण विभाग ठेकेदारों को सामग्री देने और ठेकेदारों से केवल मजदूर लेने की व्यवस्था पर विचार करेगी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या आधार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकारी मकानों के दरवाजों तथा खिड़कियों पर तीन साल में एक बार आई० एस० आई० द्वारा अनुमोदित कोटि का रंग किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) जहां समोसम (सिनोसिम) निर्धारित किया गया है वहां हिरिमची रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

(ङ) तथा (च) जहां भी वांछित समझा जाता है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यह पद्धति पहले ही अपनाई जा रही है ।

विकासशील देशों की बैठक

4848. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 14 फरवरी, 1983 को नई दिल्ली में 27 विकासशील देशों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में कौन-कौन से मुख्य विषयों पर बातचीत हुई थी तथा इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(ग) बैठक में किए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :—

(1) विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में खाद्य तथा कृषि की विश्वव्यापी स्थिति का सामान्य सर्वेक्षण ।

(2) खाद्य सुरक्षा

(3) वानिकी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण

(4) डेरी तथा मात्स्यकी

(5) कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(6) ग्रामीण विकास

अर्जेंनटाइना, बांग्लादेश, मिश्र, इथोपिया, घाना, भारत, केन्या, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मोरिशस, मैक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरु, श्रीलंका, वेनेजुला, वियतनाम तथा युगोस्लाविया ने इस बैठक में भाग लिया । मैक्सिको तथा पेरु ने प्रेक्षक के रूप में भाग लिया ।

(ग) इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) खाद्य, कृषि और उसमें से सम्बंध क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच सहकारिता प्रक्षेपण तथा सहयोग के संभव क्षेत्रों का पता लगाया गया।

(2) यह सहमति प्रकट की गई कि सहयोग संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सबसे पहले विकासशील देशों से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके कम क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए।

(3) सिफारिश की गई कि विकासशील देश खाद्य तथा कृषि क्षेत्रों में उनके बीच विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग से सम्बंधित कार्यकलापों के लिए नियतन करने के बारे में विचार करे।

(4) खाद्य और कृषि के क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच आर्थिक और एकनीकी सहयोग के सभी कार्यकलापों के लिए विकासशील देशों द्वारा आंचलिक केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की गई।

(5) सिफारिश की गई कि खाद्य और कृषि के क्षेत्रों में विकासशील देशों के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बधित कार्यकलापों का समन्वय तथा प्रबोधन करने हेतु 77 के दल द्वारा एक केन्द्र स्थापित किया जाए।

(6) सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों खासतौर पर खाद्य और कृषि संगठन से अनुरोध किया गया कि वे सहयोग में सुधार लाने के प्रयासों में विकासशील देशों को समर्थन और सहयोग प्रदान करें।

दालों और तिलहनों के उत्पादन में गतिहीनता आना और मूल्यों पर इसका प्रभाव

4849. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री जय नारायण रौत } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि दालों और तिलहनों के उत्पादन में वास्तव में गतिहीनता आ गई है, यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों में तिलहनों और दालों का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या दालों और तिलहनों के उत्पादन में गतिहीनता आने के कारण बाजार में इन चीजों के दामों में वृद्धि हुई है और जन साधारण पर इसका बहुत अधिक प्रतिकूल असर पड़ा है; और

(घ) तिलहनों और दालों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। गत 3 वर्षों के दौरान दलहन तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृति पाई गई है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	दलहन	तिलहन
1979-80	85.72	84.57
1980-81	106.27	93.72
1981-82	113.51	120.73

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित तिलहनों तथा दलहनों की क्वालिटी सामान्यतया अच्छी रही है।

(ग) तिलहनों के मूल्यों में काफी स्थिरता दिखाई दी है। जनवरी, 1983 में तिलहनों का थोक मूल्य सूचकांक 258.0 रहा, जबकि दो वर्ष पहले, जनवरी, 1981 में यह 251.2 था। दलहनों के मामले में, जनवरी, 1981 में थोक मूल्य सूचकांक 362.8 था, जो जनवरी, 1982 में गिरकर 325.4 हो गया और जनवरी 1983 में इसमें और गिरावट आकर 293.8 हो गया। मूल्यों पर केवल उत्पादन स्तर का ही प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु यह मांग और मूल्यों के सामान्य स्तर की प्रवृति के परिवर्तनों, आदि से भी प्रभावित होता है।

(घ) दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) सिंचित फार्मिंग पद्धति में दलहन फसलों का प्रचलन;

(2) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना :—

(क) रबी मौसम में बची हुई नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग, आदि की शीघ्र तैयार होने वाली किस्में तथा

(ख) तिलहन, गन्ने, आलू तथा गेहूं के बाद सिंचाई से ग्रीष्म मौसम में मूँग।

(3) उन्नत दलहन-बीजों का संवर्धन तथा उपयोग और बीज-मिनिकिटों का वितरण;

(4) पौध रक्षण उपायों को अपनाना तथा फास्फेटयुक्त उर्वरकों तथा राइजोबियम कल्चर का उपयोग, आदि।

तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:—

(1) सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तिलहन पैदा करने वाले राज्यों में यथा संभव अत्यधिक क्षेत्र में उन्नत पैकेज प्रणालियों को अपनाना।

(2) तोरिया के क्षेत्र का विस्तार करना।

(3) पौध रक्षण उपायों की व्यवस्था करना।

(4) बीज मिनिकिटों का वितरण।

(5) तिलहन से संबंधित विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन, अर्थात् मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन कार्यक्रम तथा गुजरात में मूंगफली विकास से संबंधित परियोजना।

इस सभी उपायों से गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन तथा दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

देश के भूमि संसाधनों की निगरानी के लिये गठित निकाय

4850. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि के संसाधनों के प्रबन्ध की योजना तथा निगरानी के लिए दो निकाय गठित किए हैं ;

(ख) यदि हां तो उन दो निकायों का ब्यौरा क्या है तथा उन दो निकायों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) भूमि की ऊंची कीमतों को कम करने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

निर्माण और आवस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) तथा (ख) जी, हां। 26.2.1983 को जारी किया गया संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी-6241/83]

(ग) इन दो निकायों की भूमिका मुख्यत: देश की भूमि के संसाधनों को वैज्ञानिक प्रबन्ध को उन्नत करना है। चूंकि निकायों की अभी स्थापना की गई है इसलिए किस सीमा तक वे भूमि की कीमतों को कम करने में सहायक होगी, इसका मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

राजभाषा अधिनियम के अधीन 1982 में निकाले गए दस्तावेज

4851. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग द्वारा 1982 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अधीन यथापेक्षित कितने विभिन्न दस्तावेज निकाले गए ;

(ख) उनमें से कितने दस्तावेज द्विभाषिक रूप में और कितने केवल अंग्रेजी में निकाले गए;

(ग) अंग्रेजी में निकाले गये दस्तावेजों को, नियमानुसार द्विभाषिक रूप में न निकालने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राजभाषा की उपर्युक्त धारा के अनुसार ऐसे सभी दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में निकाला जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1982 में निकाले गए 3690 दस्तावेजों में से 3174 द्विभाषिक रूप में तथा 516 केवल अंग्रेजी में थे।

(ग) वैज्ञानिक तथा उच्च तकनीकी शब्दावली वाले तकनीकी विषयों से सम्बन्धित दस्तावेज द्विभाषिक रूप में नहीं निकाले जा सके ।

(घ) जी हां। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सभी संभव प्रयास जारी रखे जाएंगे।

कर्नाटक राज्य में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

4852. श्री के० मालन्ना : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने कर्नाटक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने हेतु राज्य का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां के गांवों में दल ने दौरा किया और किसानों से मिले तथा कर्नाटक राज्य में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति के बारे में इस दल की रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या दल को किसानों की ओर से बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असन्तोषजनक गतिविधियों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी का खुदरा मूल्य

4853. **श्री के० मालन्ना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, वर्ष भर स्थिरता बनाए रखने के लिए, चीनी के अधिकतम खुदरा मूल्य निश्चित किए जाने पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अधीन, देशभर में समान मूल्य पर लेवी चीनी सप्लाई की जा रही है। शेष चीनी, अर्थात् लेवी मुक्त चीनी, फैक्ट्रियों से प्रतिमास खुले बाजार में खुली बिक्री के लिए निर्मुक्त की जाती है। खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी का मूल्य, मांग तथा पूर्ति की बाजार-शक्तियों, वैकल्पिक स्वीटनर्स की उपलब्धता आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है।

मन्त्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग में रिक्त पद

4854. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग में श्रेणीवार कितने पद हैं ;

(ख) श्रेणीवार कितने रिक्त पद हैं;

(ग) तदर्थ/नियमित आधार पर भरे जा सकने वाले कितने पद है; और

(घ) उपर्युक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सभी स्वीकृत पद, जिन्हें कार्य के हित में तुरंत भरा जाना आवश्यक होता है किन्तु विभिन्न प्रशासनिक कारणों से इस प्रकार नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता हैं, उन्हें तदर्थ अल्पकालिक प्रबंध के रूप में भरा जा सकता है।

(घ) भर्ती की सामान्य पद्धतियां, सीधी भर्ती, प्रोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति के तरीकों द्वारा हैं। भर्ती की एक या एक से अधिक पद्धति के लिए नियतांश, प्रत्येक पद के भर्ती नियमों में निर्धारित किए जाते हैं। अनेक मामलों में, विभिन्न प्रशासनिक कारणों से पदों के भरने में विलम्ब हो जाता है। क्योंकि सरकार की नीति भी, जहां तक संभव हो और जब तक अपरिहार्य न समझा जाए, कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं करने की है, स्वीकृत पदों में से कुछ पद, कुछ समय के लिए रिक्त पड़े रहते हैं।

विवरण

सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग में रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण

	सिंचाई मंत्रालय		केन्द्रीय जल आयोग	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
समूह 'क'	110	39	830	150
समूह 'ख'	144	7	348*	29*
समूह 'ग'	213	34	1970*	370*
समूह 'घ'	78	3	सूचना उपलब्ध नहीं है	

*अनुसचिवीय पदों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है।

गन्ने का उत्पादन सुधारने के संबंध में हुई विचार-गोष्ठी

4855. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान गन्ने और चीनी उद्योग की उत्पादिकता में सुधार करने के संबंध में एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) इस संबंध में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं और कार्यान्वित किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई विचार-गोष्ठी आयोजित नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गेहूं का वसूली मूल्य

4856. **श्री चित्त बसु**
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आने वाले फसल के मौसम के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) गहूं की अधिप्राप्ति मूल्य के संबंध में सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जाना है।

पश्चिमी बंगाल द्वारा अन्य राज्यों से खाद्यान्न की खरीद

4857. **श्री चित्त बसु**
श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री गदाधर साहा } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह उसे अन्य राज्यों से 30000 क्विंटल खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल की सरकार से समय-समय पर ये अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अधिशेष राज्यों से 5000 से 3 लाख मीटरी टन लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति दी जाए। पश्चिमी बंगाल सरकार को पंजाब और हरियाणा के अधिशेष राज्यों से खुले बाजार में 15000 मीटरी टन लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति दे दी गई है।

पीने के सुरक्षित पानी के स्रोतों वाले गांवों के सम्बन्ध में आई० एस० एस० आर० सी० तथा आई० सी० एम० आर० द्वारा किया गया संयुक्त अध्ययन

4858. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह भी है कि देश में केवल 10 प्रतिशत गांवों में पीने के सुरक्षित पानी के स्रोत उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के पास अध्ययन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य सरकारों ने सूचित किया था कि छठी योजनावधि के आरम्भ में देश में लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधायें मुहैया कराई जानी थी। यह संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 5.76 लाख गांवों की कुल संख्या में से है। छठी योजनावधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान पता लगाये गये लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों में से 55815 समस्याग्रस्त ग्रामों को जलपूर्ति सुविधायें मुहैया कराई गई थीं। 1982-83 के दौरान अन्य 42000 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की आशा है। वर्ष 1983-84 के लिए लगभग 48000 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को जोड़ना

4859. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने यहां के भूमि सुधार अधिनियमों को अब तक नौवीं अनुसूची में शामिल करने के सुझाव दिए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अधिनियमों को सुगमतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नौवीं अनुसूची में सभी भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियमों का नौवीं अनुसूची में शामिल करने के निर्णय आज तक राज्यों अथवा उनके मन्त्रालय की ओर से मामले में कोई विलम्ब हुआ है, इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रमुख भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9 वीं अनुसूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है। असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और गोवा, दमन तथा दीव के केन्द्र शासित क्षेत्र से कुछेक अन्य भूमि सुधार कानूनों का शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनको जांच की जा रही है। 9 वीं अनुसूची में कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है जो एक समय लगने वाली प्रक्रिया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन [illegible]

4860. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास तथा रोजगार की विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के अधीन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को धनराशि देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा उन योजनाओं के लिए अपनी राज्य योजना से बराबर के अनुदान उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को इस प्रक्रिया के संबंध में कोई कठिनाई हुई है;

(घ) सरकार द्वारा निधियां देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इसके लिए सभी एजेंसियों के समेकन के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या निर्देश और मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां व्यय की प्रगति, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति और राज्य बजटों में किये गये समरूप प्रावधानों जैसे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वंटित की जाती हैं।

(ख) राज्य योजना परिव्ययों की योजना आयोग तथा राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले विचार-विमर्श जिनमें इस मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, करके अन्तिम रूप दिया जाता है। इन विचार-विमर्शों में निर्णित बराबर के प्रावधानों को तदुपरान्त राज्य सरकारों के बजटों में निर्धारित किया जाता है। केन्द्रीय बंटन करते समय भी इस पहलू की जांच की जाती है।

(ग) इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई गम्भीर कठिनाई महसूस नहीं की गई है।

(घ) मंत्रालय द्वारा निधियों के बंटन तथा ऋण उपलब्ध कराने की नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(ङ) मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह सुझाव दिया गया है कि जहां तक सम्भव हो जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे सभी विशेष कार्यक्रमों को एक मात्र एजेंसी अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अथवा सोसायटी द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर सभी कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास विभाग के अधीन लाया जाना वांछनीय होगा।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा विशेष संघटक योजना संबंधी परियोजनाएं/योजनाएं

4861. **श्री गिरिधर गोमांगो**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा छठी योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों और विशेष संघटक योजना के लिए किन योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है और क्या परियोजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए छठी योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को आदिवासी तथा हरिजन विकास योजनाओं पर खर्च किए जाने हेतु कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इन योजनाओं तथा तत्संबंधी कार्यक्रमों के लिए 1983-84 में कितनी निधियां नियत्त की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, विभाग द्वारा अभिज्ञात किए गए, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम तथा एतत्सम्बन्धी परिव्यय संलग्न विवरण में प्रदर्शित कर दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6242/83]

अभिज्ञात कार्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्था के लिए राशि निर्मुक्त की जाती है, न कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के घटकों के लिए पृथक रूप से।

वन वृक्षों से तेल निकालना

4862. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में वन-वृक्षों से तिलहन का विकास करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वनों से तिलहन के उचित और लाभकारी दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्रों के अधीन प्रस्तावित, तथा उनके मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजे गए, द्रव्य निष्कासन संयंत्रों के नाम क्या है;

(घ) उन द्रव्य निष्कासन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक स्थापित किया जा चुका है और वन विकास निगम द्वारा स्थापित किए जाने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर किया गया है; और

(ङ) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इन संयत्रों को स्थापित किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों/तेलों के विकास की केन्द्रीय योजना स्कीम, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है, के एक भाग के रूप में, उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले में साल के बीजों को अधिकतम मात्रा में एकत्र करने के लिए एक परियोजना भेजी है, जिसमें गोदामों का निर्माण करने, वाहन आदि खरीदने की व्यवस्था है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 182.50 लाख रुपये है।

(ग) से (ङ) इस समय उड़ीसा में विलायक निष्कार्षित तेल, वितैलित भोजन तथा खाद्य आटा (नियत्रण) आदेश, 1967 के अंतर्गत लाइसेंस शुदा 10 विलायक निष्कर्षण संयंत्र हैं। इनमें से आठ संयंत्र निजी क्षेत्र में और दो सहकारी क्षेत्र में है। उक्त आदेश के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए अभी तक और कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में जिला वार भदई और धान की फसलों का उत्पादन

4863. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री बिहार और उसके संलग्न क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के बारे में 28 फरवरी, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भदई और धान की फसलों की प्रतिवर्ष औसतन पैदावार की, जिलावार, स्थिति क्या है और गत सूखे के दिनों के दौरान इन फसलों का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) खाद्यान्नों की जिला-वार मासिक आवश्यकता कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किये खाद्यान्न का कितना स्टाक बिहार सरकार के पास मौजूद हैं और कितना उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा गया है;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में जिलावार रबी की फसल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) लोगों को भूखमरी से बचाने के लिये, जिला-वार, क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार में भदई और धान की फसलों के औसत वार्षिक उपज के जिला-वार आंकड़े चालू वर्ष के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं। पिछले सूखे वर्ष अर्थात् वर्ष 1979-80 में कुछ महत्वपूर्ण भदई फसलों की औसतन उपज को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। (विवरण-I)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6243/83]

(ख) बिहार राज्य के लिए खाद्यान्नों की औसत मासिक मांग का अनुमान जनवरी, 1982 से अप्रैल, 1983 के दौरान 55 हजार मीटरी टन चावल और 82.5 हजार मीटरी टन गेहूं का था। इसके मुकाबले में इस अवधि के दौरान बिहार सरकार को चावल और गेहूं का औसतन मासिक आबंटन क्रमश: 27.5 और 33.2 हजार मीटरी टन था। बिहार सरकार के पास 1 2.1983 को चावल का 28.1 हजार मीटरी टन तथा गेहूं का 43.5 हजार मीटरी टन स्टाक था। खाद्यान्नों के स्टाक आदि की आवश्यकता के जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रबी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का जिला-वार विवरण सभा पटल पर रखा गया है। (विवरण-2) वर्ष 1982-83 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6263/83]

(घ) बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में कोई व्यक्ति भूख से न मरे, निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(क) प्रत्येक पंचायत में तीन क्विंटल खाद्यान्न रखा गया है।

(ख) समूचे राज्य में वृद्धावस्था योजना चलाई गई है।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में 1 प्रतिशत जनसंख्या तक जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह राहत के रूप में खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। 2.2.83 तक असहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों में लगभग 5200 मीटरी टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

(घ) समूचे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, 14413 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में 9 लाख से अधिक कृषि मजदूरों को प्रति सप्ताह रोजगार दिया जाता है।

(ङ) समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर सस्ती रोटी का वितरण करने के लिए राज्य में 4874 दुकानें खोली गई हैं और इससे 10.5 लाख से अधिक व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह लाभ उठाते हैं।

बेघर व्यक्तियों के लिये मकान की व्यवस्था

4864. **श्री अनन्त रामुलु मल्शुलु :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बेघर व्यक्तियों के लिए मकान की व्यवस्था करने हेतु क्या विशेष प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष और छठी योजना अवधि के लिये कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना को छठी योजना अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में जारी रखा जा रहा है। इस योजना को नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में 36 लाख परिवारों को आवास स्थल आबंटन करने और 68 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने का विचार किया गया है। वर्ष 1982-83 का लक्ष्य 10.43 लाख परिवारों को आवास स्थल आबंटन करने तथा 7.39 लाख परिवारों को निर्माण सहायता प्रदान करने का है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाभान्वित किए जाने वाले परिवारों की संख्या हजारों में)

राज्य	1980-85 का लक्ष्य		1982-83 का लक्ष्य	
	आवास स्थल	निर्माण सहायता	आवास स्थल	निर्माण सहायता
1. आन्ध्र प्रदेश	1110	490	344	200
2. असम	230	70	17.5	6
3. बिहार	1680	600	70	88
4. गुजरात	200	153	40	39
5. हरियाणा	120	80	20	1.5
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	10	5	1.2	.7
8. कर्नाटक	350	300	150.5	102
9. केरल	270	90	67	8.4
10. मध्य प्रदेश	350	278	15.4	32
11. महाराष्ट्र	90	113	70.6	224
12. उड़ीसा	320	128	18	3.8
13. पंजाब	60	88	—	5.4
14. राजस्थान	190	235	50	30
15. तमिलनाडु	1320	460	80	40
16. त्रिपुरा	20	13	6.5	2.7
17. उत्तर प्रदेश	370	403	70	17
18. पश्चिम बंगाल	60	85	15	15
योग	6750	3591	1035.7	736.3
संघ राज्य क्षेत्र	20	6	7.2	2.6
कुल योग	6770	3597	1042.9	738.9

ग्रुप आवासीय समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का प्रति सदस्य आबंटन

4865. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप आवासीय योजना के अधीन ग्रुप आवासीय समितियों के प्रत्येक सदस्य को केवल 35 मीटर भूमि आबंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 35 मीटर आबंटित भूमि के लिए प्रत्येक सदस्य से लगभग 100 मीटर भूमि की कीमत ले रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सहकारी ग्रुप आवास समितियों को प्रति एकड़ 60 रिहायशी एकक के मापदण्ड पर भूमि आबंटित की जाती है । समितियों को आबंटित क्षेत्र के 35 प्र०श० क्षेत्र पर रिहायशी एककों का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है तथा इसके सदस्यों के सामूहिक उपयोग के लिए शेष 65 प्र०श० क्षेत्र पार्किंग, भू-दृश्य तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए छोड़ा जाना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण सहकारी ग्रुप आवास समितियों को 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमुना पार क्षेत्र, रोहिणी तथा बोडेला तथा 135 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर पीतमपुरा तथा रोहतक रोड में अर्ध विकसित भूमि आबंटित कर रही है ।

गृह निर्माण समितियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम राशि का दिया जाना

4866. **श्री मौहम्मद असरार अहमद**
श्री बी० एस० राघवन
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी विभिन्न ग्रुप आवासीय समितियों के माध्यम से अपना मकान निर्माण करने के लिए गृह निर्माण अग्रिम धनराशि पाने के अधिकारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अपने अल्प वेतन के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपना मकान बनाने के लिए धन लगाने की स्थिति में नहीं हैं; और ग्रुप आवासीय समितियां तथा अन्य एजेन्सियां सरकार द्वारा उन्हें गृह निर्माण अग्रिम न दिए जाने के कारण अपने सदस्यों से धन-राशि प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न ग्रुप आवासीय समितियों के माध्यम से अपना गृह निर्माण करने के लिए गृह निर्माण अग्रिम पाने का अधिकारी बनायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सरकार ने उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो सहकारी ग्रुप आवास समितियों के सदस्य हैं यह निर्माण अग्रिम देने का निर्णय लिया है । इस अग्रिम की राशि कर्मचारी के 75 महीनों के वेतन या 70,000 रुपये या उसकी वापस भुगतान की क्षमता या फ्लैट की लागत इनमें से जो भी कम हो, होगी । इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

दिल्ली में सुपर बाजार की शाखाओं की संख्या

4867. **श्री मोहम्द असरार अहमद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहकारिता योजना के अधीन 1 अप्रैल, 1982 को राजधानी में मुख्य शाखाओं सहित सहकारी सुपर बाजार की कितनी शाखाएं (कब से) कार्यरत थीं;

(ख) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 को इनके कुल कितने सदस्य थे;

(ग) सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये गये (ब्यौरे सहित);

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक शाखा और मुख्य शाखा को (शाखा-वार) कुल कितना लाभ हुआ; और

(ङ) अप्रैल, 1982 तक प्रत्येक शाखा और मुख्य शाखा को कुल कितनी राशि का संचारी लाभ हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1.4.1982 को मुख्य शाखा और एक "चलते-फिरते बाजार" सहित 65 शाखायें हैं। ये जुलाई, 1966 और जनवरी, 1982 के बीच खोली गई हैं। चलते-फिरते बाजार ने 16.12.1974 से कार्य करना आरम्भ किया है।

(ख) सुपर बाजार के सदस्यों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

(1) पहली अप्रैल, 1979 को	17,587
(2) पहली अप्रैल, 1980 को	18,121
(3) पहली अप्रैल, 1981 को	18,488
(4) पहली अप्रैल, 1982 को	18,597

(ग) ग्राहकों को सुपर बाजार के अंशधारी बनने के लिए आकर्षित करने के प्रयोजन से अंशधारियों को कुछ विभागों से उनके द्वारा की जाने वाली खरीदारी पर 2% की छूट दी जा रही है। अंशधारियों को दुर्लभ तथा कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं की खरीद में प्राथमिकता भी दी जाती है।

(घ) व (ङ) सुपर बाजार द्वारा अपनाई जा रही लेखाकरण प्रणाली में विभाग-वार शाखा-वार लाभ तथा हानि की स्थिति की अलग से गणना करने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रणाली में सभी शाखाओं सहित पूरे संगठन के लाभ/हानि की गणना करने की व्यवस्था है। हर सहकारी वर्ष के तुलन पत्र लाभ व हानि लेखा में कुल राशि दी जाती है।

30.6.72 को सुपर बाजार की संचित हानि 100.05 लाख रुपये थी। उसके बाद से, यह लाभ में चल रहा है।

1978-79 से 1981-82 (सहकारी वर्ष) में सुपर बाजार को हुआ लाभ नीचे दिया गया है :—

(1) 30.6.1979 को संचित लाभ :	18.89 लाख रु० (लेखा परीक्षित)
(2) 1979-80 का लाभ :	16.56 लाख रुपये) अनन्तिम, लेखा
(3) 1980-81 का लाभ :	17.19 लाख रुपये) परीक्षा होनी है।
(4) 1981-82 का लाभ :	25.36 लाख रुपये)

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पुत्रों को क्वार्टरों का आबंटन

4868. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 1976 से पूर्व एक नियम के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृति अथवा ड्यूटी पर अचानक मृत्यु होने पर उसके पुत्र यदि वह भी केन्द्रीय सरकारी सेवा में हो, को वही क्वार्टर जो उसके पिता को आबंटित था, छह माह का मकान किराया भत्ता काट कर दस माह के भीतर आबंटित कर दिया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अब नियम लागू नहीं है;

(ग) क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस नियम का कतनी बार उल्लघन किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क)जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, एस० आर० 317-बी 25 के अंतर्गत सरकार प्रत्येक मामले के अलग-अलग गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए नियमों तथा जारी किये गये आदेशों के प्रावधानों में ढील देने के लिए सक्षम है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या

4869. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें से अभी तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों को कुल कितनी राशि की राज सहायता दी गई है और इस राशि में से कितनी राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्रदान की गई थी;

(ग) किन-किन राज्यों में निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अधीन बरती गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अधिक शक्तिशाली तथा जनोपयोगी बनाने की सलाह देगा जिससे कि इन शिकायतों को अधिक कारगर ढंग से निपटाया जा सके ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1982-83 के दौरान 30 लाख परिवारों को लिया जाना है । फरवरी, 1983 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत 21.94 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है ।

(ख) 1982-83 में, जनवरी 1983 तक 190.08 करोड़ रुपये की कुल धनराशि उपयोग में लाई गई है जिसमें उपादान तथा कुछ प्रशासनिक व्यय भी शामिल है जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(ग) पूर्ण स्थिति मार्च, 1983 की रिपोर्टें उपलब्ध होने के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगी

(घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन इनके सबूत नहीं मिले हैं ।

(ङ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का गठन पहले ही व्यापक रूप में है। जनता के प्रतिनिधि अर्थात उस क्षेत्र के संसद तथा विधान सभाओं के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि, ग्रामीण महिलाओं के प्रतिनिधि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय के सदस्य हैं।

शहरों में केन्द्रीय फार्म और उद्यान बनाना

4870. **श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख शहरों में केन्द्रीय फार्म और सुन्दर उद्यान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन किन शहरों में इन्हें स्थापित किया जाएगा; और

(ग) इन फार्मों और उद्यानों का प्रमुख प्रयोजन क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किया जायगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कमजोर वर्ग का कल्याण

4871. **श्री एन०ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम को देश के गरीब लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु उनके मंत्रालय द्वारा निभाई गई भूमिका और प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में इस विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के चालू कार्यक्रमों को यथा संभव उपयुक्त रूप से अपनाने और साथ ही इन समुदायों के लाभ के लिए नए कार्यक्रम का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के संघटकों के अभिज्ञात कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	अभिज्ञात कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिव्यय	अनुसूचित जाति संघटक	जनजाति संघटक	अनुसूचित जाति/ जनजाति संघटक का योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1980-81	15,326.74	30.76	266.16*	296.92	*कुल योजनाओं में जिनमें अलग से व्यवस्था करना संभव नहीं था, अनुसूचित जाति संघटक भी शामिल है।
1981-82	17,779.52	618.06	754.33	1372.39	
1982-83	19,750.97	602.42	1123.28	1725.70	

गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकास के लिये गांवों को अपनाया जाना

4872. श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री अनन्त रामुलु मुल्लु
श्री के० प्रधानी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक गांवों को अपनाये जाने के आधार पर पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि सरकार द्वारा विकास के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गांवों को अपनाए जाने के मुख्य उद्देश्य हैं :— (1) कृषि उत्पादन में आमतौर पर वृद्धि करना तथा इसके फल-स्वरूप ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करना, तथा (2) ग्रामों का अनुकूलतम विकास सुनिश्चित करना, ताकि वे पड़ौसी क्षेत्रों के लिए विकास का एक आदर्श बन सकें।

(ख) ग्रामों को अपनाए जाने के कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो ग्राम अपनाए जाने हों उनमें 100-200 कृषक परिवारों की संख्या हो, तथा उनमें छोटे और सीमान्त किसानों की प्रतिशतता अधिक हो। इसके अलावा आमतौर पर उन क्षेत्रों के गांव अपनाए जाएं, जहां केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के फसल, पशुपालन, मात्स्यकी अथवा सिंचाई से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हों। ग्रामों को अपनाए जाने के लिए उनका चुनाव करने, एजेंसियां अपनाए जाने, अपनाए जाने वाले ग्रामों की संख्या, ग्राम अपनाने वाली एजेंसियों की भूमिका, संगठनात्मक प्रबंधों, प्रचालन योजना आदि, के लिए मापदण्डों के संबंध में सभी सम्बंधितों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित गुजरात की सिंचाई योजनाएं

4873. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कितनी बड़ी और मध्यम किस्म की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और दिसम्बर, 1982 तक उनमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कुल कितनी राशि लगी हुई है और प्रत्येक परियोजना के पूरे होने का क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या पूर्ण होने की निर्धारित समयसारणी में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर कितना अतिरिक्त परिव्यय होगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इस समय, दो निर्माणाधीन परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है। इन परियोजनाओं की कुल लागत और समय-सीमा आदि, के संबंध में ब्यौरों को दिखाने वाला एक विवरण सलग्न है।

(ग) दोनों में से किसी भी परियोजना के संबंध में करार की समाप्ति की तारीखों को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तारीख	ऋण के समाप्त होने की तारीख	मूल्यांकन के समय, परियोजना की कुल लागत	31. I. 83 तक संचयी उपयोग
1.	गुजरात सिंचाई परियोजना (ऋण 808-आई० एन०)	85.00	30.6.83	30.6.84	1466.3 मिलियन रुपये (170 5 मिलियन अमरीका डालर)	39.923 मिलियन अमरीकी डालर
2.	द्वितीय गुजरात सिंचाई परियोजना (ऋण 1011-आई०एन०)	175.0	30.4.85	30.4.86	3024 मिलियन रुपये (360 मिलियन अमरीकी डालर)	30.113 मिलि-मिलियन अमरीकी डालर

गुजरात द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता

4874. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात द्वारा वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में मुख्य, मध्यम और लघु परियोजनाओं के अधीन 31 दिसम्बर, 1982 तक कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई है; और

(ख) वर्ष 1983 में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) सिंचाई क्षमता की गणना जून में समाप्त होने वाले फसलों वर्ष के आधार पर की जाती है। 1981-82 के दौरान गुजरात में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 47,000 हेक्टयर थी जब कि लक्ष्य 58,000 हेक्टेयर क्षमता प्राप्त करने का था।

(ख) 1982-83 के लिए 88,600 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मत परिव्यय 200.90 करोड़ रुपये है।

व्यायाम (फिजीकल कल्चर) और खेल कूद के क्षेत्र में सहयोग करार

4875. **श्री आर०पी० गायक वाड**
श्री सन्तोष मोहन देव } : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने व्यायाम और खेल कूद के क्षेत्र में सहयोग करार किए थे;

(ख) हमारे देश में खेल-कूद के लाभ हेतु इन करारों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) भारतीय खिलाड़ियों को विभिन्न देशों में प्रशिक्षण हेतु क्या प्रावधान है; और

(घ) इस बारे में अन्य ब्योरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारत ने जर्मन जनवादी गणराज्य के खेल शासी निकाय के साथ वर्ष 1983 और 1984 के लिए खेल और शारीरिक सौष्ठव पर एक संलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किये हैं। तथापि, जिन देशों के साथ खेल और शारीरिक सौष्ठव पर कोई प्रोटोकोल नहीं हुआ है, उनके साथ शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग ने सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम करार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा का प्रावधान है। भारत ने 1981, 1982 के दौरान और 21 मार्च, 1983 तक जिन देशों के साथ सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

प्रोटोकोल तथा इन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से एक या इससे अधिक की व्यापक व्यवस्था है :—

(1) मैत्री पूर्ण/प्रदर्शन मैचों के लिए खेल टीमों का आदान-प्रदान।

(2) विशेषज्ञता प्रशिक्षण के लिए प्रशिशण कार्मिकों, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

(3) शारीरिक शिक्षा और खेल पर साहित्य और प्रशिक्षण फिल्मों का आदान-प्रदान।

(4) दौरा किए जाने वाले देश में शारीरिक शिक्षा और खेल ढांचे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

(5) खेल शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान।

विवरण

उन देशों के नाम जिनके साथ भारत ने 1981, 1982 के दौरान और 21 मार्च, 1983 तक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. अल्जीरिया
2. बुल्गारिया
3. क्यूबा
4. साइप्रस
5. चेकोस्लोवाकिया
6. फ्रांस
7. जर्मन जनवादी गणराज्य
8. हंगरी
9. ईरान
10. इराक
11. केन्या
12. कोरिया, जनवादी गणराज्य
13. मेक्सिको
14. मंगोलिया
15. पोलैण्ड
16. पुर्तगाल
17. तुर्की
18. यमन जनवादी गणराज्य
19. ग्रीस

एशियाड के दौरान खिलाड़ियों, आयोजकों आदि को दैनिक भत्ते का भुगतान

4876. श्री दया राम शाक्य : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खिलाड़ियों, आयोजकों और अन्य अधिकारियों, जिन्होंने एशियाई खेलों के आयोजन और प्रबन्ध का कार्य किया, उनको मिलने वाली दैनिक भत्ते की दर और कुल धनराशि कितनी थी; और उन्हें अलग-अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था; और

(ख) क्या खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना संबंधित एजेंसियों से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गन्ने की पिराई न होना

4877. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में गन्ने की पिराई देर से शुरू होने और चीनी मिलों की पूरी क्षमता का उपयोग न करने के कारण गन्ना उत्पादक पिराई हेतु अपनी गन्ने की खड़ी फसल को बेचने में भीषण समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसान वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी गन्ने के मूल्य की बड़ी धनराशि इन मिलों पर बकाया है; और

(ग) गन्ना उत्पादकों की इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। निम्नलिखित आंकड़ों से स्थिति का पता चलेगा :—

	1981-82	1982-83
28 फरवरी को कार्य कर रही चीनी फैक्ट्रियों की संख्या	315	314
28 फरवरी तक पेरे गए गन्ने की मात्रा	472.61 (लाख मी० टन)	473.60 (लाख मी० टन)

उपर्युक्त स्थिति से यह विदित होगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक गन्ना पेरा गया है और इसी तरह चीनी का उत्पादन भी अधिक हुआ है जोकि उसी अवधि के दौरान उत्पादन से 1.50 लाख मीटरी टन अधिक है।

(ख) और (ग) गन्ने की देय राशि का भुगतान कराने की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन और भुगतान करवाने के लिए अधिकार भी हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य सम्बन्धी बकायों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है। राज्य सरकारों को कारगर उपाय करने के लिए कहने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने मिलों के लिए अतिरिक्त बैंक उधार की व्यवस्था कराने और खुली बिक्री की चीनी की विनियमित निर्मुक्ति के माध्यम से खुले

बाजार में चीनी के मूल्यों पर निगरानी रखने सम्बन्धी पग उठाए हैं ताकि मिलों की तरलता बनाई रखी जा सके जिससे वे गन्ने की देय राशि का किसानों को भुगतान कर सके।

यमुनापार के गांव का विकास

4878. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार क्षेत्र के गांवों में विकास कार्य और सामान्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की वहां के लोगों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके बारे में अब तक कोई निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ). (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुना पार क्षेत्र के गांवों में विकास कार्य तथा जन सुविधाओं की मांग लोगों द्वारा की गई है । यमुना-पार क्षेत्र के शहरी गांवों में जन सुविधायें प्रदान करने हेतु विकास कार्य पहले ही आरम्भ कर दिए गए हैं।

अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

4879 **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं;

(ख) सरकार का इन कालोनियों को कब तक नियमित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार कुछ कालोनियों को नियमित नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों कितनी हैं और उन्हें नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें 30.6.77 तथा 16-2-77 तक बनी क्रमश: रिहायशी व वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने इन आदेशों के अनुसरण में 612 अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए एक सूची संकलित की है। दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति इस सूची की जांच कर रही है।

(ख) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। किसी समय सीमा का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) केवल वही कालोनियां नियमित की जायेंगी जो सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत आती हैं। जो कालोनियां नियमितीकरण के लिए नहीं चुनी जा सकती हैं उनके नामों का पता केवल तभी चल सकता है जब भाग (क) के उपर में उल्लिखित जांच पूरी हो जाएगी।

ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए हरियाणा को दी गई राशि

4880. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सडकों के विकास के लिए हरियाणा को कितनी राशि का अनुदानों स्वीकृत किया गया है ।

(ख) क्या अन्य अनुदानों के अलावा कोई अनुदान एम० एन० पी० के अधीन भी स्वीकृत किया गया है;

(ग) इस अनुदान से अब तक कितने मील की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है;

(घ) क्या रामपुरा गांव से होकर जौरी से हेलीमंडी को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य शुरू किया जाता है और इसके लिए परिव्यय राज्य योजनाओं में उपलब्ध किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु छठी योजना (1980-85) में 350 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

(ग) हरियाणा की वार्षिक योजना (1983-84) प्रलेख के अनुसार छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 1426 किलो मीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों (समतल और असमतल दोनों) का निर्माण किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) इस प्रकार की सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है ।

खाद्यान्नों की आवश्यकता और उनका उठाया जाना

4881. **श्री गदाधर साहा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा वर्ष 1982 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राहत कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय पूल से कितने खाद्यान्न की माँग की गई;

(ख) बाढ़ और सूखे के कारण स्थिति का मुकाबला करने के राज्यवार खाद्यान्न की इस मांग में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) 1982 के दौरान इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय पूल से राज्यवार कितना खाद्यान्न वास्तव में उठाया गया और उसका वितरण किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) विवरण-I संलग्न है जिसमें वर्ष 1983 के लिए विभिन्न राज्यों की केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों की मांग, उनके आवंटन और उनकी उठायी गयी मात्रा का ब्यौरा दिया गया है । [ग्रंथालय रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6244/83] विवरण 2 और 3

संलग्न है जिनमें 1982 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजना के अधीन गेहूं के किए गए अतिरिक्त आवंटन और बाढ़/तूफान के लिए किए गये विशेष आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी०-6244/83]

उड़ीसा वसूली की चीनी की सप्लाई

4882. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में उड़ीसा राज्य ने महीनेवार वसूली की कितनी चीनी की मांग की थी ;

(ख) जनवरी से दिसम्बर, 1982 तक उड़ीसा को वसूली की कितनी चीनी का प्रतिमाह नियतन किया गया ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उड़ीसा सरकार ने 1982 में वसूली की चीनी की कोई मासवार माँग नहीं की थी।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे कुछ समान मानदंडों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, न कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर की गई मांगों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। मार्च, 1982, तक, राज्यवार मासिक कोटे 1.4.1978 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित थे। अप्रैल, 1982 से ये कोटे 1.3.1981 की जनसंख्या के संदर्श में उक्त प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर फिर से निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, जनवरी से मार्च, 1982 और अप्रैल से दिसम्बर, 1982 के दौरान उड़ीसा को आवंटित सार्वजनिक वितरण के लिए वसूली की चीनी का मासिक कोटा क्रमश: 10,723 मीटरी टन और 11,166 मीटरी टन था।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं उधार दिया जाना

4883. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का गेहूं उधार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1983 में नेपाल को जिन्स उधार के रूप में 15,000 मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने के लिए ठेका किया है, जिसका परिदान मार्च और अप्रैल, 1983 के महीनों के दौरान होना है। यह उधार छः मास की अवधि के लिए है। यह मात्रा 10,000 मीटरी टन गेहूं के जिन्स उधार के अलावा है जो कि भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम को नेपाल में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए देना स्वीकार की थी।

चंडीगढ़ के लिये आवासीय विकास योजना

4884. **चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के अधीन केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिये भी कोई आवासीय विकास योजना तैयार की गई है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के लिये (योजना-वार) कितनी राशि आवंटित की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) प्रासंगिक सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) आवास के लिए 1983-84 का योजना परिव्यय

योजना	परिव्यय (लाख रुपयों में)
1. मलिन बस्ती उन्मूलन एवम् सुधार	2.00
2. सरकारी कर्मचारियों के लिए वास	85.00
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास	3 00
4. निम्न आय वर्ग आवास योजना/मध्यम आय वर्ग आवस योजना के तहत प्लाट धारियों को ऋण	20.00
5. चण्डीगढ़ आवास बोर्ड को सहायता	150.00
6. पुलिस आवास 7. जेल भवन	42.00
8. अटवा और अन्य गाँवों की बस्तियों के लिए आवास	15.00
9. अनुसूचित जातियों के लिए आवास	20.00
योग	337.00

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम का आवास कार्यक्रम

योजनाओं की संख्या	पूरी की गई योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (लाख रुपयों में)
2	8	33.17

पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिए समस्या

प्रधान गांवों के चयन का मानदण्ड

4885. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिये समस्या प्रधान ग्रामों के चयन का क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत ही आस-पास के ग्रामों में कुछ गाँवों का चयन किया जाता है और कुछ का नहीं ; और

(ग) क्या पेय जल की अत्यधिक नमी को देखते हुए छठी योजना के अन्तर्गत समस्या प्रधान ग्रामों की सूची में कुछ और ग्रामों को सामिल किया जायेगा ?

निर्माण और आवास उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) समस्याग्रस्त ग्राम वे हैं;

(i) जहां उचित दुरी अर्थात् 1.6 कि० मी० अथवा 15 मीटर की गहराई के भीतर पेय जल का विश्वस्त स्रोत नहीं है;

(ii) जहां उपलब्ध जल में लवणता, लोह तत्व, फ्लोराइड तथा/अथवा अन्य विषाक्त तत्वों का आधिक्य है;

(iii) जो हैजा, नेहरुआ जैसी स्थानिकमारी बीमारियों से ग्रस्त हैं;

(ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों ने समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाया था। त्रुटियां, यदि कोई हो, राज्य सरकारों को पता होगी।

(ग) छठी योजना में उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों द्वारा पहले ही दी गई सूचियों में परिवर्धन करना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

गन्ने में चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिये अनुसंधान

4886. **श्री जैनुल बशर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले गन्ने में महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में पैदा होने वाले गन्ने की अपेक्षा कम चीनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे किस्म का गन्ना पैदा करने के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) गन्ने से चीनी की पिछले 10 वर्षों की औसत रिकवरी के आधार पर चीनी की रिकवरी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में बेहतर किस्म का गन्ना पैदा करने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(1) सिरोही, जिला देवरिया में हाल ही में स्थापित गन्ना प्रजनन स्टेशन में अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार करना ;

(2) शरत रोपाई के माध्यम से गन्ने की किस्मों की विकास अवधि बढ़ाना ;

(3) पेडी खेती में सुधार लाना;

(4) कीटाणुओं और रोगों की रोकथाम करना; और

(5) कटाई-पूर्व परिपक्व सर्वेक्षण पर आधारित कटाई पद्धति लागू करना।

पश्चिमी बंगाल में सुपारी बेल पर अनुसंधान

4887. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में सुपारी के बेलों पर अनुसंधान की किसी योजना को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह): (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में सुपारी की बेल पर अनुसंधान के लिए एक केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

(ख) विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल केन्द्र का दो वर्ष का कर्मचारियों सहित आदि की कुल लागत 3,27,580 रुपए है। कर्मचारियों तथा लागतों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी स्थित केन्द्र अखिल भारतीय समन्वित सुपारी बेल अनुसंधान प्रायोजना का एक अंग है। सुपारी की बेल प्रमुख रोग का निदान और नियंत्रण तथा सुपारी की खेती का सुधार, इस प्रायोजना के प्रमुख संघटक हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी स्थित सुपारी बेल अनुसंधान कक्ष का दो वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन

क्रम संख्या	ब्यौरा	पदों की संख्या	वेतनमान	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7
I.	वेतन					
1.	पादप रोग-विज्ञान का एसोसिएट प्रोफेसर	1	1200-1900	14,400/-	15,000/-	29,400/-
2.	सहायक प्रोफेसर (गोल कृमि विज्ञान तथा सस्य विज्ञान)	2	700-1600	16,800/-	17,750/-	34,560/-
3.	माली	2	255-360	6,200/-	6,400/-	12,600/-
4.	ड्राइवर	1	340-800* विशेष वेतन	4,320/-	4,500/-	8 820/-
II.	भत्ते					
1.	यात्रा भत्ता			3,000/-	3,000/-	6,000/-
2.	मंहगाई भत्ता तथा नगर-भत्ता			23,000/-	24,000/-	47,000/-
3.	मकान किराया भत्ता			2,700/-	3,000/-	5.700/-
4.	अंशदायी भविष्य निधि			6,500/-	7,000/-	13,500/-
5.	एम. ए. सी. (अदायगी)			2,000/-	2,000/-	4,000/-
			जोड़	78,920/-	82,660/-	1,61,580/-

1	2	3	4	5	6	7
	आकस्मिक					
	अनावर्ती					
1.	स्टेशन वैगन			75,000/-	——	75,000/-
2.	औजार तथा अन्य उपस्कर			41,250/-	——	41,250/-
3.	फर्नीचर तथा उपस्कार			12,750/-	——	12,750/-
				2,07,920/-	82,660	2,90,580/-
	आवर्ती					
1.	रसायन तथा ग्लासवेअर :			15,000/-	15,000/-	30,000/-
2.	डीजल आदि			1,500/-	1,500/-	3,000/-
3.	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान			2,000/-	2,000/-	4,000/-
		कुल जोड़		2,26,420/-	1,01,160/-	3,27,580/-
		अनावर्ती : रु०		1,29,000/-		
		आवर्ती : रु०		1,98,580/-		
		योग :		3,27,580/-		

भारत में विश्व कप फुटबाल

4888. **श्री सेफुद्दीन चौधरी** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में विश्व कप फुटबाल का आयोजन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकारें फुटबाल विश्व कप आयोजित नहीं करतीं। यह फुटबाल के लिए स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों का संबंध है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में भूमिगत पानी की क्षमता

4889. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विशेष रूप से बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली जिलों में भूमिगत पानी की क्षमता का पता लगाने के लिये प्राथमिक और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता-प्राप्त एक परियोजना के अंतर्गत, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और पाली जिलों में भूमिगत जल की खोज के लिए प्रारंभिक तथा विस्तृत सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणामों से पता चला है कि उपरोक्त जिलों के कुछ भागों में साधारण से लेकर बड़ी मात्रा तक उपयोज्य भूमिगत जल उपलब्ध है। उत्तर-पश्चिमी जैसलमेर के विशाल भागों में, मध्यवर्ती और दक्षिणी बाड़मेर के बहुत बड़े भागों में तथा जालौर जिले के काफी हिस्से में भूमिगत जल खारा है और वह इतना लवणीय है कि उसका सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त क्षेत्रों में अलवण जल वाले दुःस्थित भूमिगत जलाशय (पर्च्ड ग्राउन्ड वाटर बाडीज) सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड गाजियाबाद में मूंगफली के तेल का अवैध संग्रह

4890. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड गाजियाबाद के परिसर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जमाखोरी और/अथवा बिक्री के लिए मूँगफली के तेल की बहुत अधिक कमी पाई जाने के कारण छापा मारा गया था;

(ख) क्या दोषी कम्पनी/कम्पनियों के विरुद्ध मामला दायर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से मिली रिपोर्ट के अनुसार इण्डेक्सपोर्ट लि०, गाजियाबाद के 108.054 मीटरी टन मूँगफली के तेल को, जो हिन्दुस्तान लीवर लि०, गाजियाबाद के पास भण्डारण तथा संसाधन के लिए पाया गया, 25.8.1982 को जब्त कर लिया गया था।

(ख) व (ग) इण्डेक्सपोर्ट लि० के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अद्यतन संशोधित) की धारा 3/7 के अंतर्गत कोतवाली गाजियाबाद 25.8.1982 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इस मामले की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा प्रदत्त सेवाएं

4891. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम कृषि उत्पाद भंडार करने के मामले में पर्याप्त सेवा नहीं दे रहे हैं तथा उन उद्देश्यों से हट गये हैं जो किसानों को भाण्डागार सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित हैं; और

(ख) क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य तथा वैज्ञानिक रीति से भंडारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त भंण्डारण क्षमता बनाने संबंधी विषय पर विचार करने के लिये वर्ष 1979 में किसी कार्यकारी दल का गठन किया था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों की स्थापना कृषि उत्पादों, उर्वरकों और कुछेक अन्य जिन्सों का भण्डारण करने और इससे संबंधित मामलों के प्रयोजन के लिए भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 के अधीन की गई है। इन निगमों द्वारा स्थापित भाण्डागारण सम्बन्धी सुविधाएं किसानों समेत विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। ये निगम उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं जिसके लिए उनकी स्थापना हुई थी।

(ख) जी हां। कार्यचालन ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय योजना किसान स्तर पर कृषि उत्पाद तथा आदानों के भण्डारण के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

शिमला में अग्निकाण्ड

4892. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में लगातार कई बार अग्निकाण्ड हुए हैं जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसे सुन्दरतम और अत्यन्त महत्वपूर्ण भवन जल गये जिनमें कभी राजे-महाराजे रहा करते थे तथा जहां उस उपमहाद्वीप सम्बन्धी राजनैतिक परिवर्तन हुए थे;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक बनने वाली सरकारों ने इन अग्निकाण्डों का कारण बिजली की मुख्य लाइनों में शार्ट हो जाना बताया था;

(ग) इन अग्निकाण्डों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के भवनों, कीमती फर्नीचर तथा पुरातत्वीय महत्व के अन्य सामान को अनुमानत: कितनी क्षति पहुंची;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने किसी भी स्तर पर उक्त अग्निकाण्डों को विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई थी; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस दिशा में क्या उपाय किये गये और उनके बावजूद भी ये अग्निकाण्ड कैसे होते रहे?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) कुछ महत्वपूर्ण भवनों में आग लगने की घटनाएं सूचित की गई थीं।

(ख) विद्युत्तीय शार्ट सर्किट तथा संस्थापनाओं के अधिक गर्म होने के कारण को ही सम्भावित कारण समझा गया है।

(ग) जुलाई, 1982 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 20,70,457.00 रुपये की अनुमानित हानि हुई है।

(घ) थल सेना प्राधिकारियों ने एक जांच की थी परन्तु सेना प्राधिकारियों द्वारा इसकी रिपोर्ट का गुप्त रखा गया है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण के अन्तर्गत शिमला में सभी केन्द्रीय कार्यालयों में आग बुझाने के उपकरण मुहैया कराये गये हैं।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूर्ति की जाने वाली राशन की वस्तुएं

4893. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या रेपसीड/पाम आयल सप्लाई करने की योजना का विचार छोड़ दिया गया है; अथवा इन वस्तुओं की मात्रा कम कर दी गई है; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुएं किस दर पर सप्लाई की जाती हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों के माध्यम से इस समय गेहूं, चावल, चीनी, परिणामी आटा, मैदा, सूजी, आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा रेपसीड तेल दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से रेपसीड तेल तथा आर०-बी० डी० ताड़ के तेल की दी जाने वाली मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है। इस समय इनकी मात्रा प्रति खाद्य कार्ड 4 किलोग्राम (इन दोनों की सम्मिलित मात्रा) प्रति मास, 2-2 किलोग्राम प्रति पखवाड़े के हिसाब से दो किश्तों में दी जाती है।

(ग) दिल्ली में खाद्य कार्डधारियों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं की खुदरा दर नीचे दी गई हैं :—

		रु०/कि० ग्रा०	
(1)	गेहूं	1.66	
(2)	चावल (सुपर फाइन किस्म)	2.21	
(3)	चीनी	3.75	
(4)	मैदा	2.52	
(5)	सूजी	2.58	
(6)	परिणामी आटा	1.71	
(7)	आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा रेपसीड तेल	9.05	एक पखवाड़े में 1 कि० ग्रा० तक की बिक्री के लिये।
		18.15	एक पखवाड़े में एक बार में 2 कि० ग्रा० की बिक्री के लिये।

राजस्थान और गुजरात सरकारों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य

4894. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात सरकारों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 तथा 1982-83 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रति वर्ष प्रति खंड 600 परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है। इस आधार पर गुजरात तथा राजस्थान के वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

	(अनन्तिम)	
	गुजरात	राजस्थान
1. लाभभोगियों की संख्या का वार्षिक लक्ष्य	130,800	1,39,200
2. 1981-82 के दौरान लिये गए परिवारों की संख्या	1,16,215 (संशोधित)	1,20,205
3. 1981-82 के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों का प्रतिशत	88.85	86.35
4. 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए परिवारों की संख्या	1,17,389	1,33,363
5. 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) के दौरान लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों की प्रतिशत	89.75	95.81

यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, सभी राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा जो कार्य-निष्पादन में पीछे रह गये हैं उन्हें कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए कहा गया है।

राजस्थान नहर का दूसरा चरण

4895. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर का दूसरा चरण किस स्थान पर समाप्त होता है;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजना क्षेत्र से आगे के बहुत बड़े क्षेत्र को बाढ़ के पानी से सिंचित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जो इस क्षेत्र में आ सकते हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) परियोजना के वर्तमान आकार के अनुसार, राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कमान क्षेत्र, रामगढ़ के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर पर समाप्त हो जाता है। कुछ अधिक क्षेत्रों को प्रवाह-जल सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकता है और यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

4896. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार योजना के शुरू होने से लेकर अब तक, इस योजना के अन्तर्गत देश में, राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य-वार कितने-कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया है कि गत दो वर्षों के दौरान लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए हमें कितने प्रतिशत सफलता मिली है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम अक्तूबर, 1980 से आरम्भ हुआ था। गत तीन वर्षों के दौरान देश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए राज्य-वार व्यय को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6245/83]

(ख) व (ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन का मूल्यांकन 300 से 400 मिलियन श्रम दिनों के वार्षिक योजना लक्ष्य के मुकाबले में वर्ष के दौरान सृजित हुए श्रम दिनों के रूप में किया जाता है। तीन वर्षों के दौरान श्रम दिनों का राज्य-वार सृजन विवरण-2 में दर्शाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6245/83]

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वितरण में अनियमितताएं

4897. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन देश के ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वितरण में अनियमितताओं तथा कुप्रबंध वितरण में अनियमितताओं तथा कुप्रबंध को रोकने और इन्हें सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने तथा उसका पर्यवेक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। उनसे समय-समय पर मिलने वाली रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रणाली आम तौर पर ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, यद्यपि, इतने बड़े पैमाने की प्रणाली में कुछ मामलों में अनियमितताएं होने की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस बात के लिए पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुएं वास्तविक उपभोक्ताओं को पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर मिलें और जांच करने के लिए अपने निरीक्षण तथा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनायें। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सलाह भी दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें और

इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण, दुर्गम तथा पहाड़ी इलाकों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक उचित दर की दुकानें खोलें, जिनमें दूरस्थ इलाकों में चलती-फिरती दुकानें खोलना भी शामिल है।

राजस्थान के झुंझुनू जिले के बागोली गांव में हरिजनों को आवंटित की गई भूमि

4898. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के झुंझनू जिले के बागोली गांव के हरिजनों को भूमि आवंटित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी हरिजनों को भूमि का पट्टा विलेख और कब्जा मिल गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या बागोली गांव के हरिजनों द्वारा मकानों का निर्माण करने के लिये खरीदें गये पत्थर भी सवर्णों हिन्दुओं द्वारा ले जाये गये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में समुचित कार्यवाही करेगी ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, कलेक्टर, झुंझनू द्वारा खसरा नं० 243 की 5 बीघे तथा 14 विस्वे भूमि को अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आवासीय प्रयोजनों हेतु परिवर्तित किया गया था तथा इस भूमि को आगे आवंटित करने के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा गया था। पंचायत के रिकार्डों के अनुसार, अनुसूचित जाति के 21 व्यक्तियों को आवास-स्थल आवंटित किये गये थे तथा उनके पट्टे तैयार किये गये थे। अनुसूचित जाति के 6 परिवार अपने आवास स्थलों पर रह रहे हैं तथा 8 परिवारों ने अपने प्लाटों के कब्जे ले लिये हैं तथा वहां पर पत्थरों के ढेर लगा दिये हैं। ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि शेष मामलों में प्लाटों का कब्जा तथा पट्टा विलेख दे दिए जाए।

(ग) पत्थरों को हटाने के बारे में कोई रिपोर्ट राजस्थान सरकार के ध्यान में नहीं आई है। अधिकारियों के ध्यान में यदि ऐसे मामले आते हैं, तो उन पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों के लिए कानून में संशोधन

4899. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के सदस्यों पर किये गये अपराधों से सम्बन्धित मामलों में कानून संयत्र प्रावधानों में यह संशोधन करना सरकार के विचाराधीन है कि आरोप को निराधार सिद्ध करने का भार कथित दोषी पर डाला जाय;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों से निपटने के लिये राज्यों को कुछ मार्ग-निदेशी सिद्धांत जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केंद्रीय गृह मंत्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 के अधिशासकीय पत्र संख्या 111-1101/4/80-एन० आई० डी० (डी०) में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों को रोकने के

लिए राज्यों को एहतियाती, निवारक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति उपायों से सम्बंधित व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गए थे। केन्द्रीय गृह मंत्री के तारीख 10 मार्च, 1980 के अर्ध शासकीय पत्र की एक प्रतिलिपि दिनांक 19 मार्च, 1980 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में सभा पटल पर रखा दी गई है।

बिहार में आदिवासियों की भूमि पर गैर कानूनी कब्जा

4900. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बिहार के सिंहभूम जिले में आदिवासियों की भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर लिया गया है, यदि हां, तो 1-1-1983 को ब्यौरेवार तथ्य क्या थे;

(ख) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर टैनेंसी एक्ट के अनुसार आम तौर पर आदिवासियों की भूमि के गैर सरकारी आदिवासियों को अन्तरण की मनाही है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की पूर्ण जाँच करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) इस विषय में जांच कराने का प्रश्न सिंहभूम जिले में आदिवासी भूमि के तथाकथित गैर कानूनी कब्जे के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद ही उठेगा।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट

4901. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय की 1981-82 की रिपोर्ट के अध्याय 9 के पैरा 18 के संदर्भ में किये गये अध्ययन और किये जा रहे अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : किए गए अध्ययन और, जैसा कि 1981-82 के लिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया है, के ब्यौरे विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

गृह मंत्रालय

अनुसंधान और नीति प्रभाग

वर्ष 1981-82 के दौरान प्रभाग द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण कागजातों की सूची

क्रम सं०	अध्ययन का नाम
1.	मुरादाबाद में 1980 में साम्प्रदायिक दंगे, समाचार पत्रों, राजनैतिक नेताओं और संगठनों के विचार।
2.	देश में छात्रों में वर्तमान अशांति।
3.	जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों की पुनरीक्षा।

4. 1980 के दौरान देश में साम्प्रदायिक दंगों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण ।

5. बिहार में (सितम्बर-नवम्बर, 1981 कृषि-सम्बन्धी तनाव और किसान आन्दोलन ।

6. दक्षिणी राज्यों में कृषक आंदोलन—केरल राज्य में किसान आंदोलन न होने के कारण

7. भारत की स्थायित्व के लिए आंतरिक खतरे ।

8. बिहार शरीफ में और उसके इर्द गिर्द (1981) साम्प्रदायिक दंगे—एक विश्लेषण ।

9. राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के सम्बन्ध में पृष्ठ भूमि सामग्री ।

10. भारतीय समाज में हिंसा (1969-1977)

विवरण-2

गृह मंत्रालय

(अनुसंधान और नीति प्रभाग)

जैसाकि गृह मंत्रालय की 1981-82 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया हैं महत्वपूर्ण कागजातों/चालू परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	अध्ययन का नाम
1.	1970 के बाद से छात्र असंतोष ।
2.	1970 के बाद से भारत में क्षेत्रवाद का बढ़ना ।
3.	राजनैतिक दलों द्वारा भाषायी मसलों का शोषण ।
4.	असम, मेघालय राज्य और संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित जिला परिषदों की पुनरीक्षा ।
5.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के कार्यान्वियन के पहलू और कुछ सुझाव ।

अखबारी कागज का आयात

4902. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अखबारी कागज की कमी का सामना करना पड़ रहा है और देश की मांग को पूरा करने के लिए हर साल काफी मात्रा में अखबारी कागज का आयात करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार उपयोग में लाये गये अखबारी कागज को नए अखबारी कागज में बदलने के बारे में कोई खोज की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में अखबारी कागज की मांग को पूरी करने और विदेशी मुद्रा बचाने हेतु अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : (क) देश में अखबारी कागज की मांग को अंशत: देशी उत्पादन और अंशत: आयात द्वारा पूरा किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) पुराने अखबारी कागज को स्याही रहित करके अखबारी कागज बनाने प्रौद्योगिक पहले ही सुविख्यात है ।

(घ) अभी कुछ समय पहले तक 67,500 मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाला अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले देश में केवल एक ही एकक था। वर्ष 1982 के दौरान दो और एकक स्थापित किए गए हैं जिससे अब देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता बढ़ कर 2,22,500 मी० टन प्रति वर्ष हो गई है। 1982-83 में देश में अखबारी कागज के उत्पादन का अनुमान 1.10 लाख मी० टन का है जब कि 1981-82 में 0.64 लाख मी० टन का उत्पादन हुआ था। 1.74 लाख मी० टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस/स्वीकृति दी जा चुकी है इसमें से 1.04 लाख मी० टन अंशतः स्याही रहित करने की प्रक्रिया पर आधारित होगा।

होटलों गैस्ट हाउसों और लाजों के लिए स्थान

4903. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम ने एशियाड, 1982 के नाम पर वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों के कितने होटलों, गैस्ट हाउसों और लॉजों को लाइसेंस दिए हैं;

(ख) ये होटल, गैस्ट हाउस और लॉज कहां-कहां स्थित हैं और कितनी कितनी भूमि पर इनका निर्माण किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ की बिल्डिंगें भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस ने एशियाड 1982 के दौरान अतिथि आवास हेतु गेस्ट हाउस/लाज/होटल चलाने के लिए 663 लाइसेंस स्वीकृत किये, जो 90 दिन के लिए वैध थे।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए। संख्या एल० टी०—6246/83]

(ग) एशियाड के लिए अस्थायी गैस्ट हाउस/लाज चलाने के लिए ये लाइसेंस ऐसे विद्यमान भवनों के मालिकों को जारी किये गये थे, जिनका निर्माण नगर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजनाएं प्राप्त करने के बाद किया गया है। पहले ही पूरी की गई अथवा निर्माणाधीन नई होटल परियोजनाएं उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर आधारित हैं और भवन उप नियमों के किसी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

'इन्सोव-आटो' के अन्तर्गत वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

4904. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इन्सोव आटो" के अन्तर्गत वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण हेतु समझौता करने के बारे में रूस से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या कोई समझौता हो गया है; और

(ग) परियोजना शुरू करने में कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मै० इन्सोव आटो को दिया गया लाइसेंस पहले ही व्यपगत हो गया है।

यात्रियों को परेशान किया जाना

4905. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि दिल्ली में "थ्री व्हीलर" और "टैक्सी" चालक यातायात और दिल्ली पुलिस से सांठगांठ करके रेलवे स्टेशनों और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे में यात्रियों को परेशान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर इस समस्या को हल करने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि टैक्सी/स्कूटर चालक यात्रियों को परेशान न करें सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) थ्रीव्हीलर स्कूटरों तथा टैक्सियों द्वारा इंकार किये जाने और ज्यादा किराया लिए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु यह सही नहीं है कि इस तरह यात्रियों को पुलिस प्राधिकारियों की सांठगांठ से परेशान किया जाता है ।

(ख) रेलवे स्टशनों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा और पालम हवाई अड्डे पर यातायात सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं । इन बूथों में चौबीसों घंटे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी रहते हैं । उन्हें छपे हुए शिकायत कार्ड और अनुमोदित किराया कार्ड उपलब्ध कराये गए हैं । वर्ष 1982 में यात्रियों को ले जाने से इंकार करने के लिए 4837 और ज्यादा किराया लेने के लिए 1603 थ्रीव्हीलर स्कूटर ड्राइवरों का चालान किया गया । इसी तरह, यात्रियों को ले जाने से इंकार करने के लिए 183 और ज्यादा किराया लेने के लिए 297 टैक्सी ड्राइवरों का चालान किया गया ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन

4906. **श्री नवीन रावणी** . *क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए राज्य वार कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान कितने आवेदन पत्रों पर स्वीकृति दी गई;

(ग) इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि अदा की गई और स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को उसके पति के मृत्यु के बाद भुगतान करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इन आवेदन पत्रों पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) 1982-83 के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए 36 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं ।

1-8-1980 से योजना में स्व० स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 200/- रु० प्रतिमास की दर से और प्रत्येक अविवाहित पुत्री के लिए 50/- रु० प्रति मास की अतिरिक्त पेंशन की परिवार पेंशन की व्यवस्था है बशर्ते कि विधवा और अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) सब मिलकर 300/- रु० प्रतिमास से अधिक पेंशन प्राप्त नहीं करेंगी ।

(घ) लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिये समय सीमा बताना संभव नहीं है चूंकि सरकार के आवेदकों द्वारा किये गये यातनाओं के दावों की जांच के लिए विभिन्न राज्य सरकारों पर

निर्भर करना पड़ता है। राज्य सरकारों से आवेदनों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने आवेदनों पर कार्रवाई करने और शीघ्र जांच करने के लिए विशेष कक्ष भी स्थापित किए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	28.2.1982 को लम्बित आवेदन	1-3-82 से 28-3-83 तक स्वीकृत की गई पेंशन
1.	अंडमान तथा निकोबार	4	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	7866	195
3.	अरुणाचल प्रदेश	27	——
4.	असम	9766	62
5.	बिहार	39577	324
6.	चंडीगढ़	27	3
7.	दिल्ली	190	60
8.	गोवा	817	26
9.	गुजरात	69	145
10.	हरियाणा	459	37
11.	हिमाचल प्रदेश	216	35
12.	जम्मू व कश्मीर	1032	94
13.	केरल	18012	72
14.	कर्नाटक	5543	381
15.	मध्य प्रदेश	614	81
16.	महाराष्ट्र	12871	368
17.	मणिपुर	38	1
18.	मेघालय	17	——
19.	मिजोरम	——	3
20.	नागालैंड	10	——
21.	उड़ीसा	6503	33
22.	पांडिचेरी	508	12
23.	पंजाब	1929	108
24.	राजस्थान	291	28
25.	तमिलनाडु	1660	93
26.	त्रिपुरा	652	9
27.	उत्तर प्रदेश	6122	494
28.	पश्चिम बंगाल	50247	146
29.	आ०हि०, फौ० कार्मिक	6548	782
	कुल जोड़	171615	3595

भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लू किंग मिल में मौतें

4907. श्री केयूर भूषण : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लूमिंग मिल में 4 मार्च, 1983 को 3 कर्मचारी मृत पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या मृतकों के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) रख-रखाव कार्य से सम्बन्धित तीन कर्मचारी, जो "ब्लूमिंग और बिलेट मिल" के "पम्प हाउस" में "सम्प पम्पों" के कार्यकरण की आम जांच करने गए थे, 4 मार्च, 1983 की सुबह मरे हुए पाए गए थे। मृत्यु का कारण यह बताया गया है कि पम्प हाउस में, जिसमें नैप्था की भाप थी, विस्फोट से बुरी तरह झुलस जाने के कारण दम घुटने और सदमे के कारण हुई है।

(घ) से (च) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मृतक कर्मचारियों के निकटतम सम्बन्धी को मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है। कम्पनी की नीति के अनुसार "सेत" प्रत्येक मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से एक आश्रित को रोजगार भी देगी।

आसूचना ब्यूरो में तदर्थ नियुक्तियों पदोन्नतियों को नियमित किया जाना

4908. श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न विभागों में विशेषकर आसूचना ब्यूरो में तदर्थ आधार पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां तथा पदोन्नतियाँ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों को शासित करने से संबंधित परिस्थितियां और नियम क्या हैं;

(ग) 1 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों की अवधि अर्थात् (1) एक वर्ष से कम, (2) एक से तीन वर्ष के बीच (3) तीन वर्ष से अधिक आदि दर्शाते हुए आसूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई; और

(घ) इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों को नियमित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है और उन्हें कब तक नियमित किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् तदर्थ नियुक्तियां केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही की जाती है और वह भी केवल सीमित अवधियों के लिए।

(ख) जिन परिस्थितियों में नियुक्तियां की जाती है, उन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(क) जहां भर्ती नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) जहां वरिष्ठता सूचियों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है या उसके संबंध में मुकदमें चल रहे हैं;

(ग) जहां नियमित भर्ती में विलम्ब की संभावना है;

(घ) जहां रिक्तियां केवल थोड़े समय के लिए हैं

(ग) विवरण इस प्रकार से है :—

(1) एक वर्ष से कम	133
(2) एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच	87
(3) तीन वर्ष से अधिक	283

(घ) जहां कहीं जरूरत है, वहां भर्ती नियमों तथा वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पेंशन पाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या

4909 श्री एन० डेनिस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है; और

(ख) उन में से महिलाओं, पुरुषों और आश्रितों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जिन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई हैं उनके राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में हैं। इन आंकड़ों में उन स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित शामिल हैं जिन्हें परिवार पेंशन स्वीकृत की गई है।

(ख) इस रूप में सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

अब तक स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकृत की गई पेंशन का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.8.1980 तक स्वीकृत की गई पेंशन	1.8.80 से 28.2.83 तक स्वीकृत की गई पेंशन	स्वीकृत की गई कुल पेंशन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान तथा निकोबार	26	12	38
2.	आन्ध्र प्रदेश	5331	279	5610
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	2
4.	असम	3915	91	4006
5.	बिहार	19359	665	20024
6.	चंडीगढ़	64	17	81

(जारी···)

1 2	3	4	5
7. दिल्ली	1564	188	1752
8. गोवा	547	79	626
9. गुजरात	2909	190	3099
10. हरियाणा	1283	93	1376
11. हिमाचल प्रदेश	373	48	421
12. जम्मू और काश्मीर	807	107	914
13. केरल	1995	92	2078
14. कर्नाटक	7387	784	8171
15. मध्य प्रदेश	2775	140	2915
16. महाराष्ट्र	10035	814	10849
17. मणिपुर	58	1	59
18. मेघालय	68	—	68
19. मिजोरम	—	3	3
20. नागालैंड	3	—	3
21. उड़ीसा	3540	70	3610
22. पांडिचेरी	232	26	258
23. पंजाब	5103	301	5404
24. राजस्थान	583	66	649
25. तमिलनाडु	3555	188	3743
26. त्रिपुरा	621	38	659
27. उत्तर प्रदेश	15626	760	16386
28. पश्चिम बंगाल	14754	354	15103
29. भूतपूर्व आजाद हिंद सैनिक	16171	1632	17803
योग	118722	7038	125760

महाराष्ट्र के भूतपर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4910. श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सण्डे" नामक पत्रिका (23-29 जनवरी, 1983) में "भोंसले"ज मिजरी" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हाल में घोषित भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों के संदर्भ में महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथ्यों और टिप्पणियों के लिए महाराष्ट्र

सरकार को भेजे गए हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। किंतु, प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित लेख में श्री अन्तुले के विरुद्ध भ्रष्टाचार वैसी कोई शिकायत नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु का आकलन करने हेतु मानदण्ड

4911. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु का आकलन करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन मानदण्डों पर किन तरीकों में पुनर्विचार किया गया और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उन सरकारी पदों के नाम क्या हैं जिन में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से अधिक है और उसका आधार क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु का आकलन करने हेतु "मानदण्ड" निर्धारित किए जाने का न तो कोई प्रश्न है और न ही मानदण्डों पर पुनर्विचार किए जाने का ही कोई प्रश्न उठता है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण सभी संगत कारणों को ध्यान में रखते हुए नीति के आधार पर किया जाता है।

(ग) कामगार तथा समूह "घ" के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। जब अन्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी तो भी इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही थी और इनके मामले में वही स्थिति चलती आ रही है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के नई दिल्ली में नियमित कार्यालय में पदोन्नति की नीति

4912. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के नई दिल्ली के निगमित कार्यालय में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियो की पदोन्नति सम्बन्धी कोई सुनिश्चित नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में इस नीति का अनुसरण नहीं किया गया है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान पदोन्नति के लिए क्या आधार रखा गया है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को अपने सेवा-काल के चार वर्षों में चार पदोन्नति मिल गई हैं जबकि कुछ कर्मचारियों को पांच वर्ष पूरे करने के बाद भी पदोन्नति नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ पद देने के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता में छूट दे दी गई है ?

इस्पत और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) "सेल" के निदेशक-मण्डल ने निगम कार्यालय में कार्यरत कार्यपालकों की पदोन्नति संबंधी नीति को अप्रैल, 1981 में अनुमोदित कर दिया था। उसने पहले कार्यपालकों की पदोन्नति हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (एच० एस० एल०) की पदोन्नति सम्बन्धी नीति और परम्पराओं के अनुसार की जाती थी। गैर-कार्यपालकों की पदोन्नति सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार की जाती है। सभी पदोन्नतियां पदोन्नति संबंधी नीति और परम्पराओं के अनुसार की जाती हैं।

(घ) और (ङ) यह सच नहीं है कि कुछ कर्मचारियों को चार वर्षों के सेवा-काल में चार पदोन्नतियां दी गई हैं। कुछ स्तरों पर ऐसे कर्मचारी हैं जो पांच वर्षों से भी अधिक समय से उसी ग्रेड में हैं। ऐसा इसलिए है कि सभी विभागों (डिपार्टमेंट्स) में संवृद्धि-दर और पदोन्नति के अवसर एक समान नहीं हैं।

(च) जी, नहीं।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचार

4913 **श्री भोगेंद्र झा** : क्या गृह मंत्री वे स्थान जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार किए गए हैं के बारे में 2 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के कारणों तथा पृष्ठभूमि का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में इन अत्याचारों को भड़काने में उन्नत तथा पिछड़ी जातियों के ग्रामीण तथाकथित अमीर लोगों का हाथ रहता है;

(ग) यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपराधों के कारण विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के प्रति सामाजिक आर्थिक प्रकृति के हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री के अर्ध शासकीय पत्र स० 11011/4/80 एन० आई० डी० तारीख 10 मार्च, 1980 के पत्र में इसका विश्लेषण किया गया है। इस पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती निरोधात्मक, दण्डात्मक पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति उपायों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों को भेजा गया है। अनुसूचित जनजातियों के विषय में भी राज्यों को इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत काफी दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना के लिए राज्य सरकारों की अतिरिक्त वित्तीय माँग

4914. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान और आगे के वित्तीय आवंटन के संबंध में राज्य सर-

कारों तथा संघ क्षेत्रों की मांग क्या थी तथा अंतिम रूप से कितनी राशि निर्धारित की गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में उनकी छठी योजना को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव न तो आमंत्रित किए गए थे और न ही प्राप्त हुए थे। लेकिन छठी योजना के अंतिम रूप देने के बाद, कुछ राज्यों ने अपनी वार्षिक/पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन बढ़ाने के लिए समय-समय पर आर्थिक केन्द्रीय सहायता तथा बाजार ऋणो की मांग की है। छठी योजना की अवधि के लिए पहले परिकल्पित 15350 करोड़ रु० के अलावा वर्ष 1983-84 और 1984-85 की दो वर्ष की अवधि के लिए 1650 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। छठी योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने की मूल स्कीम में परिकल्पित 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बजाए वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 में बाजार ऋण कार्यक्रम में सभी राज्यों को 20 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 1981-82 के अंत में राज्यों के घाटे को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 1743 करोड़ रु० का मध्यावधि ऋण उपलब्ध कराया गया था।

मारुति लिमिटेड में भूतपूर्व-कर्मचारियों को पुन: रोजगार

4915. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के परि-समापन के समय कुछ तकनीकी व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी से इस प्रकार छंटनी किए गए कर्मचारियों को खपाने का है;

(घ) क्या ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों ने मारुति लिमिटेड में पुन: रोजगार के लिए आवेदन किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन भूतपूर्व कर्मचारियों की पुरानी सेवा को देखते हुए इन्हें आरक्षण का लाभ और उस कम्पनी के बंद रहने की अवधि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि अब सरकार इस कम्पनी को विदेशी सहयोग से पुन: चालू कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने बताया है कि इस प्रकार के 268 व्यक्तियों की छंटनी की गई थी।

(ग) अन्य बातें समान होने पर रोजगार के मामले में मारुति लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी।

(घ) मारुति के 20 भूतपूर्व तकनीकी कर्मचारियों ने मारुति उद्योग लिमिटेड के विज्ञापनों के उत्तर में रोजगार के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड को आवेदन दिया है।

(ङ) जी नहीं। मारुति उद्योग लिमिटेड अपनी आवश्यकताओं के आधार पर और प्रत्येक उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण करने के बाद व्यक्तियों की भर्ती करेगा।

वृद्धि दर

4916. **श्री अजित बाग :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 की सकल राष्ट्रीय आय की दर कितनी है;

(ख) इस अवधि में मजदूरी की वृद्धि दर कितनी है; और

(ग) इस अवधि में लाभ की वृद्धि दर कितनी रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1970-71 की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संवृद्धि दर वर्ष 1980-81 में 8.4 प्रतिशत और वर्ष 1981-82 में 5.2 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) मजदूर और लाभ की संवृद्धि दर का समग्र अनुमान 'कर्मचारियों को मुआवजा' तथा लाभ व लाभांश (केवल संगठित क्षेत्रक के लिए) जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का भाग है, से संबंधित गुणक आय के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े वर्ष 1980-81 के लिए हैं। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 1980-81 में संवृद्धि-दर "कर्मचारियों के लिए मुआवजा" के लिए 16.6 प्रतिशत और "लाभ और लाभांश" के लिए 8.5 प्रतिशत होती है। वर्ष 1981-82 के लिए संवृद्धि दर के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

कैदियों को जमानत पर छोड़ने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में दोष

4917. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोषी पाये गए कैदियों को जमानत पर छोड़ने की वर्तमान व्यवस्था से न्यायालय के प्रांगणों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इससे पेशेवर और धोखेबाज जमानत देने वालों की एक श्रेणी सामने आई है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान पद्धति के परिणामस्वरूप जमानत के झूठे बांडों और झूठे जमानत देने वालों की समस्या के कारण अनेक मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में इस त्रुटि को दूर करने के लिए उचित कानून लाने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) किसी अपराध के लिए कोई अभियुक्त व्यक्ति को उसके अपने व्यक्तिगत बांड अथवा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जमानतें पर्याप्त हैं, न्यायालय जमानतों की पर्याप्तता अथवा औचित्य के संबंध में शपथपत्र स्वीकार कर सकता है, अथवा जांच कर सकता है। (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441) परन्तु यदि गलती, धोखे या अन्य तरीके से अपर्याप्त जमानतें स्वीकार कर ली गई हैं, तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है कि जमानत पर रिहा किये गये व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे यह आदेश दे सकता है कि वह पर्याप्त जमानत दे और उसके ऐसा न करने पर उसे जेल भेज सकता है। (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 443)।

बहुत से जटिल तत्वों के कारण काफी मामले लम्बित पड़े हैं। यह संभव है कि कुछ मामलों में जमानत पर छोड़े हुए अभियुक्त व्यक्तियों के पेश न होने से निपटान में विलम्ब होता है।

जमानत पर छोड़े हुए अभियुक्त व्यक्तियों के पेश न होने और पेशेवर जमानतियों द्वारा जमानत देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446(2) में 1980 में एक परन्तुक समाविष्ट किया गया था कि जहां जुर्माने की अदायगी नहीं की जाती है अथवा जमानत के रूप में इस प्रकार प्रतिबद्ध व्यक्ति से वसूली नहीं की जा सकती, तो उसे एक अवधि जो छः महीने तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए सिविल जेल में सजा काटनी पड़ेगी।

जमानत पर अभियुक्त व्यक्तियों की रिहाई में कदाचारों से निपटने हेतु मैजिस्ट्रेट के लिए उपर्युक्त उपबंध पर्याप्त प्रतीत होते हैं तथापि यदि कोई ठोस सुझाव दिया जायेगा, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

एशियाई खेल, 1982 के दौरान विदेशियों को परोसा गया गोमांस

4918. श्री केशवराव पारधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल, 82 के दौरान विदेशी अतिथियों को उनके भोजन में गोमांस परोसा गया था और विभिन्न हिन्दू संगठनों के कार्यकर्त्ताओं ने पटेल चौक पर प्रदर्शन किया था तथा विरोध में गिरफ्तारियां दी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध विदेशियों को भोजन में गोमांस परोसा जाना आवश्यक था जबकि संत विनोबा जी जैसे महान व्यक्तियों ने गोवध के विरुद्ध भूख हड़ताल की थी और प्रधान मंत्री ने भी गोवध पर रोक लगाए जाने का समर्थन किया था; और

(ग) उपर्युक्त प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) एशियाड के दौरान या एशियन खेल गांव परिसर में, भारतीय पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम द्वारा संचालित होटलों में गाय का मांस नहीं परोसा गया। एशियन खेल गांव परिसर के डाईनिंग हाल में मीनू बोर्ड पर "बीफ" वस्तु लिखी गई थी, लेकिन इसका संकेत भैंस के मांस से था। गाय का मांस नहीं परोसा गया था। गो रक्षा समिति ने तीन प्रदर्शन किए थे और पटेल चौक, नई दिल्ली पर गिरफ्तारियां दी थीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किए गए 396 व्यक्तियों का चालान किया गया और दोष सिद्ध पर न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गई थी।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषयक नीति के रूप में पेड़ों का गिराया जाना

4919. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषयक नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में पेड़ों को वाणिज्यिक रूप से गिराये जाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार समिति के प्रतिवेदन की कोई वैज्ञानिक जांच की गई है;

(ग) क्या पर्यावरण विभाग ने उत्तर प्रदेश में "वन बचाओ" चिपको आंदोलन की जानकारी प्राप्त की है; यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 1980, 1981 तथा 1982 में वाणिज्यिक ठेकेदारों, राज्य वन विभाग दोहन गतिविधियों और गैर-कानूनी रूप से काटे जाने के कारण अनुमानत: कितने पेड़ गिराये गये;

(ङ) क्या पर्यावरण विभाग ने पेड़ों को न गिराये जाने के बारे में ऊंचाई तथा ढलान के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्णय किया है; और

(च) भारतीय वनों को बचाने के लिए अन्य क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पर्यावरण विभाग अन्तर्गत विभिन्न वन विद्या पद्धतियों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में वाणिज्यिक रूप से पेड़ों का गिराया जाना भी सम्मिलित है ताकि पर्यावरणीय-सुदृढ़ वन नीतियों का सुझाव दिया जा सके ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । हिमालय में वाणिज्यिक पेड़ों के गिराये जाने पर पाबंदी बड़े पैमाने पर जनता के सहयोग से बंजर भूमि में वनरोपण, वन पंचायत और वन परिषदों का उन्मूलन, तेजी से बढ़ते हुए वाणिज्यिक महत्व के आकर्षक स्पीशीज की अपेक्षा लोगों की आवश्यकताओं और स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल स्पीशीज का रोपण चिपको आंदोलन की मुख्य मांगें हैं।

(घ) उल्लिखित श्रेणियों के पेड़ों के गिराये जाने की संख्या का राज्य अथवा केन्द्रीय स्तर पर संकलन नहीं हुआ है। तथापि राज्यों के सम्बद्ध राज्य वन विभागों के निर्देशों के अन्तर्गत पेड़ों के गिराये जाने और समापन संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भारतीय वनों को बचाने के लिए कुछ कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं :

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन जिसके अंतर्गत आरक्षित वनों को अनारक्षित वनों, अथवा वन भूमि को अवन प्रयोजनों में अपवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति का प्रावधान है ।
2. राष्ट्रीय वन नीति का पर्यावरणीय पहलुओं पर प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए संशोधन ।
3. कृषि वन विद्या और विकृत भूमियों के लिए एक कार्यक्रम का तीव्रीकरण ।
4. एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण के लिए विचाराधीन उत्तराखंड के वनों के शोषण का स्थगन ।
5. प्राकृतिक वनों के निर्वृक्षीकरण की प्रथा की एकघासस्थन रोपण के स्थानापन्न द्वारा हतोत्साहित करना ।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

4920. **श्री जगन्नाथ पाटिल**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संघ क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए जनता की मांग की ओर दिलाया गया है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रश्न पर दिल्ली के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) किसी ऐसी मांग पर विचार करने के लिए उसके सभी निहितार्थों के अध्ययन की जरूरत होती है ।

साथी साइकल की उपयोगिता

4921. **श्री रेणु पद दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साइकल निगम द्वारा निर्मित एक किफायती साइकल, साथी की उपयोगिता की जांच की गई है;

(ख) अब तक ऐसी कितनी साइकलों का निर्माण किया गया है; और

(ग) ग्राहक-बाजार में इसे स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एसेम्बिल और पैक की गई :—

1981-82—4980
1982-83—9000

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि बाजार में उत्पाद स्वीकार्य नहीं था ।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन परियोजना

4922. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) से हल्दिया स्थित पैट्रो-रसायन परियोजना में वित्तीय रूप से भाग लेने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया में पैट्रो-रसायन परियोजना सहित तीन पैट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पैट्रो-रसायन परियोजना के लिये वास्तविक आवंटन कितना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) पैट्रोलियम विभाग ने दिसम्बर, 1981 में योजना आयोग को यह सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना की

इक्विटी पूंजी में समान सहभागिता (केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक के द्वारा 40 प्रतिशत) का और शेष इक्विटी पूंजी की सरकारी/वित्तीय संस्थाओं द्वारा कराए जाने का सुझाव दिया था। इसके बाद, पेट्रोलियम विभाग ने योजना आयोग को यह सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार से मौखिक रूप से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि केन्द्रीय सरकार हल्दिया में पैट्रो-रसायन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच सयुक्त उद्यम के रूप में 74 प्रतिशत (और अधिक) ले सकता है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में हल्दिया पेट्रो-रसायन परिसर के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में कोई व्यवस्था इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि यह परियोजना राज्य क्षेत्रक/संयुक्त क्षेत्रक में आरम्भ की जानी थी। परन्तु छठी योजना में परिकल्पित पैट्रो-रसायन कार्यक्रमों की अप्रैल, 1982 में समीक्षा की गई और हल्दिया परियोजना सहित सभी नई पैट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिए शिल्पविज्ञान क्रय और कुछ मूल और व्यापक इंजीनियरी व्यवस्था को सुदृढ़/सम्बद्ध करने जैसे आरम्भिक कार्यों के लिए 25 करोड़ रु० की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। इन उपायों में लगभग 18-24 महीने लगेंगे। उन सभी नई पैट्रो-रसायन परियोजनाओं (जिनमें हल्दिया पैट्रो रसायन परियोजना शामिल है) पर जिनके लिए 25 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है संसाधन स्थिति और उत्पन्न मांग-पूर्ति के अन्तर आदि को ध्यान में रखते हुए छठी योजना के अंत में किसी समय विचार/निर्णय किया जाएगा।

कार्टर पूलर एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड का अधिग्रहण

4923. **श्री नीरेन घोष :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्टर पूलर एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 1 काशीनाथ दत्ता रोड, कलकत्ता का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या यह कम्पनी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ग) क्या प्रबंध समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1983 को समाप्त हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क), (ख) और (ग) मैसर्स कार्टर पूलर एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अभिग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रबंध मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है। प्रबंध के अभिग्रहण की वर्तमान अवधि 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त हो जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) 6 अक्तूबर, 1981 को परिचालित रुग्ण एककों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त में विहित राष्ट्रीयकरण के मानदंड पूरे नहीं होते ।

एल० टी० सी० सुविधा के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

4924. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1983 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "एल० टी० सी० क्लेम्स ए फ्लोरिशिंग रैकेट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा एल० टी० सी० सुविधा का दुरुपयोग करने के मामलों का उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सामने ऐसे अनेकों और मामले आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो एल० टी० सी० सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यदि किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत योजना के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में ला दिया जाता है तो संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। उपयुक्त मामलों में न्यायालय में अभियोजन का सहारा भी लेना पड़ता है ।

भ्रष्ट व्यक्तियों का भण्डा-फोड़ करने वाले लोगों की सुरक्षा

4925. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्ट व्यक्तियों का भण्डा-फोड़ करने वालों को शोषण से बचाने के लिए क्या सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ख) भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ करने वाले नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का ब्यौरा क्या है और भ्रष्टाचारियों का भंडा फोड़ करने वालों को क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जो व्यक्ति भ्रष्ट व्यक्तियों का भंडा फोड़ करते हैं, उनके शोषण तथा प्रतिरक्षा के लिए निम्नलिखित सुरक्षा मौजूद है :

(1) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1947 की धारा 8 किसी दोषी लोक सेवक का भंडा-फोड़ करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति (रिश्वत देना, जो कि अन्यथा उसी अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध होता है) के हितों को इन अर्थों में सुरक्षा प्रदान करती है कि वह ऐसी कार्रवाई में इस प्रकार के कार्य के लिए अभियोजित किए जाने से प्रतिरक्षित होता है ।

(2) साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 मुखबिर को जो भ्रष्टाचार के बारे में सूचना देता है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि सूचना का स्रोत प्रकट करने के लिए न तो मजिस्ट्रेट को और न ही पुलिस/राजस्व अधिकारी को मजबूर किया जा सकता है ।

(3) इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को गुप्त माना जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि मुखबिर की शिनाख्त पूर्णतया सुरक्षित रखी जाती है।

(4) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक है कि मुखबिर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाय और उन्हें परेशानी से बचाया जाए।

(5) विद्यमान अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि जो कर्मचारी पूर्ण और निष्पक्ष भंडा-फोड़ करता है, जिसमें वह स्वयं तथा अन्य लोक सेवक अथवा आम व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हों, तो ऐसे कर्मचारी की प्रतिरक्षा/माफी की मंजूरी के लिए सिफारिश की जाए।

जहां तक भ्रष्ट व्यक्ति का भंडाफोड़ करने में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में विशेष रूप से यह निर्धारित है कि भारतीय दंड संहिता की 161 से 165 (ए) तक की धाराओं के अधीन किसी भी दंडनीय अपराध के किए जाने अथवा ऐसा कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने के इरादे की जानकारी रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसकी सूचना तुरन्त समीपस्थ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा, बशर्ते कि उसके पास ऐसा न करने का कोई उचित कारण न हो।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण

4926. **श्री राम अवध** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खादी ग्रामोद्योग आयोग को ये निदेश जारी करने का है कि कर्मचारियों से प्राप्त पत्रों को निबटाया जाए तथा उनकी शिकायतों आदि का निश्चित अवधि में निवारण किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग को ये निदेश कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) संघों/कर्मचारियों में प्राप्त पत्रों का शीघ्र जवाब देने और उनकी कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सभी प्रकार से प्रयास करता है। अतः इस संदर्भ में आयोग को कोई निदेश देने का प्रस्ताव नहीं है।

मैसूर में बिलीगिरि रंगना पहाड़ियों में सोलिगा आदिवासियों का पिछड़ापन

4927. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर के दक्षिण पूर्व में बिलीगिरि रंगना पहाड़ियों में सोलिगा आदिवासियों जो वहां विस्थापित हैं और असहाय हैं, के पिछड़ेपन और उनके दुःखों के बारे में जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार को जल्दी से जल्दी मानवीय तरीके से उन्हें पुनर्वासित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्द महासागर में प्रदूषण

4928. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासार काफी हद तक प्रदूषित हो गया है जिससे तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो गया है तथा प्रदूषण और भी बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य स्वास्थ्य, मछलियां पकड़ने, तथा महासागर-सम्पत्ति के संरक्षण के लिए प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि किन्हीं विकसित देशों ने इसके लिए सहायता करने के प्रस्ताव किये हैं, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी सहायता मांगने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत सरकार को हिन्दमहासागर में प्रदूषण की स्थिति की कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार प्रदूषण मुख्यत: बड़े टैंकरों द्वारा तेल वाहित करने से है। तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे की कोई मुख्य घटना को रिपोर्ट नहीं की गई है। परन्तु बड़े बन्दरगाह शहरों के निकट तटवर्ती जल के प्रदूषण की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) स्वीडिश इंटरनेशनल एजेंसी तथा यूनाईटिड नेशन्स इन्वायरन्मैंट प्रोग्राम की सहायता से पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान में सागर प्रदूषण की समस्या पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

आयात विकल्प

4929. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाए रखने और आयात विकल्पों को बढ़ावा देने की कोई नई कार्यनीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने और विदेशी मुद्रा बचाने की मुख्य नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब भी आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन दोनों पहलुओं पर बल दिया जा रहा है। विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मुख्य नीति का अतिक्रमण किये बिना विशेष अभ्युपाय अपनाकर उसमें समायोजन कर लिए जाते हैं।

बचत पर कार्यदल की सिफारिशें

4930. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में बचत पर कार्यदल की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में गठित बचत संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

देश की बचत एवं पूंजी निर्माण संबंधी वर्तमान अनुमान के विषय में दल का विचार था कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस शताब्दी के अंतिम पच्चीस वर्षों में प्रचलित भावों के आधार पर घरेलू बचत की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, इस अवधि में पूंजी गत सामानों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा 1960 के दशक के अंत से विदेशी बचत की अन्तर्वाह दर में गिरावट के कारण, स्थायी पूंजी निर्माण की दर में प्राप्त की गई वृद्धि पिछले दशक में अनिवार्यतः अधिक धीमी रही है। दल द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित से संबंधित है : (1) कृषि परिवारों अनिगमित उद्यमों तथा परिवार विशेष के लिए पूंजी निर्माण एवं बचत के अलग-अलग अनुमान तैयार करने की आवश्यकता (2) मूल्यह्रास प्रावधान के अनुमान तैयार करने के रीतिविधान में सुधार करना (3) माल संचय निवेश के अनुमान में सुधार (4) अक्सर उल्लेख किए जाने वाले सामानान्तर अर्थव्यवस्था के आयमों को समझने के लिए अध्ययन आरम्भ करने की आवश्यकता (5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए कम्पनी वित्त संबंधी अध्ययन की व्याप्ति एवं प्रतिचयन प्रक्रिया में सुधार (6) क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी निर्माण एवं बचत का अनुमान तैयार करने के लिए क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों को वार्षिक कार्यान्वित करने की आवश्यकता (7) यह सुनिश्चित करना कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमान विसंगत नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन तथा राष्ट्रीय लेखा के विश्लेषण संबंधी सलाहकार समितियों के दिनांक 28 फरवरी एवं 1 मार्च, 1983 को आयोजित 11वीं संयुक्त बैठक में कार्यकारी दल की सिफारिशों पर ब्यौरेवार चर्चा की गई है। सलाहकार समितियों के परामर्श को ध्यान में रखकर आगामी कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

4931. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में उड़ीसा में स्थापित मध्यम तथा बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित किया गया है;

(ग) उन उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) उनमें से कितनों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया है; और

(ङ) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 1980 से 1983 (फरवरी तक) के बीच प्रति एकक 3 करोड़ रुपये से कम के निवेश वाले 78 मंझोले आकार के एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किए गए और 25 एककों के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस दिए गए। 25 औद्योगिक लाइसेंसों (जिसमें एक कार्य जारी रखने का लाइसेंस भी है) में से 5 अब तक क्रियान्वित हो चुके हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत तथा लाइसेंस प्राप्त सभी एककों के नाम, उनके पते, विनिर्मित की जाने वाली वस्तु, क्षमता और स्थापना-स्थल

आदि के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

4932. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता 17 लाख टन को 40 लाख टन तक बढ़ाने के संशोधित प्राक्कलनों की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह किस समय तक आरम्भ होगा;

(ग) विस्तार कार्यक्रम का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जो 1979 में पूरा होना था, निर्धारित समय से पिछड़ गया है;

(ङ) क्या ऐसा उपकरणों के देर से आने और फालतू पुर्जों की कम सप्लाई के कारण हुआ है; और

(च) क्या देश में प्रमुख इस्पात परियोजनाओं की विस्तार योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण लागत में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हो गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता को 40 लाख टन तक विस्तार करने के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदित कर दिया है। परियोजना का काफी काम पूरा हो गया है। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत दो (2) अरिरिक्त धमन भट्ठियां, पर्याप्त संख्या में कोक ओवन बैटरियां तथा सम्बद्ध सुविधाएं और एक इस्पात गलन कर्मशाला लगाई जा रही है। इस कर्मशाला में 300-300 टन के दो आक्सीजन कन्वर्टर तथा एक ठंडी बेलन मिल लगाई जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा वर्ष 1978 में अनुमोदित समय-सूची के अनुसार 40 लाख टन चरण के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जा रही इकाइयों में से ठंडी बेलन मिल को छोड़कर अन्य सभी इकाइयां वर्ष 1980 के मध्य से क्रमिक रूप से चालू की जानी थीं तथा ठंडी बेलन मिल को दिसम्बर, 1982 तक चालू किया जाना था। संशोधित समय-सूची के अनुसार ठंडी बेलन मिल को छोड़कर अन्य सभी इकाइयां नवम्बर, 1983 तक तथा ठंडी बेलन मिल दिसम्बर, 1984 तक चालू कर दी जाएगी। विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब मुख्य रूप से निर्माण अभिकरणों तथा उपस्करों के मुख्य सम्भारकों द्वारा समय-सूची के अनुसार कार्य न करने के कारण हुआ है।

(च) 947.24 करोड़ रुपये का आरम्भिक अनुमान वर्ष 1974 में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर लगाया गया था। 1637.55 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान वर्ष 1982 में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर लगाया गया था। लागत अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से 1974 से 1982 के वर्षों के दौरान संयंत्र तथा उपस्करों की लागत में वृद्धि होने, अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने, विस्तृत इंजीनियरी के कारण कार्य की मात्रा में वृद्धि होने तथा निर्माणावधि के दौरान ब्याज, शुल्क तथा करों में वृद्धि होने के कारण हुई।

केन्द्र में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

4933. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो इस समय राज्यों से केन्द्र में प्रतिनियुक्त पर हैं; और

(ख) प्रधान मंत्री के हाल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनमें से कितने अधिकारियों को संबंधित राज्य संवर्गों में वापस भेजा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-1-1983 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 715 अधिकारी विभिन्न राज्य संवर्गों से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(ख) प्रधान मंत्री ने 31-1-1983 को यह निदेश दिया था कि बढ़ाए गए कार्यकाल के सभी मामलों में अधिकारियों को 30-4-1983 तक संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने के लिए तत्काल आदेश जारी किए जाएं। तदनुसार, बढ़ाई गई अवधि पर कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा-अधिकारियों के कार्यकाल घटा कर 30-4-1983 तक किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। कुल मिला कर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 77 अधिकारियों ने 1-2-83 से 30-4-83 की अवधि के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा पूरा कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश को आशय-पत्र जारी किया जाना

4934. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कितने आशयपत्र (लेटर आफ इन्टेंट) दिये गये;

(ख) इनमें से कितने आशय पत्र बुन्देलखंड तथा कुमाऊं तथा गढ़वाल के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु जारी किये गये; और

(ग) अब तक जारी किये गये आशय पत्रों का जिलेवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्ष 1980 से 1982 के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 268 आशय पत्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 113 आशय-पत्र राज्य के पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए थे।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1980 से 1982 के दौरान उत्तर प्रदेश में एककों की स्थापना करने के लिए स्वीकृत किए गए आशयपत्रों की संख्या के जिलेवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

क्र०सं०	जिले का नाम	स्वीकृत आशयपत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	1
2.	अलीगढ़	2
3.	इलाहाबाद	9
*4.	अल्मोड़ा	2

(जारी···)

*वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने की पात्रता के लिए चुने गए पिछड़े जिले।

1 2	3
*5. आजमगढ़	1
*6. बहराइच	1
*7. बलिया	2
*8. बांदा	3
*9. बाराबंकी	1
10. बरेली	5
*11. बस्ती	4
12. बिजनौर	2
*13. बुलन्दशहर	14
14. देहरादून	14
*15. देवरिया	2
*16. एटा	1
*17. फैजाबाद	4
*18. फर्रुखाबाद	1
*19. फतेहपुर	4
*20. गढ़वाल	2
*21. घोंडा	1
22. गोरखपुर	1
*23. हमीरपुर	1
*24. हरदोई	1
*25. जालौन	2
*26. जौनपुर	2
*27. झांसी	4
28. कानपुर	6
29. खेरी (लखीमपुर खेरी)	1
30. लखनऊ	7
*31. मैनपुरी	1
*32. मथुरा	2
33. मेरूत	12
34. गाजियाबाद	62
35. मिर्जापुर	3
*36. मुरादाबाद	4
37. मुजफ्फर नगर	2
38. नैनीताल	8
*39. पीलीभीत	3

(जारी...)

*वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने की पात्रता के लिए चुने गए पिछड़े जिले।

1 2	3
*40. पिथोरागढ़	2
*41. रायबरेली	7
*42. रामपुर	3
43. सहारनपुर	1
*44. सीतापुर	1
*45. सुल्तानपुर	4
*46. टिहरी गढ़वाल	1
*47. उन्नाव	5
*48. पिछड़े क्षेत्र (ठीक-ठीक, स्थापना-स्थल निर्दिष्ट नहीं हैं।	27
49. निर्दिष्ट न किये गये जिले	19
	268

*वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने की पात्रता के लिए चुने गए पिछड़े जिले।

दिल्ली राज्य एम्पोरियम में सेंधमारी

4935. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली राज्य एम्पोरियम में कुछ अनजान व्यक्तियों ने सेंधमारी की थी;

(ख) यदि हां, तो लापता पाई गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) 11625.65 लाख रुपए की नकद धनराशि गुम हुई बताई गई थी।

(ग) और (घ) मामले की जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

उद्योगहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

4936. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "उद्योग हीन क्षेत्रों" में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करते समय कुछ छूट देने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जहां उद्योग नहीं हैं वहां उद्योग स्थापित करने के लिये उनके मंत्रालय को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन आवेदन पत्रों पर उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग रहित जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को अन्य स्थानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की अपेक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जा रही है। "उद्योग रहित" जिलों के स्थापना वाले प्राप्त लाइसेंसिंग आवेदन पत्रों पर क्षमता अवरोध में कुछ चयनात्मक छूट भी दी जा रही है।

(ख) और (ग) 1.1.1982 से औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में विभिन्न "उद्योग रहित जिलों" में एककों की स्थापना के लिए विभिन्न उद्यमियों से औद्योगिक लाइसेंस के लिए 270 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन 70 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी है, 149 प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं या अन्यथा निपटान कर दिया गया है और शेष 51 आवेदन पत्र वर्तमान में विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 1 जनवरी, 1982 से 28 फरवरी, 1983 के बीच विभिन्न "उद्योग रहित जिलों" में एककों की स्थापना के लिए 179 आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूंजी

4937. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या उद्योग मंत्री गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूंजी के बारे में 20 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2695 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिये कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार के पास लम्बित पड़े विदेशी ट्रेड मार्क आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और पार्टियों तथा उत्पादों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं

4938. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों और संघ क्षेत्रों को निदेश जारी किये जाने के बाद अब तक योजना आयोग को भेजी गई राज्यवार और संघ क्षेत्र-वार समेकित आदिवासी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आदिमजातियों के लिये राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा पांचवी योजना अवधि के लिये प्रस्तावित समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना आयोग को वास्तविक प्रस्तावित परियोजनायें भेजने में हुए विलम्ब के क्या कारण बताये गये हैं;

(ग) तत्संबंधी परियोजना रिपोर्ट के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या आदिवासियों और आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के समेकित विकास संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर से लेकर परियोजना स्तर तक निधियों, विभिन्न विकास एजेंसियों और विभागों का समेकन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है। विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) सक्षम कर्मचारियों का न होना (2) परियोजना क्षेत्र को अंतिम रूप देने में विलम्ब (3) परियोजना क्षेत्र के आधारभूत आंकड़ों की अपर्याप्तता।

(ग) प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या की कौशलता, वित्तीय साधन और जन शक्ति उपलब्धता को लेकर स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए विस्तृत एकीकृत जनजाति विकास योजना तैयार करना।

(घ) इस प्रकार के एकीकरण को प्राप्त करने का प्रयत्न है और हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में आदिम जनजाति के लिए आई० टी० डी० पी० और माइक्रो परियोजना रिपोर्टों की संख्या।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राप्त आई० डी० डी० पी० रिपोर्टों की संख्या		आदिम जनजातियों पर माइक्रो परियोजना रिपोर्टों की संख्या
		पांचवी योजना के दौरान	छठी योजना के दौरान	
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	8	3
2.	असम	1	—	—
3.	बिहार	10	—	—
4.	गुजरात	8	4	3
5.	हिमाचल प्रदेश	3	4	—
6.	कर्नाटक	3	5	2
7.	केरल	2	5	2
8.	मध्य प्रदेश	40	18	1
9.	महाराष्ट्र	15	15	3
10.	मणिपुर	—	—	—
11.	उड़ीसा	19	1	3
12.	राजस्थान	4	5	1
13.	सिक्किम	—	1	—
14.	तमिलनाडु	9	7	6
15.	त्रिपुरा	1	—	1
16.	उत्तर प्रदेश	1	1	1
17.	पश्चिम बंगाल	6	—	2
18.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1	—
19.	गोवा दमन व दीव	—	1	—
	जोड़	129	76	28
	कुल प्रस्तावित रिपोर्ट	180	181	52

परमाणु ऊर्जा विकास

4939. श्री डी० पी० जदेजा
श्री मोहन लाल पटेल
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 के दौरान परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) परमाणु ऊर्जा विकास के लिये वर्ष 1983-84 में कितनी धनराशी नियत की गई थी और उस वर्ष के दौरान क्या प्रगति हुई;

(ग) देश में निर्माणाधीन परमाणु बिजली घरों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्रगति क्या है;

(घ) उनके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है; और

(ङ) अगले वर्ष के दौरान देश में अधिक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना में 112.47 करोड़ रु० के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ख) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में परमाणु ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम का आगे बढ़ाने के लिए 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 96.65 करोड़ रुपये की राशि के काम में लाए जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ) निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों और उनके निर्माण की निर्धारित समयावधि का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	1983
2.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट	1984-85
3.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	1986-87
4.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट	1987-88
5.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	1990
6.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट	1991

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में चार और बिजलीघर लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी।

इस्पात उत्पादन के लिए ऊर्जा की खपत

4940. श्री हरिकेश बहादुर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य उन्नत देशों की तुलना में भारत में इस्पात निर्माण के लिए 50-100 प्रतिशत अधिक ऊर्जा की खपत होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में इस्पात के उत्पादन में ऊर्जा की खपत निम्नलिखित कारणों से अधिक हो रही है :—

(1) इस्तेमाल किए जा रहे कोक में राख की अधिक मात्रा होना,

(2) घमन भट्टियों में सिन्टर का कम इस्तेमाल होना,

(3) इस्पात पिण्ड का उत्पादन खुले मुंह की भट्टी की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत अधिक होती है जबकि विदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली आक्सीजन-ब्लोन कन्वर्टर की प्रक्रिया द्वारा उत्पादन में ऊर्जा की खपत कम होती है,

(4) माल्टन स्टील के लिए निरन्तर ढलाई की सुविधाओं की कमी,

(5) आक्सीजन कन्वर्टरों द्वारा इस्पात बनाने में तप्त धातु का अधिक प्रयोग करना।

प्रौद्योगिकी को विकसित करके तथा कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार करके भारत के इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत की दर को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में सिन्टर का अधिक इस्तेमाल, कोक दर को कम करने के लिए आयातित कोयले में देशीय कोयले को मिलाकर कोक की क्वालिटी में सुधार करना, कच्चा माल तैयार करने के लिए शोधनशालाएं, साइजिंग सुविधाएं तथा स्क्रीनिंग सुविधाएं लगाना, उपोत्पाद ईंधन को व्यर्थ होने से बचाना और उसके पुनः इस्तेमाल के लिए इन ईंधनों का संरक्षण करना, भट्टियों के ताप-मान में वृद्धि आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं लगाकर घमन-भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार करना शामिल है।

असम में अशांत घोषित स्थान

4941. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में अशांत घोषित किये गये स्थानों और जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें सशस्त्र सेना की विशेष शक्तियों (असम और मणिपुर) के अधीन रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 और असम दंगा ग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 के तहत निम्न लिखित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है :—

नौगांव जिला : थाना (1) घिअांग (2) होजई (3) जागी रोड (4) समुनामुख (5) कालियाबोड (6) कामपुर (7) लाहोरीघाट (8) लंका (9) लुम्डिंग (10) मिकिरभाटा (11) मोरीगांव (12) मुराझर (13) नौगांग (14) राहा (15) रूपाहीहाट और (16) समागुड़ी।

दारंग जिला : थाना (1) बेहाली (2) दलगांव (3) घिकियाजुली (4) गोहापुर (5) कालईगांव (6) मंगलदोई (7) भजबात (8) पेनरी (9) रंगापाड़ा (10) सुतिया (11) तेजपुर और (12) उदलगुड़ी।

लखीमपुर जिला : थाना (1) भीपुरिया (2) धाकूखाना (3) घमेजी (4) जोनाई और (5) उत्तरी लखीमपुर।

कावल्प जिला : थाना (1) बारापेट (2) भारालीभुख (3) चांदमारी (4) छायामांव (5) जलूकबरी (6) हाजो (7) कमालपुर (8) खेतरी (9) नलवाड़ी (10) नूनभाटी (11) पल्टन बाजार (12) पान बजार (13) पत्ताचुरकुल्ही (14) रंगिया (15) सारभोग और (16) तमुल पार।

गोलपाड़ा जिला : थाना (1) अभियापुरी (2) बिजनी (3) बोगईगांव और (4) लखीमपुर।

शिवसागर जिला : थाना (1) अमगुरी (2) बोरूहाट (3) बोरहोला (4) बोरपत्थर (5) दिमो (6) जोरहाट (7) मंजुली (8) मरियाने (9) मोरनहाट (10) नाजिरा (11) स्वरूप-पत्थर (12) सोनारी (13) तियाके और (14) तिताबोर।

डिब्रूगढ़ जिला : थाना (1) चबूआ (2) जोयपुर (3) मीरान (4) नामरूप।

कार्बे आंगलांग जिला : थाना (1) बेथलंसू (2) हमरन और (3) होराघाट।

1983-84 के लिए वार्षिक योजना के आकार में राष्ट्रीय औसत वृद्धि

4942. **श्री चित्त बसु :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 के लिये वार्षिक योजना के आकार की राष्ट्रीय औसत में जहां 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय योजना की कोई पूर्व निर्धारित औसत प्रतिशत वृद्धि नहीं है। 17 मार्च, 1983 को यथा अंतिम रूप से अनुमोदित असम के परिव्यय सहित वर्ष 1982-83 के लिए परिव्ययों की तुलना में सभी राज्यों के लिए वर्ष 1983-84 के योजना परिव्यय में वृद्धि 16.7 प्रतिशत है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में वृद्धि 10 और 22 प्रतिशत के बीच है।

(ख) पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों की वर्ष 1983-84 के लिए वार्षिक योजना का निर्धारण राज्य के अपने संसाधनों के अनुमानों और एक समान तथा वस्तुपरक आधार पर अनुमान लगाई गई केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में किया गया है। कुछ राज्यों के मामले में अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे समुचित आकार की योजनायें बना सकें।

इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा लघु क्षेत्र का आदान सामग्री की सप्लाई

4943. **श्री अमल दत्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० टी० डी० सी०) द्वारा लघु क्षेत्र को कितने का कच्चा माल, उपकरण और यंत्र सप्लाई किये गये हैं;

(ख) ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा लघु क्षेत्र के कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) लघु क्षेत्र को सामान की सप्लाई और इसके उत्पादों का ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा निर्यात करने से कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या वर्ष 1982-83 के वित्तीय वर्ष के दौरान ई० टी० टी० डी० सी० कोई निर्यात उन्मुख उत्पादन स्थापित करने में सफल हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ई० टी० टी० डी० सी० ने देश और विदेश में कितने मूल्य की प्रौद्योगिक सेवा की है; उत्पादनवार और फर्मवार ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) वर्ष 1981-82 के वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अगस्त, 1981 से 31 जुलाई, 1982 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड ने करीब 11 करोड़ रुपए मूल्य के कच्चे माल, विभिन्न संघटक-पुर्जों की आपूर्ति की है। इनमें श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाईट) पिक्चर ट्यूबें, दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जे, दूरदर्शन परिशोधक, एकीकृत सर्किट, केलकुलेटर चिप, कम्प्यूटर टेपें तथा दूरदर्शन उद्योग, कैलकुलेटर उद्योग तथा कम्प्यूटर उद्योग को डिस्केट्स की पूर्ति शामिल है। इन उद्योगों की अधिकांश इकाइयां लघु-उद्योग क्षेत्र में हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के उपस्कर दिए गए।

(ख) लगभग 11 लाख रुपए।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को उनके उत्पादन कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड से उचित मूल्य पर सामान तथा समय पर आपूर्ति मिलने का लाभ प्राप्त होता है तथा उसे निर्यात के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के विपणन संस्थाओं की सेवाएं प्राप्त होती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जिन कुछ प्रमुख ग्राहकों को तकनीकी सेवाएं प्रदान की गई हैं, वे नीचे दिए अनुसार हैं :—

(क) विदेशों में प्रदान की गई सेवाएं

	देश	ग्राहक का नाम	मूल्य
1.	अल्जीरिया	सोनेलेक	लगभग 10 लाख अमरीकी डालर
2.	कीनिया	आई० एस० पी० सी०	15,000 डालर
3.	उत्तरी कोरिया	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वीयना के माध्यम से विज्ञान अकादमी को	काम चल रहा है।

(ख) भारत में प्रदान की गई सेवाएं

कम्पनी का नाम

1. हिन्द प्लास्टिक्स
2. एम० सी० इंजीनियरिंग

3. पदमा इलेक्ट्रोनिक्स

4 गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रोनिकी

5. ओरिएण्ट विजन लिमिटेड

5. मिनिकम इण्डस्ट्रीज

7. एवरशाइन इंजीनियरिंग वर्क्स

8. पंजाब सेमीकंण्डक्टर डिवाइसिज लिमिटेड

9. राजशा उद्योग

10. केलट्रांन

11. न्यू इण्डिया नेमप्लेटर्स

12. सोनोडाइन लिमिटेड

13. वाइब्रो इलेक्ट्रॉनिक्स

14. विक्रान्त टूल इंजीनियर्स

15. ऊषा रेक्टिफायर्स

16 केलट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स

नोट :—मूल्य की राशि ग्राहकवार नहीं बताई जा सकती।

बिड़ला ग्रुप द्वारा राजस्थान के जालोर जिले में ग्रेनाइट उद्योग की स्थापना

4944. **श्री विरदाराम फुवारिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला ग्रुप ने राजस्थान के जालोर जिले में ग्रेनाइट पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है; और

(ग) तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छठी पंचवर्षीय योजना में रेगिस्तानों का विकास

4945. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम जैसे रेगिस्तानों के विकास से अधिक महत्व पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को दिया गया है और इस कार्यक्रम के 25वें चेप्टर में इसका अलग से उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसे छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 560 करोड़ रुपया कर दिया गया था जबकि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है और इन क्षेत्रों के लिये निर्धारित डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अन्याय दूर करने और अन्याय दिलाने हेतु एक मध्य कालीन मूल्यांकन करायेगी यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का विशिष्ट क्षेत्रों के संदर्भ में अपना महत्व है। तदनुसार दोनों कार्यक्रमों का उल्लेख छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में है।

(ख) यह सच है कि पांचवीं योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 170 करोड़ रु० का प्रावधान था और छठी पंचवर्षीय योजना में 560 करोड़ रु० है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवीं योजना के आरम्भ अर्थात् 1974-75 से जारी है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम 1977-78 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक इस कार्यक्रम पर 23.21 करोड़ रु० खर्च हुए। छठी पंचवर्षीय योजना में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रु० है इस प्रकार इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री-खनन

4946. **श्री बी० वी० देशाई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की दीर्घावधि की समुद्री-खनन योजनाओं पर जिससे तांबा, कोबाल्ट, निकल और मेंगनीज जैसे बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं; 1993-95 तक लगभग 1000 करोड़ रु० खर्च हो जाने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों का विचार है कि महासागर विकास विभाग को इस स्तर पर "नोड्यूल माइनिंग आपरेशन" के लिये धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां तो समुद्र से बहुमूल्य खनिज निकालने के लिये महासागर विकास विभाग द्वारा कौन सी योजनाएं शुरु की जायेंगी और इस कार्य के लिये 1983 में कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) समुद्री-खनन के बारे में व्यय के अनुमान का अभी पता लगाया जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समुद्र-तल सर्वेक्षण और उपयुक्त खनन प्रणाली के विकास के लिए 1983-84 के बजट में 9.60 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

लघु उद्योग विकास तथा नियोजन निगम की सीमेंट नियंत्रण का पत्र

4948. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट नियंत्रक ने आयातित सीमेंट की बिक्री के लिये निगम के बिक्री केन्द्रों को बंद करने तथा बिक्री निजी फर्मों को सौंपने जो सरकार की सीमेंट व्यापार नीति के विरुद्ध हैं पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके प्रति लघु उद्योग विकास नियोजन निगम की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) आयात और निर्यात् नीति, 1982-83 के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली तथा राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासनों के नामित अभिकरणों द्वारा चुनीदा आधार पर सामान्य खुले लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर सीमेंट आयात किए जाने की अनुमति दी गई है। आयात करने वाले अभिकरण केवल वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए ही सीमेंट आयात कर सकते हैं तथा वे अपनी विशिष्ट मांगों को आयात करने वाले अभिकरणों में पंजीकृत करा सकते हैं। इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर कि मै० केरल स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड एम्पलायमेंट कारपोरेशन, केरल आयातित सीमेंट नियंत्रक द्वारा आयात नीति के उपबंध स्टेट कारपोरेशन की जानकारी में लाये गये थे। राज्य सरकार/कारपोरेशन से अभी तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करना

4949. श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मांग तथा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप जिनमें धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, इनको शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ उपर्युक्त प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके तथा मामले में अपनाए गए संगत मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ मे विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पिणियों की प्रतीक्षा है उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में परियोजनाओं के स्थल

4950. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में रहे उद्यम और परियोजनाओं के जिलेवार नाम और स्थल क्या-क्या हैं ;

(ख) उसमें कितनी धन राशि निवेश की गई है; और

(ग) इन जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन और असन्तुलन को दूर करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

जिलेवार बड़ी मंझोली परियोजनाओं को और उनमें निहित निवेश राशि को तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिये दी जाने वाली सुवधाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

जिलों और परियोजनाओं के नाम		निवेश (लाख रु०)
1	2	3
1. नैनीताल	1. जी० बी० पन्त शुगर मिल, किच्छा	350
	2. यू० पी० स्टेट टैक्सटाइल निगम (कताई मिल), काशीपुर	480
	3. किसान सहकारी चीनी मिल, काशीपुर	810
	4. बाजपुर सहकारी चीनी मिल, बाजपुर	1475
	5. किसान सहकारी चीनी मिल, जसपुर	1475
	6. एल डब्ल्यू शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स, काशीपुर	231
	7. जिन्दल सालवेन्ट एक्सट्रैक्शन, काशीपुर	55
	8. एस० पी० साल्वेन्ट, रूद्रपुर	45
	9. गोरया स्ट्रा एण्ड कोर्ड बोर्ड, काशीपुर	40
	10. अग्रवाल राइस मिल, रूद्रपुर	30
	11. यू० पी० डिजिटल्स, भोवाली	300
2. अल्मोड़ा	1. कुमार ब्रांज पाउडर, ताड़ीखेत	125
	2. सरस्वती वूलन मिल्स, चेलियानौला (रानीखेत)	120
	3. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि० मेटाला	435
3. पिथोरागढ़	1. हिमालयन मैग्नेसाइट, चनाउ	176
	2. मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स, चाण्डक	150
4. देहरादून	1. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० बीरभद्र	6979
	2. पाइराइट एंड फास्फेट केमिकल्स, देहरादून	300
	3. जरनी शुगर मिल्स, डांइवाला	200
	4. अमिताभ टेक्सटाइल, प्रेम नगर	50
	5. जे० जी० ग्लास लि० ऋषिकेश	158
	6. शारदीया केमिकल्स लि० ऋषिकेश	380

(जारी···)

1	2	3
	7. शारदीया केमिकल्स लि०, कुंवाला	162
	8. दून वैली कोम्बर्स, देहरादुन	200
	9. शिवालिका रसायन, देहरादून	200
	10. बंगाल इमेनिटी, देहरादुन	50
	11. हिन्दुस्तान मिनिएचर बल्ब, देहरादुन	200
	12. राजनारायण रोलर फ्लोर मिल, देहरादुन	30
	13. सेचुरी एंका लि०, देहरादुन	40
	14. नरेन्द्र एक्सप्लोसिव्ज लि० देहरादून	150
	15. कोहेनूर मिनिएचर बल्ब इण्डस्ट्रीज, देहरादून	40
	16. दास इलेक्ट्रानिक्स, देहरादून	150
	17. हरबन्सताल टी० एस्टेट, देहरादून	50
	18. अकनोटिया टी एस्टेट, चाहतपुर	45
5. टिहरी	1. दमिनिएचर बल्ब इण्डस्ट्रीज, मुनि-की-रेती	60

प्रोत्साहन और रियायतें

(1) अल्मोड़ा जिले में केन्द्रीय पूंजी राजसहायता जैसे प्रोत्साहन और पहाड़ी क्षेत्र के शेष 7 जिलों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए राज्य पूंजी राजसहायता दी जा रही है।

(2) कच्चा माल लाने तथा तैयार माल भेजने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के आठों जिलों में परिवहन राजसहायता उपलब्ध है।

(3) उद्योग रहित जिलों में अर्थात् चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी में लाइसेंस जारी करने के लिए बड़े और मंझोले उद्योगों के कृतिक बल को प्राथमिकता दी गई है।

(4) अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे कि उद्योगों का विकास तेजी से हो।

(5) पहाड़ी क्षेत्रों की मौसम सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकासार्थ गठित किए गए एक कृतिक बल ने उन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया है।

(6) देहरादून और नैनीताल के अतिरिक्त स्थापित किए जाने वाले अग्रगामी तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक एककों को जिनमें क्रमश: 1 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये का निवेश निहित हो विशेष पूंजीगत राजसहायता दी जायेगी और ये उद्योग 5 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त होंगे। टिहरी, चमोली और उत्तर काशी के लिए यह सुविधा 7 वर्ष के लिये है।

(7) पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, और पौड़ी में स्थापित किए जाने वाले एककों के सम्बन्ध में राज्य के बजट में से लघु, टाइनी और ग्रामीण एकक 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की पूंजीगत राजसहायता पाने के पात्र हैं। अल्मोड़ा में, 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता उपलब्ध है।

पिछड़े और अन्य वर्गों की सूची

4951. श्री जी० आई० कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े और अन्य वर्गों की सूचियों में हाल ही में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसे संसद के अधिनियम से लागू किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की कोई केन्द्रीय सूची नहीं है।

गुट निरपेक्ष सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था

4953. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक थी;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी सुरक्षा स्टाफ भी अपने राष्ट्राध्यक्षों की सहायता करने के लिए भारत आये थे;

(ग) क्या भारत ने सम्मेलन के दौरान राजधानी में इन सुरक्षा कर्मियों को काम की अनुमति दी थी, यदि हां, तो वे किन देशों के थे ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) राजधानी में सड़क यात्राओं के दौरान एक विदेशी सुरक्षा अधिकारी अपने अति विशिष्ट व्यक्ति (वी०वी० आई० पी०) के साथ रहता है जबकि अन्य विदेशी सुरक्षा अधिकारी होटलों में अपने अति विशिष्ट व्यक्तियों के कमरों, हवाई अड्डों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के हवाई जहाजों की रक्षा करते थे। सम्मेलनों के दौरान जिन देशों के सुरक्षा कार्मिक भारत आए उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा के हित में ऐसी व्यवस्था जरूरी थी।

विवरण

उन देशों सूचि जिनके सुरक्षा कार्मिक मार्च, 1983 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में आए।

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अंगोला
4. अर्जेन्टीना

(जारी···)

5. बहरीन
6. बंगलादेश
7. बेनिन
8. केप वर्डे
9. कांगो
10. क्यूबा
11. जिबोटी
12. इजिप्ट
13. गिनी
14. गुयाना
15. इरान
16 ईराक
17. जार्डन
18. कीन्या
19. कोरिया डी पी आर
20. कुवैत
21. लालोस पीडीआर
22. लेबनान
23. लाइबेरिया
24. लीबिया
25. मेडागास्कर
26. मालद्वीप
27. मोरक्को
28. मोज़ाम्बिक
29. नेपाल
30. निकारागुआ
31. नाइज़र
32. नाइजीरिया
33. ओमान
34. पकिस्तान
35. पी एल ओ
36. कातार
37. साओ टोम एण्ड प्रिसीप
38. सऊदी अरेबिया
39. सेरालस
40. सोमालिया
41. स्वापो

(जारी···)

42. श्रीलंका
43. सूडान
44. सूरीनाम
45. सीरिया
46. तंजानिया
47. तुनीसिया
48. उगांडा
49. यू ए इ
50. अपर वोल्टा
51. वीयतनाम
52. यमन अरब रिपब्लिक
53 यमन पी डी आर
54. यूगोस्लाविया
55. जाम्बिया
56. जिम्बाबवे

हिन्दुस्तान मोटर्स और इशुजू मोटर के बीच सहयोग

4954. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स ने देश में आधुनिक और ईंधन की कम खपत वाली यात्री कारों का निर्माण करने के लिये जापान की इशुजू मोटर कम्पनी के साथ सहयोग करार किया है; यदि हां, तो सहयोग करार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान मोटर्स ने जापान की इशुजू मोटर कम्पनी के साथ इसीलिये करार किया था क्योंकि उन्हें सरकार की स्वामित्व वाली मारुति उद्योग लिमिटेड से कुछ खतरा लगने लग गया था;

(ग) हिन्दुस्तान मोटर्स को ईंधन की कम खपत वाली कारों का निर्माण करने में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये जापान की इशुजू से हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ हुए करार की जांच करेगी कि मारुति उद्योग के साथ कोई प्रतिस्पर्धा न हो ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड से यात्री कारों के निर्माण के लिए उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का विस्तार करने और अपनी यात्री कारों के लिए नये इंजन और ट्रांसमिशन का निर्माण करने हेतु जापान की इशुजू मोटर लिमिटेड के साथ सहयोग करने के बारे में एक आवेदन मिला है। इस आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस अवस्था में हिन्दुस्तान मोटर्स का मै० इशुजू मोटर कम्पनी के साथ सहयोग करार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई जाने वाली यात्री कारें जैसा उनके आवेदन में बताया गया है, मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली कारों से भिन्न है। नये माडल की यात्री कारों का निर्माण करने के प्रस्तावों पर निर्णय प्रत्येक आवेदन के गुणावगुण

को ध्यान में रख कर लिया जायेगा। हिन्दुस्तान मोटर्स और मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में प्रतियोगिता का प्रश्न बड़ी मुश्किल से पैदा होता है लेकिन मोटर गाड़ी उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता की आवश्यकता है जिससे ग्राहक की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला में सोने का पता लगाना

4955. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के शिवालिक पर्वतमाला में सोने का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में सोने के मिलने की संभावना है; और

(ग) इन स्थानों पर सोने को कब तक निकाला जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सोने की खोज अभी प्रारंभिक अवस्था में है और निक्षेपों का खनन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर होगा।

उच्चतर प्रौद्योगिकी का आयात

4956. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप से प्राप्त अद्यतन प्रौद्योगिकी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से प्राप्त प्रौद्योगिकी से घटिया तथा खर्चीली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में नये निर्यात बाजारों की खोज के लिये हमारी दीर्घ कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस संदर्भ में, यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि विश्व में उपयोग के सभी क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी अन्य क्षेत्र से उपलब्ध प्रौद्योगिकी की अपेक्षा घटिया अथवा महंगी है।

(ख) हालांकि, इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी, सूक्ष्म तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देना करार की नीति है ताकि देश के उद्योग उपभोक्ता की बदलती हुई पसन्द को प्रभाव ढंग से पूरा करने और/या निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बना सकें।

भारत में 100 मे० वा० परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु

सोवियत संघ की पेशकश

4957. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने भारत में एक हजार मैगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु पेशकश की है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने 1000 मैगावाट संयंत्र के स्थान पर 440 मैगावाट के दरों या तीन परमाणु संयंत्रों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त संयंत्रों में से एक संयंत्र विहार में लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ ने भारत में एक परमाणु बिजलीघर लगाने में सहायता देने की पेशकश की है। बिजलीघर लगाने की पेशकश के विभिन्न तकनीकी ब्यौरों को, जिनमें बिजलीघर का आकार, किस्म आदि शामिल हैं, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में एक तकनीकी दल सोवियत संघ गया था। सरकार इस मामले में अंतिम रूप से निर्णय लेने से पहले उस दल की रिपोर्ट का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करेगी।

(ग) इस अवस्था में परमाणु बिजलीघर के स्थान के बारे में विचार करना समय से पहले की बात है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4958. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गैर अधिसूचित समुदायों के कल्याणार्थ कुछ योजनाएं प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी केन्द्रीय योजनाएं अब तक आरम्भ की गई हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का कितना आबंटन किया गया है ?

गृह मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) हालांकि गृह मंत्रालय ने खानाबदोश, अर्धखाना-बदोश और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के गैर-अधिसूचित समुदायों के लिए कोई विशिष्ट योजना प्रारंभ नहीं की है, लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि इन ग्रुपों के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश और अनुसूचित जातियों में गैर-अधिसूचित समुदायों के लिए कार्यक्रमों और परिव्ययों (राज्यों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं) को, राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक मानदण्ड के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उपद्रवियों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस द्वारा रबड़ की गोलियों का प्रयोग

4959. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भीड़ और उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बजाय रबड़ की गोलियों और तेज धार वाले पानी के पाइपों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किए गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कुछ राज्यों को वास्तविक परिस्थितियों में फील्ड परीक्षणों में चलाए जाने के वास्ते रबड़ की गोलियां दी गई थी। ये परीक्षण अभी किए जा रहे हैं। जहां तक जल जैट प्रयोग किए जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) फील्ड परीक्षणों के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही, पुलिस बलों द्वारा रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल के बारे में निर्णय किया जा सकता है।

असम के चुनावों में मारे गये घायल हुए राज्यों के कर्मचारी

4960. **श्री चतुर्भुज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के चुनावों के दौरान असम में हुई आगजनी और हिंसा की घटनाओं में अन्य राज्यों के ऐसे कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है जो मारे गए अथवा घायल हुए;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने उपरोक्त घायल कर्मचारियों और मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को बीमे की राशि अथवा अन्य सहायता दी है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सी० आर० पी० एफ० के 5 और राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलेरी का एक कार्मिक असम में ड्यूटी के दौरान मारा गया था। जख्मी हुए कर्मचारियों की राज्यवार संख्या मालूम की जा रही है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाहन उद्योगों में मन्दी

4961. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार आयात, ऋण पर रोक और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में गिरावट आने से वाणिज्यिक वाहनों जैसे अनेक प्रमुख उद्योगों में मन्दी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को आगे और मन्दी से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भवनाथपुर में कैप्टिव माइन्स में श्रमिकों को माइन्स एलाउन्स

4962. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के किरिबुरू कैप्टिव माइन के श्रमिकों को नियमित रूप से माइन्स एलाउन्स दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र के भवनाथपुर स्थित एक दूसरे कैप्टिव माइन के श्रमिकों को माइन एलाउन्स न देने के क्या कारण हैं जबकि यह खान शहर से बहुत दूर अस्वास्थ्यकर स्थान पर स्थित हैं; और

(ग) क्या भवनाथपुर माइन्स में काम करने की हालत किरिबुरू माइन्स की हाल की तुलना में बहुत खराब है और यदि हां, तो समान काम के लिए समान भत्ता के आधार पर इन श्रमिकों को शीघ्र माइन एलाउन्स देकर न्याय किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) भवनाथपुर की चूने-पत्थर की खानें शुरू से ही बोकारो इस्पात कारखाने की इकाई है और इस खान के कामगारों को खनन भत्ता (माइनिंग अलाउन्स) देने का कोई प्रावधान नहीं है। किरिबुरू की लौह-अयस्क की खानें वस्तुतः नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन०एम० डी०सी०) की खानें थीं और वर्ष 1978 में ये खानें "सेल" को अन्तरित की गई थीं। जब ये खानें एन०एम०डी०सी० के नियंत्रणाधीन थीं तब इस खान के कामगारों को खनन भत्ता मिलता था और अन्तरण की शर्तों के अन्तर्गत इसे संरक्षित रखा गया था।

(ग) जी, नहीं। भवनाथपुर की खानों में कार्य सम्बन्धी माहौल किरिबुरू की खानों में कार्य के माहौल जैसा ही अच्छा है।

दिल्ली पुलिस के लिए ड्यूटी के घंटे

4963. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली पुलिस के लिए ब्रेक ड्यूटी के स्थान पर 8 घंटे की लगातार ड्यूटी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब से;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या ब्रेक ड्यूटी घंटों से दिल्ली पुलिस कर्मियों को भारी कठिनाइयां होती हैं; और

(ङ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि अन्य केन्द्रीय सरकारी और दिल्ली प्रशासन के विभागों के समान शान्तिपूर्ण और नियमित ड्यूटी दे सकें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस के कर्मियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटियों की प्रकृति केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की ड्यूटियों से भिन्न है। दिल्ली पुलिस के सभी कार्मिकों को 8 घंटे की लगातार ड्यूटी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि ब्रेक ड्यूटी घंटों से कठिनाई होती है लेकिन लगातार 8 घंटे की ड्यूटी करना भी कठिन है। उन्हें ड्यूटी देते समय पुलिस कार्मिकों की सुविधाओं और उन्हें उपयुक्त आराम देने की आवश्यकता पर, ध्यान दिया जाता है।

विजय स्कूटर तथा बजाज स्कूटर

4964. **श्री सज्जन कुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विजय सुपर, बजाज सुपर, बजाज चेतक और प्रिया स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन कितना है और वर्ष 1982-83 में उनके उत्पादन तथा बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र में बनाये गये विजय सुपर की कम मांग के क्या कारण हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में बजाज सुपर और बजाज चेतक की अधिक मांग है;

(ग) विजय सुपर स्कूटर के गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित अन्य स्कूटरों जैसा अच्छा न बनने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1981-82 और 1982-83 में विभिन्न मेक के स्कूटरों का उत्पादन और बिक्री, जैसा कम्पनियों द्वारा बताया गया है, निम्न प्रकार है :—

	1981-82		1982-83 (फरवरी 83 तक)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
विजय सुपर	31769	30849	35040 (सेन्टी सहित)	27014
बजाज सुपर	51421	51186	69724	68479
बजाज चेतक	55696	59438	64648	64250
प्रिया	24962	24962	33780	33585

(ख) से (घ) सुस्थापित ब्रांड नाम के कारण बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों को ग्राहकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है यद्यपि तकनीकी दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से विजय सुपर स्कूटर भी एक अच्छा स्कूटर है। विजय सुपर की कम माँग होने का कारण यह भी हो सकता है कि पहले वाले माडल, विजय डीलक्स जिसे स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुरू करते समय 1975 में आरम्भ किया गया था, उसमें उस समय प्रारम्भिक कमियाँ थीं। इन कमियों को दूर कर लिया गया है और 1978 में आरम्भ किए गए नये माडल के विजय सुपर को बाजार में काफी स्वीकार किया जाता है। कम्पनी ने सेन्टो नामक 100-सी०सी० का एक नया माडल हाल ही में आरम्भ किया है जिसकी ईंधन क्षमता अधिक है और ग्राहकों द्वारा इसकी काफी माँग की जाती है। इस माडल के उत्पादन को स्थायी बनाने और गुणवत्ता की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से ग्राहकों की आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विश्लेषण

4965. श्री रसीद मसूद
श्री बी०डी० सिंह } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का कोई विश्लेषण किया है कि ग्रामीण युवकों के शहरी क्षेत्रों को पलायन को हतोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कितना रोजगार पैदा कर सका है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि उद्योगों जैसे कतिपय क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम की खामियों का कोई मूल्यांकन भी किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए अपनी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करती रही है। सरकार द्वारा की गई अद्यतन समीक्षा राष्ट्रीय समिति के जरिए की गई थी जिसका गठन योजना आयोग द्वारा अन्य

बातों के साथ-साथ वर्तमान स्कीमों के कार्य संचालन की इस प्रसंग में समीक्षा करने की गरीबी व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने में उक्त स्कीमों की सक्षमता/सामर्थ्य क्या है और पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति/कार्य-नीतियों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इस समिति द्वारा जो तीन रिपोर्ट निकाली/प्रकाशित की गई हैं वे औद्योगिक प्रकीर्णन सहित, जिसमें समिति ने पिछड़े क्षेत्रों में छोटे, मझौले और बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के बारे में विचार किया है, औद्योगिक विकास से संबंधित हैं। इन रिपोर्टों में जो सिफारिशें की गई हैं वे जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इनसे काफी सीमा तक रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी जिससे ग्रामीण युवकों का शहरी क्षेत्रों में (रोजगार के लिए) जाना रुक सकेगा।

(ख) और (ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अक्तूबर, 1980 से देश के सभी 5011 खंडों में विस्तार किया गया था। इस प्रकार यह कार्यक्रम पिछले ढाई वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम का अध्ययन किया है और उनके निष्कर्ष अभी प्राप्त होने हैं।

स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय स्कीम ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी दूर करने के मुख्य उद्देश्य से 15.8.1979 से शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययनों में इस स्कीम के कार्य संचालन पर विचार किया गया है और अधिक सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं। स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि-उद्योगों में प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं वे ये हैं :—

1. जिला और खण्ड स्तरों पर संगठनात्मक तंत्र/व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
2. राज्य स्तर पर प्रबोधन एकक की स्थापना करना।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्पादन की सतत समीक्षा करना।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को हुआ लाभ

4966. **श्री जय नारायण रौत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को कितना लाभ हुआ है; तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले बकाया लोगों को भी शीघ्र शामिल किया जा सके ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या के बारे में राज्यवार सूचना केवल वर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध है। यह सूचना पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32वें दौर पर आधारित है।

परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम 14 जनवरी, 1982 को शुरू किया गया था और इसलिए गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे व्यक्तियों के अनुवर्ती अनुमानों के बारे में कोई सर्वेक्षण आंकड़े नहीं हैं। तथापि, 20-सूत्री कार्यक्रम के गरीबी रोधी कार्यक्रम में शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या विवरण में दी गई है जैसा कि छठी योजना के दस्तावेज में घोषित किया गया है गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावशाली ढंग से अनुपालन किया जाएगा।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जननातियों के लाभ-ग्राहियों की संख्या-अप्रैल, 82 से फरवरी, 1983

राज्य	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	जोड़
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	180452	68413	8549	257414
2. असम	25878	3949	27415	57256
3. बिहार	121159	120801	90507	232467
4. गुजरात	98769	37326	41129	177224
5. हरियाणा	32457	—	—	32457
6. हिमाचल प्रदेश	37425	70910	12851	12186
7. जम्मू तथा कश्मीर	18744	—	—	18744
8. कर्नाटक	119702	53176	664	173542
9. केरल	72068	—	—	72068
10. मध्य प्रदेश	213354	48672	28987	291913
11. महाराष्ट्र	10945	104384	399862	613661
12. मणिपुर	5156	388	2632	8176
13. मेघालय	6834	—	—	6834
14. नागालैंड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	100157	24107	8734	132998
16. पंजाब	71055	27450	—	98505
17. राजस्थान	108978	17119	6137	132234
18. सिक्किम	1375	827	2390	4592
19. तमिलनाडु	186850	64454	3245	254549
20. त्रिपुरा	3436	44146	91426	139008
21. उत्तर प्रदेश	260398	199438	2575	462411
22. पश्चिम बंगाल	46882	221268	73310	341460

(जारी···)

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	73	—	6087	6160
2. अरुणाचल प्रदेश	1150	—	—	1150
3. चण्डीगढ़	405	—	—	405
4. दादर और नागर हवेली	169	—	—	169
5. दिल्ली	2882	3318	—	6200
6. गोवा, दमन और दीव	4690	376	764	5830
7. लक्षदीप	13	—	—	13
8. मिजोरम	3103	—	—	3103
9. पांडिचेरी	780	663	—	1443
जोड़	1833809	1111784	801853	3747446

टिप्पणियां : 1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों लाभग्राहियों क आंकड़े शामिल हैं।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों के आंकड़े एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से इतर हैं।

3. राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

रेमिंगटन रेंड तथा टम्फ एडलर के बीच करार

4967. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रिक कंपनी रेमिंगटन रेन्ड से बिजली की टाईप मशीनों के निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता हेतु एक करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात पश्चिम जर्मनी की एक फर्म "ट्रम्फ एडलर" को विदेशी मुद्रा में 27 लाख रुपये की अदायगी की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके द्वारा ऐसा करने का कारण यह था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स को बिजली के टेलीप्रिन्टरों की परियोजना के लिए स्वीकृति मिल गई थी और उनके उत्पाद की कीमत भी अधिक उचित होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेमिगंटन रेंण्ड ने बेलगाम में उसका उत्पादन करने का अपना विचार छोड़ दिया है और उसके कारण उसके स्थिति का निर्धारण किए बिना लाइसेंस की मांग करने के निर्णय के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अपव्यय हुआ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में बताए गए तथ्यों का समर्थन शेयर धारियों द्वारा किया गया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) रेमिंगटन रैण्ड ने विद्युत टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए तकनीकी सहयोग के संबंध में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म मै० ट्रायम्फ एडलर को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए पहली किस्त के रूप में 21,24,832.67 रु० का भुगतान किया है। चूंकि पश्चिम जर्मनी की फर्म ने विद्युत टाइपराइटरों

कानिर्माण करना बन्द कर दिया है, अतः भारतीय फर्म को 19,69,828.57 रु० वापस कर दिए गए हैं।

(ख) फर्म ने अपने आवेदन में बताया है कि अपनी प्रौद्योगिकी अद्यतन बनाये रखने के लिए वे इसका निर्माण अपने हाथ में लेने के इच्छुक हैं।

(ग) जी नहीं। उन्हें कर्नाटक राज्य के जिला में मैसूर में बेलागोला औद्योगिक एस्टेट में प्रस्तावित एकक की स्थापना करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

(घ) निदेशक बोर्ड ने उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दे दी थी।

बिहार प्रेस विधेयक को स्वीकृति

4968. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार प्रेस विधेयक, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जानी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों और अन्यों द्वारा इस विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति न दिए जाने की मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विधेयक अगस्त, 1982 में प्राप्त हुआ था और केन्द्र सरकार उस पर विचार करती रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दिया है।

राज्य विशेष के लोगों का अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को प्रवजन

4969. **श्री ईरा अंनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य विशेष के लोग अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को वहां के आरक्षित बनों को नष्ट करके तथा राजस्व वाली भूमि पर अवैध कब्जा करके प्रवजन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्राल में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इन द्वीप समूहों में अवैध कब्जा करने वालों में वे लोग हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न राज्यों से प्रवजन किया है। अवैध कब्जा करने के अधिकांश मामलों में अवैध करने वाले आबादकार स्वयं वे और उनके बच्चे हैं। अन्य मामलों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये वे विस्थापित लोग है, जो पश्चिम बंगाल के भिन्न भागों से इन द्वीप समूहों में आजीविका की तलाश में आये हैं। वे अधिकांशतः इन द्वीप समूहों में पहले से बसे विस्थापित लोगों के संबंधी हैं। इनके अतिरिक्त, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु से भी लोगों ने इन द्वीपसमूहों में प्रवजन किया है और भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। बताया जाता है कि जिन लोगों ने अन्य राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश से प्रवजन किया है, उन लोगों ने भी भूमि पर अवैध कब्जा किया है।

राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां

4970. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह, ऊर्जा, पेट्रोलियम सहित, उद्योग, वाणिज्य तथा वित्त मन्त्रालयों में, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के पदों के उन अधिकारियों के संबंध में मन्त्रालयवार ब्यौरा क्या है जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनियुक्ति पर आए हैं और पांच वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से वहां बने हुए हैं (अतिरिक्त सचिवों के मामले में वह अवधि भी शामिल है जिसमें वे विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव पदों पर रहे; और

(ख) केन्द्र में प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रधान मंत्री के नवीनतम निदेश के अनुसरण में उन अधिकारियों को उनके अपने राज्यों में वापस भेजने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) संयुक्त सचिव और अपर सचिव के स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को 5 वर्ष की कार्यावधि की अनुमति होती है । यदि किसी संयुक्त सचिव की अपर सचिव के पद पर पदोन्नति हो जाती है, तो उसकी कार्यावधि इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसे अपर सचिव के पद पर कम से कम 3 वर्ष की अवधि मिल सके । यदि किसी अधिकारी के अपनी कार्यावधि के पूरा करते समय उसकी सेवानिवृत्ति के लिए दो वर्ष से कम का समय रह जाता है तो उसे संवर्ग को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता । कार्यावधि के इन मानदण्डों के अनुसार, सम्बन्धित अधिकारियों को उनके मूल राज्यों को प्रत्यावर्तित करने की कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है । अलग-अलग अधिकारियों की कार्यावधि प्रशासनिक कारणों तथा लोकहित की दृष्टि से घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।

विवरण

संयुक्त सचिव और अपर सचिव (25.383 की स्थिति के अनुसार) के स्तर के अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना का विवरण, जो 5 वर्षों अथवा इससे अधिक से केन्द्र में हैं ।

क्रम संख्या	मन्त्रालय का नाम	निम्नलिखित पदों पर सेवा कर रहे अधिकारियों की संख्या	
		अपर सचिव	संयुक्त सचिव
1	2	3	4
1.	मन्त्रालय/गृह	5	2
2.	मन्त्रालय/ऊर्जा	–	2
3.	मन्त्रालय/उद्योग	1	–
4.	मन्त्रालय/वाणिज्य	—	3
5.	मन्त्रालय/वित्त	4	1

टिप्पणी :—उक्त विवरण में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवा कर रहे और/अथवा भारत सरकार के अधीन विदेशी नियुक्तियों पर काम कर रहे अधिकारी शामिल नहीं हैं ।

बर्तन साफ करने वालों (स्टोरस) के औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाना

4971. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की अनुसूचियों का संबंध है, उन में सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा उनमें वृद्धि और कमी की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो बर्तन साफ करने वालों (स्टोर्स) के विषय को औद्योगिक विकास और विनियमन की अनुसूची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने के लिए सात वर्षों का लंबा समय किन कारणों से लगा है; और

(ग) क्या यह सच है कि पीछे 1976 में सरकार द्वारा इस आशय का कोई निर्णय किया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वृद्धि और कमी करने का कार्य केवल अधिनियम में संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है न कि सरकारी कार्यकारी आदेशों द्वारा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामले पर यद्यपि पहले कुछ विचार-विमर्श किया गया था, किन्तु कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था।

तमिलनाडु से उद्योगों के लिए आवेदन पत्र

4972. **श्री एस० सिगारावाडी वेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार के उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति और लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष तमिलनाडु से 200 उद्योगों के लिए आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को इस अधिनियम की प्रथम सूची में सम्मिलित उद्योगों से संबंधित वस्तु का विनिर्माण करने के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है जब तक कि उस औद्योगिक उपक्रम की उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए विभिन्न उपबंधों के अधीन इस प्रकार के लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने से छूट न मिली हुई हो।

(ख) वर्ष 1982 में तमिलनाडु राज्य में एककों की स्थापना करने के लिए विभिन्न उद्यमियों से 138 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 40 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं 63 प्रस्ताव अस्वीकृत अथवा अन्यथा निपटा दिए गए हैं और शेष 35 आवेदन इस समय विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

(ग) आवेदनों के अस्वीकृत किए जाने के कारण प्रत्येक मामले में अलग अलग होते हैं। औद्योगिक लाइसेंस के किसी भी आवेदन को अनुमोदित करने अथवा अस्वीकृत करने से पूर्व अनेक तकनीकी आर्थिक कारणों जिसे मांग और आपूर्ति, पहले स्वीकृत की गई क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता, स्थापना-स्थल संबंधी अड़चनें और योजना की संभाव्यता आदि पर विचार किया जाता है।

नौसेना और तोप खाना कार्मिकों के बागियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देना

4973. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री जी० एस० निहाल सिंह बाला } : क्या गृह मंत्री नौसेना और तोप खाना कार्मिकों के बागियों को 'स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के बारे में 26 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न में निर्दिष्ट सेन्ट्रल इण्डिया हाउस और आर्टिलरी के 21 कार्मिकों को पेंशन देने के मामले पर सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने तथा सम्बन्धित कार्मिकों को, जिन्हें भारी आर्थिक कठिनाई हो रही है, अपेक्षित राहत दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इन दो आंदोलनों को मान्यता न दी जाए। इन विद्रोहों में भाग लेने वालों की पेंशन को बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

लैक्ट्रॉनिक पुर्जों और उपकरणों का निर्माण

4974. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों और 'फेरा' कम्पनियों को इलेक्ट्रोनिक घटकों तथा उपकरणों का निर्माण करने की अनुमति देने के केन्द्र के निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ख) क्या लघु इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे निर्माताओं के विकास दब नहीं जाएगा; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि लघु उद्यमियों को भी इस उच्च तकनीकी क्षेत्र में विकास करने की अनुमति दी जाए ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस संजीवी राव) : (क) परियोजनाओं को अनुमति देने के बाद उन घरानों की ओर से जो विशिष्ट प्रतिक्रिया हुई है, उसकी जानकारी संलग्न अनुबंध-1 में दी गई है। इनमें किए गए वास्तविक पूंजीनिवेश तथा उसके मुकाबले हुए उत्पादन से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6247/83]

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां तक इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों का सम्बन्ध है, यह बात स्वीकार की गई है कि कुल मिलाकर बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण तथा कम मूल्यों पर इन्हें उपलब्ध कराने की संभावनाओं के माध्यम से व्यवहार्य-उत्पादन केवल बड़े पैमाने पर और व्यापक आधार पर उत्पादन करके ही प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रयोजन से बड़े पैमाने पर जो पूंजीनिवेश किया जाएगा

वह लघु क्षेत्र के उद्योगों के परिधि में नहीं आएगा क्योंकि संयत्र तथा उपस्कर, दोनों, के रूप में किए जाने वाले पूंजीनिवेश की कुल राशि लघु उद्योग क्षेत्र में 20 लाख रुपये से कम होती है। तथापि, जब कभी उद्योग को विशेष – पृष्ठभूमि को देखते हुए तथा पर्याप्त अनुभव रखने वाले उद्यमियों द्वारा सुपरकल्पित परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं तभी लघु उद्योग क्षेत्र में भी सक्षम इकाइयां स्थापित करना संभव होता है तथा तभी उन्हें समर्थन प्रदान किया जाता है।

पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता

4975. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले कितने हैं और पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु किस किस्म की सहायता दी गई है; और

(ख) क्या सन्तुलित औद्योगिक विकास हेतु लाइसेंस जारी करने से पहले कोई जांच की जाती है और लाइसेंस निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जारी किया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) भारत सरकार के 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों के रूप में चुना है जो अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थाओं से रियायती वित्त पाने के पात्र हैं इनमें से 101 जिले/क्षेत्र निवेश राजसहायता को केंद्रीय योजना के पात्र हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूचियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा केन्द्र सरकार भी राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन देती है जैसे कि करों में राहत, तकनीकी परामर्श, कच्चे माल के आयात में अधिमान, बीज/सीमांत धन सहायता, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद के आधार पर मशीनें दिलवाना, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के लिए परिवहन राजसहायता/केंद्रीय निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता की योजनाओं के अंतर्गत इन योजनाओं के आरम्भ किए जाने के बाद से 15.3.1983 तक चुने हुए जिलों/क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को कुल 149.65 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा चुकी है।

(ख) उद्योगों का छितराव करना और क्षेत्रीय असंतुलिनों को दूर करना औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाइसेंसीकरण समिति, स्थापना-स्थल संबंधी विद्यमान नीति के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों के स्थापना स्थल की एक विशिष्ट नीति का अनुकरण करती है। 10 लाख या अधिक की आबादी वाले महानगरों और 5 लाख की आबादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं में नए एकक स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का विस्तार करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। कम विकसित क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने और पहले से विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने "उद्योग रहित जिलों" तथा अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के मामलों में अधिमान देने का भी निर्णय किया है।

बांग्लादेश राष्ट्रिकों की घुस-पैठ

4976. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार राज्य के विभिन्न भागों में बांग्लादेश राष्ट्रिक पर्याप्त संख्या में घुस आये है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में घुस-पैठ करने वाले बांग्लादेश राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनका पता लगाने तथा उन्हें निकालने के लिये कोई कदम उठाये गये और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) बिहार के विभिन्न भागों में बांग्लादेश राष्ट्रिकों द्वारा भारी संख्या में घुसपैठ किये जाने की रिपोर्टें है। जैसा कि 23 मार्च, 1983 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4177 के उत्तर में पहले ही बताया गया है कि कुछ समय पहले बिहार सरकार से मामले को पूरी तरह से जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। राज्य सरकार की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।

प्रथम दस निर्माता देशों में भारत

4977. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसे विश्व के प्रथम दस निर्माता देशों में स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, उनके मंत्रालय द्वारा सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों के निर्यात से कितना संकुल राष्ट्रीय उत्पाद उपलब्ध कराया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और विभिन्न क्षेत्रों में कितनी आत्म-निर्भरता प्राप्त की गई; और

(ग) इस प्रवृत्ति को बनाए रखने तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों तथा सस्ते, लेकिन कुशल, श्रम के बृहत् स्रोत का उपयोग करके उत्पादों के विस्तृत विकल्प में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पिछले लगभग 30 वर्षों की अवधि के औद्योगिकरण की प्रगति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आकर्षक रही है। अधिकांश विनिर्मित उत्पादों में देश ने देशी प्रयासों के मूल क्षेत्रों की भावी वृद्धि बनाये रखने की क्षमता प्रदान करते हुए आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। औद्योगीकरण में तेज गति, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय कुशलता में तदनुरूपी विकास के साथ ही आई है। किंतु विभिन्न उत्पादक देशों का श्रेणीकरण कई कठिनाइयों से रुक गया है। बहुसंख्यक देशों से इस प्रकार की तुलना की जाए इस आवश्यकता में कुछ धारणा संबंधी और परिभाषा सम्बन्धी विषमताओं की तथा विभिन्न देशों में उत्पादन गतिविधि के आंकड़ों के संकलन की सीमाएं हैं।

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए स्वामित्व के प्रकार के ब्यौरे सहित उत्पादक अंग के सकल मूल्य के बारे में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त जानकारी निम्न प्रकार है :—

उत्पादक क्षेत्र के सकल मूल्य के मूल्य

पंजीकृत उत्पादक (ए० एस० आई०)	सरकारी क्षेत्र	सयुक्त क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	योग
1979-80	3815 (अन०)	728 (अन०)	7999 (अन०)	12542 (अन०)

(अन०) = अनन्तिम

गैर पंजीकृत उत्पादक (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय)	1978-79	—5155 (अन०)
	1979-80	—5947 (अन०)
	1980-81	— 6812 (अन०)

वर्ष 1980-81 के (मंथली स्टेटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया के उपलब्ध अद्यतन वार्षिक प्रकाशन पर आधारित विगत तीन वर्षों की उत्पादित वस्तुओं की मूल्य विषयक जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादित वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1978-79	3580
1979-80	3827
1980-81	3943

(ग) 1980 से औद्योगिक उत्पादन सुधारने के लिए सरकार ने कुछ अभ्युपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वत: विकास की व्यवस्था करना।

(2) आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की संभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण आदि देकर एककों द्वारा किए गए सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं की स्वीकृति देना।

(4) ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।

(5) "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।

(6) गैर-निवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेश और लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (औद्योगिक विकास विभाग) में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना।

(7) औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सकारात्मक उत्पादन उन्मुखता प्रदान करने की दृष्टि से निवेश संबंधी नीतियों की संवीक्षा करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 1983-84 के संघीय बजट में कुछ प्रस्ताव किए गए हैं।

कर्मचारियों चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा

4478. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग हर वर्ष क्लर्क ग्रेड परीक्षा आयोजित करता है;

(ख) क्या आवेदन आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि से परिणामों की घोषणा में एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है और इसके बाद चयन सूची तैयार करने तथा नियुक्ति पत्र भेजने में और छः महीने बीत जाते हैं;

(ग) क्या यह उम्मीदवारों के प्रति घोर अन्याय नहीं है जिन्हें क्लर्क का पद पाने के लिये डेढ़ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) क्या आगामी परीक्षा के लिये आवेदन पत्र पिछली परीक्षा के परिणामों की घोषणा से पूर्व आमंत्रित किये जाते हैं और उन उम्मीदवारों को भी आगामी परीक्षा के लिये शुल्क देना पड़ता है; जो बाद में सफल घोषित कर दिये जाते हैं; और

(ङ) इस असाधारण विलम्ब को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। किसी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार की प्रतीक्षा किया जाना अपरिहार्य होता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि यह एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार बैठते हैं, इसलिए भर्ती किए जाने में लगने वाली अवधि में और कोई कटौती करना सम्भव नहीं है।

आसाम में दंगों के शिकार व्यक्ति

4979. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में हाल में हुए दंगों और हिंसा के कारण कितने लोगों ने वहां से भाग कर राज्य से बाहर आकर शरण ली है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति उत्तरी बंगाल अथवा अरुणाचल प्रदेश के शिविरों में रह रहे हैं;

(ग) सरकार ने विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत उनकी देखभाल हेतु अब तक कुल कितना खर्च किया है; और

(घ) क्या उनको उनके पुराने घरों में सुरक्षा के साथ पुनर्वासित करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार हाल के दंगों के परिणाम स्वरूप असम से लगभग 25,000 व्यक्ति पश्चिम बंगाल गए हैं। बताया जाता है कि उनमें से 17,130 व्यक्ति 23.3.1983 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा

स्थापित शिविरों में ठहरे हुए हैं। इस समय अलीपुर रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए अन्य लगभग 4,000 व्यक्तियों को जल्दी ही नए शिविरों में स्थानान्तरित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि असम से 34,367 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। उनमें से केवल 400 व्यक्ति अब भी अरुणाचल प्रदेश द्वारा स्थापित राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं और शेष असम को वापस चले गए हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के अनुसार 23.3.83 तक क्रमशः 23,46,195 और 79,525 रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) असम सरकार ने शरणार्थियों को अपने मूल स्थानों पर लौटने को राजी करने के लिए अपने अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजा है। पुनर्वास सहायता दी जा रही है और सुरक्षा के लिए 164 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिये आसान शर्तों पर ऋण

4980. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग ने आसान ऋण सुविधा की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन ने प्रस्ताव किया है कि सरकार को 15 करोड़ रुपए राशि को एक इलेक्ट्रोनिक संघटक-पुर्जे विकास निधि स्थापित करनी चाहिए ताकि नई इकाईयों को संस्थापक-अंशदान के रूप में परियोजनाओं को 10% लागत उपलब्ध कराकर नई क्षमताओं के क्रियान्वयन और आधुनिकीकरण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा ऐसी परियोजनाओं को इस विकास निधि से आर्थिक सहायता के रूप में 5% ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ख) सरकार ने इन मुद्दों को नोट कर लिया है।

कल्पक्कम में आणविक बिजलीघर का निर्माण कार्य पूरा होना

4981. **श्री आर० प्रभु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम के आणविक बिजलीघर के निर्माण कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है;

(ख) क्या इस लक्ष्य तिथि का पालन किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कलपक्कम में ऊर्जा के उत्पादन में कौन-सी कठिनाइयां आ रही हैं और सरकार का विचार इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आशा है कि मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट इस वर्ष और दूसरा यूनिट वर्ष 1984-85 में चालू हो जायेगा।

(ख) तथा (ग) इस समयावधि पर कायम रहने में कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

सीमेंट की कमी तथा उत्पादन बढ़ाने के उपाय

4982. **श्री सुनील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान हमारे देश में सीमेंट की कितनी कमी रही;

(ख) इस महत्वपूर्ण सामग्री की कमी के कारण क्या हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तीन वर्षों की अनुमानित मांग के मुकाबले सीमेंट (देशी और आयातित) की पूर्ति में आई कमी मोटे तौर पर निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	दस लाख मी. टन
1979-80	6·76
1980-81	7.46
1981-82	7.58

(ख) सीमेंट की उपलब्धता में कमी मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में बिजली की उपलब्धता और कुछ सीमा तक कोयले की उपलब्धता में आई बाहरी रूकावटों के कारण आई है।

(ग) सम्भव सीमा तक अपेक्षित अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियों को उपलब्ध करा करके देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

बिहार के धानुक समुदाय का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शामिल करना

4983. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से बिहार मे धानुक समुदाय को, जिसे विभिन्न राज्यों द्वारा पहले ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है;

(ख) क्या मंडल आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) धानुक समुदाय को बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) मण्डल आयोग ने धानुक समुदाय को बिहार के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और अभी तक सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सूची में घानुक समुदाय को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसे अन्य प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, बिहार राज्य सरकार तथा भारत के महारजिस्ट्रार समेत, के परामर्श से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल किए जाने के मामले में अपनाए जाने वाले संगत मानदंड के अनुसार, विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से विचार आने अभी बाकी हैं और उन्हें नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों में कोई संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए, केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में असमानता

4984. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को "सम्मान पेंशन" के भुगतान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन असमानताओं को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों ने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोष के माध्यम से किया जाता है और केन्द्रीय सरकार का इस विषय में उनको कोई निर्देश/अनुदेश देने का प्रस्ताव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए टेलेमीटरी प्रणाली की सप्लाई

4785. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए टेलेमीटरी प्रणाली की सप्लाई के लिए ब्रिटिश फर्म मैसर्स फेरान्टी के साथ किए गए समझौते की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के ब्यौर क्या हैं; और

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख पर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) मौखिक शिकायतों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के दो अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। किन्तु, वास्तविक अर्थों में इसे जांच समिति नहीं कहा जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

कामरूप (असम) में प्रवासियों द्वारा लूटपाट

4986. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आसाम के कामरूप डिवीजन में प्रवासियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट की, सम्पत्ति को तबाह किया तथा लोगों की हत्यायें कीं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रवासी कौन लोग हैं और वे कैसे तथा किस मार्ग से प्रवेश कर सके; और

(ग) इन प्रवेश-मार्गों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) बताया जाता है कि कामरूप में वर्ग संघर्षों से प्रभावित गांव सीमा के निकट नहीं है।

(ग) इस संबंध में सतर्कता बरती जा रही है।

कल्याण योजनाओं से आदिवासियों का लाभ

4987. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि आदिवासियों को इन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है जिन पर पांचवीं और छठी योजनाओं में निवेश किया गया है;

(ख) क्या ऐसी गम्भीर त्रुटियों के, विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उत्तर-दायित्व का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से नए उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह कहना सही नहीं है कि पांचवीं और छठी योजना अवधियों में विकास कार्यक्रमों से आदिवासियों को नाम मात्र लाभ हुआ है। पांचवीं योजना अवधि में जनजात उपयोजना कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विकास था। छठी योजना में योजना प्रक्रिया को नया रूप दिया गया, ताकि लाभोन्मुख योजनाएं बनाई जा सके। छठी योजना अवधि के दौरान कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन, बागवानी कुटीर तथा लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करके गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है, ताकि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं;

(1) लाभोन्मुख कार्यक्रम बनाना,

(2) प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाना,

(3) कार्यक्रमों का प्रबोधन तथा मूल्यांकन करना।

उड़ीसा द्वारा संसाधनों की कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त सहायता का मांग

4988. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के चालू वर्ष के वार्षिक योजना परिव्यय में संसाधनों की कमी पूरी करने के लिए केन्द्र से अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इससे केन्द्र का बजटीय घाटा बढ़ जाएगा और कुछ अन्य राज्यों से इसी प्रकार के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं।

तांबा-सीसा और जिंक के लिये खोज कार्यक्रम

4989. **श्री चित्त महाटा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूमि पर तथा तट से दूर तांबा, सीसा और जिंक के लिए खोज कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) भू क्षेत्र में तांबा, सीसा व जस्ता की खोज का काम भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने पहले से अपने हाथ में लिया हुआ है और यह जारी है। खोज-प्रयासों के फलस्वरूप देश में अब तक 455 मि० टन तांबा, 350 मि० टन सीसा-जस्ता अयस्क होने का अनुमान है। तांबा-सीसा व जस्ता के लिए समुद्री क्षेत्रों में अलग से खोज का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। तथापि, राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान ने समुद्र में बहुधातु नोड्यूल्स की खोज शुरू की है, जिनमें 0.009 से 1.36% के बीच तांबा है तथा सीसा-जस्ता धारियां भी हैं। मध्य हिन्द महासागर में बहुधातु नोड्यूल्स का पूर्व में सर्वेक्षण शुरू किया है और वह अभी चल रहा है।

हरिजन आदिम जाति संघ, जगजीत नगर (हिमाचल प्रदेश) का अनुदान

4990. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन आदिम जाति संघ तथा समाज कल्याण अनुसंधान संस्थान, जगजीत नगर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) उनके द्वारा ये राशियां किन कार्यक्रमों पर खर्च की जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी तो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांप्रदायिक दंगे

4991. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री जगन्नाथ पाटिल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और कितने व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दंड दिया गया;

(ग) इस प्रकार दंडित व्यक्ति, यदि वे राजनीतिक दल से संबद्ध थे तो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे; और

(घ) इस बुराई को समाप्त करने के लिये कौन-कौन से अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1980-82 के दौरान साम्प्रदायिक दंगे अनेक स्थानों बिहार शरीफ, हैदराबाद, मेरठ, बड़ौदा, फुलवारी शरीफ, और अलेप्पी त्रिवेन्द्रम में हुए।

(ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रूप से साम्प्रदायिक अपराधियों के अभियोजन के लिए जिम्मेवार है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए भाग (ग) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शांति और साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने की आवश्यकता के विषय में राज्य सरकारों को समय-समय पर जोर देकर कहा गया है। उन्हें प्रशासनिक और आसूचना तंत्र को कुशल बनाने और असमाजिक तत्वों की गिरफ्तारी, शास्त्र और गोलाबारूद का पता लगाने और बरामद करने और साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने जैसे उपाय करने के सुझाव दिए गए हैं। कुछ राज्यों को यह सुझाव भी दिया गया है कि साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक घटनाओं के कारणों का गहन अध्ययन शुरू करे। जब कभी केन्द्रीय बलों के लिए अनुरोध किया जाता है, उन्हें ये बल उपलब्ध कराए जाते हैं।

बिहार का योजना परिव्यय

4992. श्री कुंवर राम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के लिये बिहार के योजना परिव्यय का शीर्ष-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1982-83 में परिव्यय के उपयोग का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बिहार समेत सभी राज्यों के शीर्षवार योजना परिव्यय 1983-84 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में बताए जाएंगे जो सभी राज्य बजटों के प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के विशेष क्षेत्रक के लिए 6.75 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले राज्य सरकार ने 5.91 करोड़ रु० का प्रत्याशित व्यय बताया है। वर्ष

1982-83 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय में से राज्य की जनजातीय उपयोजना के लिए धनराशियों की प्राप्ति 126.58 करोड़ रु० थी। इसके अलावा, वर्ष 1982-83 के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए 11.64 करोड़ रु० की विशेष केंद्रीय सहायता का आवंटन किया गया था। वर्ष 1982-83 के लिए अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए राज्य योजना से प्राप्त होने वाली धनराशियों के 83.90 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया था और इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए 12.14 करोड़ रु० की विशेष केंद्रीय सहायता का आवंटन किया गया था।

बंगलादेश से बिहार में घुसपैठिए

4993. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगलादेश से हजारों घुसपैठिये बिहार के किशनगंज सब-डिवीजन में प्रवेश कर रहे हैं और आदिवासी लोगों को भूमि तथा भूदान भूमि पर गैर-कानूनी रूप से तथा जबर्दस्ती से कब्जा कर रहे हैं, यदि हां, तो इन घुसपैठियों का प्रवेश रोकने और उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) घुसपैठियों की संख्या अनुमानतः क्या है; और

(ग) उनके द्वारा कितनी भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) बिहार के विभिन्न भागों में बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारी संख्या में घुसपैठ किए जाने की रिपोर्टें हैं। जैसा कि 23 मार्च, 1983 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4177 के उत्तर में पहले ही बताया गया है कि कुछ समय पहले बिहार सरकार को मामले की पूरी तरह से जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। राज्य सरकार की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मामले में कार्रवाई की जाएगी।

अवैध हथियार

4994. **श्री बी० डी० सिंह**
श्री रशीद मसूद
श्री पी० एम० सईद } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के विशेष निर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकारों विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को अवैध हथियारों और अवैध हथियारों के निर्माताओं का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) केन्द्र ने राजधानी में अवैध हथियारों और अवैध हथियारों के निर्माताओं का पता लगाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को हिदायतें दी हैं जिनमें अवैध हथियारों की समस्या को नियन्त्रित के लिये विभिन्न उपाय करने के

सुझाव दिये गये थे और बिना लाइसेंस के हथियारों का पता लगाने के लिये विशेष अभियान चलाने के लिये कहा गया था। अक्टूबर, 1980 में जारी की गई हिदायतों के उत्तर में विभिन्न राज्य सरकारों और दिल्ली समेत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस संबंध में विशेष अभियान चलाये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों से 1982 में 2,989 अवैध हथियार जब्त किये गये थे। उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरयाणा से अधिकतम अवैध हथियार जब्त किये गये थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1982 के दौरान राजधानी में 173 अवैध हथियार जब्त किये गये थे।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापारियों को लूटा जाना

4995. **श्री जगपाल सिंह**
श्री जयपाल सिंह कश्यप } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने कुछ व्यापारियों को लूटा था तथा बस अड्डे पर एक संगठित गिरोह को प्रछन्न गतिविधियों को प्राधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) ऐसे दो मामले ध्यान में आए हैं। रुपये ऐंठने के बारे में एक शिकायत में अंतर्ग्रस्त तीन कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया है और उनको निलम्बित कर दिया गया है। एक झूठे मामले में पुलिस द्वारा फंसाए जाने की एक शिकायत के संबंध में दूसरे मामले में एक कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया है तथा एक उपनिरीक्षक को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

किन्तु यह सही नहीं है कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर एक संगठित गिरोह की प्रच्छन्न गतिविधियों को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।

(ग) जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाएं

4996. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में राज्यवार, कितनी बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी; और

(ख) वर्ष-वार और राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) देश में राज्यवार कितनी बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी, के सम्बन्ध में कोई आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जाते हैं चूंकि ये मामले राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की कमी

4997. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रयोजनों के लिये बांस की कमी को देखते हुए सरकार को विभिन्न कागज मिलों को यह कहने की आवश्यकता की जानकारी है कि बांस के वर्तमान उपयोग के स्थान पर किसी अन्य कच्चे माल का उपयोग करना आरम्भ करें;

(ख) देश में बांस का उपयोग करने वाले कागज की बड़ी मिलों के ब्यौरे क्या हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ग) कच्चे माल के रूप में बांस के अतिरिक्त अन्य स्रोतों का उपयोग करने के लिये कागज मिलों को सरकार द्वारा क्या निदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो कागज मिलों द्वारा बांस से भिन्न वस्तुओं का उपयोग करने का कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कागज मिलों को संरक्षण देने के क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ङ) यद्यपि कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिये बांस एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री निविष्टि है, फिर भी कागज मिलों द्वारा माल तैयार करने के रूप में अधिकाधिक मात्रा में मिश्रित सख्त लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ग्रामीण लोगों और कागज उद्योग की आवश्यकताओं में संतुलन रहे, राज्य का वन विभाग बांस की संपूर्ण मांग को ध्यान में रखता है। कागज उद्योग ने भी लुगदी लकड़ी के केप्टिव पौधों के आरोपण को बढ़ाने के कदम उठाए हैं। सरकार उचित प्रोत्साहन देकर देश में कागज का उत्पादन करने के लिए कृषि अवशेषों और गन्ने की खोई (बगासे) के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। उद्योग के उपयोग हेतु वैकल्पिक कच्ची सामग्री का पता लगाने के लिए अनुसन्धान कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 34 कागज एकक हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 13.29 लाख मी० टन है जो सामान्यतः प्रमुख कच्चे माल के रूप में बांस तथा सख्त लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना

4998. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी;

(ख) राजस्थान में कितने परमाणु संयंत्र स्थापित किये गये हैं, ये कब स्थापित किये गये थे और उन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान का एक परमाणु संयंत्र जो 175 करोड़ रु० की लागत पर बना और जिसका वार्षिक बजट 40 करोड़ रु० है, अपने दोषपूर्ण कार्यकरण के कारण प्रतिवर्ष घाटे पर चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्षों में उसमें वर्षवार कितनी हानि हुई और उसके क्या कारण हैं?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिक तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत का परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम पहले ही बड़ी सीमा तक स्वावलम्बी है।

(ख) दो रिएक्टर, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, राजस्थान में क्रमशः 16-12-73 और 1-4-81 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली का उत्पादन करते रहे हैं। इन पर फरवरी, 1983 के अन्त तक 172.64 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे।

(ग) तथा (घ) वर्ष-वार स्थिति नीचे दी जा रही है :—

1979-80	—कोई हानि नहीं हुई
1980-81	—कोई हानि नहीं हुई
1981-82	—अभी लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भाषायी दंगे

4999. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जनवरी, 1983 तक के पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने साम्प्रदायिक अथवा भाषायी दंगे हुए;

(ख) उन दंगों में कितने लोगों की जान गई कितने व्यक्ति ज़ख्मी हुए और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या समुचित जांच के पश्चात उन घटनाओं के लिये उत्तरदायी लोगों का पता लगाया जा सका; यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं; और

(घ) उन गतिविधियों के लिये कितने अपराधियों को दंड दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र

5000. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों कम्पनियों प्रदेशों में कार्यक्रमों के सम्बन्ध में रही कमियों की योजना आयोग के साथ मिल कर दूर करने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिए क्या सीमा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में से तीन कार्यक्रम अर्थात्, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं। सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम अनंतपुर जिले के 16 खण्डों, कुर्नूल जिले के 13 खण्डों, महबूब नगर जिले के 12 खण्डों, चित्तूर जिले के 8 खण्डों कुड्डापा जिले के 6 खण्डों, प्रकाशम जिले के 9 खण्डों और रंगारेड्डी जिले के 2 खण्डों के लिए लागू होते हैं। केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता की स्कीमें श्रीकाकुलम जिले और रायल सीमा

क्षेत्र के 2 क्षेत्रों के लिए जिसमें 22 खण्ड हैं और तेलंगाना क्षेत्र के 3 क्षेत्रों के लिए लागू होती है जिसमें 43 खण्ड हैं जबकि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए रियायती वित्त की स्कीम अनतपुर, चित्तूर, कुड्डापा, करीमनगर खम्माम, कुर्नूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, श्रीकालुलम और वारंगल जिलों के लिए लागू होती है।

(ग) पिछड़ेपन को दूर करना एक दीर्घकालीन लक्ष्य है और इसलिए इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गई है।

रंगीन टेलीविजन संबंधी दीर्घविधि नीति

5001. **श्री नारायण चौबे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन सम्बन्धी दीर्घविधि नीति के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी, हां। रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों से संबधित औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति सभा-पटल पर 25 फरवरी, 1983 को रख दी गई थी। उक्त नीति की एक प्रति अनुबन्ध-1 के रूप में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-6248/83]

उपभोक्ताओं को नकली सीमेंट की सप्लाई

5002. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को इस समय बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में सीमेंट की सामान्यतया कमी है और इस सीमा तक कुछ कदाचार की घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अंतर्गत जारी किया गया 24 फरवरी, 1981 का सीमेंट नियंत्रण (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1981 ऐसे सीमेंट के उत्पादन को जो आई० एस० आई० मानक का नहीं है, प्रतिनिद्ध करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करें।

खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा

5003. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को पेंशन योजना की वैसी ही सुविधा देने पर विचार कर रही है जैसी उसके अपने कर्मचारियों को दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उन पर पेंशन की सुविधा कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

योजना में बचत का लक्ष्य

5004. **प्रो० रूपचन्द्र पाल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामधारक रूप में, साथ ही शुद्ध घरेलू उत्पादन प्रतिशत के रूप में दोनो में बचत का योजना लक्ष्य क्या है;

(ख) इस संबंध में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस लक्ष्य में कोई कमी आई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1984-85 में 1979-80 की कीमतों पर 35870 करोड़ रु० की देशी बचतों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। योजना अवधि के लिए समुच्चय 149647 करोड़ रु० था। बाजार की कीमतों पर सकल देशीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बचत दर वर्ष 1979-80 में 21.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 24.5% हो जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) मौजूदा कीमतों पर देशी बचतें वर्ष 1980-81 में 28086 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1981-82 में 33627 करोड़ रु० हो गई। बाजार की कीमतों पर सकल देशीय उत्पादन के अनुरूप अनुपात वर्ष 1980-81 में 21.9% और वर्ष 1981-82 में 22.8% होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

लघु एककों के लिये निगरानी सैल की स्थापना

5005. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रय सरकार ने देश के लघु उद्योगों से सम्बन्धित विकास एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये कोई निगरानी सैल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सैल के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ग) इससे लघु एककों के विकास में कहां तक मदद मिली है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली के कार्यालय में दिसम्बर, 1982 में एक मोनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। यह प्रकोष्ठ लघु उद्योगों सम्बन्धी विषयों पर की गई कार्यवाई को मानीटर कर रहा है और लघु उद्योगों को चलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों सहित संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ सम्पर्क भी करता है।

अनुसूचित जाति का विकास निगम

5006. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित अनुसूचित जाति विकास निगम को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है और यह अनुदान किस प्रयोजन के लिये दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता के लिए अनुदान दिया जाता है, 1978-79 में योजना के प्रारंभ होने के बाद से भारत सरकार द्वारा 50.53 करोड़ रुपये की राशि दी गई। राज्यों को ये अनुदान विकासात्मक गतिविधियों (जैसे व्यवहारिक अध्ययन सर्वेक्षण आदि शुरू करने) के लिए और

कर्मचारियों के लिए भी, विशेष रूप से प्राबोधन और विकास, तकनीकी और वसूली विंग के लिए निगम की शेयर पूंजी में निवेश के लिए दी जाती है ।

तमिलनाडु में विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा

5007. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे विचाराधीन बन्दियों के मामलों की समीक्षा करने के लिये जिला तथा राज्य स्तरीय समितियां गठित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने यह सलाह मानी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व भारत सरकार को सूचित किया था कि उनका पुनरीक्षण समितियां बनाने का विचार है और वे इस विषय में ध्यान दे रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा

5008. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक उपक्रम में श्रेणी वार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी वार कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या प्रत्येक उपक्रम को प्रारम्भिक नियुक्ति तथा पदोन्नति दोनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है; यदि नहीं तो कोटा शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) सूचना विवरण रूप में सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कोटे को पूरा करने में कमी रही है, जोकि ज्यादातर वर्ग "क" और वर्ग "ख" के मामले में है । कोटा पूरा करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आयु सीमा और अनुभव में छूट दी जाती है ।

(2) आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को आकर्षित करने के वास्ते अलग से विज्ञापन जारी किए जाते हैं ।

क्योंकि कोटे को पूरा करने में रही कमी को दूर करना नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मिलने पर निर्भर करता है, इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है ।

विवरण

परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या वर्ग-वार बताने वाला विवरण

1. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड				इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड				यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड			
2. कर्मचारी किस वर्ग के हैं		वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ
3. परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सरकारी क्षेत्र क उपक्रम में कर्मचारियों की वर्ग-वार कुल संख्या		208	113	1021	1818	568	1234	4385	963	78	100	928	1596
4. उनमें से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या	अनुसूचित जाति	6	6	128	223	13	20	522	238	2	कोई नहीं	27	162
	अनुसूचित जनजाति	2	3	17	37	1	4	66	14	2	कोई नहीं	154	796

उद्योग मन्त्रालय में हिन्दी/अंग्रेजी का प्रयोग

5009. **श्री राम विलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पालन होता है यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किये गये और उनमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में किये गये;

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें से कितने दोनों भाषाओं हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये;

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किये गये हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिये गये थे; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों का यथासंभव अधिकाधिक कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 5,106 सामान्य आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 2,880 सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में जारी किए गए।

(ख) वर्ष 1981-82 में 8,142 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,467 पत्रों का उत्तर हिन्दी में, 45 का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया था तथा शेष पत्रों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे 12 प्रकाशनों/पत्रिकाओं में से 9 हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(घ) 1968 के पश्चात्, स्थापित किए गए संगठनों/कार्यालयों की संख्या 17 है और इन सभी संगठनों/कार्यालयों के नाम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखे जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

योजना आयोग में राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

5010. **श्री राम विलास पासवान : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किये गये और उनमें से कितने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में किये गये;

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया;

(ग) योजना आयोग द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकायें निकाली गईं और उनमें से कितने दोनों भाषाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) में प्रकाशित किये गये;

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किये गये हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिये गये थे; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। सामान्यतया इनका पालन होता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष 251 सामान्य आदेश जारी किए गए और सभी द्विभाषी रूप में थे।

(ख) पिछले वर्ष हिन्दी में कुल 1700 पत्र प्राप्त हुए उनमें से 512 का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था।

(ग) योजना आयोग से किसी पत्रिका का प्रकाशन नहीं होता। जहां तक प्रकाशनों का संबंध है, पिछले वर्ष कुल 29 प्रकाशन निकाले गए जिनमें से 3 द्विभाषी रूप में थे।

(घ) 1968 के पश्चात किसी भी कार्यालय/संगठन का गठन नहीं हुआ।

(ङ) जहां कहीं इस संबंध में कोई चूक दृष्टिगोचर होती है, सबद्ध प्रभाग को सचेत किया जाता है।

आणविक नीति का पुनरीक्षण

5011. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनेक रिएक्टर वर्ष 1990 के आस पास अपनी अवधि पूरी कर लेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी आणविक नीति का पुनरीक्षण किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पाकिस्तान भी चीन और अमेरिका से मदद प्राप्त कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दो रिऐक्टरों की मियाद उनके डिजायन के अनुसार सन् 1990 के अंत तक पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्हें इसलिए बंद करने का विचार नहीं है कि वे सुरक्षित रूप से चलाए जाने की स्थिति में तथा उपयोगी बने रहेंगे। तथापि, एक तीसरे अनुसंधान रिऐक्टर को शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग) परमाणु संबंधी नीति का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं समझा जाता है।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

5012. **श्री नवीन रावणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अबतक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) गुजरात राज्य में अब तक स्थापित बड़े और मध्यम उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का गुजरात राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, राज्य सरकारों/संघ प्रशासित प्रदेश द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार भी केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, आयकर में राहत, लघु उद्योगों द्वारा किराया खरीद आधार पर मशीनें खरीद कर, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता और कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं देना, प्रोत्साहन प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य को जारी किए गए आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1980		1981		1982		जन० फ०-1983	
आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०
148	85	131	79	121	69	16	12
(62)	(27)	(50)	(26)	(62)	(25)	(6)	(8)

कोष्ठकों में दिए गए उपर्युक्त आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के बारे में हैं। उपक्रम का नाम और पता, स्थापनास्थल, विनिर्माण की वस्तु और क्षमता सम्बन्धी विस्तृत विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपनाए जाने वाली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित रियायतें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों सहित अन्य सभी उद्यमियों को भी उपलब्ध हैं।

हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके उत्तर

5013. **श्री रामावतार शास्त्री** : *क्या प्रधान मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) जो पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए उनमें से कितनों का उत्तर हिन्दी में और कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया;

(ग) हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने के क्या कारण हैं और जिन अधिकारियों ने इस सम्बंध में नियमों का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जायेगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां।

देश में ग्रेफाईट की खानें

5014 **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना ग्रेफाइट उपलब्ध है, गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों में कुल कितनी खानें चालू हैं और इस बारे में 1 जनवरी, 1983 तक तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रेफाइट की अधिकांश खानें बिहार के पलामाऊ जिले में हैं जिसे राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा जिला माना जाता है यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि खानों में अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीके से काम होता है जिससे खानों और बहुमूल्य खनिजों दोनों को नुकसान होता है;

(घ) क्या खदान कार्य ठीक ढंग से हो रहा है या जांच करने हेतु कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1982 में इनका कार्य निष्पादन तथा गतिविधियों का तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ए० सी० सी० फैक्टरी झिकंपानी (सिंहभूम) में सीमेंट के कणों से बीमारियां

5015. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि झिकंपानी सिंहभूम में ए० सी० सी० फैक्ट्री से बाहर आने वाले सीमेंट के कणों से आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फेफड़े की बीमारी हो रही है और फसलों को नुकसान हो रहा है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी ने अपने दिनांक 2 जून, 1982 के पत्र सं० जे० 12012/1/82-ई० एन० 2 में मै० ए० सी० सी० के महाप्रबन्धक का ध्यान आकर्षित किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने सरकार के पत्र की उपेक्षा की और इस धूल के खतरे पर काबू पाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सीमेंट धूल के उत्सर्जन की सीमा अथवा इसके उत्सर्जन से आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य तथा फसलों के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं। प्रबन्धकों ने सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर दिए हैं तथा इस समय स्थापित नियन्त्रण उपस्कर तथा विचाराधीन प्रस्तावों की जानकारी प्रदान की है।

(घ) प्रदूषण नियन्त्रण के सम्बन्ध में, क्योंकि यह सीमेन्ट संयंत्र राज्य बोर्ड के अन्तर्गत आता है, जलप्रदूषण, निवारण तथा नियन्त्रण, बिहार के सदस्य-सचिव को सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया है और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए निवेदन किया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में पंजीकृत भ्रष्टाचार के मामले

5016. **श्री केयूर भूषण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भ्रष्टाचार के उन मामलों की संख्या कितनी है जो 1 जुलाई 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग में पंजीकृत किए गए;

(ख) उक्त मामलों में शामिल कर्मचारी अथवा अधिकारी किन-किन श्रेणियों के हैं; और

(ग) उन में से, श्रेणीवार, कुल कितने कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आयोग के पास 1.7.82 से 31.12.82 की अवधि में कुल 668 सतर्कता के मामले पंजीकृत हुए थे जिनका सम्बन्ध 985 लोक सेवकों के साथ था।

(ख) उपर्युक्त 985 लोक सेवकों में से 426 राजपत्रित अधिकारी, 126 अराजपत्रित अधिकारी और 433 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी हैं।

(ग) इन मामलों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

अशोक बिहार, दिल्ली में डकैती

5017. एन० ई० होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सशस्त्र डकैतों ने दो घरों में डाका डाल कर अशोक बिहार (दिल्ली) में आतंक फैला दिया और कई हजार रुपये मूल्य की नकदी और आभूषण लूट कर भाग गए;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए;

(ग) जन-धन की हानि के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में भी कुछ मुआवजा देती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) पिछले 6 महीनों के दौरान, अर्थात् 1-9-1982 से 28-2-1983 तक सेंध-मारी के 9 मामले, जिनमें मकानों के निवासियों पर हमला किया गया, सूचित किए गए। इन मामलों में 13 व्यक्तियों को चोटें आयीं और चांदी/स्वर्ण आभूषण और 50,326 रु० की राशि लूटी गई।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते में संशोधन

5018. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से समयोपरि भत्ते की दरों को बढ़ाने के बारे में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अधिकतम सीमा तक समयोपरि भत्ता ले रहे हैं; यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले को संयुक्त सलाहकार समिति के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय मंडल को सौंपा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन मिल गया है और यदि हां, तो कब; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक घोषित करने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों से समयोपरि भत्ते की दरें बढ़ाए जाने के लिए समय-समय पर मांग की गई है।

(ख) अधिकतम सीमा तक समयोपरि भत्ता तब पहुंचता है, जबकि कर्मचारी, जो समयोपरि भत्ते के लिए पात्र होता है, की परिलब्धियां निर्धारित स्टेज की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है। चूंकि मंत्रालयों/विभागों को अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मंजूर करने की शक्तियां प्रत्यायोजित हैं, इसलिए अधिकतम सीमा तक समयोपरि भत्ता ले रहे कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की मांगें समय-समय पर विवाचन बोर्ड को भेजी गई थीं।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार विवाचन बोर्ड द्वारा समय समय पर दिए गए अधिनिर्णयों को क्रमशः 30.9.82 तथा 18.10.82 को प्राप्त दो अधिनिर्णयों को छोड़कर, लागू कर दिया गया है। इनका सम्बन्ध कार्यालय कर्मचारी तथा उसी प्रकार के कार्यरत स्टाफ के समयोपरि भत्ते से है और इस पर विचार किया जा रहा है। इनसे सम्बन्धित निर्णय यथासंभव शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा।

दिल्ली में राजदूतों के घरों में सेंधमारी

5019. **श्री एन० ई० होरो** : *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण दिल्ली में विशिष्ट क्षेत्रों में राजदूतों के मकानों के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद 4 मार्च, 1983 को सुन्दर नगर में एक मिस्त्री अधिकारी के घर में दिन दहाड़े सेंध लगाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 72, सुन्दर नगर, नई दिल्ली स्थित आर्थिक और वाणिज्य मंत्री, मिस्त्री दूतावास के कार्यालय परिसर में दिन के समय 4.3.83 को सेंध लगाई गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454/380 के अधीन एक मामला थाना हजरत निजामुद्दीन में दर्ज किया गया है। मामले का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं का परिव्यय और व्यय

5020. **श्री के प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर राज्यवार वर्षवार परिव्यय और व्यय क्या था;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा प्रदेश के लिए वर्ष 1983-84 हेतु अधिक परिव्यय और केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो हाल में हुई बातचीत के दौरान राज्य सरकार द्वारा जिन विभिन्न योजनाओं पर राज्य की वार्षिक योजना में बल दिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सदन के सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने लघु सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, सिंचाई, विद्युत, उद्योगों, सड़कों, शिक्षा आवास, श्रम और श्रमिक, कल्याण, पिछड़े वर्गों और वैज्ञानिक सेवाओं तथा अनुसधान कार्यक्रमों के लिए अधिक परिव्ययों की मांग की थी । वर्ष 1983-84 की योजना में इन क्षेत्रकों के लिए उपलब्ध परिव्यय 1982-83 के परिव्ययों से अधिक हैं यद्यपि ये राज्य सरकार द्वारा की गई मांग जितने नहीं हैं । इसका कारण संसाधनों की बाध्यकारिता है । 1983-84 की योजना को अनुमानित संसाधनों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है जिसमें राज्य के अपने संसाधन, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता और कुछ अग्रिम योजना सहायता आते हैं । सहमत परिव्ययों का ब्यौरा 1983-84 के लिए योजना आयोग के वार्षिक योजना दस्तावेज में बताया जाएगा जिसे सभी राज्यों के बजट प्रस्तुत होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य	वार्षिक योजना 1981-82		वार्षिक योजना 1982-83	
	अनुमोदित व्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित व्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	531.31	512.48	605.00	651.56
असम	210.00	208.75	238.00	238.87
बिहार	560.00	560.48	670.00	680.01
गुजरात	632.00	674.46	760.00	760.58
हरियाणा	290.00	288.63	320.00	319.64
हिमाचल प्रदेश	100.00	118.57	120.00	122.57
जम्मू तथा कश्मीर	160.00	165.03	168.00	203.94
कर्नाटक	419.00	443.60	475.00	504.31
केरल	275.00	302.74	275.00	307.32
मध्य प्रदेश	640.43	654.86	725.00	794.24
महाराष्ट्र	1080.10	1110.47	1322.00	1322.17
मणिपुर	43.00	41.88	48.00	53.55

(जारी···)

1	2	3	4	5
मेघालय	46.55	44.53	51.20	53.71
नागालैण्ड	38.00	38:45	42.58	42.48
उड़ीसा	275.00	273.73	300.00	310.41
पंजाब	340.34	342.14	385.00	385.00
राजस्थान	340.00	352.47	340.00	353.96
सिक्किम	23.15	24.08	25.41	26.82
तमिलनाडु	514.00	606.02	711.00	784.01
त्रिपुरा	45.00	47.85	50.00	56.67
उत्तर प्रदेश	1023.00	1118.20	1132.00	1212.15
पश्चिम बंगाल	638.00	498.55	490.00	571.97
जोड़--राज्य	8223.86	8427.97	9253.19	9755.94
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18.72	22.56	22.00	30.61
अरुणाचल प्रदेश	38.00	37.05	44.00	51.33
चंडीगढ़	20.00	18 21	23.77	23.77
दादर एवं नागर हवेली	6.13	5.75	6·79	8.25
दिल्ली	164 00	178.67	200 00	254.98
गोवा, दमन एवं दीव	34.50	37.66	44.12	54 48
लक्षद्वीप	9.37	8.28	5.59	6.96
मिजोरम	23.00	23.43	29.00	31.64
पांडिचेरी	14.00	16.00	18.19	20.17
जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	327.72	347.61	393 46	482.19
जोड़—राज्य संघ राज्य क्षेत्र	8551.58	8775.58	9646,65	10238.13

शेविंग ब्लेडों का निर्माण

5021. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो भारत में हजामत बनाने के ब्लेड़ों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने भारत में हजामत बनाने की ब्लेड़ों के निर्माण हेतु यूनिट की स्थापना करने के लिए अनुमति के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है और सरकार द्वारा स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उसकी क्या शर्तें हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित कम्पनियां रेजर ब्लेडों का उत्पादन कर रही हैं :—

(1) हरबंश लाल मल्होत्रा एण्ड सन्स प्रा० लि०, कलकत्ता ।

(2) नेशनल रेजर्स एण्ड ब्लेड्स, कलकत्ता ।

(3) पैट्रन इण्डस्ट्रियल एलायन्स प्रा० लि०, बम्बई ।

(4) विद्युत मैटेलिक्स लि०, बम्बई ।

(5) टी० टी० ब्लेड्स, बम्बई ।

(6) शापेज लि०, नई दिल्ली ।

(7) इण्डो स्विंग लि०, हैदराबाद ।

(8) विलोक इण्डिया लि०, हैदराबाद ।

(9) एवरकीन ब्लेड्स कं० लि०, बम्बई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

5022. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में एक आधुनिक सीमेंट संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में ताजा स्थिति क्या है;

(ख) इसमें कुल कितना व्यय होगा और इसकी क्षमता क्या है;

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा और यह कब तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगा;

(घ) क्या अन्य राज्य में भी इस प्रकार के सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) संभवत: आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे नये सीमेंट संयंत्रों का संदर्भ दिया गया है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये सीमेंट संयंत्रों और उनकी क्षमता की एक सूची विवरण-1 में संलग्न है। चालू अनुमानों के अनुसार इनकी पूंजीगत लागत लगभग 1000 रु० प्रति मी. टन है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान अन्य राज्यों में चालू किए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों के विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान आंध्र प्रदेश में चालू किए जाने वाले संभावित नये सीमेन्ट संयंत्र का ब्यौरा

क्र०सं०	एकक का नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता (लाख मी. टन में)
1.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	आदिलाबाद	4 00
2.	सोमेश्वर सीमेंट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	रंगनघाट	0·66
3.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कलामल्ला	10·00
4.	टेक्समैको लिमिटेड	येरागुन्नतला	5.00
5.	आन्ध्र सीमेंट लिमिटेड	नाडीकुडी	2·50
6.	नागार्जुन सीमेंट	नालगोण्डा	0.66
	1984-85		
7.	ओरियन्ट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	आसिफाबाद	4.5 (4.5 लाख मी. टन की सीमेंट क्षमता का पहला चरण वर्ष 1982-83 में आरंभ होगा)

विवरण-2

वर्ष 1983-84 और 1984-85 में राज्यों (आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त) में चालू किए जाने वाले भारतीय सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा ।

क्र०सं०	एकक का नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता (लाख मी. टन में)
	1983-84		
1.	यू. पी. स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	चुनार (उ० प्र०)	8.4 (द्वितीय चरण)
2.	मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड	पालघाट (केरल)	4.2
3.	ए. सी. सी. लिमिटेड	बाड़ी (कर्नाटक)	10 (पद्धति विस्तार)
4.	जे. के. सीमेंट्स लिमिटेड	निम्बाहेड़ा (राजस्थान)	4.2 —वही—
5.	सतना सीमेंट्स लिमिटेड	सतना (म. प्र.)	8 —वही—
6.	दामोदर सीमेंट्स एण्ड स्लैग लिमिटेड	मधुकुण्डा (पं. बंगाल)	2 6
7.	हीरा सीमेंट्स लिमिटेड	बारगढ़ (उड़ीसा)	1.65 —वही—

(जारी···)

1	2	3	
8.	लारसन एण्ड टूब्रो लिमिटेड	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	11.09
9.	ए. सी. सी. लिमिटेड	गगल (हि. प्र.)	5.6
10.	जे. के. सिथेटिक लिमिटेड	निम्बाहेड़ा (राजस्थान)	0.50 (सफेद सीमेंट)
11.	अरबुदा सीमेंट्स	डोटाड (गुजरात)	0.45 —वही—
	1984-85		
12.	श्री सीमेंट लिमिटेड	ब्यावर (राजस्थान)	6.00 (प्रथम चरण)
13.	इण्डियन रेयन कारपोरेशन	चितपुर (कर्नाटक)	5.4
14.	सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	10
15.	श्री दिग्विजय सीमेंट्स	सिक्का (गुजरात)	4.85 पद्धति विस्तार
16.	मोदी रबर लिमिटेड	बटपाड़ा (म. प्र.)	9
17.	श्रीराम सीमेंट्स	दांता (गुजरात)	0.66
18.	हरिगंगा सीमेंट्स	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	0.66

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

5023. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा इस समय अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है; इस समय मैदानी क्षेत्रों में छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई उच्चतम सीमा इस प्रकार है :—

	मैदानी क्षेत्र (प्रति छात्र)	पर्वतीय क्षेत्र (प्रति छात्र)
	रुपये	रु०
(1) केवल आवास के लिए	3350	5500
(2) सहायक सुविधाएं जैसे भोजन कक्ष रसोई घर, सफाई व्यवस्था आदि के साथ आवास के लिए	4630 रु०	7600 रु०

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव अगस्त, 1981 में प्राप्त हुआ था । सरकार ने ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिए अधिकतम लागत को संशोधित करने के लिए आवश्यक उपाय शुरु कर दिए हैं ।

परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्रों में सर्वेक्षण

5025. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु खनिज प्रभाग खनिज प्रभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दार्जिलिंग-हिमालय के क्षेत्र रेडियोधर्मिता में अत्यधिक संवेदनशील पाए गए हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं तथा इस अवस्था में कोई भी अनुमान लगाना असामयिक रहेगा ।

मध्य प्रदेश में अपहरण के आरोप पर पुलिस कर्मिकों की गिरफ्तारी

5026. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में अपहरण के आरोप पर मध्य प्रदेश के छह पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के बारे में दिनांक 10 फरवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की अन्तर्राज्यीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) समाचार में यह कहा गया है कि डकैत नेता मान सिंह के परिवार के सदस्यों का अपहरण करने के अभियोग में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 फरवरी, 1983 को ओरई शहर में भिंड जिले की मध्य प्रदेश पुलिस के एक उप निरीक्षक सहित 6 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है । राज्य पुलिस ने भिंड के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अपहरण का एक मामला दर्ज किया है और डकैत फूलन देवी के परिवार के 8-10 सदस्यों का अपहरण करने के अभियोग में कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है ।

(ग) मामला, उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

राज्य लाटरियों में सुधार

5027. **श्री अनन्त राम् लु मल्लु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन यह सुझाने के लिए कोई प्रस्ताव है कि राज्य लाटरी टिकटों में वर्गानुक्रम उपसर्ग के बिना केवल संख्या लिखी होनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि लाटरी में जहां संख्या मूलत: आवश्यक है टिकटों को विभिन्न वर्णानुक्रम सिरीज में जारी करने की धारणा उससे असंगत है; और

(ग) क्या सरकार विजेताओं के लिए पुरस्कार धन को सीमित करके पुरस्कार श्रेणियों में विजेताओं की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी देंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ग) इस समय भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र जो अपनी लाटरियों का आयोजन करते हैं, किसी असंगति अथवा अवरोध को देर करने के लिए सक्षम है और उन्होंने ऐसी कोई समस्या भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई है।

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की रिपोर्ट

5028. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते आ रहे हैं जैसा संविधान की अनुसूची पांच में उपबन्धित हैं;

इन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चूक की है या जो विफल रहे हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) निम्नलिखित राज्य, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि संविधान की पांचवी अनुसूची में निर्धारित है।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. मध्य प्रदेश
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. राजस्थान
8. हिमाचल प्रदेश

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के विषय में स्थिति इस प्रकार है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	1978-79 से आगे
2. बिहार	1979-80 से आगे
3. गुजरात	1980-81 और 1981-82
4. मध्य प्रदेश	1980-81 और 1981-82
5. महाराष्ट्र	1980-81 और 1981-82
6. उड़ीसा	1981-82
7. राजस्थान	1981-82

रिपोर्टों पर गृह मंत्रालय में विचार किया जाता है और इनसे उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों पर राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

कार्टर पूलर कम्पनी लिमिटेड के संचालन के लिए भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को प्राधिकृत करने की योजना

5029. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्टर पूलर कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता, जो इस समय उनके मंत्रालय के प्रबन्ध तथा प्रशासनिक नियंत्रण में है, के संचालन के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को प्राधिकृत करने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना तैयार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन कारणों से सरकार उक्त कंपनी को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को सौंपने की स्थिति में नहीं है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उद्योग (विकास तथा नियमित) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन इस उपबन्ध का प्रबन्ध मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

5030. **श्री ए०के० राय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से तथा वर्ष 1982 की प्रत्याशित राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का स्थिर कीमत पर (1960 की आधार मानकर) तथा वर्तमान कीमत पर ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में धन सम्पन्न राज्य और धन सम्पन्न होते जा रहे हैं जबकि निर्धन राज्य और अधिक निर्धन होते जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आय में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में तथा राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों के संबंध में भी चालू और स्थिर कीमतों (1970-71) के उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आंकड़े तीन वर्षों 1978-79, 1979-80 और 1980-81 से संबंधित हैं। 1970-71 के लिए तुलनात्मक आंकड़े भी बताए गए हैं। 1960-61 की कीमतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 6249/83]

(ग) जी, नहीं। दी गई सूचनाओं के आधार पर इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

(घ) देश में क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या का छठी योजना में विभिन्न उपायों द्वारा समाधान किया जाना है अर्थात् :—

(1) संसाधन अन्तरण जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में भारित होता है।

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्याग्रस्त क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों इत्यादि में चलाए गए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि, और

(3) औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन संबंधी उपाय।

औद्योगिक क्षेत्र को दी गई अग्रिम धनराशि / ऋण पर वसूल किया गया ब्याज

5031. **श्री सुभाष यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को सीधे अथवा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से दी गई अग्रिम धनराशि/ऋण पर सरकार किस दर पर ब्याज वसूल करती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : लघु औद्योगिक एककों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थान द्वारा दी जा रही है। बैंकों द्वारा (1-4-1983 से) लघु एककों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दर निम्न प्रकार होगी :—

	ब्याज की दर
1. 25,000 रु० तक मिला जुला ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10 प्रतिशत
(ख) अन्य क्षेत्र	12 प्रतिशत
2. अल्पकालिक अग्रिम धनराशि की सीमा	
(क) 2 लाख रु० तक	14 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रु० से अधिक और 25 लाख रु० तक	16.50 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ग) 25 लाख रु० से अधिक	18 प्रतिशत से अधिक नहीं
3. कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिए राज्य स्तर के निगमों को (निविष्टियों की खरीद और संभरण के उद्देश्य हेतु तथा/अथवा लाभ पहुंचाने वालों के उत्पादन का विपणन करने के लिए) दी गई अग्रिम धनराशि।	12.50 प्रतिशत
4. राज्य द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विकास निगमों को (लाभ पहुंचाने वालों के लिए निविष्टियों की खरीद करने और उनकी आपूर्ति करने तथा/अथवा उनके उत्पादन का विपणन करने के लिए) दी गई अग्रिम राशि।	12.50 प्रतिशत

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपनी पुनर्वित्त व छूट योजनाओं के अन्तर्गत लघु एककों से वसूल की गई ब्याज की दर निम्न प्रकार है : –

पुनर्वित्त योजना	अप्रत्यक्ष उधार		मूल रूप से उधार लेने वालों के लिये अधिकतम दर
	बैंक	राज्य वित्त निगम/लघु उद्योग विकास निगम	
क. निर्दिष्ट पिछडे क्षेत्रों में स्थापित एककों के लिए	8.5%	9.00%	12.50%
ख. गैर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एककों के लिए	9.5%	10.00%	13.50%
मशीनों के बिलों पर पुनः छूट देने की योजना (विक्रेता तथा/अथवा क्रेता)			
क. 6 महीने से 36 महीने तक	9.5%	—	11.50%
ख. 36 महीनों से अधिक तथा 84 महीने तक	9.00%	—	11.00%

चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का लेखा विवरण

5032. **श्री जी० एस० निहाल-सिंहवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन (उद्यान विभाग) कर्मचारियों, विशेषकर फील्ड स्टाफ, को उनके भविष्य निधि में वार्षिक अंशदान का लेखा विवरण नहीं देता है;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खतों में बहुत बड़ी संख्या में मिसिंग क्रेडिटों का पता नहीं लगाया गया है/उनके खातों में जमा नहीं किया गया है;

(ग) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनको पास बुक/भविष्य निधि के वार्षिक संचालन का वार्षिक लेखा विवरण नहीं किया गया है और उनका 25 वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि श्रेणी-वार के अधिकांश कर्मचारी अपने वेतन से काटे जा रहे अंशदान की ठीक-ठीक दर से अनभिज्ञ हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) संघशासित क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि क्षेत्र कर्मचारियों सहित तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि का लेखा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ द्वारा रखा जा रहा है। जब उनसे वार्षिक लेखा विवरणियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उन्हें संबंधित व्यक्तियों को पावती लेकर वितरित कर दिया जाता है।

(ख) किसी कर्मचारी के बारे में कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है। और यदि कोई असंगति होती है, तो तुरन्त समाधान किया जाता है।

(ग) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (क्षेत्र कर्मचारियों) की पास बुकें मार्च 1982 तक ली गई हैं और उन्हें अलग-अलग कर्मचारियों को जारी कर दिया गया है।

(घ) कर्मचारियों को जारी की गई पासबुकों में उनके वेतन से काटे गये अंशदान की वास्तविक दर होती है और उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाती है।

आयात की गई प्रौद्योगिकी और उपकरणों की अनुपयोगिता

5033. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्च कोटि के परामर्श संगठनों और तकनीशियनों की कमी के कारण आयात की गई प्रौद्योगिकी और उपकरण उपयोगी और कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं;

(ख) क्या जिन उद्योगों ने उन्नत देशों से प्रौद्योगिकी का आयात किया लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सके उनके परिमाण और क्षेत्रों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए प्रौद्योगिक के आयात को विनियमित करने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) सरकार को परियोजनाओं के उपयुक्त अभिकल्पन, निष्पादन और परिचालन में तथा आयातित प्रौद्योगिकी और उपस्कर के चयन में परामर्शदाता इंजीनियरी संगठनों की भूमिका की जानकारी है। सरकार को किसी ऐसे विशिष्ट दृष्टांत की जानकारी नहीं है जहां उच्च गुणता के परामर्शदाता इंजीनियरी संगठन के बिना आयातित प्रौद्योगिकी और उपस्कर उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ख) उद्योगों ने उन्नत देशों से जिस प्रौद्योगिकी का आयात किया है लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सके हैं, उसके परिमाण और क्षेत्रों को शामिल करते हुए ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित प्रौद्योगिकी का चयन अच्छी प्रकार से किया जाता है, क्रियाविधियां पहले से विद्यमान हैं। प्रौद्योगिकी के आयात के लिए प्रस्तावों पर उच्च स्तर अंतः विभागीय समिति द्वारा विचार किया जाता है। विदेशी निवेश बोर्ड, प्रौद्योगिकी के आयात का अनुमोदन के लिए सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखता है। भारतीय इंजीनियरी परामर्शदाता संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाता है और वे परियोजनाओं के आयोजन, अभिकल्पन और निष्पादन से सम्बद्ध होते हैं।

अनुसूचित जनजातियों की सूचि में तमांग जनजाति को शामिल करना

5034. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सिक्किम और असम में रहने वाले एक बौद्ध धर्मावलंबी जनजाति तमांगों ने अपनी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की मांग की है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग स्वीकृत की है और किस तारीख से स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस संभावित तारीख तक सरकार इस संबंध में निर्णय श्रेणी और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान । असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमांगों को शामिल करने की मांग के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजातियों से सूची में तंमांगो को शामिल करने की इस मांग पर और अन्य ऐसे प्रस्तावों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सहित संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके तथा मामले में अपनाए गए संगत मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विधिवत विचार किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में आगे कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा किया जा सकता है ।

भारत में योजना प्रक्रिया का इतिहास

5035. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में योजना क्रिया के प्राधिकृत इतिहास और लोगों के कल्याण सहित आर्थिक विकास में उसकी भूमिका को प्रकाशित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशन के विषय मे ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना प्रक्रिया की भूमिका और आर्थिक विकास में इसके महत्व की विशिष्ठता पर जोर देने के लिए ऐसा प्रकाशन निकाला जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि योजना प्रक्रिया पर क्रमश: 1964 व 1975 में दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । इन पुस्तिकाओं में ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि योजना की भूमिका तथा योजना बद्ध विकास के लिए परिस्थितियों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका पर चर्चा की गई है । इन पुस्तिकाओं में दीर्घकालिक वार्षिक विकास की कार्यनीति, मध्यावधि तथा दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण व उनका कार्यान्वयन तथा प्रगति का मूल्यांकन व योजना की संभावनाओं तथा सीमाओं पर चर्चा की गई है । इस संदर्भ में इसी विषय को लेकर एक और प्रकाशन के बारे में विचार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन

5036. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
डा० ए० यू० आजमी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी को, बिना कोई आरोप लगाए और बिना कोई आरम्भिक जांच किये अथवा बिना उसका स्पष्टीकरण लिए, निलम्बित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) उचित न्याय प्राप्त करने और परेशानी से बचने को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कौन से रक्षोपाय उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) से (ग) जब सरकारी कर्मचारी के पद पर बने रहने से अन्वेषण, विचारण अथवा किसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या साक्षियों अथवा दस्तावेजों में हेर-फेर किए जाने की आशंका होती है, जब पद पर बने रहने से कार्यालय में अनुशासन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है जब कोई सरकारी कर्मचारी नैतिक अधमता, गबन, भ्रष्टाचार आदि के मामलों में अंतर्ग्रस्त होता है, जब किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण/जांच/विचारण के अधीन होता है अथवा वह कर्त्तव्य से पराङ्मुख होने या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इन्कार करने या जान-बूझकर चूक करने अथवा कर्त्तव्य की घोर उपेक्षा/लापरवाही करने का दोषी होता है, तो सरकारी कर्मचारी को तत्काल निलम्बित करना आवश्यक हो जाता है।

तथापि सरकारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के निलम्बन के पश्चात् जिस कर्मचारी को निलम्बित किया जाता है, निलम्बन की तारीख से तीन महीने के भीतर उसके मामले का अन्वेषण पूरा करने और उसके विरुद्ध आरोपों की विरचना करने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र जारी करना संभव न हो तो सरकारी कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिए और यह मामला अगले उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए। निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को ऐसे निलम्बन के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

5037. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई को छोड़कर अन्य इस्पात संयंत्रों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं और क्या प्रगति हुई है तथा विस्तार कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन किया जा रहा है। ठंडी बेलन मिल को छोड़कर विस्तार

कार्यक्रम की सभी इकाइयां इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाएंगी। आशा है ठंडी बेलन मिल दिसम्बर, 1984 के अन्त तक चालू हो जाएगी।

(2) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड तथा कोल्ड रोल्ड नान-ग्रेन ओरिएन्टेड सिलिकान इस्पात की चादरों का उत्पादन करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना की वार्षिक क्षमता लगभग 72,000 टन होगी। आशा है यह परियोजना सितम्बर, 1983 तक चालू हो जाएगी।

(3) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी गई है। समय-सूची के अनुसार यह परियोजना वर्ष 1985 तक पूरी हो जाएगी। इससे मिश्र इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता 1,60,000 टन से बढ़कर 2,60,000 टन हो जाएगी।

(4) दुर्गापुर, राउरकेला तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखानों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मुख्य मदों का उत्पादन

5038. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात कारखानों में किन मुख्य मदों का उत्पादन किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : "सेल" के इस्पात कारखाने जिन मुख्य मदों का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें निलेट और अन्य पुनर्बेलन योग्य सामग्री, रांउन्डस, तार छड़ें, संरचनात्मक, प्लेटें, गर्म बेलित चादरें और क्वायल, ठंडी बेलित चादरें और क्वायल, जस्ती चादरें, टिन प्लेटें, रेल-सामग्री, ट्यूनें और विभिन्न प्रकार का मिश्रित और बेदाग इस्पात शामिल हैं।

बिजली, इस्पात तथा खनन के क्षेत्रों के लिये रूसी सहायता

5039. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1982 के "फाइनांशियल एक्सप्रैस" में "रटील, पावर, माइनिंग सेक्टर्स-सबस्टेंशयल सोवियत ऐड एक्पेक्टेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के अन्त में इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत रूस संयुक्त आयोग की सितम्बर, 1982 में मास्को में हुई बैठक में इस्पात, खनन, अलौह- धातु कर्म और बिजली के क्षेत्र में सहयोग तथा तकनीकी सहायता के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

लौह धातुकर्म

आयोग ने बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य की प्रगती की समीक्षा की थी। बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों की क्षमता का 40 लाख टन से आगे विस्तार करने के बारे में दोनों पक्षों को अनुदेश दिए गए थे कि वे वर्ष 1982 की समाप्ति से पहले अपनी अपनी भूमिकाओं के बारे में फैसला कर लें। उड़ीसा में लगाए जा रहे प्रस्तावित इस्पात कारखाने के निर्माण के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था। सोवियत रूस ने बर्नपुर में "इस्को" की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये शक्यता रिपोर्ट तैयार करनी भी स्वीकार कर ली है।

अलौह-धातुकर्म

दोनों पक्ष आन्ध्र एल्यूमिना परियोजना के रूपांकन और निर्माण के लिए सहयोग देने के बारे में आगे बातचीत करने के लिये सहमत हैं। वे कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना में विशेष एल्यूमिना तथा गैलियम के उत्पादन के लिए शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के बारे में भी सहमत थे।

सोवियत पक्ष हाई-स्पीड शाफ्ट लगाने, सुरंग बनाने और भारतीय खानों में खनन कार्य करने के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकडे एकत्र करने के लिये विशेषज्ञ भेजने तथा रूस में अलौह-धातुकर्म के क्षेत्र से भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

परिष्करण तथा अलौह-धातुकर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों के बारे में भी दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं।

बिजली

विन्ध्याचल तापीय बिजलीघर के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया था।

बिजलीघर के लिए 400 के० वी० की ट्रांसमिशन लाइनों के रूपांकन और निर्माण के बारे में सोवियत रूस द्वारा सहयोग देने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत हो चुकी है।

आयोग ने यह बात नोट की कि सोवियत रूस के विशेषज्ञ ओबरा, पत्रातू, नवेली और हरदुआगंज के तापीय बिजलीघरों में भेजे गए हैं जहां सोवियत रूस में निर्मित उपकरण लगाए गए हैं।

सोवियत रूस ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि सोवियत रूस के रूपांकन के आधार पर भारत में लगे उपकरणों के रख-रखाव के लिये वे रूसी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करने को तैयार हैं यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि भारत में लगाए गए सोवियत रूस के बिजली के उपकरणों के लिये सोवियत रूस से फालतू पुर्जों की समय पर लगातार सप्लाई होती रहनी चाहिए।

यह बात मान ली गई थी कि बिजली के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम के बारे में बातचीत की जायेगी और इसे वर्ष 1982 के अन्त तक विद्युत कार्यकारी दल द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा।

निर्गुट सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन

5040. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1983 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित निर्गुट सम्मेलन के समय अपने देश के असंतोष पर प्रकाश डालने के लिए जिन देशों के राष्ट्रिकों ने प्रदर्शन किये उन देशों के क्या नाम हैं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) क्या कुछ भारतीय सामाजिक संगठनों ने भी निर्गुट सम्मेलन के दौरान प्रयत्न/या प्रदर्शन आयोजित किये थे ;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) अफगानिस्तान, तिब्बत और ईरान के राष्ट्रिकों ने प्रदर्शन किए।

(ख) इन प्रदर्शनों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. अफगानिस्तान	232
2. तिब्बत	470
3. ईरान	31

(ग) और (घ) प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी और गो-रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किए और 274 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

असम चुनाव के दौरान हुई मौतें

5041. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और सेना/पुलिस कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की है जिनकी हाल ही में असम चुनाव में मृत्यु हुई;

(ख) क्या व्यक्तियों के परिवारों को देय मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) असम में चुनाव ड्यूटी के दौरान राज्य के बाहर से प्रतिनियुक्ति किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई। तथापि असम में चुनाव ड्यूटी पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 और राजस्थान ससस्त्र पुलिस का एक कार्मिक मारा गया।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सांप्रदायिक दंगों पर न्यायिक जांच

5042. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सांप्रदायिक दंगों पर विचार करने के लिये गठित न्यायिक जांच समितियों का ब्यौरा और नाम क्या हैं और पिछले पांच वर्षों का उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन जांच समितियों की रिपोर्ट किस तारिख को प्रस्तुत की गई है;

(ग) क्या उन पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में पिछले पांच वर्षों में कितने साम्प्रदायिक अपराधियों को सजा मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा साम्प्रदायिक दंगों पर कोई न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में इस्पात परियोजना

5043. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कितनी इस्पात परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी इस्पात परियोजनाएं स्थापित की गई हैं; और

(ग) इन प्रत्येक इस्पात कारखानों में पिछले तीन वर्षों में कितना विक्रेय इस्पात का उत्पादन हुआ ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र में पांच पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने तथा मिश्र इस्पात और बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए दो कारखाने स्थापित किये गये हैं।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना तथा 145 लघु इस्पात कारखाने हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

कारखाना	1979-80	1980-81	1981-82
भिलाई इस्पात कारखाना	1706	1817	1819
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	605	598	782
राउरकेला इस्पात कारखाना	1045	985	1091
बोकारो इस्पात कारखाना	849	844	1472
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	430	523	488
टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी	1447	1537	1606
मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	46	42	52
सेलम इस्पात कारखाना	—	—	3.21
लघु इस्पात कारखाने	1663	1954	2032

उड़ीसा में चार्ज क्रोम प्लांट की अनुमानित लागत

5044. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बेरुबड़ी में स्थापित विश्व में सबसे बड़े चार्ज क्रोम प्लांट की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) उपरोक्त संयंत्र का निर्माण पूरा करने की लक्ष्य तिथि क्या है;

(ग) इस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की आशा है ;

(घ) उस चार्ज क्रोम प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) थेरूबली के स्थान पर चार्ज क्रोम का संयंत्र मैसर्स इंडियन मेटल एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड ने स्थापित किया है । यह गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्म है । इस फर्म द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 45,000 टन है और इस संयंत्र को 20 फरवरी, 1983 को चालू किया गया है । कम्पनी ने इस संयंत्र में अप्रैल, 1983 से परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू करने और संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन राज्य विद्युत बोर्ड से आवश्यक बिजली प्राप्त होने पर करने का कार्यक्रम बनाया है । कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संयंत्र की अनुमानित लागत 14 करोड़ रुपये है ।

उद्योगों का आधुनिकीकरण

5046. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक उद्योगों के आधुनिकी करण की अपनी नीति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उद्योगों सहित जो सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में कौन-कौन से नए उद्योगों की किन किन स्थानों पर स्थापना किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का आधुनिकीकरण करने तथा प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को समुन्नत बनाए जाने की आवश्यकता से अवगत है ।

अधिक उत्पादकता प्राप्त करने तथा उत्पादों की किस्म को उन्नत बनाने की दृष्टि से, सरकार 1976 में लागू की गई तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत उपकरणों, तकनीकी-जानकारी तथा खालों का आयात की अनुमति देती रही है सरकार उद्योगों का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी योजनाओं को हर प्रकार का प्रोत्साहन देती है, सम्बन्धित उपक्रमों को इनका लाभ उठाने के लिये पहल करनी होती है । इस मंत्रालय में ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के विवरण को जिन्होंने आधुनिकीकरण योजनाओं का लाभ उठाया है दर्शाने वाले आंकड़े केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं ।

लघु क्षेत्र में, आधुनीकीकरण के गहन कार्यक्रम के लिये अखिल भारतीय आधार पर 20 उद्योगों को तथा विभिन्न राज्यों में केंद्रित किए जाने के आधार पर 38 उद्योगों को चुना गया है। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अन्तः संयंत्र अध्ययन, शिक्षण तथा प्रेरक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से चुने हुए उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है । लघु उद्योग विकास संगठन का इन उद्योगों की संवीक्षा करने का भी प्रस्ताव है ।

सेलम इस्पात संयंत्र की प्रगती

5047. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब से शुरू होने की आशा है ;

(ख) क्या उसके उत्पादन के लिए बाह्य बाजार की खोज की गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) सेलम इस्पात कारखाने में मार्च, 1982 से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होना शुरू हो गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेन्स से छूट की सीमा बढ़ाना

5048. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक लाइसेंस से छूट की 3 करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का उदारीकृत नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के लिए लाइसेंस समाप्त करने का भी विचार है; और

(ग) छूट संबंधी सीमा को बढ़ाने के क्या मुख्य कारण हैं तथा यह कहां तक लाभकारी होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। एक योजना है तथा अन्तिम निर्णय ले लिया गया है जिसकी निकट भविष्य में घोषणा कर दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सीमा को बढ़ाना मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों का मात्र समायोजन है। इसकी मात्रा बताना कि यह कहां तक लाभकारी होगी, संभव नहीं है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तब संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ रु० तक निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रम कुछ शर्तों के अधीन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसिंग उपबंधों से छूट प्राप्त होंगे।

रियायती अहातों में जादू के करतब

5049. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में रिहायसी अहातों में जादू के करतबों के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आम जनता को तकलीफ देकर जादू के करतब दिखा कर इतनी अधिक भीड़ करने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई विशेष कानून बना कर जादू के ऐसे करतब दिखाने को रोकने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस को नया बाजार के श्री पूरन चन्द नामक एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे जादू के करतब के संबंध में 157 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चालू वर्ष के दौरान 15 मार्च, 1983 तक किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) अतन्ग्रस्त व्यक्ति श्री पूरनचन्द शिकायतकर्त्ता की माता का किराएदार है। श्री पूरन चन्द अपने कमरे में सप्ताह में एक अथवा दो बार धार्मिक सतसंग आयोजित करता है जिसमें 8/10 व्यक्ति भाग लेते हैं। किन्तु पुलिस के अनुसार वह जादू के करतबों में अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं। शिकायतकर्ता के अतिरिक्त उसके सतसंग पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है।

डूंगरपुर औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया जाना

5050. **श्री भीखा भाई : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र या जिला घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डूंगरपुर जिला उदयपुर तथा बंसवाड़ा से घिरा हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बंसवाड़ा तथा उदयपुर दोनों ही जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किया गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह जिले भौगोलिक स्थलाकृतिक तथा अन्य दृष्टियों से समान हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त के लिए डूंगरपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है, परन्तु पूंजीनिवेश राज सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए केवल उदयपुर जिला ही पात्र है; और

(घ) चूंकि तीनों जिले कई प्रकार से एक समान हैं इसलिए राज्य सरकार जनजातीय क्षत्रों में अवस्थित सभी प्रकार की इकाइयों को पूंजीनिवेश राज सहायता की केन्द्रीय स्कीम के स्वरूप के अनुसार 15 प्रतिशत राज सहायता दे रही है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिये आयोग

5051. **श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का गठन किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त आयोग की नियुक्ति के लिए कोई संवैधानिक अथवा कानूनी आवश्यकता नहीं थी; और

(ग) क्या अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से एक आयोग का गठन करने का विचार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 339/340 के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग सरकार द्वारा सरकारी संकल्प सं० 13013/9/77 एस० सी० टी०आई० दिनांक 21-7-78 के तहत गठित किया गया था।

(ग) जैसा कि लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2863 के 20-10-82 को किए गए उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है। अनुच्छेद 339 के तहत आयोग गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया था। संविधान के अनुछेद 340 के तहत आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में एलूमीनीया परियोजना स्थापित करना

5052. श्री आनंद सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश एलूमिनीया परियोजना के संबंध में रूस के साथ वार्ता पूरी हो चुकी है और रूसी विशेषज्ञों से व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जा रहा है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली एलूमिनीया परियोजना की क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे स्वदेशी मांग कहां तक पूरी हो सकेगी;

(घ) क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विकसित देशों से भी इसी तरह की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रूस की व्यवहार्यता रिपोर्ट किस सीमा तक बेहतर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में निर्यात-प्रधान एल्यूमिना संयंत्र लगाने की संभावना पर विचार हो रहा है। 6-8 लाख टन वार्षिक क्षमता के इस संयंत्र के लिए सोवियत रूस की सहायता से साध्यता रिपोर्ट बनाई गई है। रुपया-स्रोत संबंधी कठिनाइयों के कारण इस संयंत्र का निर्माण शीघ्र शुरू नहीं किया जा सकता। इस परियोजना के लिए वित्तीय-व्यवस्था और उसके उत्पादन के निर्यात के संभावित विकल्प के बारे में सोवियत रूस से बात चल रही है। चूंकि साध्यता रिपोर्ट में परियोजना के व्यावसायिक पहलुओं के विभिन्न ब्यौरे हैं अतः इसे सभा-पटल पर रखना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिंद महासागर का प्रदूषण

5053. श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर का जल प्रदूषित हो गया है और उसके और अधिक प्रदूषित होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य और महासागरीय संपदा पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या प्रदूषण पर और उसे रोकने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास निर्माणों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (घ) हिन्द महासागर में प्रदूषण संबंधी समस्या के बारे में अनेक वर्षों के दौरान जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं उनसे पता चलता है कि पूरा क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है। तथापि, तटवर्ती बड़े शहरों के आस-पास स्थानिक समस्याएं समय समय पर पेश आती हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। भारत के लिए जो समस्या चिन्ताजनक है, वह है—तेल प्रदूषण की अरब महासागर से बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के कारण बहुत से क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष तेल मिलता है। समुद्रीय पर्यावरण के सुरक्षण से सम्बन्धित विभागों और मंत्रालयों को सूचित कर दिया गया है तथा समुद्रीय प्रदूषण के नियंत्रण के सम्बन्ध में वे अपेक्षित उप-नियमों का प्रतिपादन कर रहे हैं।

त्रिपुरा में आदिवासी उग्रवादी

5054. **श्री आनंद सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 दिसम्बर, 1982 के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार त्रिपुरा में आदिवासी उग्रवादी पुनः सक्रिय हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उग्रवादियों का भारत की किसी राजनैतिक पार्टी के साथ संबंध है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन उग्रवादियों का विदेशों की किसी राजनैतिक पार्टी से भी संबंध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस बारे में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और इन उग्रवादियों के पास से कुछ लाल चीन, इस का कम्युनिस्ट साहित्य जब्त किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री (निहार रंजन लास्कर) : (क) त्रिपुरा में आदिवासी उग्रवादियों की गतिविधियों में सितम्बर 1982 से कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) सरकार को ऐसे संबंधों की जानकारी नहीं है।

(घ) कुछ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है परन्तु ऐसा कोई साहित्य प्राप्त नहीं हो सका।

हरिजनों पर अत्याचार

5055. **श्री अनंत रामलु मल्लू :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में हरिजनों की हत्या, लूटपाट उनके घर जलाने, उन पर किए गए बलात्कार की घटनाओं सहित अत्याचार की कुल कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य में हाल ही के विधान सभा चुनावों के अवसर पर हरिजनों की हत्या किए जाने, लूटपाट उनके घर जलाए जाने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध कितने अवसरों पर कार्यवाही की गई; और

(घ) हरिजनों पर अत्याचारों की घटना में वृद्धि के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी दें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :(क) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1982 के अंतिम 6 महीनों अर्थात् जुलाई से दिसम्बर, 1982 तक अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए हत्या बलात्कार और आगजनी के मामले का एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) दर्ज किए गए अपराधों की जांच पड़ताल की जाती है। और अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के लिए उत्तरदायी कारणों तथा तत्वों का विश्लेषण केन्द्रीय गृह मंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 111-11011/4|80-एन० आई० डी० (डी०) दिनांक 10 मार्च, 1980 में किया गया था और राज्यों को आवश्यक कायवाही के लिए सूचित किया गया था।

विवरण

जुलाई से दिसम्बर, 1982 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किए गए हत्या, बलात्कार तथा आगजनी के मामलों की संख्या का विवरण।

क्र०सं०	राज्य का नाम	मामलों की सं०			
		हत्या	बलात्कार	आगजनी	तक सूचना
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	5	1	(सितम्बर)
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	(नवम्बर)
3.	बिहार	31	44	152	(दिसम्बर)
4.	गुजरात	4	3	8	(नवम्बर)
5.	हरियाणा	शून्य	32	4	(दिसम्बर)
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	1	1	(दिसम्बर)
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	2	शून्य	(अक्तूबर)
8.	कर्नाटक	8	3	24	(दिसम्बर)
9.	केरल	1	4	3	(दिसम्बर)
10.	मध्य प्रदेश	46	65	62	(दिसम्बर)
11.	महाराष्ट्र	7	18	7	(दिसम्बर)
12.	उड़ीसा	5	9	8	(दिसम्बर)
13.	पंजाब	7	3	2	(दिसम्बर)
14.	राजस्थान	25	28	36	(दिसम्बर)
15.	तमिल नाडु *	1	1	1	(दिसम्बर)
16.	त्रिपुरा	शून्य	1	शून्य	(दिसम्बर)
17.	उत्तर प्रदेश	107	73	183	(दिसम्बर)
18.	पश्चिम बंगाल	6	3	1	(नवम्बर)

* तमिलनाडु के बारे में सूचना पूरी नहीं है। दिसम्बर, 1982 के महीने की सूचना में दो जिलों के बारे में आंकड़े नहीं हैं।

टिप्पणी : अन्य राज्यों के बारे में सूचना शून्य है।

राज्यों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति

5056. श्री अनन्त रामुल् मल्लु : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें नियत निधियों को, जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, पिछले दो वर्षों से उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एम० बो० चव्वहाण) : (क) और (ख) कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है । संबंधित मंत्रालय प्रत्येक स्कीम की प्रगति का नियमित रूप से प्रबोधन करते हैं और योजना आयोग समग्र कार्यक्रम की सभी मदों के वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियों की प्रगति का प्रबोधन करता है ।

(ग) और (घ) परिबोधित 20-सूत्री कार्यक्रम जनवरी, 1982 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1982-83 के लिए आवंटनों के उपयोग में कमी का प्रश्न, यदि कोई हो, वर्ष के पूरा होने के बाद ही उठेगा ।

आदिवासी उप-योजना

5057. श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में आदिवासी उप-योजना क्रियान्वित करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त वित्त वर्ष में आदिवासी उप-योजना क्रियान्वित करके कुल कितने आदिवासी परिवारों को गरीबों के स्तर से ऊपर उठाने का विचार है; और

(ग) उस प्रयोजन के लिये उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं चलाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आदिवासी उप योजना 1983-84 का कार्यान्वियन करने के लिये गृह मन्त्रालय द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों को आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 105 करोड़ रुपये है ।

(ग) अस्थाई रूप से उन आदिवासी परिवारों की संख्या अनुमानतः लगभग 11 लाख है जिन्हें 1983-84 के दौरान आदिवासी उप योजना इलाकों में गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

(ग) आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिये कृषि, पशुपालन, भूमि, संरक्षण, सिंचाई, वन विद्या, मछली पालन, कुटीर उद्योग, आदि जैसे क्षेत्रों में आमदनी देने वाली योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र की स्थापना

5059. **श्री सन्तोष मोहन देव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लिये भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) नई दिल्ली में हुए सातवें शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्र के प्रारुप नियमों का अनुमोदन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास में विभागों राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) संविधियां अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन (नाम) के विचाराधीन हैं और इसलिए उनका ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के मिजोरम और मेघालय को अतिरिक्त धनराशि का आवटन

5060. **श्री सन्तोष मोहन देव , क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान सड़कों के सुधार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये मिजोरम और मेघालय को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) व (ख) *मिजोरम की 1983-84 की वार्षिक योजना में 2 करोड़ रु० के अतिरिक्त परिव्यय का प्रावधान रखा गया है जिससे उसकी योजना का आकार 29 करोड़ रु० से बढ़कर 31 करोड़ रु० हो गया है । मेघालय की 1982-83 की वार्षिक योजना में 1.50 करोड़ रु० का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है जिससे उसकी योजना का आकार 51.20 करोड़ रु० से बढ़कर 52.70 करोड़ रु० हो गया है ।* ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(रु० करोड़ों)

क्षेत्रक	मिजारम	मेघालय
सड़कें	2.00	1.00
सामान्य आवास	—	0.10
पुलिस आवास	—	0.10
पर्यावरणीय योजना तथा छोटे शहरों का विकास	—	0.15
सार्वजनिक कार्य	—	0.15
जोड़	2.00	1.50

मिजोरम की 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय 34.80 करोड़ रु० है और मेघालय के लिए 56.32 करोड़ रु० है । 1983-84 के परिव्ययों के क्षेत्र-वार ब्यौरे योजना आयोग

के 1983-84 के वार्षिक योजना दस्तावेज में दर्शाए जाएंगे जो राज्य के बजटों के प्रस्तुत होने के पश्चात् यथाशीघ्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

विशेष घटक योजन के अधीन आवंटित निधियां

5061. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष घटक योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी निधियां आवंटित की गई और उनकी तत्संबंधी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिशेष घटक योजना के अधीन कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने के लिये उनके मंत्रालय के अधीन कोई तत्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना के अधीन आवंटित निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 1982-83 के लिए अपनी विशेष कम्पोनेंट योजनाओं में राज्य योजना परिव्ययों से 675.75 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । भारत सरकार राज्यों की उनकी विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए राज्य योजना राशि के अतिरिक्त राशि के तौर पर विशेष केन्द्रीय सहायता देती है । 1982-83 के दौरान 120 करोड़ रुपए की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गई है । आशा है कि राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए इस मंत्रालय में हाल ही में एक मानिटरिंग सेल बनाया गया है ।

मारुति कार की विदेशी ट्रेड मार्क के अंतर्गत बिक्री

5062. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार विदेशी ट्रेड मार्क के अन्तर्गत बेची जायेगी; और

(ख) विदेशी ट्रेड मार्क के भारत में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि आंतरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों का आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जायेगा यद्यपि निर्यात के लिये बनाये जाने वाले उत्पादों पर उनका प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग के लेखों की लेखा परीक्षा

5063. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यनिष्पादन निराशाजनक है क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन में 8-15 वर्षों के विलम्ब हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा के लेखों तक महालेखाकार की पहुंच नहीं है और यदि हां, तो इस गोपनीयता के क्या कारण हैं जबकि बजट संसद में खुले तौर पर अनुमोदित किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार यथाशीघ्र उन लेखों की बारीकी से लेखा परीक्षा करायेगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब बहुत हद तक इस कारण से हुआ है कि हमने स्वावलम्बी बनने पर बल दिया है। इस विभाग के कार्य-निष्पादन का बाधाओं के बावजूद निराशाजनक रहना तो दूर की बात है, वह प्रशंसनीय है।

(ख) परियोजनाओं के लागत-अनुमानों में वृद्धि के कारण हैं—कार्य-क्षेत्र में वृद्धि होना, डिजायनों में सुधार करना और विभिन्न कारणों से, जिनमें विलम्ब भी शामिल है, लागत का बढ़ जाना। विलम्ब ही इसका एकमात्र कारण नहीं है।

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षण द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

देश में जिले

5064. श्री गिरधार गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बनाये गये जिलों की राज्य वार और संघ शासित क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से घनी आदिवासी आबादी वाले जिलों की राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्यों वार संघ शासित क्षेत्रों में आकार और क्षेत्रफल में सबसे छोटे और सबसे बड़े जिलों के नाम क्या है; और

(घ) देश में घनी आदिवासी आबादी वाले उन जिलों के नाम क्या हैं जिनका आकार और क्षेत्रफल अन्य जिलों से बड़ा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) किसी राज्य में प्रशास-निक इकाईयों के सृजन और सीमांकन का मामला पूर्णतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार में आता है तथापि 1981 की जनगणना के समय 412 जिले थे जो विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) घनी जनजाति वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 50 सुतिशत या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर (1971) की जन-गणना के अनुसार) घनी जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) जनसंख्या में सबसे घनी जनजाति वाला जिला रांची है और क्षेत्रवार जिला बस्तर है। जनसंख्या में सबसे कम जनजाति वाला जिला निकोबार है और क्षेत्र में लक्षद्वीप है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	10
3.	बिहार	31
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू और कश्मीर	14
8.	कर्नाटक	19
9.	केरल	12
10.	मध्य प्रदेश	45
11.	महाराष्ट्र	26
12.	मणिपुर	6
13.	मेघालय	5
14.	नागालैण्ड	7
15.	उड़ीसा	13
16.	पंजाब	12
17.	राजस्थान	26
18.	सिक्किम	4
19.	तमिलनाडु	16
20.	त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	56
22.	पश्चिम बंगाल	16
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	9
25.	चण्डीगढ़	1
26.	दादरा व नगर हवेली	1
27.	दिल्ली	1
28.	गोवा, दमन तथा द्वीव	3
29.	लक्षद्वीप	1
30.	मिजोरम	3
31.	पाण्डिचेरी	4
	जोड़	412

विवरण-2

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	1
2.	गुजरात	1
3.	हिमाचल प्रदेश	2
4.	मध्य प्रदेश	4
5.	मणिपुर	5
6.	उड़ीसा	3
7.	राजस्थान	2
8.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1
जोड़		19

राज्यों में जिलों का पुनर्गठन

5065. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिला प्रशासन में बेहतर समन्वय और आयोग के लिये राज्यों में जिलों के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) क्या राज्यों ने इस मामले पर विचार करने के लिये और जिलों के पुनर्गठन के लिये समितियां बनाई थीं; और यदि हां, तो उन समितियों और राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समितियों की सिफारिश पर अब तक जिलों का पुनर्गठन कर दिया है;

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग और कार्यान्वयन समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बड़े जिलों के पुनर्गठन के बारे में राज्य सरकारों से किसी भी रूप में अथवा किसी भी मंच पर कोई बातचीत की है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कोरापुट जिले में मैंगनीज अयस्क का निक्षेप

5066. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोरापुट जिले में अब तक मैंगनीज अयस्क के कुल कितने निक्षेपों का पता चल चुका है; और

(ख) सरकार ने इस्पात के उत्पादन संबंधी इस महत्वपूर्ण आदान के दोहन के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) कोरापुट जिले में अब तक आकलित कुल मैंगनीज अयस्क भंडार लगभग 0.335 मिलियन टन हैं।

(ख) इस अयस्क का खनन उड़ीसा खनन निगम करता है। कुछ उत्पादित अयस्क का उपयोग स्थानीय रूप से फैरो मैंगनीज संयंत्र रायगढ़ में किया जाता है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित संयंत्रों में खराबियां

5067. **श्री फूल चन्द वर्मा**
श्रीमती किशोरी सिन्हा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित संयंत्रों से केवल 80 प्रतिशत ही ठीक से काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योगमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) समाचार पत्रों में छपी इस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि बी०एच०ई०एल० के 80 % ताप संयंत्रों का काम संतोषजनक नहीं है। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बकाया कार्यों/सम्भरणों के बारे में बी०एच०ई०एल० के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श कर के राज्य में स्थित ताप बिजली घरों के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्रवाई कर रहा है और बी०एच०ई०एल० भी उपकरणों के कार्य में देखी गई किसी भी खराबी को ठीक करने तथा समय पर मरम्मत करने के लिए फालतू पुर्जों की सप्लाई हेतु कार्रवाई कर रहा है। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि बी०एच०ई०एल० द्वारा निर्मित 80% संयंत्रों का काम संतोषजनक नहीं है। बी०एच०ई०एल० द्वारा सप्लाई किये गये संयंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं जो कुछ मामलों में आयातित संयंत्रों से भी बहुत अच्छा है।

एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए ऊर्जा की खपत

5068. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित एल्यूमिनियम के प्रति टन के लिए एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों की तुलना काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च की जा रही है और यदि हां, तो प्रति टन खर्च की जाने वाली ऊर्जा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी कार्यप्रणाली प्रबंध व्यवस्था शुरू करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) इन्टरनेशनल प्रायमरी एल्यूमिनियम इन्स्टीट्यूट लन्दन (1981) की रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी एल्यूमिनियम

उत्पादक देशों में एल्यूमिनियम उत्पादन में बिजली की खपत 14,900 यूनिट से 17,200 यूनिट प्रति टन के बीच होती है जबकि भारत में बिजली की खपत 16,400 यूनिट से 20,000 यूनिट प्रति टन आती है।

(ख) किसी प्रद्रावक में बिजली की खपत उसमें अपनाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। यह खपत बिजली की पर्याप्त और लगातार पूर्ति पर भी निर्भर होती है। "बालको" के कोरवा प्रदावक और "मालको" के मैटूर प्रदावक में संबंधित मानक से अधिक विद्युत खपत वस्तुतः बिजली पूर्ति में भारी कटौतियों के कारण है। एल्यूमिनियम उत्पादक आधुनिक नियंत्रण तकनीकें अपना कर विद्युत खपत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं। उड़ीसा में लगाया जा रहा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी प्रदावक दक्ष ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर आधारित है और उसकी विद्युत खपत विदेशों के आधुनिक प्रदावकों के बराबर होगी।

इलेक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण के लिए सुविधाएं

5069. **श्री अमल दत्त**
श्री के० मालन्ना } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में इलेक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण के लिये क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) संगठनों का ब्यौरा और उनकी लाइसेंस क्षमता क्या है तथा नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वास्तव में कितनी घड़ियां बनाई गईं;

(ग) बिदेशों में आयातित पुर्जों की मदद से भारत में निर्मित इलेक्ट्रोनिक घड़ियों की लागत की प्रतिशतत क्या है;

(घ) क्या इलेक्ट्रोनिक घड़ी के माड्यूल का निर्माण करने के लिये कोई सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या व्यापारिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया है; और

(च) कितना उत्पादन हो चुका है और उसका वर्ष-वार/महीने-वार ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप-मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 1980 के एक प्रेस-नोट द्वारा इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग के बारे में औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति घोषित की गई थी। उस नीति के अनुसार इलेक्ट्रानिकी विभाग को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की बैसर्स सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एस० सी० एल०) नामक कंपनी ही अकेली एक ऐसी कंपनी है जो अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विनिर्माण करने के लिए अनुमोदित अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों की सभी इकाइयों को सभी प्रकार के माड्यूलों की आपूर्ति करती है। इनकी आपूर्ति आरम्भ में आयात करके तथा बाद में इनका चरणबद्ध आधार पर विनिर्माण करके पूरी की जाएगी। इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माताओं को उनकी अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ी परियोजनाओं के लिए योजना बनाने, उन्हें स्थापित करने तथा उन्हें चालू करने में व्यापक रूप से सहायता प्रदान की है। इस सहायता में परियोजना रिपोर्ट तैयार कराना, घड़ियों के संयोजन, परीक्षण तथा गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए उपस्करों के संभरणकर्ताओं का पता लगाना तथा उनका चयन करने और पूर्ति-समझौते कराने में सहायता देना, सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह तथा हिताची माड्यूलों के अनुरूप

तैयार किए गए केसों के संभरणकर्ताओं का पता लगाना तथा केसों के संभरणकर्ताओं में समझौते कराना संबंधी कार्य शामिल हैं। सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने पंजाब स्थित साहिबजादा अजीत सिंह नगर, के अपने कारखाने में अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के पूर्ण संयोजन तथा परीक्षण से संबंधित सभी सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और उसने अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विनिर्माण करने के लिए अनुमोदित विभिन्न इकाइयों मे आए इंजीनियरों को तात्कालिक प्रशिक्षण देने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया है। पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ख) इलेक्ट्रानिक घड़ी नीति घोषित किए जाने के पश्चात मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर को प्रतिवर्ष 6 लाख अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों निर्मित करने की लाइसेंस-क्षमता अनुमोदित की गई है, 12 राज्य निगमों (जिनके ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं) में से प्रत्येक निगम को प्रतिवर्ष दो-दो लाख अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों तथा लघु क्षेत्र की 22 इकाइयों (अनुबंध-11) में यथाउल्लिखित) में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष पचास-पचास हजार अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां बनाने की लाइसेंस क्षमता का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 6250/83]

तमिलनाडु इलेक्ट्रानिकी निगम ने 29 दिसम्बर, 1982 को वाणिज्यिक उत्पादन करना आरम्भ किया था तथा उसने ये घड़ियां बाजार में 4 फरवरी, 1983 को प्रस्तुत कर दी। बाजार में प्रथम दो सप्ताहों के दौरान तमिलनाडु इलेक्ट्रानिकी निगम ने ग्राहकों को 940 अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां बेची हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम (अपट्रान) लघु क्षेत्र की इकाई मैसर्स लोजीट्रानिक्स के संयुक्त सहयोग से तथा बिहार इलेक्ट्रानिकी निगम लघु क्षेत्र की इकाई मेसर्स आर्मडा इलेक्ट्रानिक्स के सहयोग से बाजार में क्रमशः अप्रैल तथा मई, 1983 में अपनी-अपनी अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां भेजने की योजना बना रही है।

(ग) स्वदेश में निर्मित अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों में उनकी लागत के 50% भाग के बराबर आयातित संघटक-पुर्जे लगे हुए हैं। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान, अंततः निर्मित की जाने वाली अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ी की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों में लगने वाले प्रमुख संघटक पुर्जों के आयात के विकल्प में लगने वाले पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिए चरणबद्ध रूप में औद्योगिक क्षमता स्थापित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। फलस्वरूप, निजी क्षेत्र की एक इकाई ने अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों की बैटरियों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भी उस उत्पाद का विनिर्माण करने जा रहा है। अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए तरह क्रिस्टल डिस्प्ले पैनलों का विनिर्माण करने के लिए राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड नामक कंपनी और हिताची के बीच एक सहयोग विषयक करार किया गया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने भी भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड तथा केल्ट्रान जैसे स्थानीय क्रिस्टल विनिर्माताओं से हिताची के क्वालिटी के अनुरूप गुणवत्ता-आश्वासन देने के उद्देश्य से अंकीय इलेक्ट्रानिक घडियों के लिए क्रिस्टलों का थोक मात्रा में विनिर्माण करने का भी कार्य किया है। जब अगले कुछ वर्षों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे तो आयात की मात्रा में काफी कमी जाएगी।

(घ) से (च) मैसर्स सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने हिताची के साथ हुए उनके तकनीकी सहयोग संबंधी समझौते के अंतर्गत अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ी माड्यूलों के क्रमिक रूप से

अधिकाधिक विनिर्माण के लिए मैसर्स सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने पर्याप्त सुविधाएं जुटाई हैं। अब तक तकनीकी जानकारी, संयंत्रों तथा उपस्करों और हमारे इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर लगभग 45 लाख रुपए का निवेश किया गया है। वर्ष 1982 में माड्यूलों का वास्तविक उत्पादन शून्य था किन्तु सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड ने अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का (फरवरी, 1983) के प्रारम्भ में वाणिज्यिक स्तर पर विनिर्माण शुरू कर दिया है। हिताची के साथ सम्पन्न समझौते के अंतर्गत इस समय जिन 6 किस्मों के अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ी माड्युलों का उल्लेख है, उनमें से सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड की वर्ष 1983-84 के दौरान कम से कम दो किस्म के माड्युलों वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने की योजना है सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड वर्ष के दौरान एक लाख अंकीय इलक्ट्रानिक घड़ी माड्यूलों का उत्पादन करने के लिए तैयार है वशर्ते इसकी मांग हो

रेडियो नियन्त्रित इलेक्ट्रानिक खिलौनों का निर्माण

5070. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या रेडियो नियंत्रित इलेक्ट्रोनिक खिलौनों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे खिलौनों के आयात की अनुमति है यदि हां, तो क्या खुले सामान्य लाइसेंस पर या किसी अन्य आधार पर; और

(ग) आयात पर यदि कोई प्रतिबंध है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) चूंकि रेडियो नियंत्रित इलेक्ट्रानिक खिलौनों में रेडियो ट्रांसमीटरों का उपयोग किया जाता है इसलिए इन्हें केवल शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में ही बनाया जा सकता है।

(ख) तथा (ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक खिलौनों का आयात करने की अनुमति नहीं है। ऐसे उत्पादों के आयात के लिए अलग-अलग मामले में अलग-अलग अनुमति दी जाती है। इसके अलावा रेडियो नियंत्रित खिलौनों के मामले में संचार मन्त्रालय से अवृति संबंधी अनुमति लेनी पड़ती है।

बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर का औद्योगिक विकास

5071. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के औद्योगिक विकास हेतु क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) और (ख) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तीनों जिलों को अखिल भारतीय सांवधिक ऋणदाता सस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है जोधपुर जिले की केन्द्रीय निवेश राजसहायता का भी पात्र माना गया है। इन जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी कर सम्बन्धी रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता और कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं जैसी सुविधाओं के भी पात्र हैं।

जैसलमेर जिला "उद्योग रहित जिलों में से एक है और इस जिले में उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है ।

तीनों जिले केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत आते हैं । जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमियों को लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने में, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में, एककों के पंजीकरण भूमि और मशीन प्राप्त करने में, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से सहायता दिलाने की व्यवस्था करने में तथा अन्य निविष्टियां प्रदान करने में मार्ग दर्शन तथा सहायता प्रदान करते हैं ।

गत दो वर्षों, में इन तीनों जिलों ने जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काफी प्रगति की है । वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इन तीनों जिलों में स्थापित लघु एककों का और कारीगर प्रधान एककों का तथा प्रदान किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में हुई प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

1980-81				1981-82		
	बाड़मेर	जैसलमेर	जोधपुर	बाड़मेर	जैसलमेर	जोधपुर
1. स्थापित एकक						
(क) कारीगर प्रधान	8	उ०न०	19	सू०न०	196	76
(ख) लघु उद्योग	161	उ०न०	127	115	5	170
(ग) योग	169	उ०न०	146	115	201	246
2. प्रदान किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसर (व्यक्तियों की संख्या)	1313	उ०न०	2057	527	552	949

उ०न०—उपलब्ध नहीं ।

सू०न० —सूचित नहीं किया गया ।

दुर्लभ मूर्तियों की चोरी

5072. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में दुर्लभ तथा पुरानी मूर्तियों की चोरी के मामलों का रिकार्ड है;

(ख) चोरी गई मूर्तियों का मूल्य अनुमानतः क्या है तथा चोरी के कितने मामले पकड़े गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इन चोरियों में किसी विशेष विदेशी एजेंसी का हाथ है; और

(घ) मूर्तियों की चोरी रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

(क)से (ख) गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार है। तथापि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केवल केन्द्र संरक्षित स्मारकों और इसके साईट म्यूजिमोंसे पुरा वस्तुओं की चोरी का लेखा-जोखा रखता है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्र संरक्षित स्मारकों और इसके साईट म्यूजियमों से चोरी की गई पुरावस्तुओं में से 5 मूर्तियों को प्राचीन और दुर्लभ माना जा सकता है, जिनकी लागत 1,65,000 रुपये आंकी गई है। पांच दुर्लभ मूर्तियों में से पुलिस ने अब तक दो मूर्तियों का पता लगाया है और बरामद की गईं। इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है कि इन मामलों में किसी विशेष विदेशी अभिकरण का हाथ है। केन्द्र संरक्षित कुछ स्मारकों और इसके साईट म्यूजियमों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, सामान्य निगरानी कर्मचारियों के अतिरिक्त स शस्त्र गार्डों की तैनाती भी की है। निगरानी प्रबन्धों को कड़ा करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है। इस प्रकार की चोरियों, तस्करी आदि को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने पुरावस्तुओं और कलाकृतियों की क्षति और इनका व्यापार करने वाले धोखेबाजों से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो में एक विशेष एकक जिसे सी० आई० यू० (पुरावस्तु एकक) कहा जाता है, की स्थापना की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस इकाई के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखता है और उन वस्तुओं की पहचान करने में, जो पुरावस्तु हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निकासों पर अपने अधिकारी तैनात किए हैं। जिन वस्तुओं पर पुरावस्तु होने का संदेह होता है, उनकी जांच करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निकास स्थलों पर या उनके नजदीक विशेषज्ञ परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं, ताकि केवल गैर-पुरावस्तुएं ही बाहर जा सकें। वर्ष 1977 में, भारत ने अवध आयात, निर्यात और सांस्कृतिक सम्पत्ति के स्थानान्तरण को निषेध और रोकने पर यूनेस्को सम्मेलन का समर्थन किया है। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि ठेका देने वाली पार्टी को चुराई गई सांस्कृतिक सम्पत्ति का अपने क्षेत्र में अवैध आयात को रोके और इनका पता लगाये और इस प्रकार की चुराई गई सम्पत्ति को सम्बन्धित देशों को वापिस करने के लिए कदम उठाये। परन्तु इस परम्परा के तहत कान्ट्रेक्ट करने वाली पार्टियों के अधिकार हस्ताक्षर करने के बाद से होंगे न कि पहले से।

औद्योगिक उत्पादन के लिये आवश्यक आदानों की कमी

5073. श्री बी० बी० देसाई
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक आदानों की उपलब्धता में सुधार के बावजूद कोयले और बिजली जैसे अति आवश्यक आदानों की कमी को उत्तर क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह निष्कर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मंडलों द्वारा किये गये जुलाई, सितम्बर, 1982 की तिमाही के सर्वेक्षण पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सर्वेक्षण की अन्य मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने सर्वेक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है तथा विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) दक्षिण में औद्योगिक उत्पादन इससे कहां तक प्रभावित हुआ है; और

(ङ) इस समय नवीनतम स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा जुलाई-सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में कोयले, भट्टी के तेल, डीजल तेल, मिट्टी के तेल, सीमेन्ट तथा बिजली की कमी के संबंध में किये गए एक सर्वेक्षण की सूचना सरकार की जानकारी में आई है। सर्वेक्षण में उत्तरी क्षेत्र के खाद्य उत्पाद, रबर उत्पाद, वनस्पति, सैरेमिक, रसायन तथा इंजीनियरी के ग्रुपों में आने वाले वर्गीकृत एककों की सीमित संख्या शामिल है। इससे पता चला है कि कोयले, भट्टी के तेल और डीजल तेल की समग्रतः उपलब्धता में सुधार हुआ है किन्तु आवश्यकता और पूर्ति के बीच अन्तर होने के कारण सर्वेक्षण में शामिल औद्योगिक एककों का उत्पादन भट्टी के तेल, डीजल-तेल की उपलब्धता में अन्तराल के कारण विभिन्न रूप से प्रभावित हुआ है।

आवश्यक निविष्टियों की कमी सहित विभिन्न कारकों से औद्योगिक उत्पादन पर देश भर में प्रभाव पड़ता है। उद्योग मंत्रालय औद्योगिक निविष्टियों की उपलब्धता को मॉनीटर करता है और उत्पादन में आने वाली रुकावटों के बारे में तुरन्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग/अभिकरण के साथ विचार विमर्श करता है। कोयला, पैट्रोलियम तथा विद्युत विभाग ने औद्योगिक निविष्टियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। कोयले के उत्पादन को बढ़ाया गया है। किन्तु, कोयले क्षेत्र का समग्र कार्यनिष्पादन पूर्णतया विद्युत की समसामयिक उपलब्धता तथा खानों से सीधे होने वाले कोयले के प्रेषण पर निर्भर करता है। इसके अलावा, हाल ही के वर्षों में विद्युत जनित्रण को निरन्तर बढ़ाए जाने के बावजूद भी, आवश्यकता और पूर्ति के बीच अंतर को दूर करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि बिजली की मांग भी निरंतर ही बढ़ती रही है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982-83 के पहले आठ महीनों में औद्योगिक उत्पादन 4.0 प्रतिशत बढ़ गया है।

सांप्रदायिक संगठनों पर पाबंदी

5074. श्री बी० बी० वेसाई
श्री राम स्वरूप राम
श्री मोहम्मद असरार अहमद } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिये विभिन्न सांप्रदायिक संगठनों पर पाबंदी के लिये केन्द्र से आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सभी सांप्रदायिक संगठनों पर पाबंदी लगाने के लिये गंभीर रूप से विचार कर रही है;

(ग) क्या इस विषय पर प्रस्तावित विधान के लिये सभी धार्मिक संगठनों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार सांप्रदायिक संगठनों पर पाबंदी लगाने के लिये एक विधान लाने हेतु संभवतः कितना समय लेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कुछ सुझाव दिए गए हैं।

(ख) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

समुद्र आयोग

5075. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र अनुसंधान और प्रबन्ध के लिये योजनायें बनाने और उन्हें लागू करने के लिए समुद्र आयोग नाम का एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अलावा विभाग का विचार अनुसंधान कार्य करने, सर्वेक्षण जहाज चलाने, नाड्यूल का दोहन करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने और प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु समुद्री वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मंत्रालय किन अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) महासागर विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसमें महासागर विकास के सभी पहलू सम्मिलित होंगे।

उत्पादकता और जनदिवसों की हानि का रिकार्ड

5076. **श्री जगन्नाथ पाटिल**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादकता वर्ष में किया गया उत्पादकता और जनदिवसों की हानि का रिकार्ड क्या है;

(ख) इस वर्ष की तुलना में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थिति कैसी रही; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और श्रम मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार संबंधित जानकारी नीचे सारणी में दी गई है :—

कैलेंडर वर्ष	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार 1970=100)	मानव दिनों की हानि (दस लाख में)
1979	149.5	43.85
1980	150.6	21.93
1981	164.6	36.58 (अनन्तिम)
1982	*171.7 (अनन्तिम)	*43.58 (अनन्तिम)

*(ये आंकड़े महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण हुई मानव दिनों की हानि को पूरी तौर पर प्रतिबिम्बित नहीं करते।)

(ग) यद्यपि वर्ष, 1982 में अर्थव्यवस्था के संचलन में कठिनाइयां आयी थीं फिर भी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वृद्धि दर कुल मिलाकर संतोषजनक रही है, फिर भी मानव दिनों की हानि में बृद्धि होने से सरकार चिन्तित है तथा काम बन्दी रोकने तथा मानव दिनों की हानि को कम करने के लिए सभी आवश्यक अभ्युपाय किये जा रहे हैं।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

5077. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिये गये;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में अपनी नीति की पुनरीक्षा की है तथा यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकतर पिछड़े क्षेत्रों को इन प्रोत्साहनों का बहुत कम लाभ मिला है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की सुविधाओं पर कितना व्यय किया गया तथा घोषित किये गये पिछड़े जिलों में से कितनों को सुविधायें दी गई; और

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार ने उड़ीसा को कोई विशेष प्राथमिकता दी है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी प्रोत्साहन देती है जसे कि केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, करों में छूट, लघु उद्योगों को किराया खरीद आधार पर मशीनें दिलाना, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता और कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।

(ख) तथा (ग) नवम्बर, 1978 में योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था जिसने "औद्योगिक छितराव" विषय पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए पहले से उपलब्ध सुविधाओं की भी संवीक्षा की। रिपोर्ट पर विचार किए जाने की प्रक्रिया अब पूरी होने को है।

(घ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (आज की तारीख तक) में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को क्रमश: 30.55 करोड़ रुपये, 20.00 करोड़ रुपये और 30.00 करोड़ रुपये राशि की प्रति-पूर्ति की गई है।

योजना आयोग ने 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया है जो रियायती वित्त प्राप्त करने के पात्र होंगे। इन 246 जिलों में से 101 जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्रता प्रदान की गई है। इन जिलों की सूची की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सभी रियायतें उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को सुलभ हैं।

उड़ीसा में खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों का विकास

5078. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत व्यक्त किया है कि उड़ीसा राज्य में यायावर और अर्द्ध-यायावर समुदायों के विकास के लिये विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार को पता है कि क्योंकि यायावर और अर्द्ध-यायावर समुदायों के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है अत: उनका किसी भी गांव में स्थायी आवास नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन समुदायों के विकास के लिये कार्यान्वियन की जाने वाली योजना को सौ प्रतिशत आर्थिक सहायता देना सुविधाजनक आवश्यक होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों के विकास की स्कीमें बनाने का काम राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा रहा है। तथापि, भारत सरकार इस बारे में सचेत है कि इन समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने अपेक्षित हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों में से खानाबदोश तथा अर्द्ध खानाबदोश समुदायों के वास्ते कार्यक्रमों तथा परिव्ययों को (राज्य की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं में) उन मानदण्डों में से एक मानदण्ड के रूप में शामिल किया गया है जिनके आधार पर उड़ीसा राज्य समेत सभी राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। सहायता के पैटर्न तथा आर्थिक सहायता के स्तरों को राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, परन्तु भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

एक हजार की जनसंख्या के पीछे पुलिस कर्मियों और अपराधों की संख्या

5080. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास बंगलौर और कानपुर में प्रति एक हजार की जन-संख्या के पीछे कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं; और

(ख) उक्त नगरों में प्रति एक हजार की जनसंख्या के पीछे औसतन कितने अपराध होते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रति एक हजार जन-संख्या के पीछे पुलिस कर्मचारियों और प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे अपराध की संख्या के बारे में ऐसी अद्यतन सामग्री रखी जाती है। फिर भी राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर 1979 में कुछ शहरों में प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे पुलिस कर्मचारियों की संख्या और प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे अपराध संख्या के संबंध में सामग्री विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे पुलिस कर्मचारियों और प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे अपराध की संख्या का विवरण

क्रम सं०	शहर का नाम	प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे पुलिस कर्मचारियों की संख्या	प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे औसत अपराध संख्या
1.	दिल्ली	4.3	7.9
2.	बम्बई	2.7	4.5
3.	कलकत्ता	6.1	3.9
4.	मद्रास	2.0	5.2
5.	बंगलौर	3.7	11.3
6.	कानपुर	4.9	7.3

डीजल-कारों का निर्माण

5081. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान सवारी-कार निर्माताओं को वर्तमान कारों की बजाय डीजल कारों का निर्माण शुरू कर देने के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सवारी-कारों को डीजल की बनाने से इसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सभी विद्यमान कार निर्माताओं को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर पैन्ट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

(ग) तथा (घ) डीजल से चलने वाली गाड़ी की पूंजी लागत पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी से सामान्यतः अधिक है। डीजल से चलने वाली अम्बेसेडर माडल की गाड़ी का शोरुम से निकलते समय का मूल्य पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी से लगभग 25,000 रु० अधिक है। अन्य निर्माता अभी डीजल गाड़ियों को बाजार में नहीं लाये हैं।

मारुति कार की बिक्री हेतु डीलरशिप

5082. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड ने मारुति कारों की बिक्री हेतु डीलरशिप आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र आमतंत्रित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ग) मारुति पेसेंजर कारों की बिक्री हेतु डीलरशिप देने के लिए क्या सिद्धांत अपनाने का विचार है ; और

(घ) मारुति कारों की बिक्री हेतु डीलरों को कब तक नियुक्त किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) 495 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) कम्पनी की वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी योग्यता के आधार पर डीलरों की नियुक्ति की जायेगी। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए और उनके पास ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार तीन चरणों में देश के अलग-अलग 51 केन्द्रों में डीलरों की नियुक्ति करने का है। पहले चरणों में लगभग 16 केन्द्र आयेंगे जहां अगले कुछ महीनों में डीलर नियुक्त किए जायेंगे ज्यों ही उत्पादन बढ़ेगा और आवश्यकता होगी, अन्य सभी केन्द्रों के लिए भी डीलरों की नियुक्ति की जायेगी।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु अमरीकी प्रतिनिधि मंडल की भारत की यात्रा

5083. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य, कृषि, मानसून और भौतिक विज्ञान के अनुसंधान हेतु हाल में एक अमरीकी प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के नेता और सदस्यों के नाम क्या थे;

(ग) उन्होंने भारतीय प्रतिपक्ष के साथ किन क्षेत्रों के बारे में बात चीत की तथा इस बात-चीत में क्या निर्णय लिये गये ; और

(घ) यात्रा पर आए प्रतिनिधि मंडल ने क्या सहायता देने का आश्वासन दिया है तथा आगे और अनुसंधान के लिए उन्होंने किन-किन क्षेत्रों को चुना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे :—

1. प्रोफेसर डी० एलन ब्रोमले-नेता
2. डा० नारमन ई० बोरलाग
3. डा० राबर्ट एच० बरिस
4. डा० हेनरी इहरेन्रीख
5. डा० रिचर्ड एम० क्राउज
6. डा० राबर्ट एम० व्हाइट

(ग) और (घ) चर्चा के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित परियोजनाएं 4 सामान्य क्षेत्रों में अभिनिर्धारित की गई हैं :—

(क) स्वास्थ्य

(1) कुष्ठरोग और यक्ष्मा जैसी छूत की बीमारियों के रोग निदान और निवारण पर लागू होने वाले प्रतिरक्षा विज्ञान में नई उन्नतियां।

(2) मोतियाबिंद पर बल देते हुए अन्धता पर नियंत्रण।

(3) उर्वरता नियमन और अनुवरता पर लागू होने वाली प्रतिरक्षा विज्ञान की नवीन उन्नतियां।

(ख) कृषि और जैव भार उत्पादन

(1) जीवमण्डल में नाइट्रोजन उपयोगिता का निम्नलिखित के द्वारा सुधार।

(क) नाइट्रोजन के जीवविज्ञानिक यौगिकीकरण में सुधार; और

(ख) नाइट्रोजनी उर्वरकों की जीव विज्ञानिक उपयोगिता में सुधार।

(ग) मानसून

(1) अल्पकालीन मानसून पूर्वानुमान, और

(2) दीर्घकालीन मानसून परिवर्तनशीलता।

(घ) सामग्री विज्ञान

(1) विकेन्द्रीकृत विद्युत शक्ति स्त्रोत

ये प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं और अगली चर्चाएं संस्थानों के अभिनिर्धारण और सहयोग की क्रियाविधि के लिए होंगी। सहयोग दो बराबर के भागीदारों की भावना के अनुसार होगा और यह परिकल्पना की जाती है कि अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त उपकरणों, सुविज्ञान और आंकड़ा आधार की उपलब्धता से ही प्रभावी रूप से आगे बढ़े जा सकेगा।

घड़ी उद्योग

5084. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन ने घड़ियों से संबंधित एक सौ उद्योगों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन एक सौ उद्योगों के नाम तथा पते क्या हैं और उद्योग-वार इनमें कुल पूंजी-निवेश सहित प्रत्येक उद्योग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि केवल 75 घड़ी उद्योगों ने 1980 में कार्य प्रारम्भ किया था और यदि हां, तो शेष 25 उद्योगों में कार्य प्रारम्भ न किए जा सकने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली के कार्यालय ने यांत्रिक कलाई घड़ियों का निर्माण करने के लिए अब तक 99 लघु एककों के उत्पादन कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) इन 99 एककों से संबंधित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-6251/83]

(ग) दिसम्बर, 1980 तक विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने यांत्रिक कलाई घड़ियों का निर्माण करने के लिए 88 लघु एककों को स्वीकृति दी है तथा इनमें से 44 एककों में उत्पादन शुरू हो गया था। सामान्यतः उत्पादन शुरू होने में लगभग दो वर्ष का समय लग जाता है।

लघु उद्योगों के लिये मदों का आरक्षण

5085. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी मदों का आरक्षित किया गया है;

(ख) क्या दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के बाद लघु उद्योगों के लिये और अधिक मदें आरक्षित करने अथवा कुछ मदों में परिवर्तन करने के बारे में विभिन्न एसोसिएशनों और व्यक्तियों ने सुझाव भेजे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकसित किये जाने के लिये आरक्षित वस्तुओं की संख्या इस समय 837 है। वस्तुओं के नाम 26 अप्रैल, 1978, 12 मई, 1980, 19 फरवरी, 1981, 3 अगस्त, 1981, 23 दिसम्बर, 1981, 14 अक्तूबर, 1982 और 19 अक्तूबर, 1982 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) की अधिसूचनाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही वस्तुओं को विनिर्माण के लिए आरक्षित करने और आरक्षित वस्तुओं की विद्यमान नामों में परिवर्तन करने के लिये एसोसिएशनों और विभिन्न एककों की ओर से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की गहराई से जांच की जाती है। प्रत्येक मामले में सरकार उसके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय करती है।

आन्ध्र प्रदेश में सबसे बड़ी घमन भट्टी

5086. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 दिसम्बर, 1982 के "नेशनल हैराल्ड" में "लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस टु बी इनस्टाल्ड इन ए० पी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हो जायेगी और उसके लिये कौन सा स्थल चुना गया है, घमनभट्टी की उत्पादन क्षमता क्या होगी और इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; व्यय को कैसे पूरा किया जायेगा, इसमें सोवियत संघ का हिस्सा क्या होगा तथा वह किस रूप में दिया जायेगा ; और

(ग) भट्टी की स्थापना करते समय उठाये जाने वाले सुरक्षात्मक कदमों का ब्यौरा क्या हैं जिससे दूसरे उन इस्पात संयंत्रों के समान ही इसकी भी दुर्गति न हो जो भारी हानि उठा रही है अथवा बन्द कर दिये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में 3200-3200 घनमीटर क्षमता की दो घमन भट्टियां स्थापित की जानी हैं। पहली घमन भट्टी 30 सितम्बर, 1985 को और दूसरी घमन भट्टी 31 मई 1987 को चालू किए जाने का कार्यक्रम है। प्रत्येक भट्टी की तप्त धातु की वार्षिक उत्पादन क्षमता 17 लाख टन होगी।

सोवियत रूस पहली घमन भट्टी क लिये उपस्करों की सप्लाई कर रहा है और दूसरी घमन भट्टी के लिये उपस्करों की सप्लाई के आर्डर रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दे दिये गये हैं। इन भट्टियों की अनुमानित लागत 384.44 करोड़ रुपये है। सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों, रूपांकन पर्यवेक्षण तथा सेवाओं पर आने वाली लागत इस परियोजना

के लिये सोवियत रूस द्वारा दिये गये 390 मिलियन रूबल के ऋण से दी जायेगी, जबकि स्थानीय लागत तथा देशीय उपकरणों पर आने वाली लागत भारत सरकार द्वारा दी जायेगी।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि अन्य इस्पात कारखाने या तो घाटे में चल रहे हैं अथवा बन्द होने वाले हैं अथवा घमन भट्टी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है घमन भट्टी का कार्य विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है और उन कारणों में मुख्य कारण हैं : रूपांकन प्राचल, आयोजित रख-रखाव, आदानसामग्री की क्वालिटी और परिचालन की कुशलता। विशाखापत्तन इस्पात कारखाने की भट्टियों के परिचालन को बेहतर बनाने की दृष्टि से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

1982-83 के दौरान टेलीविजन सेटों का निर्माण

5088. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में विभिन्न टेलीविजन निर्माताओं ने कितने टेलीविजन सेटों (रंगीन और ब्लैक एण्ड व्हाइट दनों प्रकार के) का निर्माण किया ;

(ख) क्या कुछ टेलीविजन निर्माताओं ने टेलीविजन सेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपने मौजूदा एककों का विस्तार करने हेतु अनुमति देने के लिये इलेक्ट्रानिक विभाग को आवेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उन टेलीविजन निर्माताओं के क्या नाम हैं; और

(घ) उन्हें अनुमती कब तक दी जायेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न किस्मों की कारों का निर्माण

5089. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी किस्मों और डिजाइनों की कारों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक विभिन्न डिजाइनों की कितनी कारें बनाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उनमें से कुछ कारों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है; और

(घ) उन कारों की लागत कितनी है जिनके लिए बुकिंग शुरू की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में इस समय हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित अम्बेसेडर मार्क-4, प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रीमियर पद्मिनी और सनराइज आटो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर जो एक पंजीकृत एकक है, द्वारा निर्मित डाल्फिन कारों का उत्पादन किया जाता है।

(ख) 1983-84 में यात्री कारों का कुल अनुमानित उत्पादन लगभग 50,000 नग होने की सम्भावना है। देश में बनाई जा रही वर्तमान माडल की कारों के अलावा, मारुति उद्योग लिमिटेड का 1983-84 के वित्तीय वर्ष में उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) मारुति लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली कारों के लिए बुकिंग अप्रैल, 1983 में शुरू होने की आशा है। अन्य कारों के संबंध में डीलरों द्वारा इच्छुक ग्राहकों से बुकिंग की जाती है।

(घ) देश में इस समय बनाई जा रही कारों का कारखाने से निकलते समय की वर्तमान मूल्य दिल्ली में निम्नलिखित है :—

अम्बेसेडर (पेट्रोल)	74,429 रुपये
प्रीमियर (साधारण)	74,146 रुपये
डाल्फिन	85,000 रुपये (लगभग)

औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन

5090. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सरकार की सहायता करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगों में और अधिक धन निवेश करने का भी सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस पर औद्योगि क्षेत्र की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जैसा कि प्रश्न में निर्देश किया गया है ऐसा कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया किन्तु सरकार औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में उत्सुक है। इस दृष्टि से सरकार निर्यात के लिए उत्पादन की गति को बढ़ाने और उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। उपर्युक्त अभ्युपायों से औद्योगिक क्षेत्रों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना कटौती

5091. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना की लागत में लगभग 16 प्रतिशत की कटौती करके इसे तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये की लागत का कर दिया जाएगा; और

(क) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। केन्द्र और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 14,350.70 करोड़ रु० पर 1982-83 की योजना से 26% अधिक है। केन्द्र और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएं कुल मिलाकर 25,495.32 करोड़ रु० पर वर्ष 1982-83 के अनुवर्ती आंकड़ों से 21.5% अधिक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईंधन की कम खपत वाली कारों, स्कूटरों और मोटर-साइकलों का उत्पादन

5092. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ईंधन की कम खपत वाली छोटी कारों और स्कूटरों/मोटर-साइकलों के निर्माण को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को पुर्जों और फालतू पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने सहित क्या प्रोत्साहन दिये गए हैं; और

(ग) ऐसे लोकप्रिय वाहनों के निर्माण के लिए अब तक दिए गए लाइसेंसों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उससे कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है तथा प्रत्येक मद के लिए कितनी अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जी, हां।

(ख) स्वीकृत किए गए चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए सीमा शुल्क की रियायती दरों को सरकार ने 1000 सी० सी० इंजन क्षमता तक की कारों के निर्माण और दुपहियों के लिए भी लागू कर दिया है। परन्तु शर्त यह है कि इनके द्वारा ईंधन क्षमता के लिए निर्दिष्ट किए गए कतिपय मानदंडों को पूरा किया जायेगा। उत्पादन शुल्क की विभेदक दरें भी लागू की गई हैं।

(ग) यात्री कारों और इसके व्युत्पादों के निर्माण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 1,40,000 नग की है। कम्पनी द्वारा 1983 के अन्त तक उत्पादन शुरू करने की आशा है। दुपहियों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता और 1982 में उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	अधिष्ठापित क्षमता	1982 में उत्पादन
दुपहिए स्कूटर	6,20,000	3,00,000	2.49 लाख लगभग
मोटर साइकिलें	1,20,000	1,02,000	1.30 लाख लगभग
मोपेड	4,82,000	1,44,000	2.14 लाख लगभग

इसके अलावा लगभग 20 लाख नग प्रतिवर्ष की क्षमता से दुपहियों के निर्माण के लिए नये आशय-पत्र और पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

नई नीति के अधीन रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण

5093. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में (चालू सत्र के दौरान) घोषित नई नीति के अधीन रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के किन्हीं आवेदन पत्रों की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए कुल कितनी उत्पादन क्षमता के लाइसेंस जारी करने का विचार है ?

इलैक्ट्रॉनिक विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दो।

(घ) सरकार ने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

राजस्थान में तांबा, सीसा और जस्ता खनिजों का पता लगाया जाना

5094. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने राजस्थान के विभिन्न स्थानों में तांबा, सीसा और जस्ता खनिजों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खनिजों की आर्थिक क्षमता की जांच कर ली गई है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण की खोजों के फलस्वरूप राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 102.89 मिलियन टन तांबे और 269.81 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) झुंझुनू, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में तांबा, सीसा व जस्ता निक्षेपों के व्यापक गवेषण की 7 योजनाओं पर काम हो रहा है तथा झुंझुनू और उदयपुर जिलों के लिए अन्य 4 योजनाएं बनाई जा रही हैं। –

विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी डालकर न्यायालयों में पेश किया जाना

5095. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत विचाराधीन कैदियों को प्रतिदिन हथकड़ी डालकर न्यायालयों में पेश किया जाता है; और

(ख) सरकार इस बात को ध्यान में रख कर कि अधिकांश मामलों में विचाराधीन कैदी निर्दोष पाये जाते हैं और न्यायालयों द्वारा उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाता है, हथकड़ी डालने की निर्दयतापूर्ण परम्परा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) चूंकि पुलिस और जेल दोनों राज्य के विषय हैं, अत: राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से उच्चतम न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन की आशा की जाती है जो कि भारत सरकार द्वारा उनके ध्यान में लाये गये थे। भारत सरकार ने अलग से राज्य सरकारों को बार-बार लिखा है कि हथकड़ी का प्रयोग केवल उन हालातों को छोड़कर जहां हिंसा, भाग निकलने अथवा बचाव का युक्तिसंगत डर हो, नहीं करना चाहिए। विशिष्ट मामलों में जहां इन निर्देशों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों के ध्यान में भी लाया जाता है।

कोटा में भारी पानी संयंत्र के लिए वित्तीय प्रावधान

5096. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कोटा में भारी पानी संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ख) इसकी मूल प्राक्कलित लागत और पुनरीक्षित लागत कितनी है और संयंत्र में कब से कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) चालू वर्ष में कोटा में भारी पानी संयंत्र के खर्च के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिक तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारी पानी संयंत्र कोटा की स्थापित क्षमता 100 टन प्रतिवर्ष है। यद्यपि इंजीनियरिंग संबंधी आरम्भिक ब्यौरों के आधार पर आरम्भिक अनुमानित लागत सन् 1970 में 1948 लाख रुपए रखी गई थी तथापि, सन् 1972 में परियोजना की संस्वीकृत लागत 3579.00 लाख रुपए थी। इस लागत को आखिरी बार सन् 1980 में संशोधित करके 6371.00 लाख रुपए कर दिया गया। आशा है कि यह संयंत्र सन् 1983 के मध्य तक चालू कर दिया जाएगा। वर्ष 1982-83 के बजट में संयंत्र के लिए 575.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई० एस० आर० ओ०) के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के दुरुपयोग की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

5097. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई० एस० आर० ओ०) के पांच कर्मचारियों द्वारा 30000/ रुपये के छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसे कई मामलों का पता लगा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अहमदाबाद में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के चार कर्मचारियों द्वारा 14,400/- रुपये की राशि के छुट्टी यात्रा रियायत के तथाकथित झूठे दावों के बारे में जांच की है। इन सभी मामलों को अहमदाबाद में फौजदारी अदालत में दर्ज करा दिया गया है।

(ख) इनके अलावा, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावों के तथाकथित चार मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। एक अन्य मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है।

सीमेंट की सप्लाई और मांग के बीच अन्तर

5098 **डा० ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला, बिजली और परिवहन जैसी अवस्थापन सुविधाओं में सुधार किया गया है और सप्लाई और माँग के बीच में अन्तर को कम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ और क्या यह उत्पादन योजना में निर्धारित लक्ष्यों में अनुरूप है; और

(ग) आम जनता के उपयोग में आने वाली इस अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) यद्यपि कोय और परिवहन जैसी अवस्थापनापरक सुविधाओं में सुधार हुआ है तथापि बिजली की कमी अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। तिस पर भी सीमेंट के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना हो जाने के कारण सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति के बीच का अन्तर फिर भी बना हुआ है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह अंतर कम हो जाने की सम्भावना है।

(ख) छठी योजना के पहले तीन वर्षों में हुआ सीमेंट उत्पादन और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर निर्धारित उत्पादन लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

1980-81	185.6 लाख मी० टन
1981-82	210.6 लाख मी० टन
1982-83	230.0 लाख मी० टन (अनुमानित)

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य 345 लाख मी० टन रखा गया है।

(ग) विद्यमान क्षमताओं का अधिक उपयोग करके और अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना करके देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है।

विदेशी धन के आगमन के लिए कानून में संशोधन

5099. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विदेशी धन-आगमन पर कठोर नियन्त्रण के लिए वर्तमान कानून में संशोधन का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है।

कनॉट प्लेस में डकैती

5100. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्ट्रोंग आफ ब्रेक-इन्स ऐट सी० बी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में दुकानों का शटर खोलकर अपराधी कितनी धनराशि और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं ले गए; और

(ग) अपराधियो का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कनाट प्लेस में चार दुकानों से 18,806.65 रुपए की नकद धनराशि गुम हुई बताई गई है ।

(ग) अपराध दल और केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा घटना के स्थानों का निरीक्षण किया गया है । कुत्तों के दस्ते को भी बुलाया गया था । बदमाशों और ज्ञात सेंधमारों से मामलों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पूछताछ की जा रही है ।

बोकारो और भावनाथपुर के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

5101. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो और भावनाथपुर के विस्थापित पात्र व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो अभी तक उनकी उपेक्षा किये जाने के लिये उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त छोटा नागपुर और संथाल परगना में कितने आदिवासियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर नियुक्त किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) और (ख) जी, हां । सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक विस्तापित परिवार के शारीरिक दृष्टि से सक्षम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है बशर्ते कि रिक्ति उपलब्ध हो और वह व्यक्ति उस पद के उपयुक्त हो । बोकारो में 11,946 विस्थापित परिवारों में से मार्च, 1983 के मध्य तक 13,723 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है । भवनाथपुर की चूना-पत्थर की खानों में 660 विस्थापित परिवारों के 451 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ।

(ग) किसी क्षेत्र विशेष के कर्मचारियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में खनिज पदार्थ

5102. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन क्या है;

(ख) छोटा नागपुर क्षेत्र के इन खनिज पदार्थों से सरकार को कुल कितनी वार्षिक आय होती है तथा उस क्षेत्र के विकास के लिए उसको कितने प्रतिशत भाग आवंटित किया जाता है; और

(ग) वर्ष 1977 से 1982 तक, वर्ष-वार रायल्टी के रूप में छोटा नागपुर के सम्बन्धित संगठनों की कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना में 1982 वर्ष के दौरान पाए गए खनिजों की वार्षिक मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :—

खनिज का नाम	मात्रा (टनों में)	मूल्य ('000 रुपयों में)
छोटा नागपुर क्षेत्र		
(कुल मूल्य)		702,195
एसबेस्टस	1,349	1,012
बैराइटस	291	58
बौक्साइट	568,903	16,801
क्रोनाइट	594	149
तांबा अयस्क	1,349,195	234,565
डोलोमाइट	177,446	8,703
फायरक्ले	199,462	5,054
स्वर्ण	121 कि० ग्रा०	18,689
ग्रेफाइट अयस्क	21,581	2,112
लौह अयस्क	7,227	293,618
काओलिन	38,691	7,049
काइनाइट	19,020	10,009
लाइमस्टोन	1,300	58,613
मैगजीन अयस्क	3,528	202
माइका (क्रूड)	4,138	15,237
माइका (वेस्ट तथा स्क्रैप)	1,589	उपलब्ध नहीं
ओकर	577	14
बालू अन्य	70,131	281
चांदी	12,948 कि० ग्रा०	28,894
स्टेटाइट	2,958	85
संथाल परगना क्षेत्र		
(कुल मूल्य)		2,874
फायरक्ले	14,855	358
कायोलिन	10,054	1,648
सिलिका बालू	21,229	863

(ख) और (ग) खनिजों पर रायल्टी और उपकर दोनों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के सामान्य राजकोष में जाता है। बिहार सरकार के अनुसार राज्य की वार्षिक आदिवासी उपयोजना में इन क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए पर्याप्त आवंटन रखा जाता है। उक्त आवंटन राज्य सरकार को मात्र खनिजों से प्राप्त आय से ही सम्बन्धित नहीं होता है। राज्य सरकार को खनिजों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राजनीतिक संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने के लिये अनुमति मांगना

5103. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राजनीतिक दलों के विभिन्न विंगों ने विदेशों से धन प्राप्त करने की अनुमति सरकार से मांगी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को विदेशों से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार ने विदेशों से धन लाने के लिये किन-किन संगठनों को अनुमति दी थी; और

(घ) इन संगठनों को अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विदेशी अंशदान (विन्यिम) अधिनियम, 1976 की धारा 4(1) के अधीन राजनीतिक दलों पर किसी प्रकार का विदेशी अंशदान स्वीकार करने की रोक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन आने वाले तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमत संगठनों के नाम विवरण में दिये गए हैं और उनमें से प्रत्येक के सामने उस अभिप्राय का भी उल्लेख किया गया है, जिसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गई थी।

विवरण

विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 5(1) के अधीन आने वाले तथा विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमत संगठनों के नाम तथा वह प्रयोजन, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी।

1980

क्र० सं०	संगठन का नाम	प्रयोजन
1	2	3
1.	समाजवादी महिला सभा बम्बई	थाना जिले के मसवन क्षेत्र के आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए।
2.	जमात-ए-इस्लामी हिन्द दिल्ली	(1) "इस्लाम ऐट ए ग्लान्स" फोल्डर का मुफ्त वितरण के लिए प्रकाशन तथा अंग्रेजी से हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए (2) गरीब तथा जरूरतमन्द लोगों के लाभ के लोकोपकारी कार्य-कलापों के लिए।

(जारी···)

1	2	3
3.	फेन्ट्स आफ पोरल रिआमामेन्ट (इण्डिया)	"ए डायलांग आन डेवलेपमेंट" सम्मेलन के दौरान दान तथा शिक्षा के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर प्राप्त अंशदान
4.	इन्टैक पश्चिम बंगाल शाखा	बंगाल के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए।
		1981
5.	जमात-ए-इस्लामी हिन्द दिल्ली	(1) प्रश्न वितरण के लिए होली कुरान के उर्दू अनुवाद के लिए।
		(2) बिहार शरीफ, बिहार के दंगा पीड़ितों की सहायता कार्य के लिए।
6.	समाजवादी महिला सभा, बम्बई	थाना जिले के मसवन क्षेत्र के आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए।
7.	इन्टैक, नई दिल्ली	(1) रोजगार कार्यक्रमों से सम्बन्धित परियोजना के लिए।
		(2) ट्रेड यूनियनों के लिए शैक्षिक किटें तैयार करने तथा उनकी सप्लाई के लिये।
		1982
8.	राष्ट्रीय सेवा दल, बम्बई	इंटरनेशनल फाल्कन मूवमेंट/सोशियलिस्ट एड्यूकेशनल इन्टरनेशनल के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए।
9.	हिन्द मजदूर सभा, बम्बई	(1) ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक कार्यशाला का गठन।
		(2) स्थाई ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण के लिए छः वर्षीय ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण योजना-व-शैक्षिक किट।
10.	इन्टैक-केंद्रीय महिला कार्यकर्ता समिति, बम्बई	(1) अध्ययन रिपोर्ट "सिचुएशन आफ नर्सिग परसनल इन इंडिया" के निष्कर्षों नर्सिग व्यवसाय वालों में प्रचार करने के लिए क्षेत्रीय गोष्ठियां।
		(2) गुजरात में युवतियों के लिए गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण और महिला कृषि श्रमिकों के पुनर्वास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए।

(जारी···)

1	2	3
11.	इन्टैक, नई दिल्ली	(1) स्वसंगठन के माध्यम से ग्रामीण गरीब व्यक्तियों के उन्नयन संबंधी इसकी परियोजना के लिए। (2) अम्बेडकर इनिटट्यूर फार लेबर स्टैडीज, बम्बई के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए।
12.	इन्टैक-अम्बेडकर इंस्टीट्यूट फार लेबर स्टडीज, बम्बई	संस्था की अध्ययन परियोजनाओं के लिए।
13.	समाजवादी महिला सभा बम्बई	मसवन तथा कृषि में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए।
14.	इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लेबर	श्रमिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए।
15.	फैन्ट्स आफ रिआर्मामेंट (इंडिया)	भारत में शिक्षा की प्रगति के लिए।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद

5104. **श्री राम अवध** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये कोई ऐसी योजना तैयार की है जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों को सरकारी खरीद के मामले में प्राथमिकता मिल सके ताकि उन उत्पादों के लिये विपणन सुविधा उपलब्ध हो सके तथा उन एककों का विकास सुनिश्चित हो सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना कब तक बनायी जायेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में लघु क्षेत्र से पूर्णतः खरीदी जाने वाली अथवा उनसे आंशिक रूप से खरीदी जाने वाली आरक्षित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर निजी क्षेत्र के बड़े एककों के न्यूनतम दर के स्वीकार्य प्रस्तावों की तुलना में लघु उद्योगो के प्रस्तावों पर 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान देने सम्बन्धी एक नीति अपनायी जाती है। मूल्य अधिमान स्वतः नहीं दिया जाता है किन्तु इसकी ग्राह्यता एवं मात्रा का निर्णय प्रत्येक मामले के सुझाव गुण के आधार पर लिया जाता है। सरकार ने लघु क्षेत्र से खरीद करने और उन्हें मूल्य अधिमान देने के लिए पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं। जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तब उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित संगठन से इसके बारे में पूछताछ की जाती है।

औद्योगिक विकास दर में कमी

5105. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल फेडरेशन ने औद्योगिक विकास दर में कमी हो जाने के प्रति भारी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान कौन-कौन से उद्योगों के उत्पादन में वास्तविक रूप से कमी आई है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिजली की कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, औद्योगिक सम्बन्ध, पूर्ति और मांग के बीच अल्पकालीन असंतुलनों आदि जैसे कारकों से विभिन्न उद्योगों के भिन्न-भिन्न कार्य निष्पादन के कारण विकास की दर धीमी रही। जिन उद्योगों के उत्पादन में वर्ष 1982-83 के (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान गिरावट आई है, उनमें :—वस्त्र उत्पादन, जूतों पहनने के अन्य परिधानों आदि का बनना, बूतों को छोड़कर चमड़े और फर के उत्पादों आदि का उत्पादन, विद्युत मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण, विद्युत मशीनों के उपकरणों का निर्माण, उपस्करों का संभरण करना, परिवहन उपकरणों का निर्माण और विविध उत्पादनकारी उद्योग आते हैं।

सरकार ने वर्ष 1980 से, औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभ्युपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :—

1. पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वत: विकास की व्यवस्था करना।
2. आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की संभाव्यता वाले उद्योगों से लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना।
3. लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण आदि देकर एककों द्वारा किए गए सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं की स्वीकृति देना।
4. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।
5. "उद्योग रहित जिलों" और अनुसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।
6. प्रवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेश और लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (औद्योगिक विकास विभाग) में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना।
7. औद्योगिक अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से उत्पादन उन्मुख बनाने की दृष्टि से निवेश सम्बन्धी नीतियों की संवीक्षा करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

1983-84 के केन्द्रीय बजट में अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रस्ताव शामिल किए हैं।

इलेक्ट्रानिक पुर्जा विकास निधि की स्थापना

5106. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (ई० एल० सी० आई० एन० ए०) ने नई क्षमता तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रानिक पुर्जा विकास निधि स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने उद्योग के लिए अनेक रिआयतें देने का भी सुझाव है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने इन मुद्दों को नोट कर लिया है ।

के० वी० आई० उपक्षेत्र का विकास

5107. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात की अपेक्षा की गई थी कि योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्त करने की दृष्टि से संगठनात्मक और कार्यान्वयन पद्धति के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता होगी और के० वी० आई० उप क्षेत्र का उर्ध्वाधर और क्षैतिजिक दोनों ओर से विकास और विस्तार करके तथा उसे ब्लाक स्तर पर भारतीय ग्रामीण विकास और "ट्राइसेम" कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और लक्ष्य उपलब्ध किए गए हैं और उत्पादन तथा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी उपक्षेत्र का कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से किया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लगभग 1.3 लाख गांवों में कार्य कर रहे 1000 पंजीकृत संस्थाओं, 30,000 से अधिक सहकारी समितियों और 26 राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से खादी और 25 अनुसूचित ग्रामोद्योग के विकास सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है । राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को सुदृढ़ बनाने और उनके और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बीच प्रभावी सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । गहन ग्रामीण विकास (आई. आर. डी.) और ट्राइसेम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के साथ समुचित सम्बन्ध स्थापित किए गए हैं । आयोग ने गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गहन विकास करने के लिए 200 प्रखंडों (ब्लाकों) का पता लगाया है । इसी प्रकार, आयोग ने ट्राइसेम के अधीन 110 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिवर्ष 14,000 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की स्थापना की है और वर्ष 80-81 तथा 81-82 में अपने निजी कार्यक्रमों के अन्तर्गत 11,317 व्यक्तियों तथा ट्राइसेम के अधीन 24916 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है । बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में 17,144 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए हैं ।

कारीगरों को उचित मजदूरी अर्जित कराने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आयोग ने विभिन्न प्रकार के 53499 चर्खों, 3631 विद्युत घानियों, 2975 आटा चक्कियों, 438 धान कुटाई मशीनों, 61,230 मधुपालन बक्सों, 4075 शहद निकालने वाले यंत्रों, नये नमूने के 3889 कुम्हारी चाकों और 354 शैला कुम्हारी चाकों का उत्पादन का वितरण किया है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में उत्पादन, रोजगार तथा कारीगरों की आय के स्तर निम्न प्रकार रहे :—

वर्ष	उत्पादन (खादी तथा ग्रामोद्योग) (करोड़ रुपयों में)	रोजगार (खादी तथा ग्रामोद्योग) (लाख व्यक्तियों में)	आय (खादी तथा ग्रामोद्योग) (करोड़ रुपयों में)
1980-81	558.09	30.16	153.95
1981 82	665.77	32.42	190.21

राजस्थान में आदिवासियों का विकास

5108. **श्री जय नारायण रौंत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आदिवासियों के विकास के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है और उनके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार आदिवासी इलाकों में सीधे कोई भी विकास योजना नहीं चलाती है। तथापि राज्य की आदिवासी उप योजना मूल रूप से तैयार की जाती है और फिर उस पर राज्य सरकार, योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। राजस्थान के आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के लिए आदिवासियों के विकास के वास्ते निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :—

(1) कृषि तथा संबंध क्षेत्र कार्यक्रम

(2) कुटीर, ग्राम तथा लघु उद्योग

(3) सिचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलपूर्ति तथा शिक्षा आदि जैसी आधारभूत मूल सुविधाओं तथा सामाजिक सेवाओं का विकास

(4) आई० आर० डी०, टी० एस० पी० तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभग्राही योजनाएं

(ख) इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तथापि इनमें से अधिकांश योजनाएं निरन्तर चलने वाली हैं और इसलिए इनके बारे में समय सीमा बताना कठिन है।

औद्योगिक उत्पादन

5109. **श्री अनादि चरण दास :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं;

(ख) यदि हां तो 1980-81 और 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन का क्या निष्पादन रहा;

(ग) 1982-83 में औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(घ) 1983-84 में कितना औद्योगिक उत्पादन होने की संभावना है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किए गए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों (आधार 1970=100) के अनुसार वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अप्रैल से दिसम्बर) में पिछले वर्षों की उसी अवधि की तुलना में विकास की दर निम्नलिखित थी :—

1980-81	4.0 प्रतिशत
1981-82	8.6 प्रतिशत
1982-33 (अप्रैल-दिसम्बर)	3.6 प्रतिशत

(घ) आंकड़े अन्तिम हैं।

"वार्षिक योजना" 1983-84 अभी तैयार की जा रही है और 1983-84 के लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाना है।

इस्पात की विभिन्न किस्मों का उत्पादन

5111. **श्री बृज मोहन माहन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान विभिन्न किस्मों के इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन छठी योजना की अनुमानित मात्रा के अनुकूल है; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन की मात्रा के बीच कितना अन्तर रहा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 1982 के कैलेन्डर वर्ष का कार्बन इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	(हजार टन)
सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	7249
लघु इस्पात कारखाने	1663
कुल :	8912

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई थी कि 1982-83 के वर्ष में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 113.2 लाख टन होगा 1982-83 के वर्ष में देश में इस्पात की उपलब्धि सन्तोषजनक रही है।

(ग) विक्रेय इस्पात की उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

	सेल के कारखाने	टिस्को	लघु इस्पात कारखाने
1980-81			
क्षमता	7200	1500	2480
वास्तविक उत्पादन	4766	1537	1530
क्षमता तथा उत्पादन में अन्तर	(—) 2434	(+) 37	(—) 950
1981-82			
क्षमता	7200	1500	2480
वास्तविक उत्पादन	5651	1606	1643
क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन में अन्तर	(—) 1549	(+) 106	(—) 837

वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक सीमेंट का उत्पादन

5112. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-80, 1981-82 और 1982-83 (फरवरी के अन्त तक) की अवधि के दौरान देश में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा क्या यह उत्पादन छठी योजना के लक्ष्य के अनुकूल है;

(ख) क्या सीमेंट उत्पादन की सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग हो रहा है और यदि नहीं, तो क्षमता का भरपूर उपयोग क्यों नहीं हुआ है; और

(ग) देश में सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पूरा करने के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने संबंधी सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) निम्नलिखित अवधि का सीमेंट का घरेलू उत्पादन निम्न प्रकार था :—

1980-81	185.60 मी. टन
1981-82	210.60 मी. टन
1982-83 (फरवरी, 83 तक)	210.30 मी. टन (अनुमानित)

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 345 मी. टन सीमेंट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) और (ग) प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों, विशेष रूप से बिजली की कटौती के कारण सीमेंट उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग हुआ है । देश में ही सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सम्भव सीमा तक अपेक्षित अवस्थापना संबंधी निविष्टियां उपलब्ध करा कर सीमेंट संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

आदिवासियों का विकास

5113. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी आदिवासियों के उत्थान के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कौन-कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में ये योजनाएं अब तक कार्यान्वित की जा चुकी हैं; और

(घ) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में इस प्रयोजन के लिए उन राज्यों को किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। संपूर्णतया पहाड़ी क्षेत्रों वाले पहाडी राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अनुसूचित क्षेत्रों और खण्डों/तहसीलों के लिए जनजातीय उप योजनाएं बनाई जाती हैं। जहां तक अन्य राज्यों में निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनमें रहने वाली जनजातियों के विकास को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लिया जाता है।

(ख) जनजातीय उप योजना के कार्यक्रम का आकार कृषि, बागबानी, पशु-पालन, वन उद्योग, छोटे और ग्राम उद्योगों की उत्पादकता और विपणन के स्तरों को बढ़ाने के लिए बनी स्कीमों पर बल देता है वृहत् क्षेत्र बहु प्रयोजनीय सहकारी समितियां (लैम्पस) ऋण और विपणन की सुविधाएं देती है अन्य जिस पहलू पर विचार किया जाता है वह है शिल्प-विज्ञान का अंतरण। यहां प्रयत्न यह होगा कि जनजातियों के आर्थिक आधार को समाप्त न किया जाए परन्तु धीरे-धीरे कृषि, बागवानी, पशु-पालन आदि की उन्नत तकनीकों को आरम्भ करने का प्रयत्न किया जाएगा। अपेक्षित सेवाओं के समुच्चय की व्यवस्था करके जनजातियों में झूम खेती करने वाले काशतकारों की पुःनस्थापना में सुधार किया जाएगा। शिक्षा के कार्यक्रमों साथ ही पीने योग्य पानी, शरण और स्वास्थ्य की पर्याप्त देख-भाल तथा पोषाहार के इष्टतम स्तर जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों के लिए जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत किए गए आबंटन निम्नलिखित हैं :—

राज्य	आबंटन 198-82		आबंटन 1982-83	
	राज्य योजना से उपलब्ध	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना से उपलब्ध	विशेष केन्द्रीय सहायता
मणिपुर	1607.63	142.00	1917.19	169 00
त्रिपुरा	1239 44	129.00	1660.77	144.00
हिमाचल प्रदेश	800.00	110.00	1060.55	135.00
सिक्किम	319·92	19·50	381·10	24.70

विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास हेतु धनराशि

5115. **श्री सूरजभान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान, पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों के उत्थान और विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की और इन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और विकास के लिए विशेष घटक योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत, पृथक-पृथक 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में, वर्षवार, इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पिछले तीन वर्षों में पिछड़ा वर्ग सैक्टर में अनुसूचित जातियों के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित और रिलीज की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए स्कीमों का पता लगाने और परिव्ययों की मात्रा निर्धारित करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया गया है। जिन कुछ मंत्रालयों/विभागों ने यह कार्य शुरू किया है वे हैं कृषि और सहकारिता ग्रामीण विकास; शिक्षा, श्रम और पुनर्वास, कपड़ा उद्योग, स्वास्थ्य, बिजली, निर्माण तथा आवास। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और योजना आयोग तथा गृह मंत्रालयों द्वारा मंत्रालयों को यह कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों के लिए विस्तृत विशेष कम्पोनेंट योजनाएं तैयार करें। कुछ मामलों में मंत्रालयों द्वारा राशियों की मात्रा निर्धारित किये जाने में सुधार की गुंजायश है, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फिर से स्कीमों और परिव्ययों पर नजर डालें। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न मंत्रालयों में निर्धारित की गई राशियों के ठीक-ठीक आंकड़े दे पाना संभव नहीं होगा। अनुसूचित जातियों के लिए गृह मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों से परिव्यय राज्यों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता समेत वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वास्ते क्रमश: 136.86 करोड़ रुपए, 152.83 करोड़ रुपए और 168.85 करोड़ रुपए रहा है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
किया गया आवंटन	165.00	2,332.00	3,421 00
जारी की गई राशियां	132.83	2,174.77	2,740.96

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों द्वारा निर्मित सामान के निर्यात हेतु सहायता

5116. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों द्वारा निर्मित सामान (हस्त निर्मित बत्ती, साबुन आदि) के निर्यात हेतु कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की सहायता दी जाती है इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र मुख्य रूप से आन्तरिक बाजार को संभरण करता है, अतएव खादी ग्रामोद्योग आयोग ने निर्यात के लिए कोई स्वतंत्र संस्थापरक अवस्थापना की रचना नहीं की है। यह खादी उत्पादों के निर्यात के लिए एक पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। खादी के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएं जैसे चमड़ा, जूते, चप्पल (फुटवियर), पामीरा, रेशें की वस्तुएं और हाथ से बने कागज आदि का थोड़ा निर्यात होता है। खादी सहित इन सभी वस्तुओं का निर्यात हथकरघा और हस्तशिल्प की निर्यात संवर्द्धन परिषद की सहायता से किया जाता है और निर्यातक सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं पर नकद सहायता प्राप्त करते हैं।

सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

5117. **श्री हीरा लाल आर० परमार**
श्री केशव राव पारधी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में नियत किए गए पदोन्नति जोन में शामिल न किए गए वरिष्ठतम सहायक ने, सूचना और प्रसारण; उद्योग; श्रम और पुनर्वास; कृषि, और उर्वरक और रसायन मंत्रालय में किस तारीख से अनुभाग अधिकारी संवर्ग में, तदर्थ आधार पर अथवा/अन्यथा कार्य करना शुरू किया;

(ख) ऐसे सहायकों की संख्या कितनी है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में दीर्घकालिक/अल्पकालिक रिक्तियों पर दीर्घकालिक/तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इन मंत्रालयों में दीर्घकालिक रिक्तियों को भरती नियमों के अनुसार चयन सूची/सीधी भरती के अनुभाग अधिकारियों अथवा स्थायी पदोन्नति जोन के भीतर के सहायकों द्वारा भरने हेतु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड तक विकेन्द्रीकृत है इसलिए अपेक्षित सूचना केवल सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से उपलब्ध हो सकेगी। तदनुसार सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक सलाहकार परिषद् की स्थापना करना

5118. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद् की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निकाय के निर्देश पद क्या होंगे;

(ग) क्या निकाय का गठन करने में सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की सावधानी बरतेगी कि इस समय कार्यरत स्वतंत्र वित्तीय संस्थानों के अध्यक्षों को इस निकाय में सम्मिलित न किया जाये क्योंकि इससे उक्त वित्तीय संगठनों के स्वतत्र कार्यकरण पर प्रभाव पड़ सकता है; और

(घ) योजना आयोग की तुलना में इस निकाय की भूमिका क्या होगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एक पांच सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसकी सदस्यता और विचारार्थ विषय संगत संकल्प की प्रति में दिए गए हैं जो संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—6252/83]

(ग) ऊपर (क) व (ख) में दिए गए उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि परिषद् के लिए विचारार्थ विषयों से स्पष्ट है इसकी भूमिका योजना आयोग की भूमिका से बिल्कुल भिन्न व अलग है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के शाखा कार्यालयों की स्थापना

5119. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने हाल ही में कई राज्यों में अपने शाखा कार्यालय स्थापित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो उत्तर बंगाल के पांच जिलों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए क्या उपाय और कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं; और

(ग) उत्तर बंगाल में लघु उद्योगों के प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय लघु निगम विभिन्न कार्यकलापों जैसे किराया खरीद आधार पर मशीनों की पूर्ति, आद्यरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र, विपणन कार्यक्रम और सरकार के खरीद कार्यक्रमों के द्वारा उत्तरी बंगाल के पांच जिलों सहित देश के लघु उद्योगों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग कलकत्ता का क्षेत्रीय कार्यालय अन्य के साथ-साथ उत्तरी बंगाल की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

अन्धाधुन्ध आयातों के कारण कम्पनियों का बन्द हो जाना

5120. **श्री एच० एन० बहुगुणा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्धाधुन्ध आयातों के कारण होने वाले बढ़ते व्यापार असन्तुलन के परिणामस्वरूप कितनी कम्पनियां बन्द हो रही हैं अथवा घाटे पर चल रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सरकार की नीति में अन्धाधुन्ध आयात की अनुमति नहीं है। आयात नीति, आयात शुल्क और देश में अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग से सम्बन्धित अन्य कारकों के प्रभाव की वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयात नीति के स्थायी ग्रुप द्वारा मॉनिटरी की जाती है। इस ग्रुप की सिफारिशों पर समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

कागज उद्योग में कोयले और बिजली की कमी के कारण उत्पादन की हानि

5121. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग से यह कहा है कि वह बाहर से खरीदी गई बिजली पर कम निर्भर करे तथा कागज मिलों में ही उपलब्ध स्रोतों से अधिक बिजली प्राप्त करे;

(ख) क्या इस उद्योग की अधिकांश बड़ी मिलों ने 6 प्रतिशत कोयला और लगभग 3 प्रतिशत बिजली की खपत की है और वास्तव में जितनी ऊर्जा का उपयोग किया गया है वह कागज मिलों के लिये निर्धारित मानदण्डों से अधिक पाया गया है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को पता चला है कि कागज उद्योग ने कोयले और बिजली की कमी के कारण 10-20 प्रतिशत उत्पादन खोया है;

(घ) क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां अधिक कुशल संचालन द्वारा ऊर्जा खपत घटायी जा सकती है अथवा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो कागज मिलों ने आन्तरिक स्रोतों से ऊर्जा का कहां तक उपयोग करना शुरू किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। बड़ी मिलों में कागज तथा गत्ते का उत्पादन उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत है। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड (इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड) द्वारा किये गए अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1985 में कागज उद्योग की कोयले और विद्युत ईंधन सम्बन्धी आवश्यकता उस वर्ष में सम्बद्ध स्रोतों की कुल अनुमानित औद्योगिक मांग का क्रमश: लगभग 6.1% तथा 2.7 प्रतिशत हो जाएगी। अध्ययन से यह भी पता चला है कि वास्तविक ईंधन की खपत एककों द्वारा अपनी निजी खपत की मॉनिटरिंग करने के लिए स्थापित किए गए मानदण्डों से बहुधा अधिक ही रही है।

(ग) आई० सी० आई० सी० द्वारा किए गए अध्ययन के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उद्योग हाल के वर्षों में कोयले और विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत की हानि होने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ) जी हां। अध्ययन से यह पता चला है कि उद्योग ईंधन उपयोग/संरक्षण में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय कर सकता है। समझा जाता है कि भारतीय कागज उद्योग द्वारा इनमें से कुछ उपायों को सम्मिलित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कागज अधिकांश बड़ी मिलों ने एक साथ विद्युत और भाप जनित्रण की सुविधाएं पहले ही स्थापित कर ली हैं।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आदिवासी उप-योजना

5122. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ और कुपोत ब्लॉक के मुन्स्योरो और धारेहुला ब्लाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिये आदिवासी उपयोजना तैयार करें;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार "आदिवासी उप-योजना" के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धनराशि प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि देने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इन ब्लाकों के लिये एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तैयार करने के लिए सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से एकीकृत आदिवासी विकास योजना प्राप्त होने पर परियोजना आयोग द्वारा धनराशियों के आवंटन को अंतिम रूप दिया जायेगा।

बम्बई के निकट थाल-वशेट और आंध्र प्रदेश में मनुगुरु में भारी जल संयंत्रों की स्थापना

5123. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री नवीन रावणी
श्री के० मालन्ना } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु बिजली कार्यक्रमों के विस्तार के लिये आगामी दशक के दौरान पांच और भारी जल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने दो भारी जल संयंत्र, एक बम्बई के निकट थाल वशेंट में और दूसरा आन्ध्र प्रदेश में मनुगुरु में स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं का कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिये कोई विदेशी सहायता मांगी गई थी और शेष तीन भारी जल संयंत्र कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) थाल, महाराष्ट्र और मानुगुरु, आंध्र प्रदेश में दो नए भारी पानी संयंत्र लगाए जा रहे हैं और इन पर काम शुरू भी किया जा चुका है। और भारी पानी संयंत्र लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे सीमित क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें वाणिज्यिक शर्तों पर सहयोग मिल सकता है, भारी पानी संयंत्र लगाने का सारा काम स्वदेशी आधार पर ही किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को ऋण

5124. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जातियों के उद्यमियों से, 5 लाख के आवंटन में से प्रत्येक को 10,000 रुपये के ब्याजरहित ऋण हेतु आवेदन-पत्र माँगे थे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन को अनुसूचित जातियों के उद्यमियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितनों को ऋण दिया गया है;

(ग) यदि अनुसूचित जाति के किसी भी उद्यमी को कोई ऋण नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ब्याज रहित ऋण को जिस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उद्यमियों से आवेदन मांगे गये थे, उस योजना को डी० आर० आई० योजना में बदल दिया गया है, यदि हां, तो इस प्रकार योजना को बदलने और अनुसूचित जाति समुदायों के उद्यमियों को धोखा देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने 5000 रुपए तक ब्याजमुक्त ऋण तथा उपस्कर को लागत के 75% तक आर्थिक सहायता (5000/-रुपए तक सीमित) देने के लिए 1981-82 में अनुसूचित जाति के उन उद्यमियों से, जो दिल्ली के वास्तविक निवासी हैं, आवेदन पत्र मांगे थे।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन को 1981-82 में 781 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और 1982-83 में 139 और आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इन सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किए जाने के बाद 157 यूनिटों को ऋण दिए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(घ) स्कीम में ब्याजमुक्त ऋण के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया कि ब्याज की नाममात्र दर 4% निर्धारित की जाए।

दिल्ली में विदेशी नागरिकों की हत्या

5125. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली में कितने विदेशी नागरिकों की हत्यायें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाएं न होने देने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले 2 वर्षों अर्थात् 1981 और 1982 के दौरान दिल्ली पुलिस को विदेशी नागरिकों की हत्या के 2 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) और (ग) उन क्षेत्रों में जहां विदेशी रहते हैं, गश्त को बढ़ा दिया गया है। सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र सैनिक भी तैनात किए गए हैं।

राजनीति और प्रशासन में विदेशियों द्वारा भाग लिया जाना

5126. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विदेशी नागरिकों, को जो बीजा लेकर भारत आते हैं प्रशासन और राजनीति में भाग लेने की अनुमति है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वाराणसी के जिला मजिस्टेट ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में श्रीलंका मूल के इस प्रकार के कुछ आव्रजकों को भारत-विरोधी कार्यों में शामिल होने तथा साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए दोषी पाया और उनके निर्वासन के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश की थी; और

(ग) क्या ये विदेशी अध्ययन के प्रयोजन से आए थे और यदि हां, तो उन्हें केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सिंहली विभाग में उच्च पदों पर किस प्रकार नियुक्त किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारत में विदेशियों से राजनीति में भाग लेने की आशा नहीं की जाती है। उनके द्वारा प्रशासनिक स्वरूप के कार्य आरम्भ करना प्रत्येक मामले के गुण दोषों और तथ्यों पर निर्भर करता है। 1976 में वाराणसी के जिला मजिस्टेट ने बौद्धों में आपसी प्रतिद्वन्दता के कारण शांति भंग की आशंका से और विदेशियों

की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चिन्ता से, महाबोधि सोसायटी आफ इण्डिया से संबंधित श्रीलंका के किसी नागरिक के ठहरने की अवधि को पुनः बढ़ाने से इन्कार करने से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके विरुद्ध भारत-विरोधी अथवा साम्प्रदायिक गतिविधियों के कोई आरोप नहीं हैं। बाद में स्थिति सामान्य हो गई और उत्तर प्रदेश राज्य के प्राधिकारी मंजूरी देते रहे। 1976 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सिंहली भाषा के प्राध्यापक के रूप में इस विदेशी की नियुक्ति सरकार की जानकारी में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित की गई थी।

केन्द्रीय जेल अधिकारियों द्वारा कम्बलों और दरियों की खरीद में अनियमितताएं

5127. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जेल अधिकारियों ने अकाली आंदोलन के दौरान निविदाएं आमंत्रित करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना पानीपत (हरियाणा) की दो फर्मों से 2.75 लाख रुपये मूल्य के कम्बलों और दरियों की खरीद की थी और एक विवाह पार्टी में प्रयोग हेतु 500 कम्बल और दरियां तथा बडी संख्या में बर्तन अवैध रूप से जेल से बाहर ले जाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन गंभीर अनियमितताओं द्वारा सरकारी सम्पत्ति के अनधिकृत उपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है तथा साथ ही उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जेल प्राधिकारियों ने 19 नवम्बर, 1982 से 3 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान पानीपत की दो फर्मों से लगभग 2.77 लाख रुपए मूल्य के कम्बलों और दरियों की खरीद की थी। कथित फर्मों से कोई दरियां नहीं खरीदी गई थीं। ये खरीद-दारियां सीमित निविदाएं जो नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं, आमंत्रित करके जेल प्राधिकारियों द्वारा आकस्मिक आधार पर की गई थी। प्रशासन ने आगे स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से जेल के बाहर कोई कम्बल, दरियां और बर्तन नहीं ले जाए गए थे।

मंडल आयोग की रिपोर्ट

5128. **श्री राम विलास पासवान**
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर जो कुछ समय पहले उन्हें भेजी गई थी; अपने विचार भेज दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के विचार क्या हैं; और

(ग) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

उत्पादन की बढ़ी हुई क्षमता के लिए छूट की नीति के लिए बड़े घरानों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5129. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन में वृद्धि के लिए क्षमता की स्थापना निर्यात अधिक करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने आदि के सम्बन्ध में छूट की गई नीति के प्रति बड़े घरानों तथा "फेरा" कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) फरवरी, 1973 के प्रेस नोट के परिशिष्ट एक में उद्योगों की सूची को पुनःपरिभाषित करने के पश्चात् बड़े घरानों तथा "फेरा" कंपनियों में से कितनी कम्पनियों ने अवसरों का लाभ उठाया है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) छूट देने की नीति के बारे में बड़े घरानों तथा फेरा कंपनियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है ।

(ख) अप्रैल, 1982 में परिशिष्ट-1 के उद्योगों की सूची की पुनः परिभाषित करने के बाद संशोधित परिशिष्ट-1 में सम्मिलत उद्योगों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एकाधिकार व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों से औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में अब तक औद्योगिक लाइसेंसों संबधी 256 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इनमें से 32 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं, 68 प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं अथवा अन्यथा निपटा दिए गए हैं तथा 156 मामले विचार विमर्श की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

दैनिक मंजूरी वाले कर्मचारियों की नियुक्ति

5130. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में 16-9-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1981 तक दैनिक मंजूरी पर 22 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और क्या उनके लिए रखा गया कोटा उससे पूरा हो गया है;

(ख) क्या वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के अन्तर्गत की शाखाओं और प्रयोगशालाओं में जुलाई 1981 के शासकीय आदेश को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो 31-1-83 को, उपरोक्त शासकीय आदेश के अनुसार इन शाखाओं और प्रयोगशालाओं में नियुक्त किए गए दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और क्या उनमें विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं हैं;

(घ) अब तक नियुक्त किए गए कर्मचारियों में अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत कितना है; और

(ङ) क्या दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की नियुक्ति रोजगार केन्द्रों के माध्यम से की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी, और महासागर, विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जूतों आदि का उत्पादन और निर्यात

5131- श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूतों आदि के क्षेत्र में जो बहुत अधिक श्रम प्रधान है, वर्ष 1982-83 के दौरान विकास दर असन्तोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में देश में कुल कितना उत्पादन हुआ और इसके दौरान इनका कितना निर्यात किया गया;

(ग) असन्तोषजनक उत्पादन के क्या कारण थे; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और वर्ष 1983-84 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान में जूतों (फुटवियर) का उत्पादन लघु तथा कुटीर क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में वर्ष 1982-83 के दौरान 129 लाख जोड़े जूतों का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष 143 लाख जोड़े जूतों का उत्पादन हुआ। लघु तथा कुटीर क्षेत्र में जूतों के उत्पादन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु, इस क्षेत्र में वर्ष 1981-82 के दौरान 2700 लाख जोड़ों तथा 1982-83 के दौरान 2647 लाख जोड़ों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चमड़े के जूतों तथा जूतों के सहायक सामान का मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

	चमड़े के जूते	जूतों का सहायक सामान
1981-82 (अप्रैल, 81 से जनवरी, 1982 तक)	21.62	70.38
अप्रैल,82 से जन० 1983 तक	16.01	50.81
	14.92	59.07

चमड़े के जूतों के निर्यात में गिरावट आने के कारणों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आम मन्दी, पर्याप्त मात्रा में देशी अवस्थापना की उपलब्धता में कमी, कैनवास के जूतों के प्रतिस्थापनों की उपलब्धता तथा अनेक परम्परागत रूप से आयातक देशों द्वारा अपने घरेलू फुटवियर उद्योग को दिया जा रहा अधिकाधिक संरक्षण शामिल है।

वर्ष 1983-84 के दौरान जूतों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

चमड़े के सामान तथा जूतों आदि का निर्यात

5132. **डा० ए० यू० आजमी** . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ के जूतों आदि तथा चमड़ के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए अब तक कोई नीति तैयार तथा कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चमड़े के जूतों आदि तथा चमड़े के सामान के निर्यात में वृद्धि का रोजगार पैदा करने तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार की नीति चमड़े के स्थान पर चमड़े की बनी वस्तुओं का निर्यात करने की है जिससे उसका अधिक मूल्य मिल सके और इसी उद्देश्य से कच्ची खालों और चामों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में चमड़ा क्षेत्र से पुनः निर्यात करने की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं जैसे रियायती ब्याज दर पर 180 दिन तक जहाज पर लदान से पूर्व ऋण सुविधा देना, नकद क्षतिपूर्ति समर्थन देना, हवाई जहाज भाड़े में राजसहायता देना।

अप्रैल, 1982 से जनवरी, 83 की अवधि में चमड़े की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादों के निर्यात के अलग-अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड रुपयों में)
1. चमड़े का माल	27.40
2. औद्योगिक चमड़े की बनी वस्तुएं	9.26
3. चमड़े के जूते	14.92
4. चमड़े के हिस्से	59.07

चमड़े के जूते और चमड़े की बनी वस्तुओं से उनका मूल्य बढ़ जाता है और उनके बढ़े हुए निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर मिलने में सहायता मिलेगी।

वर्ष 1981 के बाद संगठित क्षेत्र में 55.00 लाख जोड़ी जूतों की कुल क्षमता के लिए 70 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत उत्पादन की निर्यात दायित्व लगाकर के 8 निर्यातोन्मुख योजनाएं स्वीकृति की गई हैं। इन योजनाओं के बारे में सूचित किया गया है कि वे कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विशेष घटक योजना के निष्पादन की पुनरीक्षा

5133. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष घटक योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उद्देश्यों को अब तक किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) योजना से देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितने परिवारों को लाभ हुआ;

(घ) क्या जनसंख्या के लक्षित भाग के सामाजिक स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और क्या विशेष घटक योजना के निष्पादन की कोई अब तक पुनरीक्षा की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) विशेष कम्पोनेंट योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों का तीव्र सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास, उनके काम काज तथा रहन-सहन की हालत में सुधार अनुसूचित जाति बस्तियों में आधारभूत सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा के पिछड़ेपन को कम करना : व्यावसायिक गतिशीलता तथा मानव संसाधान विकास को और ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विशेष कम्पोनेंट योजनाओं में परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने में सक्षम बनाने को स्कीमों पर भी विशेष बल दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में योजना के तहत लाए गए परिवारों के ब्यौरे, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विशेष कम्पोनेंट योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, इसलिए उनके प्रभाव के बारे में मूल्यांकन करना मुश्किल होगा। विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों को अनेक स्कीमें आती हैं और योजना आयोग में वार्षिक योजना कार्य के भाग के रूप में उनकी समीक्षा की जाती है। पत्राचार के जरिए तथा दौरों के दौरान समय समय पर अनुवर्ती कार्रवाई का भी सुझाव दिया जाता है। राज्यों को सलाह दी गई हैं कि वे अपनी विशेष कम्पोनेंट को साथ-साथ मानिटर करें, उनकी समीक्षा तथा मूल्यांकन करें और मामलों का विशेषकर आर्थिक विकास के परिवारोन्मुख कार्यक्रमों का अध्ययन करें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83
1.	आंध्र प्रदेश	66241	138000	111487
2.	असम	9549	18317	8836
3.	बिहार	54850	89904	105337
4.	गुजरात	46000	55000	49322
5.	हरियाणा	18703	55396	29593
6.	हिमाचल प्रदेश	12711	2335	90185
7.	कर्नाटक	57986	118030	51656
8.	केरल	—	40850	23781
9.	मध्य प्रदेश	35902	172000	55463
10.	महाराष्ट्र	33007	115940	111189
11.	मणिपुर	865	235	एन० आर०
12.	उड़ीसा	50988	80214	63625

(जारी···)

1	2	3	4
13. पंजाब	58064	81956	59801
14. राजस्थान	45651	83400	81442
15. सिक्किम	—	340	887
16. तमिलनाडु	77828	122360	93102
17. त्रिपुरा	3001	500	एन० आर०
18. उत्तर प्रदेश	156769	450000	035435
19. पश्चिम बंगाल	—	163643	217764
20. दिल्ली	3874	5959	2880
21. पांडिचेरी	138	2000	1138
22. गोवा दमन और दीव	—	—	310
23. चण्डीगढ़	—	—	25
24. जम्मू व कश्मीर	—	—	उपलब्ध नहीं

टिप्पणियां : जनवरी, 1983 तक की उपलब्धि

एन० आर० : रिपोर्ट नहीं किए गए

जम्मू कश्मीर राज्य और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण व दीप ने 1982-83 से आगे विशेष कम्पोनेन्ट योजना तैयार की है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ मामूली परिवर्तन हो सकते हैं।

जर्मन संघीय गणराय में आधुनिक अनुसंधान पोत का निर्माण

5134. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जर्मन संघीय गणराज्य के एक पोत कारखाने में बबाये जा रहे "सागर कन्या" आधुनिक अनुसंधान पोत की लागत कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त आधुनिक अनुसंधान पोत का निर्माण 1983 में पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसे भारत में कब लाया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 804.2 लाख (डी० एम०)

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) पोत के जून, 1983 के मध्य तक भारत पहुंचने की संभावना है।

वजीरपुर की 500 झुग्गियों का नष्ट हो जाना

5135. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1983 के अंग्रेजी दैनिक "इंडियन एक्सप्रेस" में "फायर डेस्ट्राइज 500 झुग्गीज इन वजीरपुर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) बेघर लोगों को पुनः बसाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 16.2.83 को लगभग 3.15 बजे "ए" ब्लाक वजीरपुर/अशोक बिहार फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र के खुले मैदान में लगी हुई झोपड़ियों में आग लग गई थी। पुलिस और अग्निशमन को इस विषय में सूचना प्राप्त हुई और दोनों अभिकरणों के अधिकारी 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए। आग पर 10 अग्निशमन इंजिनों की सहायता से 35 मिनट के भीतर काबू पा लिया गया और किसी की जान नहीं गई या कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। क्योंकि झुग्गियां घासफूस बांस की लकड़ियों आदि से बनी थी आग बड़ी तेजी से फैली और 382 झुग्गियां नष्ट हो गई। आग से पीड़ित व्यक्तियों को प्रति परिवार 250 रुपये कम्बल, बर्तनों कपड़े और खाद्यान्न के रूप में अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया। पीड़ित अब पुरानी जगह पर पुनः बस गए हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 430 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच से पता चला कि आग मिट्टी के तेल के एक स्टोव के कारण लगी थी।

पालम में सीमा-शुल्क के सामान की चोरी

5136. **श्री अनन्त रामलु मल्लु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम क्षेत्र में अधिकृत कार पार्किंग के अन्दर खड़ी कारों से सीमा शुल्क के सामान की चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले छः महीनों के दौरान कारों से पाई गई वस्तुओं के मामलों की संख्या कितनी है जो सरकार के ध्यान में आई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान पालम पर अधिकृत पार्किंग क्षेत्र के अन्दर से कारों से की गई चोरी के मामले दिल्ली पुलिस को सूचित किये गये हैं। 13.10.1982 के मामले में एक टेपरिकार्डर और सिगरेट के 40 पेकेटों की चोरी सूचित की गई थी। 25.2.83 के दूसरे मामले में एक छोटा ट्रांजिस्टर, हाथ की एक घड़ी, कपड़े के दो टुकड़े, और कार के दस्तावेज थे की चोरी सूचित की गई थी। ये सीमा शुल्क के सामान नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं एक अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। 'आन लुकर' में "सी० पी० एमस० प्लान टु ब्रेन वाडा बंगालीज" शीर्षक से एक समाचार छपा है। मैंने पढ़ा है कि बंगाल के लोगों के मस्तिष्क परिवर्तन के लिए सरकारी 'धन' का उपयोग किया जा रहा है। इस विषय पर अवश्य ही कुछ चर्चा होनी चाहिए। रवीन्द्र नाथ ठाकुर को वे गाली देते ही हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर सार्थक चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : समाचार पत्र में यह पढ़कर कि वाडिगटन स्थित भारतीय राजदूत···मुझे बड़ी परेशानी हुई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में तथ्य जानने के लिये मैंने आज सवेरे विदेश मंत्री से बात की थी तथा कुछ और भी बहुत सी बातें कीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने समाचार देखा है वे अमरीकी कांग्रेस की किसी समिति के सम्मुख गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं तथ्य जानना चाहता था। और मुझे बताया गया कि वे कल एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : वे सभा में मना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आपने अब तक पूरी जानकर प्राप्त कर ली होगी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब प्रश्न एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के एक अन्य देश की संसद के क्षेत्राधिकार में आए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एक वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप को ज्ञात होगा कि श्री भावलंकर का एक विनिर्णय है कि दूसरी सभा का एक सदस्य भी लोक सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, फिर भारतीय राजदूत के अमरीकी कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में आने की तो बात हो ही नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा होना है तो हम कार्रवाई करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मामले को लटकाएं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने अभी अभी इससे इंकार किया है (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी सूचना का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैंने बिना कोई समय खोये तुरन्त उनसे सम्पर्क किया और तब मैंने देखा कि मंत्री महोदय इस संबंध में कल वक्तव्य देने वाले हैं उन्होंने मुझे यह बताया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने क्या कहा ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा वह मैंने आपको बता दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे कल स्पष्टीकरण देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज क्यों नहीं (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय राजदूत हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिवस ह्यूमन राइट्स कमेटी के समक्ष गये थे। इसमें विरोधा भास है । 1977 में श्री नानी पालकीवाला को चप्पल का नाप लेने के लिये एक अमरीकी महिला के पैरों को छूना पड़ा था । यह मामला कांग्रेस (आई) ने सदन में उसी समय उठाया था । (**व्यवधान**) मेरे पास पूरे वाद-विवाद की प्रति है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ हुआ तो हम कार्यवाही करेंगे ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक काल्पनिक प्रश्न है, प्रो० साहब, आप उनकी बात न सुनें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : काल्पनिक प्रश्न क्यों पूछते है ? यदि ऐसा हुआ है, तो हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा था । परन्तु अब वही दल शांत क्यों है ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने हमारी लम्बित पड़ी सूचनाओं पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने उन्हें देखा है यदि कोई चीज हुई है, तो हम उस पर कर्यवाही करेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : *अब यह अधिक महत्वपूर्ण है प्रधान मंत्री यह जानती हैं कि हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है ।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने भारतीय राजदूत को सीनेट की समिति के समक्ष जाने की अनुमति कैसे दी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे । यही बात मैंने कही है । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया मामले को यहीं और इसी वक्त स्पष्ट किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय . आप अनावश्यक रूप में उत्तेजित हो रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कल उन्हें यहां बुला कर स्पीष्टीकरण देने के लिये कहें ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों उत्तेजित हो रहे है । मैं भी इस स्थिति से चिन्तित हूं।

श्री नीरेन घोष : (दमदम) ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है कि एक भारतीत राजदूत से अमरीकी कांग्रेस की समिति में असम में मानवीय अधिकारों सम्बन्धी समस्या के बारे में पूछा जाए और मामला यहां नहीं उठाया गया है। सरकार ने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। देश की प्रतिष्ठा गिरी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री घोष कृपया निष्कर्ष पर न पहुंचे। हमें जांच करने दें। यदि ऐसा हुआ है, तो हम इसे बड़ी गम्भीरता से लेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे बिना कारण ही उत्तेजित हो रहे हैं।यह बहुत गलत है। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम उत्तेजित नहीं ही रहे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि हमारा अपमान होता है, तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आप अनावश्यक रूप में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : हम उत्तेजित नहीं ही रहे हैं वे आपका उत्तेजित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उत्तेजित हूं। इसी कारण मैंने कार्रवाई की है।

प्रो० मधु दंडवते : हमें प्रसन्नता है कि आप भी उत्तेजित हैं।

श्री के० माया तेवर (डिन्डिगल) : माननीय प्रधान मंत्री ने मद्रास की यात्रा···

अध्यक्ष महोदय : आपने एक सूचना मुझे भेजी है मैं तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है।

श्री के० माया तेवर : माननीय प्रधान मंत्री मद्रास गई थी। द्रमुक के कुछ नेताओं ने उन्हें ज्ञापन देना चाहा, परन्तु उन्हें ऐसा करने से रोका गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसकी सूचना मुझे दे दी है। कृपया मुझे तथ्यों का पता लगाने हैं। **(व्यवधान)**

श्री के० माया तेवर : इस सदन के एक सदस्य श्री ए० कलानिधि को मद्रास पुलिस ने पीटा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है। आप इसे अनावश्यक रूप में उठना। चाहते हैं। मैंने तथ्य मांगे हैं। मैं कार्यवाही कर रहा हू। आप बेकार समय क्यों ले रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अगर विदेश मंत्री ने आपको यह कहा है कि भारतीय राजदूत वहाँ ऐपीयर नहीं हुए हैं तो आप सदन को बता दीजिये। मामला खत्म हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कह दूंगा, उन्होंने कहा है··· **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पार्लियामेंटरी मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप इंतजार कीजिये। मैंने इनसे बात की है, जैसे ही आपका नोटिस मुझे मिला, वैसे ही मैंने विदेश मंत्री से संपर्क स्थापित किया।

श्री राम विलास पासबान : पार्लियामेंटरी मिनिस्टर यहां हैं···

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंटरी मिनिस्टर इसमें नहीं करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग की वर्ष 1983-84 की ब्यौरे वार मांगें

वाणिज्य और पूर्ति विभाग के मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य मन्त्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6188/83]

(2) पूर्ति विभाग की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—6189/83]

अध्यक्ष महोदय : आप तो बिला वजह जिद कर रहे हैं । प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी कहा 'नहीं' । इसके बाद और क्या आप चाहते हैं ? क्लेरिफिकेटरी नोट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे कल देंगे ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप विदेश मंत्री से क्यों नहीं पूछते ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में शामिल न किया जाए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप भी बहुत ही तर्कहीन बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर होगा तो क्यों नहीं करेंगे । वाजपेयी जी, इनके लिये कोई नया कानून होगा क्या ? मैंने कब इनकार किया ? मैं आप से असहमत नहीं हूं ।

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) अध्यक्ष जी, यह हमारा और आपका मामला नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : अकेले आप ही सारा काम करेंगे ? हम भी तो इस देश के बासी हैं । आप जो कुछ कर रहे हैं वह उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही गलत बात है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कृपया उन्हें वक्तव्य देने हैं । परन्तु···

(व्यवधान)

परन्तु क्या उन्होंने आप से कहा है कि वास्तव में क्या हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं है ? **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

प्राइम मिनिस्टर ने अभी यहां कहा है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि मंत्री कल ही वक्तव्य देंगे, इसका अर्थ है कि उन्हें, वहां क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही सभा में इन्कार कर चुकी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जी हां, मेरे आपत्ति उठाने पर।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने मना किया है कि उन्हें (राजदूत) समिति द्वारा बुलाया गया। परन्तु समिति के समक्ष पेश होने से इन्कार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : वह सारा व्यर्थ जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोनों एक बात नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इंतजार नहीं करते हैं। मैं अकेला आदमी हूं, आप 50 आदमी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनको मालूम नहीं है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० के० एल० भगत। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं यह अवश्य कहूंगा कि समिति के समक्ष पेश होना भी उतना ही गलत है। (व्यवधान)

भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6190/83]

भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड की वर्ष 1981-82 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब संबंधी विवरण

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-6220/83]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : मैं श्री एस० एम० कृष्ण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 102(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कल्याणी, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 83(अ), जो 2 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स श्रीराम शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोबीली, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

(दो) का० आ० 103(अ), जो 9 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल लिमिटेड, उज्जैन, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6220/83]

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : मैं अपने सहयोगी श्री निहार रंजन लास्कर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6221/83]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह करेंगे तो मैं इस पर विचार भी नहीं करूंगा। मैं कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं तथ्य मंगा रहा हूं। अनावश्यक.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर सिंह।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1981-82 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(1) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-6222/83]

अध्यक्ष महोदय : अनावश्यक..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुन ली है। प्रोफेसर, आप भी अनुपयुक्त बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्र शेखर सिंह।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6223/83]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन और इन प्रतिवेदनों में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का विवरण

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : *मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल* पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के बारे में एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6224/83]

लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1983 और सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 आदि, आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक भविष्य निधि, अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत, लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, सा० का० नि० 271 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 6191/83]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1983 जो 11 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 257 (अ) में

प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1983, जो 11 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 258 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (छठा निर्गम) संशोधन नियम, 1983, जो 11 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 259 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (सातवां निर्गम) संशोधन नियम, 1983, जो 11 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 260 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6192/73]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 97 (अ), जो 23 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 25 अगस्त, 1982 की अधिसूचना संख्या 200/82-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उत्तरवर्ती अधिसूचना की कतिपय विसंगतियों को ठीक किया जाये ।

(दो) सा० का० नि० 232, जो 19 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 मार्च, 1963 की अधिसूचना संख्या 122/सी० शु० में एथिलीन डाइक्लोराइड को सीमा-शुल्क से छूट दिये जाने के बारे में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6193/83]

(5) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1982, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० नि० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1982, 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 245 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मांडला—बालघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 246 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 338 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6194/83]

(6) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा *समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6195/83]

(7) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा *समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6196/83]

(8) मार्च, 1983 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6197/83]

(9) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 4 (10), 80 फिन० (जी) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 फरवरी, 1983 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारत में फिनलैण्ड के दूतावास को नया दूतावास भवन बनाने के लिए खरीदी गई भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर विक्रय कर से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6225/83]

तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण तथा तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्माण संवर्धन परिषद्, कानपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं अपने सहयोगी श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* वार्षिक प्रतिवेदन 28 फरवरी, 1983 को सभा-पटल पर रखे गये थे।

(तीन) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6198/83]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन-दौरों के प्रतिवेदन

श्री ए० सी० दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन-दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समिति के अध्ययन दल 1 के जनवरी, 1983 में कलकत्ता, पटना और लखनऊ के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन।

(दो) समिति के अध्ययन दल 2 के जनवरी, 1983 में भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन।

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 मार्च, 1983 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 1983 को पारित दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1983 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 24 मार्च, 1983 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 1983 को पारित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1983 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

लोक लेखा समिति

126वां 129वां और 130वां प्रतिवेदन

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) मध्य रेलवे—आयातित इन्वर्टर्स का व्यर्थ पड़ा रहना तथा रेलवे के जमा निर्माण कार्य के बारे में समिति के 68वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 126वां प्रतिवेदन।

(2) आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी० आई० ए०) नई दिल्ली, के कार्यालय के कार्यकरण के बारे में समिति के 111वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 129वां प्रतिवेदन।

(3) एक हेलीकाप्टर के विकास के बारे में समिति के 76वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 130वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन वक्तव्य।
श्री चन्द्रपाल लाशैनी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्थि कलश रखने के लिए पटना संग्रहालय में एक अलग स्मारक कक्ष का निर्माण

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, आधुनिक भारत के निर्माता और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलशों पर पटना अजायबघर में धूल जमती जा रही है। इसका कारण यह है कि उनको सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने के लिये पटना अजायबघर में एक अलग यादगार कमरे की व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले वर्ष बिहार सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री ने वायदा किया था कि पं० नेहरू के कलशों को सुरक्षित रखने के लिये एक नेहरू यादगार कमरा खोला जायेगा, किन्तु वायदा अब तक वायदा ही बना हुआ है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे मामले को उठाने के लिए धन्यवाद। लेकिन श्री शैलानी के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी।

** कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : श्रीमन्, पं० नेहरू हमारे देश के ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता थे और आज उनको उनके महान त्याग एवं कार्यों के लिये संसार के सभी राष्ट्र सम्मान देते हैं और उन्हें एक युग-प्रवर्त्तक के रूप में याद करते हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हार्दिक वेदना हो रही है कि पं० नेहरू के असंख्य अनुयाइयों में उनके अस्थि कलशों पर धूल जमने और पटना अजायबघर के अधिकारियों द्वारा उनके प्रति लापरवाही बरतने से बहुत ही रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: मेरा भारत सरकार से सानुरोध निवेदन है कि वह बिहार सरकार को तुरन्त निदेश देकर भारत के महान सपूत पं० जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलशों को एक सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान पर रखने के लिये शीघ्र से शीघ्र एक अलग यादगार कमरे का निर्माण करावे ताकि उनकी धूल तथा अन्य हानिकारक चीजों से सुरक्षा हो सके।

(दो) शोर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में ध्वनि प्रदूषण (नौयज पोल्यूशन) की ओर दिलाना चाहूंगी। आज देश के हर शहर में बढ़ती हुई आबादी, औद्योगीकरण तथा बढ़ते हुए मशीनी यतायात से वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष में 200 दिवस निश्चित रूप से ऐसे होते हैं जब कहीं न कहीं लाउड-स्पीकर गर्जना कर रहा होता है। मंदिरों, मठों, उपसरों पर रात्रि जागरण के नाम पर माइक के भीषण प्राण-घातक कोलाहल ने बेरहमी के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई, लोगों की निद्रा, स्वास्थ्य व एकाग्रता को हिला कर रख दिया है। दिन को तो अशांति है ही, बची हुई रात भी अशान्त बना दी जाती है। हर शहर के हजारों प्रजाजन इस भौंडी आवाज और स्टीरियो माइक के भीषण कोलाहल से पीड़ित हैं। इस तरह का शोर सौ फीसदी अनावश्यक, अप्रासंगिक, असभ्यतापूर्ण, अशिष्टातपूर्ण तथा असहनीय है। पश्चिमी देशों में ऐसे शोर शराबे पर पाबन्दियाँ हैं।

मै सरकार से निवेदन करूंगी कि इस ओर ध्यान दे, ऐसा कानून बनाए जिससे इस ध्वनि प्रदूषण को कड़ाई से रोका जा सके तथा विद्यार्थियों की तथा सामान्य प्रजाजन की शान्ति को बनाने में मदद मिल सके।

(तीन) नौवहन कम्पनियों को कोयले के माल-भाड़े के भुगतान की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय को बदलने के लिए पूर्व रेलवे को निर्देश देने की आवश्यकता

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : पूर्व रेलवे द्वारा यह एक तरफा निर्णय लेने से कि नौवहन कम्पनियों को तब तक माल-भाड़े का भुगतान न किया जाये जब तक वे निश्चित पत्तन पर अपने वाहनों से माल न उतार दें, कलकत्ता से तूतीकोरिन और सौराष्ट्र में रेलों के लिए कोयला लाने ले जाने के काम को काफी धक्का लगा है। यह निर्णय स्थापित परम्परा के विपरीत हैं। उसके अनुसार तो जहाज पर माल के लदान के तुरन्त बाद माल-भाड़ा दे दिया जाता था। नौवहन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि माल-भाड़े की अदायगी के बिना वे कभी भी बंकर खरीदने और मजदूरी देने की स्थिति में न होंगी।

सर्वाधिक हैरान करने वाली बात यह है कि यह निर्णय नौवहन कंपनियों से परामर्श किए बिना लिया गया है। इन कम्पनियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ईंधन के अभाव में कुछ जहाज मार्ग में ही रुक जाएगे। रेलवे द्वारा माल-भाड़ा न दिए जाने पर जहाज नहीं चलेंगे।

इस सन्दर्भ में मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्व रेलवे को माल-भाड़े की अदायगी सम्बन्धी पुरानी नीति अपनाए। ऐसा किए बिना कलकत्ता तथा अन्य पत्तनों पर कार्य ठप्प हो जाएगा। अतः मैं मांग करता हूं कि माल-भाड़े के बकाया बिलों का भुगतान शीघ्र किया जाए।

(चार) खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के अनेक प्रलापों के बावजूद विभिन्न प्रकार से कृषि श्रमिकों का शोषण जारी है निम्नतम मजदूरी अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन कहीं नहीं हो रहा है। जगह जगह पर जब से अपनी उचित मजदूरी की मांग करते हैं, मजदूरी न मिलने पर काम रोक देते हैं, तो उन्हें नक्सलाइट कहकर गोलियों का शिकार बनाया जाता है। उनके समक्ष अनेक समस्याएं हैं। निम्नतम मजदूरी का भुगतान, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे, वाद-विवाद को सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय ट्रिब्यूनल की स्थापना आदि मामलों पर प्रभावकारी कार्यवाही की अपेक्षा है। कृषि औजारों से काम करते समय घायल हो जाने या मृत्यु की अवस्था में समुचित मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। रबी की मड़ाई से ढ़ाई तीन महीने में ही प्रतिवर्ष हजारों श्रमिक थ्रेशर आदि से अंगभंग हो जाते हैं।

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाना चाहिए। सम्भवतः यह सरकार के विचाराधीन भी है। क्योंकि वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। यदि सरकार वास्तव में कानूनी संरक्षण देकर इन असगठित कृषि श्रमिकों की सहायता करना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार को कृषि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को सम्मिलित करते हुए, अविलम्ब एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए।

(पांच) कटरा-वैष्णव देवी सड़क की मरम्मत करना

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीली भीत) उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी का मन्दिर भारत की सम्पूर्ण जनता का श्रद्धा केन्द्र है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन मन्दिर में माता के दर्शन के निमित्त जाते हैं। परन्तु कटरा से मन्दिर का 14 किलोमीटर की पद-यात्रा मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। विशेषकर मन्दिर के पास का चार किलोमीटर मार्ग इतनी दयनीय अवस्था में है कि यात्री ठोकर खाकर अथवा पत्थरों से फिसल कर गिर जाते हैं। इस मार्ग में कीचड़ आदि भी विशेष रूप से है। मन्दिर के पास यात्रियों के निवास व विश्राम का समुचित प्रबन्ध नहीं है और मार्ग में पानी व विश्राम की व्यवस्था भी सही नहीं है। मैं स्वयं पिछले मास माता वैष्णो देवी के दर्शन हेतु गया था और अनेक यात्रियों सहित मुझे भी इन कठिनाइयों की जानकारी हुई। सम्भवतः जम्मू कश्मीर सरकार अपने सीमित साधनों के कारण उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने में असमर्थ हो।

मैं भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि क्योंकि इस पवित्र स्थान के दर्शन हेतु भारत के सभी लोग आते हैं, अतः असुविधाओं को दूर कराकर यश की भागी बने।

(छः) हैदराबाद से नैल्लोर होते हुए मद्रास तक एक नई रेल गाड़ी चलाना

* **श्री पी० वेंचालैया** (तिरुपति): पर्याप्त रेल सुविधाओं के अभाव में नैल्लोर से हैदराबाद तथा मद्रास जाने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है।

नैल्लोर आन्ध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह राज्य का धान उत्पादक जिला भी कहा जाता है। नैल्लोर तथा उसके आस-पास के बहुत से यात्री हर रोज व्यापार, कचहरी तथा अन्य कार्यों के सिलसिले में हैदराबाद आते हैं। दूर-दूर से सैकड़ों लोग रंगनाथ मन्दिर के दर्शन करने नैल्लोर आते हैं और इस स्थान का महत्व प्रतिदिन बढ़ रहा है।

लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर्याप्त रेल सुविधाएं नहीं हैं। इस समय हैदराबाद और मद्रास के बीच केवल एक गाड़ी है और वह भी रात को और इस गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होती है।

प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति और हैदराबाद के बीच चलने वाली 'पिनाकिनी एक्सप्रेस' गाड़ी चलाने का पिछले दिनों एक प्रस्ताव था। लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। इससे लोगों को बड़ा निराशा हुई है। इसका खेती, व्यापार तथा अन्य कामों पर भी असर पड़ेगा।

अतः मैं केन्द्रीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि हैदराबाद और मद्रास के बीच नैल्लोर के मार्ग से दिन के समय एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए ताकि लोगों की मांग पूरी हो सके।

(सात) बिहार में होमगार्डों की सेवाओं को नियमित करना

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के निर्देशानुसार रक्षा वाहिनी के जवान पुलिस के समक्ष हैं और इन का कर्तव्य पुलिस का पूरक है। सिर्फ बिहार में एक लाख से अधिक रक्षा वाहिनी के जवान हैं। रक्षा वाहिनी के जवानों को बराबर काम नहीं मिलता। दस साल तक सेवा करने के बाद भी उनकी सेवा को स्थाई नहीं किया जाता, यह तो अलग समस्या है। सब से बड़ी समस्या है कि एक ही विशेष काम के लिए जहां दूसरे बिहार पुलिस के जवानों को अधिक राशि प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है वहीं रक्षा वाहिनी के जवानों को उसका आधा भी नहीं दिया जाता है। जब कर्तव्य और अधिकार समान हैं, तो वेतन में विषमता उचित नहीं है।

अतः सरकार से आग्रह है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति निश्चित करे और रक्षा वाहिनी के जवानों को दैनिक भत्ता पच्चीस रुपया स्वीकृत करे। रक्षा वाहिनी के जवान, जो काफी दिनों से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को स्थाई करे जिससे वे भुखमरी के शिकार नहीं हों।

(आठ) डाक-तार विभाग में विभागेतर आधार पर कर्मचारियों को काम पर नियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : महोदय, डाक-तार विभाग में सेवारत लगभग आठ लाख कर्मचारियों कुल कर्मचारियों में से ई० डी० ए० एस० के लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें 118 रु० से 172 रु० तक मासिक भत्ता मिलता है और वे प्रतिदिन 3 से 5 घंटे तक काम करते हैं। इससे अधिक कार्य करने पर भी उन्हें कुछ नहीं दिया जाता और प्रायः उन्हें अधिक देर तक

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कार्य करना पड़ता है। विभाग में 30 वर्ष या उससे भी अधिक काल तक सेवा करने के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती। उनकी नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी सम्बन्धी कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त नहीं है। लगभग 75 वर्ष पूर्व राजन समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि धीरे-धीरे ई० डी० ए० एस० कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाये। उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें नैमित्तक श्रमिक न मान कर सिविल कर्मचारी माना है। लेकिन उन्हें विभागीय कर्मचारी मानने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। उन्होंने 10 से 25 मार्च तक पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों से कलकत्ता तक 1000 मील की पदयात्रा की थी और राज्यपाल को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में भारत की प्रधान मंत्री के समक्ष अपनी मांग रखी थी। उनकी एक मांग तो यह है कि विभागेतर आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने की प्रणाली तत्काल समाप्त की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सूचना दी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जी नहीं। आप एक मिनट मेरी बात सुनें। 'फारवर्ड सीमैन' संगठन के अन्तर्गत सैंकड़ों नाविक देश के विभिन्न भागों से आये और उन्होंने प्रधान मंत्री निवास के आगे धरना दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री या नौवहन और परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनकी शिकायतें दूर करें। यही मेरा निवेदन है।

अनुदानों की मांगें (सामान्य)···जारी

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय···जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान का कार्य आरम्भ करेगी। श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे अपना भाषण दे रहे थे। वह आठ मिनट बोल चुके हैं। अब उन्हें दो मिनट और बोलना है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ता० 24 के अपने अपूर्ण भाषण को पूर्ण करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ता० 24 को मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। 20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांगा था, परन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, मान्यवर, जो भारत सरकार की पांच मिलें हैं, वे भी किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही हैं। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में किसानों में जनाक्रोश है। हमारी प्रदेश सरकार चिंतित है कि किसानों को जो उनका बकाया है, गन्ने का जो मूल्य बकाया है, वह उनको अदा किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करें।

मान्यवर, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में इस समय देश में बड़ी चिंता व्याप्त है। रेलवे बोर्ड के बारे में बराबर आलोचना की जाती रही है परन्तु अब आलोचना का विषय धीरे-

धीरे फूड कारपोरेशन बनता जा रहा है और बन भी गया है। परन्तु मुझे खुशी है कि इस विभाग की जिम्मेदारी एक ऐसे योग्य और कुशल प्रशासक श्री आजाद जी के हाथ में है जिससे कि फूड कारपोरेशन जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसमें सुधार आयेगा।

मान्यवर, प्रतिवर्ष 112 करोड़ का लास फूड कारपोरेशन ट्रांजिट और स्टोरेज में करता है। वह प्रतिवर्ष 5.52 करोड़ रुपया डेमरेज का रेलवे को देता है। मान्यवर आप सोच सकते हैं कि फूड कारपोरेशन 112 करोड़ रुपये का लास ट्रांजिट और स्टोरेज में करके और 5 करोड़ रुपया रेलवे को डेमरेज का दे करके 117 करोड़ रुपये का भार इस देश के किसानों पर डालना चाहता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस सारे लासिज की जिम्मेदारी तुरन्त बड़े अधिकारियों या छोटे कर्मचारियों पर फिक्स की जानी चाहिए जिससे कि यह जो 117 करोड़ रुपये का फूड कारपोरेशन को लास होता है, वह न हो और इसका भार किसानों पर भी न पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष जी, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की जिम्मेदारी किसानों से सीधे गल्ला खरीदने की है। परन्तु फूड कारपोरेशन के अधिकारी आढ़तिये रखे हुए हैं। आज भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे गल्ला न खरीद कर के आढ़तियों की मार्फत गल्ला खरीदा जा रहा है। यदि किसी बड़े किसान ने कह दिया कि हम आपको गल्ला सीधा बेचेंगे तो कारपोरेशन के अधिकारी उसको कहते हैं कि हम तुम्हारा गल्ला घटिया करवा देंगे, उसे अच्छे किस्म के मल्ले में नहीं लिया जाएगा। मेरी मंत्री जी से अपील है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि फूड कारपोरेशन गल्ला आढ़तियों की मार्फत न खरीदे, बल्कि सीधे खरीदे। भारत सरकार किसानों को जो लाभ देना चाहती है इससे वह लाभ किसानों को सीधा मिलेगा। तभी किसानों का मनोबल ऊंचा होगा और आज विदेशों से जो गल्ला आयात किया जाता है वह भी आपको आयात नहीं करना पड़ेगा। फूड कारपोरेशन द्वारा किसानों को उत्साहित किया जाना चाहिए, उनका मनोबल ऊंचा किया जाना चाहिए। आज फूड कारपोरेशन बिचौलियों की मार्फत गल्ला खरीदता है, आढ़तियों की मार्फत खरीदता है। इससे सरकार की बदनामी होती है। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया सीधे किसानों से गेहूं खरीदे। इससे किसानों का भला हो सकता है।

मान्यवर, खाद्य विभाग की भी कुछ बातें सुनने में आई हैं। कुछ उच्च अधिकारी भी अपने दायित्व का पालन नहीं करते। सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड में प्रतिवर्ष ठेका होता है। नियम है कि लोएस्ट टेंडर जिसका हो उसको ठेका मिलना चाहिए। आप पुराने कागजात मंगवा कर देख लें। उनका टेंडर मंजूर हुआ है जिनका हाइएस्ट टेंडर था। ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों ने ऐसा किया ? इसकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड की बैठक होती है। बैठक में कभी आधे आइटम्स पर विचार कर लिया जाता है और कभी तिहाई आइटम्स पर विचार कर लिया जाता है। संयुक्त सचिव और डायरेक्टर स्तर के अधिकारीगण ताज होटल में भोजन करते हैं मेरे पास उदाहरण है। दिनांक 22.7.1982 को सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड की बैठक थी। इसमें 26 आइटम्स में से 21 आइटम्स पर विचार किया गया और 5 आइटम्स छोड़कर हमारे उच्चाधिकारी लोग ताज होटल में भोजन करने चले गए और 1400 रुपए का बिल बनाकर फूड एण्ड सिविल सप्लाई विभाग को भिजवा

दिया। अगर इस तरह से हमारे बड़े अधिकारी लोग काम करेंगे तो देश की नेता इंदिरा गांधी जी का जो उद्देश्य है कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करना है, उस उद्देश्य को धक्का लगेगा। आप इसकी जांच करवा लें।

1978 में विश्व बैंक ने खाद्य निगम को 157.50 करोड़ रुपया गोदामों के निर्माण के लिए सहायता के रूप में देने का संकल्प किया। फाइलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाया। एक बड़े अधिकारी के पास फाइल लगभग 5-6 महीने तक पड़ी रही। परिणामस्वरूप जिन गोदामों का निर्माण 1979 तक पूरा हो जाना चाहिए था वे 1986 तक पूर्ण होंगे। इस तरह से जिन गोदामों पर 157.50 करोड़ का खर्च आना चाहिए था वे अब 190 करोड़ रुपए में बनेंगे। इसकी जवाब-देही किस पर है? फाइलों का निपटारा क्यों नहीं किया गया? किसानों के ऊपर क्यों बोझा डाला जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसको देखेंगे और अगर कोई दोषी पाया गया तो वैधानिक कार्यवाही करने में इनकी कलम नहीं चूकेगी।

मान्यवर, गोदामों का निर्माण होता है लेकिन जो विभाग गोदामों का निर्माण करते हैं उनमें आपस में मेल नहीं है। सेंट्रल फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और कोआपरेटिव सेक्टर के लोग गोदामों का निर्माण करते हैं।

चारों एजेन्सियां एक ही स्थान पर गोदाम बना लेती हैं और सरकार को दिखा देती हैं कि घाटा हो रहा है क्योंकि गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि गोदामों का निर्माण एक ही स्थान पर न कराया जाए। एक स्थान पर एक ही एजेन्सी का गोदाम होना चाहिए चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो।

फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से हमारे माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्रय केन्द्रों को ब्लाक स्तर पर किया जाना चाहिए। एक ब्लाक में दो क्रय केन्द्र होने चाहिए जिससे किसान अपने गल्ले को आसानी से फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की दुकान पर जमा कर सकें। यदि ऐसी व्यवस्था हो गई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिचौलियों से बचा जा सकता है। आपने जो टारगेट गल्ला खरीदने का बनाया है, वह पूरा नहीं होगा बल्कि कई गुना बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैसर बाजार से खलीलाबाद बाजार करीब 35 किलो मीटर दूर है जहां किसान को ट्रैक्टर या ट्राली पर रखकर धान लाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही बिचौलिये किसान को कह देते हैं कि तुम्हारा गल्ला हम बेच देंगे, आप पैसे लो और घर चले जाओ। इस प्रकार बिचौलियों से बचने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एन० सी० सी० एफ० के बारे में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान अच्छी तरह से आकृष्ट कराया जा चुका है। देश की कोई पत्रिका या पत्र ऐसा नहीं है जिसमें एन० सी० सी० एफ० के कारनामों के बारे में न छपा हो। दालों का घोटाला और कन्ट्रोल रेट का कपड़ा जो कलकत्ता और गोहाटी में बिक गया लेकिन सही उपभोक्ताओं को कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार काकीनाडा का केस भी इस सदन में उठाया जा चुका है। मेरी अपील है कि एन० सी० सी० एफ० को ऊपर से नीचे तक सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि एन० सी० सी० एफ० के कार्यों और कारनामों से सरकार की बदनामी होती है।

हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारा 17वां सूत्र है "गरीबों के बच्चों को सस्ती पुस्तकें और पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराना"। मैं कहना चाहता हूं कि कापियां बनाने का अधिकार बिग हाऊसेज को दिया जाता है जैसे करमचन्द थापर एण्ड कम्पनी को दिया गया। जितनी कापियों की छपाई होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और नतीजा यह होता है कि गरीबों के बच्चों को कापियां मंहगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही बिजनेस हाऊस को इस प्रकार का कार्य न दिया जाए। कोआपरेटिव सेक्टर जो प्रदेशों में हैं और यहां भी हैं उसको यह काम दिया जाना चाहिए जिससे इस देश के गरीब, मजदूर का बेटा पढ़ने के लिए कापी प्राप्त कर सके।

राशन की दुकानों के बारे में मंत्री जी ने राज्य सभा में अपने एक बयान में कहा था कि देश में जो खाद्य वितरण की बात है उसको ऊपर से नीचे तक सुधारने की आवश्यकता है। अभी कोआपरेटिव सैक्टर को यह काम दिया गया है, परन्तु उत्तर भारत में कोआपरेटिव की क्या स्थिति है वह मंत्री जी को मालूम है। मंत्री जी आप फूड एंड सिविल सप्लाई की जो परिषद् है उसके अध्यक्ष हैं, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जो लोग निकल रहे हैं वह बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से अपील है कि जो भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं देश के कोने-कोने में कम से कम 50 प्रतिशत दुकानें बेरोजगार नौजवानों को मिलनी चाहिये ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो। और प्रभावशाली लोग जो 25, दुकानें लिये बैठे हैं, हमारे मंत्री जी ने राज्य सभा में जवाब भी दिया था कि दिल्ली में ही एक आदमी ऐसा पकड़ा गया जिसके पास 25 राशन की दुकानें थीं, ऐसे लोगों को न दे कर बेरोजगार नौजवानों को यह दुकानें दी जायें क्योंकि अब उनका धैर्य धीरे-धीरे टूट रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं मंत्री जी से बेरोजगारी दूर करने का जो संकल्प हमने अपने घोषणा-पत्र में दिया है उसे पूरा किया जाना चाहिये।

अभी तक गेहूं का मूल्य निर्धारण नहीं हुआ। हमारा गेहूं खेत में खड़ा है, किसानों को चिंता है, खाद और बिजली महंगी हो गई परन्तु गेहूं का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, मैं चाहूंगा यह जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए और ऐसी सम्भावना है कि 142 रु० की जगह शायद 150 रु० प्रति क्विंटल भाव तय हो। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मांग करते समय भी इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं ? आप अधिक मांग क्यों नहीं करते।

श्री कृष्णचन्द्र पांडे : मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें पहल कदमी कीजिये और किसानों को कम से कम 175 रु० प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिलना चाहिये जिससे किसानों का मनोबल ऊंचा हो। प्रतिदिन समाचार पत्रों में निकलता है कि गेहूं विदेशों से मंगाया जा रहा है, यह हमको विदेश से न मंगाना पड़े। अगर किसानों को आप सही दाम देंगे तो कृषि-प्रधान देश होने के कारण हमारे किसान इतना गल्ला पैदा करेंगे कि बाहर से मंगाने का सवाल ही नहीं उठेगा। भारत को आजाद हुए 35 साल हो गये, परन्तु आज भी हम विदेशों से गेहूं मंगायें यह अति चिन्ता का विषय है और इस पर किसानों को भी शर्म आती है।

मैं मन्त्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया का जो नट-वोल्ट ढीला हो गया है, उसको टाइट किया जाये जिससे किसानों से सीधा गल्ला खरीदा जाये और किसानों का टर्न-ओवर ऊपर किया जा सके।

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मन्त्री जी से अपील की है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में उन्होंने 1 लाख टन गेहूं दे दिया। मन्त्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला आधे उत्तर प्रदेश के लिये सुखाग्रस्त है। बुन्देलखंड की स्थिति भी वे स्वयं जानते हैं। पूरा प्रदेश सूखे से तबाह हो गया है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में भी वह 1 लाख टन गेहूं और दे दें तो अच्छा हो।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : नया गेहूं बाजार में आ गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : इससे हमारे किसानों को और गरीब मजदूरों को खाद्यान्न पहुंचाया जा सकेगा।

इसके साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का कोटा भी पूरा नहीं मिलता हमारे प्रदेश की सरकार ने बार बार प्रार्थना की है कि जनसंख्या के आधार पर तेल दिया जाये। इसके लिए कम-से-कम 75 हजार किलो लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु उत्तर प्रदेश को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है।

हमारे गन्ना किसानों की पहली मांग है कि उनका जो बकाया पैसा है, वह उनको मिलना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार उनको देना चाहती है किन्तु वहां पर जो कस्टोडियन मिले हैं, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य अभी तक नहीं दे रही हैं। अभी तक वह 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 40 पैसे और 18 रुपये 85 पैसे ही दे रही हैं। मेरा निवेदन है कि घोषित नीति के अनुसार केन्द्र की कस्टोडियन मिलों से बकाया राशि किसानों को दिलवाने की कृपा की जाये।

20 करोड़ रुपया जो कर्ज के रूप में प्रदेश सरकार मांग रही है जो किसानों को देना है, वह जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र पाल सिंह (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो समय इसके लिये मुझे आपने दिया, उसके लिये धन्यवाद।

गन्ने की स्थिति जो आज पूरे देश में बनी हुई है, उसकी तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर हम पिछले साल की तरफ ध्यान दें तो चीनी मिलों ने 84 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा की है। उस साल चीनी का उत्पादन रिकार्ड उत्पादन है लेकिन इसके साथ ही साथ गन्ना उत्पादकों की बकाया रकम का रिकार्ड भी यह है कि बहुत रुपया किसानों का बकाया है। इसकी तरफ मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

पिछले साल से गन्ने का उत्पादन 8 प्रतिशत से ज्यादा है। उसमें भी सूखा पड़ता रहा। सरकार ने प्रयास किया कि चीनी मिलों को जल्दी पिराई का काम शुरू कर देना चाहिये, लेकिन बावजूद इस आदेश के वह जल्दी नहीं चला सके और जो ज्यादा चीनी का लाभ हो सकता था, वह नहीं लिया जा सका। सारी मिलें देर से चलीं। अक्तूबर में मिलें चलनी चाहिए थीं। उस समय के लिए टैक्स में जो रियायतें थीं उनका भी लाभ वह नहीं उठा पाए। इसके साथ साथ रिकवरी बेसिस पर गन्ने की कीमत तय की जाती है। पिछले दो सालों के औसत पर इस साल का बेसिक कोटा बनाया गया और गन्ने का भाव तय किया गया। हालांकि पिछले साल के मुका-

बले इस साल काफी मंहगाई बढ़ गई है फिर भी गन्ने का मूल्य ज्यों का त्यों रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली में 50 प्रतिशत, खाद में साढ़े 62 प्रतिशत, डीजल में 30 प्रतिशत, मजदूरी में 30 प्रतिशत और रोडवेज में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन फिर भी इस साल पिछले साल का भाव ही रखा गया है। इसके अलावा किसानों का जो गन्ने का दाम बाकी रहता है उस पर उनको सूद भी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ किसान जितना भी कर्जा कहीं से लेता है उस पर उससे पूरा सूद वसूल किया जाता है। मैं मन्त्री जी से विवेदन करूंगा कि अगर नियमों में कहीं पर ढिलाई है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रावधान है, उसके अनुसार 14 दिन के बाद सूद दिया जाना चाहिए लेकिन वह दिया नहीं जाता है। यह प्रावधान केवल कागज पर ही रह जाता है। इसकी तरफ मन्त्री जो को विशेष ध्यान देना चाहिए।

सारे देश में कुल 301 चीनी मिलें हैं जिसमें से 92 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में पांच प्रकार की चीनी मिलें चल रही हैं। एक तो कोआपरेटिव मिलें हैं। दूसरी कारपोरेशन की मिलें हैं। तीसरी मिलें वह हैं जिनको टेक-ओवर किया गया है। चौथे प्रकार की प्राइवेट मिलें हैं। पांचवीं सेन्टर की मिलें हैं जो कस्टोडियन मिलें कहलाती हैं। शुरू में इस बात की कोशिश की गई थी कि चीनी मिलों को जल्दी आरम्भ किया जाए लेकिन अब सरकारी मिलें ही नहीं चल सकीं तो दूसरी मिलों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। जहां तक गन्ने की स्थिति का सम्बन्ध है, फिक्की के जो चेयरमैन हैं, मि० जैन, उनका एक बयान निकला था कि मिलों पर 40 करोड़ बकाया था जो मैं समझता हूं अगले साल तक दो अरब हो जायेगा। इस प्रकार किसानों का बकाया रहने पर मिलों का चलाना कठिन होगा। अतः इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास होना चाहिए। चीनी का रेट बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा एक लाबी तैयार हो रही है जोकि गन्ने का दाम कम कराना चाहती है। सरकार को यहां पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि वह कभी भी उस लाबी के दबाव में नहीं आयेगी। साथ ही किसानों का जो बेसिक कोटा है उससे ज्यादा गन्ना लिया जायेगा—इसकी भी घोषणा की जानी चाहिए। इसकी वजह से आज पूरब के किसान बहुत परेशान हैं। आज वे गुड़ के लिए अपना गन्ना सस्ता बेच रहे हैं। उनको गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को यहां पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि किसान ने जो भी गन्ना बोया हुआ है वह पूरा का पूरा पेरा जायेगा। एक तरफ तो सरकार की योजना 70 मिलें और खोलने की है इसलिए अगर वह किसानों को प्रोत्साहन नहीं देगी तो वे गन्ना क्यों बोयेंगे ? जो स्थिति इस साल चल रही है उसको देखते हुए अगली बार किसान कम गन्ना बोयेंगे क्योंकि उसको उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को सूद समेत बकाया दिया जाए और चीनी का बफर स्टाक बनाया जाए। तथा दूसरे देशों में यदि सस्ते दामों पर भी जाती हो तो भेजना चाहिये, जिससे उनका तनाव कम हो। जितनी चीनी पिछले साल बनी थी उतनी इस साल भी बन जायेगी—इस लिये इसको आप विशेष रूप से देखें।

आज हम किसानों को रियायत देने की बात कहते हैं—यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि गन्ना किसानों को उनका बकाया मिले तथा गन्ने की उचित कीमत मिले। उसके मन में यह चिन्ता लगी हुई है—इस लिये मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र घोषणा करनी चाहिये।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हमारे साथियों ने प्रकाश डाला है तथा श्री पांडे जी भी अभी बोल रहे थे—गन्ने की कीमत का ऐलान होना है—मैं चाहता हूं कि 200 रुपये से कम का

ऐलान नहीं होना चाहिये। सरकार को कीमत को ऐलान करने से पहले हर चीज पर दृष्टि डालनी चाहिये—पिछले साल में क्या-क्या चीज तेज हुई हैं, किसानों को पैदावार प्राप्त करने के लिये क्या-क्या खर्चा करना पड़ता है—उन सब को देख कर भाव की घोषणा करनी चाहिये।

आप ने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको अनेक धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य और आपूर्ति विभाग की जो मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी का राज वापस आया, 1980 से, तब से उन्होंने प्रोक्योरमेन्ट की जो पालिसी एडाप्ट की है उस से देश में एक अच्छा वातावरण बना है तथा हमने हायेस्ट प्रोक्योरमेन्ट किया है। करीब 15 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंन्ट हुआ है जो आज तक, यहां तक कि जनता पार्टी के जमाने में भी नहीं हुआ। जनता पार्टी की सरकार ने तो सारे देश का बंटाधार कर दिया था...(व्यवधान)...लेकिन उस अव्यवस्था को दूर करके जो प्रोक्योरमेन्ट की पालिसी हम ने एडाप्ट की, निश्चित तरीके से उस देश में अच्छा वातावरण बना है। हम ने प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था जिन-जिन एजेन्सियों की मारफत की—चाहे एफ०सी०आई० हो, सेन्ट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन हो या स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन हो—उनके सम्बन्ध में चाहे जो शिकायतें हों, उनकी व्यवस्था अच्छी थी या नहीं थी, उनके प्रोक्योरमेंन्ट में क्या-क्या गड़बड़ी थी, इन सब के बारे में मैं बाद में कहूंगा—लेकिन जो भी एजेन्सियां हैं, जिनके द्वारा 15 मिलियन टन गेहूं प्रोक्योर किया गया है, उतना अब तक किसी भी वर्ष में प्रोक्योर नहीं हुआ, इसलिये इस कार्य के लिए हम सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं। इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कारगर कार्यवाही की है, विदेशों से भी फूड ग्रेन्ज मंगा कर बफर-स्टाक बनाने की व्यवस्था की है—इससे भी देश में एक अच्छा वातावरण बना है। क्योंकि जब तक देश में बफर-स्टाक नहीं होता है, प्राइसेज का एक्सकेलेशन होता है, उसमें रुकावट नहीं आती है, लेकिन जब लोगों को मालूम होता है कि बफर स्टाक मौजूद है, जिसके द्वारा हम सारे देश को व्यवस्थित तरीके से सप्लाई कर सकते हैं, उस स्थिति में दाम नहीं बढ़ पाते हैं। मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं—पिछले वर्ष में फूड ग्रेन प्राइस में बहुत थोड़ा अन्तर आया। 1968 में जब कि 16 परसेन्ट से ज्यादा का फर्क था, पिछले वर्ष केवल 4.9 परसेन्ट प्राइस की बढ़ोत्तरी हुई। इस बात के लिये हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है, उन्होंने प्राइसेज को बढ़ने से रोकने में बहुत बड़ी मदद की है।

मगर आज देश में जो स्थिति है—आधे से ज्यादा देश में भयंकर अकाल है। राजस्थान में तो उससे भी ज्यादा अकाल है। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा भयकर अकाल होते हुए भी जिस तरह से प्रोक्योरमेंट किया, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये विदेशों से अनाज मंगाया, और जिस तरीके से उन्होंने वितरण व्यवस्था करने की कोशिश की है उससे हमें मालूम होता है कि हमारी सरकार इस मामले में सजग है। जिन स्टेट्स में खाद्यान्न की कमी है उन स्टेट्स के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है जिससे कि भूख और प्यास से लोगों के मरने की हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई। बेशक लोग बीमारियों में मर गये हों लेकिन भूख और प्यास से कोई नहीं मरा। इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

इस देश में इतने भयंकर अकाल के होते हुए और अकाल से इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हुए भी जो वितरण व्यवस्था की गयी है, उसके लिए निस्सन्देह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मगर इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप और माकूल बनाएं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पिछले चार-पांच सालों से भयंकर अकाल पड़ता है। आप हमको 19 हजार टन गेहूं हर माह देते हैं। जब बंगाल वाले कहते हैं कि हम को एक लाख टन गेहूं और चावल दो, बिहार और यू० पी० के लोग भी कहते हैं हमको भी एक-एक लाख टन खाद्यान्न दो, केरल वाले भी एक लाख टन चावल की मांग करते हैं और आप उन्हें भरसक देने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान जहां कि आबादी साढ़े तीन करोड़ है, उसके लिए आपने 19 हजार टन गेहूं दिया तो इतने अनाज से राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी किस प्रकार प्रभावित होगी, उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं आप इस पर पुनर्विचार करें और वहां की जनसंख्या को देखते हुए राजस्थान को पूरा खाद्यान्न सप्लाई करें। अब तक तो लोगों की शिकायत सरकार के सामने नहीं आई है। वहां यह भी स्थिति पैदा हो सकती है कि लोग भूख और प्यास से मर जाएं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

आपने इस देश में डिस्ट्रियब्युशन सिस्टम को कोआप्रेटिव सोसायटीज के जरिये से मजबूत करने की कोशिश की है। आपने 2.82 लाख फेअरप्राइस शाप पिछले वर्षों में खोली हैं। मगर इन दुकानों की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको यह भी देखना है कि क्या आपकी कोआप्रेटिव्ज वाएबल यूनिट्स हैं या नहीं। उनके पास इतना पैसा है या नहीं जिससे कि वे वितरण सामग्री लोगों को उपलब्ध करा सकें। मैं पिछले तीन सालों से आपको बराबर कह रहा हूं कि अगर आप इन कोआप्रेटिव सोसायटीज को इकोनोमिकली वाएबल नहीं बनायेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम नहीं चल पायेगा। इसलिए इनको वाएबल यूनिट बनाने की परमावश्यकता है तभी जाकर कोआप्रेटिव्ज वितरण के मामले में कदम उठा सकेंगी। वरना आप दुकानें खोलते जाएंगे, उनका लाभ कोई नहीं होगा। आप जो सामग्री वितरण के लिए देंगे भी, उसका दुरुपयोग होगा। वह सामग्री लोगों तक ठीक प्रकार से पहुंच पाए, इसके लिए आपको इकोनिमकली वाएबल यूनिट्स बनाने के सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने चाहिए।

तीसरा मेरा निवेदन है कि आपने कोआप्रेटिव सोसायटीज के अलावा प्राइवेट लोगों को भी फेअर प्राइस शाप दे रखी हैं। माननीय पांडे जी कह रहे थे दिल्ली में आपने बीस दुकानें एक आदमी को दे रखी हैं। मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट लोगों को वितरण की एजेंसी नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग वितरण सामग्री का दुरुपयोग करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे यहां किसी भी देहात में इन दुकानों से एडीबल आयल और कपड़ा नहीं मिलता है। हमारे यहां गेहूं और शक्कर तो जरूर मिल जाता, उसके अलावा और कोई सामग्री वहां नहीं मिल पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि आपने जो होल सेल या रिटेल एजेंसीज कायम कर रखी हैं, वे दी गयी सामग्री का ठीक प्रकार से वितरण नहीं करती और उस सामग्री को काले बाजार में बेच देती हैं। वे इस प्रकार से गरीबों को सामान सप्लाई न कर के पैसे वालों से, उनको वह माल देकर नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी तो असेंशियल आयटम्स जो आपने 6-7 बनाए हैं वे आम जनता को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। रैपसीड आइल, क्लाथ तथा अन्य प्रकार की चीजें उचित दर की दुकानों तक नहीं पहुंच पातीं। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। कंट्रोल के कपड़े का निर्माण एन टी सी करता है। पहले यह तरीका था कि अन्य मिलों को भी कुछ निश्चित परसेंटेज कंट्रोल क्लाथ बनाना पड़ता

था। किन्हीं कारणों से अब प्राइवेट मिल्स को इस नियम से मुक्त कर दिया गया है। इसको देखने की आवश्यकता है। तमाम गरीब लोगों को, किसानों और मजदूरों को सस्ता कपड़ा सुलभ हो सके, यह काम केवल एन टी सी के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई कदम उठाना होगा तभी गरीब लोगों को कंट्रोल क्लाथ उपलब्ध हो सकेगा। इस ओर तवज्जह देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार रैपसीड आयल और वेजीटेबल आयल भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो संस्थाएं इंपोर्ट करती हैं उनको भी कई कंसेशंस दिए गए हैं। लेकिन यह देखने की आवश्यकता है कि जो संस्थाएं अरबों रुपए की सामग्री इंपोर्ट करती हैं वे सही जगह पहुंचती भी हैं या नहीं या ब्लैक मार्केट में पहुंचती हैं। जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक असेंशियल आइटम्स आप आम जनता को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे।

शुगर प्रोडक्शन के बारे में आज क्या स्थिति है। आज जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों को गन्ने की कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए। जनता पार्टी के समय में क्या स्थिति थी। 5 रुपए क्विंटल गन्ना भी कोई किसानों से खरीदने को तैयार नहीं था। परिणाम यह हुआ कि किसानों को खेतों में गन्ना जला देना पड़ा। हमारी नेता इन्दिरा जी के आते ही आपने देखा कि 22-23 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदा गया। इसकी वजह से देश में गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ा। आज आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुनियां में सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन यहां किया गया। यह कोई कम बात नहीं है। एक समय था जब हम देश की मांग की पूर्ति नहीं कर पाते थे और आज हम लाखों टन शक्कर का निर्यात कर सकते हैं। जनता पार्टी के समय में 35 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ जबकि पहले 60-70 लाख टन का उत्पादन होता था। इन्दिरा जी के आने के बाद 80,84 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ है। आज हम इस देश को इस स्थिति में ले आए हैं। आपको इस बात पर गर्व करना चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार ने तीन साल तक राज करने के बाद सारी सरकार का दिवाला निकाल दिया।···(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : जनता पार्टी का राज तो ढाई साल के बाद खत्म हो गया लेकिन आपकी सरकार तो तीन साल से चल रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने ही इस देश का भट्ठा बैठा दिया और सिर्फ 38 लाख टन चीनी पैदा की। आपको मालूम होना चाहिए कि जनता पार्टी के राज में किस प्रकार का अत्याचार और अन्याय किसानों के साथ हुआ। हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के साथ हमदर्दी रखने वाली सरकार है। हम लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा आर्थिक प्रगति का लक्ष्य है। आप देख सकते हैं कि श्रीमती गांधी की सरकार मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए किस प्रकार से काम कर रही है।

माननीय मंत्री जी से शुगर प्राइस के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सस्ती शुगर गरीबों को फेअर प्राइस शाप्स द्वारा देने के लिए योजना बनाई है, इसलिए शुगर की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। सस्ते दामों पर ही गरीबों को शुगर उपलब्ध होनी चाहिए। आपने पिछले साल तीन-

तीन चार-चार दफे कीमतें बढ़ाई हैं और गरीबों को कन्ट्रोल रेट पर देने की बात भी कही है। मिल-मालिक करोड़ों रुपया खा गए और सब मिलों को सिक बना दिया। करोड़ों रुपया किसानों का बाकी है, इसके बावजूद भी आप इन पर दया कर रहे हैं। आपने सिक मिल्स को ऊपर उठाने के लिए 9 रुपया प्रति क्विंटल सैस लगाया है।

पहले आप इस बात की जांच कीजिए कि इन मिलों को सिक किसने बनाया और किसने पैसे का दुरुपयोग किया और किस तरह से इस पैसे को कहाँ-कहां ले गए ? अगर देश के इन्टरेस्ट में इन्होंने काम किया है तो अवश्य ही आप इनकी मदद कीजिए। अगर इन्होंने बेईमानी की है और पैसा खा गए हैं तो निश्चित ही इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको अवश्य ही सिक मिल्स को अपने पास लेना चाहिए जिससे मजदूरों को मजदूरी मिले और उसके बाद इत मिल्स को माडर्नाइज और रिहेबिलिटेट करके ऐसी यूनिट बनाई जाए जो प्राफिटेबल और वायेबल हो।

इनको वापिस मत कीजिए बल्कि नेशनलाइज किया जाए। एफ० सी० आई० में बड़ी भारी गड़बड़ी है। एफ० सी० आई० के सम्बन्ध में आप ध्यान रखें ताकि सामान खरीदने वक्त बिचौलिये बीच में न आयें, क्योंकि इससे गरीब किसान को कम पैसा मिलता है। बिचौलिया अगर होगा तो किसान का शोषण होगा। इसलिये इस व्यवस्था को माकूल बनायें और ब्लाकवाइज आप परचेज सेन्टर खोलिये। इसके अलावा एफ० सी० आई० गोदाम से जब दुकानदार को माल दिया जाता है तो उसमें भी गड़बड़ करते हैं कर्मचारी लोग 5,10 किलो गेहूं हर बोरी में कम मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि दुकानदार उपभोक्ताओं को कम माल तौलता है और उनको तकलीफ होती है। एफ० सी० आई० के जो अधिकारी गरीबों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

आप फसल के समय पर तो अच्छा गेहूं किसान से लेते हैं फिर समझ में नहीं आता कि उसमें रेत और कंकड़ कहां से आ जाते हैं वजन बढ़ाने के लिये ? इस अव्यवस्था को रोकना चाहिये। अच्छा गेहूं प्राइवेट दुकानों में चला जाता है और खराब गेहूं राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को मिलता है। इस व्यवस्था को आपको ठीक करना चाहिये। आप प्रोक्योरमेंट के समय अच्छे से अच्छा गेहूं लेते हैं लेकिन बाद में कंज्यूमर्स का सड़ा गेहूं मिलता है। इस अव्यवस्था को रोका जाए।

एफ० सी० आई० के जितने भी अधिकारी हैं और बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं आप देखिये कि कितने लोग इसमें होने चाहिये। कोई तो नौर्म होगा जिसके मुताबिक कर्मचारी होने चाहिये ? 10,000 के करीब जो अतिरिक्त स्टाफ एफ० सी० आई० में है और उस पर बोझ बने हुए हैं उनको वहाँ से हटा कर दूसरी जगह भेजिए जिससे गरीबों का शोषण न हो सके।

इसी तरह से एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्यों को अनाज और पैसा देते हैं। आपको देखना चाहिये कि किस राज्य ने इसका सही उपयोग किया है और किसने नहीं। जिन राज्यों ने एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें ताकि अनाज और पैसे का दुरुपयोग न हो और कोई अपना पार्टी काडर बनाने के लिये इस व्यवस्था का दुरुपयोग न करे। मैं दूसरों के लिये ही नहीं कह रहा हूं, हमारे यहां भी

पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिये यहां पर भी आप व्यवस्था कीजिये। अगर पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो किस वजह से ऐसा हुआ है इसको देखिये और व्यवस्था ठीक करने के लिये आवश्यक कदम उठाइये।

बाड़मेर जिले में शेरगढ़ तहसील में, अभी राजस्थान विधान सभा में प्रश्न इस बारे में उठा था कहा गया कि 200 आदमी भूख से मरे गये। मैं इस बात को तो नहीं मानता कि भूख से मरे, लेकिन कुपोषण से जरूर मरे हैं क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिला। इसके पीछे किसका हाथ है? और जो दोषी लोग हैं जिनकी वजह से 55 आदमी मरे हैं उनके खिलाफ भी भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये। जो राज्य अपनी रियाया को पूरा भोजन न खिला सके---उनको पूरा न्यूट्रिशन फूड नहीं दिला सके, उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से नहीं चला सके। आज उस तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ आपको कदम उठाने चाहियें। आप उनके कुपोषण की पूर्ति कराइये और उनको सारी सामग्री दिलाने की व्यवस्था बनाइये। ऐसी व्यवस्था कराइये ताकि गरीब आदमी मैल न्यूट्रिशन से मरे नहीं, वह जिन्दा रह सके।

आपकी जो सैंट्रल एजेन्सीज हैं एक तो एस० टी० सी० है और एक पांडे जी ने एम० एम० टी० सी० बताई। इस प्रकार की जितनी भी एजेंसीज हैं देश के लैवल पर, जिनमें अरबों रुपये का सामान यह मांगती हैं, उनकी कोई पड़ताल आपको करनी चाहिये कि उनमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं? हमारी सब स्टेट्स को उनके जरिये जितना सामान मिलना चाहिये, दालें, मिट्टी का तेल रेप सीड आयल और अन्य प्रकार का सामान वह ठीक मिल रहा है या नहीं? जितनी उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार मिल रहा है या नहीं? कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है, यह आप अच्छी तरह देखिये और व्यवस्था को सुन्दर कीजिये ताकि श्रीमती इन्दिरा गांधीके राज्य के लोग याद रखें कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में जितना भी सामान हम इकट्ठा करते हैं, वह ठीक प्रकार से वितरित होता है और उससे गरीब का भला होता है। इस तरह से गरीब इन्दिरा जी के हाथ मजबूत करने में मदद करेंगे। हम पूरे लोग आपके साथ हैं। आप इन्दिरा जी के हाथों को ममबूत करें और देश की व्यवस्था को माकूल बनाने में पूरी ताकत लगायें। इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की डिमांडज का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई-उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल की ओर से बोल रही हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि मैं एक कंज्यूमर मूवमेंट की प्रतिनिधि हूं। मैं समझती हूं कि जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाने के लिए निरन्तर निगरानी का होना जरूरी होता है, उसी तरह उपभोक्ता आन्दोलन के विकास के लिए निरन्तर निगरानी का होना जरूरी है। कंज्यूमरी मूवमैंट चलाने वाले लोगों को सिर्फ पोलिटिकली विचार नहीं करना चाहिये, यह भी मैं मानती हूं। इसीलिये मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब जनता पार्टी का राज्य चल रहा था, मैं जनता पार्टी की सदस्य पहले से ही हूं, जब हमारी पार्टी का राज्य इस देश में चल रहा था तब भी बजट के जरिये खामाख्वाह दाम बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा जलूस निकालकर उस समय भी इसका विरोध किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पीठ बजाने से कोई फायदा नहीं होता है। जो हुआ है, वह हमने किया है और जो नहीं हुआ है, वह दूसरों ने नहीं किया है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखती हूं। इसलिये मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। आप यह न समझिये कि सिर्फ पोलिटिकली मोटिवेटेड हमारे चार्जेज हैं। आप उन पर विचार कर अपनी राय दीजिये।

आपको कंज्यूमर्स मूवमैंट के बलवान बनाना चाहिये, आपके हाथ में जितनी ताकत है उसका सहयोग देकर इसको बढ़ाने में मदद देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं।

आज पूरे देश में बड़ा भारी अकाल है। पिछले हफ्ते सारे विरोधी दल के लोग इकट्ठे होकर एडजार्नमेंट मेन्शन इसलिये मांग रहे थे कि आज गरीब वर्ग की हालत बहुत खराब है। देश में लोग मर नहीं रहे हैं, लेकिन मृत्यु की रेखा पर बैठे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। तमिलनाडु में पीने का पानी कम है, केरल में चावल ज्यादा चाहिये। महाराष्ट्र के 26 जिलों में से 20 जिलों में अकाल पड़ रहा है। आपके अन्दाज के मुताबिक अकाल होने के बावजूद भी 10 मिलियन टन अनाज ज्यादा होगा। आप पहले साल भी कह रहे थे कि अनाज ज्यादा हुआ है। अगर आपका यह कहना है तो आप लोगों को अनाज कहां दे रहे हैं? आप अलग-अलग स्टेट्स को राजनीतिक विचार न करते हुए, दूसरी पार्टी का राज्य है तो भी वहाँ की जनता देश की जनता है, यह समझते हुए उनको ठीक प्रकार से अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कहां कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहती हूं। 1978-79 में 132 टन अनाज पैदा हुआ था। वह मैक्सिमम अनाज पैदा हुआ था और उस समय पर कैपिटा कंजेम्शन 480 ग्राम था। आज 460 ग्राम ही रह गया है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से आज सबसे कम फूड ग्रेन का पर कैपिटा कंजेम्शन है। हमारे देश के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्री डी० सी० कोठारी ने कहा है कि 230 लाख बच्चे जो पैदा होंगे उनमें से 40 लाख पांच सालों में इसलिए मर जायेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए पूरा अनाज नहीं मिलेगा। 30 लाख बच्चे घरों में पैदा होंगे, उनकी सेहत तो ठीक रहेगी लेकिन 160 लाख बच्चे मालन्यूट्रिशन की वजह से शरीर और दिमाग से कमजोर रहेंगे क्योंकि अकाल की स्थिति हो रही है।

महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम शुरू हुई थी जिसका बाद में अन्य राज्यों ने भी अनुकरण किया। आज जनसख्या को रोकने में, कारण जो भी हों, उतनी सफलता नहीं मिल सकी है। आज अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसलिए फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए केन्द्रीय सरकार को दुगुना तिगुना अनाज देना चाहिए और राज्यों से कहना चाहिए कि वहां पर ऐसे कार्य किए जायें जिनसे भविष्य में अकाल की स्थिति पैदा न हो। महाराष्ट्र में तालाब और बांध बनाने की योजनायें हैं। आपने इस योजना के लिए जो अनाज का कोटा रखा है उसको दुगुना तिगुना करना पड़ेगा। एम्पलायमेन्ट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत आप अनाज देने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मालन्यूट्रिशन का सवाल पैदा हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत हल कर सकते हैं।

सरकार ने यहां पर बजट पेश करने से पहले पेट्रोलिया प्रोडक्ट्स के ऊपर 800 करोड़ के टैक्स लगाए। फिर आपने डूअल प्राइसिंग की घोषणा की। फिर आपने तालियों के साथ साथ किरोसीन की कीमत घटाने की घोषणा की थी। मैंने ताली नहीं बजाई थी क्योंकि मैं एक ग्रहणी हूं और मुझे पता है कि पहले आपने 800 करोड़ बढ़ा दिए और फिर कम करने का बहाना किया। उसके बाद अब 19 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे।

1979 में जब जनता पार्टी का शासन नहीं रह गया था, आपने श्री चरण सिंह को शासन में बिठाया था उस समय से लेकर अब तक पांच बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। 1979 में आपको 880 करोड़ मिले जबकि अंदाजा था 1,170 करोड़ मिलेंगे। उसके बाद 8.6.1980 को आप ने बढ़ाया—अन्दाज था कि 2466 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन 2080 करोड़ मिला। उस के बाद 13-1-1981 को बढ़ाया, अन्दाज था कि 1600 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन

1195 करोड़ रुपया मिला। उसके बाद 10-7-1981 को बढ़ाया और अब फिर बढ़ाया जिससे 800 करोड़ रुपया मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक चीज बन गये हैं। इनका दाम बढ़ाने से तमाम चीजों पर उसका असर पड़ता है। यातायात के दाम बढ़ जाते हैं, फ्रैटचार्जेज बढ़ जाते हैं, किसान का डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। आप कहेंगे कि इस का सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री से क्या सम्बन्ध है ? आप का सम्बन्ध अनाज के साथ है, इसलिये इन चीजों के दाम बढ़ाने की जो नीति चल रही है उस का सीधा असर अनाज पर पड़ेगा, इसलिये इस पर आप को ध्यान देना चाहिये।

कहा गया है कि बहुत से लोग हाई स्पीड डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट करते हैं, इसलिये उसका दाम बढ़ाना जरूरी है। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार की नीति इस तरह की होनी चाहिये कि हाई स्पीड डीजल की कीमत कैरोसीन से भी कम रखें जिससे लोग मिलावट न कर सकें। इस नीति का दूसरा लाभ यह होगा कि अनाज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आप ने मिट्टी के तेल के दाम जो 10 पैसे बढ़ाये हैं, वे आप को वापस लेना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही 9 पैसे बढ़ा दिए हैं। इसलिए आप ने 10 पैसे बढ़ा कर कोई काम नहीं किया है।

अनाज के जो गोडाउन्ज आज देश में हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ता० 21 को महाराष्ट्र के सिविल सप्लाइज मिनिस्टर ने बतलाया कि महाराष्ट्र के गोदामों में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण 16 करोड़ रुपए का अनाज खत्म हो गया। यह मनुष्य के खाने लायक नहीं है।

यह जवाब उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेचर की मीटिंग में दिया है। धूलिया में ज्वार का सत्यानाश हो गया, 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ। परसों हरियाणा की बात भी सामने आई थी। अलग-अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अनाज रखने का तरीका ठीक नहीं है—पिलफरेज होती है, चूहे खा जाते हैं, इन कारणों से एक तरफ तो अनाज कम होता है और दूसरी तरफ माल चोर—बाजारी में चला जाता है और तीसरी तरफ लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचता है। अन-फिट फार ह्यूमन-कन्जम्पशन कह कर, जानवारों को दे देते हैं।

पिछले साल आप ने 4 मिलियन टन अनाज विदेशों से इम्पोर्ट किया। जनता पार्टी के राज्य के समय हमें ऐसा लगता था कि आगे चल कर हम अनाज को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस समय उल्टी बात हो गई है। आस्ट्रेलिया से आप ने जो गेहूं लिया है। उसके बारे में आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा था कि उस पर पेस्टीसाइड्स स्प्रे किया गया है, इसलिये उसको धोकर खाना चाहिये। यह सवाल मैंने लोक सभा में भी उठाया, जवाब आ गया कि इसी लिये भीगा हुआ गेहूं खरीदा है, लेकिन उस पर भी फंगस पैदा हो गया। बाद में खबर आई कि उस को किसी को नहीं देंगे लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अलग-अलग राशन की दुकानों पर वह भीगा हुआ गेहूं दिया गया। पिछले दिनों दिल्ली की राशन की दुकानों पर जो गेहूं दिया गया मैं उसका नमूना भी लाई थी, लेकिन बैलैट में नहीं आया इसलिये नहीं रख सकी।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिये आप कहते हैं—1980 तक आप ने 2.81 लाख दुकान तो आपने खोल दीं, लेकिन उन पर राशन कहां है ? लोग उन दुकानों पर जाते हैं—एक बार में सब चीजें नहीं मिलतीं हैं, एक बार एक चीज मिल जाती है, दूसरी बार दूसरी चीज मिल जाती

है, 15 दिन खत्म हो जाते हैं लेकिन सारी चीजें नहीं मिल पातीं। बार-बार सरकार के पास लोगों को जा कर कहना पड़ता है कि हमें अनाज नहीं मिला है, इसलिये दूसरे समय में देने की व्यवस्था करें।

दिल्ली शहर में चुनाव होने वाले थे। चनाव का ऐलान होने के बाद हजारों की संख्या में लोगों को राशन कार्ड दिये गये और कहा गया कि सब को अनाज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लोगों को राशन कार्ड तो दे दिये गये लेकिन दुकानों पर अनाज नहीं था। कहते हैं दिल्ली शहर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाजी मस्तान है, उस की 76 लाख रुपये की प्रापर्टी है। पुलिस ने उस को पकड़ा था, लेकिन आगे चल कर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। लेकिन यह दिल्ली की हालत है, केपिटल की हालत है। राशन की दुकानों पर चीजें नहीं मिलती हैं। फेयर प्राइस शाप्स वाले फूड कारपोरेशन से अच्छी चीजें खरीद कर लोगों को गन्दी चीजे देते हैं। जो चीज सरकार अच्छी देती है वह भी लोगों को नहीं मिल पाती है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक विजिलेंस कमेटियों की व्यवस्था करनी चाहिए। उनमें आपको व्यापारियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके वेस्टेड इंट्रेस्ट्स रहते हैं। इन विजिलैंस कमेटियों में आपको कंज्युमर्स और गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को रखना चाहिए। इनमें मेन्युफेक्चरर के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी हो सकते हैं।

आपकी वनस्पति आयल की कीमत कौन तय करता है ? गवर्नमेंट और मेन्युफेक्चरर मिल कर तय करते हैं। इसलिये आपको मेन्युफेक्चरर के प्रतिनिधियों को लेना चाहिए। इतने सालों से ये बात चल रही हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक हम अपनी प्राइस पालिसी तय नहीं कर सके हैं। मार्जिन आफ प्राफिट क्या होना चाहिए, इस बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं कर सके हैं।

कहा जाता है कि जगह जगह पर चोरी चल रही है। यहां कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी अच्छी हैं, बाकी और लोग भी अच्छे होंगे लेकिन चोरों का समर्थन कौन लेता है ? इसी से हम अपनी प्राइस पालिसी को तय नहीं कर पाते। अगर आपको कंज्युमर्स मूमेंट को बढ़ाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। आप कितना ही अच्छा काम करें, सरकार कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन व्यापारी की नीयत को आप ठीक नहीं करते हैं तो लोगों को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको कंज्युमर कमेटियां बनानी चाहिए।

आज पूरे देश में गंदा खाना खा कर कितने बच्चे अंधे हो जाते हैं, मर जाते हैं। 40 हजार बच्चे अंधे हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिये। यह सब काम करने के लिए आपको कंज्युमर मूमेंट को खड़ा करना होगा। इसके लिए आप कदम उठाएं।

जनता पार्टी के राज में खाद की कीमत कम कर दी गयी थी इसलिए हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़ी। उसके बाद फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ने लगी जिससे फर्टिलाइजर की कंजम्पशन कम हो गयी। इसी से हमारे देश की पैदावार पर असर पड़ा। आपने सिक्सथ फाइव ईयर प्लान में 154 मिलियन टन का टार्गेट फिक्स किया है। आपका सिक्सथ फाइव ईयर प्लान खत्म होने जा रहा है। आपने पिछले साल दस मिलियन कम का टार्गेट फिक्स किया। आप हम लोगों को 154 मिलियन टन अनाज नहीं दे सकते। बल्कि होना तो यह चाहिए था कि टार्गेट दुगना होना चाहिए था। यह टार्गेट कम से कम 200 मिलियन टन का होना चाहिए था जिसको कि पूरा करने के लिए लोग लगते।

हमारे देश में अनाज कम क्यों हो रहा है ? इसलिए हो रहा है कि किसान को उसकी पैदावार की रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलती है। उसके इनपुट्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से उसको कीमतें नहीं मिलती हैं।

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि कृषि मंत्री जी ने एक कालिंग अटेंशन के समय यहां पर यह मंजूर किया था कि अमेरिका से जो हम गेहूं मंगाते हैं उस पर 230 रूपये क्विन्टल का खर्च आता है जबकि हम अपने यहां के किसान को 142 रुपये देते हैं। इसलिए आज किसान कम पैदावार कर रहा है। फर्टिलाइजर की कंजम्पशन कम होती जा रही है। अगर आप किसान को उसकी पैदावार की रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं देते तो किसान अपनी पैदावार को नहीं बढ़ायेगा।

आज हमारे चीनी के कारखाने वाले कहते हैं कि वे बहुत क्राइसिस में हैं। शुगर इन्डस्ट्री हमेशा क्राइसिस में रहती है। आज उनका यह कहना है कि वे गन्ने की कीमत नहीं दे सकते हैं। इन्डस्ट्रीज बंद हो जाएगी इसलिए गन्ने की कीमत कम कर दीजिए। आज ये लोग किसान का नाम लेते हैं। उस वक्त इन्हीं लोगों ने कहा था कि—हम यह सब कुछ दे रहे है। मार्केट में फ्री कर दीजिए। इससे चीनी की कीमत कम हो गई। मैं खुद उस डेलीगेशन में थी। हम लोग किसानों के साथ थे। किसानों ने गन्ने की उचित कीमत की मांग की। सरकार ने कहा कि अगर मिल मालिक गन्ने की उचित कीमत नहीं देंगे तो सरकार देगी। लेकिन तब तक सरकार गिर गई। बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। जब तक किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं देंगे तब तक आप किसान को अधिक अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकेंगे।

इंपोर्टेड फर्टिलाइजर का कोटा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मार्च तक नहीं आया। इससे वे जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं कर सकेंगे। जून तक किसानों को खाद मिल जाना चाहिए। किसानों को समय पर खाद मिल सके इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आम जनता की भलाई के लिए चलाया जा रहा है। इसको किस प्रकार सुविधाजनक बनाया जाए इसके लिए आपको एक कमेटी बनाकर सोचना होगा। इस सिलसिले में महिला दक्षता समिति ने एक सेमीनार किया था उसमें एक सुझाव दिया था कि इस तरह की एक बास्केट होनी चाहिए कि गरीब लोग जिस जगह पर काम करते है उनको वहां पर उनकी जरूरत का सामान दिया जाना चाहिए। उसके लिए उचित दर की दुकानें वहीं पर खोली जानी चाहिएं। इसके लिए गांवों और शहरों के लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्था करनी होगी। इस ओर ध्यान देने का आवश्यकता है।

आज होल सेल प्राइस इंडेक्स का और रिटेल प्राइस इंडेक्स का कोई संबंध नहीं है। होलसेल प्राइस 3.5 और रिटेल प्राइस इन्डेक्स 9.85 प्वाइंट बढ़ता है। ऐसा क्यों है ? इसी प्रकार जब होलसेल प्राइस बढ़ती है तो रिटेल प्राइस फौरन बढ़ जाती है। दुकानदार कहता है कि होलसेल प्राइस बढ़ गई है। लेकिन जब होलसेल प्राइस कम होती है तो वही दुकानदार कहता है कि हमने पहले से खरीद रखा है इसलिए अभी हम कीमत कम नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए आप कौनसे कदम उठाने वाले हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहती हूं। कंज्यूमर्स आर्गनाइजेशंस को आपने पिछले साल सिर्फ 65000 के लगभग रुपए दिए थे। मैं भी एक आर्गनाइजेशन से संबंधित हूं। साल के शुरू में

ही एप्लीकेशंस दे दी गई थीं। उस वक्त कहा गया कि अभी पालिसी तय नहीं हुई है, गाइड लाइंस नहीं आई हैं। दो चार महीने बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में गए वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। 15 मार्च तक कोई जवाब नहीं आया। इसके लिए पत्र भी लिखा है।

आप कन्ज्यूमर्स आरगेनाइजेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन नाडार जैसी कन्ज्यूमर्स आरगेनाइजेशन बनाने की ताकत इस देश के लोगों में नहीं है। अगर हमें ऐसी आरगेनाइजेशन बनानी है, तो सरकार को चाहिए कि वह पूरी तरह से मदद करे। इसके लिए आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं।

कल 31 मार्च है। आप कहेंगे कि हम सारा पैसा वापिस कर देंगे। आप ऐसा मत कीजिए बल्कि उनकी मदद करने की ओर ध्यान दें। कन्ज्युमर्स मूवमेंट की बहुत जरूरत है। इसके लिए आप अवश्य कदम उठाइए। विजीलेंस कमेटी आप कब बनायेंगे और किस प्रकार के कदम उठायेंगे, यह मैं जानना चाहती हूं।

एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में आप छोटी-छोटी मिरची बेचने वालों को पकड़ते हैं लेकिन बड़ी मिरची वालों को कुछ नहीं कहते।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : बड़ी मिरची वालों को कोई हाथ नहीं लगाता।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरी प्रार्थना है कि शूगर के बदले अनाज इम्पोर्ट करके इस देश के भूखे लोगों को अनाज देने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर अपना भाषण आरम्भ करूं, मुझे श्रीमती दण्डवते और श्री व्यास को सुनकर एक बात याद आ गई है। खाद्य प्रबन्ध नीति की मुख्य बात समाहार, सार्वजनिक वितरण, अपेक्षित मात्रा में स्टाक आदि से सम्बन्धित है और मंत्री की मुख्य जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि अभाव वाले क्षेत्रों, गरीबों, पद्लित लोगों, मध्यवर्गीय लोगों तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की जाये। खाद्य व्यवस्था की मुख्य नीति जगन्नाथ संस्कृति है। अपने क्रियाशील मंत्री को देखकर मुझे यह श्लोक याद आ गया है :

सर्वेभवन्तु सुखिना: सर्वेसन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित दु:ख भाग भवेत।

अत: यदि श्री भागवत झा आजाद मेरी मांगें पुरी कर देंगे, तो आशाओं और उमंगों को बढ़ाया चढ़ाया नहीं जायेगा। यदि आपने उनके भाषण तब सुने हों जब वह मंत्री नहीं थे, तो आप को पता चलेगा कि वह समाजवाद में विश्वास रखते हैं। वह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। मंत्रालय के लोगों का यह कर्त्तव्य है कि वे इसे कारगर ढंग से लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आजाद जी स्वयं समाजवादी हैं, इसमें विश्वास रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० कृपासिन्धु भोई : जी हां, उन्हें समाजवाद में विश्वास है। वह पद्लितों, अभावग्रस्त लोगों, हरिजनों, औद्योगिक कर्मकारों तथा मध्य वर्ग के लोगों की सहायता करने तथा उनकी

समस्याओं को हल करना चाहते हैं। अब खरीद कैसे हो रही है। कितने प्रतिशत खरीद हो रही है ? खाद्य मंत्रालय की यह राय प्रतीत होती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों या अभाव वाले कुछ नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। उन्होंने केवल आंशिक रूप से पूर्ति करने की व्यवस्था कर रखी है। अतः वे देश में होने वाले खाद्यान्न की केवल $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत मात्रा की खरीद कर रहे हैं। श्रीमती दण्डवते ने विश्लेषण करके यह बताया कि 1978-79 में प्रति व्यक्ति 480 ग्राम अनाज उपलब्ध था और अब यह कम होकर 460 ग्राम रह गया है। कितनी कैलोरी उपलब्ध हैं ? इसके कैलोरी सम्बन्धी मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि वर्तमान सरकार की खाद्य नीति बहुत अच्छी है। उसने पोषण विशेषज्ञ के प्रतिवेदन के अनुसार यह बताया कि 30 लाख बच्चे कुपोषण और अन्धेपन के शिकार होंगे। सरकार इन कमियों को आंगन बाड़ी कार्यक्रम द्वारा दूर कर रही है, जिसके अन्तर्गत बच्चों तथा गर्भवती माताओं को पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेंगे। संसद् और राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाये और जरूरत मंदों को खाद्यपदार्थ मिलें।

यदि आप इस चर्चा को आरम्भ करने वाले, श्री लारेंस के भाषण को देखें, तो यह जान-कर आपको हैरानी होगी कि उसने भारत सरकार को खाद्य नीति के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने तो विभिन्न राज्य सरकारों की अधिकतम भूमि सीमा को लागू करने की नीति की आलोचना की है। केरल में उनकी ही सरकार है। वहां पर रबड़ और कॉफी बागानों की कई बस्तियां हैं। उन्होंने अधिकतम भूमि की सीमा को वहां पर लागू क्यों नहीं किया है। अब भी वहां पर बड़े जमींदार हैं जिनके पास हजारों एकड़ भूमि है।

विभाग ने प्रतिवेदन में तो बहुत सुन्दर चित्रण किया है। 1971-76 की अवधि को याद कीजिये।

15.52 [*श्री आर० एस० स्पेरो पीठासीन हुए।*]

उसके दौरान खाद्य प्रबन्ध तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में अनुशासन बना रहा। उस समय राज्य सरकारें पंचायतों, पंचायत समितियों तथा सहकारी क्षेत्र पर निर्भर करती थीं। श्रीमती दण्डवते ने सतर्कता समितियां गठित करने के लिए कहा। ये समितियां उस समय थीं और इनमें एक आदिवासी, एक हरिजन और तीन अन्य जातियों के लोग होते थे। उस समय कुछ और भी समितियां हुआ करती थीं। उस समय की व्यवस्था बहुत अधिक बढ़िया थी। अब देश भर में 2.81 फुटकर विक्रेता हैं। मंत्री जी का समाधान हो गया है कि 70 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गैर-सरकारी लोगों के हाथों में है। हम इस व्यवस्था पर सरकारी क्षेत्र, विभिन्न निगमों, सहकारी समितियों, पंचायतों और पंचायत समितियों के माध्यम से नियंत्रण क्यों नहीं रखते ? कई वस्तुएं हैं, जिन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन बेचा जा सकता है।

खाद्य तेल उड़ीसा में एक, दो जिलों को छोड़कर, किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, इस अनियमितता को कौन दूर करेगा ? क्या यह देखना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि केन्द्र द्वारा दिया गया अनाज फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचे ?

लोगों को वनस्पति घी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल उपलब्ध है और इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। दोहरी मूल्य नीति के फलस्वरूप चीनी भी लोगों को उपलब्ध है और इस बारे

में कोई कठिनाई नहीं है। चावल के बारे में कुछ शिकायतें हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से अब कितना चावल वितरित किया जाता है ? वर्तमान कार्य-स्थिति में इसका प्रति व्यक्ति कितना वितरण होता है ? प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई है, परन्तु इसका किसी ने उल्लेख नहीं किया है। आबादी भी प्रति वर्ष 2.46 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। परन्तु अनाज के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। 1978-79 में केवल 13.1 करोड़ मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ। गत वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अब उत्पादन कम होकर 12.3 करोड़ टन रह गया। इस वर्ष सूखा, बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन और भी कम होगा। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या सिंचाई सुविधाओं में भी उतनी वृद्धि हुई है ? सिंचाई में वृद्धि हुई है। यदि हम 1978 से इस वर्ष तक के आंकड़ों को देखें, तो पता चलेगा कि 23 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। परन्तु उर्वरकों की खपत में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। प्रबोधक व्यवस्था में क्या दोष है ? मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त हो तथा जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाये।

श्रीमती दण्डवते ने उर्वरक की दर में कमी करने के लिए कहा है। हमें तटदूर तथा तटीय खोज से नेफ्था प्राप्त हो रहा है। सरकार को इस तथ्य पर विचार करना चाहिये। भविष्य में दर में कमी करनी चाहिये। अन्यथा कृषक इसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

खरीद के बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व राज्य सरकारें खरीद कर रही थीं और यहां पर काफी हल्लागुल्ला हुआ था। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही खरीदा जाना चाहिये।

दालों की कीमतें कम हो रही हैं। कृषकों को पर्याप्त लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकारें तथा सहकारी समितियां उनसे दालें नहीं खरीद रही हैं। यदि दालों का उत्पादन न बढ़ाया गया और किसानों को प्रोत्साहन न दिया गया। तो हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल सकेगा। कैलोरी निःसन्देह कम हो जायेंगी। अतः मेरा सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगम को ब्लाक मुख्यालयों में दालें भी खरीदनी चाहिये। इसके लिए कई एजेंसियों की आवश्यकता नहीं है। कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं और चावल की कीमतें निर्धारित की हैं, परन्तु वे कम हैं क्योंकि जब भारतीय खाद्य निगम खरीद आरम्भ करता है, तो किसान को कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। वास्तव में मिल वाले भारतीय खाद्य निगम के एजेंट हैं। उदाहरणार्थ, उड़ीसा में धान का क्रय मूल्य लगभग 125 रुपए से 128 रुपए प्रति बोरी है जिसमें 75 किलोग्राम धान आती है। कृषक सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कैसे धान दे सकता है ? इससे उपभोक्ता को क्या लाभ होगा ? अतः मेरा सुझाव है कि खरीद 12.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर देनी चाहिये जिससे कृषकों को अधिक मूल्य मिल सके, उपभोक्ता को भी लाभ होगा क्योंकि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उसे अधिक अनाज मिल सकेगा। यह मेरा एक सुझाव है।

देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। 31 लाख लोग और आधी से अधिक भूमि सूखाग्रस्त है और फिर भी खरीद का हमारा लक्ष्य कम नहीं है। अगले दिन प्रतिपक्ष की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे सूखाग्रस्त लोगों की राहत के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री को कोई ठोस उपाय नहीं सुझाना चाहते हैं, परन्तु वे तो सभा में केवल राजनैतिक प्रचार करना चाहते हैं जिससे यह प्रकाशित होगा और उनके निर्वाचकों को पता चलेगा कि उनके लोग वहां बोले हैं। आज वे यहां उपस्थित होते···(व्यवधान)।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : वह यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रचार के लिए है ? जब लोग भूख से मर रहे हैं, तब हमें ये प्रश्न उठाने पड़ते हैं और वह कहते हैं कि यह प्रचार के लिए है ··(व्यवधान)।

डा० कृपासिन्धु भोई : मंत्री को कोई ठोस सुझाव नहीं देना चाहता है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : ऐसा नहीं चलेगा। क्या आप प्रचार की बात कर रहे हैं ?

डा० कृपासिन्धु भोई : जी, नहीं, कभी नहीं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : केवल आप ही प्रचार के लिए नहीं बोल रहे हैं और हम सभी प्रचार के लिए ही बोलते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं ?

डा० कृपासिन्धु भोई : जब आप की बारी आयेगी, आप इसका उत्तर दे दीजियेगा, इस में क्या है ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : ऐसी घटिया बातें नहीं होनी चाहिए।

डा० कृपासिन्धु भोई : ये घटिया बातें नहीं हैं। यह सचाई है। रेल दुर्घटना के बारे में इतना शोर मचाया था परन्तु रेल मंत्रालय के सम्बन्ध में वादविवाद के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं था। यह हमारी नैतिकता है।

श्रीमन्, उड़ीसा को भी भारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष उसे चक्रवात, बाढ़ और कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ा। खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तथा अन्य माध्यमों से अनाज का वितरण करने के लिए क्या कसौटी निर्धारित की है ? हम जानते हैं कि एक राज्य की आबादी 2.85 करोड़ है और उड़ीसा की भी इतनी ही आबादी है। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय उस राज्य को 90,000 से 1,00,000 टन अनाज दे रहा है। केवल पश्चिमी उड़ीसा में चावल होता है, इस राज्य के अन्य भागों में अनाज का अभाव है। खाद्य और पूर्ति मंत्रालय उड़ीसा को प्रति मास केवल 22,000 टन अनाज दे रहा है। अतः राज्य सरकार की यह मांग है कि प्रति मास कम से कम 60,000 टन अनाज दिया जाये जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंच सकें।

श्रीमती दण्डवते का दूसरा सुझाव कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बारे में है। केन्द्रीय सरकार बाढ़, सूखा, चक्रवात से पीड़ित राज्यों को धन दे रही है। इस धन का कुछ भाग भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दिया जाना चाहिए जिससे राज्यों को अधिक अनाज दिया जा सके। यह भी मेरा एक सुझाव है।

श्रीमती दण्डवते तथा अन्य संसद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि खाद्य परिरक्षण की वैज्ञानिक विधि के अभाव में भारतीय खाद्य निगम को हर वर्ष हानि हो रही है। ये आंकड़े तो हैं, परन्तु कितने गैर-सरकारी लोगों ने भंडार स्थापित कर रखे हैं ? मंत्रालय को चाहिये कि वह वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से कहें कि वे 2.6 करोड़ टन अनाज रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था करें। वैज्ञानिक भंडारों का होना आवश्यक है। भंडारों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की आलोचना की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि असावधानी तथा लोगों को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज देने के लिए जिम्मेवार भारतीय खाद्य निगम के कितने लोगों पर अभियोग चलाया गया। कितनों को नौकरी से निकाला गया। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस

मामले पर विचार करेंगे और कुछ सराहनीय उपाय करेंगे और देखेंगे कि ऐसे असावधान लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाये।

खाद्य तेल के सम्बन्ध में, देश में वनस्पति के 93 कारखाने हैं। परन्तु जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां पर वनस्पति का एक भी कारखाना नहीं है। मैं सरकार के इस निर्णय पर मंत्री जी को बधाई देता हूं कि भविष्य में लाइसेंस गैर-सरकारी लोगों के बजाय सहकारी क्षेत्र को दिये जायेंगे। सहकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिए उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र को एक लायसेंस दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने इसे बोलनगीर जिले में स्थापित करने का निर्णय किया है। यह जिला उन 85 जिलों में से एक है, जहां कोई उद्योग नहीं है और उसे उद्योग मंत्रालय ने चुना है। यह कारखाना उस जिले में तुरन्त स्थापित किया जाना चाहिये और इसके लिए उड़ीसा की एपेक्स कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन की सहायता ली जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है या नहीं। लोगों की यह भी मांग है कि एक कारखाना कालाहाड़ी में, जहां 30 प्रतिशत देशी कच्चा माल उपलब्ध है, स्थापित किया जाये।

अन्त में, मैं दो, तीन क्षेत्रों में कार्य के लिए विभाग को बधाई देता हूं। जनता शासन के दौरान मार्डन बेकरीज ने बिस्कुट जैसी कुछ वस्तुओं के उत्पादन को छोटे दर्जे के क्षेत्र तक ही सीमित रखा। सरकार को मार्डन बेकरीज का विस्तार करना चाहिये और उसके कारखाने देश भर में होने चाहिये क्योंकि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1981-82 में उन्हें 2 करोड़ रुपए से भी अधिक मुनाफा हुआ और 1982-83 में भी एक करोड़ का मुनाफा हुआ।

रसिका एक ऐसा उत्पाद है जिसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के कोला उत्पादों के बजाय रसिका जैसे फलों के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। फलों का प्रयोग रसिका तैयार करने में किया जा सकता है। जिसका खाद्य के रूप में महत्व है।

श्रीमती दण्डवते ने कई उपयुक्त प्रश्न उठाये हैं। इसके साथ-साथ, विभाग की कठिनाइयों को भी समझा है। उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उड़ीसा की पुरानी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी मांग यह है कि वहां पर केवल भारतीय खाद्य निगम ही खरीद करे। अब खाद्य मंत्रालय ने उड़ीसा में अनाज खरीदने के लिए अन्य लोगों को भी परमिट दिये हैं। यह कार्य केवल भारतीय खाद्य निगम को ही सौंपा जाना चाहिए क्योंकि इसके विपणन संगठन विभिन्न राज्यों में हैं और लोगों को भी इस पर विश्वास है। यदि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके कारण यह निगम बदनाम हो गया है, तो उन्हें वहां से हटा दिया जाये ताकि वह संगठन दक्षता-पूर्वक कार्य कर सके।

श्री एन० सेलवाराज (तिरुचिरापल्ली) : सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारें में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मुझे वास्तव में खुशी है कि अन्ततः नागरिक पूर्ति विभाग को नागरिक विमानन से निकाल कर सही जगह अन्तरित कर दिया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भूतपूर्व नागरिक विमानन और नागरिक पूर्ति मंत्री को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बनाया गया है। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में मैंने इस आशय का एक समाचार पढ़ा था कि नागरिक पूर्ति विभाग के सचिव मंत्री महोदय की गतिशीलता के अनुसार कार्य न कर सके और उन्होंने अपने पद भार से मुक्त होने

की इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि देश में लोक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने में, जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्री महोदय की गतिशीलता परिलक्षित होगी। कृषि सिंचाई, ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चारों विभागों को सुचारु रूप से चलाने के लिए इनके अलग-अलग मंत्री हैं। इन सब मंत्रियों में हमारे मंत्री के पास एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यभार भारतीय खाद्य निगम के कार्यों को नियंत्रित करना है। भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यानों की वसूली और सोवियत संघ को चावल के निर्यात का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य में अनेक कठिनाइयां है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबध है उसमें कुप्रबंध व्याप्त होने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। भारतीय खाद्य निगम को 750 करोड़ रुपये की वार्षिक राज सहायता दी जाती है। किसानों को लाभप्रद मूल्य देना ही पर्याप्त नहीं है। जब मैं किसानों को लाभप्रद देने की बात कहता हूं तो यह मेरा दायित्व है कि धान के लिए और अधिक मूल्य देने की बात पर जोर दूं। इस समय भारत सरकार गेहूं के लिए 142 रुपये प्रति क्विंटल और धान के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद करती है। धान के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल देना दक्षिण भारत के किसानों के लिए सामान्य रूप से और तमिलनाडु के किसानों के लिए, जहां मुख्यतया धान की खेती होती है, विशेष रूप से घोर अन्याय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने 155 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की सिफारिश की है। धान की खेती में आने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए यह मूल्य पर्याप्त नहीं है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि धान का मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये, क्योंकि ऐसा किए जाने पर ही किसान धान की खेती करना जारी रखेंगे और धान के स्थान पर अन्य नकद फसलें उगाना आरम्भ नहीं करेंगे। इस उद्देश्य के लिए मैं सुझाव देता हूं कि कृषि मूल्य आयोग को भी खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही खाद्यान्नों की वसूली और किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के सम्बन्ध में समुचित समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

1983-84 में माननीय प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में 17वां सूत्र लोक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित मूल्य की और अधिक दुकानें स्थापित करना है। मैं यह बताना चाहता हूं कि लोक वितरण प्रणाली केवल महानगरों तथा नगर पालिकाओं वाले कस्बों तक ही सीमित है। इसका अनुमान नगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या से लगाया जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री जी० रामचन्द्रन ने बड़े जोरदार शब्दों में दावा किया है कि वह प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी ढग से क्रियान्वित कर रहे हैं। वहां उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 7000 से बढ़कर 17000 हो गई है।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : यह कथन केवल कागजात तक ही सीमित है, परन्तु इस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। श्री एम० रामचन्द्रन प्रचार में अधिक विचार रखते हैं।

श्री एन० सेलवाराजू : यह तथ्य है तमिलनाडु की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है और वहां प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए केवल एक ही उचित दर की दुकान है। यह पर्याप्त नहीं है। कम से कम प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान अवश्य होनी चाहिए। वर्तमान कठिनाई को तभी पूरा किया जा सकता है, जबकि उचित दर की दुकानें राज्य भर में एक समान आधार पर स्थापित की जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उचित दर की दुकान नहीं हैं, उचित दर की दुकानों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। इन दुकानों में केवल साबुन या अन्य छोटी-छोटी वस्तुएं ही उपलब्ध हैं।

डा० ए० कलानिधि : हर जगह यही स्थिति है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा नगरीय क्षेत्र।

श्री एन० सेलवाराजू : उचित दर की दुकानों में आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, चीनी उपलब्ध नहीं होती। मुझे बताया गया है कि कभी-कभी उचित दर की दुकानों में कुछ वस्तुओं की कीमतें खुले बाजार में उनकी कीमतों से भी अधिक होती हैं।

मैंने हाल में अपने निर्वाचन क्षेत्र में 200 से अधिक गांवों का दौरा किया है। अधिकांश लोगों ने मुझ से शिकायत की कि उन्हें प्रति कार्ड प्रति सप्ताह केवल एक किलो चावल दिया जाता है। चावल की किस्म भी अच्छी नहीं होती। यह खराब किस्म का होता है और खाने लायक नहीं होता। अच्छी किस्म का चावल दिया जाना चाहिए।

कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए तीन से पांच किलोमीटर तक चलाना पड़ता है। उनका एक पूरा दिन खराब हो जाता है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उचित दर की दुकानें गांवों के निकट होनी चाहिये।

यदि 20 सूत्री कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाये तो देश के गांवों में हर छः लाख की आबादी के लिए एक उचित दर की दुकान खोली जा सकती है। हमारे देश में 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो कि समूचे राष्ट्र का पेट पालते हैं। वस्तुतः यह बड़े दुःख की बात है कि जो समूचे राष्ट्र का पेट पालते हैं उनका पेट ठीक तरह से नहीं भरता। उनकी जरूरतें देहाती क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलकर ही पूरी की जा सकती हैं। जब आप नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे रहे हैं और उनके ऐशोआराम की व्यवस्था कर रहे हैं तो आपको देहाती क्षेत्रों में भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने की ओर ध्यान देना चाहिए।

डा० ए० कलानिधि : नगरीय क्षेत्रों में भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। मैं नगरीय क्षेत्र से हूं।

श्री एन० सेलवाराजू : केंद्रीय योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि देश में 40 करोड़ से अधिक लोग निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग अधिकतर देहाती क्षेत्रों के हैं। उनकी दैनिक आय एक रुपये से भी अधिक नहीं है। आजादी के 35 साल बाद भी यह स्थिति है। यह बड़े दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि नए मंत्री इन सब अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनायेंगे।

परसों मैंने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा था कि पंजाब में खाद्यान्नों को खुले में रखने के कारण 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का गेहूं खराब हो गया है। भारतीय खाद्य निगम ने भी यह बात स्वीकार की है कि प्रतिवर्ष चोरी, स्टाक में खराब होने तथा चूहों आदि के

कारण 10% अनाज खराब हो जाता है। इसका मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि भाण्डागारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। भारतीय खाद्य निगम को जिला मुख्यालयों में अपने गोदाम बनाने चाहिएं। भाण्डागारण सुविधाओं के न होने के कारण हमें इतनी अधिक हानि होती है। जब हमारे देश में अनाज की इतनी कमी है तो हम प्रतिवर्ष इतना नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। इस नुकसान को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारी उपाय किए जाने चाहिएं।

तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के खलिहान के रूप में प्रसिद्ध है। वहां भी भाण्डागारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तिरुचिरापल्ली में गोदाम का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश दें।

अपने राज्य का उल्लेख करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु बुरी तरह सूखाग्रस्त है। केन्द्र ने भी तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल भेजा था तथा उस अध्ययन दल ने अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मैं भी उस केन्द्रीय अध्ययन दल से तिरुचिरापल्ली में मिला था और उसे तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के बारे में सामान्य रूप से और तिरुचिरापल्ली में सूखे की स्थिति के बारे में विशेष रूप से अवगत कराया था। 28 मार्च, 1983 को हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने भी तमिलनाडु का दौरा किया था और पीने के पानी की तथा हर अन्य समस्या का स्वयं अध्ययन किया था और राहत के रूप में तमिलनाडु के लिए दस करोड़ रुपये तथा दस हजार टन चावल और छः हजार टन गेहूं मंजूर किये थे। अध्ययन दल के प्रतिवेदन पेश किए जाने के बाद हमारे माननीय मंत्री ने 5 हजार टन चावल और 4 हजार टन गेहूं भेजने का वचन दिया था। मैं समझता हूं कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु के बारे में अपना वचन पूरा करें। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने वहां स्थिति का मुकाबला करने के लिए अस्सी हजार टन अनाज भेजने का अनुरोध किया है। अतः आवश्यकता को देखते हुए यह मात्रा बहुत कम है। माननीय मंत्री को तमिलनाडु सरकार ने जितनी मांग की है उसकी कम से कम 75 प्रतिशत मात्रा अवश्य भेजनी चाहिए। ऐसा करने पर ही स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, हम प्रधान मंत्री को उनकी दानशीलता के लिए बधाई देते हैं।·····(व्यवधान)।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, थोड़ी देर के लिए कृपया मेरी बात सुनिये।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, मैं तो केवल स्पष्टीकरण दे रहा था।

सभापति महोदय : पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिये। क्या आप मेरी बात नहीं सुन सकते ?

डा० ए० कलानिधि : केवल स्पष्टीकरण।

सभापति महोदय : जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बाद में जब आपको अवसर मिले तब आप अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री एन० सेलवाराजू : तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्रीय पूल को अनाज देने के बारे में कुछ विवाद था। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे प्रिय नेता डा० करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे और वहां अनाज फालतू था तो हमने 1969, 1972 और 1975 में केंद्रीय पूल में अंशदान किया था। परन्तु वर्तमान शासन के अधीन 1979, 1980 और 1981 में जबकि वहां फालतू अनाज था, उन्होंने एक गैर-सरकारी एजेंसी के माध्यम से फालतू अनाज को केंद्रीय पूल में देने की बजाय अन्य राज्यों को भेज दिया और इस प्रकार सत्ताधारी दल ने कई करोड़ रुपये बटोरे। (व्यवधान) तमिलनाडु अनाज के मामले में एक बचत वाला राज्य था परन्तु श्री एम० रामाचन्द्रन की गलत योजनाओं के कारण यह कमी वाला राज्य हो गया है। प्रधान मंत्री ने भी तमिलनाडु सरकार के कुप्रबंध का स्वयं उल्लेख किया है। तमिलनाडु सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंध के कारण तमिलनाडु के लोगों को दंड भोगना पड़ रहा है। (व्यवधान) जब तमिलनाडु में खाद्यान्न की इतनी अधिक कमी है तो ऐसी सम्भावना थी कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री खाद्यान्न के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध करेंगे परन्तु उन्होंने केंद्रीय सरकार से अनुरोध करने की बजायें राजनीतिक तमाशा करना आरम्भ कर दिया है और वे प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपवास पर रहे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद उपवास आरम्भ किया और सायं 5 बजे उनके लिए मेज पर भोजन तैयार रखा था। अत: वह केवल तिरूचेन्नूर विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि वहां उपचुनाव होने हैं। पहले वह अभिनेता थे। और अब सरकारी तंत्र के सहयोग से लोगों को संतुष्ट करने के लिए अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को तमिलनाडु को चावल भेजने का अनुरोध नहीं किया। राज्य सभा में पूछे जाने पर माननीय मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने बताया था कि मार्च, 1983 तक तमिलनाडु के मुख्य मंत्री केंद्रीय दल से मिलने तक को तैयार नहीं थे और उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उनसे तमिलनाडु को चावल की आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वह तमिलनाडु के लोगों के कितने हितैषी हैं। महोदय उनकी गलती के लिए माननीय मंत्री को गरीब तथा अबोध लोगों को दंड नहीं देना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री खाद्यान्न का प्रयोग विभिन्न मदों के लिए कर रहे हैं और पोषाहार कार्यक्रम के नाम पर वह कहते हैं कि वे गरीब बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु गरीब बच्चों के नाम में सत्ताधारी दल धन बटोर रहा है। यदि इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है और गरीब बच्चों को सही ढंग से भोजन दिया जाता है तो हम इसका कदम का स्वागत करते हैं।

परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सत्ताधारी दल केवल नाम कमाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। अब स्थिति ये है कि कई कारणों से लोग अपने बच्चों को इन पोषाहार भोजन-ग्रहों में भेजने तक को तैयार नहीं है। अब उन्होंने और 90 दिन के लिए भोजन देना बंद कर दिया है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह पोषाहार कार्यक्रम के लिए नियत राशि का उचित रूप से उपयोग करने का राज्य सरकार को निदेश दें तथा खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से होना चाहिए। पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न के वितरण को विनियमित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए जिसमें सब दलों के सदस्य हों।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है, अत: आप अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० मायाथेवर (डिंडिगुल) : हमें अनाज की बहुत जरूरत है। हमारे पास न भोजन है और न ही पीने का पानी।

श्री एन० सेलवाराजू : वे प्रचार कर रहे हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी लोगों के हित के लिए नहीं है और वह केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लाभ के लिए कोई मांग नहीं करती। अत: मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हम निरंतर तमिलनाडु के लिए और अधिक चावल की मांग करते रहे हैं। हमारे नेता डा० कालिगर ने भी कई बार केंद्रीय सरकार से तमिलनाडु को और अधिक चावल देने का अनुरोध किया है और उन्होंने विधान सभा में भी तमिलनाडु में व्याप्त स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। संसद में हमारे दल के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री से तमिलनाडु को और अधिक चावल देने का अनुरोध करते रहे हैं, क्योंकि हम अनाज के महत्व को समझते हैं। तमिलनाडु में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि भोजन, कपड़ा और मकान लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए हम तमिलनाडु को और अधिक चावल देने की मांग करते हैं।

लोक सभा में हमारे दल के नेता श्री सी० टी० दंडपाणि तथा श्री मायाथेवर ने भी 14-10-1982 को तमिलनाडु को चावल देने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 9-2-1983 को उपवास किया था। लोक सभा में हमारे दल के उप-नेता श्री मायाथेवर 11-2-1983 को माननीय मंत्री से मिले थे, उन्हें एक ज्ञापन दिया था और चावल देने का अनुरोध किया था। तमिलनाडु पुलिस ने हमें 28-3-1983 को प्रधान मंत्री को ज्ञापन देने से रोका। हमारे एक संसद् सदस्य पर भी हमला किया गया और हमारे नेता डा० कालिमर को पीछे धकेला गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद हमने तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया। प्रधान मंत्री ने ज्ञापन स्वीकार किया तथा कुछ राहत प्रदान की।

मैं तुरंत राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हमारे यहां केवल अनाज की ही कमी नहीं है बल्कि बिजली और पीने के पानी की भी कमी है (व्यवधान) एक बाल्टी पानी 50 पैसे का बिक रहा है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : हम पानी नहीं दे सकते।

श्री के० मायाथेवर : ** हमें पीने के पानी की जरूरत है।

श्री एन० सेलवाराजू : आप पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन तो दे सकते हैं।

तमिलनाडु के खाद्य विभाग ने हाल में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों की आय, 1,000 रुपये से कम है उन्हें उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

** कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

यह बहुत ही भेदभावपूर्ण है। इससे बैंकों और कारखानों में काम कर रहे लोगों और मध्यवर्गीय लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें समुचित हिदायत दें कि वे श्रमिक वर्ग के सभी लोगों के साथ एक-सा व्यवहार करें और किसी के साथ भेदभाव न करें।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाड् को चावल और धन के रूप में तुरंत राहत दें।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : तमिलनाड् का मामला विशेष मामला है। यह एक अच्छा भाषण था।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे नियत समय को ध्यान में रखें और पुनरावृत्ति से बचें। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस गौरवशाली देश के लिये 35 सालों के बाद जिस बात पर चर्चा हो रही है, यह थोड़ा सा लज्जाजनक विषय है। हिन्दुस्तान में 2 लाख 81 हजार दुकानें खोलने के बाद अगर कोई दावे के साथ कह सकता है कि आज गांव के दूर-दूर अंचलों में अनाज पहुंचता है तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

मैं समझता हूं कि जो लोग आज बोल सकते हैं, आर्गेनाइज्ड सैक्टर, म्युनिसिपैलिटीज के रहने वाले, आर्गेनाइज्ड लेवर, गवर्नमैंट की सर्विस क्लासेज वगैरह, उनको अनाज मिलता है।

हमारे योजना मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमने 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम बनाया। पहली बार योजना में यह बात ली गई कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के जरिये हम गांव के प्रत्येक नागरिक को, हिन्दुस्तान के 68 करोड़ लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज शर्म की बात है कि खाद्य सामग्री में मिलावट है, जीवन-दायक औषधियों में मिलावट है। यह कोई गौरव की बात नहीं है। आज देश में कौन-सी चीज ऐसी है, जिसमें मिलावट नहीं है। लोग यह कहते हैं कि अगर जहर भी मिलता है तो वह भी मिलावटी है। आप एक बात सोचिये, आपने बड़े अच्छे फोटो निकाले हैं 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के। इसके एक फोटो को मैं आपके सामने रख रहा हूं—

उचित दर की दुकानों जिनमें चल दुकानें भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से सार्वजनिक वितरण।

मुझे जहां तक जानकारी है, हमारे राजस्थन के गांव के अंचलों में न तो को-आपरेटिव सिस्टम काम कर रहा है और न खुदरा व्यापारी काम कर रहा है, केवल भ्रष्टाचार काम कर रहा है।

ईमाननारी की बात यह है कि बहुत कम दुकानें यह धान उठाती हैं। मंत्री जी अभी चले गये हैं, मै उनसे वह जानना चाहूंगा कि यह उत्तर दें कि जिस भाव से आप धान देते हैं, वह वहां के खुदरा व्यापारी किस भाव पर बेचते हैं ? कैरोसिन का एक टीन उनको मिलता है। हम लोग यह चाहेंगे कि सस्ते धान की दुकानें खुलें। कल के अखबार में आया है कि दुकानें उनको दी जाती

हैं जो एन्फोर्समेंट इन्सपैक्टर से या सिविल सप्लाई आफिसर से मिल जाता है, जो कालाबाजारी करने में होशियार हो, उनको दुकानें मिलती हैं। उन दुकानों के जरिये अगर अब चीजों के वितरण की उम्मीद करते हैं कि गांव में यह होगा तो असंभव है।

सभापति महोदय, आप पंजाब से आये हैं, आपके यहां अनाज का भंडार है, लेकिन मैं एक सूखे प्रदेश से आया हूं जहां गांव में कुछ नहीं मिलता है और दावे के साथ कहता हूं कि कुछ नहीं मिलता है। न गेहूं है, न शुगर है, न कैरोसिन है, न कपड़ा है और न वनस्पति है। आपने कहा है कि मोबाइल शाप्स बनाई जायेंगी जिसमें बैठकर चौधरी सुन्दर सिंह जी वितरण करेंगे। मन्त्री जी अपने जवाब में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने खुदरा व्यापारी हैं और उनको एक शुगर की बोरी पर क्या मिलता है। उनको खाली बोरा मिलता है मिट्टी के तेल में भी सिर्फ पीपा बचता है। क्या यह उचित है ? मैं आपके सामने प्रैक्टिकल बातें ही रख रहा हूं। उस खुदरा व्यापारी को तहसीलदार के पास परमिट के लिए चार बार चक्कर लगाना पड़ता है। इसी तरह से दुकान लेने वालों को सिविल सप्लाईज आफिसर के पास अपना नजराना पेश करना पड़ता है। आजकल उसको रिश्वत नहीं, नजराना कहना चाहिए। हमारे मन्त्री जी बड़े स्पष्टवक्ता हैं, वे सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। आपने 17वें सूत्र के आधार पर तथा अपनी नीतियों के आधार पर खुदरा दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइन्स दे रखी हैं और एक कमेटी भी बना रखी है जोकि सेक्रेटेरियट में दो महीने में एक बार जांच करती है। आप वास्तव में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन देखने की बात यह है कि जनता को अनाज मिलता है या नहीं। मान लीजिए आज मुझे तीन रुपए मजदूरी के मिले, मैं सरकारी दुकान पर जाकर चाहता हूं कि मुझे दो रुपए का गेहूं मिल जाए लेकिन वहां पर कहा जायेगा कि 15 दिन का कोटा एक साथ उठाओ। मेरे लिए पूरा राशन एक साथ उठाना सम्भव नहीं है। ऐसी हालत में वह अनाज कहां जाता है ? आप सारी बातें जानते हैं कि इन दुकानों को वही ले सकता है जो काला बाजारी करता है या जो सिविल सप्लाईज और एन्फोर्समेंट आफिसर के साथ मिला हुआ है। इसलिए इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं कि इतने लाख टन गल्ला बांट दिया गया। मैं समझता हूं यह राशन उन लोगों के लिए बन्द कर देना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मन्त्री जी ने लिखा भी है कि वीकर सेक्शन्स और समाज के अन्तिम व्यक्ति को हम अनाज देंगे। बीस रुपया रोजाना कमाने वाले को यह अनाज भले ही न मिले लेकिन जो केवल 4-5 रुपया रोजना कमाते हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 39 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। जहां पर फेमीन है वहां पर जो काम चलते हैं उनमें महीने के बाद पैसा चुकता किया जाता है और वहां पर आपकी दुकान नहीं है। राजस्थान में जहां हमेशा ही अकाल पडता रहता है वहां आपने मोबाइल शाप्स चलवाई हैं। कल के अखबार में—नव भारत टाइम्स में—आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वह आपके विषय से सम्बन्धित था कि जिन-जिन लोगों को राशन की दुकानें दी गई थीं, वे ईमानदार लड़के छोड़ कर चले गये। क्यों छोड़कर चले गये ? आप बतलाइये—जो चीजें इन दुकानों पर दी जाती हैं क्या वे स्टेण्डर्ड की होती है ? सब-स्टैण्डर्ड की होती हैं—चूंकि आपके इंस्पेक्टर मिले होते हैं, चाहे आप के डिपार्टमेंट के हों या हैल्थ डिपार्टमेंट के हों—कुछ नहीं होता है। मैं राशन की ही बात नहीं करता, हर चीज में मिलावट होती है। आज देश के अन्दर आपको हर खाद्य पदार्थ में मिलावट मिलेगी—यह इस गौरवशाली देश के लिये बहुत लज्जा की बात है। आपका डिपार्टमेंट इसको सख्ती से नहीं ले सकता, क्योंकि आपके सिविल सप्लाई अफसर या इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर सब मिले होते हैं।

आज हमारे क्षेत्र की हालत क्या है ? हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें केरोसीन आयल नहीं मिला, चीनी नहीं मिली यह कंट्रोल्ड क्लाथ, जनता का कपड़ा किसको मिलता है ? कौन हिम्मत के साथ कहेगा कि मुझ को मिल गया है ? आपने जो निर्णय लिये हैं—आप जरा उन निर्णयों को पढ़ें । उनको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि मंत्री महोदय कितना अच्छा काम कर रहे हैं । आपका जवाब आता है—

"दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में फुटकर केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की समुचित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए·····"

अरे, भगवान के नाम पर सड़क पर ही पहुंच जाय तो ठीक है, कहां इन-एक्सेसिबिल एरियाज की बात करते हैं । ये फोटोज देख कर बड़ी खुशी हुई कि हमारी मोबाइल शाप्स बहुत अच्छी चल रही हैं । यह भी कहा गया है कि ब्लैक-मार्केटियर्स की दुकानों को बन्द कर दिया गया है । लेकिन बन्द करने वाले कौन हैं ? मैं फिर रिपीट करता हूं—ये खुदरा व्यापारी, कोआपरेटिव सोसायटी वाले जो शुगर और गेहूं का वितरण करते हैं—उनके लिये मंत्री महोदय बड़ा सटीक उत्तर दे देंगे कि डागाबकवास करता है, वितरण का काम राजस्थान सरकार का है, मेरा काम नहीं है ।···

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आप बतलाइये—यह गलत है या सही है ?

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं और आपके यहां वह कमेटी होती है, इसलिये आप भी उसके लिये जिम्मेदार हैं । आप उस कमेटी को हैण्डिल करते हैं·····

श्री भागवत झा आजाद : आप भी इलैक्टेड मेम्बर हैं, इसलिये आप भी जिम्मेदार हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो एडवाइजरी कान्सिल है उसके आप अध्यक्ष हैं । एक बात और बतलाता हूं—जो आपकी शुगर को बांटने के लिये ले जाता है, उसको एक बोरा बांटने पर क्या मिलेगा ? जो एक टिन केरोसीन ले जाकर बेचना चाहता है उसे आप क्या देंगे—यह बतला दीजिये । चूंकि उसको उचित पैसा नहीं मिलता, इसलिये पैसा कमाने के लिये वह गलत काम करता है ।

हमारे पास आंकड़े हैं कि करीब 1 करोड़ 85 लाख आदमी प्रति वर्ष विकलांग इसलिये बनते हैं कि उनको प्रायर डाएट नहीं मिलती, उनके अन्दर मेल-न्यूट्रीशन होती है, आवश्यक कैलारीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनके पास क्रय-शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है । सरकार फूड कारपोरेशन को सब्सिडी देती है और सब्सिडी देकर उस सफेद हाथी को जिन्दा रखने की कोशिश करती है, उसको सांकल लगा कर रखती है । मैं कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके उसके अन्दर की व्यवस्था को ठीक कीजिये । लेकिन ऐसा करना आपके लिये इम्पासिबिल है, क्योंकि स्ट्राइक, चोरी करना, यह फूड कारपोरेशन का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है । उसकी किसी भी चीज को ले लीजिये, अभी पांडे जी जो कह रहे थे, समय कम होने से मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं । लेकिन आप देखिये—मेरे यहां पाली से गेहूं लिया, उसको उठाकर जयपुर ले जाते हैं । मेहरबानी करके, मैं हाथ जोड़ता हूं, इस गेहूं को जोधपुर डिवीजन में ही खर्च करें, उसको वहीं बांट दें ।

तमाम ट्रांसपोर्ट चार्जिज नहीं पड़ें। लेकिन श्रीमन् वह गेहूं वहां से जाता है और हमारे लिए गेहूं कहीं और से आता है। हमें जो गेहूं मिलता है उसकी हालत क्या होती है। सैकड़ों कंकड़ उसमें होते हैं। हम से दुकानदार कहता है कि आइये एम० पी साहब, देखिये यह है आपका गेहूं। हमारे लिये गेहूं नहीं, केरोसिन नहीं। हमें इन दुकानों से कंट्रोल का कपड़ा नहीं मिलता और कंट्रोल का कपड़ा बाजार में खूब मिलता है।

श्रीमान् इस से स्पष्ट है कि आप की नीति अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं, बड़े स्वच्छ और पवित्र हैं लेकिन उनको जरा आप जमीन पर उतारिये। देश के अन्दर सिवाय केरल स्टेट है जहां कि यह काम हुआ है।

"यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ग्रामीण जन साधारण को लाभान्वित करने में बुरी तरह असफल रही है। केरल राज्य को छोड़कर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था केवल बड़े नगरों और कस्बों तक ही सीमित है। खाद्यान्न, खाद्य तेल, खाना पकाने का ईंधन (मिट्टी का तेल) और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में नियमित सप्लाई नहीं होती है।"

श्रीमान् सिवाय केरल के कहीं भी यह सप्लाई ठीक से नहीं होती। आप साल में दो मीटिंगें करते हैं उनमें आप मन्त्रियों से पूछिये, सेक्रेटरियों से पूछिये कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप जा कर के इस काम को ठीक क्यों नहीं करते हैं ?

श्री एम०एम० लारेन्स : इसी कारण से हमें चावल नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहां पक्की वितरण व्यवस्था है। इसी वजह से सरकार हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को पर्याप्त चावल नहीं दे पा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप उन चीजों को भी काम में लो जो चीजें आपके पास रहती हैं। श्रीमन् अशेंशल कमोडिटीज एक्ट क्या कहता है ? हमारा रेडियो रोज बोलता है कि जो कोई भी कालाबाजारी करेगा, जो कोई भी मुनाफाखोरी करेगा, उसको सात साल की सजा होगी। मन्त्री जी आपका रेडियो बोलता है क्या उसके मुताबिक अपने कानून में तब्दीली करेंगे ? अगर आप तब्दीली करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपके इन्फोर्समेंट वाले और सिविल सप्लाई आफिसर मालामाल हो जाएंगे। मैं आपको रिकार्ड से बता सकता हूं कि वही आदमी पकड़ा जाता है जो आदमी सिविल सप्लाई अफसर को पैसा नहीं देता है।

"केन्द्रीय मन्त्रालय ने भी राज्यों के मुख्य सचिवों को निदेश देये हैं कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर केन्द्र खोले जायें...

यह सवाल आज देश में हो रहा है। आप जो भी कानून बनाते हैं, उसका कितना पालन होता है ? आपने ब्लेक मार्किटियर्स के लिए कानून बनाया, उसका क्या हो रहा है ? आपका कोई भी सिस्टम नहीं है। एन०सी०सी०ई०एफ० के दो, तीन करोड़ रुपये कहां जाते हैं ? आपका कारपोरेशन क्या काम करता है ? हम लोग जो बोलते हैं क्या उस पर वह ध्यान देता है ? आप अपने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को गरीब लोगों तक अवश्य पहुंचाइये।

अगर आप यह कर देंगे तो मैं कहूंगा कि हमारा यह सिस्टम ठीक है।

श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा मानता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके नियम अच्छे हैं, नीतियां अच्छी हैं, अखबारों में भी खबरें अच्छी आ जाती हैं लेकिन मन्त्री जी इनको जमीन पर उतारने की मेहनत से कोशिश करिये तभी आप कामयाब होंगे।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोहतरम चेयरमैन साहब, डागा साहब ने सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। केवल इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि नीति अच्छी जरूर है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अमल के लिए नहीं हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है।

खाद्य विभाग के द्वारा गेहूं, चावल आदि का वितरण किया जाता है। डागा साहब ने इस बारे में काफी रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र और खास तौर पर उत्तरी भारत के किसानों की जो आजकल प्रमुख समस्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैं गन्ना किसानों की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र पाण्डे जी कह रहे थे कि आज हमारा देश विश्व में सबसे अधिक शक्कर का उत्पादन कर रहा है। हमें भी इसके लिए फख्र है। लेकिन हमको इस बात पर शर्म आती है कि हम दुनियां में सबसे कम नहीं तो बहुत कम दाम अवश्य गन्ना किसानों को देते हैं।

किसान मेहनत करता है। उसके उपयोग में आने वाली चीजों, खाद, पानी का दाम बढ़ा दिया गया है। डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। लेकिन जब गन्ने की ज्यादा कीमत की मांग की जाती है तो मन्त्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि गन्ने की कीमत के बारे में दोहरी नीति बनाई गई है। पता नहीं मन्त्री महोदय इससे सहमत हैं या नहीं। केन्द्र सरकार के अधीन कुछ मिलें चलती हैं। उनमें अलग दाम दिया जाता था। आपने मेरे ही सवाल के जवाब में बताया था 1980-81 में 19 रुपये से लेकर 22 रुपए, 1981-82 में 20.50 रुपए और 1982-83 में 17.40 रुपए। यह कहा जा रहा है कि 17.40 रुपए वाजिब दाम हैं। जब आप इसको वाजिब दाम कहेंगे तो कौन सा प्राइवेट मिल मालिक किसानों को 20.50 रुपए या 21.50 रुपए देगा।

इसके अलावा सबसे अहम समस्या किसानों को समय पर गन्ने की कीमत का न मिलना है। यह समस्या पिछले तीन-चार सालों में देखने में आई है। इस मामले में बराबर सवाल करता रहा हूं, पत्र भी लिखता रहा हूं कि गन्ना किसानों को उनके पैसे का जल्दी भुगतान किया जाए। जवाब क्या आता है। जवाब यह आता है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

मैं कहना चाहता हूं कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपका बनाया हुआ है। इसके तहत ही शुगरकेन कंट्रोल आर्डर 1976 आपने ही बनाया था। उस शुगरकेन कंट्रोल आर्डर 1976 में आगे 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन तीन में तीन (ए) जोड़ा गया। उसमें यह साफ तौर पर कह दिया है—

"जहां चीनी उत्पादक या उसका एजेन्ट खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान गन्ना लेने की तारीख से 14 दिन के भीतर करने में विफल रहता है वहां वह ब्याज का भुगतान करेगा।"

वह देय राशि पर 14 दिन से अधिक विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करेगा। 'शैल' का लफ्ज है 'मे' का नहीं है।

"जहां विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, वहां गन्ना उत्पादकों की समिति प्रशासनिक खर्च यदि कोई हो, काट कर उस समिति के नियमों के अनुसार गन्ना उत्पादकों को ब्याज का भुगतान करेगी।"

एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के तहत शुगर कंट्रोल रेट आर्डर है जिसमें यह अमेंडमेंट 1978 में लाया गया। मैं बार-बार सवाल करता रहा कि इस एक्ट के तहत किसानों को कब और कितना सूद दिया गया। लेकिन मेरे अगस्त सन् 82 के सवाल के जवाब में कहा गया कि :

चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 के सांविधिक उपबंधों जो ब्याज के भुगतान के बारे में हैं, को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास तत्सम्बधी शक्तियां और उस क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है।" यह सही है कि नेसेसरी पावर्स उनके पास हैं लेकिन आप किस लिए बैठे हैं। आप रूल बनाने के लिए नहीं बैठे हैं बल्कि उसको इम्पलीमेंट करने की ओर भी आपकी नजर होनी चाहिए। जब आपने सवाल का जवाब इस तरह से दिया तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने पत्र लिखा। मेरे पत्र के जवाब में कहा गया कि आपके प्रश्न का नोटिश प्राप्त होने पर यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था तथापि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश सन् 1966 के अधीन दिया गया और वे मूल्यवार ब्यौरा समय से न दे सके इसलिए केन्द्रीय सरकार यह सूचना न भेज सकी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे जिलों से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं जिसमें काफी समय लगेगा इसलिए आपको सीधे सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया जाता है

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं ताकि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं मिली है कि ब्याज और बकाये की रकम किस-किस तरह से दी गई। इस सैशन में मैंने इसी संबंध में सब 21 फरवरी को सवाल उठाया था।

"केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल कुछ कारखाने ही गन्ना उत्पादकों को विलम्बित भुगतान पर ब्याज दे रहे हैं और ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।"

साल भर के बाद भी डिटेल एवेलेबल नहीं हैं।

"गन्ना नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के मामले में दोषी कारखानों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है चूंकि उन्हीं के पास अपेक्षित शक्तियां और उस क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है।"

पांच फैक्टरीज आपकी कस्टोडियनशिप में चलती हैं। किसानों का गन्ने का दाम उन पर बकाया रहा है आज भी बाकी है।

श्री चित्त बसु : (बारसाट) इन्टरेस्ट दिया या नहीं।

अशफाक हुसैन : नहीं दिया, यही तो मैं कह रहा हूं। आपने अपने ही कानून को लागू नहीं किया, स्टेट गवर्मेन्ट की बात अलग है। आप सूद किसानों को नहीं दे रहे हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक केन सोसायटी है जो दो मिलों को सप्लाई करती है। मैं बेतालपुर चीनी मिल जो देवरिया जिले में है, की बात कर रहा हूं। वह आपके नियंत्रण में चलती है। दूसरी मिल प्राइवेट चलती है, उसको बाध्य किया जाता है, और वह देने को मजबूर भी है, देना चाहिये उसे। 20 रु० 50 पैसा वही सोसायटी मांगती है उससे। और वही सोसायटी आपके यहां जो किसान

सप्लाई करते हैं, उनको 17 रु० 40 पैसे देती है। तो यह अजीब बिडम्बना है कि आपके अधीन चलने वाली मिलों में ऐसा हो रहा है।

अब राज्य सरकार के अधीन चलने वाली जो मिलें हैं जो रिसीवरशिप में चलती हैं या दूसरे तरीकों से चलती हैं, केवल आप यही बता दें कितनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने पहली किश्त का भी भुगतान नहीं किया है किसानों की ? आज 30 मार्च है। और चमड़े की बात आती है। आप की तरफ से हो सकता है कि कुछ मिलों के बारे में यह कहा जाय कि सोसायटी को इतना रुपया गया, लेकिन बहुत सी मिलों में झगड़ा इस बात का है कि वह कहती हैं कि परची पर दाम न लिखिये और 80,90 लाख या 1 करोड़ रु० जैसी क्षमता है मिलों की सोसायटी को दें। सोसायटी से कहा जाता है आप 14,15,16 इस तरह से एडवांस पैमेंट कर दीजिये। इसी लिये यह रास्ता आपने दिखाया।

(श्री एन० ए० शेजवालकर पीठासीन हुए)

आपने नहीं 17 रु० 40 पैसा पैमेंट दिया है। तो वह भी कहते हैं कि हम क्यों ज्यादा पैमेंट दें। आपने जो मुझे 16-2-83 को जवाब दिया, तो मैंने अपने पत्र में उनसे यह कहा था, और उसकी प्रतिलिपि प्रधान मंत्री को भी भेजी थी और मुझे जवाब दिया गया कि खाद्य विभाग को भेज दिया गया है और उस पर कार्यवाही हो रही है। और मुझे यह जवाब मिला कि भारत सरकार ने देश में विभिन्न खंडों में स्थित चीनी मिलों की आर्थिक क्षमता की भली भांति जांच करने के पश्चात् गन्ने का मूल्य 17 रु० 40 पैसे प्रति क्विंटल लगाया है। इससे अधिक कोई मूल्य उचित नहीं होगा और सरकार के लिये उच्चतर मूल्य अदा करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। गत सत्र में अदा किये गये मूल्य को इस सत्र की अदायगी के लिये पाबन्द नहीं बनाया जा सकता है। गत सत्र में आपने 20 रु० 50 पैसे दिया। इस सत्र में किस चीज के दाम कम हो गये, कौन से इनपुट्स के दाम में कमी हो गई जो आपने दाम कम कर दिये ? और आप उसे उचित भी ठहराते हैं। यह समस्या है गन्ना किसानों की। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मार्च का महीना है अभी कहीं आधा और कहीं एक तिहाई और कहीं इससे कुछ 60 परसेंट गन्ने की ही पैराई हुई है, बाकी गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। हमारे एक माननीय सदस्य ने इस बात की तरफ इशारा किया था 1978-79, 1979-80 में जनता सरकार के जमाने में गन्ना खेतों में फूंका गया। आप ऐसा न कीजिये कि आप उस रेकार्ड को भी तोड़ दें। हालत यही बता रही है कि आप उस रेकार्ड को तोड़ने जा रहे हैं।

आप कहेंगे पारसाल हमने मिलें चलायीं जून जुलाई और अगस्त तक। लेकिन मिलें जून, जुलाई और अगस्त तक चलाने में किसका नुकसान होता है ? राष्ट्र का नुकसान होता है क्योंकि शूकरोज का कंटेंट होना चाहिये वह नहीं निकलता है, उससे कम 7 परसेंट ही निकलता है। किसानों को काम कम मिलता है और गन्ना लकड़ी की तरह जला दिया जाता है। मैंने बहुत पहले आपको पत्र के जरिये आगाह किया है, सवाल के जरिये आगाह किया है और आज इस सदन के जरिये आगाह कर रहा हूं कि ऐसी हालत पैदा न होने दें कि आप जनता पार्टी के जमाने का रिकार्ड ब्रेक कर दें और किसानों को नुकसान हो।

अभी हमारे डागा जी ने भी अर्ज किया था कि नीति हमारी ठीक है। हम भी उस नीति के मानने वाले हैं जो आपने भुवनेश्वर में बनाई थी, जो हमने भुवनेश्वर में बनाई थी कि टोटल

स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन । आपने उस पर अमल नहीं किया । आपने उस नीति को पास तो कर दिया लेकिन आपकी नियत नहीं थी । जब आप अपनी नीति बदलेंगे तभी आप कामयाब होंगे । केवल दिखावे के लिये आप 20 सूत्री कार्यक्रम बनाइये या 25-सूत्री बनाईये उससे काम चलने वाला नहीं है ।

कंट्रोल कपड़े के बारे में दो शब्द इसलिये कहूंगा कि कंट्रोल का कपड़ा एन टी सी के साथ-साथ हैंडलूम सैक्टर को दिया गया । जब कामर्स मिनिस्ट्री की डिमांड्ज आयेंगी, उस वक्त मैं इसकी तफसील में जाऊंगा । वहां तो यह कहना चाहूंगा कि कन्ट्रोल का कपड़ा, जिसको जनता-कपड़ा कहते हैं जो कि को-आपरेटिव के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की बात है, वह जनता तक नहीं पहुंच रहा है । वह कहां पहुंच रहा है ? हमारी कांस्टीट्एन्सी वार्डर पर है । नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का वार्डर लगता है । यह कपड़ा हमारे देश की दुकानों पर न जाकर गांठ की गांठ और ट्रक का ट्रक नेपाल में चला जा रहा है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गल्ला, खासतौर से गेहूं की बात मैं कहता हूं, चावल की नहीं, यह खुले-आम नेपाल में जा रहा है । राशन और कन्ट्रोल का गेहूं खुले आम नेपाल में जा रहा है । हमारे श्री डागा ने इन्सपेक्टर की बड़ी दुहाई दी, उनकी सिंचाई भी की, करनी चाहिये भी लेकिन उनके पीछे कौनसी बातें हैं, यह सब जानते हैं ।

राशन की दुकानें पोलिटिकल प्रेसर पर दी जाती हैं । पोलिटिकल प्रेशर पर ही नहीं बल्कि पोलिटीकल हिस्सेदारी पर । मैं आपकी निगाह उस पर भी रखना चाहता हूं ।

श्री मधु दंडवते (राजापुरा) : नजरे-इनायत पर ।

श्री असफाक हुसैन : हमारे श्री दंडवते जी ने ठीक ही कहा कि नजरे इनायत पर दुकानें बंटती हैं मेरा कहना रहता है कि आप परवरिश कीजिये अपनी पार्टी के लोगों की लेकिन इस तरह से कीजिये जिससे जनता को कोई नुक्शान न हो ।

(व्यवधान)

अगर मैं पखरिश करता, तो आपके साथ ही रहता । मैंने सही बात कही है, आप सदन में नहीं कह पायेंगे, लेकिन बात सही है ।

खाना पकाने की गैस ऐसन्शियल कमोडिटीज में नहीं आती, आप कहेंगे कि हमारे सब्जैक्ट में नहीं है, लेकिन मिडिल क्लाश के लोगों को खासतौर से शहर के लोगों को उस पर निर्भर रहना पड़ता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाना पकाने की गैस भी सही तरीके से तक्सीम की जानी चाहिए । इसको भी एसेंशियल कमोडिटी मान कर चलना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य ने सस्ती कापियों की बात कही है सस्ती कापियां आजकल खिलवाड़ बनकर रह गई हैं । दामों में बहुत कम फर्क रह गया है । इसका शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध है, इस बात को मैं मानता हूं लेकिन आप इसको एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत लाइये, इसलिए मैं यह कह रहा हूं ।

आप में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आप गन्ना किसानों की दशा की ओर ध्यान दें । आप इस बात का इन्तजाम करें कि उनका सारा गन्ना पेरा जा सके । गन्ना किसानों की एक और भी समस्या है । क्शर के जरिए से जो गन्ना पेरा जाता है या जिस गन्ने का गुड़

बनता है उसके लिए किसानों को 10-12 रुपए क्विंटल का दाम ही मिलता है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि केवल आंध्र प्रदेश में ही इस सम्बन्ध में कुछ पाबन्दी लगाई गई है। वहां पर ऐसे गन्ने का एक मिनिमम दाम तय किया गया है। मैं चाहूंगा पूरे देश में जो क्रशर के जरिए गन्ना पेरा जाता है या जिस गन्ने से गुड़ और खण्डसारी बनाई जाती है उसका मिनिमम दाम तय किया जाना चाहिए। पूरे देश के लिए नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर बिहार के लिए भी आप ऐसा न करना चाहें तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए जरूर कोई कीमत मुकर्र कर दें।

यह चन्द समस्यायें थीं जिनकी तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था। एक बार फिर मैं इन्ट्रेस्ट की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अगर 14 दिन के बाद किसानों को इन्ट्रेस्ट मिलता रहे तो मिल वाले किसानों को गन्ने का दाम सही वक्त से देने के लिए मजबूर हो जायेंगे क्योंकि मीटर चलता रहेगा। इसलिए आप मीटर चलाईये ताकि उनको समय पर दाम मिल सकें। इसके साथ साथ आप इस बात की भी हिदायत दीजिए कि जब तक किसानों का पेमेंट न हो जाए तब तक किसानों के खिलाफ कुर्की और वसूली भी रोकी जाए। आज की जो हालत है उसमें एक तरफ तो आप किसानों का पेमेंट नहीं करते हैं और दूसरी तरफ उनसे खाद और पानी की ड्यूज की वसूली करवाई जाती है और बिजली के कनेक्शन भी काट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ताकि मैं गन्ना किसानों की समस्याओं को इस सदन के सामने रख सकूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी, मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह वह मंत्रालय है जिसका सीधा सम्बन्ध इस देश की जनता से है और उसके जीवन से है। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, बालक हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए खाना और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जिम्मेदारी और दायित्व इस मंत्रालय पर ही है। जिस प्रकार एक अर्से से समय-समय पर इस सदन में और इस सदन से बाहर भी रेलवे बोर्ड की आलोचना होती रही है और वह एक सफेद हाथी बताया जाता रहा है, उसी प्रकार से भारतीय खाद्य निगम की भी आलोचना होती रही है। मैंने पक्ष और विपक्ष के साथियों को सुना है और मैं समझता हूं सभी ने भारतीय खाद्य निगम की कारगुजारियों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना की है। मैं आज अपनी नेता और भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री भागवत झा आजाद जैसे एक सुयोग्य और सक्षम मंत्री के मजबूत कन्धों पर इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा उन्होंने पिछले हफ्ते राज्य सभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था मैं इस मुल्क में चीजों की, आवश्यक वस्तुओं की, कीमतों को नहीं बढ़ने दूंगा और यह बतलाते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उनकी इस सिंह-गर्जना के साथ ही गेहूं के दाम, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में 300 और 325 रुपये क्विंटल थे, 80 से 90 रुपये क्विंटल टूट कर 210 और 215 रुपये क्विंटल हो गये। मुझे पूरी आशा है—यदि उन्होंने इसी मुस्तैदी से, इसी हिम्मत से, इसी हौसले से काम किया तो शीघ्र ही एफ० सी० आई० और जो ऐसे दूसरे ईशूज हैं—वितरण प्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले, जिनकी इस सदन में आलोचना होती रही है, शायद अब किसी को इस तरह की आलोचना का मौका नहीं मिलेगा।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ आपके माध्यम से मैं इस माननीय सदन और इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में ये जो काला धन्धा करने वाले व्यापारी हैं, गल्ले के आढ़तिये और थोक-विक्रेता हैं वे आज बड़े सुनियोजित ढंग से, कानून की आंखों में धूल झोंक कर, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से, काला-धन्धा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से चावल के ट्रक-के-ट्रक बिहार में तस्करी के रूप में जा रहे हैं·····

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सभा में इतनी महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है किन्तु सभा में गणपूर्ति नहीं है। केवल 18 सदस्य ही उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें, क्योंकि गणपूर्ति का मामला उठाया गया है। घंटी बजाई जाये।·····अब सभा में गणपूर्ति है। अब माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू करें।

श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से बिहार में चावल की तस्करी हो रही है। काला धंधा करने वाले लोग, व्यापारी लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर बड़ीशान से इस काम को कर रहे हैं। वैसे तो चावल के लिए सारा देश एक जोन है लेकिन चावल लेवी के रूप में जो देना पड़ता है उसके लिए ये चालाक व्यापारी लोग दिल्ली से ट्रकों के कागजात तैयार कराते हैं और गलत कागजात तैयार कराते हैं जिनका कि कहीं पर सत्यापन या वेरीफिकेशन नहीं होता और उन कागजातों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों से चावल की तस्करी करते हैं। इनको पुलिस भी रोकने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस बारे में सवाल भी उठा था और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से तस्करी रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने के बारे में कहा था। इस तरह की तस्करी बड़े जोरों से चल रही है। इसको रोकने के बारे में जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं।

यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो इलाका नेपाल से लगा हुआ है, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया आदि, इन, इलाकों से नेपाल के लिये चावल और गुड़ की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है और उच्चाधिकारी इसे रोकने में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। चावल और गुड़ की तस्करी करने के लिए एक बड़ा गिरोह है जो नेपाल के लिये उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह नेपाल से भारत के लिये कपड़ा, घड़ियां, टार्च, टेपरिकार्डर, ट्रांजिस्टर तथा अन्य वस्तुए तस्करी करके भारत में लाने के लि ; एक गिरोह सक्रिय है।

श्रीमन् चावल की तस्करी में बताया जाता है कि खाद्य निगम के अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है। धान मिल-मालिकों की इस गिरोह से सांठगांठ है। इस तस्करी में पुलिस की भी मिलीभगत रहती है।

श्रीमन् खाद्य निगम के बारे में बहुत-सी शिकायतें यहां की गई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने उसकी कार्यवाहियों पर प्रकाश डाला। इस सम्बन्ध में मैं उसकी बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं वे किसानों से गेहूं खरीदती हैं। इसकी ए० बी० सी० श्रेणियां नहीं होनी चाहिए। गत वर्ष आपने जो 142 रुपये गेहूं का भाव घोषित किया था, उसमें होता यह था कि जब गेहूं एफ० सी० आई० के केन्द्र पर किसान लाता है तो उसको एक-एक हफ्ते तक वहां पड़ा रहना पड़ता है और इतने दिन तक उसको कोई नहीं पूछता था।

हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले साल बरसात की वजह से गेहूं कुछ खराब हो गया था, लेकिन फिर भी किसान से सीधा गेहूं नहीं खरीदा गया। एफ०सी०आई० के कर्मचारियों की मिली भगत से आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदा गया। गेहूं की जो तीन श्रेणियां तय की गई। उनमें प्रथम श्रेणी का गेहूं 142 रु० प्रति क्विंटल, द्वितीय श्रेणी का 140 और तृतीय श्रेणी का 138 रु० प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाता था। इसके बाद ये तीनों तरह का गेहूं एक ही गोदाम में रख दिया जाता। इसका लाभ न तो किसान को मिलता है और न कंजूमर्स को मिलता है। फेयर प्राइस शॉप से सारा गेहूं एक ही कीमत पर बेचा जाता है। फिर ये तीन श्रेणियां रखने का क्या औचित्य है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

गेहूं का मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया है। फसल आ गई है और किसान नहीं सोच पा रहा है कि उसको—सरकार को बेचे या आढ़तियों को बेचे। किसान की इस परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। फसल के समय ही किसान अपनी जरूरत की चीजों को खरीदता है। इसलिए मूल्य जल्दी घोषित किया जाना चाहिए।

ए० पी० सी० में किसानों का न के बराबर प्रतिनिधित्व है। आज देश में साइकल, फ्रिज, टेलीविजन आदि बनाने वाले अपने सामान की कीमत स्वयं निश्चित करते हैं। किन्तु किसान अपने उत्पादों की कीमत स्वयं तय नहीं करता। इसलिए मेरा आग्रह है कि ए० पी० सी० में किसान का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस दिशा में आवश्यक और शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं।

एफ० सी० आई० का स्थापना उपभोक्ता और किसान की भलाई के लिए की गई थी। आज उपभोक्ता और किसान का सबसे ज्यादा शोषण एफ० सी० आई० के द्वारा ही हो रहा है। भ्रष्टाचारों की बहुत सी बातें यहां बताई गई हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पिछले दिनों देखने में आया है कि गल्ले के रिजर्व भण्डार में बहुत कमी आई है। पिछले वर्ष गेहूं की रिकार्ड वसूली हुई थी इसके बावजूद खाद्य निगम के सुरक्षित भण्डार में कमी आई है। कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षित भण्डार में हर समय एक करोड़ 80 लाख टन अनाज रहना चाहिए। इस समय लगभग 60 लाख टन अनाज कम है। खाद्य विभाग के सूत्रों से पता चला है कि सुरक्षित भण्डार की पूर्ति के लिए ही सरकार द्वारा अमरीका से 40 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है। इन बातों का सरकार को बड़ी गंभीरता से मनन करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।

वितरण प्रणाली के संबंध में भी यहां पर पक्ष और विपक्ष की ओर से बहुत सी बातें कही गईं। मेरा निवेदन यह है कि आम आदमी को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसके ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सस्ते दर की दुकानें प्राइवेट लोगों को एलाट की जाती हैं और इसलिए उपभोक्ता तक वस्तुएं नहीं पहुंच पातीं। सब बीच में ही तय हो जाता है। देहातों में जो दुकानें हैं उनके मालिक तो कर्मचारियों से ही परसेंटेज लेकर चले जाते हैं। देहात के लोगों को शक्कर, चावल, तेल इत्यादि कुछ नहीं मिल पाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें वितरण प्रणाली के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए। इसका लाभ पहाड़ पर रहने वाले, आदिवासियों, सुदूर जंगल में रहने वाले और विद्यार्थियों को मिलना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में तथा दूसरे सूबों में हाई स्कूल और इन्टर-मीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। विद्यार्थियों को मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से बड़ी भारी परेशानी है। यह विषय इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देहातों में बिजली भी न के बराबर है क्योंकि वहां बिजली के खम्भे लगे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं पहुंचती है। मेरा निवेदन है कि गरीब परिवार के छात्र-छात्राओं की दयनीय हालत पर तरस खाएं और जितनी जल्दी हो सके प्रांतों की सरकार और जिला प्रशासन को हिदायत दें कि वे मिट्टी का तेल सप्लाई करें। यह अभियान चलाएं कि जब तक विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त नहीं होंगी तब मिट्टी के तेल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी।

एक बात डागा साहब ने मिलावट के बारे में कही थी। मिलावट को मैं कत्ल और मर्डर जैसे भयंकर अपराध से कम नहीं समझता। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के दोषी पाए जाएं उनको वही सजा दी जाए जो दफा 302 के अन्तर्गत कत्ल करने वाले अभियुक्त को दी जाती है। इस देश में जनता के साथ एक नाटक खेला जा रहा है लेकिन मिलावट करने वाले लोगों पर अभी तक अंकुश नहीं लगा है। गेहूं, चावल, वनपस्ति और चीनी ऐसी चीजें हैं जिनको हरेक इन्सान इस्तेमाल करता है और जब इन चीजों में मिलावट होगी और जन-जीवन के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या स्थिति होगी ? अभी हमारे विरोधी दल के लोगों ने कहा कि भूख से काफी लोग मरे हैं। मैं समझता हूं भूख से आजकल कोई भी नहीं मरता।·····(व्यवधान)।

जब मैं देखता हूं कि सड़क पर सफाई करने वाला या जूतों की मरम्मत करने वाला या खोमचे लगाकर बेचने वाला ट्रांजीस्टर रखकर सुनता है और टेरीकाट के कपड़े पहनता है तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस देश में भूख से मौत होती है।·····(व्यवधान)।

श्री के० मायातेवर (डिंडगुल) : मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। गत सप्ताह तमिलनाडु में 19 व्यक्ति भुखमरी के कारण मर गये हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : यह मामला सभा में उठाया गया था।

श्री के० मायातेवर : यह तमिलनाडु सरकार के कुप्रबन्ध का एक गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : अब हम यहां तमिलनाडु के बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हमारे कुछ विरोधी पक्ष के लोग और कुछ अखबार वाले हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रोपोगंडा करते हैं कि इस देश में भूख से मौत होती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सरकार को विशेष कानून बनाना चाहिए। केवल कानून बनाकर ही काम नहीं चलने वाला है।

क्यों ? इस देश में छुआछूत समाप्त करने के लिये कानून बना हुआ है और भी बहुत सी बुराइयों को समाप्त करने के लिये कानून बने हुए हैं, दहेज को भी समाप्त करने के लिये कानून है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक उस कानून की कोई कीमत नहीं है।

अन्त में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी मिलावट के लिये दोषी पाया जाय उसको किसी भी कीमत पर न छोड़ा जाय क्योंकि वह हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है और यह एक अमाननीय कार्य है, गलत काम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाय और किसी भी कीमत पर चाहे राजनीतिक या आर्थिक दबाव पड़े, उसके सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिये, और जो लोग मिलावट के लिये दोषी पाये जायें उनको सख्त सजा दे कर सबक सिखाया जाय ताकि आइन्दा जन-जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, मैं मंत्री जी को डायनेमिक आदमी मानता हूं और 1967 से मैं देख रहा हूं जब से मैं लोक सभा में हूं हमेशा डाउन ट्रोडन का जब भी सवाल उठता है उसको उन्होंने हमेशा मजबूती से सम्हाला है। लेकिन आज जब फूड पर डिबेट हो रही है उस समय स्थिति इतनी गम्भीर है, प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि देश की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा अकाल और सूखे से पीड़ित है। केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार की तो यह स्थिति है कि 32 जिलों में से 26 जिले अकाल से पीड़ित हैं और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की स्थिति भयावह है। जो इलाका अन्न पैदा करने वाला था तमिलनाडु उसकी भी हालत बुरी है। यह गम्भीर स्थिति है इसको सम्हालने के लिये मंत्री जी के दिल में दर्द जरूर है। लेकिन आप फूड मिनिस्टर बना दिये गये, लेकिन जब फुड ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से करेंगे ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में स्थिति क्या है ? ग्रीन रिवोल्यूशन का युग समाप्त हो गया, हरित क्रान्ति का युग होता तो आपके प्लान के अनुसार 3 साल में 6 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की है, और 50 लाख हैक्टेयर की पहले हुई थी। तो 56 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, अच्छे बीज, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ा है, फिर भी कृषि की पैदावार घट रही है। ऐसा क्यों है, यह सोचने वाली बात है। आपका ही ऐलान है कि हमारी हुकूमत होगी तो हम जमीन भूमिहीनों में बांटेंगे। क्या हो गया उसका ? आज हालत यह है कि जमींदारों की भारी जमीन जो आपके राज्य हैं, बांटी नहीं जा रही है। जमींदारों ने बेनामी पट्टे कर के अपनी जमीनों को कानून से बचा लिया है। इसलिए बेसिक सवाल यह है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में पैदावार बढ़े तो भूमि का वितरण होना चाहिये। और जिन किसानों को भूमि देते हैं उनको सारी सुविधायें दीजिये ताकि पैदावार बढ़ा सकें। लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है।

हिन्दुस्तान में कुछ इलाके, जहां आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, यह राज्य लगातार डेफिसिट स्टेट्स रही हैं।

आप आंकड़े देख लीजिये। जो राज्य डैफिसिट में रहा है, आज तक उसके लिये आपने कौन-सी ऐसी योजना बनाई है ? बिहार को आप जानते हैं, उपजाऊ है, पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां अकाल पड़ रहा है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो अभावग्रस्त इलाके हैं, जहां आबादी के बहुत कम लोग रहते हैं, उनके लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया है। इसमें आपको बेइन्तहा फेल्योर है। इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

अब मैं आपकी प्रोक्योरमैंट पालिसी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं पश्चिमी जर्मनी और सोवियत यूनियत घूमने गया था। वहां 30 बरसों से लगातार ऐसेन्शिबल कमोडिटीज के दाम एकदम स्थिर हैं। चाहे गांव में जाइये, चाहे शहर में जाइये लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं है। यहां लगातार मांग हो रही है कि आप प्रोक्योरमैंट पालिसी को बदलिये, अन्न उपजाऊ नीति को बदलिये। प्राइवेट बिचौलियों को जो आप रखे हुए हैं ट्रेड में, उनको खत्म कीजिये। आप यह नीति अपनाइये कि फूडग्रेन का होलसेल ट्रेड सरकार अपने हाथ में ले। आपने कौटन का और तम्बाकू का एक्सपैरीमैंट किया है, उसके नतीजे अच्छे निकले हैं, फिर आप घबड़ाते क्यों हैं कि फूड-ग्रेन का ट्रेड अपने हाथ में नहीं लेते ? आपको एलान करना चाहिये कि क्या दिक्कत इसमें आपको है ?

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को देखिये, बिहार में गन्ने की 32 मिलें हैं, लेकिन वहां हालत यह है कि आपके राज्य में और जनता पार्टी के राज्य में भी किसानों का गन्ना सड़ा रह गया, उनको जलाना पड़ा। आज भी वही स्थिति हो रही है। गन्ने की कीमत जो सरकार ने एलान की है, वह गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रही है इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आपकी सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोक-सभा में कहा जा रहा है कि इसकी ओर ध्यान दीजिये ताकि गन्ना किसानों को प्रेरणा मिल सके। यह बात बहुत जरूरी है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये, लेकिन वह दिया नहीं जाता है। खाद और बीज का दाम बढ़ रहा है और दूसरी चीजों का भी दाम बढ़ रहा है। जनता पार्टी में और आप में कोई फर्क नहीं है, आपकी भी किसान विरोधी नीति है और जनता पार्टी की भी यही नीति रही है। आप उनको लूट रहे हैं। किसान जो पैदा करता है, उसका कम दाम आप उसको देते हैं और जो चीजें किसान खरीदने जाता है, उसका दाम बढ़ता जा रहा है।

आपने नई आर्थिक योजना की बात कही है। आपने कहा है कि साम्राज्यवादी देश लूट करते हैं। आप अपने देश में पूंजीपतियों के इशारे पर किसानों को लूट रहे हैं, इसकी ओर आपको कदम उठाने चाहिये।

आप गेहूं के दाम तय कीजिये। किसी माननीय सदस्य ने इसकी मांग की है और सही कहा है कि गेहूं की कीमत 175 रु० प्रति क्विंटल होनी चाहिये। इस बात को आप सोच लीजिये कि जो लागत लग रही है, उसका कितना परसेंट आप किसान को लाभ देने जा रहे हैं ?

साथ ही साथ जो इलाके डैफिसिट कहलाते हैं, उसके लिये विशेष प्रोग्राम बनाइये। आपने अन्न बाहर से मंगाया, कई सदस्यों ने कहा कि इसका दाम देना पड़ता है 204 रुपये क्विंटल, क्या इसको रोका नहीं जा सकता है ? क्या किसानों को इन्सैंटिव नहीं दिया जा सकता ? मैं बताना चाहता हूं कि आज सोवियत यूनियन की आबादी 26 करोड़ है और वह 20 करोड़ टन पैदा करता है। पर कैपिटा अन्न 800 के० जी० है और यहां पर 200 के० जी० है।

एम० सी० आई० को रहना चाहिए—मैं इस बात को मानता हूं। आलोचना का मतलब यह नहीं है कि एफ० सी० आई० को खत्म कर दिया जाए। आलोचना का मतलब यह होना चाहिए कि एफ० सी० आई० में फैले हुए दुर्गुणों को रोका जाए। पांडे जी ने बहुत से प्वाइन्ट्स कहे हैं, एक प्वाइन्ट मैं भी कहना चाहता हूं। एफ० सी० आई० के गोदामों में मई में अन्न रखा

जाता है और सितम्बर, अक्तूबर में निकाला जाता है। मौसस के चलते अन्न का वजन वहां बढ़ जाता है। आपने वहां पर मान लीजिए रखा 50 टन और निकाला भी 50 टन लेकिन वजन बढ़ जाने से जो अनाज बचता है वह कहां जाता है ? उसको अधिकारी हजम कर जाते हैं।

मैं आपके सामने एफ० सी० आई० की जो हालत है उसको बयान करना चाहता हूं। एक कर्मचारी जिसका नाम है ठाकुर खुद्दीराम, उसके केस को आप भी जानते हैं 6 एम पीज ने ज्वाइन्टली दरख्वास्त दी और डेलिगेशन मिला लेकिन आज तक ठाकुर खुद्दीराम का मामला हल नहीं किया गया है। आपकी इजाजत होगी तो सभा पटल पर मैं इसको रख दूंगा।

जहां तक मांग और सप्लाई का सम्बन्ध है, पांडे जी ने बताया है कि कितने करोड़ के अनाज का स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में और पिलफ्रेज में नुकसान हो जाता है। केवल 1980-81 में 74 करोड़ का घाटा हुआ—स्टोरेज और ट्रांशिपमेंट में। अकेले स्टोरेज में ही 44 करोड़ का घाटा हुआ। यह घाटा सारे देश का हो रहा है। इसलिए एफ० सी० आई० को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में आप जो भी कदम उठायेंगे उनका हम समर्थन करेंगे।

आप जो भेदभाव की नीति बरतते हैं उसके सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है। पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में जहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, उनसे आप आवागमन के लिए चार्ज करते हैं लेकिन यहां पर दिल्ली में नहीं चार्ज करते हैं—इसका क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि आपने यहां लोक सभा में तो कह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को इतना अन्न दे दिया लेकिन ऐसी मनोवरिंग की जाती है जिसके जरिए वह कोटा टाइम पर नहीं पहुंचता है। जो इस प्रकार का भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, आप स्वयं जानते हैं कि बिहार में अकाल की स्थिति है और वहां की सरकार मांग कर रही है कि हमें इतना अनाज दिया जाए, वहां के फूड मिनिस्टर ने मेमोरैण्डम भी भेजा हुआ है लेकिन आप अन्न देने से कतरा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम क्या करें।

श्री भागवत झा आजाद : अभी एक्सट्रा दे दिया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अभी उड़ीसा में साईक्लोन आया था, हम वहां पर गए थे, 8 जिलों का हमने दौरा किया। फिर वहां पर अकाल पड़ गया और सुखाड़ से भी प्रभावित है लेकिन आप यहां पर बना बनाया उत्तर दे देंगे। दूसरों के साथ-साथ आपकी पार्टी के लोगों ने भी यहां पर कहा है कि बफर स्टाक को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ? मार्केट में अब ग्रेन आने वाला है लेकिन जब तक आप ठीक से पर्चेजिंग नहीं करेंगे तब तक बफर स्टाक पूरा नहीं होगा।

आप कहते हैं—राज्य सरकारें वसूली नहीं करती हैं। आप के पास कोई ऐसा कानून या नियम है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं या नहीं, कि राज्य सरकारें भी वसूली में आप के साथ सहयोग करें, जिससे कि आप अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थोप कर बच न जायें ?

अन्तिम बात—आज आप ने जिस विभाग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उसकी हालत क्या है ? हमारे यहां एक कहावत है—एक साधू बाबा थे। उन्होंने क्या किया कि अपने तमाम

चेलों को न्योता दिया। किस लिये—खीर खाने के लिये। जब चेले खाने के लिये बैठे तो खीर के बदले खिचड़ी परोसी गई। लोगों ने पूछा—हम तो खीर खाने आये थे। बाबा जी ने कहा—होखू पंचे भकोसू। अगर एलर्ट नहीं रहेंगे तो आप की व्यवस्था भी ऐसी ही होगी। यदि आप का प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा तो जनता के सामने आज जो सवाल हैं वे और ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंच जायेंगे और आप परिस्थिति का मुकाबला करने में मुकम्मिल रूप से फैल कर जायेंगें। तब आप की जो पहले की कथनी और आज की करनी है हम लोगों को बाध्य होकर उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसलिये आप एफ०सी०आई० को मजबूत कीजिये तथा अन्य कठिनाइयों का समाधान कीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपके विभाग की मांगों का विरोध करता हूं।

* **श्री शान्तु भाई पटेल** (साबर कंठा) : माननीय सभापति जी, सदन के सामने खाद्य व नागरिक पूर्ति विभाग की जो मांगें रखी गई हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अन्न, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि किस प्रकार से वितरित किया जाता है। इसको पढ़ने से लगता है कि...

सभापति महोदय : क्या आपने इन्टरप्रेटर्स को पूर्व सूचना दे दी थी क्योंकि मैंने देखा कि अनुवाद...

श्री शान्तु भाई पटेल : जी हां, मैंने दे दी थी...

सभापति महोदय : आपने शायद पहले सूचना नहीं दी है। आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी ताकि जो आपकी भाषा जानने वाले हैं, वे इन्टरप्रेट कर सकें। आप हिन्दी में या अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री शान्तु भाई पटेल : बैठा है। हम हिन्दी में कम बोल सकते हैं।

नागरिक पूर्ति विभाग को जो मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। नागरिक पूर्ति विभाग के द्वारा सरकार अन्न, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, सीमेंट जैसी आवश्यक चीजें जनता तक पहुंचाने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस प्रकार सरकार का यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। हमारा देश बहुत बड़ा है, देश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में जनता की आवश्यक चीजें पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है फिर भी नागरिक पूर्ति विभाग इस काम को अच्छी से अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हू।

आवश्यक चीजों की जो वर्तमान वितरण व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां ऐसी है जिनके कारण उसका पूरा-पूरा लाभ नहीं मिलता है। आज वितरण का काम दुकानदारों के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। मेरा सुझाव है कि यह व्यवस्था केवल सहकारी समितियों के द्वारा ही की जाये क्योंकि इससे हम सब सामान उचित कीमत पर और ठीक समय पर गांव की जनता तक पहुंचा सकेंगे।

एफ०सी०आई० के द्वारा किसानों से अनाज खरीदा जाता है। उसके द्वारा अनाज की खरीद के लिए जिस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है, उस पर इस सदन में काफी शिकायतें की

* गुजराती में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गयी हैं। एफ०सी०आई० अनाज की खरीद करने के बाद उसको अपने गोदामों में रखता है। गोदामों में रखे गये अनाज पर वह कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे बहुत सा अनाज खराब हो जाता है। इस प्रकार सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है तथा जनता को सड़ा हुआ अनाज खाना पड़ता है। इस व्यवस्था के लिए बड़े-बड़े अफसर तथा अन्य कर्मचारी रखे गये हैं तथा तरह-तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है, लाखों रुपये का खर्च किया जाता है, फिर भी अगर इस प्रकार का नुकसान ही होता रहे तो वह अनुचित ही होगा। सरकार को चाहिये कि वह संग्रह किये गये अनाज को हिफाजत से रखे तथा उसका उचित समय पर वितरण करे। जिससे जनता को अच्छा अनाज ठीक समय पर मिले।

आज लाखों टन अनाज विदेश से आयात किया जाता है। उसके लिए विदेश को ज्यादा भाव देना पड़ता है जिससे एक तो देश की विदेशी मुद्रा का अनावश्यक खर्च होता है, तथा दूसरी ओर देश के किसानों को नुकसान होता है क्योंकि जो भाव विदेशों को देते हैं, उस भाव से हमारे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। आज हमारे देश के किसानों को बहुत कम भाव दिये जाते हैं। अन्न को पैदा करने में किसान को मंहगी खाद, कीट नाशक दवाएं, सिंचाई तथा मजदूरी के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। उनके इन खर्चों को देखकर, किसानों को घाटा न हो, इस प्रकार के भाव देने चाहियें। ए०पी०सी० को चाहिये कि कृषि उत्पादकों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले इस को ठीक से देखें तथा फसल बाजार में पहुंचने से पहले ही समर्थन मूल्यों की घोषणा करे।

खाद्य तेल के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा। हम 800 से 900 लाख टन खाद्य तेल का आयात करते हैं। उसके लिए 700-800 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं। इसके बदले हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ताकि वे अपने खेतों में मूंगफली, कपास आदि तेल देने वाली फसलों को लगायें। किसानों के लिये पूरी जानकारी, अच्छी बीज, सिंचाई की आवश्यक सुविधा तथा पर्याप्त ऋण और आर्थिक सहायता की व्यवस्था होने पर वे ऐसी फसलों को लगाने के लिए तैयार होंगे। उससे हम विदेशी मुद्रा को बचा सकेंगे तथा हमारे किसानों को लाभ पहुंचा सकेंगे।

सीमेंट के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। ता० 2.2.82 से सरकार ने सीमेंट वितरण के के लिए दोहरी मूल्य नीति को अपनाया था जिसमें व्यवस्था की गई कि सीमेंट के उत्पादन का 63% भाग लेवी द्वारा प्राप्त करके नियंत्रित मूल्य पर बेचा जायेगा। तथा बाकी 37% भाग को खुले बाजार में बेचा जायेगा। नियंत्रित मूल्य के सीमेंट का भाव रु० 40.25 प्रति थैली निर्धारित किया गया तथा खुले बाजार में रु० 62.50 प्रति थैली बेचा जायेगा।

लेकिन इस नीति से लाभ होने की बजाय जनता की परेशानी बढ़ी है क्योंकि नियंत्रित मूल्य का सीमेंट लोगों तक पहुंचने के लिए उचित व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं। नियंत्रित मूल्य वाली सीमेंट का वितरण समय से नहीं होता है। सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनियां ट्रांसपोर्ट आदि के बहाने बना कर विलंब करती हैं। बाद में उस सीमेंट को प्रति थैली 70-75 रु० लेकर बेचती हैं। इस प्रकार सामान्य जनता के लिए जो सीमेंट है, वह उसको नहीं मिलती। कंपनियां डालर्स से पैसे एडवांस में लेकर उसका बिना ब्याज उपयोग करती हैं।

मैं मांग करता हूं कि सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति को तुरंत बंद किया जाये। मिट्टी के तेल के बारे में भी ऐसी नीति को लागू किया था लेकिन जनता की परेशानी को देखते हुए उसे

वापस ले लिया गया। इस पर मन्त्री जी को बधाइयां भी बहुत मिलीं। ठीक उसी प्रकार सीमेंट की नीति को भी बदलना होगा क्योंकि वर्तमान नीति से जरूरतमंद उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ रही है।

नियंत्रित मूल्य पर देश की गरीब जनता को कपड़ा देने की एक नीति सरकार की है। एन०टी०सी० की मिलों द्वारा इस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है। लेकिन हमारी वितरण व्यवस्था इस दृष्टि से भी नाकामयाब रही है। आज हम इस प्रकार का उचित दर का कपड़ा गांवों के गरीब किसानों, मजदूरों को नहीं पहुंचा सके हैं। अगर हम सहकारी समितियों के द्वारा गांवों में भंडारों की व्यवस्था करके कपड़े का वितरण करने की जिम्मेदारी उनको सौंपेंगे तो अवश्य सफलता हासिल होगी। खाद्य तेल के लिए हम विदेशों से पाम आइल मंगाते हैं जिसके लिए हमें करोड़ों रुपये विदेश को देने पड़ते हैं। मुझको एक सूचना मिली है कि विदेशों में कई ऐसी कंपनियां हैं, जो हमारे देश की बीमार मिलों की सहायता कर सकती हैं। वे इन मिलों को सोयाबीन सीड, काटन सीड आदि भेजेंगी। जिसको पीस कर उनकी खली को ले जायेंगी। लाने ले जाने का खर्चा वे करेंगी, तथा मजदूरी के रूप में निकला हुआ तेल यहां छोड़ेंगी। अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो हमें फायदा ही फायदा है क्योंकि इससे हमारी बीमार मिलों को मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, खाद्य तेल का संकट दूर होगा तथा मजदूरों की मजदूरी मिल सकेगी।

गुजरात में हाल ही में समुद्री तूफान से बहुत नुकसान हुआ है। उसके लिए राज्य सरकार से सीमेंट व अन्न की मदद मांगी है। मैं आशा करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहानुभूति से विचार करेगी तथा आवश्यक सहायता यथाशीघ्र पहुंचाएंगी।

मैं पुनः इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, 35 वर्ष की आजादी के बाद, पांच पंचवर्षीय योजनाओं में खरबों रुपया लगाने के बाद और विदेशों से खरबों रुपया कर्ज लेने के बाद आज जो भारत वर्ष की खाद्यान्न की स्थिति है वह इस सदन में और सदन के बाहर चर्चा का विषय है। पक्ष और विपक्ष के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस स्थिति पर प्रकाश डाला है।

मध्य प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है। आज मध्य प्रदेश के महाकौशल विन्ध्य क्षेत्र के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां से गरीब, आदिवासी और हरिजन भाग रहे हैं और ये गांव उजड़ रहे हैं। पिछले 15 दिन का एक किस्सा है। जबलपुर की सिहोरा नामक तहसील में भूखे मजदूरों ने मजबूर होकर राशन की दुकानें लूट लीं। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में हालत कितनी खराब है। अभी सत्ता पद के एक सदस्य ने कहा कि विरोधी दल वाले और अखबार वाले भूख से मौत होने का प्रोपगंडा करते हैं इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। मन्डला जिले में एक निवास तहसील है उसके पास एक गांव में शांति बाई नाम की आदिवासी महिला भूख से तड़प-तड़प कर मर गई। जिला अध्यक्ष ने अपने ब्यान में कहा कि बदहजमी से मरी है। मैं उस गांव में गया था और वहां जाकर देखा कि जंगल के निवासियों ने लोमड़ी, भेड़िया और सांप तक खा डाले, उसके बाद भी भूख पूरी नहीं हुई। इस प्रकार बहुत बड़ी तादाद में उस जिले में लोग भूख से मरे हैं। फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया में भ्रष्टाचार की बात चल रही थी। अभी तक हम सुनते थे कि दाल में नमक के बराबर भ्रष्टाचार चलता है। परन्तु मुझे समझ में आया

कि भ्रष्टाचार में अब नमक में दाल आ गई है। जब मैं शांति बाई की सास को मिला और उनसे पूछा कि आपकी बहू को मरे हुए 9 दिन हो गए हैं, आपकी मध्य प्रदेश शासन ने कोई सहयाता की या नहीं ? उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ दो किलो चावल की सहायता मिली है। सुनकर बड़ा अजीब लगा कि 25 वर्ष की बहू भूख से तड़प-तड़पकर मर जाए और सिर्फ दो किलो चावल देकर ही सहायता की जाए ? जब जड़मे में पहुंचा तो समझ में आया कि इस बुढ़िया का दो बोरे चावल पर अंगूठा लग गया था। सौ किलो सरकारी गोदाम से निकला और एक किलो उसके घर पर पहुंचा, जो भूख से तड़पकर मर गई। हमारे एक सदस्य महोदय ने कहा कि दिल्ली में 25 दुकानें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति चलाता है। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय उसकी जाँच करें। मध्य प्रदेश में एक सिवनी जिला है, वहां एक मंत्राणी हैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और इस सदन के एक श्रेष्ठ मंत्री भी हैं जो वहीं के निवासी हैं। इसके विश्वासपात्र व्यक्ति तीन सौ से अधिक दुकानें आज वहां पर चला रहे हैं। इसमें किसका कितना हिस्सा है, यह समझने की और जांच करने की बात है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं समझता हूं माननीय सदस्य मेरा उल्लेख कर रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं है।

श्री बाबूराव परांजपे : मैंने सिवनी जिले के एक मंत्री जो यहां मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, उनकी बात की थी। अगर मामला साफ न हो तो और साफ कर सकता हूं। कुल-मिलाकर मैं प्रसन्न हूं क्योंकि विरोध पक्ष का हूं। अगर भूख से तड़प-तडपकर इन्सान मर जायेंगे तो क्या शांति बनी रहेगी। आज जबलपुर में राशन की दुकानें लूट सकती हैं तो क्यों नहीं भूखा इन्सान सड़क पर आ सकता और यदि वह आता है तो यह देश के लिये बहुत ही खतरनाक बात होगी। मैं चाहूंगा कि जहां तक मध्य प्रदेश का खाद्य का मामला है उस पर पुनः विचार किया जाये और उनका कोटा बढ़ाया जाए ताकि भूखमरी कुछ मात्रा में समाप्त हो सके। एक अंदाज आप कीजिये। आज मध्य प्रदेश में एक किलो चावल और एक किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा है। कुल मिला कर 2 किलो राशन एक यूनिट को एक महीने में अनेकों जिलों में सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अब प्रश्न यह आता है कि कम से कम 450 ग्राम अनाज एक आदमी को दिन भर के खाने के लिये होना चाहिये। उसके परिमाण में मध्य प्रदेश में आज क्या दिया जा रहा है इसके आंकड़े आपके सामने हैं आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि वहां खाद्यान्न की कितनी भयंकर स्थिति है।

रहा सवाल किसान को मिलने वाले मूल्य का···। वह गौरी चमड़ी का किसान चाहे आस्ट्रेलिया का हो या अमरीका का, हमारी भारत सरकार उससे ज्यादा खुश है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उसको गेहूं का भाव 204 रु० दिया जाता है और दूसरे वर्ष में 230 रु० दिया जा रहा है, जब कि देश के किसान को 142 रु० दिया जा रहा है। इस वर्ष खाद की महंगाई बिजली और पानी की महंगाई है, इन सब को ध्यान में रख कर मेरी मांग है कि हमारे किसान को कम से कम 200 रु० प्रति क्विंटल गेहूं का भाव तय होना चाहिए।

कापियों की बड़ी चर्चा होती है। समाचार-पत्रों, रेडियो, टी० वी० पर कहा जाता है कि इस सरकार को गरीब की बड़ी चिन्ता है। पिछले 6 महीने से कागज के कोटे के बारे में मैंने मंत्री जी को पत्र लिखे कि मध्य प्रदेश को पूरे एक वर्ष में कागज का कोटा रिलीज नहीं हुआ

है कापियां बनाने के लिये। आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भी वही हालत है जो एक साल पहले थी। आप इसकी जांच कर लें ताकि आने वाले सत्र में गरीबों को कापियां मिल सकें। मध्य प्रदेश में गरीबी इतनी अधिक है कि 320 विधान सभा में से 100 से अधिक सीटें हरिजन और आदिवासियो की हैं। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहां कितनी गरीबी है। इसलिये कापियों के सिलसिले में मध्य प्रदेश का जो भी कागज का कोटा है केन्द्र सरकार उसको तुरन्त रिलीज करे।

एक छोटी सी बात मैं तमिलनाडु के बारे में कहना चाहता हूं। तमिलनाडु में तीन प्रकार की चावल की मिलें चल रही हैं-लार्ज, मीडियम और स्माल जिसको सिंगल हलर राइस मिल कहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सबसे छोटी मिलों को, जिसमें 20,000 रु० की लागत लगती है, कहा है कि आपको अपनी मिल को मौडनाईज करना पड़ेगा अन्यथा आपका लाइसेंस कैंसिल हो जायगा बात कुटीर उद्योग की करते हैं, परन्तु तमिलनाडु सरकार क्या कर रही हैं ? मैं चाहूंगा तमिलनाडु सरकार को इस बात के लिये कम्पैल किया जाय कि इस प्रकार की मिलों को जो 6-9-83 तक का समय दिया है कि अगर तब तक मौडर्नाइज नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, ऐसे आदेश को वह वापस ले। जो छोटे आदमी 25,000 रु० की लागत से अपना काम धंधा कर रहा है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। इस बारे में मंत्री जी अवश्य ध्यान दें।

एक बार फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिये गेहूं, चावल और कागज का कोटा आप अधिक दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ती मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने और इन मांगों पर सभा में पेश किये गये कटौती प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्ष 1981-82 में खाद्यान्न की रिकार्ड वसुली करने के लिए मैं संघ सरकार को बधाई देता हूं। दूसरे पक्ष में बैठे मेरे मित्र सरकार से कुछ राज्यों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल आदि को चावल की सप्लाई करने का आग्रह कर रहे हैं। परन्तु इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्रीय पूल अथवा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके द्वारा मन चाही मात्रा में किसी भी समय चावल का उत्पादन किया जा सके। जब तक भारतीय खाद्य निगम राज्यों से चावल की वसूली नहीं करता केन्द्रीय पूल राज्यों को उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए खाद्यान्न सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय खाद्य निगम को चावल की वसूली करने के संबंध में पूरा सहयोग दें।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार को उनके द्वारा बनाई गई सुविचारित खाद्य नीति के लिए बधाई देता हूं, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन स्थापित हुआ। देश के सभी भागों में भयंकर सूखा पड़ने पर भी 1981-82 में 152 लाख टन खाद्यान्न की वसुली हुई जो 1978-79 में हुई 144.60 लाख टन की अधिकतम वसूली से भी अधिक है।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के संबंध में मन्त्रालयों के बीच समन्वय नहीं है। कृषि मन्त्रालय यह दावा करता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय विदेशों को चावल का निर्यात करने की अनुमति देने जा रहा है। परन्तु हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एक बार माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा में कहा था कि यदि चावल की अपर्याप्त सप्लाई हुई तो चावल खाने वालों को गेहूं खाना शुरू करना होगा। इसलिए यदि इन तीनों मन्त्रालयों के बीच समन्वय नहीं होगा तो उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ेगी।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि खाद्यान्न तेल, रेपसीड और पामोइल तेल का राज्य व्यापार निगम आयात कर रहा है, जिसे 6 रु० प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। परन्तु ये तेल दिल्ली क्लाथ मिल, लीवर ब्रदर्स, आदि बहुराष्ट्रीय फर्मों को सप्लाई किए जा रहे हैं जो इससे वनस्पति घी तैयार करते हैं और उपभोक्ताओं को फिर से 14 से 15 रु० के भाव पर बेचते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि बहुराष्ट्रीय फर्में तथा बिचोलियों को लाभ होता है और उपभोक्ता को हानि। इसलिए मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन वनस्पति घी उत्पादक उद्योगों का राष्ट्रीय करण किया जाए। 1982 में आई तूफान, बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण उड़ीसा में चावल के उत्पादन में कमी हुई है। खुले बाजार में भी चावल की उपलब्धता दिनों-दिन घटती जा रही है और अधिक संख्या में उपभोक्ताओं के सरकारी वितरण व्यवस्था पर निर्भर रहने के कारण उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है दो लाख टन चावल की वसूली के लक्ष्य के अतिरिक्त राज्य खुले बाजार से चावल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश खुले बाजार में भी चावल की उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए राज्य सरकार राज्य से बाहर खुले बाजार में चावल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश में भी चावल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मांग को पूरा करने के लिए चावल की आवश्यकता है। राज्य सरकार बार-बार संघ सरकार से अनुरोध कर रही है कि वह उसे केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न दे। माननीय मन्त्री की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि राज्य सरकार के अनुरोध पर संघ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आने वाले महीनों में कमी की इस स्थिति में और वृद्धि हो जाएगी।

जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु 6,60,000 मी० टन खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें गेहूं की आवश्यकता 2,62,000 मी० टन है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फरवरी के लिए आवश्यक 50,000 मी० टन चावल और गेहूं की आवश्यकता के स्थान पर केन्द्रीय सरकार ने केवल 18,000 मी० टन चावल और 22,000 मी० टन गेहूं दिया है। इसी प्रकार मार्च, 1983 के लिए 50,000 मी० टन की आवश्यकता के बदले में आज तक केवल 10,000 मी० टन चावल और 12,000 मी० टन गेहूं सप्लाई किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि चालू महीने के लिए 16,000 मी० टन चावल और 12,000 मी० टन गेहूं और दिया जाए। क्योंकि खाद्यान्न की अनुमति मात्रा में राहत कार्यों के लिए आवश्यक खाद्यान्न और काम के बदले भोजन कार्यक्रम आदि के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता भी शामिल है।

मैं भारत सरकार को मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य नीति समाप्त करने के लिए बड़ा आभारी हूं। उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति लीटर अधिक देने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। मन्त्री महोदय कृपया इस पहलू की ओर भी ध्यान दें।

सीमेंट की आवश्यकता के सम्बन्ध में माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि 1982 में उड़ीसा में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण अनेकों सरकारी और गैर-सरकारी मकान नष्ट हो गए या बह गए थे। भवनों, पुलों और छोटी पुलियों आदि के पुनर्निर्माण के लिए उड़ीसा को लंबी सीमेंट का विशेष कोटा दिया जाना चाहिए।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मन्त्री का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्नों के नष्ट होने की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय कृपया कर इस ओर ध्यान दें। जहां तक मेरी जानकारी है मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया था कि पिछले तीन वर्षों में भण्डारण की कमी के कारण सब्जियों समेत 40,000 टन खाद्यान्न नष्ट हुए। राज्य सरकारें और भारत सरकार इस समस्या के हल के लिए उचित कदम उठाए, जिससे आवश्यक भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भी अपना अनाज गोदामों में रखने के लिए उठा सकें। इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

*डा० वी० कुलनदईवेल् (चिदम्बरम) : माननीय सभापति जी, मैं अपने दल द्रमुक की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया है।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल कर 28 मार्च को तमिलनाडु की यात्रा की ताकि वहां गंभीर सूखे की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा ले सकें। उन्होंने सूखे की स्थिति का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि मानवता के प्रति उनकी भावनाएं और आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सूखाराहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रु० की मंजूरी दी और सूखाग्रस्त परिवारों को 10 लाख रुपये दिये। उन्होंने तमिलनाडु को 10 हजार टन खाद्यान्न देने का भी आदेश दिया। महोदय, तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, जिन्होंने शब्दों और कार्य द्वारा आम आदमी के प्रति चिन्ता प्रकट की, धन्यवाद करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैंने तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों से वर्षा न होने के कारण लोगों की कठिनाइयों का विस्तार से विवरण दिया था और अखिल भारतीय द्रमुक सरकार द्वारा राज्य में बिजली उत्पादन की उचित व्यवस्था न किए जाने की भी चर्चा की थी। मैंने विशेष रूप से राज्य सरकार के अकुशल प्रशासन की ओर केन्द्र का ध्यान दिलाया था। मैं चाहता हूं कि लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए राज्य को तत्काल अनाज भेजा जाये और सूखा राहत कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये के तदर्थ अनुदान की भी व्यवस्था की जाये। प्रधान मंत्री की तमिलनाडु की यात्रा से मेरे कथन की पुष्टि हो गई है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनाज की कुव्यवस्था के बारे में प्रधान मंत्री के कथन से

* तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य सरकार की अकुशलता के बारे में मेरे कथन की पुष्टि हुई है। मेरे विचार से 10 हजार टन अनाज और 10 करोड़ रुपये के सूखा राहत कार्यों से राज्य को सूखे की स्थिति से नहीं बचाया जा सकता।

मेरे जिले दक्षिण आरकाट में भुखमरी से 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यह तो सरकारी आंकड़े हैं। बहुत से लोगों की मृत्यु के बारे में तो सरकार को जानकारी ही नहीं है। उदाहरण के लिए यह लिखा गया है कि भुखमरी—अतिसार से मृत्यु हुई। मैं भी एक डाक्टर हूं। इसीलिए मैंने यह बात कही है। लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि मृत्यु अतिसार से हुई। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो निर्धनता और भुखमरी के कारण मौतें हुई हैं। डायरिया के कारण हजारों बच्चे भुखमरी का शिकार हुए हैं और उनके बारे में राज्य सरकार को कोई पता नहीं।

मेरे नेता डाक्टर के० करुणानिधि ने बारबार इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है और तमिलनाडु विधान सभा में उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों सहित अपनी बात की पुष्टि की थी। जैसा हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु में वर्तमान स्थिति के लिए अन्नाद्रमुक उत्तरदायी हैं। परिस्थितियों के दबाव के कारण लोग राज्य में शासक दल के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला दक्षिण आरकाट जिले के विधायक बाबू गोविन्द राजू का है। यद्यपि वह सत्ताधारी दल के हैं लेकिन उन्होंने अन्नाद्रमुख सरकार की असफलताओं को उजागर करने में झिझक नहीं दिखाई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। अपने दल का आप दूसरे वक्ता हैं। अधिक समय मत मांगिये। कुछ अन्य वक्ता भी हैं। कृपया समाप्त कीजिये।

डा० वी० कुलनदईवेलु : महोदय मैं तो तमिलनाडु की वास्तविक समस्या को रख रहा हूं। उन्होंने सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटो स्टेट प्रतियों से सिद्ध किया है कि कुदालोर में उचित दर की दुकानों के लिये अनाज को मद्रास में काले बाजार में बेच दिया गया। उन्होंने बताया कि चावल की एक बोरी को काले बाजार में 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया। हमें उनके साहस की दाद देनी चाहिए। सत्ताधारी दल के अन्य सदस्यों ने भी उनके साहस के लिये उन्हें धन्यवाद दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर यह मंत्री जी क्या कर सकते हैं। यह तो राज्य का विषय है।

डा० वी० कुलनदईवेलु : यदि रिपोर्ट सही है तो पचास हजार उचित दर की दुकानें खोली गई हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उचित दर की अधिक दुकानें खोलने से ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता की समस्या हल हो सकेगी। तमिलनाडु में तो उचित दर की दुकानों पर भी अत्यधिक काला बाजार चलता है। इन दुकानों में दिया गया अच्छा चावल काले बाजार में बेच दिया जाता है। चीनी में भी मिलावट होती है। मेरे जिले के गगनीकोंडा गांव में मिट्टी के तेल में पानी मिलाकर बेचा जाता है। आपने तो उचित दर की दुकानें जनता की सेवा के लिये खोली थीं लेकिन वे काला बाजार के अड्डे बन गई हैं जहां आदमी के न खाने योग्य चावल बेचा जाता है। कीड़ों वाले चावलों का नमूना विधान सभा में राज्य के वित्त मंत्री को दिखाया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा० वी० कुलनदईवेलु : सभी धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कहते हैं उसे सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। पर आपके दल के एक वक्ता बोल चुके हैं।

डा० वी० कुलनदईवेलु : 5 मिनट और दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको और समय नहीं दे सकता। मंत्री जी ने 5 बजे उत्तर देना है। आपके साथी बोल चुके हैं। आप अब समाप्त करें।

डा० वी० कुलनदईवेलु : महोदय, उचित दर की प्रत्येक दुकान को 20 किलो ग्राम चावल प्रति परिवार को देना चाहिये। 1.3 करोड़ परिवार राशन कार्ड बांटे जा चुके हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार को इस राशन कार्ड पर 2 से 4 कि० ग्रा० चावल मिलता है। ग्रामीण लोग कैसे गुजारा करते हैं। जो लोग राष्ट्र का पेट भरते हैं, उनका अपना पेट नहीं भरता।

अब डा० के करुणानिधि मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने सुनिश्चित किया था कि राज्य द्वारा केन्द्रीय भंडार में अपने अंशदान को न रोका जाये। लेकिन 1976 के बाद राज्य ने अनाज नहीं दिया। वर्ष 1978-79 में राज्य ने अनाज देने का प्रस्ताव किया लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने अनाज को आदमी के खाने लायक न पाया और प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अतः राज्य सरकार का बार-बार यह कहना व्यर्थ है कि 1978-79 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय भण्डार में अनाज देने का प्रस्ताव किया था।

मैं जानना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये अनाज का क्या बना। महोदय, केन्द्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर देश भर में समान वितरण की सुदृढ़ नीति अपनाई थी। तमिलनाडु सरकार ने केरल को बड़ी मात्रा में चावल भेज कर इस अवसर का दुरुपयोग किया था। आज राज्य में अनाज की कमी का यही कारण है। उसके बाद मुख्य मंत्री ने केन्द्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनशन का सहारा लिया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया।

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केन्द्र को कम से कम राज्य सरकारों को चेतावनी देनी चाहिये, चाहे वहां कांग्रेस (आई) की सरकार हो या किसी अन्य दल की, कि प्रशासनिक अकुशलता और महत्वपूर्ण मामलों का ठीक ढंग से न निपटाने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि एन० आर० ई० पी० और काम के बदले अनाज योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए जो राशि दी गई थी, उसका राज्य सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को सभापीठ का कहना मानना चाहिये। आप समाप्त करें। मैं एक मिनट भी अधिक नहीं दूंगा। आपने 20 मिनट पहले ही ले लिए हैं। समाप्त करें।

डा० वी० कुलनदईवेलु : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। तमिलनाडु में ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं। केन्द्र को वहां वस्तु स्थिति का अध्ययन करके स्थिति को ठीक करना चाहिये ताकि तमिलनाडु के लोगों को भी राहत मिल सके।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा जिनकी हमारे माननीय सदस्य कर चुके हैं। चाहे इधर या उधर के बोलने वाले सदस्य हों, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि वे हमारी वितरण व्यवस्था पर दोषारोपण करें। पूरे देश में वितरण और बफर स्टाक बनाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इस विभाग पर है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेदारी इसी विभाग पर है। हमें उन बातों को भी देखना पड़ेगा कि किस लिमिटेशन में ये काम करते हैं। इन्होंने वितरण व्यवस्था को ही दुरुस्त नहीं किया बल्कि जो प्राफिटियर्स, स्मगलर्स या ब्लैक मार्किटियर्स थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आज सारे देश में 2 लाख 80 हजार के करीब राशन की दुकान हैं। मार्जिन आफ प्राफिट बहुत कम है इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। महीने के अन्त में दुकानों पर सामान पहुंचता है जिससे वह पूरा वितरित नहीं हो पाता। नतीजा यह होता है कि ब्लैक मार्किट करने का मौका मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में एक ही तरह से खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए। देश के जो विभिन्न इंटीरियर भाग हैं उनमें भी एक तरह से होना चाहिए। ढुलाई में भी छूट होनी चाहिए ताकि दुकान चलाने में कठिनाई न हो।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हिन्दुस्तान के काफी हिस्सों में सूखा पड़ा है। पांच करोड़ हेक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित है। इसके अलावा बाढ़ और साइक्लोन से भी काफी प्रभावित हैं और इस समय 32 करोड़ लोग कठिनाई में हैं। उत्तर प्रदेश में 57 में से 46 जिले सूखे से प्रभावित हैं जिनमें मिर्जापुर सबसे ज्यादा है। मंत्री जी ने कहा कि वितरण व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो परामर्श दात्री समिति बनी है, उसके अध्यक्ष के नाते मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां दस-दस और बीस-बीस हजार यूनिट पर दुकानें हैं और जहां 20-20 किलो मीटर से राशन लाना पड़ता है, वहां कुछ सुधार होना चाहिए।

आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे व्यवस्था ठीक चल सकती है। मैं माननीय डागा जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां पर गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, और प्लानिंग कमीशन ने भी जो 6 प्रकार के एरियाज कहे हैं जैसे बाढ़, सूखा, साइक्लोन, डेजर्ट, पहाड़ी और ट्राइबल एरियाज, इन इलाकों में विशेष रूप से वितरण की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए जरूरी है कि राशन की दुकान दो हजार यूनिट पर हो। प्रधान मंत्री ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्स दी हैं। इसलिए राज्य सरकारों को आप मजबूर करें कि उसके अनुसार दुकानें खोलें ताकि लोगों को खाने के लिये राशन मिल सके।

उत्तर प्रदेश की हालत गम्भीर है। 20 करोड़ रु० गन्ना किसानों को नहीं दे सकती है वहां की सरकार क्योंकि उसके साधन सीमित हैं। वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र से 20 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता मांगी है। मंत्री महोदय उसकी व्यवस्था करें। साथ ही जो कस्टोडियन मिल हैं 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रेट्स तय किये हैं वह नहीं दे रही हैं। एक ही जिले में एक मिल में गन्ने का दाम कम मिलता है और दूसरी में ज्यादा मिलता है इससे किसानों में बड़ा असंतोष है जिसको आपको दूर करना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो लोगों को कठिनाई होगी।

इनकी रिपोर्ट में हमने देखा कि ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स के खिलाफ ऐक्शन हुआ है, वहां हमने यह नहीं देखा कि आपकी वितरण व्यवस्था में लगने वाले जो हजारों कर्मचारी हैं उनको

कितनों को सजा मिली है ? आज थोड़ा लगाम कसने की जरूरत है ताकि कर्मचारियों में फैला भ्रष्टाचार समाप्त हो। साथ ही जहां आपने ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स को पकड़ा है, पकड़ा तो एक लाख को लेकिन सजा मुश्किल से 1 हजार की ही हो पाती है, तमाम तरह के दबाव पड़ते हैं और कठिनाइयां सामने आती हैं। इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है ताकि जो भी समाज विरोधी काम करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा अवश्य मिल सके। इसलिए आप दो पहलू जरूर देखें एक तो चारों किस्म के जो असामाजिक तत्व हैं जैसे ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स आदि इनके ऊपर कंट्रोल करें और दूसरी तरफ इनके साथ जो सांठ-गांठ करते हैं कर्मचारी, चाहे वह केन्द्र के हों या प्रदेशों के, उनको निश्चित तौर से सजा मिलनी चाहिये।

सही है कि एफ० सी० आई० की बहुत जरूरत है कितने बड़े विशाल देश के लिये। लेकिन उसमें जो कमियां, खामियां हैं जैसा पांडे जी ने भी कहा क्या यह बात सही नहीं है कि 117 करोड़ रु० का नुकसान स्टोरेज की गड़बड़ी के कारण हुआ है ? क्या इसको देश बर्दाश्त कर सकता है ? इसी तरह से रेलवे को साढ़े 5 करोड़ रु० का डेमरेज एफ० सी० आई० को देना पड़ा। इसमें सुधार होना चाहिए। फूड कारपोरेशन में जो लोग लगे हुए हैं समय से गल्ला निश्चित तौर से वितरण के लिए नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारियों ने कई बार केन्द्र सरकार से कहा है कि समय से अगर वितरण करें तो काफी समस्यायें दुर हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिये मंत्री जो प्रयास करें। और जैसा मैंने कहा तीन सालों से 1980-81 से लेकर 1982-83 तक कहीं सूखा, कहीं बाढ़ का प्रकोप रहा है। उत्तर प्रदेश में 46 जिले में सूखे से प्रभावित हैं। वहीं पर 49 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। हम आभारी हैं प्रधान मंत्री के तमिलनाडु में गई और वहां की स्थिति अपनी आंखों से देखी और 10 करोड़ रु० दिये और अतिरिक्त गल्ला भी भेजने की व्यवस्था करायी है लेकिन उत्तर प्रदेश में सितम्बर में यहां से दल गया था और जब ऐस्टीमेट लगा ही रहे थे तब तक भयंकर बाढ़ से अगस्त में उत्तर प्रदेश तबाह हो गया। तो सूखे की चर्चा करनी केन्द्र ने बन्द कर दी। स्टेट गवर्नमेंट बारबार लिख रही है लेकिन केन्द्र सरकार ने लिखा कि सूखे के लिये सहायता देने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 164 करोड़ की मांग की है। जब यहां से दल गया तो उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 46 जिलों में सूखा है, यह उन्होंने माना है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं, यद्यपि यह उनके विभाग का काम नहीं है, कृषि मंत्रालय का काम है, तथापि उनसे कहूंगा कि आप व्यवस्था करते। अन्नदाता आप बन गये हैं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा हो रही है, वह नहीं होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश ही नहीं जितने भी प्रदेश हिन्दुस्तान के हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, सबका बराबर ध्यान रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में निश्चित तौर से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने कार्य का संचालन किया है, यह निश्चित है कि जैसे-जैसे काम बढ़ेगा, उनके पंजे से भ्रष्ट लोग नहीं बच सकेंगे। जब अगला वर्ष आयेगा तो चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, जो आज यहां उल्टी बातें कह रहे हैं, उनके बजाय वह निश्चित तरीके से मंत्री जी की तारीफ करेंगे।

*श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से खाद्य और पूर्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने राज्य में सूखे की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से अनुमान लगाने के लिए तमिलनाडु की यात्रा की। राहत कार्यों के लिए 10 करोड रुपये देने और सूखाग्रस्त परिवारों के लिए अपने सूखा राहत कोष से 10 लाख रुपये देने तथा तमिलनाडु को तत्काल 10000 टन चावल भेजे जाने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इससे उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का पता चलता है तथा यह स्पष्ट है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री का हाल ही में किया गया अनशन व्यर्थ नहीं गया।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगुल) : इससे यह आभास होता है कि मुख्य मंत्री के अनशन से केन्द्र घबरा गया और उसने अनाज देने का निर्णय किया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री जी देंगे। वह अपना विचार रख रहे हैं।

श्री एस० टी० के० जक्कायन : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का अन्दाजा लगाने के लिए जो केन्द्रीय दल गया है उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद केन्द्र सरकार अन्य उपाय भी करेगी। केन्द्रीय दल को वापस आये हुए एक मास से अधिक हो गया है। अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी होगी और उसकी जांच हो गई होगी। ऐसी संकट की स्थिति में जब आम व्यक्ति की जिन्दगी का प्रश्न हो, ऐसे कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की मंत्रालय तुरंत जांच करके राज्य को जरूरी वित्तीय सहायता तथा अनाज के रूप में सहायता प्रदान करे।

यहां मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति से निबटने के लिए राजनीतिक मत-भेद बीच में नहीं आने चाहिये। यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनाज की ठीक व्यवस्था न किये जाने से स्थिति संकटपूर्ण हुई है। मेरा कहना यह है कि यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मेरे पूर्ववक्ता माननीय सदस्य श्री कुलनदईवेलु ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्रीय भंडार को दो लाख टन सड़ा हुआ खाद्यान्न दिया था जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं था। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि यह सच्चाई से कोसों दूर है। केन्द्र ने हमसे इस चावल में से 70,000 टन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु लेने के लिए कहा था और उस मद में धन का भुगतान कर दिया। इसका अभिप्राय है कि 70,000 टन चावल अच्छा था, अतः यह स्वाभाविक है कि शेष 1.30 लाख टन चावल भी अच्छा था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें ताकि विवाद को सदा के लिए समाप्त किया जा सके।

श्री कुलनदईवेलु ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर व्याप्त कालाबाजारी का भी उल्लेख किया है और उन्होंने राज्य सरकार की प्रशासनिक अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है। मैं जोरदार शब्दों में इसका खंडन करता हूं। तमिलनाडु के लोगों को श्री एम० जी० रामचन्द्रन तथा उनकी सरकार में बहुत विश्वास है। उन्होंने इसका प्रदर्शन भी तमिलनाडु में लोकसभा तथा विधान सभा

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के हुए उप-चुनावों में किया है। उन्होंने उप-चुनावों में ए० आई० ए० डी० एम० के० के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर उनकी सरकार में अपनी विश्वसनीयता का मुहर लगा दिया है। दूसरे शब्दों में इससे साफ जाहिर होता है कि तमिलनाडु में चोर बाजारी नहीं है तथा राज्य सरकार की ओर से कोई अनियमितता नहीं हो रही है।

डा० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : महोदय, यह ऐसा नहीं·····

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपका उत्तर दे रहे हैं। यह आप उन पर छोड़ दें।

श्री एस० टी० के० जक्कायन : महोदय, मैं उनकी उस बात का भी विरोध करता हूं कि तमिलनाडु में 19 व्यक्ति भूख से मरे हैं। समय की कमी के कारण मैं सरकारी दस्तावेज का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन सरकारी दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि तमिलनाडु में भूख से मौतें नहीं हुई हैं।

अब मैं खाद्यान्नों के कुप्रबन्ध के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इस बात की कोशिश की है कि राज्य में उचित दर की दुकानों में 15% की वृद्धि—7,000 से 17,000 हो।

उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि जो व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये तथा उससे अधिक वेतन ले रहे हैं, वे उचित दर की दुकानों से राशन लेने के पात्र नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, साधारण जनता को उचित दर की दुकानों से अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री के इस कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए न कि भर्त्सना।

महोदय, मैं कहना चाहूगा कि यह राजनीति विडम्बना है कि राज्य के लोकप्रियता निर्वाचित राज्य में सूखे का सामना करने हेतु उपाय करने के लिए मुख्यमन्त्री के प्रतिवेदन पर निर्भर न करके कतिपय सरकारी अधिकारियों, जो राजधानी में वातानुकूलित वातावरण के अभ्यस्त होते हैं, के प्रतिवेदन पर निर्भर किया जाए। यदि केन्द्रीय सरकार सूखे के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री के मूल्यांकन को मान लेती तो इससे राज्य के लोगों के प्रति सम्मान होता क्योंकि उन्होंने मुख्यमन्त्री को निर्वाचित किया है। इससे देश में लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता। सरकारी कर्मचारियों के प्रतिवेदन पर निर्भर करने से समय के अन्तराल से देश में लोकतंत्रात्मक नैतिकता का ह्रास होगा। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वे तमिलनाडु के लोगों के साथ अन्याय न करें। उन्हें राज्य द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता तथा खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा जल्द भेजनी चाहिए ताकि सूखे की स्थिति से युद्धस्तर पर मुकाबला किया जा सके। मेरी मांग है कि 80000 टन चावल तथा 20000 टन गेहूं, जैसाकि मुख्यमन्त्री ने मांग की है, तमिलनाडु को अविलम्ब भेजा जाए। जो व्यक्ति चावल देता है वह इस पृथ्वी पर जीवन दे रहा है। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे तमिलनाडु के लोगों की सहायता करें। मुझे भाषण देने के लिए जो अवसर आपने दिया है, उसके लिए जो अवसर आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण देश में खाद्य प्रणाली के प्रबंध पर भारी दवाब पड़ रहा है। हमारी खाद्य नीति के तीन पहलू हैं; पहली वसूली प्रणाली है, दूसरी भंडारण तथा तीसरी सप्लाई प्रणाली है।

जहां तक वसूली का संबंध है, सभी राज्य केन्द्रीय पूल में योगदान नहीं कर रहे हैं, यद्यपि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल तथा अन्य राज्यों के हमारे सदस्य मित्र इस बारे में केन्द्र की आलोचना कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले वे अपना घर ठीक करें। आपको वसूली करके केन्द्रीय भंडार में देना, जितना आप कर सकते है···(व्यवधान)। मैं जानता हूं कि इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय सरकार आपको चावल की सप्लाई करेगी। यदि सूखा है तो केन्द्रीय सरकार आपकी सहायता करेगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार की आलोचना करने से पूर्व आपको पहले अपना घर ठीक करना होगा। आपको हमेशा मांग ही नहीं करते रहना चाहिए बल्कि केन्द्रीय पूल में योगदान भी करना चाहिए।

इस समय पूरा भार पंजाब पर है। पंजाब केन्द्रीय पूल में 50% से अधिक योगदान कर रहा है, और यदि आप हरियाणा को भी शामिल कर लें तो दोनों राज्य मिलाकर केन्द्रीय पुल में 70% योगदान कर रहे हैं। मैं खाद्य मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सभी राज्यों पर केन्द्रीय पूल में योगदान करने के लिए जोर दें। सरकार की वसूली नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए न कि दो या तीन राज्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वसूली नीति सभी जगह सख्ती से लागू की जानी चाहिए तभी राज्य राज्यों को केन्द्रीय पूल में यथासंभव योगदान करने के लिए कहा जाए। उदाहरण के लिये केरल राज्य को लें। उनके लिये प्रति माह चावल का कोटा पच्चानवें हजार टन है जो उन्हें सप्लाई की जा रही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अधिक मांग कर रहे हैं। खाद्य मंत्री ने उन्हें पंजाब तथा अन्य राज्यों से दस हजार टन और खरीदने की अनुमति दी है। केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता के लिये सदा आगे आयेगी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपना घर ठीक करना चाहिए। जबकि केन्द्र ओवरड्राफ्टों, इत्यादि जैसी अनेक सुविधाएं राज्यों को प्रदान कर रहा है तो राज्यों को भी केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली करनी चाहिए।

भंडारण के संबंध में, केन्द्र द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक वर्ष भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है तथापि हम पाते हैं कि बड़ी भारी मात्रा में खाद्यान्न गोदामों से बाहर पड़े रहते हैं तथा वर्षा तथा खराब मौसम के कारण बर्बाद होते हैं। सरकार उत्पादकों से एक निश्चित दर पर खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए बाध्य है। पिछले वर्ष बड़ी भारी मात्रा में खराब गेहूं खरीदा गया। मुझे यह नहीं मालूम है कि पिछले वर्ष खरीदा गया गेहूं का उपयोग हो गया है अथवा अभी बचा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में एक वक्तव्य चाहूंगा कि उसमें से कितने गेहूं की खपत हो गयी है और कितनी मात्रा बची हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाए तथा मूल्यवान वस्तुओं की बर्बादी रोकी जाये।

अब मैं तीसरे पहलू पर आता हूं जो खाद्यान्नों के वितरण के बारे में है। मैं इस संबंध में ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र इस बारे में पहले ही काफी कह चुके हैं। वितरण राज्य सरकारों के हाथ में है। इस बारे में भी मैं विरोधी दलों के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे हमेशा केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन वे अपने राज्य की सरकारों से कहें कि वे अपना घर ठीक करें, क्योंकि वितरण राज्य सरकारों के पास है। मुझे मालूम है कि डिपोधारी क्या कर रहे हैं, सभी को मालूम है···(व्यवधान) मैं झुक नहीं रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे झुक नहीं रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कृपया बैठ जाएं। क्या यह संसदीय है ?··· यह संसदीय नहीं है आपकी अपनी विचारधारा है तथा आपको दूसरे की विचारधारा को व्यक्त करने देना चाहिए···अनेक माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार की आलोचना कर रहे हैं और इस पक्ष से किसी सदस्य ने उठकर कुछ नहीं कहा···अपना विचार व्यक्त करने का उन्हें अधिकार है। क्या वे राज्य सरकारों को अच्छा कार्य करने के लिए नहीं कह सकते हैं ? यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में यह छपा था कि दिल्ली में केवल 60% व्यक्ति ही उचित दर की दुकानों से राशन लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह राशन जाता कहां है ?···**(व्यवधान)** जैसाकि मैं कह चुका हूं, वितरणी णप्राली में सुधार करने की आवश्यकता है चूंकि वितरण प्रणाली राज्यों के पास है इसलिए उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी वितरण प्रणाली ठीक है, तो आपको चुप रहना चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अतः मेरा यह अनुरोध है कि वितरक प्रणाली में सुधार किया जाए। यदि इसमें त्रुटियां हैं, तो इन्हें सभी स्तरों—केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर—दूर किया जाए।

महोदय, पंजाब में किसान यह महसूस कर रहे हैं कि गेहूं के स्थान पर अन्य फसल बोई जाएं। किसानों में ऐसी भावना बनी हुई है। अधिक से अधिक किसान गन्ना उपजाने की बात सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यद्यपि यह मामला माननीय मंत्री से सीधे संबंधित नहीं है, तथापि मैं उनके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाए तथा गेहूं का न्यूनतम मूल्य 155 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया जाए।

दूसरे, फसल के बाजार में आने के बाद ही उनके मूल्य तय किये जाते हैं। सरकार की इस नीति को मैं नहीं समझ सका। वस्तुओं के मूल्य पहले तय किए जाने चाहिए। गेहूं बाजार में आने लगा है, लेकिन सरकार ने अभी तक मूल्य की घोषणा नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप किसान पुरानी दर पर गेहूं बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

महोदय, सरकार राज्यों को उनकी आटा मिलों के लिए गेहूं का कोटा जारी कर रही है तथा मूल्य जिस दर पर भारत में आटा मिलों को गेहूं दिया जाता है, सरकार द्वारा तय किया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि उसके उत्पादों के मूल्यों में एकरूपता नहीं है। बंगाल में यह कुछ है, उड़ीसा में कुछ और जब सरकार 142 रुपये प्रति क्विन्टल की निश्चित दर पर गेहूं खरीद रही है तथा सभी राज्यों को एक निश्चित दर पर दे रही है तो गेहूं के उत्पादों के मूल्य भी सर्वत्र एक समान होने चाहिए। यह बंगाल अथवा उत्तरप्रदेश अथवा दिल्ली में ज्यादा क्यों होना चाहिए ? यह पूरे देश में एक समान होना चाहिए।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा। कि बासमती का निर्यात किया जा रहा है, लेकिन हम पाते हैं कि साधारण चावल भी बासमती के नाम पर बाहर भेजा जा रहा है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश में चावल के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण यह भी है। जहां से बासमती का निर्यात किया जा रहा है, वहां कुछ जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा सरकार कोई दूसरी नीति अपनाए ताकि चावल, जिसे आम आदमी उपयोग में लाते हैं, को बाहर भेजा न जा सके क्योंकि इसकी आवश्यकता देश में ही है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं उन सभी चौबीसों सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनके समर्थन, उनके उद्गारों, उनके आलोचनात्मक भाषणों के लिए कृतज्ञ हूं। मैं विशेषरूप से श्री लारेंस का, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में वाद-विवाद प्रारम्भ किया, कृतज्ञ हूं। मैं उन्हें परामर्श देता हूं कि सलामी बल्लेबाजी के रूप में उन्हें बल्लेबाजी में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे जान सके कि कहां बल्ला मारना है। अपने भाषण के अधिकांश भागों में उन्होंने भू-हदबन्दी, सिंचाई, क्रय शक्ति का उल्लेख किया है, जो निसन्देह भारतीय अर्थव्यवस्था के अटूट अंग हैं, लेकिन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद, आपने क्रिकेट का ज्ञान अपने पुत्र से सीखा है या आप स्वयं क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं मैंने यह अपने पुत्र से सीखा है लेकिन मेरा लड़का खेल भावना हमसे सीखा है।

महोदय, इस देश की खाद्य-अर्थव्यवस्था ऐसी है कि इसका प्रबन्ध बहुत ही मुश्किल कार्य है। देश की विशालता को देखते हुए यह बहुत मुश्किल कार्य है, विशेषकर इस वर्ष, जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश के बड़े भू-भाग में सूखे की स्थिति है—4287 लाख हैक्टेयर भूमि में सूखे की स्थिति है जिससे लगभग 26 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।

देश में प्रकृति के परिवर्तनशील रुख तथा मानसून की अनिश्चितता के बावजूद पिछले वर्षों में हमारी स्थिति अच्छी थी। इससे पूर्व, 1979 तथा 1980 में सूखा पड़ा था। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा खाद्य अर्थव्यवस्था में वसूली तथा अन्य प्रचालनों ने अच्छा काम किया तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखना।

इसके बावजूद, हमारे देश में भारी कमी नहीं है। अर्थव्यवस्था के किसी भाग पर दबाव डाले बिना खाद्य अर्थव्यवस्था अपना देख-भाल स्वयं कर सकती है तथा राहत व रोटी की व्यवस्था कर सकती है। यह किया जा सकता है। हम इसे उपयुक्त वसूली, कुशल भंडारण, बफर स्टाक के रख-रखाव, समय से परिवहन तथा संगठित वितरण से प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने टिप्पणी की है।

मैं स्वीकार करता हूं कि कमी है। सदस्यों के सुझावों को देखते हुए प्रश्न यह उठता है कि कमी जैसे मामलों में हम स्थिति में सुधार कैसे कर सकते हैं ? लेकिन तथ्य यह है कि इन चीजों के बावजूद हमें समस्या की विशालता के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मैं संतुष्ट नहीं हूं। जैसाकि सभी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें संतुष्ट होना भी नहीं चाहिऐ। लेकिन अनाजों की

वसूली मूल्य की घोषणा कर दी गई। इसके पीछे उद्देश्य क्या है ? उस नीति के पीछे उद्देश्य यह है कि हमने किसानों को उचित मूल्य देने का प्रस्ताव किया है ताकि उन्हें अधिक अन्न उपजाने का प्रोत्साहित मिले तथा कृषि में हुए आधुनिकतम विकास तथा तकनीक से अन्न उपजाए।

हमारा दूसरा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हम किसानों का समर्थन करें, उन्हें प्रोत्साहन मूल्य दें, बल्कि हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो उत्पादन होता है तथा जो वसूली की जाती है, वह उपभोक्ताओं को लाभप्रद मूल्यों पर मिल सके। तीसरे, हमारी खाद्य-अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यह है कि हम मूल्य-स्तर बनाए रखें तथा क्षेत्रीय विषमता को दूर करें। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि गेहूं का वसूली मूल्य शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि बाजार में गेहूं आना शुरू हो गया है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश प्राप्त हो गई है, तथा हम गेहूं का वसूली मूल्य शीघ्र ही घोषित करने जा रहे हैं।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को हम सामान्यतया मान लेते हैं, लेकिन कभी-कभी कई अवसरों पर हम इससे सहमत नहीं हुए हैं, यद्यपि यह एक विशेषज्ञ समिति है, लेकिन हम अन्यों से भी परामर्श लेते हैं। हमारे पास राज्य सरकारों की सिफारिशें भी होती हैं, जिन पर हमें गौर करना पड़ता है। इसी तरह हमें उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि 200 रुपए प्रतिक्विंटल होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने 185 रुपये का सुझाव दिया है, हम पूछना चाहेंगे—200 रुपए क्यों? ज्यादा क्यों नहीं ? इसके साथ प्रश्न यह भी है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निर्गम मूल्य क्या होगा और वह समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम हैं, किस मूल्य पर मिलेगा ?

सुझाये गये मूल्यों पर विचार करते समय हमें समाज के कमजोर वर्गों और उत्पादकों तथा किसानों का भी ध्यान रखना होता है। हमें उनके लिए चीजें उपलब्ध करनी होती हैं क्योंकि वे उपभोक्ता हैं। हम जो उत्पादन करते है। वे उसका उपभोग करते हैं। इसलिए सिफारिशों पर विचार करते समय हमें इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू पर भी समुचित ध्यान देना होता है।

यदि हम 1981-82 में अर्थात् जुलाई से जून के दौरान की गई वसूली देखें तो इस अवधि में हमने 152 लाख टन की वसूली की जबकि 1980-81 में केवल 123 लाख टन की वसूली हुई थी। किन्तु उससे पूर्व तब तक सबसे अधिक वसूली 1978-79 में हुई थी जो 144 लाख टन थी। इसलिए आंकड़े देखने पर मालूम होगा कि हमारा वसूली कार्यक्रम तथा व्यवस्था उत्साहजनक है।

जब मैंने 12½ प्रतिशत पर जोर दिया था तो मैंने यह नहीं कहा था कि इन वर्षों में हम ऐसी ही वसूली कर रहे थे। नहीं। 1979-80 में यह 9.7 प्रतिशत और 1980-81 में 10.5 प्रतिशत था। इस वर्ष यह कुल अनाज उत्पादन का 12.5 है। मैं केवल इस बात पर जोर दे रहा था कि इसका मतलब यह नहीं कि हम यहीं पर निश्चिन्त हो गये है और इससे अधिक वसूली नहीं करना चाहते। यह बात उत्पादन पर और इस पर निर्भर करती है कि राज्य या किसान हमें कितना अनाज देने के इच्छुक हैं, इसलिए यह बात हमेशा याद रहे कि हम नहीं चाहते कि किसानों को ऐसा मूल्य मिले जो लाभकारी न हो, जो उनके लिए उत्साहजनक प्रोत्साहन न हो। इसलिए इस मामले में हम केवल समर्थन मूल्य देते हैं। यदि उन्हें बाजार में उससे अधिक मूल्य मिलता है तो

वे वहां जाते हैं और अनाज बेचते हैं। इसलिए, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। इस मामले में हम और अधिक वसूली करना चाहते हैं किन्तु यह बात उत्पादन, उपलब्ध मशीनरी, उसकी शीघ्र प्रतिक्रिया, उसका अर्थव्यवस्था पर सुप्रभाव आदि पर निर्भर करती है।

मुझे आशा है जैसा सभी राज्य सरकारें वसूली कर रही हैं। उसी तरह वे भूतकाल की भांति भारतीय खाद्य निगम को भी वसूली करने देंगे। मुझे बताया गया और मुझे उम्मीद है यह बात सच नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें संभवतः ऐसा सोच रही हैं कि वे ही अपने लिए वसूली करें और भारतीय खाद्य निगम नहीं। यदि कोई सरकार इस तरह सोचेगी तो इससे भारतीय खाद्य अर्थ व्यवस्था को भारी धक्का लगेगा। मुझे आशा है कि जैसा हमने भूतकाल में किया है वैसा ही हम आगे भी करेंगे। प्रश्न यह नहीं है कि राज्य मांग करते हैं और केन्द्र सप्लाई करता है या केवल कुछ राज्यों में ही इसका उत्पादन होता है और वहां से अन्य राज्य उसे प्राप्त करते हैं। प्रश्न है खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सहयोग जो बहुत कठिन है और इस वर्ष तो और भी अधिक कठिन है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम 12.5 प्रतिशत वसूली से जो 1979-80 में 9.7 प्रतिशत और 1980-81 में 10.4 प्रतिशत थी, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। मुझे आशा है भविष्य में उत्पादन और बढ़ेगा और भारतीय खाद्य निगम उपलब्ध वसूली तंत्र तथा कार्यालयों से बेहतर प्रबन्ध करेगा जिससे हम और अधिक वसूली कर सकेंगे। इसलिए, मैं कहूंगा कि हम सही नीति पर चल रहे हैं।

कुछ मित्रों ने आलोचना की है कि सरकार सारा अनाज क्यों नहीं खरीद लेती, अनाजों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती ? इस प्रश्न पर केवल इस सदन में नहीं अपितु उसके बाहर भी इस वर्ष ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों के दौरान भी वाद-विवाद हुआ था। हमने एक बार कोशिश की लेकिन फिर छोड दिया। मेरे मित्र कह सकते हैं कि सरकार ऐसा करने के काबिल नहीं हैं, वह ऐसा नहीं कर सकी, हमने अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनायी है और यह सच है कि खाद्यान्न व्यापार अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में है। हम तो केवल एक संपूरक अभिकरण हैं। इसलिए मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और सभी राज्यों को निश्चित रूप से सहायता देने की भरसक प्रयत्न करेंगे किन्तु ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मित्र अधिक उत्पादन करें। अतः यह प्रश्न अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की सद्भावना से खाद्यान्नों की वसूली करके कमी वाले राज्यों को देने का है जो कम उत्पादन कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे उत्पादन नहीं कर रहे हैं। मेरा दृष्टिकोण वह नहीं है। उदाहरणार्थ, केरल जब उत्पादन करता है तो अन्य चीजों का उत्पादन करता है जो नकदी फसलें हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। जब मैं केरल को 95,000 टन चावल देता हूं तो उन पर कोई एहसान नहीं करता। वे चावल पैदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे लिए रबड़ तथा अन्य नकदी फसलों का उत्पादन भी करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : (अलप्पी) : 95,000 टन भी काफी नहीं है। यह केवल आधा राशन है।

श्री भागवत झा आजाद : खाद्य अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति से सभी माननीय सदस्यों को अवगत होना जरूरी है और उसी से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। केन्द्रीय

सरकार के लिए राज्यों की समूची आवश्यकता पूरी करना संभव नहीं है। यदि हम 95,000 टन से काफी अधिक भी दें, तो भी अनिश्चितता की यह स्थिति तो बनी ही रहेगी। यह भी हमने काफी कठिनाई से दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सूखे की वजह से चावल का उत्पादन कम हुआ है; देश के काफी बड़े भाग में सूखा पड़ा। हमने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि खाद्यान्नों का उत्पादन 50 से 80 लाख टन तक कम हुआ। बिहार में तो स्थिति यहां तक है कि वहां लोग जो प्रतिदिन तीन बार चावल खाते थे आज केवल एक बार खाकर गुजारा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हमारे लोगों के लिए प्रति दिन केवल एक बार चावल खाने की आदत में तुरन्त ढालना बहुत कठिन है। किन्तु इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भविष्य में हमें तदनुसार अपनी खाने की आदतों तथा रुचियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह बात मैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि समूचे देश के लिए कह रहा हूं। खाद्यान्नों के लाने-लेजाने पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्हें सभी राज्यों में लाया-ले जाया जा सकता है। केन्द्र से आवंटन कई बातों पर निर्भर करता है जैसे केन्द्रीय भण्डार में कितना उपलब्ध है। राज्यों से मांग कितनी है। बाजार में क्या मूल्य चल रहा है, आदि। हम सभी सुसंगत बातों पर विचार करते हुए हर मास उतना ही आवंटन करने की कोशिश कर रहे हैं। अतएव मैं माननीय महिला सदस्य से स्थिति को वास्तविकता समझने का अनुरोध करना चाहता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वह काफी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गोपालन आप हर वक्त खड़ी हो रही हैं। वह केवल आपके मामले को स्पष्ट कर रहे हैं। वह अपना मामला स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वह तुम्हारा ही मामला स्पष्ट कर रहे हैं। आप हर वक्त क्यों खड़ी होती हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : किन्तु नतीजा क्या निकला ?

श्री भागवत झा आजाद : वही मैं कह रहा हूं। आप कृपया ध्यान से सुनिए। आप थोड़ी देर में समझ जायेंगी, मैं उसी बात को ले रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास फालतू अनाज है और मैं उनको नहीं दे रहा हूं। ये चीज कई बातों पर निर्भर करती हैं। केवल मांग ही नहीं देखनी होती है, यह भी देखना है कि केन्द्रीय भाण्डागार में कितना उपलब्ध है। और दूसरे राज्यों को मनाकर कितना प्राप्त किया जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कुछ और मिल जायेगा और तत्पश्चात् केरल के लिए कुछ अधिक आबंटन करना संभव हो जायेगा। मैं आन्ध्र प्रदेश में अपने मित्रों से जिनके पास फालतू स्टाक है, बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी स्थिति बता रहे हैं। जब मंत्री जवाब देते हैं तो आपको सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : इसलिए, यह भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों की मांग पर निर्भर करता है। अन्य बातों के साथ इस पर भी काफी निर्भर करता है कि केन्द्रीय भाण्डागार में कितना उपलब्ध है। जो कुछ हो सकता है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने तमिलनाडु को अन्य स्थानों से खाद्यान्न देने का आज सुबह निर्णय लिया है प्रधान मंत्री जी ने तमिलनाडु को लगभग 10-10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है और उन्होंने आबंटन में वृद्धि की घोषणा भी की है जो अप्रैल से 15000 टन चावल तथा 15000 टन गेहूं होगा अर्थात् अप्रैल से हम उन्हें 3000 टन देंगे। (व्यवधान)

हम तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से 20000 टन चावल खरीदने की अनुज्ञा पहले ही दे चुके हैं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगुल) : तमिलनाडु में चावल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा चावल मंजूर किया जाता है। आप तमिलनाडु को अन्य राज्यों से भी सहायता प्राप्त दरों पर चावल खरीदने देते हैं। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि चावल केवल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाए ?

श्री भागवत झा आजाद : इसके उत्तर में मैं यही कहूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रभाव डालें और तमिलनाडु में उनके शक्तिशाली लड़के तमिलनाडु सरकार पर बेहतर वितरण के लिए दबाव डालें। मैं उन्हें सलाह दूंगा। मैं वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

जहां तक केरल का संबंध है, हमने 95,000 टन प्रति मास से बढ़ाकर उसे 1.05 लाख टन कर दिया है। उन्हें हम 25000 टन गेहूं भी दे रहे हैं, इस तरह केरल को 1.30 लाख टन प्रति-मास का आबंटन हो जाता है। मैंने उन्हें 15000 टन पंजाब व हरियाणा की बाजारों से और 30,000 टन आंध्र प्रदेश से खरीदने की अनुमति भी दी है। (व्यवधान)

श्री सुनील मंत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अनाज, जिसकी आपने अभी घोषणा की है, वस्तुत: केरल पहुंच जायेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : निश्चित रूप से पहुंचेगा। आप उन्हें इसे ठीक समय पर प्राप्त करने तथा उसे वितरित करने की सलाह दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी जानकारी हेतु बतायेंगे कि केरल का नम्बर अब पहला हो गया है या पश्चिम बंगाल का ही नम्बर पहला है ?

श्री भागवत झा आजाद : पश्चिम बंगाल अब भी समूचे देश में कुल वसूली का 20 प्रति-शत ले लेता है। इस विशेषाधिकार का प्रयोग वह अब भी कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : केरल इसे स्वीकार कर लेगा क्योंकि वे पश्चिम बंगाल का भांत देना नहीं चाहते।

श्री भागवत झा आजाद : उड़ीसा भी कठिनाई से गुजर रहा है। इसलिए हमने उनके चावल तथा गेहूं के आबंटन में क्रमश: पांच-पांच हजार टन की वृद्धि कर दी है। इसलिए अब उसे 15000 टन चावल और 17,000 टन गेहूं अर्थात् कुल 32,000 टन अनाज मिलेगा जब कि उसे केवल 22,000 टन प्रतिमास मिल रहा था।

बिहार में गेहूं और चावल दोनों के लिए बहुत मांग थी। किन्तु मैं उन्हें चावल नहीं दे सका। इसलिए मैंने उन्हें 10,000 टन गेहूं और दे दिया है।

अन्य राज्यों में समस्याएं उत्पन्न होने पर उनकी मांग पर भी मैं विचार करूंगा। इनसे यह संकेत मिलता है कि हमारे देश में लोक वितरण प्रणाली जिसके माध्यम से हम खाद्यान्न वितरण करने की कोशिश कर रहे हैं कामयाब सिद्ध हुई है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की कुल खरीद पर नजर डालें तो वह इस प्रकार है 1978 में केवल 101.83 लाख टन, 1979 में 116.63 लाख टन, 1980 में 149.90 लाख टन यह वर्ष सूखे का था—1981 में 130.14 लाख टन और 1982 में 147.81 लाख टन, यदि हम 1982 में प्रथम छः मास के साथ तुलना करें तो वह 11.82 लाख टन औसत प्रतिमास है और अन्तिम छः महीनों में औसत कुल खरीद 12.82 लाख टन थी। यदि आप जनवरी 1983 के साथ तुलना करें तो वह बढ़कर 14.46 लाख टन हो गया है, मैं केवल मंत्री हूं श्री डागा की तरह महामंत्री नहीं हूं जिन्हें अपने सामने हर वस्तु अंधकारमय ही दिखाई देती है। उनकी तुलना में, मैं अपने मित्र श्री पनिका, श्री व्यास, श्री पांडे और अन्य सदस्यों की सराहना करूंगा जिन्होंने लोक वितरण प्रणाली की खूबियां बताईं। मैं अपने महामंत्री जी से मिलूंगा और उनसे अपने दल की जो सत्तारूढ़ है, एक बैठक बुलाने का अनुरोध करूंगा जो हमें आदेश और सलाह दें और मैं तदनुसार कार्य करूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : वह यहां नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। हमारी उपलब्धियों से कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हम इससे कहीं अधिक बेहतर कार्य करना चाहते थे लेकिन तथ्य यह है कि सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा वितरण में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है और यह समय की कसौटी पर खरी सिद्ध हुई है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम सभी मांगों को कैसे पूरा कर सकते हैं? उदाहरण के लिये 1982 में सभी राज्यों से कुल मांग 254.8 लाख टन थी लेकिन अपने खरीदे हुए अनाज में से हम उन्हें 145.9 लाख टन ही दे सकते थे। अतः कई बार राज्य यह भी अनुभव करते हैं कि श्री आजाद या राव बीरेन्द्र सिंह, जो कोई भी हो, कटौती करेंगे, इसलिये वे 30 हजार टन की मांग के स्थान पर पूरा एक लाख टन ही लिख देते हैं। हम भरसक प्रयत्न करते हैं और अपने सभी मित्रों को समझाते हैं कि हमारे पास देने के लिये इतना अधिक नहीं है। अतः यह बात तो चलती रहती है। वे अमरीकी ढंग की फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह और अधिक मांगते रहते हैं। कृपया आप इसका अन्यथा अर्थ न लगाइये। नहीं तो वे समझेंगे कि हम केरल को कम महत्व दे रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिक अनाज वाले राज्यों से हम केन्द्रीय पूल में जितना अनाज खरीदते हैं उससे कुल मांग पूरी नहीं होती। मैंने पिछले 5-6 वर्षों के मांग और आबंटन के आंकड़े दिये हैं। हमने काफी अच्छी व्यवस्था की है, जिससे राज्य संतुष्ट हैं हालांकि वर्षा तथा अन्य कारणों की चुनौतियाँ भी रही हैं। बढ़ा और सूखे के समय भी हम अतिरिक्त सहायता देते हैं। उदाहरण के लिये उड़ीसा को बाढ़ के समय 15 हजार टन चावल दिया गया। बिहार को 10 हजार टन गेहूं, उत्तर प्रदेश को 10 हजार टन गेहूं तथा आसाम को 5 हजार टन चावल दिया गया। इस प्रकार कठिनाई के समय हम उनकी सहायता करते हैं।

माननीय सदस्यों ने उस दल के बारे में पूछा है जो वहां भेजा गया था। सूखे के समय दल को भेजा ही जाता है। अभी तमिलनाडु से एक दल वापस आया है और उसने अपनी रिपोर्ट दी है। हम तुरन्त अनाज देना चाहेंगे क्योंकि हम रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के माध्यम से

सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देते हैं। पहले भी ऐसी सहायता दी गई है। और उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया।

अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक दल के मेरे मित्र ने स्पष्टीकरण चाहा है इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं तो दोनों दलों के सम्बन्ध में पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहता लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि 1975-76 तक हमें केन्द्रीय भण्डार के लिये तमिलनाडु सरकार से अंशदान मिलता रहा।

श्री के० मायातेवर : द्रमुक सरकार द्वारा।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है, मैं सहमत हूं। उस समय कौन मुख्य मंत्री थे।

श्री के० मायातेवर : श्री करूणानिधि।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, श्री करूणानिधि। यह बात रिकार्ड में जानी चाहिये। मैंने पहले ही यह कहा था कि उसके बाद हमें अनाज नहीं मिला। तमिलनाडु ने कहा "हम स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेंगे"। हम चाहते हैं कि वे हमें अपना फालतू अनाज दें जिससे कि हम उससे केरल की मांग पूरी कर सकें। यदि पंजाब के पास फालतू अनाज है, तो मैं उसे बिहार को दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं। वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। मुझे बताइये कि 1979-80 के चावल का क्या हुआ। क्या यह सड़ा हुआ था। द्रमुक दल के मेरे मित्रों ने कहा कि वह अनाज अच्छा नहीं था। अन्य मित्रों ने कहा कि आप स्पष्टीकरण दें। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह अनाज हमें उस समय दिया गया जब अन्य राज्यों से बढ़िया अनाज मिला था। लेकिन इसे स्वीकार करना हमारे लिये संभव न था। तकनीकी आधार पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वह खराब है लेकिन आप अपने खाते में उसे ले लीजिये और उसमें से कुछ हमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चावल अच्छा मिला और उसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत बांटा गया। लेकिन अन्य चावल अच्छा नहीं था। आपने पूछा है, इसलिए मैं कहता हूं कि यह बात लिखित रूप में जाये कि वह अनाज अच्छा नहीं था। मैं यह बात नहीं कहना चाहता था। प्रधान मंत्री ने भी परसों इस बात पर बल नहीं दिया कि तमिलनाडु ने अंशदान किया है या नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छे दिनों में सभी सरकारें केन्द्रीय भण्डार में अनाज देती हैं, तो उनका कठिनाई के समय अनाज मांगने का अधिकार बढ़ जाता है। और वह कह सकती हैं कि अब हमें कठिनाई है, आप सहायता करें। मैं यह अवश्य कहूंगा कि जब मैं अपना पद खाद्य मंत्री के रूप में संभालने के बाद पहली बार मुख्य मंत्री श्री रामचन्द्रन से मिला, तो मैंने उन पर इस बात के लिये बल दिया और वे सहमत भी हो गये कि फालतू अनाज होने पर तमिलनाडु, केन्द्रीय भण्डार में अनाज देगा। कुछ कांग्रेसी सरकारें भी थीं, जिन्होंने भण्डार में अनाज नहीं दिया। उन्हें भी भण्डार में अनाज देना चाहिये। आशा है कि देश के सभी राज्य केन्द्रीय भंडार के सदस्य हो जायेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार अंशदान करेंगे।

इस प्रकार खरीदने के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वितरण है जिस पर माननीय सदस्यों ने बार-बार जोर दिया है। कुछ यहां से कुछ वहां से खरीदकर कुछ केरल को तथा कुछ अन्य राज्यों को देने का हमारा प्रयत्न रहता है। लेकिन जब तक वितरण प्रणाली ठीक न हो, तब तक कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। तभी मेरे मित्रों ने इस पर बल दिया है।

श्री डागा ने कहा कि मंत्री जी बड़े गर्व से कहेंगे कि 281,000 दुकानें खोली गई हैं और यह मेरा पूर्ण दायित्व है। हां यह मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं भारतीय संविधान से परिचित हूं। सभा में तो मैं निजी सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। भारत का संविधान कहता है कि केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध अनाज का राज्यों को वितरण मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन उसका राज्य में उचित वितरण राज्यों की जिम्मेवारी है। मैं उन्हें बातें बता सकता हूं लेकिन बलपूर्वक तो वितरण नहीं करा सकता। मेरे महामंत्री कुछ भी समझें मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत मैं अपना दायित्व पूरा करूं। क्षेत्रों को बांट दिया गया है और उसका अतिलंघन ठीक नहीं।

क्या मैं केन्द्रीय भंडार से सभी 218,000 दुकानों को अनाज बांट सकता हूं? क्या वह कह सकते हैं कि दुकानें हैं ही नहीं। वह किसी भी दिन अचानक दौरा करके देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि शहरों में कठिनाइयां हैं। कई दुकानों में चीजें पूरी नहीं मिलती। और शिकायतें मिलती हैं। उदाहरण के लिए नार्थ एवेन्यु साउथ एवेन्यु से शिकायत मिली। मैंने दिल्ली प्रशासन के खाद्य आयुक्त से इन स्थानों पर जांच अधिकारियों को भेजा। कई बार मनुष्य गलत सोचने लगता है। लेकिन सारी व्यवस्था तो खराब नहीं हो जाती। बल्कि राज्य सरकारों द्वारा जांच करके ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं श्रीमती प्रमिला दंडवते से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि आप सारी चीजें बेहतर ढंग से वितरण करना चाहते हैं, तो देश में जोरदार उपभोक्ता आन्दोलन चलना चाहिये। दूसरा केवल सरकार ने ही इतना कार्य नहीं किया। या मार्क्सवादी अथवा कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। बल्कि यह तो इस राज्य में जागरूक उपभोक्ताओं के कारण हुआ है। इसी जागरूकता को अन्य राज्यों में पैदा करना है। जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसे छठी योजना में दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली में भी कुछ स्वयं सेवी संगठन है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें बताए कि वे कैसे काम कर रहे हैं। यदि वे रिपोर्ट नहीं भी भेजते, तो कोई बात नहीं उनके संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें अनुदान मिलना चाहिये। जब राज्यों को माल दिया जाता है, तो भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है। राज्य सरकारों से माल अच्छा होने का प्रमाण पत्र लिए बिना हम माल नहीं देते। मैं राज्य सरकारों से कहता हूं कि जांच के दौरान यदि माल खराब नजर आये, तो वे बतायें। मैं खाद्य निगम को चेतावनी दूंगा। यह मेरा कर्तव्य है।

विपक्ष में मेरे मित्रों ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वितरण के बारे में कहा है। ऐसी कुछ सम्भावनाएं हो सकती हैं। मैं खाद्य निगम पर बाद में आऊंगा। लेकिन पिछली प्रणाली ठीक चली है। न केवल शहरी क्षेत्र में 62,000 दुकाने हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2,19,039 दुकानें हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वहां कम दुकानें हैं। सरकार ने कुछ दुकानों को निजी व्यक्तियों के स्थान पर सरकारी समितियों को देने का निश्चय किया है। लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने गैर-सरकारी एजेन्सियों को तो दुकानें नहीं दीं, लेकिन सहकारी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में दुकानें न खोल सके। इसलिए सदस्य बहुत कम हैं। मैं उन्हें अवश्य लिखेगा। मैंने नागरिक पूर्ति मंत्री श्री वासुदेव सिंह से कहा है कृपया दुकानों की संख्या बढ़ाएं। मैं आपको कोटा दे रहा हूं। लखनऊ और वाराणसी के लिए ही नहीं बरन् अलमोड़ा, मिर्जापुर और अन्य

सुदूर स्थानों के लिए भी कोटा दे रहा हूं। यह आवश्यक है और इसीलिए मैंने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक 2000 जनसंख्या के पीछे एक दुकान हो। इसके अनुसरण में मैं यह बता दूं कि हम सुदूर तथा दुर्गम स्थानों में 2,81,000 स्थानों में दुकानें नहीं खोल पाए हैं। पहाड़ी स्थानों में इनकी आवश्यकता है। दुर्गम स्थानों का जिक्र मेरे एक माननीय मित्र ने किया। उन्होंने कहा "मंत्री महोदय आपने यह अच्छी बात कही है।"

अब हम सन्थाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों, जहां दुकानें हैं, के मामले को लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान के क्षेत्र बाड़मेर में दुकानें हैं। इसलिए इस प्रणाली को, जिसने देश की सेवा की है अनुपयोगी बताना अच्छा नहीं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस प्रणाली की आलोचना तो की परन्तु इसे कभी निरर्थक नहीं बतलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इसमे सुधार करें। मैं उस समिति का अध्यक्ष हूं। और वह 6 महीने में एक बार अपनी बैठक बुलाती है। मैं उनसे तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों से स्थिति में सुधार करने का अनुरोध करता हूं। मैं मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखता हूं।

मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं यह जानता हूं कि संविधान में क्या है। मैं किसी काम के लिए राज्य सरकारों को बाध्य नहीं कर सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि कोई मेरे मित्र यह कर सकें तो वे उसे करायें। मेरा तो यही कहना है कि मैं 6 महीने में एक बार उनसे इस संबंध में अनुरोध करता हूं। यह एक परामर्शदात्री समिति है। परन्तु मैं इतना कहूंगा कि स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री पणिका ने कहा कि राज्यों को सामान बड़ी देर में मिलता है, उनका वितरण भी उचित प्रकार से नहीं होता। जब मैंने पिछली बैठक बुलाई थी तो राज्य सरकारों ने कहा था कि तीसरे सप्ताह के बजाय कृपया वस्तुओं की सप्लाई दूसरे सप्ताह में मिल जानी चाहिए। इस मंत्रालय में आते ही मैंने निर्णय लिया कि यह आवंटन पहले सप्ताह में ही होना चाहिए। अब उनके पास वितरण के लिए पूरे 3 सप्ताह हैं वे इसका वितरण सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसी बैठक में, जो एक परामर्शदात्री समिति की ही बैठक है, हमें उनसे काफी समर्थन प्राप्त होता है और सलाह भी मिलती है। मैं कहूंगा कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरे मित्रों ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस प्रणाली को सूक्ष्म बनाया जाये। यह कहा गया है कि बेरोजगार स्नातक इसे अपने हाथ में ले। आप चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी यह काम करें परन्तु यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि वे इसे किसे सौंपे और कैसे सौंपे।

केन्द्रीय सरकार से सात वस्तुएं ही जाती हैं। राज्य सरकारें इनमें और वस्तुएं जोड़ने को स्वतंत्र हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें बड़ी संख्या में (19) वस्तुएं जोड़ी हैं। इससे प्रणाली सक्षम बनती है। हम, राज्य सरकारों से इस सूची में और वस्तुएं जोड़ने को कह रहे हैं।

मेरे कुछ मित्रों ने पूछा है, "छठी पंचवर्षीय योजना में आप क्या कर रहे हैं।" इस योजना में हम 50,000 दुकानें और खोलना चाहते हैं। पिछले वर्ष हमने 10,000 दुकानें खोलने का प्रयत्न किया। हम 6026 दुकानें खोल सके। हम इसमें और वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसी हमारी इच्छा है और हम इसमें सफल होंगे। हम भरसक प्रयत्न करेंगे। परन्तु यह अकेले मैं और केन्द्रीय सरकार नहीं कर सकते, वरन् यह राज्य सरकारों के सहयोग से ही संम्भव होगा, जो मैं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं तथा जो पर्याप्त मात्रा में मुझे मिल रहा है।

20 सूत्री कार्यक्रम का 17वां सूत्र हमें और अधिक संख्या में दुकानें खोलने के लिये उकसाता है। वह हमें इस बात की प्रेरणा भी देता है कि उन दुकानों से केवल सात वस्तुएं ही न दी जायें बल्कि राज्य सरकारें इसमें और भी वस्तुएं शामिल करें और इस प्रकार इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप में सक्षम बनायें।

यह सर्वविदित है कि इस प्रकार की कठिनाइयों के लिये हमारे पास रक्षित भंडार होना चाहिये। 1978 में भारत सरकार ने 120 लाख टन रक्षित भंडार रखने और 35 लाख से 88 लाख टन तक चालू भंडार रखने का निर्णय किया था। उसने यह निर्णय भी किया गया था कि यह भंडार एक निश्चित मात्रा से कम नहीं होना चाहिये तथा हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु यह तथ्य है कि कठिनाई के समय में हम इस पर स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि हमें उस समय राज्यों में क्या स्थिति है इस बात पर अधिक ध्यान देना है न कि रक्षित भंडार रखने संबंधी सिफारिश के तकनीकी पहलू की ओर। हमें इस समय राज्यों के तात्कालिक हित को देखना है। यदि हम देखें तो हम पायेंगे कि 1979 में रक्षित भंडार 172.28 लाख टन था। 1980 में यह घटकर 166.42 लाख रह गया तथा 1981 में 114 लाख टन। 1982 में यह 115.45 लाख टन था तथा 1983 में यह 125.22 लाख टन है। इस प्रकार हम इस रक्षित भंडार को यथासम्भव बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे लिये ऐसा करना संभव होगा।

1975-76 से हम आयात नहीं कर रहे हैं। परन्तु 1979 में देश में पड़े भयंकर सूखा के कारण हमें आयात करना पड़ा। 1981-82 में हमने 22.65 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया था। 1982-83 में 39 50 लाख टन का आयात हुआ। मेरे मित्र यह प्रश्न हमेशा उठाते रहे हैं कि आप भारतीय किसानों को उतना नहीं देते जितना की आप अमरीकी किसानों को देते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अमरीकी किसानों और भारतीय किसानों को हम बराबर लागत ही देते हैं। निःसन्देह आयात किये जाने वाले वस्तुओं में माल उतारने, भाड़े, बीमे, वितरण वसूली और अन्य प्रभारों की लागत शामिल रहती है। और हम यह भी मानें कि हम उन्हें अपने किसानों से अधिक पैसा देते हैं तो हमें यह सोचना चाहिये कि हम आयात किन परिस्थितियों में करते हैं? हम प्रत्येक वर्ष आयात नहीं करते हैं और न ही हमारी आयात करने की इच्छा है। परन्तु प्रश्न यह है कि जब कठिनाई आती है तो हमें आयात करना पड़ता है। कठिन समय में ही हम आयात करते हैं तथा उसमें हमें शीघ्रता बरतनी पड़ती है। मुझे तत्कालीन खाद्य मंत्री और खाद्य सचिव की प्रशंसा करनी चाहिये क्योंकि उन्होंने इस समूचे कार्य को इतनी अच्छी प्रकार और इतनी शांति पूर्वक सम्पन्न किया तथा और इसी कारण भारतीय बाजार पर न तो कोई दबाव पड़ा और न ही मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि हुई। आयात करना हमारी नीति नहीं है। परन्तु कठिन समय में हमें आयात करना पड़ता है। किसानों को अधिक देने से आप क्या कर पायेंगे? हम भारतीय बाजार में उपलब्ध कुल माल के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि आवश्यकता के समय बढ़ाया नहीं जा सकता और इसीलिये हमें आयात करना पड़ता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को समझें।

मेरे मित्र श्री भाटिया और श्री डोगरा ने आटा मिलों के बारे में कहा है। देश में 373 आटा मिलें हैं। इनकी कुल क्षमता 82 लाख टन है। और हम इनसे इतने ही माल की ही वसूली

कर सकते हैं। हो सकता है इससे कुछ कम भी हो। इस समय हम लगभग 33 लाख टन अर्थात उनकी कुल क्षमता का 40% उन्हें दे रहे हैं। इस समय उन्हें इससे अधिक देना हमारे लिये संभव नहीं है। वे गेहूं के उत्पाद हमें देते हैं। वे बेकरियों और बिस्कुट निर्माताओं को गेहूं देते हैं और इस प्रकार वह एक लाभप्रद सेवा कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी सीमा में रह कर सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया ने कहा था कि आप उन्हें घटी दर पर गेहूं दे रहे हैं, जबकि उनके उत्पाद उनके अनुसार नहीं बेचे जाते।

श्री भागवत झा आजाद : यह सही है। उन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। जहां तक हो सकता वे यह नियंत्रण रखती हैं और उचित वितरण करती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिल्ली के बारे में क्या है ? दिल्ली को कौन कंट्रोल कर रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : दिल्ली में दिल्ली प्रशासन कंट्रोल करता है। यह एक सीधी सी बात है। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली के संसद सदस्य।

श्री भागवत झा आजाद : दिल्ली के संसद सदस्य नहीं वरन् दिल्ली का नियंत्रण दिल्ली प्रशासन करता है।

मेरे मित्र श्री परांजपे ने हलर और चावल मिलों का प्रश्न उठाया। परम्परागत मिलों में टूटे हुए चावल का प्रतिशत अधिक होता है। मैं समझता हूं कि इस समय हमें 67 से 68 प्रतिशत तक चावल मिलता है। तथा चावल की भूसी जो हमें इससे प्राप्त होता है वह तेल निकालने के लिये बहुत अच्छी है। परन्तु यह छिलके में मिल जाती है। इसलिये हम मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, जिससे चावल की प्रतिशतता 72 से 73 प्रतिशत तक हो जाये। और इस प्रकार चावल की भूसी में छिलका नहीं मिल पायेगा जिससे हम और अधिक तेल प्राप्त कर सकेंगे। तमिलनाडु के मिल मालिकों का एक दल मुझसे मिलने आया था तथा मैंने उनकी बातें सुनीं। उनका आधुनिकीकरण सितम्बर, 1983 में किया जायेगा। वे कहते हैं कि हमारे पास स्थान नहीं है, पैसा नहीं है और इसी प्रकार की अन्य बातें भी कहते हैं। अब मुझे देखना है कि मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं। परन्तु यह तथ्य है कि आधुनिकीकरण के अपने लाभ हैं। इससे हमें अधिक चावल मिलेगा, अधिक भूसी मिलेगी जिसका अर्थ है कि हमें अधिक तेल मिलेगा।

अब हम भारतीय खाद्य निगम के प्रश्न पर आते हैं जिसकी वाद-विवाद में अत्यधिक आलोचना की गई है। श्रीमती कृष्णा साही, श्री के० सी० पांडे, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्रीमती प्रमिला दण्डवते, डा० भोई, डा० कलानिधि, श्री डागा, श्री शैलानी और श्री परांजपे ने भारतीय खाद्य निगम की प्रशंसा की है। यह संगठन 1965 में स्थापित किया गया था तथा इसका कार्य सर्वविदित है। इसे विभिन्न बाजारों से खरीद करनी होती। इसे खाद्यान्नों की वसूली करनी होती है। इसे उनका अस्थायी तौर पर भण्डारण करना होता है और तब उस सारे माल को उस जगह तक पहुंचाना होता जहां उसे विभिन्न राज्यों में स्थायी तौर पर रखा जा सके और राज्य सरकारों को उनकी आवंटित राशि के अनुसार खाद्यान्न दिया जा सके।

1981-82 में भारतीय खाद्य निगम ने 6 हजार 248 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा 1982-83 में यह बढ़कर 6 हजार आठ सौ करोड़ रुपये हो गया। 1981-82 में इसने लगभग 320 लाख टन खाद्यान्न, चीनी और उर्वरकों को संजोया और यह सब उसने एक साथ किया। जहां तक देश में हुई खरीद का संबंध है, 1981-82 में निगम ने 129 लाख टन खाद्यान्न की खरीद की, जबकि 1980-81 में 99 लाख टन खाद्यान्न की खरीद की गई थी। 1981-82 में लगभग 22.6 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। इसलिये मैं कहूंगा कि उसमें सुधार करने को कहने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि वह कितना काम कर रहा है।

जो काम वे देश के लिए कर रहे हैं, वह बहुत ही बड़ा है। मेरे मित्र यह चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए।

श्रीमती कृष्णा साही : चूहे भी इसे खा रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : चूहों द्वारा खाये जाने के अलावा, *जिसका उल्लेख माननीया* महिला सदस्य कर रही हैं, संभवत चौपाया तथा दोपाया खा रहे हैं···

श्री गिरधारी लाल व्यास : बड़े चूहे।

श्री भागवत झा आजाद : छोटे तथा बड़े चूहे, सफेद तथा काले दोनों। इसके बावजूद, सच्चाई यह है कि जो काम किया गया है, वह बहुत ही बड़ा है। आप इसका अन्दाज इसी से लगा सकते हैं कि प्रत्येक माह भारतीय खाद्य निगम देश के एक कोने से दूसरे कोने में 12.8 लाख टन खाद्यान्न भेज रहा है। वे प्रतिमाह 128 लाख बोरियों की ढुलाई कर रहे हैं। यह आसान काम नहीं है। वे इसे कर रहे हैं। उनका वितरण बढ़ गया है, 1978 में 10.18 मिलियन टन था जो 1982-83 में बढ़कर 14.78 मिलियन टन हो गया अर्थात् 101 लाख टन से बढ़कर 147 लाख टन हो गया। *वितरण की विशालता का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है। अत:, सम्पूर्ण रूप से उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं अधिक नहीं बोलूंगा। माननीय सदस्य मुझसे यह कहने के लिए अधीर हो रहे होंगे कि और अन्य मुद्दे क्या-क्या हैं ? इसलिए मैं कहूंगा* कि भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण लगभग 2000 डिपुओं के माध्यम से कर रहा है। वे दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राज-सहायता भी दे रहे हैं।

इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बाजार में मूल्य स्थिर रखने के लिए खरीददारी करते हैं। अभी तक किसानों से शिकायत नहीं मिली है कि उन्हें मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। मित्रों ने आरम्भ में कहा है·····

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : किसान यह शिकायत कर रहे हैं कि वे व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह कह रहा हूं कि यह एक मुद्दा है और वह दूसरा मुद्दा है। श्री के० पी० पांडेय तथा श्री राम प्यारे पनिका जैसे कुछ मित्रों ने कहा है कि उत्तर *प्रदेश* जैसे राज्यों में भारतीय खाद्य निगम किसानों से सीधे खरीद नहीं करता। लेकिन सभी मामलों में ऐसा होता है, यह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं, जहां वे खरीददारी में विलंब कर देते हैं। इसी बीच आढ़ती खरीद शुरू कर देते हैं और वे उनसे खरीद करते हैं। यह एक गंभीर शिकायत है। मैंने यह नोट कर ली है तथा इस मामले पर जो मेरे लिए संभव होगा, मैं करूंगा।

मैं भारतीय खाद्य निगम, जिसे सफेद हाथी कहा जा रहा है, को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह देख रहा हूं कि क्या मैं इस सफेद हाथी की सवारी कर कसता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : आप इसे पालतू बना लें।

श्री भागवत झा आजाद : श्री वेंकटरामन् के आशीर्वाद से मैं इसे पालतू बनाने की कोशिश करूंगा।

इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम के बारे में दूसरी गंभीर शिकायत भंडारण तथा ढुलाई में हानि के बारे में है। यह उनका अन्तिम मुद्दा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हमने इस पर विचार किया है। मंत्रालय द्वारा की गई जांच का मैंने मुआइना किया है। उन्होंने अच्छा काम किया है। यह जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि तोलने वाली 50 मशीनें खराब पड़ी थीं, जैसाकि वसूली के मौसम में पंजाब से सूचना मिली थी। मैंने स्वयं इस सभा को विश्वास में लिया है कि ऐसी चीजें नहीं होने दी जाएंगी। वे खराब क्यों पड़ी हैं, यदि 100 में से 1 से दस मशीनें खराब पड़ी होतीं, तो बात समझ में आती है। मैंने अपने, अधिकारियों को बता दिया है कि तौलने वाली मशीनें खराब पड़ी रहने नहीं देनी चाहिए। इसलिए मशीनों को ठीक किया जाएगा। इसलिए खाद्य सचिव ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। इस सभा में आने से पूर्व, मैंने स्वयं देखा है कि इसमें सुधार हो रहा है जिससे हानि में कमी आएगी। उदाहरण के लिए ट्रकों में रखते समय मंडी में तथा रेल वैगनों में रखते समय ठीक तौल की जाए। यह आश्चर्यजनक है कि जब वे कहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कहा गया है कि इतना दिया गया है। मुझे यह नहीं मालूम है। हम इस प्रणाली में सुधार लाएंगे। भंडारों की नियमित जांच होनी चाहिए। मैंने भारतीय खाद्य निगम की एक लंबी टिप्पणी देखी है। मैंने सर्तकता, मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक, के बारे में टिप्पणी देखी है। हमने ऐसे मामले भी देखे हैं जिनमें सजा दी गई हैं। उन सभी का पूरा ब्यौरा देकर मैं सभा का समय लेना नहीं चाहता। मैं यह कोशिश करूंगा कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। उचित लेखा क्यों नहीं रखा जा रहा है? गोदामों में बोरियों की गिनती क्यों नहीं की जा रही है, इन सभी को लागू करने की मैं कोशिश करूंगा।

इसके अलावा दूसरे प्रकार की आलोचना भी की गई है। और वह आलोचना भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक लागत के बारे में है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों को शुद्ध मूल्य देने के बाद पहला महत्वपूर्ण खर्च वसूली पर है जो 23.35 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है।

माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह क्या है? निजी व्यवसायी इसे बहुत कम खर्च पर करते हैं। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि इस 23.35 रुपये के अन्तर्गत अधिकांश राशि सांविधिक प्रभार हैं। उदाहरण के लिए, मंडी शुल्क बिक्री/खरीद कर, बोरियों की कीमत, ब्याज तथा अन्तिम पाइंट शुल्क और प्रशासनिक प्रभार 1.13 रुपये प्रति क्विंटल है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि 23.35 रुपये के कुल खर्च में से लगभग 18 रुपये मंडी प्रभार, जैसे जो

पंजाब सरकार ने लगाया है, सांविधिक प्रभार हैं। इस प्रकार, 23.35 रुपये में से 80% कानूनी प्रभार है। वसूली खर्च वसूली मूल्य का 16.4% है। इसमें से 12.67% कानूनी प्रभार है। इसलिए, कुल वसूली मूल्य का स्थापना प्रभार 0.8% है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, तो मैं यह देखूंगा कि इस 0.8% को और कम किया जाए। लेकिन तथ्य यह है कि दूसरे द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार- कानूनी प्रभार हैं जिनका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे खुद यह पहले मालूम नहीं था। यदि इन तथ्यों को जाने बिना मैं स्वयं इस वाद-विवाद में भाग लेता, तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता कि जो प्रभार हैं, वह बहुत ज्यादा हैं।

अब मैं वितरण प्रभार पर आता हूं। वसूली प्रभार के बाद वितरण प्रभार 27.60 रुपये प्रति क्विंटल आता है। इसमें भी यही कहानी है। मितव्ययी लागत का अभिप्राय है किसानों को दिया गया मूल्य, वसूली खर्च तथा वितरण लागत; इन्हें मिलाकर मितव्ययी मूल्य बनता है। लेकिन इस मूल्य पर हम राज्यों को नहीं देते। हमें उन्हें राज-सहायता देकर निर्गम मूल्य पर देते हैं। इसलिए निर्गम मूल्य मितव्ययी मूल्य से कम है।

इसलिए मैं कहूंगा कि इस वितरण लागत में भी हमारा प्रशासनिक खर्च 2.39 रुपये है, जिसका उल्लेख हमारे माननीय सदस्यों ने किया है कि यह दुःखदायी है। हम इसका अवश्य पता लगाएंगे कि हम भंडारण में सुधार कैसे कर सकते हैं जहां छोटे तथा बड़े चूहे, सफेद व काले चूहे अनाज खा जाते हैं तथा हम ढुलाई के दौरान होने वाली हानि को भी कम करने की कोशिश करेंगे।

मैं यह जोर देकर कहता हूं कि इसकी देख-भाल की गई है और अच्छी तरह देखभाल की गई है और इस वाद-विवाद के बाद माननीय सदस्यों के समर्थन से मैं इसे लागू करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे अच्छी तरह किया जाए। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा·····।

एक माननीय सदस्य : केवल समर्थन पर क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे पर इन्हें समर्थन करें। उनके कहने का अभिप्राय यही है।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे खुशी होगी यदि माननीय सदस्य मेरे सामने मधुर भाषण करेंगे। मैं इसे पसन्द करूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र यह जानने के इच्छुक होंगे कि भारतीय खाद्य निगम में अनेक यूनियनें हैं लेकिन कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। उन्होंने वेतन पुनरीक्षण की मांग की है। अभी तक वे केन्द्रीय वेतन तथा महंगाई भत्ते के अन्तर्गत आते हैं। उनमें से कुछ केन्द्रीय वेतन तथा भत्ता ही चाहते हैं क्योंकि उन्हें 'औद्योगिक उपक्रम' के अन्तर्गत जितना मिलेगा, उससे उन्हें अधिक मिल रहा है। मेरे मित्र श्री लारेंस अब आये हैं जबकि मैं उनकी प्रशंसा कर चुका हूं। क्या मैं इसे दोहराऊँ ? मैं इसे अन्त में दोहराऊंगा। अतः, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने खाद्य निगम को इस पर विचार करने का आदेश दिया है। मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूं कि सबसे पहले आप यह निर्णय करें कि आपके मातहत जो काम करते हैं, उनसे क्या देय है तथा उनका हमारे प्रति क्या देय है। मैं भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों से मांग करूंगा जो मेरा उनसे

देय होगा—मेरा देय का अभिप्राय है देश का देय और हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे कि उनका क्या देय है। इसका निर्णय करना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोग केन्द्रीय वेतन तथा भत्ता लेना चाहते हैं तथा कितने लोग 'औद्योगिक उपक्रम' के अन्तर्गत आना चाहते हैं और यदि वे इसके अन्तर्गत आ जाते हैं तो औद्योगिक लागत पर आधारित महंगाई भत्ता उन पर लागू होगा तथा उस स्थिति में अन्य अपेक्षाएं भी होंगी जैसे कि काम के घंटे तथा अन्य चीजें। हम उस पर इस वाद-विवाद के बाद विचार करेंगे।

खाद्यान्नों के भंडारण के बारे में, मेरे मित्रों ने भंडारण क्षमता का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहूंगा कि 31-12-1982 को यथास्थिति, हमारे पास अपनी तथा किराये की 15.7 मिलियन टन की भंडारण क्षमता थी।

हम केन्द्रीय भांडागार राज्य भांडागारों तथा अन्य एजेन्सियों से किराये पर लेते हैं। 1983-84 में पांच लाख टन की भंडारण क्षमता का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना है। हम इसे करेंगे।

श्री के० सी० पांडेय ने विश्व बैंक की सहायता से स्थापित की जा रही भंडारण-क्षमता का प्रश्न उठाया है। यह सच है कि 1981 तक यह स्थापित नहीं की जा सकी। इसे आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा। लेकिन इसका कारण यह है कि भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा कुछ अन्य कारण भी हैं। हमने विश्व बैंक से बात की है और वे हमारी नई समय-सीमा से सहमत हो गए हैं और हम संशोधित समय-सीमा के अन्दर पूरा करने की कोशिश करेंगे। श्री पांडेय चाहते हैं कि मैं इसकी जांच करूं कि ऐसा क्यों हुआ तथा नया बताये गए कारण औचित्यपूर्ण हैं। मैं इसे देखूंगा तथा मैं देखूंगा कि इस पर क्या किया जा सकता है।

हमारे पास भंडारण का दूसरा प्रकार है पक्की जमीन के ऊपर तिरपाल तथा कोई अन्य सायवान डाल देते हैं। 1977 में हमारे पास 7.52 मिलियन टन सी० ए० पी० की क्षमता थी और हम इसे कम करके 2.37 मिलियन टन कर दिया है तथा वास्तविक स्टाक जो हम रखते हैं वह है 5·45 मिलियन टन। यह 1977 का आंकड़ा है और हमने इसे कम करके 0.62 मिलियन टन कर दिया है—अर्थात् 620,000 टन सी० ए० पी० केवल। लेकिन करने का यह सबसे सुरक्षात्मक तरीका है। लेकिन हम वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी प्रेरणा फार्म स्तर से ले रहे हैं जहां किसान सारा कार्य फार्म स्तर पर करते हैं। इसके लिये हमारे पास दल हैं जो दौरे पर जायेंगे और यह काम करेंगे।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि हम देश में खाद्य संबंधी अर्थव्यवस्था का ठीक प्रबन्ध करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए हैं और मैंने उनका उत्तर देने का प्रयत्न किया है। यदि उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है तो मैं उनका उत्तर आपके द्वारा दुबारा पूछे जाने पर अवश्य दूंगा।

अब मैं अपने मंत्रालय के दूसरे विभाग अर्थात् नागरिक सम्भरण विभाग पर आता हूं। जहां तक खाद्य तेल का संबंध है देश की आवश्यकता 40 लाख टन की है जबकि हम केवल 27 से 28 लाख टन का ही उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार 12 लाख टन का अन्तर है। इस अन्तर को हम देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर, समर्थन मूल्य देकर, खाद्य तेल संबंधी उपयुक्त नीति

तैयार करके और खाद्य तेल का आयात करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगभग 10 टन खाद्य तेल का प्रति वर्ष आयात कर रहे हैं। इसमें से हम वनस्पति उत्पादकों उनकी आवश्यकता का 60 प्रतिशत अर्थात् 6.3 लाख टन दे रहे हैं और सीधे उपभोग के लिये 8500 रुपये प्रति टन के हिसाब से 4.5 लाख टन खाद्य तेल दे रहे हैं। मेरे मित्रों ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में कहा है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 93 लाइसेंस शुदा एकक हैं जिनमें वनस्पति का उत्पादन होता है। उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता लगभग 14 लाख टन है। उनकी अधिष्ठापित क्षमता 13 लाख टन है जबकि उनमें केवल 9.03 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। मैं समझता हूं कि एशियाई खेलों के दौरान और गत दिवाली तथा अन्य त्यौहारों के अवसरों पर मांग-पूर्ति की जो स्थिति रही वह काफी अच्छी थी। वनस्पति के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। हम मूल्य स्थिर बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर भारत और देश के अन्य भागों में खाना पकाने का यह एक प्रमुख साधन है। इसीलिए हम यह सब कर रहे हैं। इस उद्योग का राष्ट्रीकरण करना संभव नहीं है और इसका राष्ट्रीयकरण करने का हमारा प्रस्ताव भी नहीं है।

अब मैं एक दूसरी बात लेता हूं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीनी के सम्बन्ध में है। इस संबंध में कई मित्रों ने चर्चा में भाग लिया। उनके नाम हैं सर्वश्री रामनगीना मिश्र, के० सी० पांडे, चन्द्रपाल शैलानी, गिरधारी लाल व्यास, अशफाक हुसैन, मधुकर और पनिक्का इन सभी ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बकाया राशि के बारे में है। भारत सरकार ने चीनी संबंधी नीति को 1980-81 में नया रूप दिया था। गत वर्षों की तुलना में कम उत्पादन हुआ जो 38·59 लाख टन था, 1981-82 में यह बढ़कर 84·78 लाख टन हो गया, 1982-83 में इसके 75 से 80 लाख टन होने की उम्मीद है। 1980-81 में चीनी के लिए सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य चीनी प्राप्ति के आधार पर देने की नीति थी। उस नीति से हमें लाभ भी हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप देश में चीनी का उत्पादन बढ़ा है। 38 लाख टन की तुलना में यह बढ़कर 84 लाख टन हो गया। परन्तु बकाया राशि अवश्य है। उदाहरण के लिए 15 फरवरी को वर्ष 1980-81 के लिए 94 करोड़ रु० की बकाया राशि थी जो कुल उत्पादन का 14% थी। 1981-82 में बकाया राशि 133·57 करोड़ रुपए थी जो कुल उत्पादन का 17·5 प्रतिशत थी। विचाराधीन इस वर्ष में अर्थात् 1982-83 में यह 196·40 करोड़ रुपए है जो कुल उत्पादन का 28·4% है। परन्तु इससे बिहार और यू० पी० के संबंध में आंकड़े स्पष्ट नहीं होते। मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों राज्यों के बारे में ये आंकड़े 28·4%से कहीं अधिक हैं। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट बकाया बाकी है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं तो खुद ही कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेम्बर बहुत होशियार हैं। जब, नगीना जी ने, पांडे जी ने और पनिका जी ने इतने जोर से कहा है तो वे मेरे फिगर्स को नहीं मानेंगे। मैं भी वहां का रहने वाला हूं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में देय राशि 76·46 करोड़ रुपए है जो कुल का 42·3% है। बिहार में देय राशि 24 करोड़ रुपए है जो

कुल का 73·1% है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों से अतिरिक्त ऋण दिये जायें ताकि इस बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। उन्हें बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए।

महोदय, जब हम इस पिराई वर्ष के पहले तीन महीनों का बकाया राशि को देखते हैं तो पता चलता है कि यह सर्वाधिक है। इसके बाद में यह कम होती गई। बकाया राशि प्रतिवर्ष कम होती जा रही है और हमें आशा है कि यह और भी कम होती जायेगी। हम इस पर नजर रखे हुए हैं। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे मिल मालिकों से कहें कि वे बकाया राशि का भुगतान करें। राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य वह होता है जो राज्य और मिल मालिकों के बीच हुए करार के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए उन्हें इसी आधार पर भुगतान करना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में स्थिति कठिन है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थिति ठीक है। वे शुरू में ही अग्रिम राशि का भुगतान कर देते हैं और जब पेराई मौसम खत्म होता है तब वे सारा हिसाब लगाते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु चीनी प्राप्ति के आधार पर भार्गव सूत्र के अनुसार ऐसा करते हैं। वे 50 प्रतिशत पहले दे देते हैं। संपूर्ण उधार चुकता कर दिया जाता है उ०प्र० और बिहार के मामले में चीनी प्राप्ति और सांविधिक मूल्यों के बीच संबंध नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष 8.5% चीनी-प्राप्ति के लिए 13 रु० का भाव निर्धारित किया था जिसके अनुसार उ०प्र० में यह भाव 17.40 रु० से लेकर 18.85 तक बैठता है और पंजाब में यह 19.10 रु० है, हरियाणा में 16.15 रु० है। उ०प्र० में जो भुगतान किया जा रहा है वह अब 20.50 रु० से लेकर 21.50 रु० तक है। बिहार में यह 20.50 रु० है, पंजाब में 20 रु० से लेकर 23 रु० तक है और हरियाणा में भी यह 20 रु० से 23 रु० तक है।

केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर जो क्षेत्र निर्धारित किये थे उनमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार निर्धारित मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह कठिनाई पैदा हो गई है। सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत मिल नहीं दे रहे हैं क्योंकि मिल मालिकों का कहना है कि उनकी क्षमता इतनी नहीं है।

महोदय यह बात ध्यान में रखने की है कि चीनी उद्योग में 3 हिस्सेदार होते हैं—गन्ना उत्पादक, चीनी उद्योग और उपभोक्ता। हमने उपभोक्ताओं पर भी ध्यान देने का निर्णय किया है और इसलिए पूरे देश में कहीं भी प्रत्येक दुकान पर लेवी की चीनी का मूल्य 3.75 रु० प्रति किलो निर्धारित किया गया है। लागत मूल्य की तुलना में यह रियायती मूल्य है। इसलिए कुल चीनी का 65 प्रतिशत चीनी लेवी के रूप में ली जाती है और 35 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में मिल मालिकों द्वारा बेचे जाने के लिए छोड़ दी जाती है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराज गंज) : मैंने कस्टोडियन मिलों के बारे में मामला उठाया था।

श्री भागवत झा आजाद : केन्द्रीय सरकार ने 8 मिलों को अपने नियंत्रण में लिया है। जिनमें 5 उ०प्र० में हैं। अयोध्या मिल है। हमने उनको भुगतान किया है उनकी ओर बहुत ही राशि कम शेष है। तीन अन्य कस्टोडियन मिल भी हैं जो बहुत समय पहले से शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं किंतु किसानों की मांग है कि वे राज्य द्वारा सुझाये गये मूल्य को ही स्वीकार करेंगे अन्यथा नहीं।

श्री अशफाक हुसैन : गत वर्ष की भी बकाया राशि है।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, कस्टोडियन मिलों की ओर बकाया के बारे में कुछ मित्रों ने कहा है कि वे इस मामले में सबसे बड़े अपराधी हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि उनकी ओर जो बकाया राशि है वह अधिनियम के अधीन अनुमत दस प्रतिशत के भीतर ही है। अतः हमने भुगतान कर दिया है। हमारी कठिनाई यह है कि एक ने तो भुगतान कर दिया है और दूसरा भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। तीन भुगतान करने के लिए तैयार हैं परन्तु किसान कहते हैं कि उन्हें राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य दिया जाना चाहिए।

मैं यह जानता हूं कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र या एक ही जिले में कस्टोडियन मिल द्वारा जो मूल्य दिया जा रहा है वह दूसरी मिलों द्वारा इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि वह अधिक है। हमारे जैसे बड़े देश में जब किसी बात पर निर्णय, उस पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद किया जाता है और जब वह विशेष रूप से मूल्य-निर्धारण के बारे में हो तथा जब निर्धारित मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता तो इस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया था और उस पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने 8.5 प्रतिशत चीनी की प्राप्ति के लिए 13 रु० का सांविधिक मूल्य निर्धारित किया था। अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपना अलग से मूल्य निर्धारित किया गया था जो चीनी प्राप्ति के आधार पर था इसलिए उनके सामने कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जो राज्य अपना अलग से मूल्य निर्धारित करते हैं उनकी ओर बकाया राशि से ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का यह ठीक तरीका नहीं है। उन्होंने वित्त मन्त्री से ऋण के लिए मांग की है। इस ओर से यह कहा गया है कि 20 करोड़ रुपए का उदार शर्तों पर ऋण दिया जायेगा। मैं प्रार्थना करूंगा और राज्य सरकारों को अवश्य ही लिखूंगा और उन्हें यह बताऊंगा कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये मूल्य का भुगतान करना चाहिए और साथ ही ब्याज भी देना चाहिए। मैं नियंत्रण आदेश से अवगत हूं जिसमें यह व्यवस्था है कि 14 दिन के बाद की अवधि के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहां प्रश्न तो यह है कि मूल का ही भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम तो राज्य सरकारों से अनुरोध ही कर सकते हैं। यह कहा गया है कि हम खरीद कर को छोड़ दें और उत्पादन शुल्क में समायोजन करें। वित्त मंत्री ने ऐसा कर दिया है।

श्री अशफाक हुसैन : कस्टोडियन के अधीन मिल ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने तथ्य बता दिये हैं। यदि वह सही नहीं है तो मैं पता करूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : जो अशफाक साहब कह रहे हैं, वह ठीक ही होगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अयोध्या मिल ने पे कर दिया है और तीन मिल में हम देने के लिये तैयार हैं। प्रश्न यह है कि वे कहते हैं कि 18 रुपए 50 पैसे नहीं लेंगे, स्टेट एडवाइस प्राइस दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो साइन्टिफिक बेसिस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने फैसला किया और उसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही न माने तो किस मुंह से कहें।···(व्यवधान)

श्री रामनगीना मिश्र : राज्य सरकार ने साढ़े बीस रुपये पूरब में और साढ़े इक्कीस रुपए प्रति क्विंटल पश्चिम में दाम घोषित किए हैं। लेकिन जो आपकी पांच फैक्ट्रियां हैं, वे क्यों नहीं दे रही हैं? क्या आपकी सरकार वहां भी है और यहां भी है।

श्री भागवत झा आजाद : यही बात मैं अब तक समझा रहा था। यह हमारे लिए संभव नहीं है। आपकी राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय के खिलाफ जो उसका वैज्ञानिक आधार है वह यह है कि स्टेचुटरी प्राइस का रुपया 8.5 इकाई पर ही दिया जाए जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु फालो करता है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपने अपने मन से निर्णय किया। अब कठिनाई यह है कि उनकी एडवाइज पर यह पैसा दिलवाएं, हम तो उल्लघन नहीं करेंगे।

श्री रामनगीना मिश्र : गन्ना किसान गन्ना नहीं दे रहा था। स्टेट गवर्मेन्ट ने विधान सभा में अनाउंस किया कि जो रेट समूचे देश में दे रहे हैं, वही रेट हम सेन्ट्रल गवर्मेन्ट से दिलवायेंगे। या तो वह सरकार इस्तिफा दे दे नहीं तो केन्द्र उसका दाम दिलवाए।···(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : मैंने तथ्य और आंकड़े पेश कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता। श्री रामनगीना मिश्र त्यागपत्र मांग सकते हैं, मैं नहीं जानता किस से, वह यह कर सकते हैं। उन्हें इस बारे में प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री से कहना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपका नाम कई बार लिया है। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं ? कृपया बैठ जायें।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानता हूं कि एक कठिन स्थिति है। यह कठिन स्थिति पहले भी थी। अर्थव्यवस्था के बिगाड़ने का कारण यह है कि हमने केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये वैज्ञानिक सूत्र को नहीं समझा है। चीनी उद्योग, जिसके अन्तर्गत गन्ना उत्पादक भी हैं, एक ऐसा उद्योग है जहां उपभोक्ताओं को चीनी उचित दर पर मिलनी चाहिये। हमें कानूनी तौर पर मूल्य अर्थात् 8.5 प्रतिशत वसूली पर 13 रुपये का मूल्य निर्धारित करना होगा। कुछ राज्य सरकारें इसका अनुसरण कर रही हैं और वहां का प्रबन्ध अच्छा चल रहा है। कुछ राज्य सरकारें, जिनकी कीमतें इस मूल्य से अधिक हैं, कठिनाई में हैं। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने वित्त मंत्री से ऋण मांगा है। यह कैसे दिया जाये। मैं यही कह सकता हूं कि सेंट्रल कस्टोडियन मिल तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार भुगतान करेगी। यह कोई तदर्थ या विभेदकारी निर्णय नहीं होगा, परन्तु एक ऐसा निर्णय होगा जो वैज्ञानिक सूत्रों पर आधारित होगा। अतः मैं केवल यही कहता हूं। शेष के लिए हमें देखना होगा कि यह कैसे हो सकता है। हम उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने माननीय सदस्यों को सब बता दिया है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य नाराज हैं। उनकी नाराजगी उचित ही है। सच तो यह है कि हम गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है : अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार की 1980-81 की नीति के फलस्वरूप जब एक समय चीनी का उत्पादन 38 लाख टन से कुछ अधिक होता था, गत वर्ष 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और इस वर्ष भी 75 से 80 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। 5 लाख टन का बफर स्टाक रखने के लिए ब्याज सहित 100 प्रतिशत धन की व्यवस्था की जा रही है। श्रीमन्, चीनी उद्योग के बारे में यही सब बातें हैं।

आशा है, मैंने माननीय सदस्यों की सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : यू० पी० गवर्नमेंट ने जो 20 करोड़ रुपया मांगा है, उसके लिए आप ने क्या किया ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण मांगा है। वित्त मंत्री द्वारा इस पर विचार किया जायेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं आप के साथ हूं, यदि आप प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। मैं सभी सदस्यों के प्रति उन द्वारा की गई समालोचना के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जहां सराहना के कुछ शब्द कहे और साथ ही साथ और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रिय मित्र, श्री लारेंस की तरह कटू आलोचना की। श्री लारेंस ने क्रय शक्ति, सिंचाई, विद्युत तथा अपने दल की आर्थिक नीति के बारे में कहा। अतः मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं। आशा है कि वर्तमान कठिनाई और सूखे की स्थिति में हम खाद्य की स्थिति पर काबू पा सकेंगे। किसी भी राज्य सरकार से भूख से हुई मौतों का कोई समाचार नहीं मिला है। हम तमिलनाडु को अधिक अनाज देने का प्रयत्न करेंगे। हमने केरल को दिया है, उड़ीसा को दिया है और बिहार को भी दिया है। केन्द्रीय पूल में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न किया जायेगा जैसाकि पहले 1979-80 में सूखे के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया गया था। हमें विश्वास है, कि प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सूखे की वर्तमान स्थिति पर भी काबू पा लिया जायेगा। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : *क्या मैं चन्द शब्द कह सकता हूं ? मैं अपने प्रधान मंत्री को बार-बार यह सलाह देता रहा हूं कि—खाद्य विभाग तथा नागरिक पूर्ति विभाग का प्रचार एक ऐसे मंत्री को सौंपा जाना चाहिये जो युवा, सक्रिय और ठोस कार्य करने वाला हो। आखिरकार,* उन्होंने एक सही निर्णय किया है और मैं प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी यह मांग पूरी कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के बारे में सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं, यदि कोई सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से न रखवाना चाहता हो। मेरे विचार में आप सभी सहमत हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई और नागरिक पूर्ति मंत्रालय सम्बन्धी खाद्य मांग संख्या 45 और 46 के बारे में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा 1983-84 के लिए स्वीकृत अनुदानों की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		रु० हजारों में			
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
45.	खाद्य विभाग	157,97,96,000	6,55,68,000	789,89,79,000	32,78,39,000
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	79,08,000	1,38,50,000	3,95,37,000	6,92,49,000

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 मार्च, 1983/10 चैत्र, 1905 (शक) के 11 बज तक के लिए स्थगित हुई।